शृंखला माला, खंड 2, अंक 2

मंगलवार, 6 जुलाई, 2004
15 आषाढ़, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

(खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 2004/1926 (शक)]

अंक 2, मंगलवार, 6 जुलाई, 2004/15 आषाढ़, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 21, 22, 25, 30, 34, 35 और 39	3-45
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 23, 24, 27 से 29, 31 से 33, 36 से 38 और 40	46-85
अतारांकित प्रश्न संख्या 176 से 329	85-422
सभा पटल पर रखे गए पत्र	423-425
रेल बजट, 2004-2005	
श्री लालू प्रसाद यादव	425-467
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन	467-472
श्री अर्जुन सिंह	467-472
नियम 377 के अधीन मामले	472-478
(एक) असम में लेपेटकाटा में 1985 के असम समझौते में यथा सम्मिलित एक गैस-क्रेकर यूनिट स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनवर हुसैन	472-473
(दो) गुजरात में हिम्मतनगर-अहमदाबाद मीटर-गेज रेलवे लाइन पर हिम्मतनगर में समपार संख्या 81/क पर एक रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री मधुसूदन मिस्त्री	473
(तीन) कर्मचारियों को 'हड़ताल करने का अधिकार' प्रदान किए जाने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री सुनील खां	473-474
(चार) कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाए जाने की दृष्टि से और अधिक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामजीलाल सुमन	474
(पांच) झारखंड के साहिबगंज और पाकुड़ जिलों में पावर ग्रिड स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री हेमलालू मुर्मू	474-475

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(छह) निजी क्षेत्र में वंचित वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण दिए जाने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता

डा. एम. जगन्नाथ 475

(सात) असम में चन्द्रपुर और उत्तर गुवाहाटी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-52 को ब्रह्मपुत्र नदी पर चार लेन वाले रेल और सड़क पुल से जोड़ते हुए चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा 475-476

(आठ) असम में लुम्डिंग-बदरपुर रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने का कार्य शीघ्र किए जाने की आवश्यकता

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य 476-477

(नौ) कृषि विकास पर बल देते हुए एक नई कृषि नीति बनाए जाने की आवश्यकता

श्री एस.पी.वाई. रेड्डी 477

(दस) आंध्र प्रदेश के नालगौंडा और अन्य जिलों में पेयजल को फ्लोराइड मुक्त किए जाने हेतु योजना बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी 477-478

नियम 193 के अधीन चर्चा

इराक में स्थिति 478-532

श्री पी.के. वासुदेवन नायर 478-484

श्री मणिशंकर अय्यर 484-490

श्री वरकला राधाकृष्णन 490-497

प्रो. राम गोपाल यादव 497-502

श्री मधुसूदन मिस्त्री 502-505

श्री आलोक कुमार मेहता 505-506

श्री इलियास आजमी .... 5[illegible]

श्री उमर अब्दुल्लाह 510-515

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार 515-518

श्री रूपचन्द पाल 518-520

श्री असादुद्दीन ओवेसी 520-522

श्री के. नटवर सिंह 522-532

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका 533

अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका 534-538

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका 539-540

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका 539-542

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष
श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष
श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका*
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री गिरिधर गमांग
श्री मानवेन्द्र शाह

महासचिव
श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

---

*भारत के राष्ट्रपति द्वारा 29.5.2004 को नामनिर्देशित

भारत के राष्ट्रपति द्वारा 29 मई 2004 को निम्नलिखित आदेश जारी किया गया

"मैं एतद्द्वारा सर्वश्री सोमनाथ चटर्जी, बालासाहिब विखे पाटील, गिरिधर गमांग और मानवेन्द्र शाह को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त करता हूं जिनमें से किसी के भी समक्ष लोक सभा के सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 के उपबंधों के अनुसार शपथ ले सकते हैं या प्रतिज्ञान कर सकते हैं।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
भारत का राष्ट्रपति।"

लोक सभा

मंगलवार, 6 जुलाई, 2004/15 आषाढ़, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* **हुए]**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न काल शुरू किया जाए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): अध्यक्ष महोदय, आज देश के मशहूर ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में एक समाचार छपा है। *...(व्यवधान)* हम जानना चाहते हैं कि श्री तेलगी के साथ पूर्व रक्षा मंत्री का क्या संबंध रहा है और कारगिल युद्ध के समय *...(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि गृह मंत्री इस बात की जांच करें और इसके लिए हमारे दल की तरफ से *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप इसे प्रश्न काल के बाद उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुनाथ झा, कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 21—श्री मित्रसेन यादव।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 21—श्री मित्रसेन यादव।

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुनाथ झा, कृपा करें। यदि आपको कोई मुद्दा उठाना है तो मैं उसे देखूंगा और यदि संभव हुआ तो मैं उसकी अनुमति दूंगा। अब कृपया प्रश्न काल चलने दें। संसद की कार्यवाही चलने दें। मैं आपसे अपील करता हूं। कृपया मेरी बात सुनें। प्रश्न काल में व्यवधान न डालें। सभा को सुचारू रूप से चलना चाहिए। मेरा आपसे यही अनुरोध है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 21—श्री मित्रसेन यादव।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब प्रश्न संख्या 22—श्री अब्दुल रशीद शाहीन।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: क्वैश्चन आवर के बाद हमें इस पर बोलने दिया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप उठाइएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री शाहीन, कृपया अपना प्रश्न कीजिए।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न संख्या-21 के लिए दो बार खड़ा हुआ हूं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मित्रसेन यादव, आप अपना अवसर गंवा चुके हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री शाहीन, कृपया अपनी प्रश्न संख्या बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मित्रसेन यादव, आप अपना अवसर गंवा चुके हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय संसद सदस्य, मैं आपसे यह अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। मैंने तीन बार आपका नाम पुकारा है और आप खड़े नहीं हुए।

श्री रघुनाथ झा: नहीं महोदय, ये खड़े हुए थे और इन्होंने पूछा था।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव: अध्यक्ष जी, मैं पहले दो बार खड़ा हुआ हूं। *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष जी, ये पहले तो बार खड़े हो चुके हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। एक अपवाद के रूप में, मैं आज आपको अनुमति दे रहा हूं और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।

हां, श्री मित्रसेन यादव। कृपया अपना प्रश्न कीजिए।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

गरीबी उपशमन

***21. श्री मित्रसेन यादव: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबी उपशमन से संबंधित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्यवार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

[अनुवाद]

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) योजना आयोग ने यह सूचित किया है कि भारत में संयुक्त शहरी और ग्रामीण गरीबी अनुपात 1993-94 में 35.97% से घटकर 1999-2000 में 26.10% हो गया है। जहां तक शहरी गरीब के गरीबी अनुपात में कमी आने का संबंध है, इस अवधि के दौरान यह 32.36% से घटकर 23.62% हो गया है।

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों के जरिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नामक एक केन्द्र प्रायोजित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम 1.12.1997 से अखिल भारतीय आधार पर चला रहा है जिससे कि शहरी बेरोजगार अथवा अल्प रोजगार प्राप्त गरीबों को प्रथमत:, नौवीं कक्षा तक पढ़े-लिखे लोगों को स्वरोजगार उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, द्वितीयत: सामाजिक तथा आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण में उनके श्रम का उपयोग करके मजदूरी रोजगार मुहैया कराकर लाभप्रद रोजगार दिया जा सके। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत राज्यवार वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे और इन्हें तय करने की जिम्मेदारी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों पर छोड़ दी गई। तथापि, दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान इस स्कीम के तहत शहरी गरीबों को लघु/सामूहिक उद्यमों की स्थापना के जरिए 4,00,000 रोजगार अवसर और 5,00,000 व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण देने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार इन लक्ष्यों की तुलना में दसवीं योजना के पहले दो वर्षों (2002-03 और 2003-04) के दौरान 31.3.04 तक संचयी रूप से 2,19,412 लघु उद्यम लगाए गए और 2,16,090 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को राज्यवार तथा वर्षवार जारी केन्द्रीय धनराशियों को दर्शाने वाला ब्यौरा अनुबंध के रूप में संलग्न है।

अनुबंध

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान राज्यवार जारी किये गये केन्द्रीय अंश का ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेशों का नाम	2001-02 के दौरान दी गई धनराशि	2002-03 के दौरान दी गई धनराशि	2003-04 के दौरान दी गई धनराशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	331.51	904.15	1390.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	0.00	7.84
3.	असम	–	0.00	0.00
4.	बिहार	–	0.00	425.38
5.	छत्तीसगढ़	128.44	236.41	229.65
6.	गोवा	–	0.00	0.00
7.	गुजरात	166.67	1717.07	260.19
8.	हरियाणा	50.40	238.39	569.95
9.	हिमाचल प्रदेश	23.98	63.64	32.58
10.	जम्मू-कश्मीर	12.81	62.98	30.41
11.	झारखण्ड	66.64	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	395.16	668.68	577.46
13.	केरल	226.23	301.99	610.5
14.	मध्य प्रदेश	304.02	683.93	818.32
15.	महाराष्ट्र	–	618.73	322.56
16.	मणिपुर	–	0.00	0.00
17.	मेघालय	–	0.00	0.00
18.	मिजोरम	70.52	105.15	52.79
19.	नागालैंड	37.00	68.78	1.90
20.	उड़ीसा	300.00	381.48	0.00
21.	पंजाब	–	67.38	0.00
22.	राजस्थान	32.64	40.53	122.96
23.	सिक्किम	28.86	31.20	163.21
24.	तमिलनाडु	285.32	751.22	648.58
25.	त्रिपुरा	84.99	114.31	354.27
26.	उत्तरांचल	27.88	16.33	46.27
27.	उत्तर प्रदेश	733.07	1671.76	1571.74
28.	पश्चिम बंगाल	293.86	501.66	883.26
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	–	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	–	269.09	278.37
31.	दादर व नगर हवेली	–	23.91	14.63
32.	दमन व दीव	–	0.00	0.00
33.	दिल्ली	–	0.00	0.00
34.	पांडिचेरी	191.00	191.00	191.00
	कुल	3831.00	10091.77	10074.00

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव: अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न के माध्यम से स्पष्ट पूछा था कि ग्रामों और शहरों में गरीबी की क्या स्थिति है और क्या सरकार ने इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? इसके समापन के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है? सरकार ने बिल्कुल गोलमोल जवाब दिया है और देश के अंदर गरीबी जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर अगर सरकार इस प्रकार से उदासीन रहेगी तो गरीबी कभी समाप्त नहीं की जा सकती। इसमें जो आंकड़े दिये गये हैं, मैं सरकार से इतना ही जानना चाहता हूं कि जो प्रतिवर्ष आपने विभिन्न प्रदेशों को पैसा दिया है, उसके पीछे आपका लक्ष्य क्या था और उस लक्ष्य के उद्देश्य की पूर्ति कैसे की गई है? इसका जवाब कृपया माननीय मंत्री जी दे दें।

कुमारी सैलजा: अध्यक्ष महोदय, गोलमोल जवाब देने का हमारा कोई मकसद नहीं है लेकिन मैं जवाब शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की ओर से दे रही हूं, रूरल डैवलपमेंट की ओर से मैं नहीं दे पाऊंगी लेकिन लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। नौवें प्लान

में लक्ष्य निर्धारित नहीं हुए लेकिन अब हम कर रहे हैं और 'स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना' है जिसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि गरीबी को हम कम करें चाहे वे छोटे शहर में हैं या बड़े शहर में हैं। इसमें हम राज्यों को मदद देते हैं। उसका आधार यह होता है कि वे हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देते हैं, तो उसके आधार पर हम उनको पैसा रिलीज करते हैं। फंड्स का एलोकेशन गरीबी के आधार पर होता है। वास्तव में कितना पैसा रिलीज होगा, यह राज्यों पर निर्भर करता है कि उन्होंने पिछली किस्त में से कितने पैसे का उपयोग किया है। इस आधार पर हम उनको आगे पैसा देते हैं।

श्री मित्रसेन यादव: मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार जो पैसा गरीबों की भलाई के लिए देती है, तो गरीबी के मापदंड का क्या आधार है? किस प्रकार के लोगों को गरीबी रेखा के अंतर्गत माना जाता है? क्या इसके आंकड़े आपके पास हैं कि विभिन्न प्रदेशों में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, उनकी गरीबी दूर करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित है और कितना पैसा इस काम के लिए दिया जाता है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या अब आपको आंकड़े मिल गए हैं?

[हिन्दी]

कुमारी सैलजा: अभी मेरे पास सब राज्यों के फिगर्स नहीं हैं. मैं बाद में माननीय सदस्य को यह दे दूंगी।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सरकार द्वारा अभी तक शहरी गरीबी का उपशमन करने हेतु जो रणनीतियां अपनाई गई हैं वह है विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा धनराशि उपलब्ध कराना। हमारी जानकारी में जो अनुभव आया है हमने बैंकों के साथ हुई बैठकों में यह पाया है कि बैंक उन शहरी युवाओं को ऋण देने के इच्छुक नहीं हैं जिन्होंने ऋण के लिए आवेदन किया है और इससे लाभकारी रोजगार पाना चाहते हैं।

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या उनके मंत्रालय की ऐसी कोई योजना का आशय है कि वह देश के सभी राज्यों में यह सुनिश्चित करने हेतु बैंकों की बैठक बुलाए कि बैंक उन सभी शहरी युवाओं को ऋण प्रदान करें जिन्होंने रोजगार पाने या स्व-रोजगार हेतु ऋण के लिए आवेदन किया है। क्या ऐसी कोई योजनाएं हैं? सरकार के मन में इन युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु क्या योजना है जिससे कि गरीबी को कम करने के कार्य में पहले से तेजी लाई जा सके?

[हिन्दी]

कुमारी सैलजा: मैं माननीय सदस्य की बात से बिल्कुल सहमत हूं। हमारे सामने भी कई बार यह बात आती है। यहां तक कि एक संसद सदस्य होने के नाते मैंने इस समस्या का सामना किया है। बैंकों के माध्यम से जितने बेरोजगार युवकों को मदद मिलनी चाहिए, उसमें कई बार दिक्कतें आती हैं। लेकिन राज्यों में एक मैकेनिज्म है कि वे बैंकों के साथ मीटिंग करें और अवमूल्यन करें कि कितने लोगों को मदद मिलती है। हमारी यह भी कोशिश होती है कि हम यहां से अपना प्रतिनिधि भेजें। इसके अलावा हम इसको और मजबूत करने की कोशिश करेंगे ताकि बैंकों से बेरोजगार युवकों को अच्छी तरह से मदद मिले।

श्री राम कृपाल यादव: कोई मदद नहीं मिल रही है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप माननीय मंत्री जी की बात में व्यवधान नहीं डाल सकते।

...(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, मैं अध्यक्षपीठ से माननीय मंत्री जी को निर्देशित करने का अनुरोध कर रहा हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हां, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं। यह बैंकों के बारे में बहुत उचित शिकायत है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: इन बैंकों का फंक्शन ही ऐसा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं केवल इसे उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

[हिन्दी]

कुमारी सैलजा: मैं भी आपसे बिल्कुल सहमत हूं।

मोहम्मद सलीम: शहरी क्षेत्र में बढ़ती हुई बेरोजगारी के मद्देनजर सरकार ने जिस तरह से आश्वासन दिया है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार इम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम के तहत उपलब्ध कराएगी। मेरा यह कहना है कि लेटेस्ट सेंसेस के मुताबिक हमने देखा है कि बड़े शहरों में ही नहीं, मध्यम और छोटे शहरों में भी बेरोजगारों की तादाद पिछले दिनों काफी बढ़ी है। क्या आप ऐसी रोजगार गारंटी योजना बनाएंगी कि जिससे उनको रोजगार मिले? अगर ऐसा नहीं कर सकती तो जैसा मिस्त्री जी ने कहा कि बैंक स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के तहत रुपया नहीं दे रहे हैं, यह ठीक बात है। आपने जो आंकड़े दिए हैं, उसमें यह तो पता चलता है कि ट्रेनिंग हुई है, लेकिन सेल्फ इम्प्लायमेंट की बात पेंडिंग है, क्योंकि बैंक ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्या आप सेल्फ इम्प्लायमेंट को प्रमोट करने के लिए कोई नई योजना लागू करना चाहती हैं?

कुमारी सैलजा: स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के तहत उनको मदद दी जाती है कि उनको इम्प्लायबल बनाएं, उनको ट्रेनिंग दें और कुछ कम्युनिटी एसेट भी बनाएं, जिसके तहत उनको रोजगार मिले। जो बहुत गरीब लोग हैं, उनको भी रोजगार मिले, यह भी हमारा प्रयास है। इसमें जिनको प्रशिक्षण मिलता है, वे नौवीं पास होते हैं, जिनको कम्युनिटी एसेट बिल्ड करने के लिए कंस्ट्रक्शन में उनकी मदद लेते हैं। उसमें गरीबी की रेखा से नीचे वाले लोग भी हैं। हमारी सरकार का जो कामन मिनीमम प्रोग्राम है, उसके तहत हर साल 100 मेनडेज स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के तहत उपलब्ध कराए जाएंगे और कम्युनिटी एसेट बिल्ड करने के लिए हम उसमें तालमेल करके इसको आगे बढ़ाएंगे।

श्री रामदास बंडु आठवले: अध्यक्ष महोदय, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 26 प्रतिशत है। नयी सरकार जो आई है उसने अपने कामन मिनिमम प्रोग्राम में गरीबी हटाने के लिए बहुत सारे मुद्दे रखे हैं। अभी जो बजट आ रहा है उस बजट में अगर गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की गरीबी हटानी है तो जैसे शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों की संख्या 28 प्रतिशत है तो बजट में 28 प्रतिशत लोगों के लिए एलोकेशन करने के बारे में आपकी सरकार कोई विचार कर रही है या नहीं। बीपीएल का जो सर्वे है उसका रि-सर्वे इसलिए होना चाहिए कि गरीबी की रेखा के नीचे कितने लोग हैं। मेरा प्रश्न है कि आप रि-सर्वे करने के लिए हर स्टेट को आदेश दे रहे हैं या नहीं।

कुमारी सैलजा: हमें बहुत खुशी होगी अगर बजट में गरीबी हटाने के लिए और ज्यादा पैसा मिलेगा।

श्री रामदास बंडु आठवले: मैंने पूछा है कि आप रि-सर्वे करेंगे या नहीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, क्या आप इनके सुझाव से सहमत हैं।

[हिन्दी]

कुमारी सैलजा: वित्त मंत्री जी का जवाब आ जाएगा तब करेंगे।

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, आज पहले ही दिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल प्रश्न काल में आया है लेकिन जिस कैजुअल-वे में माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दे रही हैं यह उतना कैजुअल प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न पर सदन में लम्बी बहस की जरूरत है। हम लोगों को जो सूची राज्यवार दी गयी है उसके अनुसार इस देश में जो सबसे गरीब राज्य हैं जहां गरीबी का प्रश्न सबसे अधिक है उनकी सहायता सबसे अधिक होनी चाहिए। पिछले दो वर्षों में बिहार को एक पैसा भी नहीं दिया गया है और तीसरे वर्ष में कुल चार करोड़ पच्चीस लाख रुपया दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पूरे देश में गरीबी के राज्यवार आंकड़े क्या हां, उनका उल्लेख आपने नहीं किया है, उसकी सूची हम लोगों को दी जाए। जो सर्वाधिक गरीब राज्य हैं उनकी गरीबी मिटाने के लिए जो कार्यक्रम हैं, उनको किस गति से बढ़ाने के लिए भारत सरकार काम कर रही है यह भी मैं जानना चाहता हूं।

कुमारी सैलजा: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को कहना चाहती हूं कि मेरी मंशा कैजुअल--वे में जवाब देने की नहीं है। यह बहुत ही सीरियस टापिक है और हमारी सरकार सीरियस-वे में इस टापिक को टैकल करने के लिए वचनबद्ध है। जहां तक राज्यवार सूची की बात है तो माननीय सदस्य ने पहले भी सूची मांगी थी, हम सूची सप्लाई कर देंगे। अगर वे चाहते हैं तो हम उसे पढ़ भी सकते हैं लेकिन हम सूची सप्लाई कर देंगे।

श्री रघुनाथ झा: हम जानना चाहते हैं कि बिहार को दो साल से पैसा क्यों नहीं मिला?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपसे कोई अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए नहीं कहा है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, क्या आपके अनुग्रह से क्या मैं यह उल्लेख कर सकता हूं कि यह एक विषय के रूप में, एक महत्वपूर्ण मामला है और देश के हित का मामला है। माननीय राज्य मंत्री जी अनुपस्थित हैं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि एक कनिष्ठ मंत्री इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर इस मंत्रालय के कैबीनेट मंत्री की अनुपस्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): मैं शहरी विकास मंत्री हूं लेकिन वह शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) की राज्य मंत्री हैं। इस मंत्रालय के लिए कोई मंत्रिमंडलीय स्तर का मंत्री नहीं है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, अब मेरी जानकारी सही हो गयी है।

मेरा प्रश्न यह है कि सरकार ने गरीबी उपशमन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है या नहीं। माननीय मंत्री महोदया, इधर-उधर की बात कर रही हैं। उन्होंने इस पर हां या नहीं कहा है। वह कह रही हैं, 'योजना आयोग ने बताया है'।

महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि बहुत सी अन्य एजेंसियां भी हैं जिनमें हमें विश्वास है और इन एजेंसियों ने जानकारी दी है कि पूरे देश में गरीबी उपशमन में गिरावट आयी है। यहां तक कि वर्तमान प्रधानमंत्री, जो कि इससे पहले राज्य सभा में विपक्ष के नेता थे, ने भी यह कहा था कि पिछले छह वर्षों में गरीबी उपशमन के कार्य में गिरावट आयी है। अत: मेरा पहला प्रश्न यह है।

अध्यक्ष महोदय: आपको केवल एक प्रश्न पूछने की ही अनुमति है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मेरा प्रश्न दो भागों में है (क) क्या सरकार इसकी पुष्टि करेगी कि गरीबी उपशमन हो रहा है और (ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले छह वर्षों के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से भुखमरी के कारण हुई मौतों की रिपोर्टें मिली हैं?

कृपया इसकी पुष्टि करें या इस पर 'न' कहें।

कुमारी सैलजा: मैं केवल शहरी क्षेत्रों के बारे में उत्तर दे रही हूं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि शहरी गरीबों के गरीबी अनुपात में गिरावट आयी है जो वर्ष 1993-94 के 32 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1999-2000 में 23.6 प्रतिशत रह गया है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है *...(व्यवधान)*

श्री उमर अब्दुल्लाह: महोदय, मैं जम्मू-कश्मीर राज्य से आता हूं देश के अन्य राज्यों की भांति वहां बेरोजगारी की समस्या काफी अधिक है। लेकिन जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के चलते ये समस्याएं प्रत्यक्षत: और जटिल हो गयी हैं। बेरोजगार युवा, कोई लाभकारी रोजगार न मिलने की स्थिति में देशद्रोहियों और असामाजिक तत्वों के शिकार बन जाते हैं जो इन समस्या को और जटिल बना देते हैं। जम्मू-कश्मीर में यह समस्या और गम्भीर हो गयी है क्योंकि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार में हुए समझौते के अनुसार राज्य सरकार द्वारा और अधिक सरकारी रोजगारों के अवसरों के सृजन पर रोक लगायी गई है अतएव केवल निजी क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर सृजित किये जाने की अनुमति है। लेकिन जब बेरोजगार युवा स्वरोजगार योजनाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें दो प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो कि माननीय मंत्री महोदया से मेरे द्वारा इस प्रश्न के पूछे जाने का आधार है।

पहला तो यह कि इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वे स्वरोजगार योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाते और दूसरे प्रक्रिया पूरी कर लेने पर उनसे ऋण पर संपार्श्विक प्रतिभूति या गारंटी देने के लिए कहा जाता है जो कि वे देने में असमर्थ रहते हैं। इस प्रकार, वे इन योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते।

मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि (क) इस प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा या नहीं, और (ख) क्या एक विशेष मामले के रूप में जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य में ऋणों की गारंटी जैसे मुद्दों पर कानून संबंधी कोई रियायत दी जाएगी।

कुमारी सैलजा: जहां तक जम्मू-कश्मीर का संबंध है, मैं समझती हूं कि पूरा देश बेरोजगार युवाओं की समस्या के बारे में चिन्तित है विशेष कर जम्मू-कश्मीर में इस समस्या के बारे में।

जहां तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का संबंध है, उनसे कोई संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं मांगी जाती। हम संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं देते *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कृपया इन पर ध्यान दें।

...(व्यवधान)

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से एक बात पूछना चाहता हूं। शहरों में कतिपय विशिष्ट क्षेत्रों को शहरी बेरोजगार व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिये। उन्हें कोई स्थल संबंधी लाभ नहीं दिया जाता। चूंकि वे गरीब हैं, कोई व्यवसाय या व्यापार शुरू करने के लिए उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ता है और उन्हें वहां कोई सुरक्षा नहीं मिलती।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे बेरोजगार युवाओं के लिए कतिपय स्थान आरक्षित रखने की कोई नीति या योजना है ताकि वे भविष्य में इन स्थानों पर अपने व्यवसाय चला सकें और उसका कुछ लाभ उठा सके। यदि ऐसा है तो कृपया इसके बारे में बतायें।

कुमारी सैलजा: माननीय सदस्य द्वारा यह अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए मैं उनकी आभारी हूं। हम इस संबंध में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के बारे में विचार कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब हम प्रश्न संख्या-22 पर चलते हैं। श्री अब्दुल रशीद शाहीन।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त: कृपया इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति प्रदान करें। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: कृपया इस मुद्दे पर नियम 193 के अधीन चर्चा की अनुमति प्रदान करें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आप जानते हैं कि इसके लिए प्रावधान किया गया है। कृपया इसकी सूचना दें और मुझे एक अवसर दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कोई भी विषय हो, आपको इसके लिए सूचना देनी पड़ेगी।

...(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, जब एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा चल रही है तो विपक्ष अनुपस्थित है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास परियोजनाएं

***22. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में विशेषकर जम्मू-कश्मीर में सीमावर्ती क्षेत्र विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में कितनी धनराशि व्यय हुई है;

(ख) सीमावर्ती क्षेत्र विकास परियोजना (बी.ए.डी.पी.) के क्रियान्वयन का तरीका क्या है;

(ग) सीमावर्ती क्षेत्र विकास परियोजना का समुचित एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु राज्य और केन्द्र सरकार की क्या भूमिका है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमावर्ती क्षेत्र विकास परियोजना के तहत किए जाने वाले कार्यों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) के तहत सत्रह राज्यों और विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य को आवंटित और जारी निधियां नीचे दी गई हैं:-

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	जम्मू और कश्मीर सहित सभी 17 राज्यों को आवंटित निधि	जम्मू और कश्मीर सहित सभी 17 राज्यों को जारी निधि	जम्मू और कश्मीर को आवंटित निधि	जम्मू और कश्मीर को जारी निधि
2001-02	208.12	194.18	34.85	34.86
2002-03	210.00	325.00	34.85*	100.00
2003-04	275.15	256.38	100.00	100.00

*संशोधित करके 100 करोड़ किया गया।

(ख) और (ग) बी.ए.डी.पी. एक 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप स्थित दूर-दराज और अगम्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना है। यद्यपि, भारत सरकार विस्तृत मार्गनिर्देश निर्धारित करती है और आवधिक प्रबोधन तथा पुनरीक्षा करती है, बी.ए.डी.पी. के तहत चलाई जाने वाली योजनाओं/कार्यों को संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय छानबीन समितियों द्वारा अन्तिम रूप दिया जाता है और उन्हें मंजूरी दी जाती है तथा इनका कार्यनिष्पादन राज्य सरकार की एजेन्सियों द्वारा किया जाता है।

(घ) बी.ए.डी.पी. के तहत किए जाने वाले कार्य विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र, बुनियादी ढांचा और सामाजिक क्षेत्र।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन: महोदय, यह कार्यक्रम 1986-87 में प्रारम्भ हुआ था, अब इसमें तेजी आयी है और सीमावर्ती राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इसने परिणाम दिखाने शुरू किये हैं।

क्या अच्छा कार्य निष्पादन दिखाने वाले राज्यों जैसे जम्मू और कश्मीर में कुछ अतिरिक्त आबंटन किये जाने की सम्भावना है। इस वर्ष बिहार, असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा खर्च न किये गये आबंटन में से जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के विकास के लिए कुछ धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। लेकिन यह पूर्णतया एक अस्थायी व्यवस्था है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार का कोई तंत्र विकसित किया जा सकता है जिससे कि अच्छा कार्य निष्पादन करने वाले राज्यों को सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत से महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक विकास कार्यक्रम साथ-साथ चलाने की अनुमति हो ताकि अवसंरचनात्मक विकास कार्य तेजी से चलाया जा सके।

श्री एस. रघुपति: माननीय अध्यक्ष जी, पाकिस्तान, बंगलादेश, म्यांमार, चीन, भूटान और नेपाल से सटी सीमाओं वाले सभी राज्यों को सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) में सम्मिलित किया गया है। ऐसे कुल सत्रह राज्य हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिए अब प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपयों का विशेष आबंटन किया जा रहा है। अब हम उन मुद्दों को भी देखेंगे जहां कुछ अतिरिक्त आबंटन किया जा सकता है।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन: मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों जैसे माचेल, करेन, करना और गुरेज अंडूरी में एक समस्या है। समस्या यह है कि सर्दियों के छह महीनों के दौरान ये क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कटे रहते हैं। क्या ऐसी कोई संभावना है कि सरकार इस निधि (बी.ए.डी.पी.) का विस्तार करने के प्रस्ताव पर विचार करे ताकि रोजगार सृजन की योजनाओं को शुरू किया जा सके और ऐसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं को विकसित किया जा सके जिनसे अन्य क्षेत्रों से छह माह तक की अवधि तक कटे रहने वाले लोगों हेतु रोजगार के अवसर प्रदान किये जा सकें।

श्री एस. रघुपति: माननीय अध्यक्ष महोदय, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) को दो उद्देश्यों से अर्थात् पश्चिमी क्षेत्र में पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं के माध्यम से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों के संतुलित विकास तथा स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाने की दृष्टि से शुरू किया गया था। केवल इन्हीं दो उद्देश्यों के लिए बी.ए.डी.पी. को शुरू किया गया था। अब वे रोजगार के अवसरों की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर गृह मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद विचार किया जाएगा।

श्री अधीर चौधरी: सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में बी.ए.डी.पी. द्वारा महत्वपूर्ण योगदान किया जा रहा है। यह सच है कि मैं एक ऐसे जिले से आता हूं जिसकी काफी लम्बी सीमा बंगलादेश से सटी है। जहां तक कार्यकारी एजेंसियों का संबंध है, मैंने यह देखा है कि परियोजनाओं के चुनाव आदि कार्य से जिला परिषद को सदैव अलग रखा गया है। एतएव क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछ सकता हूं कि जिला परिषद, जो कि स्वशासी निकायों में सर्वोच्च निकाय समझी जाती है, को योजनाओं के चुनाव में सम्मिलित क्यों नहीं किया जाता? इसके साथ ही, संसद सदस्यों विशेषकर वे संसद सदस्य जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों से आते हैं इस विषय में उनकी राय पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय: आप एजेंसी का चयन किस प्रकार करते हैं?

श्री एस. रघुपति: माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसियां हैं (1) राज्य सरकारें (2) केन्द्रीय सरकार (3) राज्यों में स्थित केन्द्रीय अर्ध सैन्य संगठन (4) स्वैच्छिक संगठन (5) जिला परिषदें तथा परम्परागत परिषदें।

श्री अधीर चौधरी: जिला परिषद को कार्यकारी एजेंसियों के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता ...*(व्यवधान)* सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले सांसदों की राय को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: वह आपके सुझाव पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री छेवांग थुपस्तन: माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम पाकिस्तान बार्डर से लगे क्षेत्रों में तकरीबन

25-30 सालों से चल रहा है लेकिन चीन से लगी सीमा में उसे पिछले दो वर्ष पूर्व शुरू किया गया है। जहां तक लद्दाख क्षेत्र का ताल्लुक है, सभी जानते हैं कि पूरा लद्दाख क्षेत्र या तो चीन सीमा से या पाकिस्तान सीमा से लगा है। कारगिल क्षेत्र में कुल सात ब्लाक्स हैं और लेह में 6 ब्लाक्स हैं। बार्डर एरिया डैवलपमैंट प्रोग्राम के तहत सिवाय तीन-चार ब्लाक्स के तकरीबन सारे ब्लाक्स कवर होते हैं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि लद्दाख क्षेत्र की स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस और सैंसटिविटी को देखते हुए पूरे लद्दाख क्षेत्र को बार्डर एरिया डेललपमैंट प्रोग्राम के अन्दर कवर किया जाए। क्या सरकार इस बारे में सोच रही है?

[अनुवाद]

श्री एस. रघुपति: माननीय अध्यक्ष महोदय, नौवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम का विस्तार उन राज्यों में भी किया गया है जिनकी सीमाएं म्यांमार, चीन, भूटान और नेपाल से सटी हुई हैं। वर्तमान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी 17 सीमावर्ती राज्यों को लिया गया है। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब आदि।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने केवल लद्दाख के बारे में पूछा है। वे लद्दाख की स्थिति जानना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री छेवांग थुपस्तन: अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि लद्दाख के स्ट्रेटेजिक बार्डर को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाक किसी न किसी जगह लद्दाख क्षेत्र बी.ए.डी.पी. में आता है उसके लिए क्या किया जा रहा है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें जवाब देने दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आपके पास इस समय लद्दाख के संबंध में कोई सूचना है?

श्री एस. रघुपति: हमने लद्दाख के बारे में राज्य से टिप्पणियां मांगी हैं और हमें उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): क्या मैं इस प्रश्न का जवाब पूरा कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: जी हां।

श्री शिवराज वि. पाटील: यह कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक है। हम सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्य करना चाहते हैं। जहां तक पूरे लद्दाख क्षेत्र के विकास का संबंध है तो हम इस मामले को देखेंगे। परन्तु यह कार्यक्रम केवल सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित है।

अध्यक्ष महोदय: यह एक विशिष्ट उत्तर है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: चौधरी लाल सिंह।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया विशिष्ट अनुपूरक प्रश्न ही पूछिए।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टीट्वेंसी का मैक्सीमम एरिया बी.ए.डी.पी. से लगता है, इनफैस्टेड है और साथ में हीरा नगर भी आता है। उस क्षेत्र में जो सड़कों का काम-काज होता है, वह बी.ए.डी.पी. के अंतर्गत आता है लेकिन उसके लिये प्रौपर फंडिंग नहीं की जा रही है। एक तो हमारे लोग माईग्रेट हुये हैं और दूसरे उनकी जमीनें चली गई हैं, वे नहीं हो पाई हैं। मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि वह कब करने जा रहे हैं?

श्री शिवराज वि. पाटील: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सड़कों की बात की है *...(व्यवधान)*

चौधरी लाल सिंह: मैं जम्मू की बात कर रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने प्रश्न पूछ लिया है। कृपया अब बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में जो प्रोग्राम बनता है, उसके लिये स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया जाता है जिसे वह बनाती है और उस प्रोग्राम को पूरा करने के लिये वे लोग इस काम को आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई राज्य सरकार सड़कों पर ज्यादा खर्च करना चाहे तो वह कर सकती है। माननीय सदस्य ने अपनी बात यहां रखी है, मैं राज्य सरकार को सूचित करूंगा कि इस प्रकार की मांग आ रही है। इस कार्य में वह जितना ज्यादा मदद कर सकती हैं, वह करें।

[अनुवाद]

मराड़ जनसंहार की सी.बी.आई. जांच

***25. श्री पी. करुणाकरन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास सी.बी.आई. जांच के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त अनेक अनुरोध लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को केरल राज्य सरकार से भी मराड़ जनसंहार की जांच के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): (क) गृह मंत्रालय के पास केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवाने के लिए राज्यों से प्राप्त कोई अनुरोध लंबित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर सही मायने में अन्य मंत्रालय अर्थात् कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा दिया जाना चाहिए। लेकिन लोगों की यह धारणा है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन है, इसलिए इस प्रश्न को गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया। मैंने उस मंत्रालय से जानकारी जुटाने का प्रयास किया है और मैं उनकी ओर से उत्तर दे रहा हूं। लेकिन कुछ शुद्धियां की जानी है क्योंकि इससे संबंधित जानकारी अन्य मंत्रालय में है और मुझसे यह उम्मीद की जाती है कि मैं इसका उत्तर दूं। अत:, मेरी शुद्धि यह है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उसे संबंधित मंत्रालय की जानकारी में लाया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया थोड़ी देर रुकिये। कृपया मुझे इसे विनियमित करने दीजिए।

श्री शिवराज वि. पाटील: हम इसे अन्य मंत्री और विधायिका के सचिवालय की जानकारी में भी लाए थे।

अध्यक्ष महोदय: आप, आज जो कहना चाहते हैं, कह सकते हैं। अन्यथा, आप कह सकते हैं कि आप नहीं जानते और हमें इसे छोड़ देना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं इसका उत्तर दूंगा लेकिन शुद्धियों के साथ।

अध्यक्ष महोदय: शुद्धि किसके द्वारा की जानी है।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं, सरकार की ओर से शुद्धि कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, धन्यवाद।

श्री शिवराज वि. पाटील: जहां तक, प्रश्न के भाग (क) का संबंध है, केन्द्र सरकार के पास राज्यों से सी.बी.आई. जांच के लिए 10 अनुरोध लंबित पड़े हुए हैं।

जहां तक, भाग (ख) का संबंध है, ब्यौरे निम्नवत् हैं: उत्तर प्रदेश द्वारा तीन निवेदन दिए गए थे, बिहार सरकार द्वारा दो निवेदन दिए गए थे, एक-एक अनुरोध मेघालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और असम सरकार द्वारा दिया गया था।

जहां तक भाग (ग) का संबंध है, उत्तर है "जी नहीं श्रीमान"।

जहां तक भाग (घ) का संबंध है, उत्तर है "प्रश्न नहीं उठता है।"

श्री पी. करुणाकरन: क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल राज्य के वयनाड में मुथंगा पुलिस गोलीबारी के जांच का प्रभार सी.बी.आई. ने ग्रहण कर लिया है? तथ्य यह है कि इस घटना में एक आदिवासी की मृत्यु हो गई थी और कई घायल हो गए थे। ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि सी.बी.आई. अधिकारी जांच के दौरान गरीब आदिवासियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को ऐसा कोई आवेदन प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो क्या कार्रवाई की गई है।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मेरी जानकारी में है कि इस मामले को राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को सुपुर्द नहीं किया गया है। अत: केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किसी को भी प्रताड़ित करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि कें.जां.ब्यू. इस

मामले से किसी भी प्रकार से जुड़ी हुई नहीं है। यह राज्य की पुलिस द्वारा जांच का विषय है।

श्री पी. करुणाकरन: महोदय, समाचारपत्रों और दृश्य माध्यमों से यह स्पष्ट है कि सी.बी.आई. की ओर से प्रताड़ना दी गई है। जब आदिवासियों ने न्याय पाने के लिए उच्चतर प्राधिकारियों से संपर्क किया तो उनके साथ न्याय नहीं किया गया और प्रताड़ना जारी थी। अत:, यदि मंत्री महोदय अभी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं हों, तो मैं समझता हूं, बेहतर होगा कि इस मामले की उचित जांच-पड़ताल की जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सिर्फ सी.बी.आई. द्वारा जांच किए जाने का है और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री एन.एन. कृष्णदास: अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर वास्तविक स्थिति के बिल्कुल विपरीत है। माननीय मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2003 में घटित मुटंगा गोलीबारी की घटना की ऐसी कोई सी.बी.आई. जांच नहीं करवायी गई है, लेकिन यह तथ्य है कि वहां सी.बी.आई. जांच चल रही है। अत: क्या मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि वहां सी.बी.आई. जांच किस मामले में की जा रही है?

महोदय, विभिन्न समाचारपत्रों में एक बहुत ही गंभीर समाचार छपा है कि सी.बी.आई. अधिकारी आदिवासियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन वे पुलिस गोलीबारी में शामिल पुलिसवालों के विरुद्ध कोई जांच नहीं कर रहे हैं। अत: क्या मैं माननीय मंत्री से सही स्थिति जान सकता हूं?

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, यह प्रश्न मराड़ जनसंहार से संबंधित है। वास्तव में पूछा गया प्रश्न इस प्रकार है: ''क्या केन्द्र सरकार ने केरल की राज्य सरकार से मराड़ जनसंहार में सी.बी.आई. जांच कराने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त किया है।'' मेरे उत्तर केवल इस घटना से संबंधित हैं। अगर माननीय सदस्य किसी अन्य घटना पर प्रश्न उठा रहे हैं तो उसकी जानकारी अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: हां, आप सही कह रहे हैं। उन्होंने अलग प्रश्न उठाया है।

श्री सुरेश कुरूप: अध्यक्ष महोदय, मराड जनसंहार ने पूरे केरल राज्य को स्तब्ध कर दिया है। उस जनसंहार में दो मिनट के अंदर आठ निर्दोष लोग मौत के घाट उतार दिए गए। विभिन्न पक्षों द्वारा इस पूरे मामले में गहन सी.बी.आई. जांच की मांग उठाई गई है क्योंकि केरल में विभिन्न सांप्रदायिक और कट्टरपंथी संगठन कार्य कर रहे हैं और सभी जानते हैं कि इस हत्याकांड के पीछे इन संगठनों का हाथ है। अत: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार सी.बी.आई. या किसी अन्य संस्था के द्वारा मराड घटना की गहन जांच कराएगी ताकि इस घटना में शामिल सही अपराधी पकड़े जा सकें।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, इस तरह के किसी भी मामले में यदि सी.बी.आई. जांच की जानी हो, तो ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजा जाना चाहिए। हमें राज्य सरकार से ऐसा कोई भी अनुरोध या प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने जो सही मायने में किया है वह यह है—घटना घटित होने के तुरंत बाद मुख्य मंत्री वहां गए, वह वहां तीन दिन रुके और लगभग 141 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। मुझे यह बताया गया है कि अभी तक 135 व्यक्ति जेल भेजे जा चुके हैं। उसके बाद, कुछ शांति समितियां गठित की गई और मृतकों के निकट संबंधियों को पर्याप्त मुआवजा दिया गया है। सभी मृतकों के संबंधियों को 10 लाख रु. तक की क्षतिपूर्ति दी गई है और जो उस घटना में घायल हो गए थे उन्होंने 5 लाख रु. तक क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त किया। राज्य सरकार पूरे मामले की जांच कर रही है। यदि यह अति आवश्यक हो जाता है और राज्य सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उन्हें केन्द्र सरकार से सहायता की आवश्यकता होगी तो सहायता देने में कोई कठिनाई नहीं होगी लेकिन इसके लिए उन्हें अनुरोध करना होगा।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, यहां पर मराड़ नरसंहार के बारे में मुद्दा उठाया गया है। यह सच है कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच कराए जाने के लिए नहीं कहा लेकिन राज्य सरकार को छोड़कर केरल में समाज के सभी वर्ग इस हृदयविदारक घटना के पीछे के सच सामने लाना चाहते हैं जिससे पूरा राज्य स्तब्ध है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार इस तरह के गंभीर मामले में अपने उत्तरदायित्व से बच रही है। क्या केन्द्र सरकार स्वयं सच्चाई जानने के लिए जांच के आदेश नहीं दे सकती है कि इस हृदयविदारक घटना के पीछे वास्तव में क्या हुआ है?

महोदय, जिस तरह से माननीय गृह मंत्री ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न पूछिए। आप क्या जानना चाहते हैं?

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: उनके पास पूरे तथ्य नहीं हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्य यह नहीं जानते हों कि विषय किस मंत्रालय से संबंधित है तो क्या ऐसा कोई तंत्र है जिसके द्वारा वह प्रश्न पूछ सकते हैं। नि:संदेह, इसके उपाय हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह मामला प्रश्न काल के लिए नहीं है। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: अत:, मैं माननीय मंत्री से पूछता हूं कि क्या वह इस बात का उत्तर देंगे कि केन्द्र सरकार स्वयं अपनी पहल पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराए जाने के आदेश देगी?

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि क्या केन्द्र सरकार अपनी पहल पर कोई कार्यवाही कर सकती है।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं यह कह सकता था कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि यह प्रश्न मेरे मंत्रालय से संबंधित नहीं लेकिन फिर भी मैं उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताया गया है कि राज्य सरकार ने पहले ही न्यायिक जांच समिति का गठन कर दिया है जो मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा उन्होंने लगभग 141 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है तथा लगभग 130 व्यक्ति सलाखों के पीछे हैं और प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया गया है। इन परिस्थितियों में मैं नहीं समझता कि केन्द्र सरकार इस स्तर पर हस्तक्षेप करेगी।

श्री पी.के. वासुदेवन नायर: महोदय, माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि केरल सरकार ने मुथंगा गोलीबारी के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवाने के लिए नहीं कहा है। लेकिन प्रेस में रिपोर्ट है कि कैसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी वहां आए, कैसे उन्होंने लोगों से पूछताछ की और उन्हें कितना परेशान किया। यदि माननीय मंत्री अब पूरी बात को झुठला रहे हैं तो क्या वह इस बात की जांच करेंगे कि क्या कुछ अधिकारी वहां गए क्या उन्होंने कुछ पूछताछ की तथा आदिवासियों को परेशान किया? क्या उन्हें पक्का विश्वास है कि वे वहां नहीं गए थे?

श्री शिवराज वि. पाटील: मेरे पास यह सूचना है कि राज्य सरकार ने कोई अनुरोध नहीं किया था।

श्री पी.के. वासुदेवन नायर: यह प्रश्न नहीं है कि क्या अनुरोध किया गया अथवा नहीं। लेकिन केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी स्वत: ही वहां गए और वहां कुछ किया। क्या माननीय मंत्री इस बारे में जांच करवाएंगे?

श्री शिवराज वि. पाटील: केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस प्रक्रिया का अनुसरण करता है कि जब तक उसे जाने के लिए नहीं कहा जाता वह नहीं जाती। लेकिन माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अधिकारी वहां गए थे। मैं संबंधित मंत्री को मामले की जांच करने और तथ्यों का पता लगाने के लिए कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: मुझे माननीय मंत्री से अनुरोध प्राप्त हुआ है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): पैनल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। अत:, मेरा विनम्र निवेदन है कि प्रश्न को अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया जाए और इसके बाद मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के अनुरोध पर मैं प्रश्न संख्या 26 को इस मंत्रालय को आबंटित अगली तारीख तक के लिए स्थगित करता हूं। इस प्रश्न का वरीयता क्रम अगली तारीख को भी यही रहेगा।

[हिन्दी]

भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाना

***30. श्री रामदास बंडु आठवले:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-पाक सीमा पर कुल कितने किलोमीटर क्षेत्र में बाड़ लगाए जाने का लक्ष्य है;

(ख) उक्त क्षेत्र में से अब तक कुल कितने किलोमीटर में बाड़ लगायी जा चुकी है;

(ग) बाड़ लगाने पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) शेष सीमा क्षेत्र में कब तक बाड़ लगाए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सीमा पर बाड़ लगाने से घुसपैठ में कमी आयी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) भारत-पाक सीमा पर बाड़ का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

कुल लंबाई जहां बाड़ लगाई जानी है (कि.मी. में)	अब तक लगाई गई बाड़ की लंबाई (कि.मी. में)	अब तक किया गया व्यय (करोड़ रु. में)	कार्य पूर्ण होने का लक्षित वर्ष
2008	1682	420.20	2005-06

(ङ) और (च) बाड़ के कारण, आतंकवादियों तथा अन्य राष्ट्र विरोधी तत्वों के घुसपैठ करने या देश से निकल भागने के प्रयासों का पता लगाने और उन्हें रोकने की हमारी क्षमता में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है और यह एक प्रभावी निवारक के रूप में कार्य कर रहा है। आतंकवादियों के पकड़े गए दूरसंचार संदेशों से, बाड़ की वजह से घुसपैठ में कठिनाई के कारण हताशा की भावना का पता चलता है।

[हिन्दी]

श्री रामदास बंडु आठवले: अध्यक्ष महोदय, भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने का जो कार्यक्रम है, वह 2008 किलोमीटर का काम सरकार ने हाथ में लिया था। उसमें से 1682 किलोमीटर काम पूरा हुआ है और उसके लिए 420 करोड़ रुपये अभी तक खर्च हुए हैं।

महोदय, भारत-पाक सीमा पर कांटेदार तारों की बाड़ लगाने पर रु. 420.20 करोड़ खर्च हुए हैं और मंत्री महोदय ने बताया है कि वर्ष 2005-06 में यह कार्य पूरा होने वाला है। सरकार ने एश्योरेंस तो दे दिया है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तानी आतंकवादी हमेशा भारत का बार्डर पार कर इधर आते रहते हैं। उन्हें रोकने का इस सरकार ने काफी प्रयास किए हैं, लेकिन उनका आना नहीं रुक रहा है। पिछली सरकार तो उन्हें रोकने में असफल रही, लेकिन देश की जनता ने इस पार्टी को सरकार बनाने का अवसर दिया और लोगों ने आप में विश्वास व्यक्त किया है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि भारत और पाकिस्तान में दोस्ती बढ़ने वाली है। अत: सरकार ने इस कार्य को 2005-06 में पूरा करने का जो लक्ष्य रखा है मेरा निवेदन है कि क्या इस कार्य को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार मंत्री महोदय पूरा कर लेंगे?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): श्रीमान, हम घुसपैठ को रोकने के लिए बाड़ लगा रहे हैं, दोस्ती में रुकावट लाने के लिए बाड़ नहीं लगा रहे हैं। हम दोस्ती में रुकावट लाने के लिए कभी बाड़ नहीं लगाएंगे।

माननीय सदस्य ने कहा कि यह कार्य समय-सीमा के भीतर ही पूरा हो जाना चाहिए, मैं बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि तय समय से पहले ही यह कार्य पूरा हो जाए क्योंकि यह कार्य समय-सीमा से पहले पूरा होता नजर आ रहा है।

श्री रामदास बंडु आठवले: अध्यक्ष जी, अगर यह काम वर्ष 2005-06 तक, जो समय सरकार ने दिया था, उससे पहले ही पूरा होने वाला है, तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पांच साल तक आपको चिन्ता नहीं करनी चाहिए। इसे जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए और समय से पहले इस कार्य को पूरा करने के लिए मैं सरकार का आभारी हूं। मैं चाहता हूं इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। चौधरी लाल सिंह।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी स्थिति ऐसी है कि हम पाकिस्तान से डरते हैं या पाकिस्तान हमसे ज्यादा मजबूत है, वह हमारी सीमा में क्यों घुसपैठ कराता है, हममें क्या कमजोरी है, जो हम उससे डरते हैं और कांटेदार तार की बाड़ लगा रहे हैं? हमें तो ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए जिससे वह हमसे डरे और वह कांटेदार तारों की बाड़ लगाए, हम ऐसी स्थिति क्यों पैदा नहीं कर रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। श्री मोहन सिंह।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, ऐसी खबरें आई हैं कि जो बाड़ लगाई जा रही है उससे बाहर और सीमा के भीतर भारतीय

क्षेत्र की बहुत सी ऐसी आबादी है जो बीच में आ रही है और उस आबादी के लोगों का कहना है कि इस बाड़ के लगाने से और उसकी सीमा के भीतर रहने से उनकी खेती-बाड़ी में परेशानी होती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की शिकायतें मंत्रालय को मिली हैं और यदि मिली हैं, तो उन ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार ने क्या विचार किया है?

श्री शिवराज वि. पाटील: श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि कश्मीर के बार्डर के संबंध में इस प्रकार की कोई शिकायत हमें नहीं मिली है, लेकिन बंगलादेश का जो बार्डर है, उसके ऊपर जो हम बाड़ लगाने का कार्य कर रहे हैं, उसके संबंध में जरूर इस प्रकार की शिकायतें आई हैं। इस संबंध में हम बंगलादेश से बात कर रहे हैं और इस मसले को हल करने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि बाड़ लगाने की वजह से बाजू में, 150 मीटर के फासले के अंदर अगर वहां कुछ लोगों को तकलीफ होती है, तो हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।

[अनुवाद]

डा. अरुण कुमार शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत-बंगलादेश सीमा, जहां से वर्ष दर वर्ष, प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में घुसपैठ हो रही है, पर बाड़ लगाए जाने को भी उतना ही महत्व दिया जा रहा है तथा घुसपैठ की समस्या अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनांकिकी बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न भारत-पाकिस्तान सीमा से संबंधित है। तथापि, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

डा. अरुण कुमार शर्मा: मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार ने भारत-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने के काम को उतना ही महत्व दिया है जितना कि भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने को दे रही है अथवा भारत-बंगलादेश सीमा के लिए रणनीति अथवा दृष्टिकोण में किसी प्रकार का अंतर है। भारत-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में हैं?

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: श्रीमन्, मैं इस बारे में सारे डिटेल्स तो नहीं दे सकूंगा, लेकिन इतना बता सकता हूं कि जो बंगलादेश का बार्डर है, वह इस बार्डर से काफी लम्बा है क्योंकि बंगलादेश के बाजू से जाने वाले 4 हजार किलो मीटर लम्बे मार्ग पर बाड़ लगाने का काम चालू है। उस पर भी काम चालू है, मगर वहां की जमीन इस प्रकार की है कि उसमें काम करना मुश्किल हो रहा है। कहीं-कहीं इतनी झाड़ियां, नदियां और रेतीली जमीन है कि उस पर काम करना मुश्किल हो रहा है। उसकी जो प्रोग्रेस है वह इधर की प्रोग्रेस से थोड़ी कम है। हमने उन्हें बता दिया है कि उस काम को भी जल्दी से जल्दी करना है।

[अनुवाद]

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, 80 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री शर्मा, आपको उत्तर मिल गया है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 31—डा. पी.पी. कोया—उपस्थित नहीं।

श्री रायापति सांबासिवा राव—उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 32—श्री दुष्यंत सिंह—उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 33—श्री रतिलाल कालीदास वर्मा—उपस्थित नहीं।
श्री कैलाश मेघवाल—उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 34—श्री शिवाजी अधलराव पाटील—उपस्थित नहीं।
श्रीमती कृष्णा तीरथ

भारतीय प्रबंधन संस्थानों में एक समान शुल्क ढांचा

*34. **श्रीमती कृष्णा तीरथ:**
श्री शिवाजी अधलराव पाटील:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में और भारतीय प्रबंधन संस्थान खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय प्रबंधन संस्थानों को एक समान शुल्क ढांचे की शर्त से मुक्त कर दिया है और उन्हें स्वतंत्र रूप से अपना शुल्क निर्धारित करने की अनुमति प्रदान कर दी है;

(घ) यदि हां, तो सभी भारतीय प्रबंधन संस्थानों को एक समान शुल्क ढांचे के अधीन न रखने का औचित्य क्या है;

(ङ) इन महंगाई के दिनों में इस निर्णय के प्रतिकूल प्रभाव से छात्रों और उनके अभिभावकों को सरकार किस तरह से बचाएगी;

(च) क्या भारतीय प्रबंधन संस्थानों के वित्तीय ढांचे की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित वी.के. शुंगलु समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंप दिया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ज) यदि नहीं, तो समिति कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ज) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ज) पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों के साथ परामर्श करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपयुक्त स्थान पर भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है।

अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर, कोझीकोड स्थित छः भारतीय प्रबंधन संस्थानों के शासी बोर्ड ने निर्णय लिया है कि:

(1) संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी छात्र वित्तीय संसाधनों की कमी की वजह से संस्थान में शिक्षा जारी रखने में किसी कठिनाई का सामना न करे।

(2) वर्ष 2003-04 में संस्थानों द्वारा लिया गया शुल्क जून, 2004 में शुरू हुए सत्र में भी जारी रहेगा।

(3) सभी भारतीय प्रबंधन संस्थान प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को आवश्यकता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।

(4) दाखिल किए सभी छात्र, जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए या इससे कम है, पूर्ण शिक्षण शुल्क से छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे; और

(5) उपयुक्त मामलों में भारतीय प्रबंधन संस्थान छात्रों को शिक्षण शुल्क की छूट देने के अलावा और सहायता देने पर विचार करेंगें। शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त छात्रों को छात्रावास और मेस प्रभारों पर होने वाले व्यय से भी छूट दी जा सकती है। सभी संस्थान उन सभी अन्य छात्रों को, जिन्हें बैंक ऋण की आवश्यकता है, सक्रिय सहायता और सहयोग प्रदान करेंगे।

इस तरह भारतीय प्रबंधन संस्थानों ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की आवश्यकता पर अत्यधिक सहानुभूतिपूर्णक विचार किया है। पूर्ण शुल्क देने में सक्षम छात्रों को, यदि आवश्यकता हो तो, ऋण प्राप्त करने के लिए सहायता दी जाएगी लेकिन 2.00 लाख रु. प्रति वर्ष से कम पारिवारिक आय वाले छात्रों को कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। इसका अर्थ हुआ कि 30,000 रु. के शुल्क जिसका भुगतान करने की सभी से आशा की जाती है की बजाय गरीब छात्रों को कुल शुल्क देने से छूट दी गई है और शुल्क का भुगतान कर सकने वाले छात्रों को सामान्य शुल्क देना होगा।

सरकार उत्कृष्टता प्राप्त सभी उच्च अध्ययन संस्थानों की स्वायत्ता के लिए पूर्ण रूप से वचनबद्ध है। भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्वायत्ता के लिए सरकार ने उपर्युक्त शुल्क संरचना स्वीकार कर ली है और 5 फरवरी, 2004 के अपने पूर्व आदेश को वापस ले लिया है जिसमें भारतीय प्रबंधन संस्थानों का शुल्क 29 जून, 2004 से 30,000 रु. प्रतिवर्ष निर्धारित किया था।

वी.के. शुंगलु ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। सरकार भारतीय प्रबंधन संस्थानों के साथ परामर्श से सिफारिशों के विषय में उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाएगी।

अध्यक्ष महोदय: महोदया, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्रीमती कृष्णा तीरथ: महोदय, धन्यवाद, ठीक है। मैं संतुष्ट हूं।

अध्यक्ष महोदय: क्या कोई और सदस्य है?

श्री के.एस. राव: महोदय, मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री के.एस. राव: महोदय, आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से आंध्र प्रदेश में एक आई.आई.टी. शुरू करने का अनुरोध किया है और राज्य सरकार इसके लिए बसरा, आदिलाबाद जिले में एक हजार एकड़ भूमि पहले ही प्रदान कर चुकी है। आंध्र प्रदेश में 250 इंजीनियरिंग कालेजों में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या काफी अधिक है तथा वहां लोग भी बहुत अच्छे हैं। क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार आंध्र प्रदेश में एक आई.आई.टी. शुरू करने के बारे में विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। क्या आप उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

श्री अर्जुन सिंह: महोदय, मैं केवल यह कह सकता हूं कि हम सुझाव की जांच करेंगे।

श्री पी.के. वासुदेवन नायर: महोदय, जहां तक ऐसे नए संस्थानों का संबंध है। अनेक स्थानों से इसकी मांग की जा रही है और मेरा राज्य, केरल इनमें से एक है जो ऐसे उच्च स्तरीय तकनीकी संस्थान की स्थापना के लिए अनुरोध कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि मंत्री महोदय अब सभा में कोई भी नकारात्मक बात कहें। मैं चाहता हूं कि वे इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। मैं यह बी जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय यह कार्य करेगा।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, यह इस प्रश्न से वास्तव में संबंधित नहीं है। तथापि, इसके बारे में मांग की गई है।

श्री अर्जुन सिंह: महोदय, कुछ भी नकारात्मक बात कहने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हम जो कुछ भी कर सकते हैं, वह करने की कोशिश करेंगे लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं।

उच्च शिक्षा में भारत-यू.के. सहयोग

*35. **श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 2004 में नई दिल्ली में उच्च शिक्षा के संबंध में भारत-यू.के. सहयोग की कोई बैठक आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस चर्चा का मुख्य विषय क्या था?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 12-13 फरवरी, 2004 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, हायर एजुकेशन फंडिंग काउंसिल आफ इंग्लैंड (एच.ई.एफ.सी.ई.), यू.के. और ब्रिटिश काउंसिल आफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से एक नीति बैठक आयोजित की गई। बैठक में चर्चा के दौरान दोनों ही देशों के संदर्भ में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय विकास में उच्च शिक्षा की भूमिका पर बल दिया गया।

बैठक में क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तरों पर उच्च शिक्षा से संबंधित पहलों के प्रभाव संबंधी आपसी अनुभवों का आदान-प्रदान हुआ। इसमें उच्च शिक्षा संबंधी पहलों के फलस्वरूप क्षेत्रीय विकास की तथा अन्य कार्य-क्षेत्रों की विशिष्ट विशेषताओं एवं अच्छी प्रथाओं की पहचान की गई। इस मंच ने दो देशों में वर्तमान उच्च शिक्षा नीति पहल तथा क्षेत्रीय विकास में उनके असर के बारे में सूचना के आदन-प्रदान का अवसर प्रदान किया। एक मार्गदर्शी परियोजना विकसित करने का भी निर्णय लिया गया जो भारतीय एवं ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के विशेष उदाहरण के विस्तृत अध्ययनों की मदद से दोनों ही देशों में क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के रणनीतिक विकास में उच्च शिक्षा के योगदान को उजागर करे।

श्री प्रबोध पाण्डा: महोदय, उत्तर में लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिली, हायर एजुकेशन फंडिंग काउंसिल आफ इंग्लैण्ड यू.के. और ब्रिटिश काउंसिल आफ इण्डिया द्वारा संयुक्त रूप से एक नीति बैठक आयोजित की गई थी। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि मार्गदर्शी परियोजना पर भी चर्चा की गई थी और इस पर निर्णय भी किया गया था लेकिन यह स्पष्ट नहीं हैं कि मार्गदर्शी परियोजना किस प्रकार की है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहता हूं क्या हायर एजुकेशन फंडिंग काउंसिल आफ इंग्लैण्ड हमारे देश में उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए धन देने को सहमत भी हो गया है। यह मेरा प्रश्न है।

श्री अर्जुन सिंह: यह एक संयुक्त प्रयास है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और यू.के. में इसकी प्रतिस्थानी इस कार्य में लगे हुए हैं। मैं अभी आपको इसके ब्यौरे नहीं दे सकता हूं लेकिन मैं माननीय सदस्य को सारी सूचना भेज दूंगा।

श्री प्रबोध पाण्डा: महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है कि जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, यह समवर्ती सूची में है। अत: मैं जानना चाहता हूं क्या राज्य सरकारों से भी परामर्श किया गया है कि नहीं।

श्री अर्जुन सिंह: महोदय, राज्यों के साथ भी विचार-विमर्श किया जाता है यदि वह संस्थान किसी राज्य में स्थित है तो उसे राज्य के परामर्श के बिना वहां स्थित नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है क्या आप आश्वासन दे रहे हैं? तो ठीक है।

[हिन्दी]

उर्वरकों का आयात

*39. **श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वित्त वर्ष के दौरान फास्फोरिक एसिड और पोटाश म्यूरियेट का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे ये आयात किए गए तथा ये किस दर पर आयात किए गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक आयातक कंपनी को कितनी राजसहायता प्रदान की गई;

(घ) क्या किसानों को भी इन उर्वरकों पर राजसहायता का लाभ मिलता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) फास्पोरिक एसिड और म्यूरिऐट आफ पोटाश (एमओपी) का आयात असरणीबद्ध है और सरकार यूरिया के अलावा किसी अन्य उर्वरक और उनके आदानों का आयात नहीं करती है। आयातकर्ता तथा उर्वक उत्पादक फास्फोरिक एसिड और एम ओ पी का सीधे ही आयात करते हैं। आपूर्तिकर्ताओं के साथ फास्फोरिक एसिड और एम ओ पी के आयात मूल्य सामान्यत: सम्पूर्ण वर्ष के लिए तय किये जाते हैं।

मैसर्स इंडियन पोटाश लिमिटेड (आई पी एल) एम ओ पी का प्रमुख आयातकर्ता है जो कुल मात्रा का लगभग 60% आयात करता है। सामान्यत: आई पी एल अन्तर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ वित्त वर्ष के शुरू में एम ओ पी के मूल्य तय करता है। दूसरी ओर फास्फोरिक एसिड के मूल्य पी एवं के उर्वरक उत्पादकों के एक समूह द्वारा सामान्यत: वित्त वर्ष के शुरू में तय किये जाते हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान फास्फोरिक एसिड और एम ओ पी के देशवार आयात और मूल्यों का ब्यौरा संलग्न अनुबंध-I में दिया गया है। चालू वर्ष के लिए आईपीएल ने एम ओ पी का लागत एवं भाड़ा मूल्य 180 दिन उधार के साथ अक्तूबर, 2004 तक की आपूर्तियों के लिये 180 अमरीकी डालर प्रति मी.टन तय किया है। वर्ष 2004-05 के लिये पी एवं के उर्वरक उत्पादकों द्वारा फास्फोरिक एसिड के लिये तय किया गया लागत एवं भाड़ा मूल्य 402.75 अमरीकी डालर प्रति मी. टन (5% आयात शुल्क वाले देशों के लिये) और 398.7 अमरीकी डालर प्रति मी. टन (4% आयात शुल्क वाले देशों के लिये) 120 दिन के उधार के साथ है।

(ग) फास्फोरिक एसिड का उपयोग डीएपी और मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन के लिए किया जाता है। दूसरी ओर एमओपी का उपयोग प्रत्यक्ष उपयोग के साथ-साथ एनपीके उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है। भारत सरकार तैयार उर्वरकों नामत: डीएपी एमओपी और मिश्रित उर्वरकों की बिक्री पर रियायत/राजसहायता प्रदान करती है। गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरक कंपनियों को इन उर्वरकों की कृषि प्रयोजनार्थ की गई बिक्री पर अदा की गई रियायत/राजसहायता का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। कृषकों को राजसहायता का लाभ मिलता है क्योंकि इन उर्वरकों के लिए सरकार द्वारा दर्शाया गया मूल्य नियामक सुपुर्दगी लागत से कम है। सरकार, नियामक सुपुर्दगी लागत और बिक्री मूल्य के बीच के अंतर की अदायगी उत्पादकों/आयातकर्ताओं को रियायत/राजसहायता के रूप में करती है।

अनुबंध-I

गत तीन वर्षों के दौरान एमओपी का देशवार आयात का ब्यौरा

(हजार मी. टन में)

देश	2001-02	2002-03	2003-04
कनाडा	175	206	451
जार्डन	614	446	658
जर्मनी	97	167	118
इजराइल	356	412	255
सीआईएस	1568	1372	1098
योग	2810	2603	2580

(स्रोत: एफएआई)

गत तीन वर्षों के दौरान फास्फोरिक एसिड का देशवार आयात का ब्यौरा

(हजार मी. टन में)

स्रोत/देश	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4
ओसीपी/मोरक्को	705.0	691.6	1236.9
जीसीटी/ट्यूनीशिया	287.4	297.6	250.6

1	2	3	4
एलसीसी/लेबनान	29.7	36.5	37.7
जेपीएमसी/जार्डन	134.6	299.3	308.3
फासकेम/यूएसए	62.6	0.0	0.0
वाईपीआईईसी/चीन	5.5	0.0	0.0
इजराइल	170.0	105.5	19.3
दक्षिण अफ्रीका	348.1	396.1	404.1
सेनेगल	416.9	536.2	431.8
अन्य	50.6	40.6	52.3
योग	2209.9	2403.4	2741.0

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आईपीएल द्वारा तय किए गए एमओपी के लागत एवं भाड़ा मूल्य तथा पी एवं के उर्वरकों के उत्पादकों द्वारा तय किए गए फास्फोरिक एसिड के लागत एवं भाड़ा मूल्य का ब्यौरा

(अमेरिकी डालर प्रति मी. टन)

वर्ष	एमओपी का लागत एवं भाड़ा मूल्य	फास्फोरिक एसिड का लागत एवं भाड़ा मूल्य
2001-02	120.9	348.5
2002-03	120.9	341.5
2003-04	124.4	356.0

अनुबंध-II

कुल भुगतान करोड़ रुपये में (डीएपी/एनपीके उत्पादक)

कंपनी का नाम	2003-04	2002-03	2001-02
1	2	3	4
इफको	647.43	569.18	678.70
ओसीएफएल	85.10	186.32	375.24
एचएलएल	166.04	150.97	279.95
सीएफएल	155.13	74.48	212.56
जीएफसीएल	182.10	156.69	223.66
एफएसीटी	122.41	154.22	208.36
एमएफएल	116.68	81.10	211.33
जीएसएफसी (वी)	161.19	171.98	168.65
जैडआईएल	139.70	103.54	178.39
स्पिक	91.53	84.14	186.71
आरसीएफ	92.76	70.51	139.12
पीपीएल	204.05	120.43	150.80
आईजीसीएल	76.19	70.19	96.68
जीएसएफसी (एस)	33.20	48.44	57.91
ई.आई.डी. पैरी	22.34	21.49	59.05
एमसीएफएल	30.13	36.99	49.24
जीएनवीएफसी	38.28	22.09	44.22
दीपक	8.69	0.00	0.00
कुल	17.57	20.71	46.09
	2390.52	**2147.46**	**3366.66**

कुल भुगतान करोड़ रुपये में (एसएसपी उत्पादक)

कंपनी का नाम	2003-04	2002-03	2001-02
डीएमसीसी	12.70	14.79	17.47
लिबर्टी	14.61	14.22	14.30
खेताल कैमिकल्स	11.70	10.14	9.44
वाम	1.48	0.02	7.86
तीस्ता	6.26	7.63	6.87
रामा फास्फेट (यू)	7.66	6.61	7.10
बेक फर्टिलाइजर	7.17	6.28	6.07
आरकेआरएल	5.78	4.38	5.67
खेतान फर्टिलाइजर	0.00	1.35	4.72
रामा फास्फेट (1)	6.23	2.78	4.13
बसंत	3.46	3.40	3.17
साधना	1.00	0.78	3.38
शिवा	3.98	3.88	2.94

1	2	3	4
बोहरा	4.06	7.40	2.74
मार्डिया	0.29	1.61	2.38
कोयम्बटूर	3.06	2.51	2.38
फास्फेट कंपनी	5.62	5.35	2.68
जयश्री (2)	3.63	2.53	2.02
जुबिलैंट	6.90	6.91	1.69
आन्ध्रा शुगर	2.68	1.32	1.69
जयश्री (1)	3.33	3.45	1.74
प्रगति	1.27	0.72	1.53
प्रत्यूष	1.53	2.67	3.19
तुंगभद्रा	1.51	0.80	1.47
भारत फर्टिलाइजर	0.84	1.37	1.30
श्री एसिड्स	0.00	0.44	1.02
स्वास्तिक	1.42	1.49	0.93
अरिहन्त	2.08	2.63	1.40
कृष्णा इंडस्ट्रीज	1.66	1.29	0.92
राशि फर्टिलाइजर	0.03	0.29	0.96
सुबोध्य	0.71	0.79	0.86
एशियन फर्जिलाइजर्स	3.86	1.82	0.80
जयराम	3.11	2.12	2.19
राजलक्ष्मी	0.02	0.23	0.55
गायत्री	0.78	0.62	0.44
कोठारी	0.03	0.28	0.52
महादेव	0.31	1.61	0.32
मंगलम	0.27	0.72	0.34
ओरियन्टल	0.01	0.07	0.27
जयश्री (III)	0.03	0.45	0.22
शूरवि	0.32	0.38	0.21
प्रियंका	0.73	0.79	0.30
अरावली	1.67	1.29	0.29
श्री गणपति	0.00	0.04	0.13
मुक्तेश्वर	0.11	0.27	0.15
प्रेम सखी	2.25	1.67	0.56
शॉ वैलेस	0.00	0.00	0.06
निरमा	6.15	8.07	1.89
एमपीओएल	0.03	0.11	0.67
सोना फास्फेट	0.02	0.02	0.01
श्रीजी फर्टिलाइजर्स	0.00	0.02	1.66
मैडिक	0.00	1.47	1.41
आशा फास्फेट्स	0.00	0.10	0.79
मैक्सीकान फास्फेट्स	0.45	0.00	0.55
शारदा फर्टिलाइजर्स	0.00	0.00	0.48
बेक (पी)	3.28	2.99	0.06
श्रीनिवास फर्टिलाइजर्स	0.26	7.44	0.00
केमटेक फर्टिलाइजर्स	1.05	0.79	0.00
एमबीएपीएल	0.16	0.91	0.00
रेवती मिनरल्स	0.01	0.31	0.00
एफको (जीएफसीएल)	34.12	16.98	0.00
टेडको	1.58	0.55	0.00
बीएमएफपी	0.74	1.14	0.00
काशी उर्वरक	0.03	0.07	0.00
श्री कृष्णा	0.00	0.07	0.00
पाइराइट्स फास्फेट्स	0.00	0.08	0.00
बाला जी	0.30	0.01	0.00
श्रीजी फास्फेट्स	0.00	0.25	0.00
अरिहन्द फर्टिलाइजर्स	0.00	0.09	0.00
खेतान कैम (जे)	4.17	0.00	0.00
नर्मदा एग्रो	0.16	0.00	0.00
नटराज आर्ग.	0.64	0.00	0.00
मुनाक	0.09	0.00	0.00
एमबी (प्राइवेट)	0.05	0.00	0.00
योग	189.44	173.67	138.90

डीएपी और एमओपी के आयातकर्त्ताओं को कंपनीवार भुगतान (करोड़ रुपये)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	2001-02	2002-03	2003-04
1.	मैसर्स कारगिल इंडिया प्राइवेट लि.	–	1.40	33.58
2.	मैसर्स चंबल फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि.	18.06	29.97	47.97
3.	मैसर्स कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स लि.	4.84	16.19	20.07
4.	मैसर्स दीपक फर्टिलाइजर्स लि.	23.20	9.43	5.35
5.	मैसर्स डंकन इंडस्ट्रीज लि.	24.43	8.41	3.28
6.	मैसर्स ईआईडी पैरी इंडिया लि.	0.00	8.19	17.32
7.	फैक्ट	22.49	25.61	9.51
8.	जीएफसीएल	15.15	16.55	10.46
9.	जीएनवीएफसी	24.99	17.84	17.70
10.	जीएसएफसी	0.09	0.01	0.03
11.	हिन्दुस्तान लीवर लि.	38.24	37.95	32.27
12.	इफको	11.94	1.44	0.56
13.	इंडियन पोटाश लि.	303.36	339.70	374.26
14.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	10.45	11.30	4.90
15.	एमएमटीसी	8.08	12.92	3.83
16.	एनएफसीएल	0.13	5.00	0.49
17.	पीपीएल	0.00	4.74	8.14
18.	रैलीस इंडिया लि.	2.83	5.13	4.95
19.	आरसीएफ लि.	46.22	42.77	33.58
20.	श्रीराम फर्टिलाइजर्स लि.	71.82	60.25	55.50
21.	स्पिक	72.71	41.82	7.31
22.	पीसीटीएल	3.35	10.60	–
23.	एमसन्स	0.07	0.09	–
24.	जुआरी इंडस्ट्रीज लि.	29.22	36.93	16.53
25.	इंडोगल्फ	–	1.72	–
26.	एमसीएफएल	–	0.11	–
27.	एनएफएल	–	0.51	–
28.	टाटा	–	–	12.39
	योग	731.67	736.58	719.98

[हिन्दी]

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद: माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि जो खाद पर, उर्वरकों पर राज सहायता दी जाती है, क्या सरकार उसे किसानों के हाथों में देने पर विचार कर रही है। माननीय मंत्री जी का जवाब है कि जो राजसहायता दी जा रही है, वह सप्लायरों और बिचौलियों को दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या किसानों के हाथों में खाद की राजसहायता देने पर सरकार विचार कर रही है?

[अनुवाद]

श्री के. रहमान खान: अध्यक्ष महोदय, उर्वरक राजसहायता अब देश में उर्वरक की उत्पादक कम्पनियों को दी जाती है। यह किसानों को सीधे नहीं दी जा सकती है क्योंकि उर्वरकों की उत्पादन लागत बहुत अधिक है। सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य और उर्वरक के उत्पादन की लागत के बीच के अन्तर की अदायगी कम्पनी को राजसहायता के रूप में की जाती है। इसे किसानों को सीधे नहीं दिया जा सकता है क्योंकि आपूर्ति किसानों को सीधे नहीं की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद: माननीय अध्यक्ष जी, खाद की कीमत खाद की आपूर्ति कम्पनी, उर्वरक की उत्पादक कम्पनी और हमारे यहां के सप्लायर तय करते हैं। गत तीन वर्षों में जो खाद के मूल्य निर्धारित हुए हैं, क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि मूल्य निर्धारण किस आधार पर किया गया और क्या एक कमेटी बनाकर इसकी जांच कराई जायेगी?

[अनुवाद]

श्री के. रहमान खान: महोदय, अधिकतम खुदरा मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और किसान को सरकार द्वारा निर्धारित एम आर पी पर उर्वरक मिल रहे हैं। उत्पादन की लागत की निगरानी सरकार द्वारा की जाएगी। उत्पादन लागत और अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच के अन्तर को राजसहायता के रूप में कम्पनियों को दिया जाता है।

उर्वरकों के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है और समिति द्वारा इसकी जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि हर तीसरे माह मूल्य की जांच की जाती है और जैसे ही आदानों का मूल्य बढ़ता जाएगा राजसहायता राशि में भी वृद्धि होगी। इसलिए अब मंत्रालय के भीतर के ही एक स्वतंत्र निकाय द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

श्री बसुदेव आचार्य: मंत्री जी ने विवरण के अनुसार हम उर्वरक का आयात कर रहे हैं और हम आयात पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं जबकि कई उर्वरक संयंत्रों को बन्द किया गया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या सरकार बन्द हुई उर्वरक इकाईयों को फिर से चलाने के लिए ठोस कदम उठाएगी ताकि भविष्य में हमें उर्वरक आयात करने की आवश्यकता न हो?

श्री के. रहमान खान: महोदय, इस समय हम यूरिया खाद के उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं। जब कभी कुछ कमी होती है तो हम यूरिया खाद का आयात करते हैं। इस समय देश में किसी भी उर्वरक की कोई कमी नहीं है।

जहां तक बन्द हुई कुछ इकाईयों का संबंध है तो इसका कहना ठीक है कि नाप्था की अधिक लागत के कारण, कुछ इकाईयों को विशेषकर जो नाप्था को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर रही हैं, भारी हानि उठानी पड़ रही है। नाप्था का प्रयोग करने वाली कम्पनियों में उत्पादन की लागत बढ़कर 18,000 रु. प्रति मीट्रिक टन हो गई है जबकि हम 4800 रु. प्रति मीट्रिक टन की दर पर यूरिया की आपूर्ति कर रहे हैं।

उत्पादन की ऊंची लागत के परिणामस्वरूप कुछ इकाईयों ने यूरिया का उत्पादन करना बन्द कर दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य: कोयले के कच्चे माल के रूप में उपयोग के बारे में क्या कहना है? *...(व्यवधान)*

श्री के. रहमान खान: महोदय, मैं समझता हूं कि श्री राम विलास पासवान जी इसको स्पष्ट करेंगे। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: मंत्री जी ने अखबार में बयान दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप बैठिये।

[अनुवाद]

कृपया उनकी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सही है कि फर्टिलाइजर के बहुत सारे कारखाने पिछले कई वर्षों से बंद किये गये हैं। यह बात

भी सही है कि मुख्य रूप से इससे कुछ प्रभावित राज्य हैं। अब उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का कारखाना बंद हुआ, बिहार में बरौनी का कारखाना बंद हुआ, झारखंड में सिंदरी कारखाना बंद हुआ, बंगाल में दुर्गापुर और हल्दिया का कारखाना बंद हुआ तथा तालचेर कारखाना उड़ीसा में बंद हुआ। इसके अलावा और भी कारखाने हैं। आप देखें कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में पूरे के पूरे कारखाने बंद हैं। ये जो कारखाने खोले गये थे, उनमें यह था कि ये कारखाने नाफ्था के ऊपर चलेंगे। नाफ्था का उत्पादन हो रहा है लेकिन नाफ्था के कम्पेरीजन में नेचुरल गैस का मूल्य बहुत कम है। अभी हम बरौनी गये थे। हमने देखा है कि वहां नाफ्था का 800 टन उत्पादन हो रहा है जबकि कारखाने में 600 टन की जरूरत है। उसकी कीमत नेचुरल गैस से ज्यादा पड़ती है इसलिए सरकार सोचने लगी कि यह महंगा है। इस संबंध में हमारी सरकार से बातचीत चल रही है। इसमें हमने दो चीजें कही हैं। अभी हमने स्टेट मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई है। हम सब जगह जा रहे हैं। मैं स्वयं भी दौरा कर रहा हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि स्टील हो या फर्टिलाइजर हो, जितना पांच साल में मंत्री ने दौरा किया है, उतना मैंने एक महीने में दौरा कर लिया है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार इसमें रास्ता निकालेगी। ...*(व्यवधान)* पुनर्विचार की बात नहीं है। किसान की लाइफ लाइन कृषि है और कृषि की लाइफ लाइन फर्टिलाइजर है। उस फर्टिलाइजर की आवश्यकता इस बार बढ़ रही है। अभी तक फर्टिलाइजर का जितना कंजम्पशन होता था, इस बार उससे ज्यादा हो रहा है। भविष्य में हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का स्ट्रीमलाइन करेंगे, जो नेट टू नेट उत्पादन, प्रोडेक्शन और कंजम्पशन है, वह बहुत बढ़ेगा। उसके लिए हमें खाद की जरूरत पड़ेगी। खाद पर हम परमानेंट, जो एम.ओ.पी., डी.ए.पी. है, उसमें एम.ओ.पी. में हम टोटली विदेश पर आश्रित रहते हैं। हमको अपने ऊपर डिपेंडेंट होने का तरीका निकालना पड़ेगा। उसके लिए आइदर रिवाइवल हो या नया प्लांट बने, उस संबंध में मंत्रालय प्रपोजल लेकर सरकार के पास भेजेगी।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ: अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि पूर्वी भारत में कोई भी उर्वरक फैक्टरी नहीं है। माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि नाफ्था कच्चे माल के रूप में अर्थक्षम नहीं है। यह भी सही है लेकिन पूर्वी भारत में गैस की आपूर्ति भी नहीं की जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या रसायन और उर्वरक मंत्री जी पूर्वी भारत में गैस की आपूर्ति के मामले को पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के साथ उठाएंगे। क्योंकि वहां पर उर्वरक फैक्टरियां लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: जी हां, यह बहुत अच्छी बात है।

श्री लक्ष्मण सेठ: मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पूर्वी भारत में गैस की आपूर्ति के लिए वह क्या कदम उठाएंगे?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: हम पेट्रोलियम मिनिस्टर तथा तमाम एजेंसीज से प्रयास करेंगे कि गैस हमें मिले और न सिर्फ ईस्टर्न सैक्टर में बल्कि और सैक्टर्स में कारखाने खोलने की दिशा में कदम हो। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सी.पी. सिंह।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, इसका क्या हुआ है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अभी प्रश्न काल समाप्त नहीं हुआ है। मैंने माननीय सदस्य को अनुपूरक प्रश्न करने के लिए कहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें अनुपूरक प्रश्न के लिए बुलाया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल अभी समाप्त नहीं हुआ है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अभी क्वेश्चन आवर खत्म होने में टाइम है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सी.पी. सिंह के अनुपूरक प्रश्न को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री सी.पी. सिंह आप जल्दी से अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

श्री चन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि इंडस्ट्रीज को सबसिडी दी जाती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इंडस्ट्रीज को निश्चित सबसिडी देकर फर्टिलाइजर को डीकंट्रोल करने की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में बताएं वरना समय समाप्त हो जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री के. रहमान खान: अध्यक्ष महोदय, अभी फर्टिलाइजर 50 प्रतिशत डीकंट्रोल्ड है, यूरिया की सप्लाई डीकंट्रोल हुई है, 50 प्रतिशत कंट्रोल्ड है। इसके ऊपर हम पुनर्विचार कर रहे हैं कि किस तरह होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त होता है।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

सर्व शिक्षा अभियान

***23. श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा':**
श्री बृजभूषण शरण सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक प्राथमिक शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को योजना-वार तथा वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) उक्त प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या प्रशिक्षण और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु खर्च की जाने वाली धनराशि में वृद्धि की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपर्युक्त अभियान के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु देश में कुल कितने बच्चों को प्रवेश दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण I से IV में दी गई है।

(ग) और (घ) वर्ष 2001-02 में शुरू किए गए सर्व शिक्षा अभियान की योजना के तहत, प्रशिक्षण तथा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित मदों हेतु राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है:-

- शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण।
- शिक्षकों को सतत शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए ब्लाक तथा कलस्टर स्तरीय संसाधन केंद्रों की स्थापना।
- अध्ययन-अध्यापन सामग्री के विकास के लिए शिक्षकों के लिए वार्षिक अनुदान का प्रावधान।
- अतिरिक्त शिक्षक, शिक्षण कक्ष तथा भवन।
- बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकों की नि:शुल्क आपूर्ति।
- भवनों के रख-रखाव तथा उपस्करों के पुन:स्थापन के लिए स्कूलों के लिए वार्षिक अनुदान का प्रावधान।

(ङ) प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की योजना में अन्य बातों के साथ-साथ 6 से 14 आयु-वर्ग के सभी बच्चों के नामांकन का प्रावधान किया गया है, जिनकी अनुमानित संख्या मार्च, 2001 तक 19.2 करोड़ थी।

विवरण I

वर्ष 2001-02

(आंकड़े एम.डी.एम. के मामले में लाख मीट्रिक टन और अन्य योजनाओं के मामले में करोड़ रु. में है)

राज्य	एस.एस.ए.		डी.पी.ई.पी.		एमडी.एम.*		शिक्षक शिक्षा		एल.जे.पी.		एस.के.पी.	
	आवंटन	उपयोग**	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उठान	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	22.85	–	228.14	82.04	2.33	1.68	19.43	19.43	–	–	–	–
अरुणाचल प्रदेश	2.81	–	–	–	0.04	0.01	2.02	1.73	–	–	–	–
असम	34.73	–	68.53	41.67	0.92	0.32	10.10	10.10	–	–	–	–
बिहार	29.65	–	204.15	49.36	2.18	1.44	0.00	0.00	–	–	–	–
छत्तीसगढ़	4.09	–	22.51	13.01	0.82	0.60	0.00	0.00	–	–	–	–
गोवा	0.00	–	–	–	0.02	0.01	0.45	0.45	–	–	–	–
गुजरात	20.86	–	28.57	20.48	0.87	0.22	11.13	8.79	–	–	–	–
हरियाणा	7.52	–	96.11	53.00	0.48	0.37	16.07	5.99	–	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	3.65	–	41.25	16.24	0.20	0.19	18.77	7.38	–	–	–	–
जम्मू और कश्मीर	6.73	–	–	–	0.21	0.00	5.97	2.84	–	–	–	–
झारखण्ड	1.55	–	49.01	16.64	0.63	0.19	0.00	0.00	–	–	–	–
कर्नाटक	28.04	–	85.45	77.69	1.56	1.35	14.05	14.05	–	–	–	–
केरल	10.81	–	49.55	20.13	0.47	0.43	6.37	6.37	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	28.91	–	141.90	76.18	1.51	1.67	19.68	12.23	–	–	–	–
महाराष्ट्र	48.18	–	133.02	61.34	2.94	2.50	9.21	3.02	–	–	–	–
मणिपुर	1.10	–	–	–	0.08	0.06	4.34	4.34	–	–	–	–
मेघालय	8.58	–	–	–	0.13	0.08	0.59	0.00	–	–	–	–
मिजोरम	4.33	–	–	–	0.03	0.02	0.41	0.41	–	–	–	–
नागालैंड	0.76	–	–	–	0.05	0.05	2.58	2.58	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उड़ीसा	31.77	–	123.32	57.48	0.99	0.80	14.98	11.98	–	–	–	–
पंजाब	57.09	–	–	–	0.50	0.29	4.76	2.73	–	–	–	–
राजस्थान	3.20	–	129.06	8.43	1.87	1.47	11.29	11.22	60.00	58.13	10.00	15.21
सिक्किम	1.00	–	–	–	0.02	0.02	1.07	0.06	–	–	–	–
तमिलनाडु	29.61	–	84.12	55.34	1.16	0.81	12.66	12.66	–	–	–	–
त्रिपुरा	4.92	–	–	–	0.14	0.09	1.00	1.01	–	–	–	–
उत्तरांचल	12.20	–	28.74	16.50	0.21	0.16	2.81	2.81	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	76.63	–	537.42	398.08	4.75	3.74	21.39	17.04	–	–	–	–
पश्चिम बंगाल	16.19	–	106.54	43.58	2.87	2.08	11.97	5.16	–	–	–	–
कुल	497.76	0.00	2157.39	1107.19	27.98	20.65	223.10	164.38	60.00	58.13	10.00	15.21

* मध्याह्न भोजन योजना के तहत राज्यों को अनाज का नि:शुल्क वितरण किया जाता है, इसलिए इस योजना के मामले में आवंटित अनाज और उठाए गए अनाज की स्थिति लाख मीट्रिक टन में दी गई है।

** सर्व शिक्षा अभियान देर से शुरू किए गए जाने के कारण उपयोग नहीं हो सका।

एस.एस.ए.—सर्व शिक्षा अभियान

डी.पी.ई.पी.—जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

एल.जे.पी.—लोक जुंबिश परियोजना

एस.के.पी.—शिक्षाकर्मी परियोजना

विवरण II

वर्ष 2002-03

(आंकड़े एम.डी.एम. के मामले में लाख मीट्रिक टन और अन्य योजनाओं के मामले में करोड़ रु. में है)

राज्य	एस.एस.ए.		डी.पी.ई.पी.		एम.डी.एम.*		शिक्षक शिक्षा		एल.जे.पी.		एस.के.पी.	
	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उठान	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	82.26	39.52	327.01	101.64	2.24	1.85	0.19	0.00	–	–	–	–
अरुणाचल प्रदेश	14.12	0.00	–	–	0.05	0.01	1.21	1.21	–	–	–	–
असम	101.76	85.26	87.01	62.40	0.92	0.44	6.73	6.73	–	–	–	–
बिहार	79.15	34.52	132.40	40.53	2.43	1.33	16.68	16.68	–	–	–	–
छत्तीसगढ़	36.40	24.13	16.39	14.69	0.75	0.57	0.00	0.00	–	–	–	–
गोवा	0.00	0.00	–	–	0.02	0.00	0.48	0.48	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
गुजरात	140.04	118.39	55.79	30.12	0.65	0.27	24.30	23.37	–	–	–	–
हरियाणा	27.36	25.71	103.19	36.36	0.46	0.43	29.78	29.78	–	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	17.18	19.12	32.94	21.86	0.19	0.19	30.75	30.75	–	–	–	–
जम्मू और कश्मीर	19.49	5.00	–	–	0.25	0.00	6.77	3.63	–	–	–	–
झारखण्ड	32.44	42.1	61.84	50.26	0.52	0.16	0.00	0.00	–	–	–	–
कर्नाटक	82.70	95.95	74.55	52.04	1.54	1.17	14.37	14.20	–	–	–	–
केरल	22.51	31.22	58.62	26.47	0.47	0.47	6.18	6.18	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	110.17	108.01	64.23	50.54	2.12	1.86	19.03	11.57	–	–	–	–
महाराष्ट्र	110.00	96.71	130.85	78.35	2.98	2.52	16.22	13.64	–	–	–	–
मणिपुर	0.00	0.00	–	–	0.09	0.08	1.98	4.34	–	–	–	–
मेघालय	7.11	6.35	–	–	0.13	0.13	3.10	1.02	–	–	–	–
मिजोरम	9.03	4.33	–	–	0.03	0.02	4.21	4.21	–	–	–	–
नागालैंड	9.73	1.10	–	–	0.05	0.05	5.06	2.43	–	–	–	–
उड़ीसा	22.14	25.94	131.51	91.76	1.24	1.05	11.84	8.84	–	–	–	–
पंजाब	48.68	84.92	–	–	0.49	0.36	12.96	10.92	–	–	–	–
राजस्थान	99.96	55.74	215.10	135.09	1.58	1.41	12.73	10.54	62.62	85.75	15.02	15.02
सिक्किम	4.25	1.68	–	–	0.02	0.02	2.07	1.07	–	–	–	–
तमिलनाडु	135.27	101.89	37.55	30.77	1.08	0.79	17.34	17.34	–	–	–	–
त्रिपुरा	11.62	7.27	–	–	0.14	0.10	1.37	0.40	–	–	–	–
उत्तरांचल	20.68	18.56	26.14	17.93	0.25	0.14	0.00	0.00	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	202.45	220.61	426.60	274.92	4.46	4.11	28.34	22.32	–	–	–	–
पश्चिम बंगाल	108.68	51.48	171.93	66.37	2.93	2.18	14.60	8.22	–	–	–	–
कुल	1555.18	1305.52	2153.65	1182.10	28.08	21.71	288.29	249.87	62.62	85.75	15.02	15.02

* मध्याह्न भोजन योजना के तहत राज्यों को अनाज का निःशुल्क वितरण किया जाता है, इसलिए इस योजना के मामले में आवंटित अनाज और उठाए गए अनाज की स्थिति लाख मीट्रिक टन में दी गई है।

एस.एस.ए.—सर्व शिक्षा अभियान

डी.पी.ई.पी.—जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

एल.जे.पी.—लोक जुंबिश परियोजना

एस.के.पी.—शिक्षाकर्मी परियोजना

विवरण III

वर्ष 2003-04

(आंकड़े एम.डी.एम. के मामले में लाख मीट्रिक टन और अन्य योजनाओं के मामले में करोड़ रु. में है)

राज्य	एस.एस.ए.		डी.पी.ई.पी.		एम.डी.एम.*		शिक्षक शिक्षा		एल.जे.पी.		एस.के.पी.	
	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उठान	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	98.84	201.83	210.78	108.14	1.78	1.52	19.52	19.52–	–	–	–	
अरुणाचल प्रदेश	121.90	185.01	–	–	0.05	0.02	0.91	0.77	–	–	–	–
असम	6.75	14.54	34.47	34.47	0.92	0.77	5.93	5.00	–	–	–	–
बिहार	195.16	246.89	170.98	48.37	2.45	1.71	0.00	0.00	–	–	–	–
छत्तीसगढ़	65.89	76.27	2.05	2.05	0.57	0.62	9.51	9.51	–	–	–	–
गोवा	0.00	0.00	–	–	0.01	0.01	0.54	0.54	–	–	–	–
गुजरात	116.60	128.44	56.97	44.32	0.60	0.40	5.88	4.94	–	–	–	–
हरियाणा	68.76	89.31	57.92	57.92	0.46	0.42	3.26	3.04	–	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	54.62	66.62	15.72	15.72	0.18	0.18	6.32	6.32	–	–	–	–
जम्मू और कश्मीर	53.27	74.26	–	–	0.22	0.01	3.34	0.24	–	–	–	–
झारखण्ड	114.74	111.28	111.92	71.84	0.52	0.23	0.00	0.00	–	–	–	–
कर्नाटक	104.27	135.92	20.75	20.75	1.46	0.87	10.38	10.21	–	–	–	–
केरल	49.66	63.17	6.54	6.54	0.43	0.43	3.74	3.74	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	352.38	360.77	17.51	17.51	1.66	1.50	18.09	17.35	–	–	–	–
महाराष्ट्र	205.27	322.03	45.36	45.36	2.24	1.85	13.06	7.73	–	–	–	–
मणिपुर	5.00	0.00	–	–	0.09	0.08	3.01	4.34	–	–	–	–
मेघालय	8.26	22.85	–	–	0.10	0.09	2.28	0.20	–	–	–	–
मिजोरम	11.82	9.52	–	–	0.02	0.02	3.90	1.35	–	–	–	–
नागालैंड	0.00	13.62	–	–	0.05	0.04	5.58	2.96	–	–	–	–
उड़ीसा	134.53	158.12	92.78	65.98	1.23	1.14	5.40	5.37	–	–	–	–
पंजाब	64.92	103.05	–	–	0.45	0.24	7.93	5.89	–	–	–	–
राजस्थान	156.27	214.23	258.34	186.91	1.69	1.37	12.13	9.94	147.00	143.93	10.00	28.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
सिक्किम	2.70	6.57	–	–	0.02	0.01	1.63	0.63	–	–	–	–
तमिलनाडु	105.06	245.32	8.59	8.59	1.11	0.79	5.48	5.48	–	–	–	–
त्रिपुरा	27.52	45.98	–	–	1.09	0.09	2.42	1.44	–	–	–	–
उत्तरांचल	35.22	65.67	29.70	20.24	1.16	0.20	7.88	7.88	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	340.43	474.27	216.59	172.63	4.91	4.10	22.63	13.94	–	–	–	–
पश्चिम बंगाल	167.48	169.46	179.56	58.55	3.06	2.52	7.01	0.63	–	–	–	–
कुल	2667.52	3605.00	1536.53	985.89	28.53	21.23	187.76	148.92	147.00	143.93	10.00	28.80

* मध्याह्न भोजन योजना के तहत राज्यों को अनाज का नि:शुल्क वितरण किया जाता है, इसलिए इस योजना के मामले में आवंटित अनाज और उठाए गए अनाज की स्थिति लाख मीट्रिक टन में दी गई है।

एस.एस.ए.—सर्व शिक्षा अभियान

डी.पी.ई.पी.—जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

एल.जे.पी.—लोक जुंबिश परियोजना

एस.के.पी.—शिक्षाकर्मी परियोजना

विवरण IV

वर्ष 2004-05

(आंकड़े एम.डी.एम. के मामले में लाख मीट्रिक टन और अन्य योजनाओं के मामले में करोड़ रु. में है)

राज्य	एस.एस.ए.		डी.पी.ई.पी.		एम.डी.एम.*		शिक्षक शिक्षा		एल.जे.पी.		एस.के.पी.	
	आवंटन	उपयोग**	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उठान	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	50.00	–	–	–	2.13	–	0.19	–	–	–	–	–
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	0.04	–	–	–	–	–	–	–
असम	25.00	–	–	–	0.92	–	–	–	–	–	–	–
बिहार	0.00	–	–	–	2.78	–	–	–	–	–	–	–
छत्तीसगढ़	50.00	–	–	–	0.57	–	–	–	–	–	–	–
गोवा	0.00	–	–	–	0.01	–	–	–	–	–	–	–
गुजरात	0.00	–	–	–	0.60	–	–	–	–	–	–	–
हरियाणा	–	–	–	–	0.46	–	–	–	–	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	10.00	–	–	–	0.18	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जम्मू और कश्मीर	0.00	–	–	–	0.22	–	–	–	–	–	–	–
झारखण्ड	20.00	–	–	–	0.82	–	–	–	–	–	–	–
कर्नाटक	30.00	–	–	–	1.17	–	–	–	–	–	–	–
केरल	10.00	–	–	–	0.42	–	–	–	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	0.00	–	–	–	1.60	–	–	–	–	–	–	–
महाराष्ट्र	50.00	–	–	–	2.22	–	–	–	–	–	–	–
मणिपुर	0.00	–	–	–	0.09	–	–	–	–	–	–	–
मेघालय	0.00	–	–	–	0.10	–	–	–	–	–	–	–
मिजोरम	5.00	–	–	–	0.02	–	–	–	–	–	–	–
नागालैंड	9.72	–	–	–	0.43	–	3.23	–	–	–	–	–
उड़ीसा	25.00	–	–	–	0.23	–	–	–	–	–	–	–
पंजाब	0.00	–	–	–	0.43	–	–	–	–	–	–	–
राजस्थान	30.00	–	–	–	0.69	–	–	–	29.41	0.00	39.04	0.00
सिक्किम	4.42	–	–	–	0.02	–	–	–	–	–	–	–
तमिलनाडु	50.00	–	–	–	0.86	–	–	–	–	–	–	–
त्रिपुरा	0.00	–	–	–	0.09	–	–	–	–	–	–	–
उत्तरांचल	16.0	–	–	–	0.16	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	50.00	–	–	–	5.10	–	–	–	–	–	–	–
पश्चिम बंगाल	0.00	–	–	–	2.97	–	7.17	–	–	–	–	–
कुल	435.14	0.00	0.00	0.00	27.33	0.00	10.59	9.00	29.41	0.00	39.04	0.00

* मध्याह्न भोजन योजना के तहत राज्यों को अनाज का नि:शुल्क वितरण किया जाता है, इसलिए इस योजना के मामले में आवंटित अनाज और उठाए गए अनाज की स्थिति लाख मीट्रिक टन में दी गई है।

** उठान के आंकड़े भारतीय खाद्य निगम से प्रतीक्षित हैं।

एस.एस.ए.—सर्व शिक्षा अभियान

डी.पी.ई.पी.—जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

एल.जे.पी.—लोक जुंबिश परियोजना

एस.के.पी.—शिक्षाकर्मी परियोजना

विद्युत संकट

*24. **श्री महेश कनोडीया:**
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सम्पूर्ण देश विद्युत संकट से जूझ रहा है और इसका औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस समय कौन-कौन से राज्य गंभीर विद्युत संकट का सामना कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार इन राज्यों में विद्युत की कमी को दूर करने हेतु कोई ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आज की तिथि के अनुसार राज्य-वार मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हुई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) कुछ राज्यों को छोड़कर देश में कुल मिलाकर विद्युत की कमी है। यह कमी राज्य से राज्य, क्षेत्र से क्षेत्र तथा मौसम से मौसम से अलग-अलग होती है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर औसत ऊर्जा एवं व्यस्ततम समय में कमी 2002-03 के क्रमश: 8.8% तथा 12.2% से कम होकर 2003-04 में 7.1% तथा 11.2% रह गयी है। चालू वर्ष के दौरान इत्यादि अप्रैल-मई, 2004 के दौरान ऊर्जा एवं व्यस्ततम समय में कमी पिछले वर्ष अर्थात् अप्रैल-मई, 2002 की समान अवधि के दौरान क्रमश: 7.9% तथा 12.05% की तुलना में 5.9% व 11.3% थी। अप्रैल-मई, 2003 की तुलना में अप्रैल-मई, 2004 के दौरान देश में राज्यवार विद्युत आपूर्ति की स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

विद्युत एक समवर्ती विषय है। राज्य में विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण राज्य सरकार/संबंधित राज्य विद्युत यूटिलिटी जो राज्यवार में विभिन्न श्रेणी व उपभोक्ता क्षेत्रों के लिए विद्युत आपूर्ति की प्राथमिकताओं का निर्णय लेती है, का उत्तरदायित्व है। भारत सरकार केन्द्रीय क्षेत्र में केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से विद्युत संयंत्रों के स्थापन में राज्य सरकार के प्रयासों को केवल सहायता प्रदान करती है।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की सूचना के अनुसार केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार फरवरी, 2004, मार्च, 2004 तथा अप्रैल, 2004 में आईआईपी आधारित औद्योगिक आउटपुट में पिछले वर्ष के समान महीनों में क्रमश: 7.0%, 5.9% तथा 4.2% की तुलना में समग्र विकास क्रमश: 7.9%, 7.3% तथा 9.4% था। वर्ष 2002-03 के दौरान विद्युत उत्पादन 531430 बिलियन यूनिटों की तुलना में वर्ष 2003-04 में यह 558.336 बिलियन यूनिट था जो 5.0% की वृद्धि दर्शाती है।

(ग) और (घ) जैसा कि ऊपर बताया गया है विद्युत समवर्ती विषय होने के नाते राज्य में विद्युत आपूर्ति एवं वितरण राज्य सरकार/संबंधित विद्युत यूटिलिटी का उत्तरदायित्व है। मूल रूप से यह उनकी जिम्मेदारी है कि विद्युत मांग को पूरा करने के लिए राज्य में विद्युत उपलब्धता बढ़ाएं। केन्द्रीय सरकार को अधिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि में पूरक की है देश में विद्युत उत्पादन तथा उपलब्धता में सुधार लाने के लिए निम्न कदम उठाए जा रहे हैं:

1. 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 41,110 मेगावाट की क्षमता में अभिवृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र की 22,832 मेगावाट, राज्य क्षेत्र की 11,157 मेगावाट तथा निजी क्षेत्र की 7121 मेगावाट शामिल है।

2. नई कमीशन की गई इकाईयों का शीघ्र संस्थापन तथा ताप इकाईयों के पीएलएफ में समग्र वृद्धि।

3. उत्पादन क्षमता का इष्टतम उपयोग करने तथा अंतरक्षेत्रीय विद्युत पारेषण के लिए सुदृढ़ राष्ट्रीय ग्रिड का सर्जन।

4. वितरण में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने समग्र पारेषण एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी लाने तथा विद्युत क्षेत्र में वाणिज्यिक व्यवहार्यता को प्राप्त करने के लिए एक बड़े कदम के तौर पर राज्यों में उप पारेषण प्रणाली के उन्नयन के लिए त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यान्वित किया है। (एपीडीआरपी) को कार्यान्वित किया है। एपीडीआरपी के तहत उप पारेषण तथा वितरण प्रणालियों के लिए योजनाओं को लागू करने हेतु राज्यों को निधियां मुहैया कराई जा रही हैं।

5. बृहद् ग्रामीण विद्युतीकरण का विस्तृत कार्यक्रम।

6. मांग पक्ष प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण उपाय।

7. पुरानी एवं अदक्ष, उत्पादन इकाइयों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा ब्याज सब्सिडी समेत ऋणों का वितरण।

8. तीव्र गति से जल विद्युत संभावनाओं का दोहन।

(ङ) एक बड़ी पहल के तौर पर विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार उत्पादन क्षमता की स्थापना को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है एवं ताप विद्युत योजनाओं के सिलसिले में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा तकनीकी-आर्थिक अनुमति (टीईसी) मूल्यांकन की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है। अब केवल जल विद्युत योजनाओं को सीईए को सहमति की जरूरत है। वर्तमान में कोई भी जल विद्युत योजना टीईसी/मूल्यांकन हेतु सीईए में लंबित नहीं है।

विवरण

विद्युत आपूर्ति की तुलना
अप्रैल-मई, 2004 तथा अप्रैल-मई, 2003
ऊर्जा

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2004-मई, 2004				अप्रैल, 2003-मई, 2003				% परिवर्तन	
	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कम(-) (मि.यू.)	(%)	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कम(-) (मि.यू.)	(%)	आवश्यकता	उपलब्धता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
चंडीगढ़	197	197	0	0.0	189	188	-1	-0.5	4.2	4.8
दिल्ली	3729	3700	-29	-0.8	3367	3323	-44	-1.3	10.8	11.3
हरियाणा	3516	3402	-114	-3.2	3111	3019	-92	-3.0	13	12.7
हिमाचल प्रदेश	784	782	-2	-0.3	554	552	-2	-0.4	41.5	41.7
जम्मू व कश्मीर	1472	1455	-17	-1.2	1146	1048	-98	-8.6	28.4	38.8
पंजाब	4977	4920	-57	-1.1	4683	4621	-62	-1.3	6.3	6.5
राजस्थान	4715	4706	-9	-0.2	4136	4099	-37	-0.9	14	14.8
उत्तर प्रदेश	8064	6981	-1083	-13.4	7527	6687	-840	11.2	7.1	4.4
उत्तरांचल	726	709	-17	-2.3	648	633	-15	-2.3	12	12
उत्तरी क्षेत्र	28180	26852	-1328	-4.7	25361	24170	-1191	-4.7	11.1	11.1
छत्तीसगढ़	1922	1904	-18	-0.9	1965	1824	-141	-7.2	-2.2	4.4
गुजरात	10452	9203	-1249	-11.9	9531	8194	-1337	14.0	9.7	12.3
मध्य प्रदेश	5535	4941	-594	-10.7	5363	3939	-1424	26.6	3.2	25.4
महाराष्ट्र	15681	14146	-1535	-9.8	14993	13356	-1637	-10.9	4.6	5.9
दमन और दीव	192	192	0	0.00	0	0	0	0.00	-	-
दादर और नगर हवेली	324	324	0	0.00	0	0	0	0.00	-	-
गोवा	344	344	0	0.00	336	366	0	0.00	2.4	2.4
पश्चिमी क्षेत्र	34450	31054	-3396	-9.9	32188	27649	-4539	-14.1	7	12.3
आंध्र प्रदेश	8188	8158	-30	-0.4	7460	7193	-267	-3.6	9.8	13.4
कर्नाटक	5793	5173	-620	-10.7	5730	5076	-654	11.4	1.1	1.9
केरल	2105	2051	-54	-2.6	2235	2146	-89	-4.0	-5.8	-4.4
तमिलनाडु	7737	7711	-26	-0.3	7620	7554	-66	-0.9	1.5	2.1
पांडिचेरी	262	262	0	0.0	246	246	0	0.0	6.5	6.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
दक्षिणी क्षेत्र	24085	23355	-730	-3.0	23291	22215	-1076	-4.6	3.4	5.1
बिहार	1121	1060	-61	-5.4	1198	913	-285	23.9	40.7	77.1
डीवीसी	1453	1437	-16	-1.1	1251	1249	-2	-0.2	16.1	15.1
झारखंड	565	557	-8	-1.4	500	493	-7	-1.4	13	13
उड़ीसा	2235	2208	-27	-1.2	2294	2266	-28	-1.2	-2.6	-2.6
पश्चिम बंगाल + सिक्किम	4080	4015	-65	-1.6	3823	3790	-33	-0.9	6.7	5.9
पूर्वी क्षेत्र	9454	9277	-177	-1.9	9066	8711	-355	-3.9	4.3	6.5
अरुणाचल प्रदेश	26	26	0	0.0	31	30	-1	-3.2	-16.1	-13.3
असम	594	551	-4	-7.2	531	496	-35	-6.6	11.9	11.1
मणिपुर	77	73	-4	-5.2	67	64	-3	-4.5	14.9	14.1
मेघालय	201	166	-35	-17.4	134	126	-8	-6.0	50	31.7
मिजोरम	35	32	-3	-8.6	43	42	-1	-2.3	-18.6	-23.8
नागालैंड	49	48	-1	-2.0	42	41	-1	-2.4	16.7	17.1
त्रिपुरा	109	97	-12	-11.0	114	104	-10	-8.8	-4.4	-6.7
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1091	993	-98	-9.0	962	903	-59	-6.1	13.4	10
अखिल भारत	97260	91531	-5729	-5.9	90868	83648	-7220	-7.9	7	9.4

*अप्रैल-मई, 2003 की अवधि में दमन और दीव और दादर व नगर हवेली के आंकड़े गुजरात के आंकड़ों में शामिल हैं।

विद्युत आपूर्ति की तुलना
अप्रैल-मई, 2004 तथा अप्रैल-मई, 2003
व्यस्ततमकालीन मांग/व्यस्ततमकालीन पूर्ति

(आंकड़े मि.यू. में)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2004-मई, 2004				अप्रैल, 2003-मई, 2003				% परिवर्तन	
	आवश्यकता (मेगावाट)	उपलब्धता (मेगावाट)	अधिशेष/कम(-) (मेगावाट)	(%)	आवश्यकता (मेगावाट)	उपलब्धता (मेगावाट)	अधिशेष/कम(-) (मेगावाट)	(%)	आवश्यकता	उपलब्धता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
चंडीगढ़	195	195	0	0.0	175	175	0	0.0	11.4	11.4
दिल्ली	3348	3332	-16	-0.5	3053	2951	-102	-3.3	9.7	12.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
हरियाणा	3248	3165	-83	-2.6	3015	2799	-216	-7.2	7.7	13.1
हिमाचल प्रदेश	615	615	0	0.0	527	527	0	0.0	16.7	16.7
जम्मू व कश्मीर	1207	1068	-139	-11.5	1195	1070	-125	-10.5	1	-0.2
पंजाब	4872	4872	0	0.0	4659	4457	-202	-4.3	4.6	9.3
राजस्थान	3879	3879	0	0.0	3820	3711	-109	-2.9	1.5	4.5
उत्तर प्रदेश	7877	6268	-1609	-20.4	7218	5938	-1280	-17.7	9.1	5.6
उत्तरांचल	788	749	-39	-4.9	686	640	-46	-6.7	14.9	17
उत्तरी क्षेत्र	24247	22729	-1518	-6.3	21656	19885	-1771	-8.2	12	14.3
छत्तीसगढ़	1670	1558	-112	-6.7	1669	1485	-184	-11.0	0.1	4.9
गुजरात	9655	7427	-2228	-23.1	8297	6742	-1555	-18.7	16.4	10.2
मध्य प्रदेश	5670	4030	-1640	-28.9	4919	3357	-1562	-31.8	15.3	20
महाराष्ट्र	14585	11483	-3102	-21.3	13095	10796	-2299	-17.6	11.4	6.4
दमन और दीव	181	181	0	0.0	0	0	0	0.0	–	–
दादर और नगर हवेली	331	331	0	0.0	0	0	0	0.0	–	–
गोवा	334	334	0	0.00	309	309	0	0.0	8.1	8.1
पश्चिमी क्षेत्र	29859	23380	-6479	-21.7	26362	20515	-5847	-22.2	13.3	14
आंध्र प्रदेश	7156	7038	-118	-1.6	6778	6280	-498	-7.3	5.6	12.1
कर्नाटक	5927	5360	-567	-9.6	5085	4913	-172	-3.4	16.6	9.1
केरल	2427	2164	-263	-10.8	2442	2119	-323	-13.2	-0.6	2.1
तमिलनाडु	7227	7149	-78	-1.1	6772	6710	-62	-0.9	6.7	6.5
पांडिचेरी	230	230	0	0.0	197	197	0	0.0	16.8	16.8
दक्षिणी क्षेत्र	23075	21928	-1147	-5.0	20513	19944	-569	-2.8	12.5	9.9
बिहार	885	818	-67	-7.6	902	693	-209	-23.2	60.3	93.1
डीवीसी	1269	1180	-89	-7.0	1275	1154	-121	-9.5	-0.5	2.3
झारखंड	561	520	-41	-7.3	525	452	-73	-13.9	6.9	15
उड़ीसा	2195	1929	-266	-12.1	2099	1958	-141	-6.7	4.6	-.15
पश्चिम बंगाल + सिक्किम	3852	3564	-288	-7.5	3836	3652	-184	-4.8	0.4	-2.4
पूर्वी क्षेत्र	8286	7895	-391	-4.7	7884	7224	-660	-8.4	5.1	9.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अरुणाचल प्रदेश	46	46	0	0.0	44	44	0	0.0	4.5	4.5
असम	659	589	-70	-10.6	594	521	-73	-12.3	10.9	13.1
मणिपुर	99	99	0	0.0	90	90	0	0.0	10	10
मेघालय	255	191	-64	-25.1	190	147	-43	-22.6	34.2	29.9
मिजोरम	69	59	-10	-14.5	69	67	-2	-2.9	0	-11.9
नागालैंड	67	67	0	0.0	53	52	-1	-1.9	26.4	28.8
त्रिपुरा	161	127	-34	-21.1	190	144	-46	-24.2	-15.3	-11.8
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1225	1029	-196	-16.0	1149	869	-280	-24.4	6.6	18.4
अखिल भारत	85911	76246	-9665	-11.3	76577	67415	-9162	-12.0	12.2	13.1

*अप्रैल-मई, 2003 की अवधि में दमन व दीव और दादर व नगर हवेली के आंकड़े गुजरात के आंकड़ों में शामिल हैं।

नोबेल पुरस्कार मेडल की चोरी

*27. **श्री मोहन रावले**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर का नोबेल पुरस्कार मेडल और अन्य कुछ बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी हो गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कथित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सी.बी.आई. इस मामले की जांच कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सी.बी.आई. द्वारा अब तक की गई जांच के क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर ऐसी चोरियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी, हां।

(ख) विश्व भारती, शांति निकेतन के रजिस्ट्रार की दिनांक 25.3.2004 की इस शिकायत पर कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने रवीन्द्रनाथ स्मारक संग्रहालय में रखी कुछ मूल्यवान मदें चुरा ली हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 457/380 के तहत दिनांक 25.3.2004 को बोलपुर पुलिस थाना में एक मामला दर्ज किया गया।

संग्रहालय प्राधिकारियों ने स्व. गुरुदेव श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर के नोबल पुरस्कार मेडेलियन सहित चुराई गई 52 मदों की सूची पुलिस को प्रस्तुत की थी।

(ग) जी हां, श्रीमान। पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर उपर्युक्त मामले की जांच-पड़ताल केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अंतरित की गई तथा तद्नुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 30.3.2004 को एक मामला दर्ज किया गया।

(घ) अब तक की गई जांच-पड़ताल से पता चलता है कि इसमें किसी पेशेवर गिरोह के संलिप्त होने की संभावना है।

(ङ) चोरी रोकने के लिए अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की अपनी सुरक्षा व्यवस्था है। संस्कृति मंत्रालय ने संग्रहालयों/वीथियों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था की पुनरीक्षा करने तथा ऐसी सुरक्षा योजना तैयार करने का निदेश दिया है जिसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा सके। उनसे इस कार्य में आसूचना ब्यूरो तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सहायता लेने को भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त, यह राज्य सरकारों का संवैधानिक दायित्व है कि वह अपने क्षेत्राधिकार में, चोरियों सहित अपराधों को होने से रोकने के लिए कदम उठाए क्योंकि "पुलिस" तथा "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। तथापि, भारत सरकार राज्य सरकारों को समय-समय पर अपराधों की रोकथाम करने, पता लगाने, दर्ज करने और जांच-पड़ताल करने के मामले पर अधिक ध्यान देने का परामर्श देती रही है।

[अनुवाद]

दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी

***28. श्री प्रभुनाथ सिंह:**
श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अवैध बांग्लादेशी प्रवासी दिल्ली में बहुत से जघन्य अपराधों/डकैतियों में शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक प्रकाश में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि 13 लाख से अधिक बांग्लादेशी नागरिक दिल्ली में अवैध रूप में रह रहे हैं और दिल्ली पुलिस उन्हें वापस भेजने में असमर्थ रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान दिल्ली से ऐसे कितने अवैध प्रवासियों को वापस भेजा गया है; और

(च) सरकार द्वारा समस्या से निपटने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान और 30 जून, 2004 तक, दिल्ली में सूचित अपराध के उन मामलों की संख्या, जिनमें बांग्लादेशी मूल के व्यक्ति संलिप्त हैं, नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	मामलों की संख्या			
		2001	2002	2003	2004 (30 जून तक)
1.	हत्या	2	1	2	2
2.	हत्या का प्रयास	1	1	0	1
3.	डकैती	1	6	6	3
4.	लूटपाट	1	2	3	5
5.	झपटमारी	1	0	0	0
6.	दंगे	0	1	0	0
7.	बलात्कार	1	0	0	0
	कुल	7	11	11	11

(ग) और (घ) चूंकि अवैध विदेशी प्रवासियों की पहचान करना एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए दिल्ली में रह रहे ऐसे व्यक्तियों की सही-सही संख्या ज्ञात नहीं है। तथापि, दिल्ली पुलिस ऐसे अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने हेतु गंभीरतापूर्वक प्रयास करती रही है।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान और 30 जून, 2004 तक दिल्ली से निर्वासित अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है:-

वर्ष	निर्वासित व्यक्तियों की संख्या
2001	262
2002	2987
2003	5760
2004 (30 जून, 2004 तक)	3274
कुल	12,283

(च) इस समस्या से निपटने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में, सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें खड़ी करना, सीमा चौकियों के बीच की दूरी में कमी करना, भू और तटीय सीमा, दोनों पर गश्त को गहन करना, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ-साथ सीमा सड़कों और बाड़ निर्माण के कार्यक्रम में तेजी लाना, सीमा बुर्जों की संख्या में बढ़ोत्तरी करना, निगरानी उपकरणों का प्रावधान, इस मामले को बांग्लादेश की सरकार के साथ उठाना, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (असम के मामले में अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारणा) अधिनियम, 1983) के उपबंधों को सख्ती से लागू करने के निदेश जारी करना, शामिल है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें दिल्ली से निर्वासित करने, पहले आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त या जिन पर संलिप्त होने का संदेह है, ऐसे बांग्लादेशियों

की गतिविधियों पर नजर रखने और अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठकों में पड़ोसी राज्यों के साथ ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए दस विशेष टीमें गठित की गई हैं।

[हिन्दी]

उर्वरकों पर राजसहायता

*29. **श्री वाई.जी. महाजन:**
श्री निखिल कुमार:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा आज तक सरकार द्वारा उर्वरकों पर राजसहायता के रूप में कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार ने उर्वरकों पर राजसहायता बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय ने राजसहायता हेतु एक हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इतनी बड़ी अतिरिक्त धनराशि मांगने के क्या कारण हैं;

(च) क्या घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के कारण देश में किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा देश में उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) कृषकों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार यूरिया पर राजसहायता तथा नियंत्रणमुक्त फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त उर्वरकों पर रियायत प्रदान करती है। गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्त वर्ष में 30.6.2004 तक यूरिया और नियंत्रणमुक्त फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त उर्वरकों पर व्यय की गई राजसहायता/रियायत की राशि निम्न तालिका में दी गई है:-

क्र.सं.	अवधि	यूरिया पर व्यय की गई राजसहायता की राशि (रुपये करोड़ में)	फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त उर्वरकों पर व्यय की गई रियायत की राशि (रुपये करोड़ में)
1.	2001-02	8304.34	4503.52
2.	2002-03	7790.00	3224.52
3.	2003-04	8521.00	3326.00
4.	2004-05 (30.6.2004 तक)	3338.11	1032.94

(ख) से (ङ) उर्वरकों के बिक्री मूल्यों में 28.2.2002 से कोई वृद्धि नहीं की गई है। तथापि, उर्वरकों के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे मालों/आदानों के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण उर्वरकों की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाने की वजह से राजसहायता/रियायत व्यय में वृद्धि हुई है। उर्वरकों के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे मालों/आदानों की लागत में अत्यधिक वृद्धि हो जोने के कारण राजसहायता/रियायत व्यय में वृद्धि हो जाने की वजह से चालू वित्त वर्ष के दौरान विभाग ने यूरिया के मामले में 8143 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से आगे अतिरिक्त 4950 करोड़ रुपये तथा नियंत्रणमुक्त फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त उर्वरकों के मामले में 4046 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से आगे अतिरिक्त 1428 करोड़ रुपये की निधियों की मांग की है।

(च) से (ज) जैसाकि ऊपर बताया गया है, उर्वरकों के बिक्री मूल्यों में 28.2.2002 से कोई वृद्धि नहीं हुई है। कच्चे मालों/आदानों के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण उर्वरकों की उत्पादन लागत में हुई वृद्धि का भार कृषकों पर नहीं डाला जा रहा है, अपितु उच्च राजसहायता व्यय के रूप में इसे सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

प्रश्न-पत्रों का लीक होना

*31. **डा. पी.पी. कोया:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्री-मेडीकल परीक्षा के प्रश्न-पत्र लीक हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रश्न-पत्रों के लीक होने की संभावित कमियों का पता लगाने के मद्देनजर विद्यमान प्रक्रिया का कोई आलोचनात्मक आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रश्न-पत्रों के लीक होने के बारे में यदि कोई जांच की गई है, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(च) प्रश्न-पत्रों की गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 11.4.04 को आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय प्री-मेडीकल/प्री-डैन्टल प्रवेश (प्रारंभिक) परीक्षा, 2004 का प्रश्न-पत्र लीक हो गया था। प्रश्न-पत्र केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में कार्यरत एक कम्प्यूटर सहायक द्वारा लीक किया गया था जिसे प्रश्न-पत्रों के टंकण का कार्य सौंपा गया था। संबंधित कम्प्यूटर सहायक को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निलंबित कर दिया गया है।

(ग) से (च) दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज किया है और इस मामले की विस्तृत जांच-पड़ताल की है। दिल्ली पुलिस ने तथाकथित मुख्य अभियुक्त सहित छः अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोप-पत्र दायर कर दिये हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्तमान परीक्षा प्रणाली में कमियों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा वर्तमान में अपनाई जा रही विभिन्न प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए डा. जे. वीरा राघवन, पूर्व सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। यह समिति प्रश्न-पत्रों के लीक होने की किसी भी प्रकार की संभावना को दूर करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक उपाय भी सुझायेगी।

विद्युत आबंटन

***32. श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों को एनटीपीसी, एनएचपीसी और एनपीसी इत्यादि जैसे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विद्युत निगमों से विद्युत आबंटित करने हेतु कोई मानदंड अपनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से इन केन्द्रीय निगमों से विद्युत प्राप्त करने हेतु वर्षवार और राज्यवार कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को आबंटित की गई विद्युत का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने इन निगमों से अतिरिक्त विद्युत आबंटित करने का कोई अनुरोध केन्द्र सरकार को भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादन स्टेशनों से क्षेत्र के संघटक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हिस्सा नीचे दिए फार्मूले के अनुसार नियत किया गया था:-

— समय-समय पर राज्यों की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन 15% गैर-आवंटित विद्युत रखी गयी।

— जल विद्युत केन्द्रों के मामले में गृह राज्य को 12% निःशुल्क विद्युत और थर्मल/न्यूक्लीयर स्टेशनों के मामले में गृह राज्य को 10% हिस्सा (निःशुल्क नहीं)।

— हाइड्रो स्टेशनों में 73% थर्मल/न्यूक्लीयर स्टेशनों में 75% शेष विद्युत, केन्द्रीय योजना सहायता और पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल ऊर्जा उपभोग, इन दोनों कारकों को बराबर महत्व के अनुसार क्षेत्र में विभिन्न संघटक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच वितरित की जाती है।

संघटक राज्यों के हिस्से आमतौर पर केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों के शुरू किए जाने के पहले आवंटित किए जाते हैं। एक बार आवंटित किए गए हिस्से बदले नहीं जाते हैं, जब तक कि राज्य द्वारा स्वयं न छोड़े जाएं।

केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन रखी गई 15% गैर-आवंटित विद्युत को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विद्युत कमियों और मौसमी/अनिवार्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में आमतौर पर वितरित किया जाता है।

उक्त फार्मूले का पुनरावलोकन किया गया था और अप्रैल 2000 में सरकार द्वारा फार्मूले को दिशानिर्देशों के रूप में मानने का निर्णय लिया गया है, ताकि विद्युत के आवंटन की आवश्यकता और भुगतान करने की क्षमता के साथ जोड़ा जा सके। दिशानिर्देशों के अंतर्गत नए केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत स्टेशनों से विद्युत संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के साथ क्रय समझौते (पीपीए) हस्ताक्षरित किए जाने के अधीन, उक्त फार्मूला पर आधारित अधिकार के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाती है।

(ख) और (ग) 2000-01, 2001-02 और 2002-03 (नवम्बर तक) के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादन केन्द्रों से वास्तविक आहरण की तुलना में आहरण-पात्रता के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) राजस्थान के मुख्यमंत्री ने फरवरी, 2004 में गैर-आवंटित कोटे में से 20% से कम-से-कम 35% तक आवंटन में वृद्धि हेतु अनुरोध किया था।

(ङ) उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादन स्टेशनों के गैर-आवंटित कोटे में से राजस्थान के आवंटन में 6.4.2004 से एक माह तक के लिए 20% से 22% तक वृद्धि की गई थी। हालांकि, वर्तमान वर्ष 2004-05 (मई 2004 तक) के दौरान राजस्थान में पूरे उत्तरी क्षेत्र में 4.7% और 6.3% की औसतन ऊर्जा और व्यस्ततम कमियों की तुलना में व्यस्ततम कमी न होने के साथ-साथ 0.2% की सीमान्त ऊर्जा की कमी रही। इसलिए, उत्तरी क्षेत्र में अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान अच्छी स्थिति में है।

विवरण

(आंकड़े मि.)

ग्राही राज्य/प्रणाली	2000-2001			2001-2002			2002-03 (अप्रैल-नवम्बर, 2002)		
	हकदारी	आहरण	% ओ/डी, यू/डी(-)	हकदारी	आहरण	% ओ/डी, यू/डी(-)	हकदारी	आहरण	% ओ/डी, यू/डी(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
चंडीगढ़	430.2	453.2	5.3	516.4	443.1	-16.5	376.2	322.4	-14.3
दिल्ली	11464.6	10020	-12.6	11504.8	10443	-10.2	7389.3	7223.3	-2.2
हरियाणा	6574.1	7524.4	14.5	5763.1	6547.7	12.0	4535.7	5043.5	11.2
हिमाचल प्रदेश	1504.6	1635.6	8.7	1638.6	1680.1	2.5	1026.6	1055.5	2.8
जम्मू व कश्मीर	4269.1	4717.6	10.5	4898.2	5045	2.9	3458.7	3788.5	9.5
पंजाब	7069	6727	-4.8	7085.2	6690.8	-5.9	5653.1	5537.9	-2.0
राजस्थान	9361.9	10404.9	11.1	9356.8	10126.1	7.6	6076.3	6336.2	4.3
उत्तर प्रदेश	17325.2	16516.5	-4.7	18903.5	18690.7	-1.1	10352.1	9642.6	-6.8
उत्तरांचल	-	-	-	-	-	-	1135.8	1053.9	-7.2
कुल उत्तरी क्षेत्र स्टेशन	57999.2	57999.2	0.0	59666.6	59666.6	0.0	40003.8	40003.8	0.0
छत्तीसगढ़	-	-	-	3330.9	887.8	275.2	1861.0	1613.6	-13.3
गुजरात	12688.7	13181	3.9	13295.3	14407.2	7.7	9325.3	10027.6	7.5
मध्य प्रदेश	12335.6	12263.8	-0.6	8708.9	10844	19.7	6191.8	5900.7	-4.7
महाराष्ट्र	14155.2	14281.7	0.9	15421.9	15099.4	-2.1	10453.3	10503	0.5
गोवा	1296	749	-42.2	1686.4	1205	-40.0	1231.8	1018.4	-17.3
कुल पश्चिम क्षेत्र स्टेशन	40475.5	40475.5	0.0	42443.4	42443.4	0.0	29063.2	29063.2	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	8272.5	8249.6	0.3	8317.8	8063.3	-3.2	4788.2	4353.2	-9.1
कर्नाटक	5823	6056	4.0	5876	6472.2	9.2	4192.2	4760.6	13.6
केरल	3142.2	3244.4	3.3	3173.6	3393.8	6.5	2304.3	2430.1	5.4
तमिलनाडु	10364.2	10125.2	-2.3	10168.9	9742.9	-4.4	5985.8	5888.9	-1.6
गोवा	618.2	544.9	-11.9	704.7	568.8	-23.9	494.5	416.1	-15.8
पांडिचेरी	-	-	-	-	-	-	862.8	778.9	-9.7
कुल दक्षिण क्षेत्र स्टेशन	28220.1	28220.1	0.0	28241.0	28241.0	0.0	18627.8	18627.8	0.0
बिहार	4958.7	5502.1	11.0	4727.8	6258.5	24.5	2954.1	3897.2	31.9
डीवीसी	1476.1	1298.4	-12.0	1113.6	1380.2	19.3	838.4	506.2	-39.6
झारखंड	-	-	-	-	-	-	10.5	75.2	616
उड़ीसा	3358	2354.6	-29.9	3548.7	809.1	338.6	2113	2267.4	7.3
पश्चिम बंगाल	4018.8	2875.4	-29.6	3475.9	2732	-27.2	2391.7	1006.8	-57.9
सिक्किम	351.4	78.6	-77.6	186.1	71.8	159.2	107.7	47.8	-55.6
उत्तर प्रदेश	293.2	455.4	55.3	454.8	615.3	26.1	265.1	237.6	-10.4
आंध्र प्रदेश	861.3	1325	53.8	1260.3	1721.6	26.8	769.1	702.9	-8.6
असम	326	493.6	51.4	659.3	665.8	1.0	450.8	449.5	-0.3
मध्य प्रदेश	1468.4	2100.9	43.1	1624.8	2024.2	19.7	1187.7	1243.9	4.7
गुजरात	259.7	370.5	42.7	287.7	356.7	19.3	201.8	214.3	6.2
केरल	234	356.8	52.5	386.4	590.9	34.6	418.5	439.4	5.0
तमिलनाडु	444.6	675.6	52.0	686.7	923.1	25.6	468.2	627.7	34.0
पांडिचेरी	-	-	-	-	-	-	27.3	41.6	52.4
कर्नाटक	427.5	653.8	52.9	633.5	864	26.7	453	934	106.2
हरियाणा	0	0	-	115.7	132.6	12.7	67.3	63.2	-6.1
चंडीगढ़	0	0	-	84.7	97.3	12.9	67.6	60	-11.2
जम्मू व कश्मीर	0	0	-	46.5	49.7	6.4	67.6	60	-11.2
राजस्थान	0	0	-	65.9	70.4	6.4	67.6	59.9	-11.4
हिमाचल प्रदेश	0	0	-	37.9	33.1	-14.5	67.6	60.1	-11.1
कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र स्टेशन	18540.7	18540.7	-	19396.3	19396.3	-	12994.6	12994.6	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अरुणाचल प्रदेश	206.7	108.5	-47.5	226.4	113	100.4	160.9	93.6	-41.8
असम	1350.2	1718.9	27.3	1432.6	1760.9	18.6	1081.5	1224.6	13.2
मणिपुर	437.2	449.8	2.9	464.1	436.3	-6.4	297.4	303	1.9
मेघालय	260.5	43	-83.5	269.5	135.3	-99.2	241.8	170.9	-29.3
मिजोरम	211.4	243.3	15.1	228.4	264.5	13.6	160.2	180.6	12.7
नागालैंड	241	227.1	-5.8	264	252.9	-4.4	181.1	180.2	-0.5
त्रिपुरा	354.5	270.9	-23.6	389.4	311.5	-25.0	272.3	242.3	-11.0
कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र स्टेशन	3061.5	3061.5	0.0	3274.4	3274.4	-	2395.2	2395.2	0.0

[हिन्दी]

सीमा पार से घुसपैठ

***33. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:**
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कश्मीर में और देश की अन्य सीमाओं पर सीमा पार से घुसपैठ में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष आतंकवादियों के घुसपैठ की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान दोनों तरफ से चली गोली के दौरान मारे गए तथा पकड़े गए आतंकवादियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) सीमा पार से घुसपैठ पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) विभिन्न एजेंसियों और सुरक्षा बलों द्वारा किए गए आकलन के अनुसार जनवरी-मार्च 2004 की तुलना में स्पष्टतया दरों के खुलने के साथ ही अप्रैल-जून 2004 के दौरान जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा/अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार से आतंकवादियों की घुसपैठ में वृद्धि हुई है। गत तीन वर्षों की घुसपैठ की घटनाओं और उनके प्रयत्नों को विफल करने/मारे गए आतंकवादियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

	2002	2003	2004 (जून के अंत तक)
घुसपैठ की घटनाओं की संख्या	164	138	30
विफल किए गए घुसपैठ के प्रयासों की संख्या	86	51	20
घुसपैठ के प्रयास विफल करने के दौरान मारे गए आतंकवादियों की संख्या	274	179	27

सरकार ने राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना और अंतर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण तथा निरंतर बदलते रहने वाले घुसपैठ के रास्तों के नजदीक बहुस्तरीय और बहुरूपात्मक तैनाती करना, सीमा पर बाड़ का निर्माण, सुरक्षा बलों द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकी हथियारों और उपकरणों का प्रयोग, घुसपैठ रोकने की उन्नत आसूचना और आपरेशनल समन्वय और विशिष्ट आसूचना प्रवाह के समन्वित आतंकवाद विरोधी उपाय सुनिश्चित करना साथ ही साथ शामिल हैं। घुसपैठ-विरोधी प्रयासों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

असम में उग्रवाद

***36. श्री सर्वानन्द सोनोवाल:**
श्री खीरेन रिजीजू:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेषकर असम में, सक्रिय विभिन्न उग्रवादी गुटों से बातचीत करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बातचीत देश में अथवा विदेश में होने की संभावना है; और

(घ) बातचीत किस आधार पर होगी और इसका ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) सरकार ने पूर्वोत्तर में सभी उग्रवादी ग्रुपों से हिंसा का मार्ग त्यागने तथा शांति वार्ता के लिए आगे आने की अपील की है।

जबकि नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैंड (इसाक/मुविवाह ग्रुप) (एन.एस.एन.सी.आई./एम.) से शांति वार्ता चल रही है। नागालैंड में एन.सी.सी.एन. (आई/एम), एन.एस.सी.एन. (खापलांग), त्रिपुरा में नेशनल लिब्रेशन फ्रंट आफ त्विप्रा (नयनबासीग्रुप), असम में युनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सालिडेरिटी (यू.पी.डी.एस.), दीमा हालाम दावोगाह (डी.एफ.डी.) के साथ विद्रोही गतिविधियों का निलम्बन/युद्ध विराम लागू है इसके अतिरिक्त, असम में बोडो लिब्रेशन टाइगर्स तथा त्रिपुरा में नेशनल लिब्रेशन फ्रंट आफ त्विप्रा (कमानी-मान्टु कोलोई ग्रुप) के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है।

शांति वार्ताएं भारत के संविधान के दायरे के भीतर, देश के अंदर, बिना शर्त तथा भारत सरकार, राज्य सरकार तथा संबंधित उग्रवादी ग्रुप के प्रतिनिधियों को शामिल करके आयोजित की जाती है तथापि, युनाइटिड लिब्रेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) तथा असम में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैंड ने अब तक शांति वार्ताओं के प्रति दुराग्राही रुख प्रदर्शित किया है।

स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा

***37. श्री उदय सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने किसी निजी अभिकरण तथा एक विदेशी विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को स्कूलों की पाठ्य पुस्कों की समीक्षा का कार्य सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को विदेशी अभिकरणों को सौंपने के कारण और औचित्य क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में एनसीईआरटी की किताबों के स्थान पर एससीईआरटी की किताबों को लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कश्मीर मुद्दे पर शांति वार्ता

***38. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू-कश्मीर में सक्रिय हुर्रियत और अन्य समूहों के साथ बातचीत करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद पर सरकार का क्या रुख है;

(घ) क्या जम्मू-कश्मीर में हाल ही के दिनों में उग्रवादी गतिविधियां बढ़ी हैं;

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 2003-04 के दौरान और आज तक कितनी घटनाएं हुई हैं;

(च) ऐसी प्रत्येक घटना में कितने अर्द्ध-सैनिक बलों के जवान/नागरिक/पर्यटक घायल हुए/मारे गए;

(छ) उक्त अवधि के दौरान कितने उग्रवादी गिरफ्तार किए गए/मारे गए;

(ज) ऐसी घटनाओं के पश्चात् केन्द्रीय दलों द्वारा किए गए दौरों का ब्यौरा क्या है; और

(झ) सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में उग्रवादी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। सरकार लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार के साथ परामर्श करके जम्मू और कश्मीर में सभी ग्रुपों के साथ तथा विभिन्न प्रकार के मतों के साथ बातचीत को निरन्तर आगे बढ़ाना चाहती है।

(ग) सरकार जम्मू और कश्मीर राज्य में आतंकवाद से निपटने और शांति बहाली के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाती आ रही है। रणनीतियों के मुख्य आयामों में, अन्य बातों के साथ-साथ (1) सीमा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण और जम्मू और कश्मीर के आतंकवादियों के विरुद्ध प्रतिकारी कार्रवाई (2) आर्थिक विकास को तेजी प्रदान करना, और (3) लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार के साथ परामर्श करके राज्य में सभी ग्रुपों के साथ और विभिन्न प्रकार के मतों के साथ बातचीत को निरन्तर आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहना।

(घ) चालू वर्ष के प्रथम पांच महीनों के दौरान, आतंकवाद हिंसा की घटनाओं में गत वर्ष की इसी अवधि के तुलना में 12 प्रतिशत की गिरावट आई है।

(ङ) से (छ) जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है वर्ष 2003 और (जून 15 तक) के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

	वर्ष 2003	15 जून, 2004 तक
घटनाएं	3401	1224
मारे गए सिविलियन	795	328
घायल सिविलियन	1546	757
मारे गए पर्यटक	–	5
घायल पर्यटक	–	17
केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के मारे गए जवान	258	105
घायल जवान	814*	355*
मारे गए उग्रवादी	1494	455
गिरफ्तार उग्रवादी	434	99

*जम्मू और कश्मीर के पुलिस कार्मिक, विशेष पुलिस अधिकारी और ग्राम रक्षा समिति के सदस्य सम्मिलित हैं।

(ज) केन्द्रीय टीमें सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए प्राय: राज्य का दौरा करती रही हैं। इस अवधि के दौरान मुख्य घटनाओं के पश्चात चार दौरे किए गए हैं। केन्द्रीय टीम द्वारा 2003 में एक दौरा किया गया जबकि वर्ष 2004 में अभी तक ऐसे तीन दौरे किए गए हैं।

(झ) सरकार ने, विशेष रूप से, जम्मू और कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना और घुसपैठ को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा के साथ-साथ और घुसपैठ के हमेशा बदलते रहने वाले रास्तों के नजदीक बहुस्तरीय और बहु रूपात्मक तैनाती करना, सीमा पर बाड़ निर्माण, सुरक्षा बलों द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियारों और उपकरणों का प्रयोग, घुसपैठ रोकने के लिए उन्नत आसूचना और आपरेशनल समन्वय और आसूचना का परस्पर आदान-प्रदान, राज्य के भीतर आतंकवादियों के विरुद्ध प्रतिकारी कार्रवाई आदि शामिल।

आतंकवाद विरोधी प्रयासों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए विशेष पैकेज

*40. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तीव्र ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु विशेष पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार, 5 वर्षों में सभी परिवारों का विद्युतीकरण किया जाना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यनीति तैयार की गई है, जो निम्नानुसार है:

(1) रूरल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बैक बोन (आरईडीबी), 33/11 केवी सब-स्टेशनों की स्थापना, जिसमें प्रत्येक ब्लाक में कम-से-कम एक सब-स्टेशन हो, जो राज्य पारेषण प्रणाली के नेटवर्क से जुड़ा हो।

(2) प्रत्येक गांव में कम-से-कम एक ट्रांसफार्मर के साथ वितरण ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता के माध्यम से विलेज इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (वीईआई) तैयार करना।

(3) विलेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों से गैर-विद्युतीकृत परिवारों का ग्राम परिवार विद्युतीकरण।

(4) ऐसे गांवों के लिए विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन प्रणाली, जहां ग्रिड कनेक्टिविटी या तो संभव नहीं है अथवा किफायती नहीं है।

उपर्युक्त कार्यनीति के आधार पर, योजना का विवरण और राज्य-वार निधियों की आवश्यकताओं के मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है।

औषधि नियंत्रण मशीनरी का केन्द्रीयकरण

176. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में औषधि नियंत्रण मशीनरी का केन्द्रीयकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे सभी राज्यों में कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) से (ग) सरकार ने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी पी सी ओ, 1995) के तहत अन्य बातों के साथ-साथ समय-समय पर प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों में यदि कोई परिवर्तन हो, मूल्य निर्धारित करने और अधिसूचित करने के लिए राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) नामक अधिकार प्राप्त एक विशेषज्ञ निकाय का गठन किया है। एन पी पी ए द्वारा अधिसूचित/निर्धारित मूल्य देश के सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के विनिर्माताओं/आयातकों पर लागू हैं।

पानी की पुरानी पाइप लाइनों का बदला जाना

177. श्री एस. अजय कुमार: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में विद्यमान अधिकांश पुरानी पानी की पाइप लाइनों के पुराने पड़ जाने और स्वास्थ्य के लिए इनके खतरनाक साबित होने के कारण पेयजल हेतु पुरानी पानी की लाइनों की जगह नई पाइपलाइनों को लगाने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या हाल ही में दिल्ली में पीलिया और अन्य जल जनित रोगों की निरंतर घटनाओं की मिली सूचनाओं के मद्देनजर यहां पेयजल के मानकों की देखरेख के लिए कोई मानीटरिंग सिस्टम विद्यमान है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि वे पुरानी और खराब हो चुकी पानी की पाइपलाइनों के स्थान पर केन्द्रीय जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन (सीपीएचईईओ) के मानकों और स्थलीय अपेक्षाओं के अनुसार नई सी आई पानी की पाइपलाइनें लगा रहे हैं।

(ख) दिल्ली जल बोर्ड एक निदेशक (शोधन एवं गुणवत्ता नियंत्रण) की अगुवाई में एक गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के साथ एक विस्तृत मानीटरिंग तंत्र रखता है।

(ग) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि सभी जल शोधन संयंत्रों पर लेबोरेट्रियां मौजूद हैं, जहां आपूर्ति से पूर्व पानी के सैम्पल की जांच की जाती है। इसके अलावा, समूची दिल्ली में विभिन्न स्थानों से जांच हेतु प्रतिदिन करीब 300 सैम्पल लिए जाते हैं।

पवन चक्कियों को बंद किया जाना

178. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी महाराष्ट्र में मानसून में पवन चक्कियों को बंद किए जाने को लेकर वहां आंदोलन हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार तथ्यों का पता लगाने के लिए एक साईंटिफिक कमेटी गठित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ग) आन्दोलन इस पूर्व धारणा पर आरंभ हुआ कि पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ जिलों में संस्थापित पवन चक्कियों से उस क्षेत्र में वर्षा पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है। महाराष्ट्र

सरकार ने उपर्युक्त क्षेत्र में वर्षा पर पवन चक्कियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की है जिसका निष्कर्ष है कि पवन चक्कियों से उस क्षेत्र की वर्षा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ है। क्षेत्र के लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए उक्त समिति के निष्कर्षों के बारे में स्थानीय समाचार-पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

(घ) और (ङ) महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिमी महाराष्ट्र के सहयाद्री पठार में संस्थापित पवन चक्कियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए निदेशक, भारतीय उष्णकटिबंधी मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे की अध्यक्षता में मौसम विज्ञान, बादल भौतिकी, पवन ऊर्जा और वायु अंतरिक्ष अभियांत्रिकी के क्षेत्रों से सात विशेषज्ञों की एक अन्य समिति नियुक्त की है।

डी.पी.ई.पी.

179. श्री परसुराम माझी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डी.पी.ई.पी. के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में और विशेषकर उड़ीसा के केबीके जिलों में इसका कार्य निष्पादन कैसा रहा है; और

(ग) डी.पी.ई.पी. को प्रत्येक राज्य में विशेषकर पिछड़े जिलों में कारगर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) इस समय जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम देश के 9 राज्यों में संचालित किया जा रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत जिलों के चयन हेतु मानदण्डों में यह सुनिश्चित किया जाता है कि उन जिलों का इस कार्यक्रम के तहत चयन किया जाए जहां महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है और जहां संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम सफल रहे हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भारत सरकार और बाह्य निधियन एजेंसियों द्वारा संयुक्त समीक्षा मिशनों के तंत्र के माध्यम से आवधिक समीक्षा की जाती है। इन समीक्षाओं से स्पष्ट हुआ है कि इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप नामांकन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, अधिगम स्तरों में सुधार हुआ है और इस कार्यक्रम में समुदाय की सहभागिता में वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत निधियों के उपयोग की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण I में और उड़ीसा के आठ के.बी.के. जिलों की स्थिति संलग्न विवरण II में दर्शाई गई है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत निधियों के उपयोग की राज्यवार स्थिति

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	निधियों का उपयोग		
		2001-02	2002-03	2003-04
1.	आंध्र प्रदेश	8203.56	10164.35	10813.84
2.	बिहार	4935.91	4052.85	4836.98
3.	झारखंड	1663.50	5025.55	7184.48
4.	राजस्थान	8431.20	13508.76	18690.86
5.	उत्तर प्रदेश	39807.91	27491.83	17262.71
6.	उत्तरांचल	1649.72	1793.15	2023.80
7.	पश्चिम बंगाल	4358.39	6637.09	5854.72
8.	उड़ीसा	5747.84	8175.75	6598.44
9.	गुजरात	2047.54	3012.09	4431.84

विवरण II

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत उड़ीसा के के.बी.के. जिलों में निधियों के उपयोग की जिलावार स्थिति

(रु. लाख में)

कार्यक्रम का नाम	उपयोग		
	2001-02	2002-03	2003-04 (जून, 2003 तक)
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चरण-1 (3 जिले) (परियोजना जून, 2003 को समाप्त)	2281.94	2737.57	1143.13
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चरण-2 (5 जिले)	2569.74	4343.73	3421.48

उड़ीसा के के.बी.के. जिलों के प्रगति संकेतक

खोले गये नए प्राथमिक स्कूल	669
प्रशिक्षित किये गये शिक्षक	14883
नियुक्त किये गये शिक्षाकर्मी (पैराटीचर्स)	5734
नि:शुल्क वितरित पाठ्य पुस्तकों की संख्या (प्राथमिक)	2362000
खोले गये शैक्षिक गारंटी केंद्रों की संख्या (प्राथमिक स्तर)	5643

द्वारका के लिए पहुंच मार्गों का विकास

180. श्री एस.पी.वाई. रेड्डी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) द्वारका टाउनशिप के लिए सभी दिशाओं से पहुंच मार्गों के विकास के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सब-सिटी को कब तक पूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान किए जाने की संभावना है जिससे कि इसे दिल्ली के विभिन्न मार्गों से सुगम बनाया जा सके?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि द्वारका उप नगर में आवागमन में सुधार के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिसमें निम्नलिखित संपर्क सड़कों के निर्माण के साथ-साथ मैट्रो रेल परियोजना का कार्यान्वयन शामिल है:-

(1) रेवाड़ी रेल लाइन के नीचे अधोसेतु मार्ग वाली 60 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण जो शिवमूर्ति के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-8 को सेक्टर-22 द्वारका से जोड़ेगी।

(2) पालम घरेलू हवाई अड्डे के निकट से 45 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण जो दिल्ली छावनी से होकर जाएगी और पालम रेलवे स्टेशन के निकट रेवाड़ी रेललाइन पर इसमें एक फ्लाईओवर होगा।

(3) पालम नाले को ढककर पंखा रोड की तरफ (जनकपुरी की तरफ) से संपर्क मार्ग।

(4) बाराखंभा रोड-कनाट प्लेस-द्वारका कोरीडोर (दिल्ली मेट्रो की लाइन 3)।

ये निर्माण कार्य के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें पूर्ण करने की निर्धारित तारीख दिसंबर 2005 है।

नजफगढ़ सड़क से एक 60 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया जा चुका है जो द्वारका की पश्चिमी परिसीमा है और जनता वर्तमान में इसका उपयोग कर रही है।

[हिन्दी]

गरीबों के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन

181. श्री सुरेश चन्देल: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गरीबों की दशा सुधारने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा देशभर में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन से देश में गरीबी का उन्मूलन हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो यह किस सीमा तक हुआ है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जहां तक शहरी रोजगार तथा गरीबी उपशमन मंत्रालय का संबंध है, यह मंत्रालय 1.12.1997 से स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, जो केन्द्र प्रायोजित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम है, को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वित करता आ रहा है। इस योजना को चलाने का उद्देश्य शहरी बेरोजगार अथवा अल्प रोजगार प्राप्त उन गरीबों को, जिन्होंने नौवीं कक्षा तक पढ़ाई की हो, पहले स्वरोजगार उद्यम की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित करके और फिर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु उनके श्रम का उपयोग करके उन्हें मजदूरी पर रखकर लाभकर रोजगार मुहैया कराना है। इसके अतिरिक्त शहरी गरीब लोगों की स्थिति को बेहतर बनाने की दृष्टि से बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना, राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास जैसे अन्य कार्यक्रम भी जोर-शोर से चलाए जा रहे हैं। शहरी गरीबों की स्थितियों में सुधार लाने के लिए बाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे), राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास जैसे अन्य कार्यक्रमों को सशक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) मार्च, 2004 तक की अवधि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों द्वारा 613982 माइक्रो उद्यम स्थापित किए गए हैं, 609575 लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा देश में उनके लिए 490.84 लाख कार्य दिवस सृजित किए गए हैं। वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत स्लमों में रह रहे शहरी गरीबों के लिए 2,46,035 रिहायशी इकाइयां और 29,263 सामुदायिक शौचालय सीटें उपलब्ध करायी गई हैं। राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, 3.72 करोड़ स्लम वासियों को लाभ प्रदान किया गया है जिन्हें जल आपूर्ति, सफाई, सामुदायिक स्नानघर, सामुदायिक शौचालय, पथ प्रकाश और मौजूदा मार्गों को चौड़ा और पक्का करने जैसी मूलभूत बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इन स्कीमों के कार्यान्वयन में शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा किए गए सशक्त प्रयासों को ध्यान में रखते हुए शहरी गरीब काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं।

[अनुवाद]

हल्दिया पेट्रो-केमिकल्स प्रोजेक्ट का आधुनिकीकरण

182. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट के आधुनिकीकरण और विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संयंत्र की वर्तमान क्षमता कितनी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हल्दिया पेट्रोरसायन परियोजना केन्द्रीय सरकार का सरकारी क्षेत्र का उद्यम नहीं है और इसलिए सरकार की इस संबंध में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

(घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

हल्दिया पेट्रोरसायन परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता

उत्पाद का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मी. टन) (31.3.2004 की स्थिति के अनुसार)
इथाइलीन	520,000
प्रोपीलीन	260,000
एचडीपीई	300,000
एलएलडीपीई	260,000
पीपी	300,000
पाइरोगेसोलिन	150,000
बेंजीन	85,000
बूटाडीन	82,000
सी6 रेफिनेट	47,000
सीबीएफएस	66,000
सी4 एलपीजी	143,000

टी.बी. की दवाओं के लिए यूपीडीपीएल को वित्तीय पैकेज

183. श्री अधीर चौधरी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टीबी की दवाओं के निर्माण के लिए कच्ची सामग्रियों की आपूर्ति हेतु लघु औषधि निर्माताओं के बकायों के भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश ड्रग फार्मास्युटिकल लिमिटेड (यूपीडीपीएल) को कोई वित्तीय पैकेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लघु उद्योग इकाइयों को इन बकायों का भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है कि पैकेज को बिना किसी विलम्ब के पूरी तरह क्रियान्वित किया जाए?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) से (ङ) सरकार ने टीबी की दवाइयों के विनिर्माण

के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के लिए लघु उद्योग औषध विनिर्माताओं को बकाया भुगतान हेतु यू.पी.डी.पी.एल. को कोई विशिष्ट वित्तीय पैकेज नहीं दिया है। तथापि, यू.पी.डी.पी.एल. के पुनर्वास के लिए बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित योजना की शर्तों के अनुसार भारत सरकार ने बैंकों की बकाया राशि के एकमुश्त निपटारे, वैधानिक बकाया और अन्य तात्कालिक देयताओं का भुगतान करने के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि जारी की है।

आतंकवादियों की सम्पत्तियों को जब्त किया जाना

184. श्री बी. विनोद कुमार: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न आतंकवादी संगठनों की सम्पत्तियों को जब्त करने के अमेरिकी और यूनाइटेड किंगडम के निर्णयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) आज की तारीख में सरकार द्वारा किन-किन आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि आतंकवादियों के नेटवर्क को समाप्त किया जा सके?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे विदेशी आतंकवादी संगठनों के नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित 32 संगठनों के नाम संलग्न विवरण-II में हैं।

(घ) केन्द्र सरकार आतंकवाद के प्रतिरोध के लिए एक रणनीति निरंतर जारी रखे हुए हैं जिसमें वार्ता, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया और विधि सम्मत शासन को प्रमुखता देने के साथ-साथ घुसपैठ रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करने, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाने, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी हथियार तथा उकरण प्रदान करना, आतंकवादियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई करना तथा वैश्विक आतंकवाद से लड़ने के लिए द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग शामिल है।

विवरण I

उन विदेशी आतंकवादी संगठनों की सूची जिनकी परिसम्पत्तियों को यू.एस. और यू.के. ने फ्रीज करने का निर्णय लिया है

1. अबु निदल आर्गेनाइजेशन
2. अफगान सुपोर्ट कमेटी
3. अल-अक्स फाउंडेशन
4. अल-अक्स मार्ट्यर्स ब्रिगेड
5. अल-तकफीर एंड अल-हिजरा
6. अंसार अल-इस्पात
7. एयूएम शिनरिकयो
8. बब्बर खालसा
9. बसक्यू फादरलैंड एंड लिबर्टी
10. बेनेवोलेन्स इंटरनेशनल फाउंडेशन
11. बेनेवोलेन्स इंटरनेशनल फंड
12. बोसन्सका आइडियल्ना फ्यूटूरा
13. काम्यूनिस्ट पार्टी आफ दि फिलिपिन्स
14. कनट्यूनिटी आइरिश रिपब्लिकन आर्मी
15. गामा ए अल-इस्लामिया
16. ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन, आई.एन.सी.
17. ग्रेट इस्लामिक इस्टर्न वेरिअर्स फ्रंट
18. हमास
19. हमास-इज्ज अल-दीन अल-कासिम
20. हिजबल्लाह एक्सटर्नल सिक्यूरिटी आर्गेनाइजेशन
21. होलीलैंड फाउंडेशन फार रिलीफ एंड डेवलपमैंट
22. इंटरनैशनल सिख यूथ फेडरेशन
23. इस्लामिक इंटरनेशनल ब्रिगेड
24. जेमाह इस्लामियाह
25. कहने चाई
26. कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी
27. लश्कर-ए-तैयबा
28. लश्कर-आई-झंग्वी
29. लिब्रेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम
30. लोयेलिस्ट वालन्टियर फोर्स
31. मुजाहिद्दीन-ई-खल्क आर्गेनाइजेशन

32. नेशनल लिब्रेशन आर्मी
33. न्यू पीपल्स आर्मी
34. आरेन्ज वालन्टियर्स
35. पेलिस्ताइन लिब्रेशन फ्रंट
36. पेलिस्ताइन इस्लामिक जेहाद
37. पोपुलर फ्रंट फार दि लिब्रेशन आफ पेलिस्ताइन
38. पोपुलर फ्रंट फार दि लिब्रेशन आफ पेलिस्ताइन-जनरल कमांड
39. रिअल इरा
40. रेड हैंड डिफेन्डर्स
41. रिवाइवल आफ इस्लामिक हेरिटेज सोसाइटी
42. रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सिज आफ कोलम्बिया
43. रिवोल्यूशनरी न्यूक्ली
44. रिवोल्यूशनरी आर्गेनाइजेशन 17 नवम्बर
45. रिवोल्यूशनरी पीपल्स लिब्रेशन आर्मी
46. रियादूस-सलीखीन रीकान्नईसन्स एंड सेबोटेज बटालियन आफ चेचेन मार्ट्यर्स
47. शिनिंग पाथ
48. स्पेशल परपस इस्लामिक रेजीमेंट
49. दि एड आर्गेनाइजेशन आफ दि उलेमा, पाकिस्तान
50. उल्सटर डिफेंस एसोसिएशन
51. उम्माह तमीर ए-नाऊ
52. यूनाइटिड सेल्फ डिफेंस फोर्सिज आफ कोलम्बिया
53. बाल्डेनबर्ग, ए.जी.
54. अबू सय्याफ ग्रुप
55. अफगान सुपोर्ट कमेटी
56. अकीदा बैंक प्राइवेट लिमिटेड
57. अकीदा इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड
58. अल बराका एक्सचेंज एल.एल.सी.
59. अल फुरकान
60. अल कायदा
61. अल रशीद ट्रस्ट
62. अल-बराकात
63. अल-बराकात बैंक
64. अल-बराकात वाइरिंग सर्विस
65. अल-बराकात बैंक आफ सोमालिया
66. अल-बराकात फाइनेंस ग्रुप
67. अल-बराकात फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी
68. अल-बराकात ग्लोबल टेलिकाम्यूनिकेशन्स
69. अल-बराकात ग्रुप आफ कंपनीज सोमालिया लिमिटेड
70. अल-बराकात इंटरनेशनल
71. अल-बराकात इनवेस्टमेन्ट्स
72. अल-हमाती स्वीट्स बेकरीज
73. अल-हरामेन एंड अल मस्जिद अल-अक्स चेरेटी फाउंडेशन
74. अल-हरामेन फाउंडेशन (इंडोनेशिया)
75. अल-हरामेन फाउंडेशन (पाकिस्तान)
76. अल-हरामेन इस्लामिक फाउंडेशन
77. अल-हरामेन इस्लामिक फाउंडेशन
78. अल-हरामेन फाउंडेशन (केन्या)
79. अल-हरामेन फाउंडेशन (तन्जानिया)
80. अल-इतिहाद अल-इस्लामिया/ए.आई.ए.आई.
81. अल-जेहाद
82. अल-नूर हनी प्रैस शाप्स
83. अल-शिफा, हनी प्रैस फार इंडस्ट्री एंड कामर्स
84. अंसार अल-इस्लाम
85. सशस्त्र इस्लामिक ग्रुप
86. असत ट्रस्ट रजि.
87. अस्बत अल-अंसार
88. बा तक्वा फार कामर्स एंड रियल एस्टेट कम्पनी लिमिटेड

89. बैंक अल तक्वा लिमिटेड
90. बारका ट्रेडिंग कम्पनी
91. बाराकात बोस्टन
92. बाराकात निर्माण कम्पनी
93. बाराकात ग्रुप आफ कम्पनी
94. बाराकात इन्टरनेशनल
95. बाराकात इन्टरनेशनल फाउन्डेशन
96. बाराकात इन्टरनेशनल आई एन सी
97. बाराकात नार्थ अमेरिका, आई एन सी
98. बाराकात रेड सी टेलीकम्यूनिकेशन्स
99. बाराकात टेलीकम्यूनिकेशन्स कम्पनी सोमालिया, लिमिटेड
100. बाराकात वायर ट्रांसफर कम्पनी
101. बाराकात बैंक एंड रेमिटेंसज
102. बाराकात कम्प्यूटर कंसलटिंग
103. बाराकात कंसलटिंग ग्रुप
104. बाराकात ग्लोबल टेलीफोन कम्पनी
105. बाराकात इन्टरनेशनल कम्पनीज
106. बाराकात पोस्ट एक्सप्रेस
107. बाराकात रिफ्रेशमेंट कम्पनी
108. बाराकात टेलीकम्यूनिकेशन्स कम्पनी लिमिटेड
109. बाराको ट्रेडिंग कम्पनी एल एल सी
110. बेनेवोलेंस इन्टरनेशनल फाउंडेशन
111. बेनेवोलेंस इन्टरनेशनल फंड
112. बोसानसका आइडिलना फ्यूटूरा
113. द अफगानिस्तान मुमताज बैंक
114. दजामत होउमत दावा सालाफिया
115. ग्लोबल रिलीफ फाउन्डेशन, आई एन सी
116. गल्फ सेन्टर एस.आर.एल.
117. हाराकत उल-मुजाहिद्दीन
118. हेयातुल उलया
119. इस्लामिक आर्मी आफ ऐडन
120. इस्लामिक इन्टरनेशनल ब्रिगेड
121. इस्लामिक मूवमेंट आफ उजबेकिस्तान
122. जेश-ए-मोहम्मद
123. जम याह ता बयूं अल-इस्लामिया
124. जेमाह इस्लामियाह
125. लाजनत अल दावा अल इस्लामियाह
126. लालशकर आई जांघवी
127. लिबियान इस्लामिक फाइटिंग ग्रुप
128. मखतब अल-खिदमात/अल किफा
129. मामून दाराजनली इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट कम्पनी
130. मीगा-मलेशियन स्विस, गल्फ एंड अफ्रीकन चैम्बर
131. मोरोक्कन इस्लामिक कोंबीटेंट ग्रुप
132. नाडा इन्टरनेशनल अंसतल्त
133. नाडा मेनजमेंट आर्गनाइजेशन एस ए
134. नासको बिजनेस रेजीडेंस सेंटर एस ए एस डी आई नसरद्दीन अहमद इदरिस इ सी
135. नासको नसरद्दीन होल्डिंग ए.एस.
136. नासकोसर्विस एस आर एल
137. नासकोटिक्स एस.ए.
138. नसरद्दीन कम्पनी नासको एस ए एस डी अहमद इदरिस नसरद्दीन इ.सी.
139. नसरद्दीन फाउंडेशन
140. नसरद्दीन ग्रुप इन्टरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड
141. नसरद्दीन इन्टरनेशनल ग्रुप लिमिटेड होल्डिंग
142. पार्का ट्रेडिंग कम्पनी
143. राबिटा ट्रस्ट
144. रेड सी बाराकत कम्पनी लिमिटेड
145. रिवाइवल आफ इस्लामिक हैरिटेज सोसाइटी

146. रियादस-सालीखिन रिकोनसेंशस एंड सबोटेज बटालियन आफ चेचन मार्टेरश

147. सालाफिस्ट ग्रुप फार काल एंड कोम्बेट

148. सोमली इन्टरनेशनल रिलीफ आर्गनाइजेशन

149. सोमली इन्टरनेट कम्पनी

150. सोमली नेटवर्क ए बी

151. स्पेशल परपज इस्लामिक रेजीमेंट

152. ताईबाह इन्टरनेशनल-बोस्निया आफसिस

153. द एड आर्गनाइजेशन आफ द उलेमा, पाकिस्तान

154. द ईस्टर्न तुर्कीस्तान इस्लामिक मूवमेंट

155. ट्यूनिशियन कोंबोटेंट ग्रुप

156. उम्माह तामीर इ-नाउ

157. वाफा ह्यूमिटेरियन आर्गनाइजेशन

158. वालदेनबर्ग ए.जी.

159. यूस्सेफ एम. नाडा

160. यूस्सेफ एम. नाडा एंड कम्पनी जिसेलेसचाफ्ट एम.बी.एच.

161. हिजबल्लाह (पार्टी आफ गाड)

162. अल-नूर हनी सेंटर

163. डारकजनली कम्पनी

विवरण II

पोटा के तहत प्रतिबंधित संगठनों की सूची

1. बब्बर खालसा इन्टरनेशनल

2. खालिस्तान कमाण्डो फोर्स

3. खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स

4. इन्टरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन

5. लश्कर-ए-तैयबा/पासबन-इ-अहले हदिस

6. जैश-ए-मोहम्द/तारिक-ए-फूरकन

7. हरकत-उल-मुजाहिद्दीन/हरकल-उल-अंसार/हरकत-उल जेहाद-ए-इस्लामी

8. हिजब-उलमुजाहिद्दीन/हिजब-उल-मुजाहिद्दीन पीर पंजाल रेजीमेंट

9. अल-उमर-मुजाहिद्दीन

10. जम्मू और कश्मीर इस्लामिक फ्रंट

11. यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट आफ असम (अल्फा)

12. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी)

13. पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पी एल ए)

14. यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यू एन एल एफ)

15. पीपुल्स रिवूलोशनरी पार्टी आफ कंगलेईपाक (प्रीपाक)

16. केनलेइपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के सी पी)

17. कंगलेई याओल कनबा लूप (के वाई के एल)

18. मणिपुर पीपुल्स लिब्रेशन फ्रंट (एम पी एल एफ)

19. आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स

20. नेशनल लिब्रेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा

21. लिब्रेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम (एल टी टी ई)

22. स्टूडेंटस इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया

23. दीनदार अंजुमन

24. कम्यूनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनीनिस्ट) पीपुल्स वार आल इटस फोरमेशनस एंड फ्रंट आर्गनाइजेशन

25. माओईस्ट कम्यूनिस्ट सेंटर (एम सी सी), आल इटस फोरमेशनस एंड फ्रंट आर्गनाइजेशन

26. अल बदर

27. जमाएते-उल-मुजाहिद्दीन

28. अल-कायदा

29. दक्तारान-ए-मिल्लत (डी इ एम)

30. तमिलनाडु लिब्रेशन आर्मी (टी एन एल ए)

31. तमिल नेशनल रिटरिवाइल ट्रूप्स (टी एन आर टी)

32. अखिल भारत नेपाली एकता समाज (ए बी एन इ एस)

बुक बैंकों की स्थापना

185. श्री ए.के. मूर्ति: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गरीब छात्रों को पुस्तकें मुहैया कराने के लिए प्रत्येक तालुका में शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से बुक बैंकों की स्थापना का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी बालिकाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को 150 रु. प्रति बच्चे की अधिकतम सीमा तक मुफ्त पाठ्य-पुस्तकें प्रदान की जा सकती हैं। इस समय, प्रत्येक तालुका में पुस्तक बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

प्राथमिक शिक्षा

186. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक विभिन्न राज्यों में अधिकांश बच्चे आज भी प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में, विशेषकर पश्चिम बंगाल में, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए सरकार तथा विदेशों से मिली सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस समय राज्य सरकारों द्वारा इस प्रयोजनार्थ कौन-कौन सी योजनाएं विकसित की जा रही हैं;

(ङ) प्रत्येक योजना की क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(च) सब को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) अनेक सामाजिक तथा आर्थिक अवधारक स्कूलों में बच्चों के नामांकन तथा उन्हें स्कूल में बनाये रखने को प्रभावित करते हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार राज्यों के साथ भागीदारी करके पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है।

(ङ) और (च) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत स्कूल की बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए 93,023 नये स्कूल खोलने, 4,57,892 शिक्षकों की नियुक्ति, 1,09,381 शिक्षण कक्षों, 50,992 स्कूल भवनों, 1,06,920 शौचालयों के निर्माण तथा 67803 पेयजल सुविधाओं का प्रावधान है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत 9 राज्यों के 129 जिलों, जहां परियोजना इस समय लागू की जा रही है, में 3710 स्कूल भवनों, 4853 अतिरिक्त शिक्षण कक्षों, 1285 संसाधन केंद्रों, 4373 शौचालयों, 2349 पेयजल सुविधाओं और 2337 मामलों में मरम्मत का कार्य चल रहा है।

[अनुवाद]

पवन ऊर्जा का उत्पादन

187. श्री अनन्त नायक: क्या **अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं योजना के दौरान पवन ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तटीय राज्यों विशेषकर उड़ीसा में पवन ऊर्जा का दोहन करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ग) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त संस्था, पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट), चैन्नई ने 10 राज्यों में लगभग 45,000 मेगावाट की कुल पवन विद्युत संभाव्यता का अनुमान लगाया है जिसमें से 1700 मेगावाट उड़ीसा (संलग्न विवरण) में है। दसवीं योजना के दौरान ग्रिड इंटरएक्टिव पवन विद्युत के लिए क्षमता संयोजन का लक्ष्य 1500 मेगावाट है। पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए त्वरित मूल्यह्रास, पवन टरबाईन

की कुछ मदों के आयात पर रियायती शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट जैसे प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाते हैं। विभिन्न राज्यों में पवन विद्युत के लिए अधिमान्य शुल्क दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए राज्यवार प्रशुल्क (दिनांक 31.03.2004 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	कुल संभाव्यता (मेवा.)	संस्थापित क्षमता (मेवा.)	व्हीलिंग 2%	बैंकिंग 12 माह	तीसरे पक्ष को बिक्री	खरीद-वापसी 2.25 रु./केडब्ल्यूएच	वार्षिक वृद्धि 5%
1.	आंध्र प्रदेश	8275	98.8	*	*	×	×	*1994-95
2.	गुजरात	9675	202.0	4%	6 माह	×	2.60 रु.	5 पैसे 2002-03
3.	कर्नाटक	6640	209.2	6-12%	*2% मासिक आधार पर	*	नई परियोजनाओं के लिए 3.10 रुपये	आधार शुल्क दर पर 2%
4.	केरल	875	2.0	5%	जून-फरवरी	×	2.80 रु.	2000-01 5 वर्षों के लिए
5.	मध्य प्रदेश	5500	22.6	*	×	*	*	×
6.	महाराष्ट्र	3650	407.4	*	*	*	*	1994-95
7.	उड़ीसा	1700	–	×	×	×	×	×
8.	राजस्थान	5400	178.5	*10%	*(कैलेंडर वर्ष आधार)	*	2003-04 में 3.32 रु.	वर्ष 2003-04 से 2% 2013-14 से 10 वर्षों के लिए 3.92 रु. निश्चित
9.	तमिलनाडु	3050	1361.6	5%	5%	×	2.70 रु.	कोई वृद्धि नहीं
10.	पश्चिम बंगाल	450	1.1	*	*6 माह	×	×	×

*स्वीकार्य
×स्वीकार्य नहीं

पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार के अवसर

188. श्री किरिप चालिहा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को अर्द्धसैनिक बलों के रोजगार में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्द्धसैनिक बलों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र से की गई भर्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय पुलिस बलों (सी पी एफ) में भर्ती संबंधित राज्य के जनसंख्या अनुपात के अनुसार की जाती है। सभी केन्द्रीय पुलिस बलों में पूर्वोत्तर राज्यों में भर्ती किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या ऐसे जनसंख्या अनुपात मानदण्डों के अनुसार है। तथापि, कुछ बलों में अधिक भर्ती की गई है और अन्य में कुछ कमी है।

(ग) वर्ष 2001 से 2003 के दौरान केन्द्रीय पुलिस बलों द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में की गई भर्ती के ब्यौरे दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(घ) भाग (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है। तथापि, राज्यों में भर्ती के कार्यक्रम का केन्द्रीय पुलिस बलों द्वारा प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है।

विवरण

पूर्वोत्तर राज्यों में 2001 से 2003 तक केन्द्रीय पुलिस बलों में की गई भर्तियां

राज्य का नाम	केन्द्रीय पुलिस बलों का नाम																		कुल
	सीमा सुरक्षा बल			केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल			भारत-तिब्बत सीमा पुलिस			केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल			एस.एस.बी.			असम राईफल्स			
	2001	2002	2003	2001	2002	2003	2001	2002	2003	2001	2002	2003	2001	2002	2003	2001	2002	2003	
अरुणाचल प्रदेश	20	12	05	44	89	103	-	-	-	03	-	7	-	-	-	182	252	180	897
असम	426	492	260	214	1807	2429	-	18	-	47	-	59	-	-	-	754	514	164	7184
मणिपुर	189	45	20	82	175	216	148	-	-	-	-	22	-	-	715	317	220	329	2478
मेघालय	27	31	13	84	164	207	-	18	-	3	-	5	-	-	-	214	3	175	944
मिजोरम	52	10	05	41	71	84	-	-	-	-	-	2	-	-	-	150	91	257	763
नागालैंड	02	18	09	101	122	278	-	15	-	-	-	6	-	-	-	557	293	408	1809
त्रिपुरा	246	58	36	95	259	291	-	5	-	-	-	53	-	-	-	384	109	249	1785
कुल	962	666	348	661	2687	3608	148	56	-	53	-	154	-	-	715	2558	1482	1762	15860

सुबनसिरी पनविद्युत परियोजना

189. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुबनसिरी पनविद्युत परियोजना समय से काफी पीछे चल रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है और इसके विलंब के कारण कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) इसके कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) जी, हां। अरुणाचल प्रदेश में नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) की सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना (200 मे.वा.) के क्रियान्वयन में दो माह का विलंब हुआ है। निम्नलिखित कार्य सौंपे जा चुके हैं जिनके लिए मोबलाइजेशन पूरा हो गया है।

(1) विपथन सुरंग, काफर बांध, कंक्रीट ग्रेविटी बांध, प्लंग पूल और कट आफ वाल के निर्माण कार्यों का ठेका लाट (एसएसआई-1) में दिया गया।

(2) हेड रेस टनल (एचआरटी), इनटेक स्ट्रेक्चर, एचआरटी, सर्ज चेम्बर, प्रेशर शाफ्ट, टेल रेस चेनल, प्रवेश द्वारों और भूमिगत विद्युत गृह के निर्माण कार्यों का ठेका लाट (एसएसआई-2) में दिया गया।

एनएचपीसी समय हानि को पूरा करने के सभी प्रयास कर रही है।

(ग) परियोजना को सितम्बर 2010 तक चालू करने का कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन करने वाली इकाइयां

190. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में कितनी विद्युत उत्पादक इकाइयां चल रही हैं और उनकी वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सभी इकाइयां सही तरीके से काम कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय क्षेत्र वाले स्टेशनों समेत 18 विद्युत उत्पादक स्टेशन हैं। ब्यौरा निम्नवत है-

स्टेशन का नाम	मानीटर की गई क्षमता (मेगावाट)
1	2
राज्य क्षेत्र	
ओबरा	1482
पनकी	242
हरदुआगंज बी	425
परीचा	220
अनपरा	1630
स्माल थर्मल	10
यूपीआरवीयूएनएल थर्मल	4009
रिहंद	300
ओबरा	99
माताटीला	30
गंगा नहर	24.8
खारा	72
उ.प्र. हाइडल	525.8
केन्द्रीय क्षेत्र	
सिंगरौली एसटीपीएस	2000
रिहंद	1000
ऊंचाहार	840
दादरी (एनसीटीपीपी)	840
टांडा	440
एनटीपीसी थर्मल	5120
औरैया जीटी	652
दादरी जीटी	817
एनटीपीसी जीटीजी	1469
एनपीसी	
नरौरा	440
कुल थर्मल	10598.0
कुल न्यूक्लीयर	440.0
कुल हाइड्रो	525.8
कुल जोड़	11563.8

(ख) और (ग) प्लांट रोड फैक्टर (पीएलएफ) ताप विद्युत उत्पादक यूनिटों के कार्य निष्पादन का एक सूचक है। अप्रैल-मई, 2004 के दौरान उत्तर प्रदेश में राज्य क्षेत्र के विद्युत स्टेशनों का पीएलएफ निम्नवत है-

स्टेशन का नाम	प्लांट रोड फैक्टर (%)
ओबरा	39.9
पनकी	56.5
हरदुआगंज (बी)	23.4
परिच्छा	58.4
अनपारा	78.8

उत्तर प्रदेश में जल विद्युत स्टेशन संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं।

(घ) भारत सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जीवन विस्तार कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन

निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) के साथ परामर्श करके ओबरा, पनकी और हरदुआगंज ताप विद्युत स्टेशनों में कुल मिलाकर 2060 मे.वा. क्षमता की 19 ताप विद्युत यूनिटों को अभिज्ञात किया है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन त्वरित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत रियायती ब्याज दरों पर निधियां प्रदान कर रहा है। जीवन विस्तार कार्य पूरा होने के पश्चात् इन यूनिटों के 75% से अधिक पीएलएफ पर कार्य करने की प्रत्याशा है और उनका कार्यशील जीवन भी 15-20 वर्ष बढ़ाने की प्रत्याशा है।

प्राकृतिक आपदा

191. **श्री शिवराज सिंह चौहान:**
डा. एम. जगन्नाथ:
श्री किरिप चालिहा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आदि से प्रभावित राज्यों को कोई सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से राज्यों को दी जाने वाली सहायता के लिए बनाए गए मार्गनिर्देशों/मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्यों द्वारा नकद या वस्तु के रूप में मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक प्रत्येक राज्यों को नकद अथवा वस्तु के रूप में कितनी सहायता प्रदान की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) राहत व्यय के वित्तपोषण हेतु मौजूदा योजना के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास उपाय करने के लिए मुख्य रूप से राज्य सरकारें जिम्मेवार हैं। भारत सरकार, जहां कहीं आवश्यक होता है, वित्तीय और संभारिकी सहायता प्रदान करके, राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है।

प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राहत और पुनर्वास हेतु दो योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। हरेक राज्य के लिए एक आपदा राहत निधि (सी आर एफ) स्थापित की गई है। सी आर एफ की समग्र निधि की मात्रा का निर्धारण वित्त आयोग द्वारा किया गया है। सी आर एफ की समग्र निधि का 75% अंशदान भारत सरकार करती है। राज्य सरकारों का अंशदान 25% है। सी आर एफ से सहायता के अनुमोदित मानदंडों और मदों के अनुसार राज्य सरकारों से प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ित व्यक्त को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए व्यय करने की अपेक्षा की जाती है। राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति, सी आर एफ स्कीम के तहत राहत व्यय के वित्तपोषण से संबंधित सभी मामलों पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत की गई है।

गंभीर किस्म की आपदा आने पर, राहत और पुनर्वास पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए जब कभी सी आर एफ में उपलब्ध निधियां पर्याप्त नहीं होती हैं तो राज्यों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन सी सी एफ) से वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। प्रक्रियानुसार, राज्य सरकारों को क्षति के सेक्टर-वार ब्यौरे और राहत अभियानों हेतु निधियों की आवश्यकताओं को दर्शाते हुए एक ब्यौरेवार ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है। राज्य सरकार से ज्ञापन प्राप्त होने पर, स्थिति का मौके पर आकलन और निधियों की आवश्यकता का पता लगाने हेतु एक अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल तैनात किया जाता है। केन्द्रीय दल के आकलन के आधार पर, एक अंतर-मंत्रालयी ग्रुप (आई एम जी) एन सी सी एफ से सहायता जारी करने की सिफारिश करता है। एक उच्चस्तरीय समिति, जिसके सदस्य गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं, राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार करती है और केन्द्रीय दल की रिपोर्ट, उस पर हुई आई एम जी की सिफारिशों, सहायता की अनुमोदित मदों और मानदंडों तथा सी आर एफ के अंतर्गत उपलब्ध निधियों के आधार पर एन सी सी एफ से सहायता की मात्रा के संबंध में निर्णय लेती है।

एन सी सी एफ से वित्तीय सहायता हेतु विभिन्न राज्यों से प्राप्त अनुरोधों पर निर्धारित प्रक्रियानुसार विचार किया जाता है। गत तीन वर्षों अर्थात् 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान और आज की तारीख तक सी आर एफ के आबंटन के राज्य-वार ब्यौरे और एन सी सी एफ से जारी सहायता की राशि दर्शाते हुए ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। उपर्युक्त अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदाओं हेतु आबंटित खाद्यान्नों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

वर्ष 2001-02 से 2004-05 के दौरान आपदा राहत निधि (सी आर एफ) के आबंटन और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से जारी सहायता का ब्यौरा

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	वर्षों के लिए सी आर एफ का कुल आबंटन				वर्षों के दौरान एन सी सी एफ से जारी कुल सहायता			
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	207.96	218.36	229.28	240.74	30.44	–	116.75	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	12.62	13.25	13.92	14.61	0	12.78	29.79	–
3.	असम	106.57	111.89	117.49	123.36	0	0	0	–
4.	बिहार	70.31	73.82	77.52	81.40	0	0	0	–
5.	छत्तीसगढ़	28.84	30.29	31.80	33.38	42.88	100.68	26.83	–
6.	गोवा	1.30	1.37	1.44	1.51	0	0	0	–
7.	गुजरात	169.47	177.94	186.84	196.18	994.37	23.29	32.41	–
8.	हरियाणा	85.37	89.64	94.12	98.83	0	0	2.20	–
9.	हिमाचल प्रदेश	45.66	47.94	50.34	52.86	61.48	14.05	0.30	–
10.	जम्मू और कश्मीर	36.65	38.48	40.40	42.42	23.20	0	0	–
11.	झारखण्ड	59.53	62.51	65.63	68.91	0	0	0	–
12.	कर्नाटक	78.30	82.21	86.32	90.64	0	196.88	316.47	–
13.	केरल	70.61	74.14	77.84	81.73	0	0	0	–
14.	मध्य प्रदेश	65.76	69.04	72.51	76.13	22.72	183.34	36.72	–
15.	महाराष्ट्र	165.06	173.32	181.98	191.08	0	20.00	77.46	165.33
16.	मणिपुर	3.01	3.16	3.32	3.49	0	7.07	0	–
17.	मेघालय	4.14	4.34	4.56	4.79	0	0	0	–
18.	मिजोरम	3.12	3.28	3.44	3.61	0	0	0	–
19.	नागालैंड	2.06	2.16	2.27	2.38	0	0	0	–
20.	उड़ीसा	114.94	120.69	126.72	133.06	114.62	21.84	104.43	–
21.	पंजाब	128.85	135.30	142.06	149.17	0	0	0	–
22.	राजस्थान	217.36	228.22	239.63	251.61	78.97	434.08	512.74	–

1		2	3	4	5	6	7	8	9
23.	सिक्किम	7.25	7.62	8.00	8.40	0	0	0	–
24.	तमिलनाडु	107.77	113.16	118.82	124.76	0	215.99	289.45	–
25.	त्रिपुरा	5.46	5.73	6.02	6.32	0	0	0	–
26.	उत्तर प्रदेश	153.59	161.27	169.33	177.81	0	310.06	41.87	–
27.	उत्तरांल	33.98	35.68	37.47	39.34	0	0	0	–
28.	पश्चिम बंगाल	106.16	111.47	117.04	122.89	0	0	0	–

विवरण II

काम के बदले भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यान्न (फूडग्रेन्स अंडर फूड फार वर्क प्रोग्राम) (एफ एफ डब्ल्यू पी)/प्राकृतिक आपदाओं हेतु एस जी आर वाई के विशेष घटक के आबंटन का राज्यवार ब्यौरा

(अनंतिम)
(लाख मिट्रिक टन में)

क्र.सं.	राज्य	2001-02 (जारी)	2002-03 (अगस्त, 2002 से जुलाई, 2003 तक)	2003-04 (अगस्त 2003 से जुलाई, 2004 तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	16.50	17.20	7.82
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	0.25
3.	असम	–	–	0.50
4.	बिहार	1.00	–	–
5.	छत्तीसगढ़	4.19	4.74	–
6.	गुजरात	0.58	3.06	–
7.	हरियाणा	–	0.25	–
8.	हिमाचल प्रदेश	–	0.10	–
9.	झारखण्ड	–	0.40	–
10.	कर्नाटक	1.00	7.20	7.29
11.	केरल	0.05	0.52	0.61
12.	मध्य प्रदेश	1.88	7.80	0.04
13.	महाराष्ट्र	1.40	2.32	7.0
14.	उड़ीसा	1.50	4.22	3.0
15.	राजस्थान	6.21	32.56	0.14
16.	तमिलनाडु	–	5.00	3.04
17.	उत्तरांचल	–	0.50	–
18.	उत्तर प्रदेश	–	2.00	–

पन विद्युत परियोजनाएं

192. डा. रामकृष्ण कुसमरिया:
श्री अनन्त नायक:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पन विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इस समय विद्युत की मांग कितनी है;

(ग) इस पर अनुमानित कितना व्यय होने की संभावना है;

(घ) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में निजी क्षेत्र का क्या योगदान है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 1987 में पूरे किए गए "देश की जल विद्युत क्षमता का पुनर्निर्धारण अध्ययन" के आधार पर देश की जल विद्युत क्षमता 60% भार घटक पर 84044 मेगावाट आंकी गई है। इसके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) प्रत्येक राज्य की वर्तमान विद्युत मांग के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) विद्युत क्षेत्र के लिए 10वीं योजना में 2,70,276.36 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, जिसमें से 1,77,050.64 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र में हैं।

(घ) और (ङ) 10वीं योजना के दौरान 41,110 मेगावाट क्षमता की अभिवृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। केन्द्रीय, राज्य एवं निजी क्षेत्र में 10वीं योजना में क्षमता अभिवृद्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

राज्यवार निर्धारित जल विद्युत क्षमता

क्षेत्र/राज्य	60% पर निर्धारित क्षमता लोड फैक्टर (मेगावाट)
1	2
उत्तरी	
जम्मू व कश्मीर	7487.00
हिमाचल प्रदेश	11647.00
पंजाब	922.00
हरियाणा	64.00
राजस्थान	291.00
उत्तरांचल	9341.00
उत्तर प्रदेश	403.00
उप जोड़ (उ.क्षे.)	30155.00
पश्चिमी	
मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़	2774.00
गुजरात	409.00
महाराष्ट्र	2460.00
गोवा	36.00
उप जोड़ (प.क्षे.)	5679.00
दक्षिणी	
आंध्र प्रदेश	2909.00
कर्नाटक	4347.00
केरल	2301.00
तमिलनाडु	1206.00
उप जोड़ (द.क्षे.)	10763.00
पूर्वी	
झारखंड	478.00
बिहार	60.00
उड़ीसा	1983.00
पश्चिम बंगाल	1786.00
सिक्किम	1283.00
उप जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	5590.0
उत्तर पूर्व	
मेघालय	1070.00
त्रिपुरा	9.00
मणिपुर	1176.00
असम	351.00
नागालैंड	1040.00
अरुणाचल प्रदेश	26756.00
मिजोरम	1455.00
उप जोड़ (उ.पू. क्षेत्र)	31857.00
अखिल भारत	84044.00

विवरण II

व्यस्ततमकालीन मांग/व्यस्ततमकालीन पूर्ति

(आंकड़े निवल मे.वा. में)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	मई 2004				अप्रैल-मई 2004			
	व्यस्ततम कालीन मांग (मे.वा.)	व्यस्ततम कालीन पूर्ति (मे.वा.)	अधिशेष/कमी(-) (मे.वा.)	(%)	व्यस्ततम कालीन मांग (मे.वा.)	व्यस्ततम कालीन पूर्ति (मे.वा.)	अधिशेष/कमी(-) (मे.वा.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	195	195	0	0	195	195	0	0
दिल्ली	3348	3332	-16	-0.5	3348	3332	-16	-0.5
हरियाणा	3248	3165	-83	-2.6	3248	3165	-83	-2.6
हिमाचल प्रदेश	578	578	0	0	615	615	0	0
जम्मू व कश्मीर	1207	1068	-139	-11.5	1207	1068	-139	-11.5
पंजाब	4872	4872	0	0	4872	4872	0	0
राजस्थान	3824	3824	0	0	3879	3879	0	0
उत्तर प्रदेश	7877	6268	-1609	-20.4	7877	6268	-1609	-20.4
उत्तरांचल	788	749	-39	-4.9	788	749	-39	-4.9
उत्तरी क्षेत्र	24247	22729	-1518	-6.3	24247	22729	-1518	-6.3
छत्तीसगढ़	1597	1498	-99	-6.2	1670	1558	-112	-6.7
गुजरात	9655	7181	-2474	-25.6	9655	7427	-2228	-23.1
मध्य प्रदेश	5670	4030	-1640	-28.9	5670	4030	-1640	-28.9
महाराष्ट्र	13064	10744	-2320	-17.8	14585	11483	-3102	-21.3
दमन व दीव	181	181	0	0	181	181	0	0
दादर और नागर हवेली	331	331	0	0	331	331	0	0
गोवा	332	332	0	0	334	334	0	0
पश्चिमी क्षेत्र	27835	22681	-5154	-18.5	29859	23380	-6479	-21.7
आंध्र प्रदेश	6916	6241	-675	-9.8	7156	7038	-118	-1.6
कर्नाटक	4705	4322	-383	-8.1	5927	5360	-567	-9.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
केरल	2427	2122	-305	-12.6	2427	2164	-263	-10.8
तमिलनाडु	6401	6390	-11	-0.2	7227	7149	-78	-1.1
पांडिचेरी	196	196	0	0	230	230	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	19236	18904	-332	-1.7	23075	21928	-1147	-5
बिहार	813	678	-135	-16.6	885	818	-67	-7.6
डीवीसी	1166	1086	-80	-6.9	1269	1180	-89	-7
झारखंड	536	454	-82	-15.3	561	520	-41	-7.3
उड़ीसा	2195	1900	-295	-13.4	2195	1929	-266	-12.1
पश्चिम बंगाल+सिक्किम	3852	3564	-288	-7.5	3852	3564	-288	-7.5
पूर्वी क्षेत्र	8224	7606	-618	-7.5	8286	7895	-391	-4.7
अरुणाचल प्रदेश	46	46	0	0	46	46	0	0
असम	659	539	-120	-18.2	659	589	-70	-10.6
मणिपुर	97	96	-1	-1	99	99	0	0
मेघालय	255	176	-79	-31	255	191	-64	-25.1
मिजोरम	69	59	-10	-14.5	69	59	-10	-14.5
नागालैंड	67	67	0	0	67	67	0	0
त्रिपुरा	161	127	-34	-21.1	161	127	-34	-21.1
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1211	1022	-189	-15.6	1225	1029	-196	-16
अखिल भारत	80753	72942	-7811	-9.7	85911	76246	-9665	-11.3

विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति

(आंकड़े मि.यू. निवल में)

राज्य/प्रणाली क्षेत्र	मई 2004				अप्रैल-मई 2004			
	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी(-) (मि.यू.)	(%)	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी(-) (मि.यू.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	103	103	0	0	197	197	0	0
दिल्ली	1958	1944	-14	-0.7	3729	3700	-29	-0.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा	1908	1854	-54	-2.8	3516	3402	-114	-3.2
हिमाचल प्रदेश	508	507	-1	-0.2	784	782	-2	-0.3
जम्मू व कश्मीर	850	841	-9	-1.1	1472	1455	-17	-1.2
पंजाब	2663	2659	-4	-0.2	4977	4920	-57	-1.1
राजस्थान	2380	2376	-4	-0.2	4715	4706	-9	-0.2
उत्तर प्रदेश	4309	3574	-735	-17.1	8064	6981	-1083	-13.4
उत्तरांचल	375	369	-6	-1.6	726	709	-17	-2.3
उत्तरी क्षेत्र	15054	14227	-827	-5.5	28180	26852	-1328	-4.7
छत्तीसगढ़	940	935	-5	-0.5	1922	1904	-18	-0.9
गुजरात	5147	4533	-614	-11.9	10452	9203	-1249	-11.9
मध्य प्रदेश	2652	2428	-224	-8.4	5535	4941	-594	-10.7
महाराष्ट्र	7654	6992	-662	-8.6	15681	14146	-1535	-9.8
दमन व दीव*	99	99	0	0	192	192	0	0
दादर और नगर हवेली	162	162	0	0	324	324	0	0
गोवा	181	181	0	0	344	344	0	0
पश्चिमी क्षेत्र	16835	15330	-1505	-8.9	34450	31054	-3396	-9.9
आंध्र प्रदेश	3875	3881	6	0.2	8188	8158	-30	-0.4
कर्नाटक	2643	2373	-270	-10.2	5793	5173	-620	-10.7
केरल	1006	986	-20	-2	2105	2051	-54	-2.6
तमिलनाडु	3472	3477	5	0.1	7737	7711	-26	-0.3
पांडिचेरी	122	122	0	0	262	262	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	11118	10839	-279	-2.5	24085	23355	-730	-3
बिहार	566	547	-19	-3.4	1121	1060	-61	-5.4
डीवीसी	729	723	-6	-0.8	1453	1437	-16	-1.1
झारखंड	291	284	-7	-2.4	565	557	-8	-1.4
उड़ीसा	1148	1137	-11	-1	2235	2208	-27	-1.2
पश्चिम बंगाल+सिक्किम	2035	2007	-28	-1.4	4080	4015	-65	-1.6
पूर्वी क्षेत्र	4769	4698	-71	-1.5	9454	9277	-177	-1.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अरुणाचल प्रदेश	13	13	0	0	26	26	0	0
असम	306	293	-13	-4.2	594	551	-43	-7.2
मणिपुर	40	39	-1	-2.5	77	73	-4	-5.2
मेघालय	98	85	-13	-13.3	201	166	-35	-17.4
मिजोरम	18	17	-1	-5.6	35	32	-3	-8.6
नागालैंड	28	28	0	0	49	48	-1	-2
त्रिपुरा	61	57	-4	-6.6	109	97	-12	-11
पूर्वोत्तर क्षेत्र	564	532	-32	-5.7	1091	993	-98	-9
अखिल भारत	48340	45626	-2714	-5.6	97260	91531	-5729	-5.9

विवरण III

10वीं योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य

	हाइड्रो	थर्मल	न्यूक्लीयर	समग्र
केन्द्रीय क्षेत्र	8,742	12,790	1,300	22,832
राज्य क्षेत्र	4,481	6,676	0	11,157
निजी क्षेत्र	1,170	5,951	0	7,121
समग्र	14,393	25,417	1,300	41,110

सरकारी परिसरों पर अतिक्रमण

193. श्री मुनव्वर हसन: क्या **शहरी विकास मंत्री** दिनांक 9.12.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1139 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सूचना कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) सैक्टर-डी, मन्दिर मार्ग स्थित सरकारी कालोनियों, जिनमें टाइप-2 और टाइप-3 क्वार्टर भी शामिल हैं, में भूतल स्थित क्वार्टरों के अधिकतर निवासियों ने अपने आवासीय परिसरों की प्राइवेसी बनाये रखने के लिये अपने क्वार्टरों से सम्बद्ध भूमि के चारों ओर बाड़/हैज/ग्रिल, आदि लगा दी हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा इस प्रकार की बाड़ लगाने का प्रावधान है और इसके लिये दखलकार को इस बाड़ की 10% लागत का भुगतान करना होता है। किसी अनधिकृत निर्माण अथवा अतिक्रमण से निपटने के लिये संशोधित नीति तैयार हो जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली नगर निगम की स्लम तथा जे जे शाखा द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि जी प्वाइंट, गोल डाकखाना स्थित लगभग 115 हटमेंटों पर अनधिकृत कब्जा है। उक्त फ्लैट केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीन नहीं हैं। अतिक्रमणकर्त्ता न्यायालय में चले गये हैं और अब यह मामला न्यायाधीन है। माननीय न्यायालय द्वारा मामले को निपटाए जाने के बाद ही इन फ्लैटों से अनधिकृत दखलकारों को हटाने हेतु और कार्रवाई की जाएगी।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजना स्थापित करने की स्वीकृति

194. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में कांचीपुरम जिले में स्थापित किए जाने वाले 1000 मेगावाट विद्युत परियोजना की स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (ग) एन.टी.पी.सी. ने तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के चैय्यूर में एक 1000 मे.वा. क्षमता की विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु स्थल विशेष अध्ययन कार्य और जांच कार्य कर लिए थे। एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि व कोयला उपलब्धता का पुष्टिकरण भी सिद्धान्त रूप में भी प्राप्त कर लिया गया है। तथापि, तटीय नियंत्रण क्षेत्र (सी आर जेड) स्वीकृति की अनुपलब्धता के कारण व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। परिणामस्वरूप एम ओ ई एफ ने प्रथम चरण (स्थल) की स्वीकृति प्रदान नहीं की है।

इसके मद्देनजर जब तक कि परियोजना के लिए सी आर जेड स्वीकृति और प्रथम चरण (स्थल) की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है एन.टी.पी.सी. इस प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है।

केरल में एल.एन.जी. टर्मिनल की स्थापना

195. **श्री पी.सी. थामस:**
श्री पी. राजेन्द्रन:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित एल.एन.जी. टर्मिनल की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या केरल में एल.एन.जी. टर्मिनल की स्थापना हेतु केरल सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या परियोजना के बारे में पेट्रोलियम मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के बीच समन्वय का अभाव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (च) चार सार्वजनिक क्षेत्र तेल कम्पनियों अर्थात् गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल), आयल एण्ड नैचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी एल), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) और इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल) द्वारा प्रोत्साहित मैसर्स पैट्रोनेट एल एन जी लिमिटेड, एक संयुक्त वेंचर कम्पनी ने कोची में एक 2.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एम एम टी पी ए) एल एल जी टर्मिनल स्थापित करने का निर्णय किया है। इसकी योजना एन टी पी सी के कायामकुलम विद्युत संयंत्र के प्रस्तावित विस्तार को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन टी पी सी) पहले से ही ब्रिज फ्यूल के रूप में नाफ्था का प्रयोग कर कायामकुलम में 350 मेगावाट के एक संयुक्त साइकल विद्युत संयंत्र का संचालन कर रहा है। इसके अलावा एन टी पी सी ने चरण-दो में 1950 मेगावाट क्षमता (नाममात्र) को जोड़कर इस संयंत्र के विस्तार की योजना बनाई है। परियोजना को सम्भावित फ्यूल के रूप में एल एन जी के साथ विकसित किया जाना प्रस्तावित है। एन टी पी सी ने उचित दरों पर विद्युत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सस्ती एल एन जी/प्राकृतिक गैस के स्रोतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली प्रक्रिया शुरू की है। यद्यपि बोलीकर्त्ता लिक्विड नेचुरल गैस (एल एन जी)/पुन: गैसीकृत इस लिक्विफाईड नेचुरल गैस (आर एल एन जी) की आपूर्ति के लिए किसी भी पोर्ट स्थान का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, फिर भी एन टी पी सी ने अपने बोली दस्तावेजों में कोची और कायामकुलम को दो व्यवहार्य पोर्ट स्थानों (दोनों ही केरल राज्य में) के रूप में दर्शाया है। प्रक्रिया की प्रतिक्रिया में, 16 पार्टियों को पहले से ही योग्य ठहराया गया है जिनमें औरो के साथ पेट्रोनेट एल एन जी लिमिटेड और गेल (इंडिया) लिमिटेड भी शामिल हैं।

केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने कोची एल एन जी टर्मिनल के शीघ्र शुरू किए जाने के लिए पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री को लिखा है।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र की कंपनियों के माध्यम से विद्युत वितरण

196. **श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":**
श्री नीतीश कुमार:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री दिनशा पटेल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत वितरण में शामिल निजी क्षेत्र की कंपनियों के नाम क्या हैं और किस दर पर विद्युत बेची जाती है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें वितरण में निजी क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं;

(ग) प्रत्येक निजी क्षेत्र की वितरक कंपनी को वार्षिक रूप से औसतन विद्युत की कितनी मात्रा उपलब्ध कराई जाती है;

(घ) क्या सरकार ने इन्हें विद्युत वितरण का भार सौंपने के बाद विद्युत आपूर्ति में सुधार करने के लिए कोई मूल्यांकन कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मूल्यांकन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अवैध आप्रवासी

197. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में अवैध आप्रवासी रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उनकी पहचान करने और अवैध आप्रवासियों को उनके देश वापस भेजने हेतु कोई प्राधिकरण गठित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार भारत में लगभग 46,818 विदेशियों की अवैध रूप से रहने की सूचना है। अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की सबसे अधिक संख्या, (26,490) असम में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में (11,122) और राजस्थान में (2,405) हैं।

(ग) से (ङ) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ग) में भारत सरकार को, भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने तथा उन्हें वापस उनके देश भेजने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसको अमल में लाने के उद्देश्य से उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत यह शक्ति राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों की हत्या

198. श्री पुन्नूलाल मोहले:
डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम शांडिल्य:
श्री एस.पी.वाई. रेड्डी:
श्री गुरुदास कामत:
श्री उदय सिंह:
श्री कमला प्रसाद रावत:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिल्ली अब अत्यधिक असुरक्षित हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आज की तिथि के अनुसार कितने मामले अनसुलझे पड़े हैं;

(घ) लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा दिल्ली वासियों के जान-माल की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) जी नहीं। तथापि विगत एक वर्ष (30 जून, 2003 से 29 जून, 2004 तक) के दौरान महिला वरिष्ठ नागरिकों सहित वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराध के 12 मामले सूचित किए गए। इन मामलों का ब्यौरा, गिरफ्तार किए गए अभियुक्त व्यक्तियों की संख्या तथा मामलों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) बकाया मामलों की जांच-पड़ताल तीव्रता से करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में मामलों की प्रगति का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिन प्रतिदिन आधार पर प्रबोधन, विदेशी मूल के अपराधियों को खोजने के लिए इन्टरपोल की सहायता

मांगना, पहचाने गए परन्तु अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए अभियुक्त व्यक्तियों को घोषित अपराधी घोषित करना तथा उनकी संपत्ति कुर्क करना शामिल है।

(ङ) दिल्ली वासियों की जान और माल की रक्षा करने के लिए उठाए गए कदमों में पी.सी.आर. वाहनों को बहुविध कार्य, पुलिस मुख्यालय में "वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ" स्थापित करना, आवास कल्याण संघों (रेसीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन) के साथ आपसी निकट संपर्क, बीट पैट्रोलिंग प्रणाली का प्रभावी उपयोग, घरेलू नौकरों के सत्यापन पर नए सिरे से बल दिया जाना शामिल है।

विवरण

क्र.सं.	मामले के ब्यौरे	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या	मामलों की स्थिति
1	2	3	4
1.	श्रीमती अमृत कौर, आयु 70 वर्ष, निवासी 25, जोरबाग, नई दिल्ली, की हत्या के संबंध में 29 अक्तूबर, 2003 को लोधी कालोनी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 256	4	विचारण हेतु लंबित
2.	श्रीमती स्वर्ण कांता मेहरा की अपने निवास सी-21, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली में हत्या के संबंध में 2 अगस्त, 2003 को ग्रेटर कैलाश पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/397 के अंतर्गत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 163	–	जांच-पड़ताल चल रही है।
3.	श्रीमती रावेल कुमारी ओबराय के निवास संख्या सी.जे.-15, लाजपत नगर-3, नई दिल्ली में हत्या के संबंध में 26 अगस्त, 2003 को लाजपत नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 585	–	निवाचरण हेतु लंबित
4.	श्री रघुबीर सिंह, निवासी एफ-15, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली, का उसके नौकर देवाशीष सरकार द्वारा अपने साथी प्रदीप दास की सहायता से उत्पीड़न के संबंध में 1 जनवरी, 2004 को हौज खास पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली में भारतीय दंडि संहिता की धारा 307/34 के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 1	2	विचारण हेतु लंबित
5.	राज रानी, आयु लगभग 70 वर्ष की हत्या के संबंध में 25 मार्च, 2004 को पुलिस स्टेशन, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/394 की धारा के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 144/04	2	विचारण हेतु लंबित
6.	लेफ्ट. जन. (सेवानिवृत्त) हरनाम सिंह सेठ (आयु 85 वर्ष) और उनकी पत्नी श्रीमती रूप सेठ (आयु 82 वर्ष) की वसन्त एनक्लेव में उनके घर में हत्या के बारे में 20 जून, 2004 को पुलिस स्टेशन, वसन्त विहार, नई दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/394 के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 226	2	जांच-पड़ताल चल रही है।
7.	श्री धर्म और श्रीमती संतोष मंगई की उनके बी-1/41, जनकपुरी, नई दिल्ली निवास पर हत्या के बारे में पुलिस स्टेशन जनकपुरी, नई दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 76	–	जांच-पड़ताल चल रही है।

1	2	3	4
8.	सुश्री सवित्री देवी चोपड़ा धर्मपत्नी दिवंगत श्री डी.आर. चोपड़ा की उनके निवास पर हत्या के बारे में पुलिस स्टेशन पटेल नगर, नई दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 397/302 के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 108	–	जांच-पड़ताल चल रही है।
9.	श्री आई.सी. जैन के 1, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली निवास पर चोरी के बारे में पुलिस स्टेशन कनाट प्लेस, नई दिल्ली में 25 अप्रैल, 2004 को भारतीय दंड संहिता की धारा 381 के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 217	–	जांच-पड़ताल चल रही है।
10.	शास्त्री नगर क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिक के नकदी, जेवरात और बैंक चेकों को लूटने के बारे में 26 सितम्बर, 2003 को पुलिस स्टेशन सराय रोहिल्ला, दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 394 के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 332	–	15 मार्च, 2004 को "पता न लगे" के रूप में भेजा गया।
11.	श्री चन्द्रभान बत्रा (79 वर्ष) की उनके मकान संख्या 602 दो मंजिल, राजेन्द्र नगर, दिल्ली में हत्या के बारे में 5 फरवरी, 2004 को पुलिस स्टेशन राजेन्द्र नगर, दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 394/302/34 के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 31	2	विचारण के लिए लंबित
12.	श्री ओ.पी. साहनी निवासी घर संख्या 559, राजेन्द्र नगर नई दिल्ली की पत्नी को उनके पूर्व नौकर करन द्वारा चोट पहुंचाने के बारे में 17 दिसम्बर, 2003 को पुलिस स्टेशन, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत दर्ज प्रथम सूचना संख्या 260	1	विचारण के लिए लंबित

उर्वरक इकाइयों का बन्द होना और पुनरुद्धार

199. **श्री नीतीश कुमार:**
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री सुनील खां:
श्री अब्दुल्लाकुट्टी:
योगी आदित्यनाथ:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन उर्वरक इकाइयों के इकाई-वार नाम क्या हैं जो अपनी स्थापित क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन इकाइयों में कितनी वार्षिक गिरावट हुई है;

(ग) देश में उर्वरक की मांग को पूरा करने हेतु किए जाने वाले संभावित आयात का ब्यौरा क्या है;

(घ) इकाई-वार कितनी उर्वरक इकाइयां बंद की गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में बंद पड़ी सरकारी क्षेत्र की उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) उर्वरक इकाइयों के नाम, उनकी स्थापित क्षमता और प्रतिशत क्षमता उपयोग का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सभी इकाइयों का वार्षिक उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) नाइट्रोजनयुक्त और फास्फेटयुक्त उर्वरकों की उत्पादन क्षमता देश में खपत के वर्तमान स्तर के बराबर है। आयातों का

सहारा सामान्यत: तब ही लिया जाता है जब आपूर्ति मांग स्थिति में अन्तर हो। सचिवों की एक उच्च स्तरीय संचालन समिति सभी प्रमुख उर्वरकों के उत्पादन, मांग और उपलब्धता पर नियमित निगरानी रख रही है। जब कमी मांग-आपूर्ति में अन्दर होने की सम्भावना होती है तो सचिवों की संचालन समिति द्वारा सरकारी खाते में यूरिया या एजेंसियों के माध्यम से डीएपी नियंत्रणमुक्त उर्वरक का आयात करने का निर्णय लिया जाता है। तथापि, एमओपी की सम्पूर्ण मात्रा का आयात किया जाता है क्योंकि देश में पोटाश के दोहन योग्य ज्ञात भंडार नहीं हैं।

(घ) निम्नलिखित इकाइयां बन्द हो गई हैं:-

1. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि., गोरखपुर
2. एफ सी आई लि., रामागुण्डम
3. एफ सी आई लि., तालचर
4. एफ सी आई लि., सिन्दरी
5. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि., नामरूप-2
6. एच एफ सी लि., दुर्गापुर
7. एच एफ सी लि., बरौनी
8. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लि., ट्राम्बे
9. पाईराइट्स फोस्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि., अमझौर
10. पाईराइट्स फोस्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि., सलादीपुरा
11. हिन्दुस्तान कापर लि., खेतरी
12. फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि., कोचीन
13. डंकन इंडस्ट्रीज लि., कानपुर

(ङ) से (छ) सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आलोक में सरकारी क्षेत्र की उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार से संबंधित मुद्दे की पुन: जांच बाजार मांग और इनकी प्रौद्यो-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर की जा रही है।

विवरण

देश में प्रमुख उर्वरक संयंत्रों की राज्यवार संख्या, उनकी स्थापित क्षमता और वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान प्रतिशत क्षमता उपयोग

राज्य का नाम	संयंत्र का नाम	स्थापित क्षमता	उत्पादन				प्रतिशत क्षमता उपयोग		
			2001-02	2002-03	2003-04	2004-05*	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नाइट्रोजन									('000' मीट.)
असम	बी वी एफ सी एल, नामरूप 2	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0
	बी वी एफ सी एल, नामरूप 3	144.9	29.6	85.7	110.7	115.0	19.5	59.1	76.4
पंजाब	एन एफ एल, नांगल-1	80.0	10.4	13.5	16.0	18.0	13.0	16.9	20.0
	एन एफ एल, नांगल-2	220.1	210.8	220.1	220.1	220.1	95.9	100.0	100.0
	एन एफ एल, भटिन्डा	253.3	236.5	235.5	235.5	235.3	100.5	100.1	100.0
तमिलनाडु	एम एफ एल, चेन्नै	366.7	230.5	256.5	253.5	333.1	62.9	69.9	69.1
	स्पिक, तूतीकोरिन	370.7	338.9	324.3	344.3	394.2	91.0	87.5	92.9
	इ आई डी, पैरी इन्नोर	41.2	35.0	30.8	34.0	40.6	85.0	74.8	82.5
	टी ए सी, तूतीकोरिन	16.0	20.4	19.7	20.5	18.8	127.5	123.1	128.1
	एन एल सी, नैवेली	0.0	28.5	0.0	0.0	0.0	40.5	0.0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
केरल	फैक्ट, उद्योगमंडल	77.0	87.8	69.4	68.1	212.9	114.1	90.1	88.4
	फैक्ट कोचीन-1	0.0	10.2	4.4	0.0	0.0	6.7	2.9	0.0
	फैक्ट कोचीन-2	97.0	123.9	103.7	85.3	126.0	127.7	106.9	87.9
गोवा	जैड आई एल, गोवा	288.7	281.6	264.2	278.1	286.9	95.5	91.5	96.3
महाराष्ट्र	आर सी एफ, ट्राम्बे	45.0	52.7	45.6	44.4	48.0	117.1	101.3	98.7
	आर सी एफ, ट्राम्बे-4	75.1	55.9	51.7	48.8	52.0	74.4	68.1	65.0
	आर सी एफ, ट्राम्बे-5	151.8	18.1	9.6	8.1	0.0	11.9	6.3	5.3
	आर सी एफ, थाई	785.1	667.5	707.2	796.5	790.2	97.7	90.1	101.5
	डी एफ पी सी एल, तलोजा	52.9	42.0	38.7	34.6	52.9	79.4	73.2	65.4
कर्नाटक	एम सी एफ, मंगलौर	207.2	182.4	199.0	170.9	208.0	100.7	96.0	82.5
मध्य प्रदेश	एन एफ एल, विजयपुर	397.7	392.6	397.7	406.4	397.7	100.0	100.0	102.2
	एन एफ एल, विजयपुर, विस्तार	397.7	392.6	398.8	400.3	397.7	100.0	100.3	100.7
राजस्थान	सी एफ सी एल, गडेपन-1	397.7	394.5	397.9	417.6	397.7	100.5	100.1	105.0
	सी एफ सी एल, गडेपन-2	397.7	394.2	397.8	393.1	397.7	100.4	100.0	98.8
	एस एफ सी, कोटा	174.4	151.8	181.1	167.4	174.3	100.0	103.9	96.0
गुजरात	इफको, कांडला	318.9	307.0	368.0	322.1	338.5	142.1	131.5	101.0
	इफको, कलोल	250.5	253.1	247.5	220.6	250.7	101.1	98.8	88.1
	कृभको, हजीरा	795.4	779.3	737.6	815.6	759.0	99.3	92.7	102.5
	जी एस एफ सी, वड़ोदरा	248.1	221.6	178.5	223.1	225.2	89.3	71.9	89.9
	जी एन एफ सी, भरूच	356.7	364.2	357.9	336.5	356.8	101.1	100.3	94.3
	जी एस एफ सी, सिक्का-1	105.8	115.7	117.9	81.0	85.9	109.3	111.4	76.6
	जी एस एफ सी, सिक्का-2	71.3	0.0	0.0	9.5	58.1	0.0	0.0	13.3
	हिन्डालको इन्डी. लिमि., दहेज	72.0	52.7	54.2	40.9	72.0	73.2	75.3	56.8
आंध्र प्रदेश	सी एफ एल, विजाग	124.0	124.1	111.9	133.8	130.8	100.1	90.2	107.9
	जी एफ सी एल, काकीनाड़ा	120.6	129.5	134.7	142.8	156.1	152.3	111.7	118.4
	एन एफ सी एल, काकीनाड़ा-1	274.8	281.2	258.4	275.3	274.8	102.3	94.0	100.2
	एन एफ सी एल, काकीनाड़ा-2	274.8	280.8	287.7	273.9	274.8	102.2	104.7	99.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तर प्रदेश	इफको, फूलपुर-1	253.5	235.5	253.6	248.7	253.5	100.1	100.0	98.1
	इफको, फूलपुर-2	397.7	394.5	397.8	391.5	397.7	100.5	100.0	98.4
	इफको, आंवला-1	397.7	324.8	398.4	397.8	397.7	82.7	100.2	100.0
	इफको, आंवला-2	397.7	397.6	398.0	397.8	415.2	101.3	100.1	100.0
	डी आई एल, कानपुर	332.1	303.0	0.0	0.0	0.0	97.6	0.0	0.0
	आई जी सी एल, जगदीशपुर	397.7	391.1	397.7	396.6	437.6	99.6	100.0	99.7
	टी सी एल, बबराला	397.7	392.6	397.8	397.7	397.7	100.0	100.0	100.0
	ओ सी एफ, शाहजहांपुर	397.7	386.7	374.7	394.5	397.7	98.5	94.2	99.2
हरियाणा	एन एफ एल, पानीपत	235.3	235.3	225.4	235.3	235.3	100.0	95.8	100.0
झारखंड	एस ए आई एल, राउरकेला	120.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0
उड़ीसा	ओ सी एफ, पारादीप	325.2	203.2	132.2	65.1	343.0	62.5	40.2	20.0
	पी पी एल, पारादीप	129.6	0.0	134.5	164.9	180.4	0.0	103.8	127.2
बिहार	एफ सी आई, सिन्दरी	0.0	35.1	0.0	0.0	0.0	23.1	0.0	0.0
पश्चिम बंगाल	एच एल एल, हल्दिया	121.5	106.3	111.7	91.1	118.1	87.5	91.9	75.0
फास्फेट									
आंध्र प्रदेश	सी एफ एल, विजाग	166.0	153.9	150.2	175.7	195.8	92.7	90.5	105.8
	जी एफ सी एल, काकीनाड़ा	308.2	285.8	285.2	362.2	399.1	131.5	92.5	117.5
महाराष्ट्र	आर सी एफ, ट्राम्बे	45.0	52.7	45.6	44.4	48.0	117.1	101.3	98.7
	आर सी एफ, ट्राम्बे-4	75.1	55.9	51.7	48.8	52.0	74.4	68.8	65
	डी एफ पी सी एल, तलोजा	52.9	42.0	38.7	34.6	52.9	79.4	73.2	65.4
कर्नाटक	एम सी एफ, मंगलौर	82.0	66.5	46.7	40.2	72.4	104.8	56.4	48.6
गुजरात	इफको, कांडला	825.1	793.3	949.5	832.6	875.1	58.3	64.8	65.7
	जी एस एफ सी, वड़ोदरा	75.9	55.7	35.4	65.0	69.0	73.4	46.6	85.6
	जी एस एफ सी, सिक्का-1	270.5	277.0	301.2	206.9	219.4	102.4	111.3	76.5
	जी एस एफ सी, सिक्का-2	182.2	0.0	0.0	24.2	148.6	0.0	0.0	13.3
	हिंडाल्को इंड. लि., दहेज	184.0	134.7	137.2	103.6	184.0	73.2	74.6	56.3
उड़ीसा	ओ सी एफ, पारादीप	802.8	519.3	337.7	151.6	721.0	64.7	42.1	18.9
	पी पी एल, पारादीप	331.2	0.0	292.9	344.0	384.5	0.0	88.4	103.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पश्चिम बंगाल	एच एल एल, हिल्दया	310.5	296.4	310.0	234.0	332.2	95.5	99.8	75.4
तमिलनाडु	एम एफ एल, चेन्नै	142.8	99.3	73.4	77.6	124.7	96.5	51.4	54.3
	स्पिक, तूतीकोरिन	218.5	147.5	143.0	146.2	221.0	67.5	65.4	66.9
	ई आई डी, पैरी इन्नौर	48.0	42.8	37.7	38.4	45.0	89.2	78.5	80.0
केरल	फैक्ट, उद्योगमंडल	29.7	41.4	31.3	28.2	39.0	139.4	104.7	94.9
	फैक्ट, कोचीन-2	97.0	123.9	103.7	85.3	126.0	127.7	106.9	87.9
गोवा	जैड आई एल, गोवा	197.4	140.4	141.8	166.1	183.5	71.1	71.8	84.1

*अनुमानित

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन योजना

200. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री कैलाश बैठा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्यार्थियों को प्रदान किए जा रहे मध्याह्न भोजन के लिए प्रत्येक राज्यों को राज्य-वार कितनी मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति की गई;

(ख) क्या सरकार ने देश में प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को दिए जा रहे मध्याह्न भोजन के कार्यकण का कोई स्वतंत्र मूल्याकंन कराया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं जब वर्ष 2003 के दौरान और आज तक मध्याह्न भोजन की खराब गुणवत्ता के कारण बच्चों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है और आपूर्ति किए जाने वाले भोजन की जांच किस तरह से की जाती है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा आपूर्ति किए जा रहे मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता आई.एस.आई./न्यूट्रीशन फाउण्डेशन आफ इंडिया द्वारा निर्धारित मानक/मानदंड के अनुसार निश्चित की जाए?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2003-04 में, मध्याह्न भोजन खाकर 1420 बच्चे बीमार पड़े। राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि बच्चों को भोजन परोसने से पर्याप्त पहले पके हुए भोजन की व्यस्कों द्वारा चखकर जांच की जानी चाहिए।

(घ) ऊपर भाग (ग) में उल्लिखित जांच के मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ ही, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता के मार्गदर्शी सिद्धांतों के मद्देनजर, राज्य सरकारों से निम्नलिखित अन्य उपाय करने की अपेक्षा की जाती है:

(1) इस बात को सुनिश्चित करना कि भोजन स्वच्छ तरीके से बनाया, परोसा और खाया जाए और खाद्यान्न तथा भोजन तैयार करने में लगने वाले अन्य संघटकों का भंडारण और उन्हें छूने में भी स्वच्छता बरती जाए।

(2) कार्यक्रम के पर्यवेक्षण और मानीटरन को ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति को सौंपना और जिले और राज्य स्तरों पर भी इस उद्देश्य से समितियां गठित करना, और

(3) मध्याह्न भोजन बनाने के लिए यथासंभव महिला स्व-सहायता दल को शामिल करना।

विवरण

वर्ष 2003-04 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत राज्य-वार आबंटन और खाद्यान्नों के लदान का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2003-04 के लिए खाद्यान्नों की मात्रा (मीट्रिक टन में)	
		आवंटित	उठाई गई
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1,78,278.25	1,51,769
2.	अरुणाचल प्रदेश	5,448.18	1,894

1	2	3	4
3.	असम	96,315.78	77,420
4.	बिहार	2,45,299.91	1,70,578
5.	छत्तीसगढ़	56,571.64	61,806
6.	गोवा	1,253.65	500
7.	गुजरात	60,089.91	39,956
8.	हरियाणा	45,871.00	41,770
9.	हिमाचल प्रदेश	18,445.41	17,838
10.	जम्मू और कश्मीर	22,163.31	590
11.	झारखण्ड	51,796.21	22,953
12.	कर्नाटक	1,45,853.18	87,412
13.	केरल	43,330.20	43,360
14.	मध्य प्रदेश	1,65,834.55	1,49,884
15.	महाराष्ट्र	2,23,586.84	1,84,814
16.	मणिपुर	8,886.33	7,830
17.	मेघालय	10,279.54	9,373
18.	मिजोरम	1,880.84	1,876
19.	नागालैंड	5,207.94	4,042
20.	उड़ीसा	1,23,424.87	1,13,882
21.	पंजाब	45,490.34	23,631
22.	राजस्थान	1,68,919.37	1,36,887
23.	सिक्किम	1,536.56	1,289
24.	तमिलनाडु	1,10,598.90	79,313
25.	त्रिपुरा	9,077.08	8,908
26.	उत्तरांचल	15,743.86	19,836
27.	उत्तर प्रदेश	4,91,246.76	4,09,767
28.	पश्चिम बंगाल	3,05,987.74	2,51,540

दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों में गति नियंत्रक

201. श्री रघुनाथ झा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले व्यावसायिक वाहनों तथा ब्लू लाईन बसों में उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के बार-बार निदेश दिए जाने के बावजूद गति नियंत्रक अब तक नहीं लगे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ब्लू लाईन बसों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने दिनांक 19.12.2003 के अपने आदेश सं. पी.सी.ओ./एस.टी.ए./2/पी.एफ.-2/884 के तहत ब्लू लाईन बसों सहित सभी परिवहन वाहनों के लिए ए.आई.एस. 018/2001 मानक के अनुरूप इलैक्ट्रानिक स्पीड गवनर्स लगवाना अनिवार्य कर दिया। यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसे वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व यह अपेक्षा पूरी कर ली जाए। यदि दिल्ली यातायात पुलिस को पता चलता है कि कोई वाणिज्यिक वाहन इन आदेशों का उल्लंघन करके चलाया जा रहा है तो दोषी वाहनों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

प्रबन्धन संस्थानों का प्रत्यायन

202. श्री लक्ष्मण सेठ: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) द्वारा स्वीकृत प्रबन्धन संस्थानों की कुल संख्या कितनी है, इसमें से कितने संस्थानों का प्रत्यायन सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा किया जा चुका है;

(ख) भारत तथा अन्य विकसित देशों में देशवार कुल कितने प्रबंधन स्नातक तैयार हुए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कुल कितने प्रबंधन स्नातक, एम.बी.ए. को रोजगार मिला है; और

(घ) देश में प्रबंधन स्नातक करने वाले कुल छात्रों में से विदेशों में नौकरी पाने वाले स्नातकों का प्रतिशत कितना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा

परिषद से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस समय देश में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित 1037 प्रबंधन संस्थान हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के तत्वावधान में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड ने अब तक 58 संस्थाओं के 65 प्रबंधन कार्यक्रमों को प्रत्यायित किया है।

(ख) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और मंत्रालय केन्द्रीकृत रूप से इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखते।

आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं

203. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ग) क्या ये परियोजनाएं नियत समय से चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) वर्तमान में आंध्र प्रदेश में 3173 मेगावाट कुल क्षमता के लिए 8 परियोजनाएं, जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र की एक परियोजना, राज्य क्षेत्र की 2 परियोजनाएं और निजी क्षेत्र की 5 परियोजनाएं शामिल हैं, निर्माणाधीन हैं।

(ख) से (ङ) आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र की जो परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है-

परियोजना का नाम	क्रियान्वयक एजेंसी	क्षमता	शुरू करने का कार्यक्रम	अनुमोदित/अनुमानित लागत
केन्द्रीय क्षेत्र				
रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन-2) (यूनिट-7)	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन	(500 मेगावाट)	दिसंबर, 2004	1818.46 करोड़ रुपये
राज्य क्षेत्र				
रायलसीमा थर्मल पावर स्टेशन-2, (यूनिट 3 और 4)	आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कारपोरेशन	(2×210 मेगावाट)	यूनिट-3 जुलाई, 06 यूनिट-4-अक्टूबर, 06	1640 करोड़ रुपये
प्रियदर्शिनी जुराल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट	आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कारपोरेशन	(6×39 मेगावाट)	दो यूनिट 2006-07 में और शेष 2007-08 (11वीं योजना में)	550 करोड़ रुपये

उपरोक्त सभी विद्युत परियोजनाएं कार्यक्रमानुसार प्रगति कर रही हैं।

[हिन्दी]

इस्पात का उत्पादन

204. श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री प्रकाशबापू पी. पाटिल:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में सभी इस्पात संयंत्रों का उत्पादन कम होता जा रहा है और यह उत्पादन देश की आवश्यकता को पूरा करने में पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संयंत्र के उत्पादन का ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा वास्तव में कितना उत्पादन किया गया; और

(घ) देश में इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दाभोल विद्युत परियोजना

205. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने दाभोल विद्युत परियोजना को पुन: शुरू करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र सरकार, केन्द्र सरकार के संगठनों तथा उपभोक्ताओं द्वारा कितना विद्युत टैरिफ देय है तथा इस परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) जी नहीं, जैसा की महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूचना दी गई है, ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। हालांकि, जैसाकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूचित किया गया है परियोजना को दोबारा शुरू करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं किंतु कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युत की मांग और आपूर्ति

206. **श्री सुशील कुमार मोदी:**
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:
श्री विकास चौधरी:
श्री राजनरायन बुधौलिया:
डा. रामचंद्र डोम:
डा. सत्यनारायण जटिया:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्युत उत्पादन, इसकी मांग तथा आपूर्ति की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) देश में विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन का राज्यवार विश्लेषणात्मक विवरण क्या है;

(ग) विद्युत की मांग और आपूर्ति में अंतर को कम करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) मई, 2004 तथा अप्रैल-मई, 2004 के दौरान देश में राज्यवार विद्युत आपूर्ति की स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गयी है। अप्रैल-मई, 2004 के दौरान विभिन्न स्रोतों से राज्यवार विद्युत उत्पादन संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) विद्युत एक समवर्ती विषय है। राज्य में विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण राज्य सरकार/संबंधित राज्य विद्युत यूटिलिटी जो राज्यवार में विभिन्न श्रेणी व उपभोक्ता क्षेत्रों के लिए विद्युत आपूर्ति की प्राथमिकताओं का निर्णय लेती है, का उत्तरदायित्व है। भारत सरकार केन्द्रीय क्षेत्र में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से विद्युत संयंत्रों के स्थापन में राज्य सरकार के प्रयासों को केवल सहायता प्रदान करती है-

1. 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 41,110 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र की 22,832 मेगावाट, राज्य क्षेत्र की 11,157 मेगावाट तथा निजी क्षेत्र की 7121 मेगावाट शामिल है।

2. नई प्रारंभ की गयी इकाईयों का शीघ्र संस्थापन तथा ताप इकाईयों के पीएलएफ में समग्र वृद्धि।

3. वितरण में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने समग्र पारेषण एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी लाने तथा विद्युत क्षेत्र में वाणिज्यिक व्यवहार्यता को प्राप्त करने के लिए एक बड़े कदम के तौर पर राज्यों में उप पारेषण प्रणाली के उन्नयन के लिए त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) को कार्यान्वित किया है। एपीडीआरपी के तहत उप पारेषण तथा वितरण प्रणालियों के लिए योजनाओं को लागू करने हेतु राज्यों को निधियां मुहैया कराई जा रही हैं। उत्पादन क्षमता का इष्टतम उपयोग करने तथा अंतरक्षेत्रीय विद्युत पारेषण के लिए सुदृढ़ राष्ट्रीय ग्रिड का सर्जन।

4. मांग पक्ष प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण उपाय।

5. पुरानी एवं अदक्ष, उत्पादन इकाइयों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा ब्याज सब्सिडी समेत ऋणों का वितरण।

6. अंतर-क्षेत्रीय पारेषण लिंकों को सुदृढ़ करके अंतरराज्यीय तथा अंतर-क्षेत्रीय विद्युत अंतरण में वृद्धि तथा अंत में राष्ट्रीय ग्रिड को बनाना।

7. तीव्र गति से जल विद्युत संभावनाओं का दोहन।

(घ) सरकार निर्धारित परियोजनाओं की सघनता से मानीटरिंग कर रही है। कमियों को दूर करने तथा 10वीं योजना से इन परियोजनाओं के विलंब से बचने के लिए संबंधित राज्य सरकारों, प्रवर्तकों तथा वित्तीय संस्थानों के साथ समीक्षा बैठकें की जा रही हैं।

विवरण I

वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति

(आंकड़े मि.यू. निवल में)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	मई, 2004				अप्रैल-मई 2004			
	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कम(-) (मि.यू.)	(%)	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कम(-) (मि.यू.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	103	103	0	0	197	197	0	0
दिल्ली	1958	1944	-14	-0.7	3729	3700	-29	-0.8
हरियाणा	1908	1854	-54	-2.8	3516	3402	-114	-3.2
हिमाचल प्रदेश	508	507	-1	-0.2	784	782	-2	-0.3
जम्मू व कश्मीर	850	841	-9	-1.1	1472	1455	-17	-1.2
पंजाब	2663	2659	-4	-0.2	4977	4920	-57	-1.1
राजस्थान	2380	2376	-4	-0.2	4715	4706	-9	-0.2
उत्तर प्रदेश	4309	3574	-735	-17.1	8064	6981	-1083	-13.4
उत्तरांचल	375	369	-6	-1.6	726	709	-17	-2.3
उत्तरी क्षेत्र	15054	14227	-827	-5.5	28180	26852	-1328	-4.7
छत्तीसगढ़	940	935	-5	-0.5	1922	1904	-18	-0.9
गुजरात	5147	4533	-614	-11.9	10452	9203	-1249	-11.9
मध्य प्रदेश	2652	2428	-224	-8.4	5535	4941	-594	-10.7
महाराष्ट्र	7654	6992	-662	-8.6	15681	14146	-1535	-9.8
दमन व दीव	99	99	0	0	192	192	0	0
दादर न नागर हवेली	162	162	0	0	324	324	0	0
गोवा	181	181	0	0	344	344	0	0
पश्चिमी क्षेत्र	16835	15330	-1505	-8.9	34450	31054	-3396	-9.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	3875	3881	6	0.2	8188	8158	-30	-0.4
कर्नाटक	2643	2373	-270	-10.2	5793	5173	-620	-10.7
केरल	1006	986	-20	-2.0	2105	2051	-54	-2.6
तमिलनाडु	3472	3477	5	0.1	7737	7711	-26	-0.3
पांडिचेरी	122	122	0	0	262	262	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	11118	10839	-279	-2.5	24085	23355	-730	-3.0
बिहार	566	547	-19	-3.4	1121	1060	-61	-5.4
डीवीसी	729	723	-6	-0.8	1453	1437	-16	-1.1
झारखंड	291	284	-7	-2.4	565	557	-8	-1.4
उड़ीसा	1148	1137	-11	-1.0	2235	2208	-27	-1.2
पश्चिम बंगाल+सिक्किम	2035	2007	-28	-1.4	4080	4015	-65	-.16
पूर्वी क्षेत्र	4769	4698	-71	-1.5	9454	9277	-177	-1.9
अरुणाचल प्रदेश	13	13	0	0	26	26	0	0
असम	306	293	-13	-4.2	594	551	-43	-7.2
मणिपुर	40	39	-1	-2.5	77	73	-4	-5.2
मेघालय	98	85	-13	-13.3	201	166	-35	-17.4
मिजोरम	18	17	-1	-5.6	35	32	-3	-8.6
नागालैंड	28	28	0	0	49	48	-1	-2.0
त्रिपुरा	61	57	-4	-6.6	109	97	-12	-11.0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	564	532	-32	-5.7	1091	993	-98	-9.0
अखिल भारत	48340	45626	-2714	-5.6	97260	91531	-5729	-5.9

व्यस्ततमकालीन मांग/पूर्ति

(आंकड़े मेगावाट में)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	मई, 2004				अप्रैल-मई, 2004			
	व्यस्ततम मांग (मेगा.)	व्यस्ततमकालीन आपूर्ति	अधिशेष/कमी(-) (मेवा.)	(%)	व्यस्ततम मांग (मेवा.)	व्यस्ततमकालीन आपूर्ति	अधिशेष/कमी(-) (मेवा.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	195	195	0	0	195	195	0	0
दिल्ली	3348	3332	-16	-0.5	3348	3332	-16	-0.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा	3248	3165	-83	-2.6	3248	3165	-83	-2.6
हिमाचल प्रदेश	578	578	0	0	615	615	0	0
जम्मू व कश्मीर	1207	1068	-139	-11.5	1207	1068	-139	-11.5
पंजाब	4872	4872	0	0	4872	4872	0	0
राजस्थान	3824	3824	0	0	3879	3879	0	0
उत्तर प्रदेश	7877	6268	-1609	-20.4	7877	6268	-1609	-20.4
उत्तरांचल	788	749	-39	-4.9	788	749	-39	-4.9
उत्तरी क्षेत्र	24247	22729	-1518	-6.3	24247	22729	-1518	-6.3
छत्तीसगढ़	1597	1498	-99	-6.2	1670	1558	-112	-6.7
गुजरात	9655	7181	-2474	-25.6	9655	7427	-2228	-23.1
मध्य प्रदेश	5670	4030	-1640	-28.9	5670	4030	-1640	-28.9
महाराष्ट्र	13064	10744	-2320	-17.8	14585	11483	-3102	-21.3
दमन व दीव	181	181	0	0	181	181	0	0
दादर व नगर हवेली	331	331	0	0	331	331	0	0
गोवा	332	332	0	0	334	334	0	0
पश्चिमी क्षेत्र	27835	22681	-5154	-18.5	29859	23380	-6479	-21.7
आंध्र प्रदेश	6916	6241	-675	-9.8	7156	7038	-118	-1.6
कर्नाटक	4705	4322	-383	-8.1	5927	5360	-567	-9.6
केरल	2427	2122	-305	-12.6	2427	2164	-263	-10.8
तमिलनाडु	6401	6390	-11	-0.2	7227	7149	-78	-1.1
पांडिचेरी	196	196	0	0	230	230	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	19236	18904	-332	-1.7	23075	21928	-1147	-5.0
बिहार	813	678	-135	-16.6	885	818	-67	-7.6
डीवीसी	1166	1086	-80	-6.9	1269	1180	-89	-7.0
झारखंड	536	454	-82	-15.3	561	520	-41	-7.3
उड़ीसा	2195	1900	-295	-13.4	2195	1929	-266	-12.1
पश्चिम बंगाल+सिक्किम	3852	3564	-288	-7.5	3852	3564	-288	-7.5
पूर्वी क्षेत्र	8224	7606	-618	-7.5	8286	7895	-391	-4.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अरुणाचल प्रदेश	46	46	0	0	46	46	0	0
असम	659	539	-120	-18.2	659	589	-70	-10.6
मणिपुर	97	96	-1	-1.0	99	99	0	0
मेघालय	255	176	-79	-31.0	255	191	-64	-25.1
मिजोरम	69	59	-10	-14.5	69	59	-10	-14.5
नागालैंड	67	67	0	0	67	67	0	0
त्रिपुरा	161	127	-34	-21.1	161	127	-34	-21.1
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1211	1022	-189	-15.6	1225	1029	-196	-16.0
अखिल भारत	80753	72942	-7811	-9.7	85911	76246	-9665	-11.3

विवरण II

देश में अप्रैल-मई, 2004 के दौरान विभिन्न स्रोतों से राज्यवार (केन्द्रीय क्षेत्र समेत) विद्युत उत्पादन

राज्य/प्रणाली का नाम	थर्मल	न्यूक्लीयर	हाइड्रो	कुल
1	2	3	4	5
बीबीएमबी	–	–	1445	1445
दिल्ली	1856	–	–	1856
हरियाणा	1614	–	30	1644
हिमाचल प्रदेश	–	–	2893	2893
जम्मू व कश्मीर	–	–	1466	1466
पंजाब	2291	–	1250	3541
राजस्थान	3365	822	50	4237
उत्तर प्रदेश	11581	521	204	12306
उत्तरांचल	–	–	500	500
गुजरात	8427	296	162	8885
मध्य प्रदेश	5539	–	171	5710
छत्तीसगढ़	4267	–	32	4299
महाराष्ट्र	10665	468	729	11862

1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	9395	–	465	9860
केरल	285	–	702	987
कर्नाटक	2414	475	766	3655
तमिलनाडु	7399	214	290	7903
पांडिचेरी	42	–	–	42
बिहार	1066	–	–	1066
झारखंड	1039	–	18	1057
उड़ीसा	3972	–	1090	5062
डीवीसी	1807	–	22	1829
पश्चिम बंगाल	6952	–	68	7020
सिक्किम	–	–	55	55
अंडमान व निकोबार	–	–	–	–
असम	389	–	108	497
मेघालय	–	–	140	140
मणिपुर	–	–	99	99
नागालैंड	–	–	30	30
त्रिपुरा	125	–	11	136
अरुणाचल प्रदेश	–	–	269	269
मिजोरम	–	–	–	–
नीपको	290	–	464	754

[अनुवाद]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना

207. **श्री पी. राजेन्द्रन:**
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:
श्री वरकला राधाकृष्णन:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों विशेषकर केरल सरकार से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, हां। प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2003 को की गई घोषणा, जिसमें उत्कृष्ट अकादमिक संस्थाओं का स्तरोन्नयन करके 5 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना बात कही गई है, के मद्देनजर सरकार ने ऐसी अकादमिक संस्थाओं का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन पर विशेषज्ञ समिति विचार कर रही है। राज्यों

से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है। इनमें से एक प्रस्ताव इंजीनियरी कालेज, तिरूवनंतपुरम, केरल का प्रोन्नयन करके उसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनाने से संबंधित है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	प्रस्ताव
1.	आंध्र प्रदेश	बसरा, जिला आदिलाबाद, आंध्र प्रदेश में नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना
		ओस्मानिया विश्वविद्यालय इंजीनियरी कालेज, आंध्र प्रदेश का स्तरोन्नयन करना
2.	बिहार	बिहार में नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना
3.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़ में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना
4.	गुजरात	गुजरात में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना
5.	झारखंड	झारखंड में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना
6.	कर्नाटक	एन.आई.टी.के., सूरतकल का स्तरोन्नयन करके भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनाना
		धारवाड़, उत्तरी कर्नाटक में नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना
7.	केरल	इंजीनियरी कालेज, तिरूवनंतपुरम का स्तरोन्नयन करके भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनाना
8.	उड़ीसा	विश्वविद्यालय इंजीनियरी कालेज, बुर्ला, उड़ीसा का प्रोन्नयन
9.	राजस्थान	राजस्थान में नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना

दिल्ली में भीड़-भाड़ को कम करना

208. **डा. एम. जगन्नाथ:**
श्री अजय माकन:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो शहर में भीड़-भाड़ कम करने के लिए सरकार की क्या योजना है;

(ग) प्रथम चरण के दौरान दिल्ली मेट्रो प्रणाली द्वारा कौन-कौन से स्थान जोड़े जाएंगे;

(घ) क्या दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण समय पर पूरा होने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे मार्गों का ब्यौरा क्या है;

(च) दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की तैयारियों का ब्यौरा क्या है और इसके कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(छ) दिल्ली में मेट्रो रेल में द्वितीय चरण के निर्माण हेतु क्या वित्तीय प्रबंध किए गए हैं;

(ज) क्या सरकार का विचार मेट्रो रेल को 2010 तक एक लाइन से अधिक बढ़ाने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संतुलित और सुव्यवस्थित विकास के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन 1985 में किया था। बोर्ड ने एक क्षेत्रीय योजना 2001 तैयार की जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

— राजधानी शहर पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को कम करना।

— राजधानी पर और नए दबावों की रोकथाम; और

— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बस्तियां बसाने के पैटर्न को नए ढंग से बनाना ताकि वे अपनी निर्धारित भूमिका की योजना बना सकें।

इसके अतिरिक्त सुव्यवस्थित विकास हासिल करने के लिए बोर्ड ने परिवहन, ऊर्जा, उद्योग और टेलीकाम क्षेत्र के लिए कार्यात्मक योजनाएं भी तैयार की हैं ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय अवस्थापना का विकास हो सके।

परिवहन की कार्यात्कम योजना में क्षेत्रीय त्वरित रेल परिवहन प्रणाली, को तेज और सक्षम यात्री रेलों द्वारा दिल्ली को निकटवर्ती नगरों से जोड़ेगी, और दिल्ली के चारों ओर परिसीमा एक्सप्रेस मार्ग का प्रस्ताव किया गया है जिससे शहर में यातायात की भीड़भाड़ कम की जा सकेगी।

(ग) दिल्ली द्रुत जन परिवहन प्रणाली के फेज-1 में निम्नलिखित तीन कोरीडोर शामिल हैं:-

1. शाहदरा-बरवाला
2. विश्वविद्यालय-केन्द्रीय सचिवालय
3. बाराखम्बा रोड-कनाट प्लेस-द्वारका

कोरीडोर 1- यह शाहदरा, सीलमपुर, शास्त्री पार्क, कश्मीरी गेट, तीस हजारी, प्रताप नगर, शास्त्री नगर, इन्द्रलोक, कन्हैया नगर, केशवपुरम, नेताजी सुभाष प्लेस, कोहाट एन्कलेव, पीतमपुरा, रोहिणी, रिठाला, दौलतपुर, प्रहलादपुर और बरवाला को जोड़ता है।

कोरीडोर 2- यह विश्वविद्यालय, विधान सभा, सिविल लाइन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली मेन स्टेशन, चावड़ी बाजार, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, कनाट प्लेस, पटेल चौक और केन्द्रीय सचिवालय को जोड़ता है।

कोरीडोर 3- यह बाराखम्बा रोड, कनाट प्लेस, आर.के. आश्रम मार्ग, झण्डेवालान, करोलबाग, राजेन्द्र प्लेस, पटेल नगर, शादीपुर, कीर्ति नगर, रमेश नगर, राजौरी गार्डन, टैगोर गार्डन, सुभाष नगर, तिलक नगर, गणेश नगर, उत्तम नगर, प्रेम नगर, नवादा और द्वारका को जोड़ता है।

(घ) जी, हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) दिल्ली मैट्रो फेज-2, परियोजना के लिए अध्ययन/जांच कार्य शुरू किया गया है। फेज-2 परियोजना पर कार्य मैट्रो मार्ग (रूटों) के निर्णय, वित्त पोषण योजना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा इसके अनुमोदन पर निर्भर है।

(ज) दिल्ली मैट्रो फेज-1 में ही तीन लाइनें हैं, फेज-2 में लिए जाने वाले अतिरिक्त कोरीडोरों (लाइनों) के लिए अध्ययन चल रहा है।

(झ) उपर्युक्त (ज) के उत्तर के आलोक में यह प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जनजाति की सूची में जातियों को शामिल करना

209. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:
श्री बाबू लाल मरांडी:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों और अन्य संगठनों से अनुसूचित जनजाति की सूची में विभिन्न जनजातीय समुदायों को शामिल करने के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और जाति-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) अनुसूचित जनजाति की सूची में ऐसे समुदायों को शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) जी, हां। इस मंत्रालय में राज्य सरकारों एवं अन्य संगठनों से लगभग 839 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें 106 प्रस्ताव असम से हैं। इस मंत्रालय को प्राप्त हुए प्रस्तावों का राज्यवार विवरण संलग्न है। जाति-वार विवरण नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने जून, 1999 में अनुसूचित जनजाति की सूचियों का संशोधन करने हेतु एक कार्यविधि बनाई है। अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन संबंधी सभी अभ्यावेदनों पर इसी कार्यविधि के अनुसार कार्य किया जा रहा है।

(ङ) इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें राज्य सरकारों, भारत सरकार के महापंजीयक,

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग (अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग) से परामर्श अपेक्षित है।

विवरण

प्रस्तावों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	80
2.	अरुणाचल प्रदेश	19
3.	असम	106
4.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2
5.	झारखंड सहित बिहार	27
6.	चंडीगढ़	17
7.	दिल्ली	1
8.	दादरा व नगर हवेली	3
9.	दमन व दीव	2
10.	गोवा	10
11.	गुजरात	9
12.	हरियाणा	4
13.	हिमाचल प्रदेश	10
14.	जम्मू व कश्मीर	11
15.	कर्नाटक	51
16.	केरल	32
17.	लक्षद्वीप	1
18.	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	31
19.	मणिपुर	23
20.	मेघालय	17
21.	महाराष्ट्र	87
22.	मिजोरम	6
23.	नागालैंड	24
24.	उड़ीसा	62
25.	पांडिचेरी	11
26.	पंजाब	13
27.	राजस्थान	18
28.	सिक्किम	5
29.	तमिलनाडु	69
30.	त्रिपुरा	10
31.	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	58
32.	पश्चिम बंगाल	20
	कुल	839

*अभ्यावेदनों के जाति/समुदाय-वार विवरण नहीं रखे जाते।

विद्युत और कोयले के कोटे को मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र को सौंपा जाना

210. श्रीमती गीता पटैरिया: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश राज्य सरकार से विद्युत और कोयले के कोटे को अचानक मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र को सौंपे जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) मध्य प्रदेश में विद्युत की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा कौन से अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) दिनांक 27.5.2004 को मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश से केन्द्रीय विद्युत मंत्री के नाम पर एक पत्र प्राप्त हुआ था जो मध्य प्रदेश को 90 मेगावाट विद्युत के आवंटन को पुन: बहाल करने के संबंध में है।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समय-समय पर आकस्मिक/मौसमी जरूरतों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों में

15% विद्युत को केन्द्र सरकार के अधिकार में अनाबंटित रखा जाता है। महाराष्ट्र राज्य में बिजली की कमी तथा कोयना हाइड्रो स्टेशन पर पानी की उपलब्धता में कमी के कारण लगभग 900 मेगावाट विद्युत उत्पादन की आकस्मिक कमी के मद्देनजर तारीख 25 मई, 2004 से एक माह की अवधि के लिए पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र के केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों में 15% अनाबंटित कोटे से गुजरात और मध्य प्रदेश के आबंटन को कम करके महाराष्ट्र को अस्थायी तौर पर 98 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराई गई।

(ग) एक माह की समाप्ति के बाद यह बिजली मध्य प्रदेश को पुन: बहाल कर दिया गया है।

(घ) विद्युत एक समवर्ती विषय है। राज्य में बिजली की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी की जिम्मेदारी है, यह राज्य में उपभोक्ताओं/क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों को बिजली आपूर्ति की प्राथमिकता का निर्णय करता है। भारत सरकार केवल केंद्रीय क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से संयंत्रों की स्थापना द्वारा राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। तथापि केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में बिजली की स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नांकित कदम उठाए गए हैं:

(एक) मध्य प्रदेश राज्य को पश्चिमी एवं पूर्वी क्षेत्रों के केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशनों के 15% अनाबंटित कोटे से आबंटन समेत, उत्तरी क्षेत्र में राजस्थान न्यूक्लीयर पावर प्लांट से अस्थायी रूप से 143 मेगावाट के विशेष आबंटन तथा पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा की गयी आपूर्ति सहित लगभग 1200 मेगावाट की अतिरिक्त आबंटन/सहायता (किसी भी राज्य की तुलना में अधिकतम) सहायता प्रदान की गयी है। किंतु केंद्र सरकार के अनुरोध पर पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन (पीटीसी) के माध्यम से मध्य प्रदेश के लिए लगभग 500 मेगावाट आपूर्ति की नियमित आपूर्ति को घटाकर लगभग 250 मेगावाट कर दिया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने मई, 2004 के बाद पीटीसी के साथ इस करार का नवीकरण नहीं किया। तत्पश्चात् मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर व्यस्ततम समय के दौरान लगभग 100 मेगावाट की आपूर्ति तथा व्यस्ततम समय के दौरान 200 मेगावाट की आपूर्ति की व्यवस्था द्विपक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत पीटीसी द्वारा मई, 2004 के अंत में की गयी।

(दो) इसके अतिरिक्त नर्मदा जल विद्युत निगम द्वारा इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत सितंबर एवं नवंबर माह तथा जनवरी, 2004 में 125 मेगावाट प्रत्येक की चार यूनिटें स्थापित की गयी हैं तथा इससे उत्पादित समस्त बिजली की आपूर्ति मध्य प्रदेश को की जा रही है।

[हिन्दी]

झारखंड में ताप विद्युत परियोजना की स्थापना

211. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एनटीपीसी ने चतरा जिला झारखंड में एक ताप विद्युत परियोजना लगाने का प्रस्ताव रखा था;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2002 में उक्त परियोजना की आधारशिला रखी गयी थी और इस परियोजना को शुरू करने का काम अब तक शुरू नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) जी हां।

(ख) से (घ) एनटीपीसी ने झारखंड राज्य के चतरा और हजारीबाग जिले में नार्थ, करनपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना (3×660 मे.वा.) स्थापित करने का विचार किया है।

एनटीपीसी को राज्य सरकार, कोयला मंत्रालय से जल, जल कोयला एवं भूमि हेतु महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए पुष्टि प्राप्त हो चुकी है तथा विमानपत्तन प्राधिकरणों, दामोदर घाटी निगम, केन्द्रीय जल आयोग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा रक्षा प्राधिकरणों आदि से स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं। विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन भी कराया गया है।

जनवरी, 2003 में एनटीपीसी को सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि. (सीसीएल) तथा कोल माईन प्लानिंग एंड डिजाइन इनस्टीट्यूट द्वारा सलाह दी गई थी कि वे परियोजना स्थल की समीक्षा करें, क्योंकि यह कोयला-सघन क्षेत्र में पड़ता है। सीसीएल/कोल इंडिया लि./कोल इंडिया लि./कोल माईन प्लानिंग एंड डिजाइन इनस्टीट्यूट/कोयला मंत्रालय के साथ व्यापक परामर्श के पश्चात् परियोजना के लिए नए स्थल पर जुलाई, 2003 में सहमति हुई। स्थल के इस पुन: समायोजन से कुछ अतिरिक्त स्थल-विशिष्ट अध्ययन आवश्यक हो गए, जो पूरे कर लिए गए हैं।

एनटीपीसी ने हजारीबाग में अपना स्थल कार्यालय स्थापित किया है तथा अवसंरचनात्मक विकास कार्य शुरू कर दिए गए हैं। इस परियोजना से 11वीं योजनावधि में लाभ प्राप्त होने की आशा है।

[अनुवाद]

एन.सी.ई.आर.टी. के विरुद्ध जांच

212. श्री के.एस. राव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गत पांच वर्षों के दौरान एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा की गयी नियुक्तियों की जांच का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण और ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई की गयी है या किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति

213. श्री आलोक कुमार मेहता: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में केन्द्रीय विद्यालयों में कितनी भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शिक्षक नियुक्त करने का प्रावधान है;

(ख) किन-किन भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गयी है;

(ग) क्या उर्दू शिक्षक नियुक्त करने के लिए कोई प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में नियमित आधार पर भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों को नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) अंग्रेजी, हिन्दी और संस्कृत के शिक्षकों को छोड़कर किसी अन्य भाषा के शिक्षकों को नियमित आधार पर नियुक्त नहीं किया जाता।

(ग) और (घ) यदि 20 से अधिक बच्चे उर्दू अध्ययन का विकल्प देते हैं तो वहां के प्रधानाचार्य अंशकालिक/संविदा के आधार पर एक शिक्षक नियुक्त कर सकते हैं।

[अनुवाद]

अस्पतालों द्वारा भूमि आवंटन की पूर्व-शर्तों का उल्लंघन

214. श्री कैलाश बैठा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण को कतिपय उन अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया था जो कि रियायती भूमि आवंटन से संबंधित शर्तों के अनुसार गरीबों का मुफ्त इलाज करने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी हां। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका सं. 2866/2002 में कुछ अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया है जो आवंटन की शर्तों व निबंधनों के अनुसार निर्धनों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा नहीं दे रहे हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों के अनुसरण में उन दस अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे जिन्हें गरीबों की नि:शुल्क चिकित्सा के संबंध में आवंटन की शर्तों व निबंधनों का उल्लंघन करते हुए पाया गया था। इन अस्पतालों द्वारा दिए गए उत्तर मूल्यांकन के लिए स्वास्थ्य निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भिजवा दिए गए हैं। इस प्रकार के मामलों के मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन की शर्तों व निबंधनों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

उर्वरकों की मांग और आयात

215. श्री गिरधारी यादव:
श्री मोहन सिंह:
श्रीमती रंजीत रंजन:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में उर्वरकों का राज्यवार और एकक-वार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार का उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(घ) उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान उर्वरकों की राज्यवार, उर्वरक-वार कितनी मांग और खपत रही है;

(च) क्या उर्वरकों का उत्पादन उसकी खपत के अनुसार है;

(छ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उर्वरकों एककों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ज) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा और मूल्य के उर्वरकों का आयात किया गया और उर्वरकों को किन देशों से आयात किया गया; और

(झ) सरकार द्वारा उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और इकाई-वार पोषकों के रूप में उर्वरकों का उत्पादन और चालू वर्ष के अनुभाग संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। दसवीं योजना के कार्य दल द्वारा मौजूदा संयंत्रों में 100% क्षमता उपयोगिता आकलन के अनुसार दसवीं पंचवर्षीय योजना में पोषकों के रूप में नाइट्रोजन और फास्फेट के अनुमानित उत्पादन के अनुसार निम्नानुसार हैं:

(लाख मी.टन में)

वर्ष	नाइट्रोजन	फास्फेट (पी)
2002-03	120.58	52.31
2003-04	121.74	52.31
2004-05	121.74	52.31
2005-06	121.74	52.31
2006-07	129.28	52.31

(घ) दिनांक 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति विषयक संलग्न के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की शर्त के अधीन संयंत्र स्थापित करने और मौजूदा उर्वरक संयंत्रों का विस्तार करने के लिए किसी प्रकार के औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। तथापि सरकार उर्वरक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रेरक नीतियां अपनाती है ताकि प्रमुख उर्वरकों की स्वदेशी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। यूरिया के मामले में, हाल ही में सरकार ने (क) नई एवं विस्तार यूरिया परियोजनाओं, और (ख) मौजूदा गैर-गैस आधारित यूरिया इकाइयों को फीडस्टाक/ईंधन के लिए प्राकृतिक गैस/एलएनजी में परिवर्तित करने हेतु किए जाने वाले निवेश के लिए हाल ही में मूल्यनिर्धारण नीति की घोषणा की है। यूरिया की स्वदेशी उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए बहु-राज्यीय सहकारी समितियों इफको और कृभको ओमान आयल कम्पनी, के साथ मिलकर सुर ओमान में संयुक्त उद्यम स्थापित कर रही हैं और 16.52 लाख मी.टन के संपूर्ण उत्पादन का सरकार द्वारा आयात किया जाएगा। दूसरी ओर, फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों (एम ओ पी को छोड़कर) की स्थापित क्षमता (पोषक के रूप में 54.20 लाख मी.टन) वर्तमान आवश्यकता (गत तीन वर्षों की औसत खपत 46.47 लाख मी.टन है) को पूरा करने के लिए पर्याप्त है जहां तक एम ओ पी का संबंध है देश में पोटाश के किसी भी दोहनयोग्य भंडारों के न होने के कारण देश पूर्णत: आयात पर निर्भर है।

(ङ) पोषकों के रूप में, राज्य-वार मांग/खपत, संलग्न विवरण-II में दर्शायी गई है।

(च) आज की तारीख तक, देश में स्वदेशी उर्वरकों (एमओपी छोड़कर) की सामान्य आवश्यकता को पूरा करने में देश लगभग आत्मनिर्भरता के निकट है।

(छ) उपरोक्त (घ) में बताए गए अनुसार।

(ज) गत तीन वर्षों में आयात किए गए प्रमुख उर्वरकों की मात्रा से संबंधित ब्यौरे देशों के नाम सहित संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(झ) उपरोक्त (छ) में बताए गए अनुसार।

विवरण I

वर्ष 2001-02 से 2004-05 के दौरान देश में प्रमुख उर्वरक संयंत्रों की राज्यवार संख्या, उनकी स्थापित क्षमता पोषकों के रूप में उत्पादन

राज्य का नाम	संयंत्र का नाम	स्थापित क्षमता	उत्पादन			
			2001-02	2002-03	2003-04	2004-05*
1	2	3	4	5	6	7
नाइट्रोजन						('000'' मी.टन)
असम	बी वी एफ सी एल, नामरूप-2	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0
	बी वी एफ सी एल, नामरूप-3	144.9	29.6	85.7	110.7	115.0
पंजाब	एन एफ एल, नांगल-1	80.0	10.4	13.5	16.0	18.0
	एन एफ एल, नांगल-2	220.1	210.8	220.1	220.1	220.1
	एन एफ एल, भटिन्डा	253.3	236.5	235.5	235.5	235.3
तमिलनाडु	एम एफ एल, चेन्नै	366.7	230.5	256.5	253.5	333.1
	स्पिक, तूतीकोरिन	370.7	338.9	324.3	344.3	394.2
	इ आई डी, पैरी, इन्नोर	41.2	35.0	30.8	34.0	40.6
	टी ए सी, तूतीकोरिन	16.0	20.4	19.7	20.5	18.8
	एन एल सी, नैवेली	0.0	28.5	0.0	0.0	0.0
केरल	फैक्ट, उद्योगमंडल	77.0	87.8	69.4	68.1	212.9
	फैक्ट कोचीन-1	0.0	10.2	4.4	0.0	0.0
	फैक्ट कोचीन-2	97.0	123.9	103.7	85.3	126.0
गोवा	जैड आई एल, गोवा	288.7	281.6	264.2	278.1	286.9
महाराष्ट्र	आर सी एफ, ट्राम्बे	45.0	52.7	45.6	44.4	48.0
	आर सी एफ, ट्राम्बे-4	75.1	55.9	51.7	48.8	52.0
	आर सी एफ, ट्राम्बे-5	151.8	18.1	9.6	8.1	0.0
	आर सी एफ, थाई	785.1	667.5	707.2	796.5	790.2
	डी एफ पी सी एल, तलोजा	52.9	42.0	38.7	34.6	52.9
कर्नाटक	एम सी एफ, मंगलौर	207.2	182.4	199.0	170.9	208.0
मध्य प्रदेश	एन एफ एल, विजयपुर	397.7	392.6	397.7	406.4	397.7
	एन एफ एल, विजयपुर, विस्तार	397.7	392.6	398.8	400.3	397.7

1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान	सी एफ सी एल गडेपन-1	397.7	394.5	397.9	417.6	397.7
	सी एफ सी एल गडेपन-2	397.7	394.2	397.8	393.1	397.7
	एस एफ सी, कोटा	174.4	151.8	181.1	167.4	174.3
गुजरात	इफको, कांडला	318.9	307.0	368.0	322.1	338.5
	इफको, कलोल	250.5	253.1	246.5	220.6	250.7
	कृभको हजीरा	795.4	779.3	737.6	815.6	749.0
	जी एस एफ सी, वड़ोदरा	248.1	221.6	178.5	223.1	225.2
	जी एन एफ सी, भरूच	356.7	364.2	357.9	336.5	356.8
	जी एस एफ सी, सिक्का-1	105.8	115.7	117.9	81.0	85.9
	जी एस एफ सी, सिक्का-2	71.3	0.0	0.0	9.5	58.1
	हिन्डालको इन्डी. लिमि., दहेज	72.0	52.7	54.2	40.9	72.0
आंध्र प्रदेश	सी एफ एल, विजाग	124.0	124.1	111.9	133.8	130.8
	जी एफ सी एल, काकीनाड़ा	120.6	129.5	134.7	142.8	156.1
	एन एफ सी एल, काकीनाड़ा-1	274.8	281.2	258.4	275.3	274.8
	एन एफ सी एल, काकीनाड़ा-2	274.8	280.8	287.7	273.9	274.8
उत्तर प्रदेश	इफको, फूलपुर-1	253.5	235.5	253.6	248.7	253.5
	इफको, फूलपुर-2	397.7	394.5	397.8	391.5	397.7
	इफको, आंवला-1	397.7	324.8	398.4	397.8	397.7
	इफको ,आंवला-2	397.7	397.6	398.0	397.8	415.2
	डी आई एल, कानपुर	332.1	303.0	0.0	0.0	0.0
	आई जी सी एल, जगदीशपुर	397.7	391.1	397.7	396.6	437.6
	टी सी एल, बबराला	397.7	392.6	397.8	397.7	397.7
	ओ सी एफ, शाहजहांपुर	397.7	386.7	374.7	394.5	397.7
हरियाणा	एन एफ एल, पानीपत	235.3	235.3	225.4	235.3	235.3
झारखंड	एस ए आई एल, राउरकेला	120.0	0.1	0.4	0.0	0.0
उड़ीसा	ओ सी एफ, पारादीप	325.2	203.2	132.2	65.1	343.0
	पी पी एल, पारादीप	129.6	0.0	134.5	164.9	180.4
बिहार	एफ सी आई, सिन्दरी	0.0	35.1	0.0	0.0	0.0
पश्चिम बंगाल	एच एल एल, हल्दिया	121.5	106.3	111.7	91.1	118.1

1	2	3	4	5	6	7
फास्फेट						
आंध्र प्रदेश	सी एफ एल, विजाग	166.0	153.9	150.2	175.7	195.8
	जी एफ सी एल, काकीनाड़ा	308.2	285.8	285.2	362.2	399.1
महाराष्ट्र	आर सी एफ, ट्राम्बे	45.0	52.7	45.6	44.4	48.0
	आर सी एफ, ट्राम्बे-4	75.1	55.9	51.7	48.8	52.0
	डी एफ पी सी एल, तलोजा	52.9	42.0	38.7	34.6	52.9
कर्नाटक	एम सी एफ, मंगलौर	82.0	66.5	46.7	40.2	72.4
गुजरात	इफको, कांडला	825.1	793.3	949.5	832.6	875.1
	जी एस एफ सी, वड़ोदरा	75.9	55.7	35.4	65.0	69.0
	जी एस एफ सी, सिक्का-1	270.5	277.0	301.2	206.9	219.4
	जी एस एफ सी, सिक्का-2	182.2	0.0	0.0	24.2	148.6
	हिंडाल्को इंड. लि., दहेज	184.0	134.7	137.2	103.6	184.0
उड़ीसा	ओ सी एफ, पारादीप	802.8	519.3	337.7	151.6	721.0
	पी पी एल, पारादीप	331.2	0.0	292.9	344.0	384.5
पश्चिम बंगाल	एच एल एल, हिल्दया	301.5	296.4	310.0	234.0	332.2
तमिलनाडु	एम एफ एल, चेन्नै	142.8	99.3	73.4	77.6	124.7
	स्पिक, तूतीकोरिन	218.5	147.5	143.0	146.2	221.0
	ई आई डी, पैरी, इन्नौर	48.0	42.8	37.7	38.4	45.0
केरल	फैक्ट, उद्योगमंडल	29.7	41.4	31.3	28.2	39.0
	फैक्ट, कोचीन-2	97.0	123.9	103.7	85.3	126.0
गोवा	जैड आई एल, गोवा	197.4	140.4	141.8	166.1	183.5

*अनुमानित

विवरण II

वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान पोषकों के रूप में उर्वरकों की राज्यवार खपत और खरीफ 2004 के लिए आवश्यकता

('000' मी.ट.)

राज्य का नाम	2001-02			2002-03			2003-2004*			खरीफ-2004**		
	नाइट्रोजन	फास्फेट	पोटाश	एन	पी	के	एन	पी	के	एन	पी	के
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	1182.7	545.4	226.5	1035.7	433.9	302.0	1150.9	459.8	239.60	683.3	353.6	126.4
कर्नाटक	670.7	360.4	218.3	601.0	303.6	195.2	534.8	279.4	201.1	422.0	233.9	147.7
केरल	76.4	37.2	63.5	86.7	40.2	77.8	87.1	42.5	76.5	50.3	25.8	48.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
तमिलनाडु	505.0	205.1	227.9	420.4	150.9	171.9	395.7	188.3	179.3	169.4	80.5	88.6
पांडिचेरी	13.6	6.5	5.4	18.9	8.3	6.2	20.3	9.5	6.9	7.5	3.8	2.6
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.2	0.2	0.1	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1
लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
गुजरात	605.6	240.2	69.4	510.8	207.0	71.6	747.6	308.1	81.0	340.3	135.2	31.5
मध्य प्रदेश	432.0	308.4	32.0	387.1	284.9	32.5	522.8	325.4	45.9	223.0	184.7	22.8
छत्तीसगढ़	174.0	73.3	19.5	157.9	70.8	21.6	193.0	80.0	29.4	173.0	75.0	30.0
महाराष्ट्र	992.7	459.7	236.8	954.7	495.5	229.3	953.4	472.3	235.4	582.3	280.5	122.3
राजस्थान	582.3	200.0	6.8	401.6	141.9	7.0	570.2	222.2	9.9	266.4	128.3	5.4
गोवा	2.7	1.5	1.6	2.5	1.4	1.6	2.8	1.6	1.8	1.6	1.1	1.2
दमन एवं दीव	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
दादरा एवं नगर हवेली	0.7	0.4	0.0	0.6	0.4	0.1	0.6	0.4	0.1	0.6	0.4	0.02
हरियाणा	742.0	232.2	9.7	690.3	221.7	9.2	761.8	230.2	17.1	315.9	80.4	8.5
पंजाब	1070.3	307.8	29.2	1111.3	298.9	31.7	1121.8	334.8	38.9	574.6	138.1	25.0
उत्तर प्रदेश	2503.5	749.5	98.6	2373.0	729.1	142.2	2410.3	788.6	158.4	1147.6	287.1	49.0
उत्तरांचल	86.9	23.1	9.2	91.8	24.8	9.5	94.7	28.9	11.6	49.3	10.8	5.4
हिमाचल प्रदेश	27.5	7.0	5.6	25.6	7.9	6.2	30.3	8.5	7.0	17.8	1.9	1.0
जम्मू एवं कश्मीर	51.1	17.1	1.6	46.5	17.2	1.1	55.5	19.8	3.2	34.8	18.4	6.0
दिल्ली	2.7	0.8	0.0	3.1	0.1	0.0	2.5	0.8	0.0	3.3	1.4	0.3
चंडीगढ़	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
बिहार	597.8	112.1	49.7	622.8	113.0	27.1	641.5	72.8	27.2	367.8	–	39.1
झारखंड	75.6	41.7	2.2	64.6	38.7	4.1	78.6	45.5	6.0	75.1	42.1	9.1
उड़ीसा	221.2	71.9	51.5	185.8	62.9	42.3	223.4	81.5	51.8	193.1	61.9	41.0
पश्चिम बंगाल	586.8	329.8	261.5	563.0	341.2	263.4	588.2	337.4	275.0	272.8	139.4	105.7
असम	75.6	41.6	35.7	86.3	46.1	42.1	102.5	54.5	50.2	50.4	32.0	27.0
त्रिपुरा	7.3	3.8	2.3	5.8	2.2	1.3	8.1	2.7	1.8	6.1	1.4	1.4
मणिपुर	18.7	2.6	1.4	22.4	2.8	1.7	22.0	3.1	1.4	17.4	2.3	1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मेघालय	2.8	1.6	0.1	2.7	1.7	0.1	3.1	2.0	0.2	2.0	1.3	0.1
नागालैंड	0.3	0.2	0.0	0.3	0.2	0.1	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1
अरुणाचल प्रदेश	0.4	0.2	0.1	0.4	0.2	0.1	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.04
सिक्किम	0.6	0.4	0.1	0.7	0.4	0.1	0.3	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0
मिजोरम	0.6	0.6	0.4	0.7	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*अनुमानित

**आवश्यकता

विवरण III

वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान तैयार उर्वरकों का आयात

(000 टन में)
(मूल्य लाख रुपये में)

उत्पाद एवं आयात का स्रोत	2001-02	2002-03	2003-04	
1	2	3	4	
यूरिया				
बंगलादेश	32	1532.3	0	0
सीआईएस	154	7710.6	0	0
लीबीया	19	1001.1	0	0
यूएई	15	744.3	0	0
योग	220	10988.3	0	0
डाई-अमोनियम फास्फेट				
आस्ट्रेलिया	49	–	0	0
सीआईएस	21	–	76	118
जार्डन	258	–	73	60
मोरक्को	108	–	32	0
सउदी अरब	0	–	0	25
यूएसए	497	–	202	496
लिथेनिया	0	–	0	35
योग	933	–	383	734
म्यूरिऐट आफ पोटाश				
कनाडा	175	–	206	451
जार्डन	614	–	446	658
जर्मनी	97	–	167	118
इजराइल	356	–	412	255
सीआईएस	1568	–	1372	1098
योग	2810	–	2603	2580

डीएपी और एमओपी के मामले में, ये नियंत्रणमुक्त उर्वरक हैं और इनका आयात आयातकों द्वारा निजी खाते में किया जाता है। इस प्रकार जिन मूल्यों पर इन वस्तुओं का आयात किया गया है, उससे संबंधित आंकड़े विभाग के पास नहीं हैं।

[अनुवाद]

राइस हस्क ऐश आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना

216. श्री बसुदेव आचार्य: क्या अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राइस हस्क ऐश आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना की संभावना का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) अपरांरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय चावल की भूसी सहित विभिन्न बायोमास सामग्रियों का प्रयोग करने के लिए बायोमास विद्युत संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा दे रहा है। तथापि, वाणिज्यिक

व्यवहार्य दरों पर विद्युत उत्पादन करने के लिए चावल भूसी का प्रयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक इकाइयां

217. **श्री पी.एस. गढ़वी:**
श्री कमला प्रसाद रावत:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में सरकारी और निजी क्षेत्र में राज्यवार कितनी उर्वरक इकाइयां कार्यरत हैं;

(ख) क्या ये इकाइयां अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इन इकाइयों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में नए उर्वरक कारखाने स्थापित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) वर्तमान में देश में सरकारी/निजी, दोनों क्षेत्रों में प्रचालनरत उर्वरक इकाइयों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) दिनांक 24 जुलाई, 1991 के प्रौद्योगिक नीति विषयक संकल्प के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की शर्त के अधीन उर्वरक संयंत्र लगाने और मौजूदा उर्वरक संयंत्रों का विस्तार करने के लिए किसी प्रकार के औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। तथापि, सरकार उर्वरक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रेरक नीतियों का अनुपालन कर रही है। यूरिया के मामले में, सरकार ने यूरिया की नई और विस्तार परियोजनाओं में किये जाने वाले निवेश के बारे में हाल ही में नई मूल्य निर्धारण नीति की घोषणा की है। जहां तक अन्य नियंत्रणमुक्त उर्वरकों मुख्यत: डीएपी और एनपीके मिश्रितों का संबंध है, मौजूदा संयंत्रों की स्थापित उत्पादन क्षमता (पोषक के रूप में 54.20 लाख मी. टन) इन उर्वरक की वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए (पोषक के रूप में गत तीन वर्षों की औसत खपत 46.47 लाख मी. टन है) काफी है। एमओपी के लिए कोई दोहन योग्य भंडार न होने के कारण देश पूर्णत: आयात पर निर्भर है।

(ङ) जी, नहीं। वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा नये उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश में प्रमुख उर्वरक संयंत्रों की राज्यवार संख्या, उनकी स्थापित क्षमता, पोषक के रूप में उत्पादन तथा वर्ष 2003-04 के दौरान % क्षमता उपयोग

(000 मी. टन)

राज्य का नाम	संयंत्रों की संख्या	स्थापित क्षमता	उत्पादन	% क्षमता उपयोग
1	2	3	4	5
नाइट्रोजन				
असम	2	144.9	110.7	76.4
आंध्र प्रदेश	4	794.2	825.8	104.0
तमिलनाडु	4	794.6	652.3	82.1
केरल	3	174.0	153.4	88.2

1	2	3	4	5
गोवा	1	288.7	278.1	96.3
महाराष्ट्र	5	1109.9	932.4	84.0
कर्नाटक	1	207.2	170.9	82.5
मध्य प्रदेश	2	795.4	806.4	101.4
राजस्थान	3	969.7	978.1	101.0
गुजरात	8	2218.7	2049.3	92.4
पंजाब	3	535.4	471.4	88.0
उत्तर प्रदेश	7	2819.2	3167.3	112.4
हरियाणा	1	235.3	235.3	100.0
झारखंड	1	120.0	0.0	0.0
उड़ीसा	2	454.8	230.0	50.6
पश्चिम बंगाल	1	121.5	91.1	75.0
फास्फेट				
आंध्र प्रदेश	2	474.2	537.9	113.4
तमिलनाडु	3	409.3	262.2	64.1
केरल	3	126.7	113.5	89.6
गोवा	1	197.4	166.1	84.1
महाराष्ट्र	3	173.0	127.8	73.9
कर्नाटक	1	82.8	40.2	48.6
गुजरात	5	1566.2	1153.0	73.6
उड़ीसा	2	1134.0	495.6	43.7
पश्चिम बंगाल	1	310.5	234.0	75.4

[हिन्दी]

आदिवासियों का विकास

218. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:**
श्री एस. अजय कुमार:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक आदिवासियों के विकास हेतु राज्यवार और योजनावार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आदिवासियों के विकास के संबंध में कितनी उपलब्धि हासिल की गई है;

(ग) क्या सरकार का किसी राज्य विशेषकर राजस्थान को इस प्रयोजनार्थ विशेष पैकेज देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्तमान में देश में राज्यवार आदिवासी जनसंख्या कितनी है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जनजातियों के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान (2001-2002, 2002-03 और 2003-04) और आज तक निर्मुक्त की गई निधियों का राज्यवार और योजनावार ब्यौरा विवरण I से IV में दिए गए हैं।

(ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जनजातियों का चहुंमुखी सामाजिक-आर्थिक विकास हुआ है। जनजातियों को आय और रोजगार में वृद्धि अवस्थापना विकास, शैक्षणिक विकास और उनकी साक्षरता में सुधार के रूप में लाभ हो रहा है। ये योजनाएं लघु वनोत्पादों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के साथ-साथ उन्हें खाद्य सुरक्षा भी उपलब्ध करा रही हैं।

(ग) और (घ) जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाएं/कार्यक्रम राज्य सहित सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। चूंकि यह योजनाएं/कार्यक्रम राज्य की जरूरतों को पहले से ही पूरा कर रहे हैं इसलिए इस मंत्रालय का राजस्थान राज्य को विशेष पैकेज देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) देश में जनजातीय आबादी का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण V पर दिया गया है।

विवरण I

2001-2002 के दौरान राज्य सरकारों को निर्मुक्त निधियां

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	योजना/राज्य	विशेष केन्द्रीय सहायता	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	लड़कियों के छात्रावास	लड़कों के छात्रावास	शैक्षिक परिसर	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र		आश्रम स्कूल	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण (ज.अ.सं.)	राज्य ज.सह. वि.नि. को सहायता अनुदान	अन्न बैंक
							(राज्य सरकार)	(एन.जी.ओ.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	2732.80	2715.35	232.50	–	245.29	145.16	52.60	262.50	2.27	520.00	–
2.	असम	3058.99	845.56	–	–	–	–	21.37	–	36.69	–	–
3.	बिहार	556.56	209.35	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	गुजरात	3930.91	3050.00	10.29	21.57	19.31	86.27	–	157.30	20.00	–	–
5.	हिमाचल प्रदेश	643.53	80.00	126.60	113.50	–	–	–	–	0.92	–	–
6.	जम्मू व कश्मीर	971.94	502.94	–	–	–	10.07	–	–	–	–	–
7.	कर्नाटक	771.33	1314.37	40.00	135.00	8.16	40.50	–	128.00	0.76	–	–
8.	केरल	273.70	117.50	0.59	22.05	–	–	–	–	14.90	–	–
9.	मध्य प्रदेश	7833.22	4346.06	–	–	8.53	–	0.82	–	13.14	–	80.78
10.	महाराष्ट्र	3723.83	2672.50	67.72	217.90	10.77	–	–	–	16.50	200.00	83.18
11.	मणिपुर	761.96	230.00	–	–	–	–	–	–	0.44	–	–
12.	उड़ीसा	6495.30	4104.91	25.00	30.00	32.52	–	3.53	–	62.09	200.00	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	राजस्थान	3649.56	2550.00	–	–	39.58	–	–	–	4.53	251.61	–
14.	सिक्किम	108.02	239.38	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	तमिलनाडु	323.32	405.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	त्रिपुरा	1041.03	462.50	10.00	40.00	–	–	–	50.00	25.36	62.06	18.04
17.	उत्तर प्रदेश	32.10	176.95	–	–	6.97	–	–	–	0.44	–	–
18.	पश्चिम बंगाल	2202.57	1406.66	–	–	10.84	–	–	–	31.21	–	–
19.	झारखंड	5870.24	2208.15	197.40	197.40	–	–	–	–	40.31	–	–
20.	छत्तीसगढ़	4626.18	2086.77	10.00	–	9.95	–	7.22	400.00	–	–	–
21.	उत्तरांचल	92.91	78.05	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	अंडमान व निकोबार	230.85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	दमन व दीव	99.15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	दिल्ली	–	–	–	50.00	7.05	–	–	–	–	–	–
25.	अरुणाचल प्रदेश	–	200.00	–	10.00	–	–	–	–	0.44	–	–
26.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47.00	–
27.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	14.46	–	–	–	–
28.	मिजोरम	–	–	–	–	–	18.00	–	–	–	–	–
29.	दादरा व नगर हवेली	–	–	50.00	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	50030.00	30000.00	770.10	837.42	398.97	300.00	100.00	997.80	270.00	1280.67	282**

क्र.सं.	योजना/राज्य	आदिम जनजातीय समूहों का विकास		मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	कोचिंग एवं सम्बद्ध	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	प्रतिभा उन्नयन	जनजातीय समुदायों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान	पुस्तक बैंक	योग
		राज्य सरकार	एन.जी.ओ.							
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	आंध्र प्रदेश	262.27	6.18	1915.10	–	315.59	–	–	30.29	9437.90
2.	असम	–	–	–	–	87.05	8.85	–	1.99	4060.50
3.	बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–	756.91
4.	गुजरात	300.00	25.00	–	–	91.98	–	1.86	4.88	7719.37
5.	हिमाचल प्रदेश	–	–	20.27	–	60.72	0.15	–	–	1043.69

1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6.	जम्मू व कश्मीर	–	–	39.03	–	36.89	–	–	–	1560.87
7.	कर्नाटक	96.94	25.74	239.75	2.15	195.35	–	6.25	23.94	3028.24
8.	केरल	–	–	92.00	–	111.45	0.75	–	–	632.94
9.	मध्य प्रदेश	–	4.27	323.18	9.93	64.68	–	–	–	12684.61
10.	महाराष्ट्र	31.36	35.12	368.61	–	58.75	–	–	–	7486.24
11.	मणिपुर	–	–	737.49	–	70.13	–	–	–	1800.02
12.	उड़ीसा	–	120.95	–	2.49	235.08	10.20	–	–	11422.07
13.	राजस्थान	–	–	1110.05	–	28.23	7.05	–	6.00	7646.61
14.	सिक्किम	–	–	–	–	5.35	–	–	–	352.75
15.	तमिलनाडु	49.54	–	3.31	–	34.82	–	–	2.06	818.05
16.	त्रिपुरा	86.31	–	90.79	–	19.95	2.40	1.29	2.83	1912.56
17.	उत्तर प्रदेश	23.48	–	6.40	–	15.63	–	–	–	261.97
18.	पश्चिम बंगाल	50.00	–	73.63	–	246.41	4.50	–	–	4025.82
19.	झारखंड	–	147.04	–	–	362.16	–	–	–	9022.70
20.	छत्तीसगढ़	–	54.01	–	–	12.71	–	–	–	7206.84
21.	उत्तरांचल	100.00	–	166.54	–	27.08	–	–	–	464.58
22.	अंडमान व निकोबार	–	–	0.55	2.79	–	–	–	–	234.19
23.	दमन व दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	99.15
24.	दिल्ली	–	–	–	7.14	121.51	–	–	–	185.70
25.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	296.44	–	–	–	506.88
26.	मेघालय	–	–	732.70	–	359.35	–	–	–	1139.05
27.	नागालैंड	–	–	509.82	–	2.43	–	–	–	526.71
28.	मिजोरम	–	–	249.00	–	36.82	–	1.63	–	305.45
29.	दादरा व नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	50.00
	कुल	999.90	418.31	6678.22	24.50	2896.56	33.90	11.03	71.99	96401.37

निर्मुक्त राशियों के राज्यवार ब्यौरे जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध नहीं हैं, नीचे दिए गए हैं:

अखिल भारतीय या अंतर्राज्यीय प्रकृति की परियोजनाओं को समर्थन	55.00
ट्राइफेड को मूल्य समर्थन	400.00
सूचना एवं जन संचार माध्यम	150.00
राज्य जनजातीय वित्त विकास निगम (त्रिपुरा)	19.00
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	2700.00

*वर्ष 2001-02 के दौरान 2.20 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई। अतिरिक्त धनराशि ट्राइफेड द्वारा उनके अधिशेष से निर्मुक्त की गई।

विवरण II

2002-2003 के दौरान राज्य सरकारों को निर्मुक्त निधियां

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	योजना/राज्य	विशेष केन्द्रीय सहायता	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	लड़कियों के छात्रावास	लड़कों के छात्रावास	शैक्षिक परिसर	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र		आश्रम स्कूल	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण (ज.अ. सं.)	राज्य ज.सह. वि.नि. को सहायता अनुदान	अन्य बैंक
							(राज्य सरकार)	(एन.जी. ओ.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	2732.80	2160.30	128.00	204.50	211.83	–	59.40	–	5.48	480.00	177.72
2.	असम	3058.99	1023.40	–	–	–	44.26	18.99	–	5.31	0.00	0.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	300.00	20.00	38.00	9.04	0.00	4.80	0.00	0.44	0.00	0.00
4.	बिहार	556.56	209.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	4626.18	2679.50	–	–	9.73	118.95	1.40	–	–	0.00	0.00
6.	गुजरात	3930.91	2250.00	0.00	0.00	49.30	29.79	4.80	0.00	6.0	0.00	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	643.53	80.00	–	–	–	0.00	–	–	–	0.00	0.00
8.	जम्मू व कश्मीर	971.94	318.00	0.00	0.00	0.00	47.72	0.00	0.00	0.44	–	–
9.	झारखंड	5870.24	28.08.00	–	–	0.00	–	–	0.00	6.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	771.33	904.35	–	–	–	0.00	27.23	130.00	–	0.00	0.00
11.	केरल	273.70	588.00	–	–	–	0.00	–	–	2.50	225.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	7833.22	4052.32	440.00	422.00	92.47	–	44.16	820.00	101.04	0.00	712.16
13.	महाराष्ट्र	3723.83	2925.00	–	–	11.13	0.00	4.80	–	6.00	–	–
14.	मणिपुर	761.96	424.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	–	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	555.00	13.75	13.75	0.00	–	2.40	0.00	0.00	100.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैंड	0.00	0.00	32.50	32.50	0.00	0.00	29.56	0.00	–	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	6495.30	3641.60	–	–	124.49	64.15	23.29	–	3.64	400.00	–
19.	राजस्थान	3649.56	2224.48	–	–	34.62	0.00	0.00	–	10.78	119.37	0.00
20.	सिक्किम	108.02	83.00	–	–	0.00	0.00	0.00	–	–	0.00	0.00
21.	तमिलनाडु	323.32	210.00	–	–	0.30	0.00	2.40	–	6.97	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	त्रिपुरा	1041.03	665.50	–	–	0.00	54.00	0.00	–	5.00	122.00	–
23.	उत्तर प्रदेश	32.10	27.00	–	–	11.00	–	–	–	–	–	0.00
24.	उत्तरांचल	92.91	78.00	0.00	0.00	–	–	–	–	–	–	–
25.	पश्चिम बंगाल	2202.57	1543.00	–	5.00	42.11	6.13	0.00	–	40.40	53.63	28.93
26.	अंडमान व निकोबार	200.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00	0.00
27.	दमन व दीव	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	दादरा व नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	दिल्ली	0.00	0.00	–	–	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	50000.00	30000.00	634.25	715.75	610.10	40.100	228.03	950.00	229.50	1500.00	918.81

क्र.सं.	योजना/राज्य	आदिम जनजातीय समूहों का विकास		मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	कोचिंग एवं सम्बद्ध	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	प्रतिभा उन्नयन	जनजातीय समुदायों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान	राज्य जनजातीय विकास निगम	पुस्तक बैंक	योग
		राज्य सरकार	एन.जी.ओ.								
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	आंध्र प्रदेश	120.00	24.61	774.88	8.04	169.33	12.60	2.21	20.00	47.20	738.90
2.	असम	0.00	0.00	1275.94	1.69	122.81	–	–	–	–	5551.39
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	230.52	6.45	–	–	–	609.25
4.	बिहार	0.00	0.00	–	0.00	0.00	0.00	–	–	0.00	765.86
5.	छत्तीसगढ़	188.05	10.24	32.07	0.00	13.62	21.00	–	–	8.21	7718.95
6.	गुजरात	20.00	–	0.00	8.64	71.45	0.00	1.95	–	10.25	6383.09
7.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	–	2.90	57.72	–	–	19.21	0.00	803.36
8.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	6.50	0.00	74.38	2.10	–	–	7.00	1428.08
9.	झारखंड	0.00	345.00	–	0.00	352.70	0.00	–	–	0.00	9381.94
10.	कर्नाटक	80.00	1.75	75.38	1.76	255.19	0.00	–	40.00	20.00	2306.99
11.	केरल	3.45	0.00	–	0.00	63.09	–	1.94	–	0.00	1157.68
12.	मध्य प्रदेश	123.87	61.15	–	0.00	88.77	25.80	–	–	30.14	14847.10
13.	महाराष्ट्र	100.00	27.00	165.02	0.00	70.61	0.00	–	100.00	0.00	7133.39
14.	मणिपुर	5.16	6.25	820.11	0.00	124.35	0.00	2.08	–	0.00	2149.26
15.	मेघालय	0.00	0.00	805.98	0.00	284.39	0.00	–	–	0.00	1775.27

1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
16.	मिजोरम	0.00	0.00	370.98	0.00	84.47	0.00	–	–	0.00	731.45
17.	नागालैंड	0.00	0.00	697.19	0.00	40.44	0.00	–	–	0.00	832.19
18.	उड़ीसा	58.50	0.00	–	4.82	309.90	10.20	–	–	5.02	11140.94
19.	राजस्थान	90.23	24.00	131.95	–	51.53	4.45	18.73	–	5.20	6364.90
20.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	–	15.27	0.75	–	13.79	0.00	220.83
21.	तमिलनाडु	45.00	0.00	–	0.20	72.46	0.00	–	–	2.64	663.29
22.	त्रिपुरा	15.74	0.00	–	0.00	15.72	2.40	1.95	27.00	1.49	1951.83
23.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.63	46.73	0.00	–	–	0.00	117.46
24.	उत्तरांचल	10.00	0.00	–	2.67	51.03	0.00	–	–	0.00	234.61
25.	पश्चिम बंगाल	15.00	0.00	–	0.00	263.69	6.30	0.00	–	2.85	4209.61
26.	अंडमान व निकोबार	0.00	0.00	1.59	–	0.00	0.00	–	–	0.00	231.94
27.	दमन व दीव	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	–	–	0.00	100.20
28.	दादरा व नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00
29.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	8.79	126.58	0.00	–	–	0.00	139.15
	कुल	875.00	500.00	5158.64	40.14	3056.75	92.05	28.86*	220.00	140.00	96288.88

निर्मुक्त राशियों के राज्यवार ब्यौरे जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध नहीं हैं, नीचे दिए गए हैं:

1.	अखिल भारतीय या अंतर्राज्यीय प्रकृति की परियोजनाओं को समर्थन	135.00
2.	ट्राइफेड को मूल्य समर्थन	595.00
3.	सूचना एवं जन संचार माध्यम (कर्नाटक, सिक्किम, महाराष्ट्र एवं त्रिपुरा)	270.00
4.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	3300.00
	*पश्चिम क्षेत्र संस्कृति सहित	16.90

विवरण III

2003-2004 के दौरान राज्य सरकारों को निर्मुक्त निधियां

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	लड़कियों के छात्रावास	लड़कों के छात्रावास	शैक्षिक परिसर	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (राज्य सरकार)	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (एन.जी.ओ.)	आश्रम स्कूल	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण (ज.अ.सं.)	राज्य ज.सह. वि.नि. को सहायता अनुदान	अन्य बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	2459.52	1785.00	76.50	200.50	272.35	107.60	–	380.00	4.92	30.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	असम	2753.09	668.87	–	–	0.00	0.00	21.09	–	36.00	30.00	0.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
4.	बिहार	500.90	209.00	0.00	0.00	–	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	4405.13	2089.00	–	–	9.20	–	–	–	–	0.00	0.00
6.	गुजरात	3743.09	2280.00	0.00	0.00	28.91	141.46	–	0.00	36.21	0.00	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	612.79	80.00	–	–	0.00	0.00	0.00	–	0.43	0.00	0.00
8.	जम्मू व कश्मीर	925.50	367.00	0.00	0.00	–	–	–	0.00	–	–	–
9.	झारखंड	5283.22	2208.00	408.93	408.93	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	694.19	797.00	50.00	100.00	0.00	0.00	6.99	–	–	0.00	0.00
11.	केरल	260.62	158.00	–	–	–	0.00	–	–	17.50	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	7458.93	3821.58	–	–	74.92	0.00	28.60	–	21.16	300.00	–
13.	महाराष्ट्र	3351.45	2672.00	–	–	3.18	73.52	6.99	–	27.75	0.00	27.73
14.	मणिपुर	725.55	230.00	24.92	24.92	0.00	0.00	–	0.00	–	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	50.00	–	–	–	–	6.78	0.00	0.00	30.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	61.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैंड	0.00	0.00	75.00	75.00	–	0.00	–	0.00	–	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	6184.94	2830.00	41.46	–	91.55	–	33.34	–	44.30	30.00	–
19.	राजस्थान	3284.60	2070.00	–	–	52.74	0.00	0.00	–	5.40	–	0.00
20.	सिक्किम	102.86	33.00	–	–	0.00	16.34	0.00	–	–	0.00	0.00
21.	तमिलनाडु	249.99	250.00	–	–	–	–	6.99	–	–	0.00	0.00
22.	त्रिपुरा	991.29	313.00	50.00	50.00	0.00	–	0.00	50.00	15.72	–	10.79
23.	उत्तर प्रदेश	30.57	27.00	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00
24.	उत्तरांचल	88.47	128.00	0.00	0.00	–	–	–	217.00	–	–	–
25.	पश्चिम बंगाल	1982.31	1763.00	31.21	26.66	25.88	–	0.00	–	–	–	68.73
26.	अंडमान व निकोबार	–	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	0.00	0.00
27.	दमन व दीव	–	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	दादरा व नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	7.23	–	–	–	–
29.	दिल्ली	0.00	0.00	115.31	115.31	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	46130.01	25270.00	873.33	1001.32	572.18	400.00	118.01	647.00	253.39	450.00	107.25

क्र.सं.	योजना	आदिम जनजातीय समूहों का विकास		मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	कोचिंग एवं सम्बद्ध	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	प्रतिभा उन्नयन	जनजातीय समुदायों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान	राज्य जनजातीय विकास निगम	पुस्तक बैंक	योग
		राज्य सरकार	एन.जी.ओ.								
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	आंध्र प्रदेश	192.85	53.57	2435.70	–	138.21	–	1.78	–	–	8138.50
2.	असम	0.00	0.00	–	0.00	70.33	–	2.05	50.00	3.00	3634.43
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	65.19	0.00	277.04	0.00	0.00	–	–	572.23
4.	बिहार	0.00	0.00	–	0.00	0.00	0.00	0.00	–	0.00	709.90
5.	छत्तीसगढ़	30.01	91.45	–	0.00	19.85	21.00	0.00	–	7.29	6672.93
6.	गुजरात	40.00	–	185.27	–	120.59	3.45	2.16	–	–	6581.14
7.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	–	–	48.26	–	0.94	24.02	1.41	767.85
8.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	–	0.00	20.72	–	0.00	–	–	1313.22
9.	झारखंड	0.00	197.67	–	0.00	464.72	0.00	0.00	66.10	0.00	9081.57
10.	कर्नाटक	36.90	25.57	–	–	142.50	0.00	–	14.00	20.00	1887.15
11.	केरल	–	0.00	–	0.00	40.12	–	–	2.88	0.00	479.12
12.	मध्य प्रदेश	284.19	73.51	81.62	0.00	45.54	–	11.73	69.00	18.09	12288.87
13.	महाराष्ट्र	288.00	13.12	391.92	0.00	90.01	0.00	0.00	52.00	0.00	6997.67
14.	मणिपुर	–	0.51	928.93	0.00	145.68	0.00	–	–	0.00	2080.51
15.	मेघालय	0.00	0.00	339.99	0.00	298.70	0.00	0.65	–	0.00	726.67
16.	मिजोरम	0.00	0.00	369.00	0.00	6.16	0.00	4.04	–	0.00	680.28
17.	नागालैंड	0.00	0.00	1028.61	0.00	0.88	0.00	–	–	0.00	1179.49
18.	उड़ीसा	150.00	19.60	–	–	255.78	40.80	–	–	5.62	9727.39
19.	राजस्थान	10.00	–	484.00	0.00	22.58	7.73	–	–	5.60	5942.65
20.	सिक्किम	0.00	0.00	12.69	0.00	29.35	1.50	–	5.33	0.00	201.07
21.	तमिलनाडु	10.00	0.00	–	–	20.79	0.00	–	–	–	578.77
22.	त्रिपुरा	85.00	0.00	161.09	0.00	9.34	2.40	–	46.67	–	1785.30
23.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	–	5.20	0.00	–	–	0.00	62.77
24.	उत्तरांचल	–	0.00	–	–	20.74	0.00	–	49.00	2.42	505.63
25.	पश्चिम बंगाल	11.05	0.00	94.56	0.00	295.62	–	–	–	–	4299.02

1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
26.	अंडमान व निकोबार	0.00	0.00	0.89	–	0.00	0.00	1.80	–	0.00	2.69
27.	दमन व दीव	0.00	0.00	–	0.00	0.00	0.00	–	–	0.00	0.00
28.	दादरा व नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	2.39	–	–	9.62
29.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	–	40.69	0.00	0.00	–	0.00	284.76
	कुल	1138.00	475.00	*6579.46	0.00	2629.40	76.88	27.54	379.00	63.43	87191.20

*इसमें उत्तर-पूर्वी पूल से निर्मुक्त 1600.00 लाख रुपए शामिल हैं।

निर्मुक्त राशियों के राज्यवार ब्यौरे जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध नहीं हैं, नीचे दिए गए हैं:

(लाख रुपए में)

1.	अखिल भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति की परियोजनाओं को समर्थन	101.00
2.	ट्राइफेड को मूल्य समर्थन	600.00
3.	सूचना एवं जन संचार माध्यम	150.00
4.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	1070.00
5.	एन.जी.ओ. विशेष प्रोत्साहन	43.00
	कुल	1964.00
	कुल योग	87191.20 + 1964.00 = 89155.20

विवरण IV

2004-05 के दौरान राज्य सरकारों को निर्मुक्त/निर्मुक्ताधीन निधियां (आज की तारीख तक)

(लाख रुपए में)

राज्य	विशेष केन्द्रीय सहायता*	संविधान के अनुच्छेद 275(1)*	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	प्रतिभा उन्नयन
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	1229.76	86.93	9.21	461.23	–	–
अरुणाचल प्रदेश	–	220.00	–	–	–	–
असम	1376.54	–	1.03	–	62.54	–
बिहार	250.45	–	–	–	–	–
गुजरात	1768.91	2049.00	3.87	119.00	48.21	–
हिमाचल प्रदेश	289.59	18.50	–	3.50	–	–
कर्नाटक	347.10	–	19.19	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
केरल	123.17	129.80	15.15	–	–	–
जम्मू व कश्मीर	–	4.00	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	3524.95	810.64	7.13	–	–	–
महाराष्ट्र	1675.72	1.50	–	196.00	–	–
मणिपुर	342.88	–	–	489.00	–	–
मेघालय	–	–	–	506.28	–	–
मिजोरम	–	–	–	214.00	–	–
उड़ीसा	2922.88	–	2.25	–	–	–
राजस्थान	1642.30	–	–	1042.57	–	–
सिक्किम	48.61	36.30	–	3.50	–	2.25
तमिलनाडु	145.49	00	–	2.77	–	–
त्रिपुरा	468.47	00	–	50.35	–	–
उत्तर प्रदेश	14.44	00	–	–	–	–
पश्चिम बंगाल	991.15	00	3.91	28.00	–	–
झारखंड	2641.61	342.00	–	–	–	–
छत्तीसगढ़	2081.78	42.70	–	71.45	–	–
उत्तरांचल	41.81	29.41	–	–	–	–
कुल	21927.61	3770.78	61.74	3187.65	110.75	2.25

*स्वीकृति आदेश जारी किये जा रहे हैं।

विवरण V

राज्यवार जनजातीय जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जनसंख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5024104
2.	अरुणाचल प्रदेश	705158
3.	असम	3308570
4.	बिहार	758351
5.	छत्तीसगढ़	6616596
6.	गुजरात	7481160
7.	गोवा	566
8.	हिमाचल प्रदेश	244587
9.	हरियाणा	0
10.	झारखंड	7087068
11.	जम्मू व कश्मीर	1105979
12.	कर्नाटक	3463986

1	2	3
13.	केरल	364189
14.	मध्य प्रदेश	12233474
15.	महाराष्ट्र	8577270
16.	मिजोरम	839310
17.	मेघालय	1992862
18.	मणिपुर	930542 (अनुमानित)
19.	नागालैंड	1769561
20.	उड़ीसा	8145081
21.	पंजाब	0
22.	राजस्थान	7097706
23.	सिक्किम	111405
24.	तमिलनाडु	651321
25.	त्रिपुरा	993426
26.	उत्तरांचल	256129
27.	उत्तर प्रदेश	107963
28.	पश्चिम बंगाल	4406794
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	29469
30.	चंडीगढ़	0
31.	दिल्ली	0
32.	दादरा व नगर हवेली	137225
33.	दमन व दीव	13997
34.	लक्षद्वीप	57321
35.	पांडिचेरी	0
	कुल	84511216

[अनुवाद]

विदेशों में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

219. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न देशों में कितनी विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ख) इनमें भारत सरकार का योगदान कितना है, और

(ग) इन परियोजनाओं का निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) भूटान में ताला जल विद्युत परियोजना (6×170 मेगावाट = 1020 मेगावाट) भारत सरकार की सहायता से निर्माणाधीन है।

(ख) इस परियोजना का वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा अनुदान (60%) तथा 9% प्रति वर्ष ब्याज दर से ऋण (40%) के जरिये किया जा रहा है और भूटान की अधिशेष विद्युत को परस्पर सहमत दरों पर भारत को बेचा जाएगा। यह परियोजना पूर्णत: भूटान राजकीय सरकार के नियंत्रण में रहेगी। परियोजना की स्वीकृत संशोधित पूर्ण लागत 3580 करोड़ रुपये है।

(ग) परियोजना को 2005-06 में पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

उद्योगों का अवैध कार्यकरण

220. श्री मोहन एस. डेलकर: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दादरा और नगर हवेली के पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए विभिन्न लाभ और कर संबंधी छूटें दी हैं और स्थानीय प्रशासन ने उद्योगों को भूमि की एन. ए. अनुमति इस शर्त के आधार पर दी है कि वे 80 प्रतिशत रोजगार स्थानीय आदिवासियों के देंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इन क्षेत्रों में कोई भी उद्योग उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय को उद्योगों के ऐसे अवैध कार्यकरण की जानकारी है जिसके अन्तर्गत गरीब आदिवासियों को वंचित किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में स्थानीय प्रशासन को क्या निर्देश दिए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा दादरा और नगर हवेली में स्थानीय आदिवासियों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

शहरी विकास योजनाओं के अंतर्गत धनराशि का आवंटन

221. श्री देविदास पिंगले: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्ष 1999 से मार्च 2004 के दौरान विभिन्न राज्यों को शहरी विकास योजनाओं के अंतर्गत वर्षवार योजनावार और राज्यवार प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न शहरी विकास योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र हेतु स्वीकृत प्रस्तावों का वर्षवार योजनावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री

222. श्री गुरूदास कामत: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भोपाल में वर्ष 1984 में गैस रिसाव से तहस-नहस हुई फैक्ट्री की सफाई कराने के लिए अमेरिका यूनियन कार्बाइड को निर्देश देने के लिए राजी हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले पर कार्रवाई नहीं की जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) इस मुद्दे के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) जी नहीं, इस प्रकार का कोई निर्देश सरकार की जानकारी में नहीं है।

(ख) से (ड.) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं पर हो रहे अपराध

223. श्री अजय माकन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चालू वर्ष में अब तक महिलाओं पर हो रहे अपराध, विशेषकर बलात्कार के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष महिलाओं पर हुए विभिन्न अपराधों के अपराधवार कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ग) राष्ट्रीय राजधानी में इतनी बड़ी संख्या में बलात्कार के मामलों के क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या निरोधात्मक कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में 15 जून, 2004 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं के प्रति रिपोर्ट किए गए अपराधों की शीर्षवार संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं।

(ग) बलात्कार की घटनाओं के मामलों में सामाजिक - आर्थिक कारण एक महत्वपूर्ण घटक हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में, जाने-माने महिला कालेजों में "सुरक्षा पुनरीक्षा समितियों" का गठन, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और संकाय/महिला कालेजों की छात्राओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए "नए सम्पर्क कार्यक्रम" प्रारंभ करना संवेदनशील स्थानों पर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात करना, संकट में पड़ी महिलाओं की पुकार सुनने के लिए चौबीसों घन्टे काम करने वाली एक "वीमेन मोबाइल टीम" का गठन करना तथा पुलिस नियंत्रण कक्ष में "वीमेन हेल्प लाइन" स्थापित करना शामिल हैं।

विवरण

क्र. सं.	अपराध शीर्ष	वर्ष			
		2001	2002	2003	2004 (15.6.04 तक)
1.	दहेज मृत्यु	117	135	130	60
2.	बलात्कार	400	403	490	248
3.	महिलाओं का उत्पीड़न	502	446	489	270
4.	दहेज से संबंधित भा. दं. सं. की धारा 406	10	4	7	4
5.	भा. दं. सं. की धारा 498-क पति अथवा ससुराल वालों द्वारा क्रूरता	1208	1252	1211	530
6.	दहेज निषेध अधिनियम	7	7	14	7
7.	महिलाओं का अपहरण/व्यपहरण	1061	893	797	402
8.	महिलाओं से छेड़छाड़	593	976	1599	1051

विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति

224. श्री दिनशा पटेल:
श्री मोहन रावले:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान देश में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है,

(ग) उक्त अवधि के दौरान इनमें से कितनों को स्वीकृति दी गई और शेष परियोजनाओं की नवीनतम वर्षवार और राज्यवार स्थिति क्या है, और

(घ) शेष परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (घ) विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार थर्मल उत्पादन के लिए केविप्रा (सीईए) से तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्राप्त करने संबंधी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। बहरहाल जल विद्युत केन्द्र की स्थापना हेतु इच्छुक कोई उत्पादक कम्पनी प्रत्येक उस स्कीम, को अनुमति हेतु प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी, जिस पर केन्द्र द्वारा अधिसूचना के माध्यम से समय-समय पर निर्धारित राशि से अधिक पूंजी निवेश शामिल हो।

योजना आयोग ने बिना किसी अधिकतम सीमा के विद्युत परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु राज्य सरकारों को पूरी शक्तियां प्रदान कर दी हैं। योजना आयोग से स्वीकृति केवल उन्हीं जल-विद्युत परियोजनाओं तक सीमित जहां अन्त:राज्य मामले शामिल हों।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार अप्रैल 2001 से जून 2004 के बीच 23 हाइड्रो इलेक्ट्रिक योजनाएं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त की गई थी। इनमें से 15 को पहले ही स्वीकृत दी जा चुकी है और शेष आठ को अनिवार्य निवेशों के उपलब्ध न होने के कारण वापस लौटा दिया गया है। वर्तमान में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। प्राप्त किए गए, स्वीकृत किए गए और वापस किए गए प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

टीईसी हेतु प्राप्त जल विद्युत स्कीमें
(अप्रैल 2001 से आगे)

क. टीईसी प्राप्त स्कीमें							
2001-02							
1.	अलमाटी	कर्नाटक	राज्य	1×15+5×55	290	4/2001	28.2.2002
2002-03							
1.	कोलडेम	हिमाचल प्रदेश	केन्द्रीय	4×200	800	6/2001	30.6.2002
2.	एलेनदुहंगन	हिमाचल प्रदेश	निजी	2×96	192	3/2002	20.8.2002
3.	उहल चरण 3	हिमाचल प्रदेश	राज्य	2×50	100	8/2001	19.9.2002
4.	सेवा चरण-2	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय	3×40	120	6/2002	18.10.2002
5.	तीस्ता लोअर डेम चरण 3	पश्चिम बंगाल	केन्द्रीय	4×33	132	6/2002	28.11.2002
6.	जालापूत डेम टू	उड़ीसा/आन्ध्र प्रदेश	निजी	3×6	18	2/2002	31.1.2003
7.	सुबानसिरी	अरुणाचल प्रदेश	केन्द्रीय	8×250	2000	6/2001	13.1.2003
2003-04							
1.	तिपाइमुख	मणिपुर	केन्द्रीय	6×250	1500	12/2002	2.7.2003

2.	चमेरा चरण 3	हिमाचल प्रदेश	केन्द्रीय	3×77	231	6/2003	10.10.2003
3.	पारबती चरण 3	हिमाचल प्रदेश	केन्द्रीय	4×130	520	8/2003	12.11.2003
4.	तीस्ता लोअर डेम चरण 4	पश्चिम बंगाल	केन्द्रीय	4×40	160	9/2003	23.12.2003
5.	ऊरी 2	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय	4×60	240	8/2003	11.2.2004
6.	निमू बाजगो	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय	3×15	45	12/2003	16.3.2004
2004-05							
1.	चूतक	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय	4×11	44	1/2004	23.4.2004
	कुल ए				6392		

ख. स्कीमें जो पुनः प्रस्तुतिकरण हेतु लौटा गई हैं

2002-03							
1.	आदिरापल्ली	केरल	राज्य	2×80+1×3	163	4/2002	6/2002
2.	महादेई	कर्नाटक	राज्य	2×10+2×150	320	7/2002	8/2002
3.	सोन	मध्य प्रदेश	राज्य	5×20	100	3/2003	4/2003
4.	सियांग मिडिल	अरुणाचल प्रदेश	केन्द्रीय	4×250	1000	9/2003	9/2003
2003-04							
1.	सवालकोट	जम्मू और कश्मीर	राज्य	3×200	600	12/2003	2/2004
2.	मतनार	छत्तीसगढ़	राज्य	3×20	60	4/2004	4/2004
2004-05 (जून 2004 तक)							
1.	तोवन विष्णुगड	उत्तरांचल	केन्द्रीय	4×30	520	5/2004	5/2004
2.	लोहारी नागपाला	उत्तरांचल	केन्द्रीय	4×150	600	5/2004	5/2004
	कुल बी				3363		

स्वायत्तशासी कालेजों की स्थापना

225. श्री प्रकाशबापू वी. पाटील: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में स्वायत्तशासी कॉलेजों की स्थापना की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विश्वविद्यालय से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) कालेजों को अकादमिक स्वंतत्रता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार की गई स्वायत्तशासी कालेजों की स्कीम पहले ही काफी समय से संचालित की जा रही है यह एक सतत स्कीम है और समय-समय पर कालेजों को उनकी अकादमिक प्रतिष्ठा, संकाय की उपलब्धियों, भौतिक सुविधाओं, संस्थानिक प्रबंधन, वित्तीय संसाधनों, प्रशासनिक ढांचे की तत्परता तथा संकाय की भागेदारी आदि को ध्यान में रखकर स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान किया जाता है।

(ग) और (घ) स्वायत्तशासी कालेजों से संबंधित सिद्धांत को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (1992 में यथासंशोधित), जो राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संबंधित प्राधिकरणों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई थी तथा जो संसद द्वारा अनुमोदित की गई थी, के अंतर्गत मूर्त्तरूप प्रदान किया गया है।

[हिन्दी]

अयोध्या विवाद

226. श्री मोहन सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में अयोध्या विवाद के समाधान हेतु कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार हिन्दुओं, मुसलमानों, राज्य सरकार और धार्मिक नेताओं के गोलमेज के सम्मेलन के आयोजन पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो कब तक;

(ङ) क्या सरकार ने देश के विभिन्न न्यायालयों विशेषकर भारत के उच्चतम न्यायालय में काफी समय से लम्बित अयोध्या विवाद से संबंधित सभी मामलों के निपटान हेतु कोई पहल की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (च) अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के संबंध में हक संबंधी चार दावे (टाइटल सूट) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष लंबित पड़े हैं। भारत सरकार इनमें से किसी भी दावे में पक्षकार नहीं है। तथापि, भारत सरकार ने इन मामलों के त्वरित निपटान के लिए मार्च 2002 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया था। न्यायालय ने भारत सरकार का अनुरोध स्वीकार कर लिया तथा न्यायालय के दिनांक 20.3.2002 के आदेश के अनुसार दिनांक 1.4.2002 से हक संबंधी दावों की सुनावाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर शुरू हो गई।

सरकार का यह मत है कि अयोध्या विवाद का समाधान या तो संबंधित पक्षों के बीच समझोते से जिसे विधिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए या न्यायपालिका के निर्णय से किया जा सकता है। सरकार इस विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान तलाशने के सभी प्रयासों में मदद देगी।

शिक्षा मित्र

227. श्रीमती रंजीत रंजन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत गांवों में 'शिक्षा मित्रों' की नियुक्ति की गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या शिक्षा मित्रों पर हो रहे व्यय पर निगरानी रखने के लिए समिति गठित किए जाने का कोई प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रति 40 छात्रों के लिए एक शिक्षक, नये खुले प्राथमिक स्कूल में कम से कम दो शिक्षक और नये खुले उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक का प्रावधान है। शिक्षकों की भर्ती के लिए नीति और प्रक्रिया की जिम्मेदवारी संबद्ध राज्य सरकार की है। कुछ राज्यों में पंचायत के माध्यम से भी संविदा आधार पर स्थानीय शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। प्रत्येक राज्य में ऐसे शिक्षकों के लिए अपनी नाम पद्धति है। उदाहरणतया उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और बिहार में ऐसे शिक्षकों को "शिक्षा मित्र" कहा जाता है।

(ख) से (घ) इन संविदा-शिक्षकों पर हुए व्यय को संबद्ध राज्य सरकार के नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पर मानीटर किया जाता है।

[अनुवाद]

उग्रवादी संगठनों को विदेशों से सहायता

228. योगी आदित्यनाथ: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अलगाववादी गतिविधियों में संलिप्त और विदेशी कंपनियों से धन प्राप्त करने वाले उग्रवादी संगठन कौन से हैं; और

(ख) अब तक सरकार द्वारा ऐसे कितने संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 और आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 के उपबंधों के तहत 35 संगठन प्रतिबंधित किए हैं। इन संगठनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, उग्रवादी/आतंकवादी गुट भी गुप्त चैनलों सहित अन्य देशों से धन प्राप्त करते हैं।

विवरण

संगठनों की सूची

1. बब्बर खालसा इंटरनेशनल
2. खालिस्तान कमांडो फोर्स
3. खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स
4. इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन
5. लश्कर-ए-तैयबा/पासबान-ए-अहले हदीस
6. जैश-ए-मोहम्मद/तहरीक-ए-फुरकान
7. हरकत-उल-मुजाहिद्दीन/हरकत-उल-अंसार/हरकत-उल-जेहाद-ए-इस्लामी
8. हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन/हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन पीर पंजाल रेजिमेंट
9. अल-उमर-मुजाहिद्दीन
10. जम्मू एंड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट
11. यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा)
12. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैंड (एन.डी.एफ.बी.)
13. पीपल्स लिब्रेशन आर्मी (पी.एल.ए.)
14. यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यू.एन.एल.एफ.)
15. पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी आफ कांग्लेईपाक (पी.आर.ई.पी.ए.के.)
16. कांग्लेईपाक काम्यूनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.)
17. कांग्लई याओल काम्बा लुप (के.वाई.के.एफ.)
18. मणिपुर पीपल्स लिब्रेशन फ्रंट (एम.पी.एल.)
19. आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स
20. नेशनल लिब्रेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा
21. लिब्रेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम (एल.टी.टी.ई.)
22. स्टूडेन्ट्स इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया
23. दीनदार अंजुमन
24. काम्यूनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)-पीपल्स वार, इसके सभी फार्मेशन प्रमुख संगठन।
25. माओवादी काम्यूनिस्ट सेंटर (एम.सी.सी.), इसके सभी फार्मेशन और प्रमुख संगठन।
26. अल बदर
27. जमायत-उल-मुजाहिद्दीन
28. अल-कायदा
29. दुखतरन-ए-मिल्लत (डी.ई.एम.)
30. तमिलनाडु लिब्रेशन आर्मी (टी.एन.एल.ए.)
31. तमिल नेशनल रिट्रीवल ट्रुप्स (टी.एन.आर.टी.)
32. अखिल भारत नेपाली एकता समाज (ए.बी.एन.ई.एस.)
33. मणिपुर में रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर पी एफ)
34. हाइनन्यूट्रैप नेशनल लिब्रेशन काउंसिल (एच एन एल सी)
35. मेघालय में अचिक नेशनल वालन्टियर काउंसिल (ए एन वी सी)

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

229. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **शहरी विकास मंत्री** 20 नवंबर, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 435 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सी डब्ल्यू पी संख्या 6424/200 और सी एम संख्या 9640/ 2000 को खारिज करते हुए केन्द्र सरकार को 'हरित' के रूप में अधिसूचित क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने और उक्त क्षेत्र का 'हरित' के रूप में रखरखाव करने का निदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

[हिन्दी]

शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थान खोलना

230. श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा': क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार हिमालय क्षेत्र के पर्वतीय राज्यों, विशेषकर उत्तरांचल के दुर्गम, पिछड़े दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में नए शैक्षाणिक और तकनीकी संस्थान खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य के लिए अब तक 429 प्राथमिक तथा 1172 उच्च प्राथमिक स्कूल संस्वीकृत किये गये हैं।

उत्तरांचल में पौढ़ी गढ़वाल सहित 5 जिलों के अलावा हिमालय क्षेत्र के सभी पर्वतीय राज्यों में नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किये गये हैं। संबद्ध राज्य सरकारों से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान इन जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव है। इन कार्यक्रमों में शामिल न किये गये जिलों में 10वीं तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निधियों की उपलब्धता होने पर केंद्रीय विद्यालय खोलने के भी प्रयास किये जाएंगे।

उत्तरांचल राज्य में केंद्रीय क्षेत्र (कोटे) में उच्चतर एवं तकनीकी संस्थाएं खोलने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

फन और फूड विलेज

231. श्री रघुनाथ झा: क्या **गृह मंत्री** 16 जुलाई, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 287 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाग (ङ) के संबंध में सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। दिल्ली नगर निगम से सूचित किया है कि निगम ने फन एंड फूड विलेज को ऐसा कोई "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जारी नहीं किया है और उसे केवल तदर्थ पंजीकरण नीति के तहत तदर्थ पंजीकरण प्रदान किया गया है।

गैर आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना

232 श्री दिनशा पटेल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने देश में गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया है। 10वीं योजना के दौरान परिकल्पित गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) 10वीं योजना में क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम में शामिल गैस आधारित संयंत्रों पर अंतिम निर्णय से पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है। दसवीं योजना के दौरान चालू किए गए गैस आधारित विद्युत संयंत्र संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

क्र.सं.	परियोजना का नाम/क्षमता	राज्य	क्षमता (मेगावाट में)
1.	प्रगति सीसीपीपी	दिल्ली	330.38
2.	ध्रवण सीसीपी	गुजरात	106.617
3.	रामगढ़ सीसीपीपी-II	राजस्थान	75.325
4.	कुट्टालम सीसीपीपी	तमिलनाडु	100
5.	वलुथूर सीसीपीपी	तमिलनाडु	94
6.	बारामूरा जीटी	त्रिपुरा	21
7.	रोखिया जीटी-7	त्रिपुरा	21
8.	पेद्दापुरम सीसीपीपी	आंध्र प्रदेश	220
9.	ध्रवण सीसीपीपी विस्तार	गुजरात	112
10.	बिदादी सीसीपीपी	कर्नाटक	1400
11.	धौलपुर सीसीपीपी (फेज-I)	राजस्थान	330
12.	रोखिया जीटी विस्तार	त्रिपुरा	21
13.	गौतमी सीसीपीपी	आंध्र प्रदेश	464
14.	जेगरूपाडु सीसीपीपी विस्तार	आंध्र प्रदेश	220
15.	कोनासीमा सीसीपीपी	आंध्र प्रदेश	445
16.	वेमागिरि सीसीपीपी	आंध्र प्रदेश	370
17.	डाभोल सीपीपी-II	महाराष्ट्र	1444
18.	करूपपुर सीसीपीपी	तमिलनाडु	119.8
19.	वलनथराई सीसीपीपी	तमिलनाडु	52.8
20.	मोनार्चक सीसीपीपी	त्रिपुरा	280
21.	दादरी रिलायं सीसीपीपी (फेज-I)	उत्तर प्रदेश	1360

सीसीपीपी-कंबाइंड साइकिल प्रोजेक्ट, जीटी-गैस टरबाईन

विवरण II

क्र.सं.	परियोजना का नाम/क्षमता	राज्य	क्षमता (मेगावाट में)
1.	प्रगति सीसीपीपी	दिल्ली	330.38
2.	ध्रवण सीसीपीपी	गुजरात	106.617
3.	रामगढ़ सीसीपीपी-II	राजस्थान	75.325
4.	कुट्टालम सीसीपीपी	तमिलनाडु	100
5.	वलुथूर सीसीपीपी	तमिलनाडु	94
6.	बारामूरा जीटी	त्रिपुरा	21
7.	रोखिया जीटी-7	त्रिपुरा	21
8.	पेद्दापुरम सीसीपीपी	आंध्र प्रदेश	220

सीसीपीपी-कंबाइंड साइकिल प्रोजेक्ट, जीटी-गैस टरबाईन

[हिन्दी]

वनों में रहने वाले जनजातीय लोगों के लिए कल्याण योजनाएं

233. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों, में विशेषकर महाराष्ट्र में वनों में रहने वाले जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और अन्य कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) घटते वन क्षेत्र के मद्देनजर उक्त जनजातीय लोगों की आजीविका हेतु सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ जनजातीय लोग जीवित रहने के लिए वृक्षों की जड़ों और घास आदि खाने के लिए बाध्य हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनके उत्थान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ङ) जनजातीय कार्य मंत्रालय

महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु अनेक केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रायोजित योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। यह योजनाएं/कार्यक्रम वनों में रहने वाली जनजातियों सहित सभी जनजातियों के कल्याण के लिए हैं। वनों में रहने वाली जनजातियों या घटते वन क्षेत्रों में प्रभावित जनजातियों के लिए विशेष रूप से कोई अलग योजना नहीं हैं।

मंत्रालय की योजनाएं सभी जनजातियों की आय और रोजगार सृजन, अवस्थापना, विकास, शैक्षिक विकास और साक्षरता सुधार से संबंधित है। कुछ योजनाएं जनजातीय कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छिक प्रयासों के संवर्धन के अतिरिक्त लघु वन उत्पाद का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तथा विवरण के रूप में जनजातियों की खाद्य सुरक्षा से संबंधित हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। निधियों की निर्मुक्ति जनजातीय कल्याण के प्रभारी विभाग को की जाती है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि यह निधियां लाभर्थियों तक पहुंचे।

इस मंत्रालय में प्रश्न के पैरा (ग) एवं (घ) में उल्लिखित घटनाओं की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय की मुख्य योजनाएं/कार्यक्रम

1. कोचिंग और सम्बद्ध योजनाओं और अनुकरणीय सेवा सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान
2. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
3. कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर
4. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) को निवेश/मूल्य समर्थन
5. लघु वन उत्पादन के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान
6. ग्राम अन्न बैंक
7. आदिम जनजातीय समूहों का विकास
8. राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगमों को समर्थन
9. अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति तथा प्रतिभा उन्नयन की स्कीमें
10. *अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति तथा प्रतिभा उन्नयन की स्कीमें*
11. *जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल*
12. *अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा, जनजातीय त्यौहार तथा अन्य*
13. जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता
14. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत सहायता-अनुदान

मलिन बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार परियोजनाएं

234. श्री सुरेश चन्देल: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मलिन बस्तियों/शहरी क्षेत्रों में विदेशी सहायता से वर्तमान में कुल कितनी पर्यावरणीय सुधार परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं तथा इन परियोजनाओं को कब तक शुरू किया गया था;

(ख) किन-किन परियोजनाओं के संबंध में अभी कार्य आरंभ किया जाना है; और

(ग) समस्त देश में इस प्रयोजन हेतु प्राप्त विदेशी सहायता के समान वितरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) इस समय शहरी/स्लम क्षेत्रों में विदेशी सहायता से निम्नलिखित दो पर्यावरणीय सुधार परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है:

परियोजना का नाम	परियोजना के शुरू करने की तारीख
गरीबों के लिए आंध्र प्रदेश शहरी सेवाएं (एपीयूएसपी)	3.6.1999
गरीबों के लिए कोलकाता शहरी सेवाएं (केयूएसपी)	14.1.2004

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जब कभी भारत सरकार को विदेशी दाता अभिकरण से सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो इसे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बीच परिचालित किया जाता है जिसमें

सहायता का लाभ उठाने हेतु परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। यह मंत्रालय राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त विभिन्न परियोजना प्रस्तावों की जांच करता है। तथा संबंधित दाता अभिकरण के साथ इस मामले को उठाने के लिए आर्थिक कार्य विभाग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है। तथापि, अंतिम रूप से यह संबंधित दाता अभिकरण पर निर्भर करता है कि वह अपनी नीतियों और प्राथमिकताओं के अनुसार परियोजना प्रस्तावों का चयन करें/अनुमोदित करें।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले स्ट्रीट हॉकर और वेंडर

235. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले स्ट्रीट हाकरों और वेंडरों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) देश में स्ट्रीट हॉकरों और वेंडरों का विनियमन करने वाला प्राधिकरण कौन सा है;

(ग) क्या स्ट्रीट हॉकरों और वेंडरों हेतु कोई राष्ट्रीय नीति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार हॉकरों और वेंडरों के हितों की सुरक्षा हेतु हॉकरिंग गतिविधियों का विनियमन करते हुए कानून बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) सरकार द्वारा ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) राज्य/संघ शासित प्रदेश स्ट्रीट हॉकरों तथा वेंडरों को समुचित स्थानीय प्राधिकरणों के जरिए नियंत्रित करते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। शहरी फेरी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) से संबंधित राष्ट्रीय नीति की मुख्य विशेषताएं विवरण में दी गयी हैं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

शहरी फेरी वालों के लिए राष्ट्रीय नीति की मुख्य विशेषताएं

इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहरी फेरी वालों, जो शहरी आबादी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, को समाज में उनके योगदान को मान्यता मिले। इस नीति को सम्मानजनक जीवनयापन में सहायता के द्वारा शहरी गरीबी उपशमन के लिए प्रमुख पहल प्रयास के रूप में माना गया है। नीति के बुनियादी उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

* उपयुक्त कानूनों में संशोधन, अधिनियम, निरसन तथा कार्यान्वयन करना और शहरी विकास/जोन प्लान में उचित हॉकिंग जोन मुहैया कराकर फेरी वालों को कानूनी दर्जा देना।

* शहरी विकास/जोनिंग प्लान में हॉकिंग जोन बनाने सहित निर्धारित स्थल के समुचित उपयोग के लिए सुविधाएं मुहैया कराना।

* विवेकाधिकार लाइसेंसों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर सांख्यकीय सीमा लगाने से परहेज करना और इसके अलावा वहां नाममात्र की फीस आधारित विनियम प्रारंभ करना, जहां मूल्य, गुणवत्ता तथा मांग जैसे बाजारी तत्वों से फेरी वालों की संख्या निर्धारित होगी। ऐसी मांग असीमित नहीं हो सकती।

* फेरी वालों को शहरी वितरण प्रणाली का एक अभिन्न और उचित अंग मानकर शहरी विकास/जोन योजनाओं का एक विशेष घटक बनाना।

* फेरी वालों के बीच स्वपालन को बढ़ावा देना।

* फेरी वालों के संगठनों अर्थात् संघ/सहकारिता/एसोसिएशन तथा अन्य प्रकार के संगठन को प्रोत्साहित करना ताकि उन्हें अधिकार प्रदान करने में सुविधा हो सके।

* शहरी फेरीवालों के संगठनों (संघ/सहकारिताओं/एसोसिएशनों), स्वैच्छिक संगठनों, स्थानीय प्राधिकरणों, पुलिस, रेजीडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) तथा अन्य से शहरी फेरी क्रियाकलापों के सुव्यवस्थित आयोजन के लिए प्रतिनिधियों के साथ सहभागी तंत्र स्थापित करना।

* बाल फेली वालों के बेहतर भविष्य को प्रोत्साहित करने के लिए उनके पुनर्वास और शिक्षा के लिए समुचित मध्यस्थता करके उपाय करना।

* सामाजिक सुरक्षा (पेंशन, बीमा इत्यादि) में सुविधा/प्रोत्साहन करना तथा एसएचजी/सहकारिताओं/संघों/सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों (एमएफआई) इत्यादि के प्रोत्साहन के मार्फत फेरी वालों को उधार सुलभ कराना।

2. नीति में यह सिफारिश की गई है कि केन्द्र और संबंधित राज्य वहां लागू पुलिस अधिनियम और पुलिस नियमों/विनियमों में संशोधन करें।

3. राज्य सरकारें नगरपालिका अधिनियमों में प्रतिबंधित प्रावधानों को भी हटाएं और फेरी वालों को सिटी प्लान/सिटी स्केप में सम्मिलित करें। ऐसी ही कार्रवाई, यदि आवश्यक हो तो विकास क्षेत्रों के लिए विकास प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।

4. सभी राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि संस्थागत व्यवस्थाएं, कानूनी रूपरेखाएं तथा अन्य उपलब्धी सम्पुष्ट आवश्यक कार्रवाई फेरी वालों के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुरूप हो।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार

236. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री वीर सिंह महतो:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों से संबंधित संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) ऐसे संसद सदस्यों की संख्या कितनी है जिनके दिल्ली विकास प्राधिकरण के कनिष्ठ अभियंताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों से संबंधित पत्र 6 जनवरी, 2004 से जून, 2004 तक प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इन शिकायतों में से प्रत्येक पर सतर्कता विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और इसके क्या परिणाम निकले?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार की शिकायतों के संबंध में संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर उसके द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) 6 जनवरी से जून, 2004 की अवधि के दौरान, दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक इंजीनियर के विरुद्ध तीन सांसदों को भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिकायतें प्राप्त हुई हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के सतर्कता विभाग ने इन शिकायतों की जांच शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

पन विद्युत उत्पादन

237. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पन विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सभी नदियों के बेसिन का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बेसिन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने हेतु राज्यों को कोई वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्राथमिक रूप से श्रेणीबद्ध की गई योजनाओं का नदी बेसिनवार वर्गीकरण नीचे दिया गया है-

क्रम संख्या	नदी/बेसिन/प्रणाली	श्रेणी क (मेगावाट)	श्रेणी ख (मेगावाट)	श्रेणी ग (मेगावाट)	कुल
1.	सिंधु	4088	8811	6080	18979
2.	गंगा	2023	9616	600	12239
3.	मध्य भारत	283	1425	186	1894
4.	पूर्व को बहने वाली	1412	6469	88	7969
5.	पश्चिम को बहने वाली	35	958	1508	2501
6.	ब्रह्मपुत्र	7800	42574	12954	63328
	कुल	15641	69853	21416	106910

(ग) राज्य क्षेत्र के अंतर्गत निष्पादित की जाने वाली जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। हालांकि परियोजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) द्वारा कार्यान्वयन हेतु ली जा रही हैं जिसके लिए भारत सरकार इक्विटी सहायता प्रदान करती है। कुछ परियोजनाएं सीपीएसयू द्वारा राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से भी ली गयी हैं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विद्युत क्षेत्र में निवेश

238. श्री ए.के. मूर्ति: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में व्यापक रूप से वृद्धि की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र संबंधी दसवीं योजना परिव्यय 270276.36 करोड़ रुपये (केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 177050.64 करोड़ रुपये और राज्य क्षेत्र के लिए 93225.72 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है। नौवीं योजना के परिव्यय की तुलना में यह केन्द्रीय क्षेत्र के परिव्यय में 232% और राज्य क्षेत्र के परिव्यय में 30.9% की वृद्धि है।

प्री-पेड टैक्सी एवं आटोरिक्शा

239. श्री अनन्त नायक: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा संचालित की जा रही प्री-पेड टैक्सी और आटोरिक्शा सेवाओं का उनके द्वारा समुचित रूप से प्रबंधन नहीं किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो प्री-पेड सेवाओं को व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित करने और यात्रियों के उत्पीड़न को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) पूर्व भुगतान (प्री-पेड) टैक्सी एवं आटो रिक्शा सेवाओं के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए उठाए गए कदमों में, दलालों की पहचान करना तथा उन्हें हटाना, यात्रियों की प्रीपेड बूथों तथा सरलता से पहुंचने में सहायता प्रदान करने के लिए रेलवे स्टेशन पर साइन बोर्ड लगाने तथा पब्लिक एड्रेस सिस्टम स्थापित करना, परेशान यात्रियों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए फोन नं. 23378888 पर एक चौबीसों घन्टे चलने वाली "ट्रैफिक हेल्पलाइन" स्थापित करने तथा दोषी टैक्सी/आटो रिक्शा ड्राइवरों पर मुकदमा चलाना शामिल है।

[हिन्दी]

आंतरिक सुरक्षा

240. श्री मित्रसेन यादव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान घटी कई घटनाओं से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो ये घटनाएं किस प्रकार की थी और इनका कारण क्या था; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) उग्रवादी/आंतकवादी गुटों द्वारा जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, नक्सली क्षेत्रों और देश के कुछ अन्य भागों में मुख्य रूप से आग्नेयास्त्रों, उन्नत विस्फोटक यंत्रों (आई ई डी), ग्रेनेड फेंक कर, आर.डी. एक्स विस्फोटकों इत्यादि का इस्तेमाल करके बहुत सी घटनाओं को अंजाम दिया गया है।

(ग) संविधान के अंतर्गत "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य सूची के विषय हैं, जबकि हरेक राज्य को आंतरिक गड़बड़ियों से बचाना केन्द्र सरकार का दायित्व है। कानून और व्यवस्था, शांति, अमन-चैन और सद्भाव बनाए रखने के लिए, राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना के तहत, राज्य सरकारों को आधुनिक हथियार, संचार उपकरण और गतिशीलता (मोबिलिटी) प्रदान करने के अतिरिक्त, गृह मंत्रालय अर्द्ध सैनिक बलों की सेवाएं उपलब्ध करा कर जनशक्ति प्रदान करता रहा है। आतंकवादी और उग्रवादी ग्रुपों तथा फूट डालने वाली और साम्प्रदायिक ताकतों द्वारा आन्तरिक सुरक्षा को दी गई चुनौतियों का कारगरता से मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय सुरक्षा और आसूचना एजेंसियों द्वारा राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से आसूचना जानकारियों का आदान-प्रदान किया जाता है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक पिछड़ापन

241. श्री किरिप चालिहा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक पिछड़ेपन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए क्या कदम उठाने पर विचार किया गया है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जी, हां।

(ख) असम सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण हैं: पर्याप्त अवस्थापना की कमी, कृषि क्षेत्र में कम विकास, औद्योगिक निवेश की कमी और परिवहन की उच्च लागत।

(ग) सरकार ने क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए 24 दिसम्बर, 1997 को असम राज्य सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई औद्योगिक नीति और रियायतों की घोषणा की थी। क्षेत्र के लिए औद्योगिक नीति का लक्ष्य निवेशकों को निम्नलिखित प्रोत्साहन/रियायतें/सहायता देकर क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए उनको आकर्षित करना है:

(1) दस वर्ष की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क और आयकर में छूट।

(2) परिवहन सहायता, पूंजी निवेश सहायता, केंद्रीय ब्याज सहायता और व्यापक बीमा स्कीमों जैसी सहायता।

(3) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की विकास केंद्र स्कीम और लघु उद्योग मंत्रालय का एकीकृत अवस्थापन विकास केन्द्र (आई आई डी सी) जैसी स्कीमों के माध्यम से अवस्थापना विकास को बढ़ावा देना।

(4) उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम (नेडफी) नामक वित्तीय संस्था स्थापित की गई है जो कि क्षेत्र में सहायता वितरित करने के लिए नोडल एजेन्सी है।

'मिड-डे मील' योजना की समीक्षा

242. श्री परसुराम माझी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कार्यान्वित की जा रही 'मिड-डे-मील' योजना के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के कार्यान्वयन स्तर पर कोई त्रुटि पाई गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त योजना में कतिपय संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) मध्याह्न भोजन योजना के कार्यकरण का नियमित रूप से मानीटरन किया जाता है।

(ख) कुछेक मुख्य समस्याएं निम्नवत् हैं:-

(1) पका-पकाया भोजन प्रदान करने में कतिपय राज्य सरकारों की असमर्थता,

(2) कुछेक मामलों में पके-पकाए भोजन का संतोषजनक गुणवत्ता का न होना,

(3) भारतीय खाद्य निगम के पास दूरदराज के कुछ क्षेत्रों में खाद्यान्नों के पर्याप्त भण्डार का न होना।

(ग) से (ङ) राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे भोजन की गुणवत्ता के सुनिश्चयन तथा भारतीय खाद्य निगम के साथ समन्वय स्थापित करने में विशेष रूप से क्रियाशील हों। वर्ष 2004-2005 से योजना आयोग ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत भोजन पकाने की लागत को वहन करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत राज्यों को कम से कम 15% की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता राशि निर्धारित की है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 7.6.2004 को संसद में दिए गए अपने अभिभाषण में अन्य बातों के साथ यह भी कहा गया है कि मुख्य रूप से "केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय पका-पकाया पोषक मध्याह्न भोजन योजना को चरणबद्ध रूप से शुरू किया जाएगा"। इस संदर्भ में अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई है।

[हिन्दी]

परिधा ताप विद्युत संयंत्र का विस्तार

243. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में परिधा ताप विद्युत संयंत्र (झांसी) का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इससे कितनी अतिरिक्त मेगावाट विद्युत का उत्पादन किये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) ने झांसी में परिघा (परिच्छा) थर्मल पावर स्टेशन एक्सटेंशन (2×210 मे.वा.) की स्थापना के लिए प्रस्ताव रखा है। टर्नकी आधार पर भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लि. (बीएचईएल) को 16.10.2002 को मुख्य संयंत्र उपकरण आदेश दिए गए हैं। पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) ने परियोजना के लिए 1404.00 करोड़ रुपये के एक मियादी ऋण की मंजूरी दी है। 10वीं योजना के दौरान 2 यूनिट शुरू की जानी निर्धारित हैं।

(ग) यूनिटों के शुरू होने के पश्चात् 420 मे.वा. की अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन होने की संभावना है।

[अनुवाद]

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

244. श्री अधीर चौधरी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में प्रौढ़ जनजातीय महिलाओं को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों में राज्य में वर्ष-वार और जिला-वार कितनी प्रौढ़ जनजातीय महिलाओं को साक्षर बनाया गया अथवा पढ़ने और लिखने में समर्थ बनाया गया; और

(घ) पश्चिम बंगाल की प्रौढ़ जनजातीय महिलाओं में साक्षरता के विस्तार हेतु सरकार द्वारा क्या विशेष उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के सभी क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें राज्य के जनजातीय बहुल क्षेत्र भी शामिल हैं। 15-35 वर्ष आयु वर्ग के प्रौढ़ निरक्षरों को शामिल करने के लिए राज्य के सभी जिलों के लिए संपूर्ण साक्षरता अभियान और उत्तर साक्षरता कार्यक्रम पहले ही संस्वीकृत किये जा चुके हैं। संपूर्ण/उत्तर साक्षरता कार्यक्रम की शुरूआत से पूर्व सर्वेक्षण के समय और कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान भी जनजातीय महिलाओं सहित निरक्षर जनजातीय लोगों पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त 14 जिलों के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम संस्वीकृत किया गया है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार 1990-91 से संपूर्ण साक्षरता अभियान/उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के कार्यान्वयन से अब तक 5,11,030 प्रौढ़ जनजातीय महिलाओं को साक्षर बनाया जा चुका है। जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जनजातीय महिलाओं सहित प्रौढ़ व्यक्तियों में साक्षरता के प्रसार हेतु किये गये विशेष उपाय निम्नलिखित हैं:-

(1) अवशिष्ट निरक्षरों विशेषत: जनजातीय महिलाओं के लिए साक्षरता परियोजनाएं बनाना।

(2) सतत शिक्षा कार्यक्रम का राज्य के सभी जिलों में विस्तार।

(3) जनजातीय महिलाओं सहित साक्षरता केंद्रों में जा रही महिलाओं के मध्य स्वयं सहायता समूहों का निर्माण किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	साक्षर बनाये गये व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	बर्दवान	72,944
2.	मिदनापुर (पूर्व और पश्चिम)	1,04,985
3.	हुगली	14,280
4.	बीरभूम	36,793
5.	बांकुरा	42,484
6.	उत्तर 24 परगना	19,508
7.	दक्षिण 24 परगना	6,139
8.	कूचबिहार	768

1	2	3
9.	पुरूलिया	61,393
10.	मुर्शिदाबाद	5,705
11.	नादिया	12,296
12.	हावड़ा	1,277
13.	दक्षिण दीनाजपुर	16,450
14.	उत्तर दीनाजपुर	9,968
15.	जलपाइगुड़ी	14,878
16.	सिलिगुड़ी महाकुम परिषद	3,877
17.	दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल	1,625
18.	मालदा	84,660
	कुल	5,11,030

दिल्ली में पेयजल की मांग और पूर्ति

245. डा. पी.पी. कोया: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में पेयजल की मांग बढ़ रही है, भू-जल स्तर लगातार कम होता जा रहा है जिससे आने वाले वर्षों में पेयजल की कमी से भयावह स्थिति उत्पन्न हो जायेगी;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में पेयजल की मांग और पूर्ति की मौजूदा स्थिति क्या है और मांग में कितनी वार्षिक वृद्धि हुई है;

(ग) वितरण प्रणाली और सार्वजनिक नलकूपों द्वारा मासिक रूप से कितने पेयजल की बर्बादी होती रही है;

(घ) नगर में पेयजल की पूर्ति बढ़ाने हेतु अब तक कौन-कौन से स्रोतों का दोहन किया गया है और क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) सरकार ने ग्रीष्म ऋतु के दौरान पेयजल आपूर्ति की अधिकतम उपलब्धता के लिए क्या उपाय किए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण ने पता लगाया है कि दिल्ली में समग्र रूप से भू-जल तल में गिरावट आई है। तथापि, दिल्ली जल बोर्ड की संस्थापित जल शोधन क्षमता मुख्यत: सतही पानी पर आधारित है और उसके द्वारा की जाने वाली कुल आपूर्ति में लगभग 14 प्रतिशत भू-जल होता है। अत: दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जलापूर्ति द्वारा दिल्ली के भू-जल पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। जल-तल में वृद्धि करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने बारिश के पानी का संग्रहण भी शुरू किया है।

(ख) दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि दिल्ली में पेयजल की मौजूदा मांग लगभग 900 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) है, जबकि जल उत्पादन क्षमता लगभग 650 मिलियन गैलन प्रतिदिन है। पानी की मांग में तकरीबन 40 से 50 एम जी डी की सालाना वृद्धि संभावित है और इस पर आबादी में वृद्धि और आबादी के और आने का भी प्रभाव पड़ेगा।

(ग) दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि गैर-राजस्व वाला पानी तकरीबन 40 प्रतिशत है जिसमें वितरण से हानि, रिसाव और टैंकरों तथा सार्वजनिक नलकूपों से की जाने वाली आपूर्ति शामिल है।

(घ) पेय जलापूर्ति बढ़ाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(1) सोनिया विहार में 140 एम जी डी जल शोधन संयंत्र स्थापित करने का निर्माण कार्य पूरा होने की अवस्था में है।

(2) मुनाक से हैदरपुर जल शोधन संयंत्र तक समानांतर लाइन चैनल का निर्माण कार्य शुरू किया गया है जिससे लगभग 80 एम जी डी पानी का रिसाव रोका जा सकता है।

(ङ) दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि एक व्यापक ग्रीष्म कार्य योजना तैयार की गई है। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति करने के लिए 1000 पानी के टैंकर उपयोग किए जा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड में वाटर इमरजेन्सी, केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री कार्यालय का नियंत्रण कक्ष भी चौबीसों घंटे इस मामले पर निगरानी रखता है। इसके अतिरिक्त, जहां भी तकनीकी रूप से व्यवहार्य है, वहां गहरे खुदे हैंड पंप खुदवाए गए हैं।

महानगरों में सफाई की स्थिति

246. श्री शिवाजी अधलराव पाटील: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वर्ष 1996 में उच्चतम न्यायालय द्वारा महानगरों में स्वच्छता को बनाए रखने संबंधी दिशानिर्देश जारी किये जाने के बावजूद बड़े महानगरों के ''सिविक'' निकाय इस संबंध में विफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कार्रवाई की जा रही है अथवा किये जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) सफाई राज्यों का विषय है अत: यह राज्य सरकारों और बड़े मेट्रो शहरों के नगर निकायों सहित शहरी स्थानीय निकायों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने-अपने शहरी क्षेत्रों में सफाई योजनाएं बनाएं, उनका डिजाइन, परिचालन और रखरखाव करें।

तेजी से हो रहे शहरीकरण, अपर्याप्त संसाधनों, वैज्ञानिक निपटान प्रणाली व प्रशिक्षित कर्मचारी के अभाव और सफाई के प्रति लोगों की उदासीनता को देखते हुए मेट्रो शहरों में सफाई योजनाओं के प्रबंध व्यवस्था का कार्य चुनौतीपूर्ण रहा है। देश में ठोस कचरे के निपटान की उपयुक्त व्यवस्था करने की समस्या से निपटने के लिए श्रीमती अल्मित्रा एच. पटेल द्वारा वर्ष 1996 में केन्द्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एक जनहित रिट याचिका सं. 888/96 दायर की गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेक सुनवाईयों के बाद देश में श्रेणी-I नगरों में ठोस कचरे के निपटान की व्यवस्था में सुधारों का सुझाव देने हेतु दिनांक 16.1.98 को एक समिति का गठन किया। इस समिति ने दिनांक 25.3.99 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार इस मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों को उनका सूचना व टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया। यह मामला अभी न्यायाधीन है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों के अनुसरण में इस मंत्रालय द्वारा समुचित प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास समुदाय सहयोग तथा कचरा निपटान के अन्य क्षेत्रों में मूल्यांकन और सिफारिशें करने के लिए ठोस कचरा के निपटान की प्रबन्ध व्यवस्था करने हेतु प्रौद्योगिकी परामर्श दल का गठन किया गया। इस प्रौद्योगिकी परामर्श दल की पहली रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है। इस मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने ''नगरपालिका द्वारा ठोस कचरे के निपटान'' के संबंध में एक व्यापक नियमावली तैयार की है जिसे मई, 2000 में प्रकाशित किया गया। यह नियमावली सभी राज्य सरकारों को सूचना और मार्गदर्शन के लिए परिचालित की गई। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राज्य सरकारों और सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए नगरपालिका ठोस कचरा (निपटान एवं प्रबंध) नियम, 2000 अधिसूचित किए। शहरी विकास मंत्रालय ने 12वें वित्त आयोग से अनुरोध किया है कि वह मेट्रो शहरों सहित श्रेणी-I के 417 नगर में उपयुक्त ठोस कचरा के उपयुक्त निपटान के लिए पर्याप्त संसाधन नियत करने पर विचार करें।

उपर्युक्त रिट याचिका (सिविल) सं. 888/96 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में इस मंत्रालय ने दिनांक 23.3.03 को एक अंत: मंत्रालय कार्य दल का गठन किया है जो कृषि, उद्यानकृषि, बागान, वनों आदि में सिटी कम्पोस्ट के साथ-साथ कृत्रिम उर्वरकों का उपयोग करने वाले समन्वित पादप पोषण प्रबंधन (आईपीएनपी) को बढ़ावा देने के लिए नीति, कार्य नीति योजना और कार्य योजना तैयार करेगा।

[हिन्दी]

युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु योजनाएं

247. श्री राम कृपाल यादव:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु कौन-कौन सी विभिन्न योजनाएं तैयार की गयी हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार कितने बेरोजगार युवा लाभान्वित हुए हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जहां तक शहरी रोजगार तथा गरीबी उपशमन मंत्रालय का संबंध है, यह मंत्रालय 1.12.1997 से स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, जो केन्द्र प्रायोजित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम है, को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वित करता आ रहा है। जिसका उद्देश्य शहरी बेरोजगार अथवा अल्प रोजगार प्राप्त उन गरीब लोगों को, जिन्होंने नौवीं कक्षा तक पढ़ाई की हो, पहले स्व-रोजगार उद्यम की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित करके और फिर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु उनके श्रम का उपयोग करके उन्हें मजदूरी पर रखकर लाभकर रोजगार मुहैया कराना है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के विभिन्न घटकों की राज्यवार, वर्षवार और वास्तविक उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

विवरण I

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान लघु उद्यमों की स्थापना हेतु सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या तथा प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वर्ष 2001-02 लघु उद्यमों की सं.			प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	वर्ष 2002-03 लघु उद्यमों की सं.			प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	वर्ष 2003-04 लघु उद्यमों की सं.			प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
		यूएसईपी (सब्सिडी)	डी डब्ल्यू सी यू ए (सब्सिडी)	कुल		यूएसईपी (सब्सिडी)	डी डब्ल्यू सी यू ए (सब्सिडी)	कुल		यूएसईपी (सब्सिडी)	डी डब्ल्यू सी यू ए (सब्सिडी)	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1536	1006	2542	63	10734	6362	16996	8611	9181	24538	33719	5635
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	335	39	374	62	39	0	39	149
3.	असम	1443	0	1443	0	84	0	84	633	2872	195	3067	548
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	229	79	308	78	4934	581	5515	2634	0	36	36	0
6.	गोवा	134	20	154	183	25	10	35	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	3935	0	3935	23760	7574	10	7584	6679	1981	33	2014	4547
8.	हरियाणा	2356	410	2766	1555	1310	470	1780	1827	689	92	781	537
9.	हिमाचल प्रदेश	339	33	372	353	150	71	221	168	135	40	175	625
10.	जम्मू व कश्मीर	2168	51	2219	6763	3015	135	3150	3936	681	0	681	838
11.	झारखण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	8450	1120	9570	13398	4178	1720	5898	2658	6480	1906	8386	19200
13.	केरल	4117	4625	8742	1069	1153	2631	3784	1789	432	1766	2198	5112
14.	मध्य प्रदेश	12190	2066	14256	3868	14567	2820	17387	6249	3767	1032	4799	8575
15.	महाराष्ट्र	9677	441	10118	16735	12461	1447	13908	31737	12280	1325	13605	39357
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	1296	1	1297	406	0	0	0	939
18.	मिजोरम	10	0	10	258	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	714	714	285	734	738	1472	510	113	1019	1132	100
20.	उड़ीसा	2296	7375	9671	2877	2631	197	2828	2602	3808	526	4334	3439
21.	पंजाब	1251	20	1271	1068	940	30	970	1605	714	10	724	1302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.	राजस्थान	5197	106	5303	3300	7321	258	7579	1408	3709	299	4008	1696
23.	सिक्किम	72	0	72	224	109	0	109	210	47	0	47	0
24.	तमिलनाडु	933	160	1093	146	10764	4864	15628	1742	2454	755	3209	2531
25.	त्रिपुरा	2238	540	2778	308	549	0	549	485	347	0	347	765
26.	उत्तरांचल	0	0	0	0	659	170	829	202	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	24698	700	25398	3976	7815	4037	11852	3993	5586	1282	6868	14452
28.	पश्चिम बंगाल	0	10	10	4948	6972	28	7000	18606	786	62	848	5299
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	19	0	19	0	2	0	2	0	1	0	1	0
30.	चंडीगढ़	46	0	46	190	53	0	53	205	23	22	45	242
31.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	25	20	0	20	86	0	0	0	0
32.	दमन व दीव	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	277	0	277	65	324	0	324	325	72	0	72	155
34.	पांडिचेरी	252	41	293	294	405	247	652	43	302	95	397	636
	कुल	83886	19517	103403	86789	101114	26766	127880	99411	56499	35033	91532	116679

विवरण II

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम घटक सृजित कार्यदिवसों की वर्षवार संख्या (लाख में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	2001-2002	2002-2003	2003-2004	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3.17	1.70	1.46	6.33
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.19	0.71	3.07	3.97
3.	असम	0.43	0.65	1.23	2.31
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	4.45	4.45
6.	गोवा	0.75	0.00	0.00	0.75
7.	गुजरात	3.71	1.06	0.70	5.47
8.	हरियाणा	0.46	0.10	0.36	0.92

1	2	3	4	5	6
9.	हिमाचल प्रदेश	0.67	0.00	0.00	0.67
10.	जम्मू व कश्मीर	0.01	0.07	0.05	0.13
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	20.45	4.67	6.10	31.22
13.	केरल	0.00	0.11	0.00	0.11
14.	मध्य प्रदेश	2.68	1.81	0.74	5.23
15.	महाराष्ट्र	7.17	5.93	1.86	14.96
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.49	0.49
17.	मेघालय	0.00	1.00	0.63	1.63
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	0.13	0.32	0.45
20.	उड़ीसा	0.19	3.37	0.92	4.48
21.	पंजाब	0.82	0.03	0.34	1.19
22.	राजस्थान	2.56	3.82	0.80	7.18
23.	सिक्किम	0.44	0.30	0.38	1.12
24.	तमिलनाडु	3.96	1.19	2.24	7.39
25.	त्रिपुरा	0.97	0.14	0.42	1.53
26.	उत्तरांचल	0.15	0.00	0.00	0.15
27.	उत्तर प्रदेश	5.34	3.12	3.63	12.09
28.	पश्चिम बंगाल	2.85	0.91	2.42	6.18
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.47	0.29	1.58	2.34
30.	चंडीगढ़	–	–	–	–
31.	दादरा व नगर हवेली	0.05	0.13	0.04	0.22
32.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	–	–	–	–
34.	पांडिचेरी	0.00	0.02	0.39	0.41
	कुल	57.49	31.26	34.62	123.37

[अनुवाद]

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड का पुनरुद्धार

248. **श्री सी.के. रामचन्द्रन:**
श्री पी.सी. थामस:
श्री पी. राजेन्द्रन:
श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री पी.के. वासुदेवन नायर:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफ.ए.सी.टी.) वित्तीय संकट में है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गये अथवा उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के लिए सचिव-स्तरीय समिति का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके द्वारा इस संबंध में सरकार को कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार को फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफ.ए.सी.टी.) हाई स्कूल, कोचीन के स्टाफ से इसके प्रबंधन को प्राइवेट एजेन्सी को सौंपने से संबंधित कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(छ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) जी, हां।

(ख) फैक्ट के घटिया वित्तीय निष्पादन को देखते हुये इसकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिये मार्च, 2002 में सरकार ने कम्पनी द्वारा अक्तूबर, 2003 में लिये गये सरकारी ऋण पर 31.3.2002 तक के बकाया 226.88 करोड़ रुपये की ब्याज राशि तथा जुर्माना ब्याज का परित्याग कर दिया था, सरकार ने सरकारी ऋणों पर 31.3.2003 तक 87.80 करोड़ रुपये की ब्याज राशि तथा जुर्माना ब्याज का परित्याग कर दिया था, इन ऋणों पर 1.4.2003 से ब्याज दर घटाकर 7% कर दी थी तथा मूल व ब्याज अदायगी के लिये 31.3.2004 तक स्थगन प्रदान कर दिया था और कम्पनी की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का कार्यान्वयन करने हेतु वर्ष 2003-04 में 60 करोड़ रुपये का योजना-भिन्न ऋण भी प्रदान किया था और इस योजना के माध्यम से कम्पनी की नामावली पर लगभग 940 कर्मचारी कम हुये हैं। दिनांक 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार 609.26 करोड़ रुपये के बकाया सरकारी ऋण को बट्टे खाते डालने के इसके अनुरोध को ध्यान में रखते हुये सरकार का प्रस्ताव फैक्ट के पुनरुद्धार हेतु तृतीय एवं दीर्घावधि पैकेज को भी कार्यान्वित करने का है। फैक्ट द्वारा राज्य करों/शुल्कों में कटौती करने के अनुसरण में केन्द्र सरकार कतिपय रियायतों का मामला केरल सरकार के साथ उठा रही है जिससे इसकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और केरल राज्य के मुख्य मंत्री तथा अन्य अधिकारियों के साथ 15.6.2004 को एक बैठक आयोजित की गई थी।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, केरल के मुख्य मंत्री के साथ इस बैठक के दौरान राज्य सरकार ने फैक्ट और केरल सरकार के बीच लम्बित सभी मामलों का निपटान करने के लिये राज्य स्तर पर एक समिति का गठन करने का प्रस्ताव किया है।

(ङ) और (च) एक निजी एजेन्सी को फैक्ट हाई स्कूल, कोचीन का प्रबन्धन सौंपने को चुनौती देने वाली एक याचिका स्कूल के कर्मचारियों से सरकार को प्राप्त हुई है। इस याचिका में स्कूल के कार्यकलाप निजी एजेन्सी को न सौंपने की प्रार्थना की गई है और फैक्ट प्रबन्ध मंडल द्वारा ऐसी कार्यवाही किये जाने की स्थिति में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने के पश्चात् पुनर्नियुक्ति के लिये अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के भविष्य पर यथा ध्यान देने का अनुरोध किया गया है।

(छ) याचिकार्त्ताओं ने इस मामले में केरल उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की है और यह मामला न्यायाधीन है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर राज्यों का विकास

249. **श्री वाई.जी. महाजन:**
श्री सुशील कुमार मोदी:

क्या **उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के विकास के लिए कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के लिए सरकार द्वारा योजनावार और राज्यवार कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान निर्धारित किये गये और प्राप्त किये गये लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

शिक्षा में विसंगतियों को दूर करने की प्रक्रिया

250. **श्री उदय सिंह:**
श्री निखिल कुमार:
श्री अधीर चौधरी:
श्री मित्रसेन यादव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में शिक्षा में विसंगतियों को दूर करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश की शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो नयी शिक्षा प्रणाली को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की इतिहास की पुस्तकों की शीघ्र समीक्षा करने के लिए 12.6.2004 को तीन सुविख्यात इतिहासकारों अर्थात् प्रो. एस. सत्तार, प्रो. जे.एस. ग्रेवाल और प्रो. बरूण डे का एक पैनल गठित किया गया है ताकि इन पुस्तकों में निहित सांप्रदायिक विचारों अथवा इतिहास के तोड़े-मरोड़े गए तथ्यों, यदि कोई हो, का पता लगाया जा सके और उपचारात्मक कार्रवाई करने का सुझाव दिया जा सके। पैनल की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) यह उपर्युक्त पैनल की रिपोर्ट प्राप्त होने तथा इस संबंध में सरकार द्वारा लिये जाने वाले निर्णय पर निर्भर करेगा।

नागालैंड क्षेत्र का एकीकरण

251. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री विजय कृष्ण:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न गुटों के साथ कितनी बार नागा शांति वार्ता की गयी;

(ख) इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या ऐसी शांति वार्ताएं हाल में भी की गयी हैं अथवा निकट भविष्य में किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या पूर्वोत्तर के सभी क्षेत्रों में सर्वाधिक नागा जनसंख्या वाले क्षेत्रों के एकीकरण की मांग करने वाला हो-हो नागाओं का एक शिष्टमंडल उनसे मिला था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उनकी मांग पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) विगत दो वर्षों के दौरान नागा शांति वार्ता के लिए भारत सरकार के प्रतिनिधियों तथा एन.एस.सी.एन. (आई/एम) के बीच विचार-विमर्श के 11 दौरे हुए हैं। इनमें विचार विनियम हुआ है तथा पारस्परिक स्वीकार्य स्थिति पर पहुंचने के प्रयास किए गए। वार्ता अधूरी रही तथा जारी है।

(ग) और (घ) वार्ता का अंतिम दौर 23.6.2004 से 24.6.2004 तक हेग में हुआ। दोनों पक्षों ने दोबारा मिलने का निर्णय लिया है।

(ङ) से (छ) नागा होहो के एक प्रतिनिधिमंडल ने 11 जून, 2004 को गृह मंत्री से भेंट की। सरकार नागा समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना चाहती है तथा और ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

[हिन्दी]

इस्पात संयंत्रों द्वारा इस्पात का उत्पादन

252. डा. रामकृष्ण कुसमरिया: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के बाद प्रत्येक संयंत्र में प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में (लाख टन में) इस्पात उत्पादन की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में से केवल स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की तीन इकाइयों का आधुनिकीकरण का कार्य आरंभ किया गया था। सेल के इन तीन इस्पात संयंत्रों, अर्थात् दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र और बोकारो इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण कार्य क्रमश: मार्च 1998, नवंबर 1999 और जनवरी 2000 में पूरा हो गया है। इन संयंत्रों के 1998-99 से 2003-04 तक के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

संयंत्र	उत्पादन (लाख टन)					
	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	13.19	14.02	14.96	15.27	15.85	16.12
राउरकेला इस्पात संयंत्र	11.14	11.07	12.94	13.54	15.27	15.75
बोकारो इस्पात संयंत्र	25.49	32.46	33.13	32.00	33.58	34.50

इस्पात की उत्पादन लागत पर मूल्यों का प्रभाव

253. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में कोयले के मूल्य में हुई वृद्धि के कारण इस्पात की उत्पादन लागत पर प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) कितने इस्पात विनिर्माण की कितने प्रतिशत यूनिटें कोयले की आपूर्ति के लिए कोल इंडिया लिमिटेड पर निर्भर हैं; और

(घ) शेष अन्य इस्पात विनिर्माण यूनिटों को कोयले की आपूर्ति किन स्रोतों से की जाती है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) जी, हां। तथापि, मूल्य वृद्धि का प्रभाव इस्पात उत्पादन के लिए उपयोग की जा रही प्रक्रिया और संयंत्र की तुलनात्मक दक्षता पर निर्भर करते हुए विभिन्न संयंत्रों में अलग-अलग होगा। सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है।

(ग) एकीकृत इस्पात संयंत्रों में से केवल सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र अर्थात् स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सैल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल) अपनी कोककर कोयले की आवश्यकता के एक भाग को पूरा करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड से कोककर कोयला खरीदते हैं।

(घ) शेष इस्पात उत्पादक इकाइयां आमतौर पर कोककर कोयले की अपनी आवश्यकता निजी खानों अथवा आयात के जरिए पूरा करती हैं।

[अनुवाद]

सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा एक विद्युत परियोजना की स्थापना

254. श्रीमती कृष्णा तीरथ: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सतलुज जल विद्युत निगम (एस.जे.वी.एन.) ने 2500 मेगावाट की अतिरिक्त हाइड्रोपावर उत्पादन की क्षमता वाली परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इससे कितने क्षेत्र की पूर्ति होने की संभावना है; और

(घ) इसके पूरा होने की समय-सीमा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (घ) सतलुज जल विद्युत निगम लि. (एस.जे.वी.एन.एल.) को हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलुज नदी पर नाथपा-झाकड़ी जल विद्युत परियोजना (एन.जे.एच.ई.पी.) 1500 मेगावाट (6×250 मेगावाट) के क्रियान्वयन का कार्य सौंपा गया था, जिसे पूरा कर लिया गया है और इसकी सभी 6 यूनिटें 18 मई, 2004 से वाणिज्यिक रूप से कार्यरत हैं। तत्पश्चात् हिमाचल प्रदेश सरकार ने मौजूदा एन.जे.एच.ई.पी. के रामपुर एच.ई.पी. (439 मेगावाट) डाउनस्ट्रीम के विकास का कार्य एस.जे.वी.एन.एल. को सौंपा है। एच.पी.एस.ई.बी. द्वारा तैयार डी.पी.आर. के अनुसार रामपुर परियोजना की लागत लगभग 1433 करोड़ रुपये (दिसंबर, 2000 के मूल्य स्तर पर) बताई गई है। अन्य परियोजनाओं को भी विकसित करने के लिए एस.जे.वी.एन.एल. हिमाचल प्रदेश सरकार तथा उत्तरांचल सरकार के साथ बातचीत कर रहा है।

नक्सलवाद

255. श्री तथागत सत्पथी:
श्री हंसराज जी. अहीर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नक्सली समस्या से निपटने के लिए किन्हीं उपायों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों से निबटने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए विधेयक लाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा इस मामले में किस प्रकार की अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या उड़ीसा सहित नक्सल प्रभावित विभिन्न राज्यों के विकास के लिए सरकार कोई वित्तीय पैकेज देने के लिए विचार कर रही है, क्योंकि नक्सल गतिविधियों का एक प्रमुख कारण विकास की कमी भी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) सरकार ने नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए एक त्रिआयामी रणनीति अपनाई है। इस रणनीति में राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण तथा सुदृढ़ीकरण, थानों की किलेबन्दी, अर्द्धसैनिक बलों की दीर्घावधि तैनाती, आसूचना आधारित सुसमन्वित नक्सलवाद विरोधी अभियान तेज करना, विकासात्मक पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करना और लोगों की सामाजिक-सांस्कृतिक विमुखता दूर करना शामिल है।

(ग) और (घ) नक्सलवाद से प्रभावित कुछ राज्यों ने, नक्सलवाद विरोधी अभियानों के लिए केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की तैनाती पर वर्तमान में उनके द्वारा वहन की जा रही लागत माफ करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है।

(ङ.) से (छ) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करने के लिए, उड़ीसा के जिलों सहित नक्सलवाद प्रभावित 55 जिलों को योजना आयोग की राष्ट्रीय विकास समयोजना के पिछड़े जिले पहल (बी डी आई) घटक के अधीन शामिल किया है ताकि इन क्षेत्रों के भौतिक और सामाजिक आधारभूत ढांचे में अति महत्वपूर्ण अन्तर को भरा जा सके । इस योजना में वर्ष 2003-04 के तीन वर्ष के लिए प्रति जिला प्रति वर्ष 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी. एस. वाई) के तहत नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए प्रतिवर्ष 37.50 करोड़ रू. का अतिरिक्त आबंटन उद्दिष्टि किया है।

गुजरात दंगे

256. श्री निखिल कुमार:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोधरा के बाद गुजरात में हुए दंगों के संबंध में न्यायिक जांच की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गोधरा दंगों की नए सिरे से जांच कराने के लिए विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो गोधरा दंगों की नए सिरे से जांच के लिए प्राप्त हुए अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) कब तक नए सिरे से जांच की जाएगी और गोधरा दंगों से संबंधित श्वेत पत्र कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(ङ.) गुजरात दंगों के संबंध में न्यायालय से प्राप्त सिफारिशों के संबंध में सरकार का रवैया क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क)से (ड.) जी हां, श्रीमान। इन आरोपों कि 27 फरवरी, 2002 को गुजरात में हुई त्रासदी के साथ शुरू से गुजरात के लोगों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करने में तथा उसके बाद आने वाले हफ्तों में हिंसा के चलते रहने के दौरान सरकार पूरी तरह से विफल रही और गुजरात में न्याय परिदान प्रणाली पूरी तरह से विफल हो गई, की पृष्ठभूमि में गोधरा काण्ड के बाद की हिंसा में गुजरात सरकार की भूमिका की जांच करने के लिए एक नया जांच आयोजित स्थापित करने की मांग हुई है। मामले की जांच चल रही है।

सर्वोच्च न्यायालय में न्याय मित्र द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के अलावा, केन्द्र सरकार ने गुजरात दंगों के मामलों में कतिपय मुख्य गवाहों को सुरक्षा प्रदान की है। गंभीर अपराधों से संबंधित में साक्ष्य देने वाले गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक योजना भी तैयार की जा रही है।

पारेषण और वितरण में हानियां

257. श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री आलोक कुमार मेहता:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पारेषण और वितरण (टी. एण्ड डी.) के स्तर पर विद्युत चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पारेषण और वितरण से हानियों को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने इस उद्देश्य के लिए राज्यों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) विद्युत अधिनियम 2003 में बिजली चोरी को संज्ञेय अपराध मानने की कानूनी प्रावधान है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से केबलों अथवा सर्विस वायर का उपयोग करता है अथवा मीटरों आदि के साथ छेड़-छाड़ करता है या नुकसान पहुंचाता है तो उसे कारावास का दण्ड दिया जाएगा, जिसे तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना भी किया जा सकता है अथवा दोनों दण्ड आरोपित किए जा सकते हैं। त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए पी डी आर पी) के अंतर्गत नकद हानियों, बिजली चोरी के कारण जिसमें काफी बढ़ोत्तरी हो जाती है को कम करने के लिए राज्य सरकारों/पावर यूटिलिटियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है।

(ख) सभी राज्य पारेषण व वितरण हानियों को कम करने के उपाय कर रहे हैं, इसमें अन्य बातों के साथ-साथ 11 के.वी. फीडर स्तर तक मीटरिंग और सभी उपभोक्ताओं की 100 प्रतिशत मीटरिंग शामिल है।

(ग) ए पी डी आर पी के निवेश, घटक के अंतर्गत गत 3 वर्षों के दौरान राज्यों को जारी निधियों के ब्योरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। ए पी डी आर पी के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों को नकद हानि में कमी के लए 882.58 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत की गई परियोजना लागत	एपीडीआरपी घटक	जारी निधियां (करोड़ रुपये में)		
				2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1511.40	755.70	शून्य	163.82	402.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	85.99	85.99		0.00	36.68
3.	असम	408.54	408.54		96.97	0.00

1	2	3	4	5	6	7
4.	बिहार	768.25	384.13		66.11	20.88
5.	छत्तीसगढ़	424.58	212.29		10.00	43.07
6.	दिल्ली	946.46	473.23		105.51	0.00
7.	गोवा	244.60	122.30		22.04	8.54
8.	गुजरात	1035.80	517.90		105.41	183.45
9.	हरियाणा	453.41	226.71		56.33	112.66
10.	हिमाचल प्रदेश	327.81	327.81		43.04	120.87
11.	जम्मू व कश्मीर	401.10	401.10		20.00	180.50
12.	झारखंड	444.85	222.43		12.00	43.60
13.	कर्नाटक	1161.19	580.60		145.15	290.30
14.	केरल	350.35	175.18		30.43	74.23
15.	मध्य प्रदेश	679.08	339.54		74.87	10.00
16.	महाराष्ट्र	1898.59	949.30		138.48	107.98
17.	मणिपुर	10.13	10.13		2.67	0.00
18.	मेघालय	42.26	42.26		6.57	14.56
19.	मिजोरम	57.91	57.91		3.78	25.18
20.	नागालैंड	47.22	47.22		13.14	10.47
21.	उड़ीसा	592.22	296.11		54.35	0.00
22.	पंजाब	706.38	353.19		53.98	124.76
23.	राजस्थान	1255.06	627.53		125.64	219.70
24.	सिक्किम	154.73	154.73		17.21	60.17
25.	तमिलनाडु	968.17	484.09		111.57	232.59
26.	त्रिपुरा	27.54	27.54		2.67	6.10
27.	उत्तर प्रदेश	824.14	412.07		80.12	0.00
28.	उत्तरांचल	361.51	361.51		174.63	6.13
29.	पश्चिम बंगाल	420.92	210.46		19.02	21.15
	कुल	16610.19	9267.50		1755.51	2356.51

पुलिस का आधुनिकीकरण

258. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों को आधुनिक बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) गृह मंत्रालय 1969-70 से राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए एक गैर-योजना स्कीम का कार्यान्वयन करता रहा है। वर्ष 2002-03 तक यह योजना केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 लागत भागीदारिता के आधार पर चलाई गई थी। पुलिस प्रशासन की सभी मुख्य मदें इस योजना के तहत वित्त पोषण के लिए सम्मिलित की गई है अर्थात् पुलिस इमारतों का निर्माण, आवास, आवाजाही, हथियार, संचार/सुरक्षा/निगरानी/विधि विज्ञान/प्रशिक्षण उपकरण आदि।

2000-01 के दौरान इस योजना के तहत वार्षिक केन्द्रीय आवंटन को बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अधिकतर राज्यों के सामने अपने हिस्से की उतनी ही राशि का अंशदान करने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए इस योजना को 2003-04 में संशोधित किया गया और राज्यों द्वारा सामना किए जा रहे विद्रोह/आतंकवाद/सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद के स्तर के आधार पर राज्यों को तीन श्रेणियों, अर्थात् ए, बी1, और बी2 में समूहबद्ध करके योजना के तहत वित्तपोषण की पद्धति में परिवर्तन किया गया। इन तीन श्रेणियों के लिए केन्द्रीय वित्त पोषण क्रमश: 100 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 60 प्रतिशत है। इससे वार्षिक केन्द्रीय आवंटन बढ़कर 1400 करोड़ रुपये हो गया।

राज्य सरकारों को गत चार वर्षों के दौरान 31.3.2004 तक जारी राशियों और राज्यों द्वारा सूचित उपयोग का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजना 2000-01 से 2003-04 जारी निधियां/उपयोग की स्थिति (रुपये करोड़ में) (31.3.2004 की स्थिति के अनुसार)

राज्य का नाम	वार्षिक योजना आकार	2000-01 में जारी केन्द्रीय निधियां	उपयोग का प्रतिशत	2001-02 में जारी केन्द्रीय निधियां	उपयोग का प्रतिशत	पोलनेट की की राशि सहित 2002-03 में जारी केन्द्रीय निधियां	उपयोग का प्रतिशत	पोलनेट के लिए जारी सहित 2003-04 में जारी केन्द्रीय निधियां	उपयोग का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	164.00	72.02	99.15%	77.20	99.99%	81.32	23.03	69.46	-
अरुणाचल प्रदेश	10.40	01.15	60.43%	04.42	89.34%	5.20	26.82	7.24	-
असम	77.40	36.58	47.69%	38.59	36.91%	16.50	-	36.52	-
बिहार	108.00	57.59	86.89%	54.00	शून्य	11.50	-	0.43[$]	-
छत्तीसगढ़	38.00	20.58	97.47%	21.97	90.73%	16.70	50.00	17.47	-
गोवा	04.00	02.02	87.52%	0.200	62.50%	2.00	55.00	1.40	-
गुजरात	100.00	59.76	93.00%	50.00	92.59%	50.00	64.82	42.21	-
हरियाणा	44.20	28.33	100.00%	24.46	100%	22.10	100.00	20.00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हिमाचल प्रदेश	13.70	01.34	76.76%	06.38	1.42%	6.20	–	0.69	–
जम्मू और कश्मीर	117.00#	30.82	100%	28.50	92.00%	28.50	76.44	25.00	–
झारखण्ड	36.00	40.15	64.48%	28.94	89.51%	12.73	–	8.50	–
कर्नाटक	150.00	82.85	100.00%	76.98	90.22%	75.00	71.05	69.31	–
केरल	63.00	29.28	88.03%	31.12	82.73%	25.13	93.97	22.00	–
मध्य प्रदेश	106.00	54.49	100%	53.00	92.92%	51.33	–	48.24	–
महाराष्ट्र	184.20	83.10	82.29%	92.10	91.65%	67.94	62.36	62.84	–
मणिपुर	21.00	04.10	37.56%	04.95	शून्य	0.73	–	11.50	–
मेघालय	11.00	01.54	35.06%	05.19	52.89%	0.55	100.00	5.29	–
मिजोरम	11.00	04.95	100%	05.50	100%	5.50	50.00	8.47	–
नागालैंड	27.00	02.84	100%	33.44	100%	9.95	100.00	21.00	–
उड़ीसा	61.00	30.57	88.83%	30.50	75.37%	16.76	45.82	21.91	–
पंजाब	64.20	35.76	98.73%	32.10	46.77%	32.10	31.11	19.34	–
राजस्थान	122.00	45.52	100%	61.10	72.98%	16.17	–	43.10	–
सिक्किम	6.40	01.83	05.73%	02.87	31.01%	0.09*	–	00.94	–
तमिलनाडु	136.20	76.50	87.83%	68.10	100%	68.10	44.33	54.98	–
त्रिपुरा	13.50	06.39	100%	05.60	92.05%	5.60	–	12.83	–
उत्तर प्रदेश	247.02	123.97	75.53%	116.05	62.08%	60.39	29.92	7.41	–
उत्तरांचल	13.16	05.50	91.18%	08.44	100.00%	6.58	71.43	65.02	–
पश्चिम बंगाल	113.00	60.47	50.93%	56.50	36.19%	0.33*	–	2.17	–
कुल	2262.58	1000.00	85.65%	1000.00	74.73%	695.00	44.40	705.27(**)	–

*सिक्किम और पश्चिम बंगाल के सामने दर्शाई राशि केवल पोलनेट परियोजना के लिए है।
#राज्य का योजना आकार 2002-03 तक 57.00 करोड़ रुपये था।
$राशि केवल पोलनेट के लिए जारी की गई थी चूंकि राज्य ने अपनी आधुनिकीकरण योजना प्रस्तुत नहीं की।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा

259. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कार्यक्रम और उस पर हुए खर्च के लिए बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम की योजना और मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता की योजना सरकार द्वारा वर्ष 1993 से कार्यान्वित की जा रही थी। दसवीं योजना में इन दोनों स्कीमों को मिलाकर क्षेत्र गहन एवं मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम नामक एक नई स्कीम तैयार की गई है।

इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित प्रयासों के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है:-

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के लिए उपचारात्मक कोचिंग;

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा हेतु कोचिंग;

(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए नौकरी में प्रवेश हेतु कोचिंग कक्षाएं;

(4) लाभवंचित अल्पसंख्यक समूहों के लिए उपचारात्मक कोचिंग कक्षाएं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्होंने मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम जो एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, के माध्यम से शैक्षिक ऋण योजना शुरू की है। वर्ष 2002-2003 तथा 2003-2004 के दौरान कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किए गए थे।

प्रत्येक योजना पर पिछले तीन वर्षों के दौरान बजट प्रावधान तथा उन पर व्यय की गई राशि इस प्रकार है:-

(रु. करोड़ में)

योजना का नाम	2001-02		2002-03		2003-04	
	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन	20.00	15.29				
मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता	10.05	2.01	29.00*	27.99*	31.50*	28.44*
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना	-	3.49	-	3.80	-	0.96

*10वीं योजना में इन योजनाओं को मिलाकर एक योजना बना दी गई है।

रुग्ण हाइड्रो पावर परियोजनाएं

260. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ हाइड्रो-पावर परियोजनाएं रुग्ण स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन रुग्ण हाइड्रो-पावर परियोजनाओं में हाइड्रो-पावर की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार बिहार में नए हाइड्रो-पावर परियोजना लगाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (ग) वर्तमान में देश में 251 जल विद्युत केंद्र हैं (प्रत्येक की संस्थापित क्षमता 3 मेगावाट से अधिक)। सामान्यत: जल विद्युत केन्द्र संतोषजनक तरीके से कार्य कर रहे हैं। हालांकि बिहार के कोसी नहर पीएच (20 मेगावाट) में गाद-जमाव के कारण विद्युत उत्पादन बहुत कम है। भारी गाद जमाव तथा डाउनस्ट्रीम नहर (सामान्य स्तर से 13 से 14 फुट ऊपर तक) में रेत जमाव के कारण विद्युत उत्पादन कम हो रहा है। बिहार सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाली नहरों

की सफाई से भी कोसी जल विद्युत केन्द्र के विद्युत उत्पादन में सुधार हो सकता है।

(घ) बिहार में 25 मेगावाट या इससे अधिक की संस्थापित क्षमता वाली किसी भी जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

बोर्ड परीक्षाओं हेतु ग्रेडिंग प्रणाली

261. श्री के.एस. राव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सी.बी.एस.ई. बोर्ड की परीक्षाओं के लिए प्वाइंट ग्रेडिंग प्रणाली पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रणाली के कब तक लागू होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 के लिए एक नई ग्रेडिंग प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव दिया है जिसमें अंकों का उल्लेख किए बिना विषय-वार ग्रेड प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। तथापि, इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

वेश्यावृत्ति

262. श्री कैलाश मेघवाल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विशेषकर दिल्ली में वेश्यावृत्ति में कुछ विदेशी महिलाएं संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले छः महीनों के दौरान गिरफ्तार की गई ऐसी विदेशी महिलाओं की संख्या कितनी है तथा वे किन देशों से संबंध रखती हैं; और

(घ) सरकार/दिल्ली पुलिस द्वारा ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में कुछ विदेशी महिलाओं के कथित रूप से वेश्यावृत्ति में संलिप्त होने के कुछ मामलों का पता चला है। देश के अन्य भागों में ऐसे मामलों के बारे में सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) गत छह माह के दौरान दिल्ली में गिरफ्तार ऐसी महिलाओं की संख्या उनके देश के नाम सहित निम्न प्रकार है:

देश	गिरफ्तार महिलाओं की संख्या
नेपाल	01
अजरबैजान	09
उजबेकिस्तान	03
मोरक्को	01
कुल	14

(घ) पुलिस कार्मिकों को ऐसे अपराध की रोकथाम और पता लगाने हेतु अपने क्षेत्रों में होटलों और अतिथि गृहों पर नजर रखने के निदेश दिए गए हैं। ऐसे होटलों/अतिथि गृहों का अचानक निरीक्षण किया जा रहा है जिन पर ऐसी गतिविधियों में संलिप्त होने का संदेह है। इन गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों अथवा जिन पर इनमें संलिप्त होने का संदेह है, पर पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही है।

विशेष स्टेनलेस स्टील का विकास

263. श्री बसुदेव आचार्य: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एलाय स्टील प्लांट, दुर्गापुर ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक परियोजना (कास्मिक इवाल्यूशन) के लिए विशेष स्टेनलेस स्टील का सफलतापूर्वक विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या संयंत्र द्वारा लिक्विड स्टील और सेलेबल स्टील के उत्पादन में विचारणीय सुधार हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने एलाय स्टील प्लांट दुर्गापुर में उत्पादन, उन्नयन/वृद्धि और अवसंरचनागत विकास को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (आई आई एस सी ओ) को 'सेल' में विलय करने का निर्णय लिया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) जी हां। सेन्टर फार यूरोपियन न्यूक्लीयर रिसर्च (सी ई एन आर), जनेवा के समन्वय में "कास्मिक अलाइस" (एक बड़ा आई ओ एन कोलिडर परीक्षण) नामक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना हेतु "डाइमोन फ्रंट एबजोबर" नामक संघटक के लिए अति न्यून मैग्नेटिक परमीयाबिलिटी के बेदाग इस्पात की आवश्यकता थी। मिश्र इस्पात संयंत्र (ए एस पी), दुर्गापुर ने बेदाग इस्पात के इस विशेष ग्रेड (ए आई एस आई-304 एल) का विकास किया है जिसे संतोषजनक पाया गया था। सफल परीक्षण के पश्चात ए एस पी को भविष्य में और आर्डर प्राप्त हो सकते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। ए एस पी ने नीचे दिए अनुसार द्रव इस्पात और विक्रेय इस्पात के उत्पादन में काफी वृद्धि की है:

(टन)

	2002-03	2003-04	वृद्धि	अप्रैल-जून, 2003	अप्रैल-जून, 2004	वृद्धि
द्रव इस्पात	116884	149631	28%	33099	35719	8%
विक्रेय इस्पात	99018	113356	14%	25514	28000	10%

(ङ) और (च) संयंत्र के उत्पादन के उन्नयन/संवर्धन के लिए तकनीकी परामर्शदाता की सिफारिशों के आधार पर स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) फिलहाल एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है इनमें आर्गेन आक्सीजन डीगैसिंग (ए ओ डी) की स्थापना के जरिए उत्पादन में वृद्धि करना, लागत-प्रभावी ढंग से बेदाग इस्पात का निर्माण करना, एक विद्युत चाप भट्टी की मरम्मत करना और बैलेंसिंग सुविधाएं शामिल हैं।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि भूमि की उर्वरता हेतु यूरिया का प्रयोग

264. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों द्वारा रासायनिक उर्वरक/यूरिया के प्रयोग से देश भर में कृषि भूमि की उर्वरता निरंतर कम हो रही है;

(ख) क्या वैज्ञानिकों ने रसायनों का न्यूनतम प्रयोग करने की बात कही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार देश की कृषि भूमि पर व्यापक परीक्षण करने के बाद उपयोगी रासायनिक उर्वरक प्रयोग करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विश्व के अन्य देशों के किसानों की तुलना में देश के किसानों को उर्वरकों पर सबसे कम राजसहायता मिल रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) और (ख) फसलों की आवश्यकता और मृदा के मौजूदा पोषकों के आधार पर उर्वरकों के उपयोग की सिफारिश की जाती है। तथापि, देश के कुछ हिस्सों में उर्वरकों के अपर्याप्त और/अथवा असंतुलित उपयोग के कारण मृदा की उर्वरता और उत्पादकता में कमी के उदाहरण मिलते हैं। उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा मृदा उर्वरता को बनाए रखने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए है। मृदा की पोषक स्थिति के अनुसार उर्वरकों के उपयोग की सिफारिशें करने के लिए मृदा परीक्षण कार्यक्रम को आवधिक रूप से सुदृढ़ करना।

(2) नियंत्रित नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक (यूरिया) के साथ-साथ नियंत्रणमुक्त फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों पर राजसहायता/रियायत दी गई है ताकि उनकी संतुलित खपत में वृद्धि हो।

(3) रासायनिक उर्वरकों और कार्बनिक स्त्रोतों जैसे जैव-उर्वरकों, वानस्पतिक खाद/कृमि-वानस्पतिक खाद के माध्यम से

एकीकृत पोषक/सूक्ष्म पोषकों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि मृदा उर्वरता बनी रहे तथा फसलों के लिए उपलब्ध पौध पोषकों के सस्ते स्रोत बनाए जा सकें।

(ग) और (घ) सरकार मृदा उर्वरता और उत्पादकता को सुधारने के लिए एकीकृत पोषक प्रबंधन (आईएनएम) का समर्थन कर रही है और मृदा परीक्षण के आधार पर रासायनिक उर्वरकों के साथ सूक्ष्म पोषकों की कार्बनिक खादों के संयोजन (जैसे फार्म यार्ड खाद, वानस्पतिक खाद, कृमि वानस्पतिक खाद, हरी खाद इत्यादि) और जैसे उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग पर बल दे रही है। मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने/उन्हें सुदृढ़ करने, शहरी कूड़े को वानस्पतिक खाद में परिवर्तित करने के लिए यांत्रिक खाद संयंत्रों और कृषकों/आईएनएम के विस्तार कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए उर्वरकों के संतुलित और एकीकृत उपयोग योजना के तहत धनराशि भी प्रदान की जा रही है जिसे केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना कार्य योजनाओं (बृहत् प्रबंधन) के माध्यम से राज्य के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण के तहत शामिल किया गया है।

(ङ) और (च) विश्व के अन्य देशों के कृषकों की तुलना में भारत के कृषकों को निम्नतम राजसहायता पर उर्वरक प्राप्त होने की पुष्टि के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

कोयले पर आधारित पुराने विद्युत केन्द्रों की ऊर्जा उत्पादन क्षमता

265. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के कोयले पर आधारित पुराने विद्युत केन्द्रों की ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) जी, हां।

(ख) 10वीं योजना के दौरान 23,700 मि.यू. प्रति वर्ष की अनुमानित उत्पादन वृद्धि के लिए जीवन विस्तार कार्य हेतु 106 थर्मल यूनिट अभिज्ञात की गयी हैं। साथ ही, 57 थर्मल यूनिटों को उनके निष्पादन में सुधार के लिए नवीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु अभिज्ञात किया गया है। 10वीं योजना में नवीकरण एवं आधुनिकीकरण/जीवन विस्तार कार्य हेतु अभिज्ञात विद्युत केन्द्रों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

क्र.सं.	स्टेशन/यूनिट का नाम	वर्तमान निर्धारित क्षमता (मेगावाट)	अधिकतम उत्पादन (मेगावाट)	एलईपी के पश्चात् प्रत्याशित क्षमता (मेगावाट)	अतिरिक्त विद्युत उत्पादन (मेगावाट)
1	2	3	4	5	6
1.	बदरपुर यूनिट 1-5	705	705	720	15
2.	पानीपत यूनिट 1, 3 और 4	330	300	330	30
3.	फरीदाबाद यूनिट 1-3	165	159	180	21
4.	भटिंडा यूनिट 1-4	440	400	440	40
5.	ओबरा यूनिट 1-13	1482	1335	1550	210
6.	पनकी यूनिट 3-4	210	190	220	30
7.	हरदुआगंज यूनिट 1, 3, 4, 5 व 7	325	235	340	105
8.	नासिक यूनिट 1-2	280	250	280	30

1	2	3	4	5	6
9.	पारस यूनिट 1-2	58	58	62.5	4.5
10.	भुसावल यूनिट 1	58	58	62.5	4.5
11.	कोराडी यूनिट 1-4	460	440	480	40
12.	परली यूनिट 1-2	60	60	60	0
13.	कोरबा (पूर्व) यूनिट 1, 4, 5 व 6	320	280	340	60
14.	सतपुड़ा यूनिट 1-5	310.25	300	310.25	10.25
15.	अमरकंटक यूनिट 1-4	290	240	300	60
16.	गांधीनगर यूनिट 1-2	240	200	240	40
17.	धुव्रण यूनिट 1-6	534	422	534	112
18.	उकाई यूनिट 1-2	240	210	240	30
19.	एन्नौर यूनिट 1-2	120	100	120	20
20.	तूतीकोरिन यूनिट 1-3	630	630	630	0
21.	विजयवाड़ा यूनिट 1-2	420	420	420	0
22.	कोठागुडम यूनिट 6-8	325	300	360	60
23.	संथालडीह यूनिट 1-3	360	260	360	100
24.	बांडेल यूनिट 1-4	320	260	330	70
25.	दुर्गापुर डीवीसी यूनिट 3	140	110	140	30
26.	चंद्रपुर डीवीसी यूनिट 1-6	750	570	780	210
27.	बोकारो यूनिट 1-3	135	0	172.5	–

10वीं योजना में आर एंड एम हेतु अभिज्ञात थर्मल यूनिटें

	राजस्थान		
1.	कोटा	1-5	850
	पंजाब		
2.	रोपड़	1-6	1260
	महाराष्ट्र		
3.	नासिक	3-5	630
4.	कोराडी	5-7	630
5.	चंद्रपुर	1-6	1840
6.	पारली	3-5	630
7.	खापरखेड़ा	1-2	420
8.	भुसावल	2-3	420
	गुजरात		
9.	कच्छ लिग्नाइट	1-2	140
	मध्य प्रदेश		
10.	सिंगरौली एसटीपीएस	1-7	2000
11.	विन्ध्याचल	1-6	1260
	छत्तीसगढ़		
12.	कोरबा	1-6	2100
	आंध्र प्रदेश		
13.	रामागुंडम	1-6	2100

द्वारका में पेयजल की कमी

266. श्री एस.पी.वाई. रेड्डी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में डीडीए के उप-नगर द्वारका में ताजा पेयजल की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) कालोनी के निवासियों को कुल कितने पानी की आवश्यकता है और दिल्ली जल बोर्ड ने एक जनवरी, 2004 से कुल कितने एम जी डी पानी की आपूर्ति की है; और

(घ) नमक रहित तथा कठोरता रहित पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि द्वारका के लिए पानी 6 मिलियन गेलन प्रति दिन (एमजीडी) की मौजूदा न्यूनतम मांग में से दिल्ली जल बोर्ड 1.1.2004 पानी की कमी के कारण केवल 3 एमजीडी पानी की ही आपूर्ति कर पाया।

(घ) जब कभी भी पाइप से पानी उपलब्ध न होने की शिकायत मिलती है तो डीडीए एक अल्पावधिक उपाय के रूप में पानी के टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति करता है। द्वारका में जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने द्वारका में एक 40 मिलियन गेलन प्रति दिन (एमजीडी) का जल शोधन संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। इस संयंत्र के लिए कच्चा पानी मुनक से हैदरपुर जल शोधन संयंत्र के समानान्तर चैनल का निर्माण करके पानी के रिसाव के नुकसान को बचाकर उपलब्ध होगा, जिसके लिए कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

नई औषध नीति

267. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औषध नीति तथा नए औषध मूल्य नियंत्रण आदेश से संबंधित कानूनी मुद्दों को सुलझा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) फार्मा सेक्टर द्वारा औषधों के मूल्य तथा पेटेंट से संबंधित मुद्दों को कब तक सुलझा लिया जाएगा;

(घ) क्या सरकार ने औषधों के मूल्यों को कम करने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र की औषध निर्माता इकाइयों का पुनरुद्धार करने का भी निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यह निर्णय कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) से (ग) सरकार ने फरवरी, 2002 में "भेषज नीति-2002" की घोषणा की थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका के परिणामस्वरूप 12.11.2002 को एक आदेश जारी हुआ जिसने सरकार पर भेषज-नीति 2002 की मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू करने पर रोक लगा दी। सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है जो एस.एल.पी. (सी) सं. 3668/2003 के रूप में दर्ज है। मामला न्यायाधीन है।

(घ) से (च) इस समय पांच भेषज सार्वजनिक उपक्रम नामत: बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (बी सी पी एल), बंगाल इम्युनिटी लि. (बी आई एल), स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि. (एस एस पी एल), हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एच ए एल) और इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (आई डी पी एल) हैं। बी आई एल, एस एस पी एल तथा आई डी पी एल के मामले में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्रचना बोर्ड (बी आई एफ आर) ने परिसमापन आदेश जारी कर दिए हैं। बी आई एल तथा एस एस पी एल बंद हो गए हैं। आई डी पी एल का मामला औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्रचना अपील प्राधिकरण (ए ए आई एफ आर) के समक्ष विचाराधीन है। बी सी पी एल के संबंध में बी आई एफ आर ने संशोधित प्रारूप पुनरुद्धार स्कीम स्वीकृत की है। एच ए एल का मामला बी आई एफ आर के समक्ष है।

संघ राज्य क्षेत्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था

268. श्री मोहन एस. डेलकर: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकतर संघ राज्य क्षेत्रों में विधान सभाएं नहीं हैं और अन्य राज्यों की तरह लोगों की सरकार में कोई भूमिका नहीं है जिसकी वजह से वे लोकतंत्र का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14 (भाग III -मौलिक अधिकार) का उल्लंघन नहीं है, जिसमें कि विधि के समक्ष सभी नागरिक समान है; और

(ग) यदि हां, तो संघ राज्य क्षेत्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) विधानमण्डल वाले अथवा बिना विधानमण्डल वाले संघ शासित क्षेत्रों में लागू शासन की स्कीम सर्वथा संविधान के संगत प्रावधानों के अनुरूप है।

आंगनवाड़ियों के लिए भवनों का निर्माण

269. श्री देविदास पिंगले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के समक्ष आंगनवाड़ियों के लिए भवनों के निर्माण के लिए आज की तारीख तक लंबित पड़ी योजनाओं का राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र राज्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनके लंबित पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) से (ग) आंगनवाड़ियों हेतु भवनों के निर्माण के लिए अण्डमान व निकोबार प्रशासन से प्राप्त एक प्रस्ताव, जिस पर कार्रवाई की जा रही है, को छोड़कर, अन्य कोई स्कीम अथवा प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित नहीं है।

मलिन बस्तियों में आवासीय इकाइयां

270. श्री अजय माकन: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रेलवे, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद् निजी भूमि तथा अन्य सरकारी एजेंसियों की भूमि पर मलिन बस्तियों में आवासीय इकाइयों का विभाग-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उन बस्तियों की पहचान की है जहां पुनर्वास किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) स्लम तथा झुग्गी झोपड़ी विभाग (दिल्ली नगर निगम) ने यह सूचित किया है कि उसके द्वारा मार्च, 1994 में किए गए सर्वेक्षण/आकलन के अनुसार 1079 झुग्गी समूहों में लगभग 4.80 लाख झुग्गियां थी। उसके बाद से कोई आकलन/ सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

बोडो समझौता

271. श्री सानथुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 10 फरवरी, 2003 को केन्द्र सरकार असम राज्य सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स (बी एल टी) के मध्य हुए 'बोडो समझौते' को लागू करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बोडो समझौते के कुछ खण्डों, विशेषकर खण्ड 8 के अनुरूप आत्मसमर्पण कर चुके बोडो उग्रवादियों को उचित राहत और पुनर्वास तथा कुछ अन्य बातों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा 'बोडो समझौते' को पूर्णत: कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) केन्द्र सरकार, असम सरकार तथा बोडो लिब्रेशन टाईगर (बी एल टी) के बीच 10.2.03 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को लागू करने के लिए कार्रवाई की गई है। ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(1) बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट (बी.टी.ए.डी.) की अंतरिम परिषद का गठन किया गया है तथा 7.12.03 को इसका उद्घाटन किया गया।

(2) बोडो जनजाति के हितों की रक्षा करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 का संशोधन करके असम की अनुसूचित जनजाति (सूची) संशोधित की गई है।

(3) भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में बोडो भाषा को शामिल किया गया है।

(4) बी.टी.ए.डी. के असम राज्य विधान सभा में अनुसूचित जनजाति तथा गैर अनुसूचित जनजाति को मौजूदा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संविधान (उन्नीसवां) संशोधन अधिनियम, 2003 अधिनियमित करके भारत के संविधान का अनुच्छेद 332(6) संशोधित किया गया है।

(5) बी.टी.ए.डी. में प्रशासनिक आधारभूत ढांचे के विकास के लिए वर्ष 2003-04 में परिषद को 20 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

(6) बी.टी.ए.डी. में राहत शिविरों में ठहरे हुए, जातीय हिंसा प्रभावित शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए वर्ष 2003-04 में असम राज्य सरकार को 10 करोड़ रु. भी रिलीज किए गए हैं।

(7) सामाजिक-आर्थिक आधारभूत संरचना के लिए बोडोलैण्ड टेरिटोरियल काउन्सिल ने मंजूरी हेतु 97.18 करोड़ रु. की (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय को भेजी है। सरकार, इस प्रयोजनार्थ 5 वर्ष की अवधि में प्रतिवर्ष 100 करोड़ रु. प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है।

(घ) से (च) बोडो समझौते (एम.ओ.एम.) के खंड 8 को हटाने की मांग करते हुए कारबी आंगलोंग स्वायत्त परिषद तथा विभिन्न अन्य संगठनों/एसोसिएशनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन्हें नोट कर लिया गया है। एम.ओ.ए.एस. के खंड 8 के कार्यान्वयन पर व्यापक परामर्श तथा सभी संबंधितों की सहमति की आवश्यकता है।

आत्मसर्पण किए हुए बी.एल.टी. काडरों के पुनर्वास के लिए वर्ष 2003-04 में राज्य सरकार को 5 करोड़ रु. अग्रिम तौर पर दिए गए हैं। 1000 बोडो युवकों को केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में भर्ती करने का निर्णय लिया गया है।

(छ) 10.2.2003 के बोडो समझौते (एम.ओ.एस.) के विभिन्न खंड सतत कार्यान्वयन स्वरूप के हैं, अत: एम.ओ.एस. के सम्पूर्ण कार्यान्वयन के लिए ठीक-ठीक समय सीमा नहीं बताई जा सकती है। तथापि, सरकार एम.ओ.एस. को पूरी तरह कार्यान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है।

महाराष्ट्र में विदेशी सहायता से चल रही परियोजनाएं

272. श्री प्रकाशबापू पी. पाटिल: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में गरीबी उपशमन और आवासीय क्षेत्रों में विदेशों के सहयोग से कुछ परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें विदेशों से कितनी सहायता मिल रही है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत राज्य में कुछ और परियोजनाएं शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) एशियन विकास बैंक (एडीबी) ने कुछ विशेष प्रकार की आवासीय परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता प्रदान करने हेतु आवास और शहरी विकास निगम (हडको) को 100 मिलियन अमेरीकी डालर का ऋण अनुमोदित किया था। महाराष्ट्र में एशियन विकास बैंक ऋण से हडको द्वारा वित्तपोषित आवास परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) हडको को राज्य सरकार से ऐसा कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में एशियन विकास बैंक ऋण के अंतर्गत शामिल स्कीमें (ऋण सं. 1550-आईएनडी)

(लाख रु. में)

क्र. सं.	स्कीम की सं.	राज्य	एजेंसी नगर	परियोजना लागत	स्वीकृत ऋण						कुल	विकास ईकाईयों की सं.
					ग्रामीण	ईडब्ल्यूएस	एलआईजी	एमआईजी	एचआईजी	अन्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
स्लम सुधार स्कीमें												
1.	16159	महाराष्ट्र	जेएमसी	1776.35	0.00	0.00	1338.40	0.00	0.00	0.00	1338.40	1912
2.	16161	महाराष्ट्र	जेएमसी	2165.99	0.00	0.00	1673.00	0.00	0.00	0.00	1673.00	2390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	16162	महाराष्ट्र	जेएमसी	2016.70	0.00	0.00	1563.00	0.00	0.00	0.00	1563.00	2234
4.	16164	महाराष्ट्र	जेएमसी	796.46	0.00	0.00	565.60	0.00	0.00	0.00	565.60	608
5.	16165	महाराष्ट्र	जेएमसी	430.41	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	480
			जलगांव	7185.91	0.00	0.00	5476.00	0.00	0.00	0.00	5476.00	7824
आवास बोर्ड और स्थानीय निकाय स्कीमें												
6.	15301	महाराष्ट्र	एनआईटी	578.75	0.00	0.00	438.48	0.00	0.00	0.00	438.48	696
			नागपुर	578.75	0.00	0.00	438.48	0.00	0.00	0.00	438.48	696
गैर-सरकारी संगठन												
7.	14771	महाराष्ट्र	एसपीएआरसी	16.80	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	56
			पुणे	16.80	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	56
		कुल योग		7781.46	0.00	14.00	5914.48	0.00	0.00	0.00	5928.48	8576

जेएमसी - जलगांव नगर निगम
एनआईटी - नागपुर सुधार ट्रस्ट
एसपीएआरसी - सोसाइटी फार प्रोमोशन आफ एरिया रिसोर्स सेंटर

दिल्ली नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण गिराया जाना

273. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **शहरी विकास मंत्री** 16.12.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2151 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली नगर निगम के अवैध निर्माण गिराने संबंधी कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जो पुलिस बल उपलब्ध न होने के कारण पूरे नहीं किये जा सके;

(ख) इन कार्यक्रमों के लिए पुलिस बल उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन कार्यक्रमों के लिए पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर क्या कदम उठाए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

राजस्थान में ताप विद्युत केन्द्रों का विस्तार

274. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के समक्ष राजस्थान के रामगढ़ गैस ताप विद्युत केन्द्र के विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) राजस्थान में राजगढ़ गैस ताप विद्युत स्टेशन के विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

राज्य विद्युत बोर्डों के कारण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को हुई हानि

275. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) ने राज्य बिजली बोर्डों के बकाये की अदायगी के लिए एक विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किए गए नए पैकेज की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप एनटीपीसी को कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या राज्य विद्युत बोर्डों की कई अनियमितताओं का खामियाजा एनटीपीसी को भुगतना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो एनटीपीसी को हानि से बचाने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (घ) राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा अपर्याप्त धन उपार्जन करने के कारण राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सी.पी.एस.यू.) को देय बकाया राशियों की समस्याओं का सामना बकाया देय राशियों के एकमुश्त भुगतान की स्कीम द्वारा किया गया था जिसके तहत 30 सितम्बर, 2001 को बकाया देय राशियों का प्रत्याभूतिकरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सी पी एस यू को 29606 करोड़ रुपये मूल्य के 8.5% दीर्घकालीन कर मुक्त विद्युत बाण्ड जारी करके किया गया था। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन टी पी सी) ने इस स्कीम के अंतर्गत 16410 करोड़ रुपये मूल्य के बाण्ड प्राप्त किये हैं। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन टी पी सी) के मामले में 2331.26 करोड़ रुपये और धन राशि का कुछेक राज्यों द्वारा प्रत्याभूतिकरण किया जाना है। अधिक संख्या में राज्य विद्युत बोर्डों का वित्तीय निष्पादन सुधरने के कारण एन टी पी सी समेत सी पी एस यू की संग्रहण क्षमता में पर्याप्त सुधार हुआ है।

तमिल भाषा को बढ़ावा

276. श्री ए.के. मूर्ति: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिल को प्राचीन (क्लासिकल) भाषा घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की घोषणा की क्या विशेषताएं होंगी;

(ग) क्या तमिल भाषा के विकास हेतु विशेष निधियां जारी करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तमिल सहित भारतीय भाषाओं के विकास का दायित्व केन्द्र तथा राज्य सरकारों का संयुक्त रूप से है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर तमिल पुस्तकों की खरीद, तमिल पांडुलिपियों के प्रकाशन आदि के लिए सहायता-अनुदान देता है तथा विभिन्न राज्यों के शिक्षकों को तमिल भाषा का प्रशिक्षण देता है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने अनेक तमिल कृतियों का अन्य भाषाओं में अनुवाद किया है। साहित्य अकादमी द्वारा भी तमिल साहित्य के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

असम और नागालैंड के बीच सीमा विवाद

277. श्री किरिप चालिहा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को असम और नागालैंड के बीच, विशेषकर मेरापनी क्षेत्र में, सीमा विवाद पर भारी तनाव के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन दोनों राज्यों के सीमा क्षेत्रों में तनाव कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) यह तनाव मेरापनी क्षेत्र, जो असम और नागालैंड राज्यों के बीच विवादित क्षेत्र बेल्ट (डी.ए.बी.) में पड़ता है, में नागालैंड सशस्त्र पुलिस की एक चौकी स्थापित करने संबंधी नागालैंड सरकार की प्रस्तावित योजना के कारण था।

(ग) असम और नागालैंड की राज्य सरकार को डी.ए.बी. में यथापूर्व स्थिति बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि डी.ए.बी. में न तो कोई निर्माण करे और न ही राज्य पुलिस की तैनाती करे। यह भी सलाह दी गई है कि दोनों राज्यों के सीमा आयुक्तों को मुलाकात करनी चाहिए और मिल कर मौके की स्थिति को देखना चाहिए।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विद्युत की मांग

278. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन हो रहा है;

(ख) राज्य में विद्युत की कुल मांग कितनी है और इसे पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) अप्रैल-मई, 2004 के दौरान उत्तर प्रदेश (यूपी) में राज्य क्षेत्र उत्पादन यूनिटों से कुल उत्पादित विद्युत 3448 मिलियन यूनिट थी।

(ख) अप्रैल-मई 2004 के दौरान यूपी में विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्नवत थी:-

ऊर्जा (मि.यू.)		व्यस्ततमकालीन (मे.वा.)	
आवश्यकता	8064	व्यस्ततमकालीन मांग	7877
उपलब्धता	6981	व्यस्ततमकालीन पूर्ति	6268
कमी	1083	कमी	1609
%	13.4	%	20.4

विद्युत एक समवर्ती विषय है। राज्य में विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी का उत्तरदायित्व है। राज्य में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं-

(1) दसवीं योजना के दौरान यूपी में राज्य क्षेत्र में 710 मे.वा. की क्षमता अभिवृद्धि के अलावा, 7340 मे.वा. की उत्पादन क्षमता को उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित किए जाने की योजना है जिस पर उत्तर प्रदेश का अधिकार होगा।

(2) उत्पादन क्षमता में समग्र सुधार के लिए पुराने और अयोग्य उत्पादन यूनिटों हेतु नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार (आर एण्ड एम एण्ड एलई) योजनाओं का कार्यान्वयन।

(3) अन्त:क्षेत्रीय लिंक की स्थापना द्वारा पूर्वी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र सहित, जिसका कि उत्तर प्रदेश एक घटक है, अन्य क्षेत्रों को अतिरिक्त विद्युत की निकासी में वृद्धि। उत्तर प्रदेश भी पूर्वी क्षेत्र विद्युत का लाभार्थी है।

(4) मांग संबंधी प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण के उपाय।

(5) वितरण में सुधार लाने के लिए भारत सरकार में विद्युत मंत्रालय ने कुल पारेषण एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को प्राप्त करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) शुरू किया है। राज्यों में सब-पारेषण एवं वितरण प्रणालियों के उन्नयन के लिए एपीडीआरपी के अंतर्गत राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत के सुधार के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त प्रतिबद्धता की पुष्टि के लिए तथा सुधार के कदम उठाने के लिए जिन्हें कि उत्तर प्रदेश कार्यान्वित करेगा और वह सहायता जो कि भारत सरकार प्रदान करेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनपरा सी (1000 मेगावाट) हेतु सहायता को सुगम बनाना शामिल है, के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया है।

उर्वरक क्षेत्र को दी जाने वाली राजसहायता

279. श्री अधीर चौधरी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन उर्वरक उत्पादक कम्पनियों के नाम क्या है जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान राजसहायता दी गयी है तथा इनमें से प्रत्येक कम्पनी को कितनी-कितनी धनराशि दी गयी है; और

(ख) सीमान्त किसानों विशेषकर पांच एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को दी गयी राजसहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) गत तीन वर्षों के दौरान यूरिया उत्पादक इकाइयों को दी गई राजसहायता राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है। डी ए पी और एन पी के उत्पादकों को दी गई रियायत राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण II में और एस एस पी उत्पादकों को दी गई रियायत राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण III में दिया गया है।

(ख) चूंकि यूरिया के सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और नियंत्रणमुक्त फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य सीमांत कृषकों सहित देश के सभी कृषकों के लिए समान हैं, अत: सीमांत कृषकों सहित सभी कृषकों को दी गई राजसहायता का

स्तर समान है। इसके अलावा, उर्वरक उत्पादक कम्पनियों को नियामक रूप से उर्वरकों के उत्पादन की आकलित लागत और उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य/निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्यों के बीच के अन्तर की प्रतिपूर्ति करने के लिए राजसहायता/रियायत का भुगतान किया जाता है। कृषकों को राजसहायता/रियायत का भुगतान सीधे नहीं किया जाता है, तथापि, इसका लाभ कृषकों को मिलता है क्योंकि सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्यों/निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्यों पर उन्हें उर्वरक उपलब्ध करवाए जाते हैं जो कि उर्वरकों की उत्पादन लागत से सामान्यत: कम होते हैं।

विवरण I

स्वदेशी यूरिया उत्पादक इकाइयों को भुगतान की गई राजसहायता राशि

(रुपए करोड़ में)

इकाई	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4
कोरोमंडल फर्टस लिमि.	0.17	0.07	21.48
नार्गाजुन फर्टिलाइजर्स-I	193.22	180.96	146.51
नार्गाजुन फर्ट-II विस्तार	226.89	125.91	207.81
एफ सी आई, रामागुण्डम	0.00	0.00	8.39
एच एफ सी आई, नामरूप-III	10.44	12.37	14.40
एफ सी आई, सिंदरी आधु.	51.96	42.70	40.46
एच एफ सी आई, बरौनी	0.00	0.09	0.00
जुआरी इंडस्ट्रीज लिमि. गोवा	314.15	267.21	381.41
जी एस एफ सी, बड़ौदा	158.29	82.82	70.01
कृभको, हजीरा	300.49	13.62	322.21
इफको, कलोल	216.79	277.39	286.94
जी एन एफ सी, भरूच	283.95	255.76	224.85
एन एफ एल, पानीपत	322.03	399.42	465.88
एम सी एफ एल, मंगलोर	249.25	189.10	226.21
एफ ए सी टी, उद्योग मंडल	84.10	0.57	-10.46
आर सी एफ, ट्राम्बे-V	56.60	9.45	1.56
आर सी एफ, थाल	541.84	342.82	669.42
आर सी एफ, ट्राम्बे-I	0.00	0.00	0.01
एन एफ एल, विजयपुर-II (विस्तार)	278.18	278.54	284.14
एन एफ एल, विजयपुर	172.37	143.15	164.49
एफ सी आई, तालचर	0.00	0.00	6.90
पी पी एल, पारादीप	0.73	2.13	0.00
एन एफ एल, नांगल	294.46	352.53	544.85
एन एफ एल, भटिंडा	332.97	488.61	502.01
चंबल फर्ट गड़ेपन-I	248.06	218.35	230.62
चंबल फर्ट गड़ेपन-II	685.07	593.69	617.47
आर एस एम एम एल	0.80	0.00	0.00
श्रीराम फर्टिलाइजर्स, कोटा	198.11	207.86	299.37
एन एल सी, नेवेली	63.00	58.50	50.61
एम एफ एल, मद्रास	375.39	452.18	409.76
एस पी आई सी, तूतीकोरिन	501.69	431.03	520.03
ई आई डी पेरी	1.37	0.22	0.33
औसवाल कैम. एंड फर्ट. लिमि.	204.10	200.46	201.43
इफको, आंवला-I	88.18	268.88	147.35
इफको, आंवला-II (विस्तार)	161.63	205.15	143.89
आई जी एफ सी सी, जगदीशपुर	116.82	197.48	106.28
इफको फूलपुर-I	382.71	506.23	460.95
इफको फूलपुर-II (विस्तार)	580.01	690.98	577.55
डंकस इंडस्ट्रीज	321.19	74.63	0.00
टाटा कैम लिमि., बराला	248.99	219.04	175.88
एच एफ सी आई, दुर्गापुर	0.00	0.10	0.00
कुल	8257.00	7790.00	8521.00

विवरण II

कुल भुगतान करोड़ रुपये में (डीएपी/एनपीके उत्पादक)

कंपनी का नाम	2003-04	2002-03	2001-02
इफको	647.43	569.18	678.70
ओसीएफएल	85.10	186.32	375.24
एचएलएल	166.04	150.97	279.95
सीएफएल	155.13	78.48	212.56
जीएफसीएल	182.10	156.69	223.66
एफएसीटी	122.41	154.22	208.36
एमएफएल	116.68	81.10	211.33
जीएसएफसी (वी)	161.19	171.98	168.65
जेडआईएल	139.70	103.54	178.39
स्पिक	91.53	84.14	186.71
आरसीएफ	92.76	70.51	139.12
पीपीएल	204.05	120.43	150.80
आईजीसीएल	76.19	70.19	96.68
जीएसएफसी (एस)	33.20	48.44	57.91
ई.आई.डी. पैरी	22.34	21.49	59.05
एमसीएफएल	30.13	36.99	49.24
जीएनवीएफसी	38.28	22.09	44.22
दीपक	8.69	0.00	0.00
कुल	17.57	20.71	46.09
	2390.52	2147.46	3366.66

विवरण III

कुल भुगतान करोड़ रुपये में (एसएसपी उत्पादक)

कंपनी का नाम	2003-04	2002-03	2001-02
1	2	3	4
डीएमसीसी	12.70	14.79	17.47
लिबर्टी	14.61	14.22	14.30
खेताल कैमिकल्स	11.70	10.14	9.44
वाम	1.48	0.02	7.86
तीस्ता	6.26	7.63	6.87
रामा फास्फेट (यू)	7.66	6.61	7.10
बेक फर्टिलाइजर	7.17	6.28	6.07
आरकेआरएल	5.78	4.38	5.67
खेतान फर्टिलाइजर	0.00	1.35	4.72
रामा फास्फेट (I)	6.23	2.78	4.13
बसंत	3.46	3.40	3.17
साधना	1.00	0.78	3.38
शिवा	3.98	3.88	2.94
बोहरा	4.06	7.40	2.74
माार्डिया	0.29	1.61	2.38
कोयम्बटूर	3.06	2.51	2.38
फास्फेट कंपनी	5.62	5.35	2.68
जयश्री (II)	3.63	2.53	2.02
जुबिलैंट	6.90	6.91	1.69
आन्ध्रा शुगर	2.68	1.32	1.69
जयश्री (I)	3.33	3.45	1.74
प्रगति	1.27	0.72	1.53
प्रत्यूष	1.53	2.67	3.19
तुंगभद्रा	1.51	0.80	1.47
भारत फर्टिलाइजर	0.84	1.37	1.30
श्री एसिड्स	0.00	0.44	1.02
स्वास्तिक	1.42	1.49	0.93
अरिहन्त	2.08	2.63	1.40
कृष्णा इंडस्ट्रीज	1.66	1.29	0.92
राशि फर्टिलाइजर	0.03	0.29	0.96
सुबोध्य	0.71	0.79	0.86

1	2	3	4
एशियन फर्टिलाइजर्स	3.86	1.82	0.80
जयराम	3.11	2.12	2.19
राजलक्ष्मी	0.02	0.23	0.55
गायत्री	0.78	0.62	0.44
कोठारी	0.03	0.28	0.52
महादेव	0.31	1.61	0.32
मंगलम	0.27	0.72	0.34
ओरियन्टल	0.01	0.07	0.27
जयश्री (III)	0.03	0.45	0.22
शुरति	0.32	0.38	0.21
प्रियंका	0.73	0.79	0.30
अरावली	1.67	1.29	0.29
श्री गणपति	0.00	0.04	0.13
मुक्तेश्वर	0.11	0.27	0.15
प्रेम सखी	2.25	1.67	0.56
शॉ वैलेस	0.00	0.00	0.06
निरमा	6.15	8.07	1.89
एमपीओएल	0.03	0.11	0.67
सोना फास्फेट	0.02	0.02	0.01
श्रीजी फर्टिलाइजर्स	0.00	0.02	1.66
मैडिक	0.00	1.47	1.41
आशा फास्फेट्स	0.00	0.10	0.79
मैक्सीकान फास्फेट्स	0.45	0.00	0.55
शारदा फर्टिलाइजर्स	0.00	0.00	0.48
बेक (पी)	3.28	2.99	0.06
श्रीनिवास फर्टिलाइजर्स	0.26	7.44	0.00
केमटेक फर्टिलाइजर्स	1.05	0.79	0.00
एमबीएपीएल	0.16	0.91	0.00
रेवती मिनरल्स	0.01	0.31	0.00
इफको (जीएफसीएल)	34.12	16.98	0.00
टेडको	1.58	0.44	0.00
बीएमएफपी	0.74	1.14	0.00
काशी उर्वरक	0.03	0.07	0.00
श्री कृष्णा	0.00	0.07	0.00
पाइराइट्स फास्फेट्स	0.00	0.08	0.00
बाला जी	0.30	0.01	0.00
श्रीजी फास्फेट्स	0.00	0.25	0.00
अरिहन्द फर्टिलाइजर्स	0.00	0.09	0.00
खेतान कैम (जे)	4.17	0.00	0.00
नर्मदा एग्रो	0.16	0.00	0.00
नटराज आर्ग.	0.64	0.00	0.00
मुनाक	0.09	0.00	0.00
एमबी (प्राइवेट)	0.05	0.00	0.00
योग	189.44	173.67	138.90

[अनुवाद]

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन

280. श्री पी.एस. गड़वी:
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन' और 'गोवा लिबरेशन मूवमेंट, फेज-II' के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन भुगतान के बहुत सारे मामले सरकार के समक्ष लम्बित है;

(ख) यदि हां, राज्य-वार लम्बित मामलों की संख्या कितनी है और इन मामलों को निपटाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या गृह मंत्रालय के कुछ कर्मचारियों को स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन मामलों को निपटाने के लिए रिश्वत लेते हुए केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ङ) आज तक गत दो वर्षों के दौरान दोषी अधिकारियों को सजा दिलाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) 30.6.04 की स्थिति के अनुसार हैदराबाद मुक्ति आंदोलन से संबंधित हैदराबाद विशेष जांच समिति द्वारा संस्तुत मामलों के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार से हाल ही में प्राप्त 241 सत्यापन रिपोर्टों तथा आर्य समाज व अन्य आन्दोलनों से संबंधित 190 मामलों को छोड़कर राज्य सरकारों द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित और संस्तुत, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन तथा गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए पात्र कोई भी मामला, जो हर प्रकार से पूर्ण हो, इस मंत्रालय में लम्बित नहीं पड़ा है। जबकि इन मामलों को यथासंभव शीघ्र निपटाने हेतु हर संभव प्रयास किए जाते हैं इसलिए कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

(ग) और (घ) गृह मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजी गई इस शिकायत के आधार पर कि गृह मंत्रालय के स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग के दो कर्मचारियों ने एक स्वतंत्रता सेनानी के पेंशन मामले को क्लीयर करने के लिए घूस की मांग की है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। उनमें से एक श्री हरभजन दास, सहायक 25.07.2003 को रंगे हाथों पकड़ा गया। इन अधिकारियों के खिलाफ भा.दं.सं./भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संगत उपबंधों के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया है।

(ङ) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं जैसे (1) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों का स्थानांतरण, (2) स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग में अधिकारियों के साथ आगतुंकों की बैठकों का प्रबोधन और विनियमन करना; (3) पेंशन स्वीकृति पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रभाग में प्राधिकृत अधिकारियों की संख्या को न्यूनतम करना; (4) स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग और इस मंत्रालय के वेतन तथा लेखा कार्यालय द्वारा पेंशन स्वीकृत मामलों की मासिक पुनर्मिलान प्रणाली लागू करना।

[हिन्दी]

अर्द्ध-सैनिक बलों को कैन्टीन और चिकित्सा सुविधा

281. श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा': क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अर्द्ध-सैनिक बलों के जवानों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् कैन्टीन और चिकित्सा सुविधाएं मुहैया नहीं करायी जाती हैं जब कि वे अपने सेवाकाल में देश के सैन्य बलों को उपलब्ध सुविधाओं के समक्ष सभी सुविधाएं प्राप्त करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अर्द्ध-सैनिक बलों को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् इस प्रकार की सभी सुविधाएं मुहैया कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट (सी.एस.डी.) की सुविधाएं रक्षा बलों के कार्मिकों के लिए उपलब्ध है और अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिकों को स्वीकार्य नहीं है सिवाय तब, जब वे सेना के आपरेशनल नियंत्रण में होते हैं। कुछ अर्द्धसैनिक बलों ने अपने कार्मिकों को इसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रबन्ध किए हुए हैं। कुछ बल अपने सेवानिवृत्ति कार्मिकों को भी ऐसी सुविधाएं उपयोग करने की अनुमति देते हैं। जहां तक सेवानिवृत अर्द्धसैनिक बल कार्मिकों को चिकित्सा सुविधाओं का संबंध है, वे सी जी एच एस सुविधाएं अथवा संबंधित बल अस्पतालों को सुविधाएं, अगर उनके क्षेत्र में उपलब्ध है, तो उनका उपयोग कर सकते हैं। उन क्षेत्रों में, जहां सी जी एच एस सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उन्हें चिकित्सा भत्ते के रूप में 100 रुपये प्रतिमाह की दर से दिए जाते हैं।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

गुजरात में मुठभेड़

282. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री रघुनाथ झा:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्रीमती निवेदिता माने:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री विजय कृष्ण:
श्री गुरुदास कामत:
श्री मोहन सिंह:
श्री सुरेश कुरूप:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुजरात सरकार से हाल में हुई मुठभेड़ के बारे में रिपोर्ट मांगी है जिसमें कुछ लोग मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की इस पर क्या टिप्पणी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार गुजरात में तथ्यों का पता लगाने हेतु एक दल भेजने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ख) जी हां, श्रीमान। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने दिनांक 18.6.2004 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर अपनी ओर से घटना को संज्ञान में लिया है और आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों, जिनके अनुसार राज्यों/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों द्वारा पुलिस मुठभेड़ में हुई मौतों के सभी मामलों में अनुपालन किया जाना है, इस मामले की जांच-पड़ताल के संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए पुलिस महानिदेशक, गुजरात और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अहमदाबाद, गुजरात को 18.6.2004 को नोटिस जारी किए हैं।

आयोग ने यह भी निदेश दिया है कि इन दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए और उसके अंतिम निष्कर्ष की रिपोर्ट छह सप्ताह के भीतर आयोग को दी जानी चाहिए।

(ग) आयोग ने सूचित किया है कि गुजरात सरकार की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) और (च) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। केन्द्र सरकार इसे आवश्यक नहीं समझती है।

क्रांतिवीर श्यामजी वर्मा का अस्थिकलश

283. श्री मोहन रावले: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्रांतिवीर श्यामजी वर्मा का अस्थिकलश स्वीट्जरलैंड से भारत लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गयी हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ग) भारत सरकार के साथ परामर्श करके गुजरात सरकार क्रान्तिवीर श्यामजी कृष्ण वर्मा का अस्थिकलश 4.9.2003 को स्विट्जरलैंड से मान्डवी, कच्छ गुजरात लाई।

[हिन्दी]

नई राष्ट्रीय इस्पात नीति

284. श्री वाई.जी. महाजन: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक नयी राष्ट्रीय इस्पात नीति तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने दूसरे चरण के सुधार, पुनर्संरचना और वैश्वीकरण के संबंध में लोहा और इस्पात उद्योग की रूपरेखा बनाने के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति तैयार करने का निर्णय लिया है। इस नीति का प्रारूप अभी तैयार किया जा रहा है और सभी शेयरधारकों से परामर्श करके इसकी विशेषताएं निर्धारित की जा रही हैं।

कम्प्यूटर शिक्षा

285. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गांवों तक कम्प्यूटर शिक्षा पहुंचाने के अपने उद्देश्य को पूरा करने हेतु प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक कम्प्यूटर मुहैय्या कराने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राज्य सरकारों को अब तक राज्य-वार कितनी निधियां आबंटित की गयी हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते। तथापि, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग ने देश में विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2001-2002 में "विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन" नामक संशोधित स्कीम प्रारम्भ की थी। "विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन" की संशोधित स्कीम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा प्रस्तुत कम्प्यूटर शिक्षा योजनाओं के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सहायता अनुदान केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को प्रदान किया जाएगा। केन्द्र सरकार कुल आबंटित राशि का 75 प्रतिशत, 5 लाख प्रति स्कूल की अधिकतम सीमा तक प्रदान करेगी। शेष 25 प्रतिशत राशि का वहन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा। योजना में एम.पी.एल.ए.डी. से अतिरिक्त निधियों तथा राज्य सरकार के योगदान के विकल्प के रूप में 25 प्रतिशत निधियां भी प्रदान की जाएगी।

[अनुवाद]

दिल्ली में विदेशी पर्यटकों की हत्या

286. डा. पी.पी. कोया: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर उतरने वाले विदेशी पर्यटकों के साथ उत्पीड़न, बलात्कार, लूट और हत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान टैक्सी/आटो चालकों द्वारा विदेशी नागरिकों विशेषकर महिलाओं को निशाना बनाकर ऐसी कितनी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने तथा विदेशी पर्यटकों के साथ-साथ देशी पर्यटकों के लिए भी इस शहर को सुरक्षित बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) दिल्ली में विगत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में 30.6.04 तक रिपोर्ट किए गए टैक्सी/आटो ड्राइवरों द्वारा विदेशी पर्यटकों के प्रति किए गए अपराधों की शीर्षवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) विदेशी और देशी पर्यटकों के प्रति अपराध रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में, पर्यटकों के साथ हवाई अड्डे छोड़ने वाले टैक्सी/आटो सहित ऐसे क्षेत्रों की निगरानी जहां पर्यटक प्राय: जाते हैं, प्रीपेड फेयर बूथों का संचालन, हवाई अड्डों पर टैक्सी सुविधा प्राप्त करने वाले यात्रियों को शिकायत कार्ड जारी करना, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तैनात टैक्सी ड्राइवरों के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन का अभियान चलाना तथा उन्हें सार्वजनिक सेवा वाहन बैज जारी करना तथा हवाई अड्डों पर दलालों के खतरे को दूर करने के लिए कड़े कदम उठाना।

विवरण

क्र.सं. अपराध शीर्ष	अपराध की घटनाओं की संख्या			
	2001	2002	2003	2004 (30 जून तक)
1. हत्या	1	0	0	1
2. हत्या का प्रयास	0	0	0	0
3. उत्पीड़न	2	1	5	4
4. लूटपाट	0	0	1	0
5. झपटमारी	0	3	0	0
6. धोखाधड़ी	4	3	2	2
7. बलात्कार	0	1	1	1
योग	7	8	9	8

सामुदायिक पालिटेकनिक्स का विस्तार

287. श्री शिवाजी अधलराव पाटील: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सामुदायिक पालिटेकनिक्स के विस्तार हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सामुदायिक पालिटेकनिक्स योजना में आमूलचूल परिवर्तन लाने तथा इसे और केन्द्रित बनाने के लिएं क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) इस समय सामुदायिक पालीटेनिक्स स्कीम को संशोधित करने और उसका विस्तार करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

एनटीपीसी द्वारा विद्युत उत्पादन

288. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-2002, 2002-2003 तथा वर्ष 2003-2004 के दौरान नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) द्वारा राज्यवार, वर्षवार और इकाईवार कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया है;

(ख) एन.टी.पी.सी. द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या एन.टी.पी.सी. द्वारा उत्पादित विद्युत देश में सबसे सस्ती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) वर्ष 2001-2002, 2002-2003 तथा 2003-2004 के दौरान विद्युत उत्पादन के राज्य-वार, वर्ष-वार तथा यूनिट-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) एन.टी.पी.सी. (सीईए समेत) द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष (2004-05) के लिए निर्धारित लक्ष्य 156992 मिलियन यूनिट का है।

(ग) और (घ) टैरिफ थर्मल पावर स्टेशन दर स्टेशन भिन्न-भिन्न होती है। तथापि एनटीपीसी द्वारा उत्पादित विद्युत के लिए रा.वि. बोर्डों (2003-04) की औसत ऊर्जा लागत 1.47/के डब्ल्यू एच है।

विवरण

एनटीपीसी द्वारा राज्यवार, वर्षवार तथा यूनिटवार (मि.यू.) उत्पादित विद्युत

	2001-2002	2002-2003	2003-2004
राज्य/स्टेशन	विद्युत उत्पादन	विद्युत उत्पादन	विद्युत उत्पादन
1	2	3	4
उत्तर प्रदेश			
सिंरौली	15474	16164	15642
रिहन्द	7674	7751	7956
ऊंचाहार	6561	6149	6451
दादरी (कोल)	6673	6038	6181
टान्डा	2101	2219	2911
औरेय्या	4684	4268	4249
दादरी (गैस)	5730	5211	5060
कुल	48897	47800	48450
राजस्थान			
अंता (गैस)	3060	2758	2773
हरियाणा			
फरीदाबाद (गैस)	2861	2702	2789
छत्तीसगढ़			
कोरबा	16605	16461	16332
मध्य प्रदेश			
विंध्याचल	15590	16931	16354
गुजरात			
कवास (गैस)	3754	4203	3889
गंधार (गैस)	3615	3370	3220
कुल	7369	7573	7109
आंध्र प्रदेश			
रामागुंडम	15846	16837	16332
सिम्हाद्री	15	4972	7723
कुल	15861	21809	24055
पश्चिम बंगाल			
फरक्का	8418	8948	9486
बिहार			
कहलगांव	4511	4990	5967
उड़ीसा			
तालचेर एसटीपीएस	6236	6523	10991

1	2	3	4
तालचेर टीपीएस	2466	2255	2739
कुल	8702	8778	13730
केरल			
कायमकुलम	1316	2119	2118
कुल एनटीपीसी	133190	140868	149161
दिल्ली			
बदरपुर*	5273.2	5279.8	5428.9
एनटीपीसी के साथ संयुक्त उपक्रम			
भिलाई	572	558	520
राऊरकेला	939	707	896
दुर्गापुर	669	676	670
कुल	2180	1941	2086

*एनटीपीसी द्वारा प्रबंधित

इस्पात संयंत्रों में कोयले की कमी

289. **श्री परसुराम माझी:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोयले की भारी कमी के कारण देश में सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को हो रही समस्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुकिंग कोयले की कमी के कारण भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के इस्पात संयंत्रों में उत्पादन भी नहीं हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस्पात संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) जी, हां। मार्च, 2004 से आयातित कोककर कोयले की उपलब्धता में बाधाओं के कारण स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) के उत्पादन प्रभावित हुए हैं। यह सूचित किया गया है कि आस्ट्रेलिया की, उनकी खानों में समस्याओं के कारण 2 प्रमुख दीर्घकालीन सप्लायरों से आयातित कोककर कोयले की सप्लाई बाधित हुई है। इसके अतिरिक्त, मैसर्स कोल इंडिया लिमिटेड से स्वदेशी कोककर कोयले की उपलब्धता में कमी के कारण भी उत्पादन प्रभावित हुआ है।

(घ) इस्पात संयंत्रों के लिए कोककर कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने फरवरी, 2004 में आस्ट्रेलिया का दौरा किया था। इस प्रतिनिधि मंडल में सेल, आर आई एन एल और मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे। घरेलू स्रोतों से कोककर कोयले की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए दोनों कंपनियों ने इस मामले को कोल इंडिया लिमिटेड के साथ उठाया है। सेल और आर आई एन एल भी दीर्घकालीन सप्लायरों के साथ कोककर कोयले की सप्लाई और स्थल पर ही खरीद के जरिए घरेलू कोयले की सप्लाई के लिए भी करार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, नए स्रोतों से कोककर कोयले की सप्लाई के लिए भी व्यवस्था की गई है।

धनराशि एकत्र करने का प्रस्ताव

290. **श्री तथागत सत्पथी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.टी.पी.सी. का विचार बड़े पैमाने पर सार्वजनिक शेयर जारी करके धनराशि एकत्र करने और अपने शेयरों को स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र की कंपनी द्वारा कितनी धनराशि एकत्र किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार और सेबी से अनुमति ले ली गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) जी, हां। नेशलन थर्मल पावर कारपोरेशन ने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आई पी ओ) के जरिए फंड उगाहने तथा अपने शेयरों को नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया और मुंबई स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने का प्रस्ताव दिया है।

(ग) एन.टी.पी.सी. ने लगभग 432.915 करोड़ रुपये के मूल्य पर शेयर (10 रु. प्रत्येक) जारी करना प्रस्तावित किया है। शेयरों

को बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए निर्धारित प्रिमियम पर जारी किया जाएगा।

(घ) और (ङ) जी, हां। सरकार ने एन.टी.पी.सी. की पेड-अप पूंजी के 10% से कम वाले प्रस्तावित आईपीओ के लिए एन.टी.पी.सी. को अनुमोदन दे दिया है। तद्नुसार सेबी समेत सभी अपेक्षित अनुमोदन एन.टी.पी.सी. द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं।

पर्यावरणीय अध्ययन संबंधी नया पाठ्यक्रम शुरू करना

291. श्री वीरेन्द्र कुमार:
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर के कालेजों में पर्यावरणीय अध्ययन संबंधी एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है जैसा कि दिनांक 10.6.04 के 'दि हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नए पाठ्यक्रम की सफलता का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन शुरू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए संकाय, पाठ्य पुस्तकें और अवसंरचना उपलब्ध हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अवर स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु एक 'छमाही कोर मोड्यूल पर्यावरण संबंधी अध्ययन पाठ्यचर्या' तैयार करके परिचालित की है। इसे भारत के सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में चलाए जा रहे सभी विषयों में कार्यान्वित करना अनिवार्य होगा।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन विश्वविद्यालयों/संस्थानों, जिन्हें यह पाठ्यचर्या परिचालित की गई है, से 'फीडबैक' प्राप्त कर रहा है। सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों से फीडबैक प्राप्त होने के बाद इस पाठ्यक्रम की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(घ) और (ङ) विश्वविद्यालय/संस्थान अपने पास उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं से इस पाठ्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे हैं। तथापि, जहां तक पाठ्यपुस्तकों का संबंध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को पाठ्यक्रम सामग्रियां प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को पहले से परिचालित विभिन्न विषयों की मोड्यूल पाठ्यचर्या में पर्यावरण शिक्षा को एक घटक के रूप में शामिल किया है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्नातकों पर गुरुदक्षिणा कर लगाना

292. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्नातकों पर पढ़ाई पूरी करने के बाद गैर-सरकारी या सरकारी क्षेत्रों में पहला रोजगार मिलने पर 'गुरुदक्षिणा' कर लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किन परिस्थितियों में लाया गया है;

(ग) क्या सरकार इस प्रस्ताव से सहमत है और इसे स्वीकृति देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ऐसे प्रस्ताव के लिए कौन-कौन से प्राधिकारी जिम्मेदार हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधीन लौह अयस्क खानें

293. श्री अनन्त नायक: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधीन कितनी लौह अयस्क खानें हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन खानों में से किसी खान और विशेष रूप से बोलानी खानों में लदान/उतराई कार्यकलापों का आधुनिकीकरण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा कब से किया गया है; और

(घ) नई लदान प्रणाली का निवल लाभ क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) सेल निम्नलिखित लौह अयस्क खानों का प्रचालन करता है:-

1. किरीबुरू लौह अयस्क खान
2. मेघाहादुबुरू लौह अयस्क खान
3. बोलानी लौह अयस्क खान
4. बरसुआ लौह अयस्क खान
5. काल्टा लौह अयस्क खान
6. राजहरा यंत्रीकृत खान
7. दल्ली यंत्रीकृत खान
8. झारानदल्ली यंत्रीकृत खान
9. महामाया खान
10. दल्ली हस्तगत खान

(ख) से (घ) सरकार ने इनमें से किसी भी खान में लदान/उतराई कार्यकलाप का आधुनिकीकरण नहीं किया है। तथापि, सेल इस समय बोलानी खान में लदान सुविधा में सुधार/आधुनिकीकरण की संभावना का पता लगा रहा है।

कम लागत वाले मकानों को बढ़ावा देना

294. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शहरी क्षेत्रों में कम लागत वाले मकानों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह योजना कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) केन्द्रीय सरकार ने देश में कम लागत वाले मकानों को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल-प्रयास किए हैं। कम लागत वाले मकानों को लोकप्रिय बनाने तथा बढ़ावा देने के लिए किए गए कुछ मुख्य पहल-प्रयास इस प्रकार हैं:-

(1) एक अन्तर-मंत्रालयी संगठन के रूप में 1990 में भवन सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद (बीएमटीपीसी) की स्थापना, जिसका उद्देश्य कम लागत के मकानों की प्रौद्योगिकियों से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार करना है।

(2) केलोनिवि की दिल्ली दर अनुसूची, 2002 में कम लागत की निर्माण प्रौद्योगिकियों तथा सामग्रियों/उत्पादों, यथा क्ले फ्लाई-एश ब्रिक्स, लाइम फ्लाई-एश ब्रिक्स, अंडर रीम्ड पाइल्स, प्रोकास्ट कंक्रीट लिंटिल, प्रीकास्ट सोलिड व होलो ब्लाक, पार्टीकल डोर शटर इत्यादि को शामिल करना।

(3) प्रदर्शन और बिस्तार के लिए भवन सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद (बीएमटीपीसी) तथा आवास और नगर विकास निगम लिमिटेड (हडको) के जरिए निर्मिती केन्द्रों के राष्ट्रीय नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना।

भारत सरकार मददगार की भूमिका अदा कर रही है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

राजस्थान में गरीबी उन्मूलन

295. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में गरीबी उपशमन के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार इस संबंध में प्राप्त की गई उपलब्धियों से संतुष्ट है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) शहरी रोजगार तथा गरीबी उपशमन

मंत्रालय 1.12.1997 से स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, जो केन्द्र प्रायोजित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम हैं, को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से राजस्थान सहित अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वित करता आ रहा है जिसको चलाने का उद्देश्य शहरी बेरोजगार अथवा अल्प रोजगार प्राप्त उन गरीब लोगों को, जिन्होंने नौवीं कक्षा तक पढ़ाई की हो, पहले स्व रोजगार उद्यम की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित करके और फिर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु उनके श्रम का उपयोग करके उन्हें मजदूरी पर रखकर लाभकर रोजगार मुहैया कराना है। 31 मार्च, 2004 तक राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर पिछले तीन वर्ष के दौरान राज्य का निष्पादन इस प्रकार है:-

वित्तीय प्रगति

(लाख रु. में)

वर्ष	नियत धनराशि	जारी की गई धनराशि	सूचित केन्द्रीय व्यय (पुरानी गरीबी उपशमन योजनाओं की अव्ययित राशि इसमें शामिल है)
2001-02	643.53	32.64	456.83
2002-03	349.20	402.53*	233.62
2003-04	347.59	122.96	52.09

*पूर्व वर्षों में राज्य के पास उपलब्ध धनराशि के बेहतर उपयोग के कारण अतिरिक्त धनराशि दी गई।

वास्तविक प्रगति

वर्ष	स्थापित लघु उद्यम	प्रशिक्षित व्यक्ति	सृजित श्रम दिवसों की संख्या
2001-02	5303	3300	2.56 लाख
2002-03	7579	1408	3.82 लाख
2003-04	4008	1696	0.80 लाख

(ख) और (ग) राजस्थान राज्य सरकार को समय-समय पर निदेश दिए गए हैं कि वे उपलब्ध धनराशि के उपयोग के संदर्भ में अधिकतम उपलब्धियों के लिए सशक्त प्रयास करें, समान राज्य अंश प्रदान करें और उसका उपयोग भी करें तथा उपेक्षित उपयोग प्रमाण पत्र व तिमाही प्रगति रिपोर्टें समय पर भिजवाएं ताकि नियत धनराशि पूर्णतया प्रदान की जा सके।

सौर ऊर्जा उत्पादन

296. श्री सुरेश चन्देल: क्या **अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जल विद्युत और ताप विद्युत की तुलना में सौर ऊर्जा के उत्पादन को प्राथमिकता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तारीख के अनुसार देश में कितनी सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने ताप विद्युत, जल विद्युत और सौर ऊर्जा के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से विद्युत उत्पादन के संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) सौर ऊर्जा विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगों में उपयोगी है, विशेषकर कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में जहां ग्रिड विस्तार की संभावना नहीं है। 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार देश में स्थापित/लगाई गई सौर ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) संसाधन मूल्यांकन बताते हैं कि देश में, पवन से 45,000 मेगावाट, लघु पनबिजली से 15,000 मेगावाट, बायोमास से 19,500 मेगावाट, शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट से 27000 मेगावाट की संभाव्यता है।

विवरण

क. दिनांक 31.3.2004 के अनुसार देश में स्थापित सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) प्रणालियां/युक्तियां

क्र.सं.	प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां/युक्तियां		कुल स्थापित क्षमता (मेगावाट पीक)
1.	ग्रिड इंटरएक्टिव एसपीवी विद्युत संयंत्र		2.54
2.	विकेन्द्रित एसपीवी प्रणालियां/युक्तियां		
	- एसपीवी सड़क रोशनी प्रणालियां	(52,102 सं.)	3.86
	- एसपीवी घरेलू सड़क रोशनी प्रणालियां	(3,07,763 सं.)	11.85
	- एसपीवी लालटेन	(5,38,718 सं.)	5.39
	- एसपीवी विद्युत संयंत्र	-	0.85
	- एसपीवी जल पंपन प्रणालियां	(6414 सं.)	9.69
	कुल		33.18

ख. दिनांक 31.3.2004 के अनुसार देश में स्थापित की गई सौर तापीय (एसटी) प्रणालियां/युक्तियां

क्र.सं.	एसटी प्रणालियां/युक्तियां	उपलब्धि
1.	सौर कुकर	5,57,000 सं.
2.	सौर जल तापन प्रणालियां	0.80 मिलियन वर्ग मीटर संग्राहक क्षेत्र

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों को राजसहायता

297. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य सरकारों को राज्य विद्युत बोर्डों और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को राज सहायता देने के लिए अपने संबंधित बजट से बिलों का भुगतान करना होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ विद्युत अधिनियम, 2003 की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (घ) विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार यदि राज्य सरकार राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा टैरिफ में किसी उपभोक्ता या उपभोक्ता वर्ग को सब्सिडी देना चाहती है तो राज्य सरकार इस सब्सिडी की क्षतिपूर्ति के लिए संबंधित यूटिलिटी को इस पूरी राशि का भुगतान करेगी।

इस संबंध में विद्युत अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किसी उपभोक्ता वर्ग को सब्सिडी देने का मामला संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है।

दिल्ली में आवासीय सोसाइटियों हेतु भूमि

298. श्री गुरुदास कामत: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में आवासीय सोसाइटियों हेतु कोई भूमि उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या नकली समूह आवासीय सोसाइटियों द्वारा हजारों लोगों को धोखा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो वे सोसाइटियां कौन-कौन सी हैं और ऐसी सोसाइटियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) लोगों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि इस समय उसके पास द्वारका, रोहिणी, कड़कड़डूमा तथा नरेला में किसी भी स्थान पर ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के लिए कोई विकसित भूखंड नहीं है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रक्षेपणों के अनुसार, इन स्थानों में कम से कम एक वर्ष की अवधि से पहले विकसित भूखंडों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(ग) और (घ) रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसायटीज ने सूचित किया है कि अभी तक ऐसा कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विभिन्न प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से, आम जनता को आगाह किया है कि जब कभी भी किसी ग्रुप हाउसिंग सोसायटी द्वारा शीघ्र आबंटन करने के वायदे के साथ धनराशि जमा करने को कहा जाए तो वे उससे सतर्क रहें। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि जब कभी भी आबंटन किए जाएंगे वे पूर्णतया को-आपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को भूमि के आबंटन के लिए सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगे।

[हिन्दी]

उर्वरकों के लिए द्वितीयक भाड़ा प्रणाली

299. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सभी प्रकार के उर्वरकों के लिए द्वितीयक भाड़ा प्रणाली लागू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) और (ख) यूरिया उत्पादकों को भाड़ा राजसहायता के भाग के रूप में द्वितीयक भाड़े का भुगतान पहले से ही किया जा रहा है, जो नियंत्रणमुक्त फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त उर्वरकों के संबंध में दी जा रही रियायत की दरों में शामिल है।

[अनुवाद]

सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों का अपहरण

300. श्री गुरुदास कामत: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बंगलादेशी अपराधियों द्वारा सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों का अपहरण किया गया और उनकी पिटाई की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में बंगलादेश की सरकार के पास कोई शिकायत दर्ज कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में बंगलादेश सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (ङ) भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

महाराष्ट्र में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

301. श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में शहरी अवसंरचना में कुछ विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं लागू की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी विदेशी सहायता मिल रही है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत राज्य में कुछ और परियोजनाओं को भी लागू किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तरांचल में विद्युत की खरीद

302. श्री बच्ची सिंह रावत "बच्चदा": क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा उत्तरांचल से कितनी किलोवाट विद्युत और प्रति यूनिट विद्युत किस दर से खरीदी गई;

(ख) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत अब तक उत्तरांचल के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ग) राज्य में केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या है और वे परियोजनाएं कौन-कौन से स्थानों पर हैं; और

(घ) उन परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) केन्द्र सरकार ने चालू वर्ष के दौरान उत्तरांचल सरकार से कोई विद्युत नहीं खरीदी है।

(ख) 31.3.2004 की स्थितिनुसार वित्तपोषण के सभी स्रोतों से 13,317 गांवों को यूपीसीएल (उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड) द्वारा "विद्युतीकृत" घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत किए गए गांवों का अलग से ब्यौरा यूपीसीएल (उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि.) द्वारा सूचित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) राज्य में केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के नाम निम्नवत् हैं-

(क)	विद्यमान	क्षमता (मेगावाट)	लागत
	टनकपुर जल विद्युत परियोजना	3×40 (प्रभावी क्षमता 94.2)	379.16 करोड़ रुपए आईडीसी (निर्माण के दौरान ब्याज) 110.20 करोड़ रुपये समेत
(ख)	निर्माणाधीन		
	1. धौलीगंगा एचईपी (एनएचपीसी)	4×70	601.98 करोड़ रुपये 84.53 करोड़ रुपये आईडीसी (मूल लागत) समेत 7/2000 में 1578.31 करोड़ रुपये आरसीई (संशोधित लागत अनुमान) 146.87 करोड़ रुपये की आईडीसी समेत
	2. टिहरी एचईपी चरण-1* (टीएचडीसी)	4×250	मार्च, 2003 के मूल्य स्तर पर 6621.32 करोड़ रुपये जिसमें 560 करोड़ रुपये की आईडीसी व वित्तीय प्रभार सम्मिलित हैं।
	3. कोटेश्वर* (टीएचडीसी)	4×100	अक्टूबर, 99 के मूल्य स्तर पर 190.04 करोड़ रुपये की आईडीसी समेत 1301.56 करोड़ रुपये।

*(केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त क्षेत्र परियोजनाएं)

सुरक्षाकर्मियों द्वारा आत्महत्या

303. श्री मोहन रावले: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003 और 2004 के दौरान कितने सुरक्षाकर्मियों ने आत्महत्या की थी;

(ख) क्या इन आत्महत्या के मामलों के वास्तविक कारणों की जांच की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या है और भविष्य में ऐसी आत्महत्याओं को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) वर्ष 2003 और 2004 के दौरान आत्महत्या करने वाले केन्द्रीय पुलिस बल कर्मियों की संख्या इस प्रकार है:-

2003	2004 (30 जून तक)
87	43

(ख) इन आत्महत्याओं के पीछे वास्तविक कारण जानने के लिए प्रत्येक मामलों में कोर्ट आफ इनक्वायरी की गई है।

(ग) केन्द्रीय पुलिस बलों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आत्महत्याओं के कारणों में घरेलू और निजी समस्याएं, वैवाहिक मतभेद या पति-पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंध, सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता, मानसिक अवसाद, लंबी बीमारी, वित्तीय तंगी और नशा करना इत्यादि शामिल है।

इस स्थिति को सुधारने हेतु केन्द्रीय पुलिस बलों ने अनेक उपाय किए हैं। इनमें शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करना, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने कर्मियों के साथ नियमित रूप से बात-चीत करते रहना, पारिवारिक आवास के प्राधिकरण में बढ़ोत्तरी करना, कर्मियों के लिए मनबहलाव और मनोरंजन सुविधाएं इत्यादि शामिल है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भंडार को सरकारी भवन का आवंटन

304. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रघुनाथ झा:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक रुपये प्रतिमास की नाममात्र की लाइसेंस फीस की अदायगी पर केन्द्रीय भण्डार को 37 सरकारी आवास आबंटित किये गये थे। इन आवासों के दुरुपयोग संबंधी शिकायतें प्राप्त होने पर इन सभी परिसरों का निरीक्षण करवाया गया था। यह पाया गया था कि 10 परिसरों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जिन परिसरों का दुरुपयोग किया जा रहा था, कारण बताओं नोटिस जारी करने के बाद उनका आबंटन रद्द कर दिया गया और उन्हें खाली करवाने की कार्रवाई शुरू की गई। केन्द्रीय भण्डार ने अब तीन परिसर वापिस सौंप दिये हैं और यह अनुरोध किया है कि शो 7 परिसरों के संबंध में आबंटन रद्द करने संबंधी आदेश पर पुनर्विचार किया जाए क्योंकि केन्द्रीय भण्डार ने उनका दुरुपयोग किया जाना बन्द करवा दिया है।

विवरण

केंद्रीय भण्डार को आबंटित उन सरकारी परिसरों की सूची जिनके बारे में यह पाया गया था कि उनका दुरुपयोग किया जा रहा है

1. एच-638, सरोजनी नगर
2. एफ-11, एन्ड्रयूज गंज
3. आई-433, कस्तूरबा नगर
4. आई-437, कस्तूरबा नगर
5. 759, सैक्टर-6, आर.के. पुरम
6. डी-808, मन्दिर मार्ग
7. एच-314, कालीबाड़ी मार्ग
8. एच-315, कालीबाड़ी मार्ग
9. 69, लान्सर रोड
10. बी-83, किदवई नगर

[हिन्दी]

राष्ट्रीय इस्पात विनियामक आयोग का गठन

305. **श्री वाई.जी. महाजन:**
श्री उदय सिंह:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री निखिल कुमार:
डा. एम. जगन्नाथ:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री के.एस. राव:
श्री विजय कृष्ण:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय इस्पात विनियामक आयोग गठित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस आयोग के गठन के पीछे क्या लक्ष्य है;

(घ) इस आयोग के सदस्य कौन-कौन होंगे;

(ङ) क्या इंडियन स्टील एलायंस ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या बीते कुछ महीनों में बाजारों में इस्पात के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ज) यदि हां, तो सरकार इस्पात मूल्यों को नियंत्रित करने में कितनी सफल हुई है और इस्पात वितरण के मानदंडों को किस प्रकार आसान बनाया जाएगा;

(झ) क्या प्रस्तावित मसौदा राष्ट्र, उपभोक्ताओं और उद्योग के पक्ष में है;

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ट) इस विनियामक आयोग द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (घ) राष्ट्रीय इस्पात उपभोक्ता परिषद (एन एस सी सी) की जून, 2004 में हुई 18वीं बैठक में कुछ उपभोक्ताओं ने इस्पात के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय इस्पात विनियामक निकाय गठित करने का सुझाव दिया था। यह निर्णय लिया गया था कि सरकार इस प्रस्ताव की जांच करेगी।

(ङ) और (च) इंडियन स्टील एलायंस ने बताया है कि सरकार से ठोस प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया करना संभव होगा।

(छ) पिछले तीन माह (मार्च-जून, 2004) में इस्पात के घरेलू मूल्यों में सामान्य कमी हुई है।

(ज) उदारीकरण और नियंत्रणमुक्त माहौल में सरकार मूल्यों को प्रभावित करने के लिए सीधे हस्तक्षेप नहीं करती है। मूल्य मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं। तथापि, सरकार ने नीतिपरक पहल के जरिए मूल्य नियंत्रित करने और इस्पात मदों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय घोषित किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ इस्पात मदों तथा इस्पात के विनिर्माण हेतु अपेक्षित कच्ची सामग्रियों पर सीमा शुल्क में कमी करना, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 72 में शामिल इस्पात मदों पर उत्पाद शुल्क में कमी और इस्पात मदों के निर्यात पर डी ई पी बी लाभों पर रोक लगाना आदि शामिल हैं।

(झ) से (ट) उपर्युक्त (क) से (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विद्युतीकरण

306. **श्री रामदास बंडु आठवले:**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री सुशील कुमार मोदी:
श्री मित्रसेन यादव:
श्री राजनारायण यादव:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा कितनी धनराशियां आबंटित की गई और प्रत्येक राज्य द्वारा वर्षवार कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आज तक राज्यवार कितने गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है;

(घ) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण विद्युतीकरण को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्राम विद्युतीकरण का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ग्राम विद्युतीकरण के लिए निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण II और III में दिया गया है।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण हेतु वास्तविक लक्ष्यों को राज्यों के साथ परामर्श करके अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) से (च) राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसार घरों का विद्युतीकरण 5 वर्षों में पूरा किया जाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण की नीति की रूपरेखा तैयार की गई है जिसमें निम्न परिकल्पना की गयी है।

(1) 33/11 के.वी. सब स्टेशन के रूरल इलेक्ट्रिसिटी बेकबॉन (आरईडीबी) का सृजन जिसमें प्रत्येक ब्लाक के न्यूनतम एक ऐसे सब स्टेशन का उपयुक्त नेटवर्क बनाया जाएगा और इसे राज्य पारेषण प्रणाली से लिंक किया जाएगा।

(2) प्रत्येक गांव में न्यूनतम एक ऐसे ट्रांसफार्मर के साथ वितरण ट्रांसफार्मर का प्रावधान करके ग्राम विद्युत अवसंरचना का सृजन।

(3) ग्राम वितरण ट्रांसफार्मर से अविद्युतीकृत घरों का ग्रामीण गृह विद्युतीकरण।

(4) ऐसे गांव जहां ग्रिड कनेक्टिविटी न तो व्यावहारिक है और न ही किफायती है वहां विकेन्द्रीकृत वितरित विद्युत उत्पादन प्रणाली।

उपर्युक्त कार्यनीति के आधार पर, योजना का वितरण और राज्यवार निधियों की आवश्यकताओं के मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकृत हुए गांवों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/यूटी.	2001-02	2002-03	2003-04 (अनंतिम)
1.	अरुणाचल प्रदेश	110	16	–
2.	असम	शून्य	11	36
3.	बिहार	29	1542	1225
4.	झारखंड	500	771	1359
5.	हिमाचल प्रदेश	9	–	–
6.	जम्मू व कश्मीर	10	–	–
7.	कर्नाटक	13	3	5
8.	मध्य प्रदेश	20	94	74
9.	छत्तीसगढ़	125	120	211
10.	मणिपुर	शून्य	6	36
11.	मेघालय	62	177	–
12.	मिजोरम	शून्य	–	0
13.	नागालैंड	4	–	–
14.	उड़ीसा	105	225	360
15.	राजस्थान	491	504	370
16.	त्रिपुरा	शून्य	2	–
17.	उत्तर प्रदेश	358	1795	324
18.	उत्तरांचल	82	218	281
19.	पश्चिम बंगाल	40	866	338
	कुल (राज्य)	1958	6350	4619

निम्नवत् राज्य पूर्णत: विद्युतीकृत हैं-

1. आंध्र प्रदेश
2. गोवा
3. गुजरात
4. हरियाणा
5. केरल
6. महाराष्ट्र
7. पंजाब
8. सिक्किम
9. तमिलनाडु
10. नागालैंड

विवरण II

2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु एमएनपी के अंतर्गत जारी निधियों का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2001-02	2002-03	2003-04
1.	अरुणाचल प्रदेश	961	1200	1200
2.	असम	2652	6000	6000
3.	बिहार	948	6800	6800
4.	झारखंड	2819	6800	6800
5.	हिमाचल प्रदेश	72	200	200
6.	जम्मू व कश्मीर	77	–	–
7.	कर्नाटक	7	–	–
8.	मध्य प्रदेश	263	800	800
9.	छत्तीसगढ़	286	800	800
10.	मणिपुर	131	270	400
11.	मेघालय	1872	3000	3000
12.	मिजोरम	16	–	–
13.	नागालैंड	38	130	–
14.	उड़ीसा	1133	6000	6000
15.	राजस्थान	507	–	–
16.	त्रिपुरा	14	–	–
17.	उत्तर प्रदेश	3923	15000	15000
18.	उत्तरांचल	624	7000	7000
19.	पश्चिम बंगाल	1157	6000	6000
	कुल (राज्य)	17500	60000	60000

विवरण III

2001-02, 2002-03 और 2003-04 में पीएमजीवाई के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु जारी निधियों का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1705.00	1705.00	1438.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	684.00	684.00	684.00
3.	असम	6011.00	3000.00	2900.00
4.	बिहार	2457.00	2417.30	2417.30
5.	छत्तीसगढ़	851.70	515.00	515.00
6.	गोवा	4.50	6.00	6.00
7.	गुजरात	362.80	0	712.20
8.	हरियाणा	187.90	142.90	142.90
9.	हिमाचल प्रदेश	100.00	110.00	200.00
10.	जम्मू व कश्मीर	1922.00	800.00	800.00
11.	झारखंड	379.60	1116.90	744.60
12.	कर्नाटक	841.00	1000.00	1000.00
13.	केरल	594.50	–	–
14.	मध्य प्रदेश	1460.62	1275.00	1275.00
15.	महाराष्ट्र	1901.08	1664.00	1664.00
16.	मणिपुर	600.00	600.00	600.00
17.	मेघालय	600.00	600.00	600.00
18.	मिजोरम	598.00	598.00	598.00
19.	नागालैंड	452.60	650.00	2982.00
20.	उड़ीसा	1703.80	100.00	100.00
21.	पंजाब	1488.25	444.00	444.00
22.	राजस्थान	1080.00	1061.00	1061.00
23.	सिक्किम	0.00	400.00	400.00

1	2	3	4	5
24.	तमिलनाडु	1173.60	1608.20	608.20
25.	त्रिपुरा	850.00	500.00	700.00
26.	उत्तर प्रदेश	9417.00	10187.00	9277.00
27.	उत्तरांचल	976.75	2000.00	1000.00
28.	पश्चिम बंगाल	2820.00	2774.00	3816.75
	कुल	41223.60	35,958.30	36665.95*

*पृटी को आवंटन के बिना राशि

[अनुवाद]

कचरे से विद्युत उत्पादन

307. श्री दुष्यंत सिंह: क्या अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का शहरी और औद्योगिक कचरे से ऊर्जा नामत: बायोगैस और विद्युत का उत्पादन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए आरंभ की गई केन्द्रीय योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में उक्त योजना आरंभ की गई है; और

(घ) उक्त योजना के आरंभ से राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) शहरी तथा औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा नामत: बायोगैस और विद्युत की प्राप्ति के लिए परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय वर्ष 1994-95 से शहरी तथा औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन वित्तीय संस्थाओं तथा राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। बनाओ, अपनाओ और चलाओ (बू), बनाओ, अपनाओ, चलाओ तथा हस्तांतरित करो (बूट), बनाओ, चलाओ तथा हस्तांतरित करो (बोट), बनाओ, चलाओ, लीज एवं हस्तांतरण (बोल्ट) आधार पर परियोजनाओं की स्थापना के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और संगठनों दोनों के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों पर भी यह लागू है। औद्योगिक अपशिष्टों पर आधारित परियोजनाओं के लिए प्रमोटरों द्वारा लिए गए ऋणों पर विशेष श्रेणी के राज्यों में 4% तक और अन्य राज्यों में 6% तक ब्याज की दर को कम करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में ब्याज सब्सिडी उपलब्ध है। राज्य नोडल एजेंसियों को उनकी भागीदारी और परियोजनाओं की सहायता के लिए अधिकतम 5.00 लाख रु./मेगावाट तक का प्रोत्साहन भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त डी.पी.आर. की तैयारी, सेमीनारों का आयोजन, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों आदि जैसे अन्य कार्यकलापों के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) जबकि कार्यक्रम सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में लागू है, राज्य, जहां अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं वे आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं। कुछ अन्य राज्य जैसे असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और झारखंड ने भी कार्यक्रम के अंतर्गत डीपीआर की तैयारी/सेमीनारों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन जैसी गतिविधियां शुरू की हैं।

(घ) कार्यक्रम के प्रारंभ से उपर्युक्त गतिविधियों के लिए 31.3.2004 तक विभिन्न राज्यों को लगभग कुल 37.61 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत उसके प्रारंभ से लेकर 31 मार्च, 2004 तक उपलब्ध कराई गई राज्यवार केन्द्रीय वित्तीय सहायता

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय वित्तीय सहायता (लाख रु. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	391.89
2.	असम	0.30
3.	बिहार	0.96
4.	गुजरात	254.47
5.	हिमाचल प्रदेश	0.23
6.	कर्नाटक	1.90
7.	केरल	1.10

1	2	3
8.	महाराष्ट्र	606.55
9.	मध्य प्रदेश	292.76
10.	उड़ीसा	0.80
11.	पंजाब	0.60
12.	तमिलनाडु	354.45
13.	उत्तर प्रदेश	1625.52
14.	पश्चिम बंगाल	5.50
15.	दिल्ली	219.00
16.	झारखंड	5.45
	कुल	3761.48

स्कूल से पढ़ाई छोड़ने वालों की दर

308. **श्री शिवाजी अधलराव पाटील:**
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन राज्यों की पहचान की है जहां पर स्कूली स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार देश में स्कूल से पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या की दर के आंकड़े एकत्रित करने के लिए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकारों ने विभिन्न कक्षाओं से पढ़ाई छोड़ने वाले 8 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों हेतु पर्याप्त शिक्षा सुविधाएं प्रदान नहीं की हैं;

(च) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार स्कूल से पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने हेतु सभी राज्यों के लिए एक समान नीति बनाने पर भी विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, हां। बिहार, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ तथा दमन और दीव को छोड़कर शेष सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले छात्रों की दर में 2000-01 की तुलना में वर्ष 2001-02 में कमी आई है। वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान स्कूल स्तर (कक्ष 1 से 10) पर पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले छात्रों की राज्य-वार स्थिति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले छात्रों की दरों सहित स्कूली शिक्षा के विभिन्न पैरामीटरों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने के लिए इस समय सातवां अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ङ) से (छ) केन्द्र सरकार ने स्कूलों में 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को शामिल करने के उद्देश्य से सभी राज्यों के लिए एक समान नीति तैयार की है। उनमें सर्वप्रथम भारतीय संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम, 2002 है, जिसके माध्यम से 6 से 14 वर्ष आयु समूह के बच्चों के लिए नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है। इसके अतिरिक्त सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल नहीं जा पाने वाले तथा पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों सहित स्कूली बच्चों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं के संक्षिप्त ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(1) *शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक और नवीन शिक्षा*: यह योजना स्कूलविहीन बस्तियों को सुविधा प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल, 2001 से शुरू की गई थी। ये कार्यक्रम सेतु पाठ्यक्रमों, आवासीय शिविरों, ड्राप इन केन्द्रों, ग्रीष्म शिविरों तथा उपचारी कोचिंग सहित स्कूल नहीं जा पाने वाले बच्चों के लिए लचीली कार्यनीतियों में भी सहायक होते हैं।

(2) *प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा संबंदी राष्ट्रीय कार्यक्रम*: यह योजना देश के 2655 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में प्राथमिक स्तर पर सुविधावंचित बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए जुलाई, 2003 में अनुमोदित की गई थी।

(3) *दोपहर का भोजन योजना*: प्रारम्भ में यह योजना 1995-96 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य नामांकन,

विद्यालयों में छात्रों को बनाए रखने की दर में वृद्धि करके, बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या में कमी करके तथा साथ ही प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के पोषण स्तरों में वृद्धि करके प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के प्रयासों को गति प्रदान करना था।

विवरण

स्कूल स्तर पर (कक्षा 1-10) पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों का प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-01	2001-02
		कुल	कुल
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	76.98	70.12
2.	अरुणाचल प्रदेश	77.17	76.04
3.	असम	75.74	75.61
4.	बिहार	81.30	82.87
5.	छत्तीसगढ़#	–	–
6.	गोवा	43.85	42.21
7.	गुजरात	72.22	70.22
8.	हरियाणा	36.51	35.94
9.	हिमाचल प्रदेश	36.18	31.80
10.	जम्मू व कश्मीर	54.68	48.94
11.	झारखंड#	–	–
12.	कर्नाटक	63.18	61.65
13.	केरल	19.15	16.64
14.	मध्य प्रदेश	69.96	69.88
15.	महाराष्ट्र	55.55	52.28
16.	मणिपुर	55.49	53.90
17.	मेघालय	84.33	83.44
18.	मिजोरम	71.13	69.73
19.	नागालैंड	65.29	64.94
20.	उड़ीसा	75.05	73.06
21.	पंजाब	39.67	38.62
22.	राजस्तान	77.07	75.36
23.	सिक्किम	85.33	88.39
24.	तमिलनाडु	58.40	57.66
25.	त्रिपुरा	78.75	76.92
26.	उत्तर प्रदेश	62.11	58.98
27.	उत्तरांचल#	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	82.58	78.52
29.	अंडमान व निकोबार	49.44	54.87
30.	चंडीगढ़	5.59	11.99
31.	दादरा व नगर हवेली	74.43	71.59
32.	दमन व दीव	32.04	36.55
33.	दिल्ली	69.06	42.38
34.	लक्षद्वीप	54.52	54.18
35.	पांडिचेरी	33.73	25.26
	भारत	68.58	66.04

*अनन्तिम

#पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दरें संबंधित मूल राज्यों के साथ दर्शाई गई हैं।

भारतीय प्रबंधन संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति में वृद्धि

309. श्री तथागत सत्पथी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रबंधन संस्थानों के 'बोर्ड आफ गवर्नर्स' ने आवश्यकता आधारित छात्रवृत्तियों के लिए अपनी आबंटन राशि में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बढ़ी हुई छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए छात्रों के परिवार के लिए निर्धारित आय मानदंड क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता और लखनऊ स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थानों के शासी बोर्डों ने आवश्यकता आधारित छात्रवृत्तियों की आवंटन राशि बढ़ा दी है।

भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद ने उपर्युक्त आवंटन को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 100 लाख रुपए, भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर ने 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए, भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता ने 3.64 लाक रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए और भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ ने 25 रुपए से बढ़कर 100 लाख रुपए कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर और कोझीकोड स्थित सभी छः भारतीय प्रबंधन संस्थानों ने यह निर्णय लिया है कि:

(1) सभी भारतीय प्रबंधन संस्थान प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को आवश्यकता आधारित छात्रवृत्तियां प्रदान करेंगे।

(2) सभी दाखिल विद्यार्थी, जिनकी वार्षिक सकल पारिवारिक आय 2 लाख रुपए या उससे कम है, छात्रवृत्तियों के पात्र होंगे जो शिक्षा शुल्क में पूर्णतः छूट की सीमा तक हो सकती है।

भारतीय प्रबंधन संस्थानों को शुल्क संरचना से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार है। उन्होंने एक निर्णय लिया है, जिसे सरकार स्वीकार करती है और उसका पूरा समर्थन करती है।

जनजातियों के पुनर्वास हेतु प्रस्ताव

310. श्री बी. विनोद कुमार: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से जनजातीय पुनर्वास की अधिसूचना को रद्द करने का कोई प्रस्ताव हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने जनजातीय परिवारों के पुनर्वास के लिए पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा जनजातीय कल्याण के लिए स्वीकृत की गई धनराशियों को राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए जारी कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि राज्य सरकार ने जनजातियों के बीच आरक्षित वन भूमि को किस सीमा तक वितरित किया है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्दिया): (क) मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं का दुर्व्यापार

311. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों के अभिरक्षक, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी हाल की रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय महिलाएं पाकिस्तान में बेची जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस समाज-विरोधी कार्य को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) जी, हां। तथापि, इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में भारतीय महिलाओं को बेचे जाने संबंधी किसी विशिष्ट मामले का उल्लेख नहीं किया गया है।

(ग)(1) भारत ने वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार के निवारण संबंधी दक्षेस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(2) वर्ष 1998 में तैयार की गई महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार एवं व्यावसायिक यौन-शोषण निवारण संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना में वेश्यावृत्ति की शिकार महिलाओं के बचाव एवं पुनर्वास हेतु बहु-क्षेत्रीय कार्यनीति की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों, राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य पक्षों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा भी दिया गया है।

(3) भारत में जीवन प्रजातंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका, मुक्त एवं मुखर प्रचार माध्यमों तथा मानवाधिकारों के संरक्षण एवं

संवर्धन हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय आयोगों के रूप में पर्याप्त संस्थागत तंत्र मौजूद हैं, जो कि यह सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय नागरिकों के मानवाधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जाए। संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अंतर्सरकारी मंचों, जैसे कि मानवाधिकार आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र संगठन के अभिकरणों में भारत की सक्रिय भागीदारी का उद्देश्य विश्वभर में मानवाधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण करना है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा आपूर्ति की गई/बेची गई मदें

312. श्री अनन्त नायक: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा देश में निजी क्षेत्र को आपूर्ति की गई/बेची गई मदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा विभिन्न देशों को निर्यात की गई मदों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 के दौरान विभिन्न देशों से निर्यात के लिए प्राप्त किए आदेश का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सांप्रदायिक हिंसा

313. श्री अधीर चौधरी:
श्री वरकला राधाकृष्णन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में हुई सांप्रदायिक हिंसा की वारदातों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले में राज्यवार और वारदात-वार कितने लोगों की जानें गई और कितनी संपत्ति को क्षति पहुंची;

(ग) हिंसा के शिकार व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में राज्य-वार और वारदात-वार कितनी राशि आद की गई;

(घ) क्या सरकार सांप्रदायिक हिंसा से निपटने हेतु शीघ्र नया कानून बनाने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) प्रस्तावित कानून किस तारीख से लागू होगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय होने के कारण सरकार द्वारा यह सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(घ) से (च) साम्प्रदायिक हिंसा से निपटने तथा प्रत्येक राज्य को उस कानून को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक माडल व्यापक कानून अधिनियमित करने का प्रस्ताव है ताकि अल्पसंख्यक समुदायों में विश्वास की भावना जगाई जा सके।

इस कानून के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए व्यापक परामर्श करने के बाद इस प्रकार के कानून के अनिवार्य तत्वों के बारे में निर्णय करने की आवश्यकता होगी। इस अवस्था में प्रस्तावित कानून के लागू होने की तारीख बताना व्यवहार्य नहीं है।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं की समीक्षा

314. श्री कैलाश मेघवाल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की 9082 मेगावाट क्षमता की आठ विद्युत परियोजनाओं की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कुल कितना निवेश किया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) सचिव (विद्युत) द्वारा निजी सेक्टर विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रमुख भारतीय वित्तीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ दिनांक 13.1.2004 को आयोजिक बैठक में हुए विचार विमर्श के अनुसरण में निजी विद्युत परियोजनाओं के वित्तीय समापन को सरल बनाने के लिए एक इण्टर इंस्टीट्यूशनल ग्रुप (आई आई जी) का गठन किया गया है। इस ग्रुप में प्रमुख वित्तीय संस्थाओं/बैंकों तथा भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय) के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हैं। समीक्षा व आई पी पी के वित्तीय समापन को शीघ्रता से सरल बनाने के लिए आई आई जी की नियमित बैठक हो रही है। अब तक 9 आई पी पी अर्थात् कुल 2450 मे.वा. का वित्तीय समापन हो चुका है। 15 मई, 2004 को आयोजित पिछली बैठक

में 9082 मे.वा. क्षमता की कुल 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। ब्यौरे निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)
1.	तोरांगलू विस्तार (मैसर्स जिंदल थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड, कर्नाटक	500
2.	मंगलोर थर्मल पावर प्रोजक्ट (टीपीपी) (मैसर्स नागारजुन पावर कारपोरेशन लिमिटेड	1015
3.	आखाखोल (सूरत) कम्बाईंड साइकल पावर प्रोजक्ट (सीसीपीपी) (मैसर्स टोरेंट पावर जेनरेशन लिमिटेड), गुजरात	1050
4.	पथादी टीपीपी (मैसर्स लांको अमरकंटक पावर प्राइवेट लिमिटेड), छत्तीसगढ़	250
5.	करचम वांगटू हाईड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजक्ट (एचईपी) (मैसर्स जेपी करचम हाईड्रो कारपोरेशन लिमिटेड), हिमाचल प्रदेश	1000
6.	रोजा जी पी पी (मैसर्स इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर्स), उत्तर प्रदेश	567
7.	दादरी सी सी पी पी (मैसर्स रिलाईंस एनर्जी लिमिटेड), उत्तर प्रदेश	3500
8.	वडीनार (मैसर्स एस्सार एनर्जी, (जामनगर) लिमिटेड, गुजरात	1200
	कुल जोड़	9082

मोटे तौर पर उक्त परियोजनाओं में लगभग 36328 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में प्रगति

315. श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई:
श्री ए.के. मूर्ति:

क्या **अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान अपरांपरिक ऊर्जा स्रोत क्षेत्र में प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी प्रगति की गई;

(ख) क्या सरकार देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को सृजित करने के लिए कोई नई नीति तैयार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा अपनाई गई नई पद्धति क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि जारी की गई है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) पिछले पांच वर्षों अर्थात् 1998-99 से 2002-03 के दौरान अक्षय स्रोतों से ग्रिड इंटरएक्टिव विद्युत का राज्यवार क्षमता संयोजन संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) और (ग) राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) को ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत के लिए शुल्क दरों को निर्धारित करने के लिए अधिकार दिया गया है। विद्युत अधिनियम, 2003 भी अक्षय स्रोतों से विद्युत आपूर्ति की एक निश्चित मात्रा को निर्धारित करने के लिए एसईआरसी को अधिकार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन करने वाली इकाइयों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2000-01 से 2002-03 तक अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

विवरण I

पिछले पांच वर्षों अर्थात् 1998-99 से 2002-03 के दौरान अक्षय स्रोतों से ग्रिड इंटरएक्टिव विद्युत का राज्यवार क्षमता संयोजन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल संस्थापित क्षमता (मेवा.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	286.26
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.90
3.	असम	0.00
4.	बिहार	0.01
5.	गोवा	0.00
6.	गुजरात	15.40
7.	हरियाणा	0.00

1	2	3
8.	हिमाचल प्रदेश	32.83
9.	जम्मू एवं कश्मीर	21.11
10.	कर्नाटक	268.51
11.	केरल	23.14
12.	मध्य प्रदेश	20.81
13.	महाराष्ट्र	446.09
14.	मणिपुर	0.75
15.	मेघालय	0.00
16.	मिजोरम	9.61
17.	नागालैंड	16.60
18.	उड़ीसा	6.00
19.	पंजाब	25.84
20.	राजस्थान	62.30
21.	सिक्किम	3.01
22.	तमिलनाडु	310.17
23.	त्रिपुरा	1.00
24.	उत्तर प्रदेश	43.94
25.	पश्चिम बंगाल	6.62
26.	अंडमान एवं निकोबार	0.05
27.	चंडीगढ़	0.00
28.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00
29.	दमन एवं दीव	0.00
30.	दिल्ली	0.00
31.	लक्षद्वीप	0.65
32.	पांडिचेरी	0.00
33.	छत्तीसगढ़	7.30
34.	झारखंड	0.00
35.	उत्तरांचल	6.45

विवरण :I

पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2000-01 से 2002-03 के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों के राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	20.993	24.986	23.800
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.894	16.528	15.180
3.	असम	0.777	0.471	0.790
4.	बिहार	0.224	0.133	0.050
5.	छत्तीसगढ़	0.000	1.772	9.120
6.	गोवा	0.056	0.020	0.000
7.	गुजरात	5.900	5.522	6.150
8.	हरियाणा	4.239	3.477	4.070
9.	हिमाचल प्रदेश	4.370	6.151	8.250
10.	जम्मू एवं कश्मीर	1.514	0.849	1.190
11.	झारखंड	0.000	0.125	2.370
12.	कर्नाटक	15.210	13.405	12.840
13.	केरल	5.190	10.674	1.270
14.	मध्य प्रदेश	7.736	3.805	5.450
15.	महाराष्ट्र	11.120	7.804	12.560
16.	मणिपुर	0.399	1.342	7.620
17.	मेघालय	1.296	2.095	3.850
18.	मिजोरम	5.042	0.528	1.280
19.	नागालैंड	1.181	3.341	0.620
20.	उड़ीसा	5.448	8.025	3.260
21.	पंजाब	3.967	12.876	7.690
22.	राजस्थान	7.099	9.136	7.840

1	2	3	4	5
23.	सिक्किम	6.681	5.097	7.200
24.	तमिलनाडु	5.218	3.844	3.830
25.	त्रिपुरा	3.264	2.686	5.070
26.	उत्तर प्रदेश	15.531	18.582	17.740
27.	उत्तरांचल	0.000	1.416	7.270
28.	पश्चिम बंगाल	15.881	18.157	16.320
29.	अंडमान एवं निकोबार	8.049	2.655	4.780
30.	चंडीगढ़	0.020	0.160	0.220
31.	दादरा एवं नगर हवेली	0.000	0.000	0.000
32.	दमन एवं दीव	0.036	0.000	0.000
33.	दिल्ली	1.402	0.825	0.790
34.	लक्षद्वीप	2.882	5.725	7.840
35.	पांडिचेरी	0.135	0.132	0.280

[अनुवाद]

ऊर्जा क्षेत्र को प्राथमिकता

316. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में पांच प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं जो 2004-05 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने में सहायता करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्राथमिकताओं को प्रभावशाली रूप से लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण विद्युतीकरण को सरकार उच्च प्राथमिकता दे रही है। अन्य प्राथमिकताएं हैं-

* विद्युत उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि
* राष्ट्रीय पारेषण प्रणाली का संवर्धन
* वितरण सुधार प्रणाली का संशोधन
* ऊर्जा संरक्षण

(ग) इन प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से किए गए उपाय हैं-

* आवासीय विद्युतीकरण को पूरा करने के लिए कार्यनीति।
* प्रत्येक विद्युत उत्पादन परियोजना के लिए नोडल अधिकारियों के जरिए सुदृढ़ मानीटरिंग तंत्र।
* 11वीं योजना की विद्युत परियोजनाओं के लिए अग्रिम आयोजना/कार्रवाई।
* देश की व्यवहार्य जल विद्युत क्षमता का पूर्ण विकास।
* वर्ष 2012 तक 30,000 मेगावाट क्षमता के अंत:क्षेत्रीय अंतरण के लिए पारेषण प्रणाली का सुनियोजित विस्तार।
* विद्युत अधिनियम के अनुसार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीति।
* समुचित निवेश एवं बेहतर नियंत्रण के जरिए कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि में कमी करने पर बल। त्वरित विद्युत के विकास एवं सुधार कार्यक्रम का भी यह उद्देश्य है।

[हिन्दी]

राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना

317. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के कुछ विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकारों से विश्वविद्यालयों का स्तर केन्द्रीय विश्वविद्यालय के समकक्ष करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार विशेषकर मध्य प्रदेश से तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी मिलने की सम्भावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (च) पिछले एक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का दर्जा देने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:-

(1) अरुणाचल प्रदेश से अरुणाचल विश्वविद्यालय के लिए।

(2) मणिपुर से मणिपुर विश्वविद्यालय के लिए।

(3) बिहार से पटना विश्वविद्यालय के लिए।

(4) आंध्र प्रदेश से आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, विशाखापट्नम के लिए।

(5) उड़ीसा से सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर के लिए।

(6) राजस्थान से राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के लिए।

(7) मध्य प्रदेश से डा. हरी सिंह गौड विश्वविद्यालय, सागर के लिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रावधानों के अनुसरण में केन्द्र सरकार विद्यमान राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का दर्जा देने के पक्ष में नहीं है।

तथापि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा बहाल करने संबंधी उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

मेगा सिटी योजना

318. श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना "इन्फ्रास्ट्रक्चरल डवलपमेंट इन मेगा सिटीज" मेगा सिटी की अवसंरचना के सतत विकास हेतु निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई थी;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत प्राप्त निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार संस्थागत वित्त से अपेक्षित निवेश जुटाने में असफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित उपाय क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) पांच शहरों, नामत: बंगलौर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में निरंतर अवस्थापना विकास के लिए मेगा शहरों में अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम शुरू की गई थी।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस स्कीम के तहत मेगा शहरों के लिए जारी अनुदानों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	(करोड़ रु. में)
2001-02	115.40
2002-03	119.90
2003-04	19.67

(ग) जी, नहीं। स्कीम के तहत केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 25:25 के अनुपात में अंशदान किया जाता है और शेष 50 प्रतिशत राशि प्रत्येक मेगा शहर की नोडल एजेंसी अथवा कार्यान्वयन एजेंसी जुटाती है। कार्यान्वयन एजेंसी संस्थागत वित्त के स्थान पर आंतरिक संसाधनों का उपयोग भी कर सकती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए प्रस्ताव

319. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2008 तक राज्य विद्युत बोर्डों को संकट से उबारने के लिए कोई कार्रवाई आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की भावी योजना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों ने सुधार प्रक्रिया आरंभ कर दी है और केन्द्र सरकार ने राज्यों को उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए एपीडीआरपी के अंतर्गत सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक एपीडीआरपी के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी सफलता प्राप्त की गई?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) पारेषण वितरण एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी लाने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी)

को क्रियान्वित किया जा रहा है। देश में उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण और राज्य विद्युत बोर्डों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबीज)/यूटीलिटियों को अतिरिक्त केन्द्रीय योजना सहायता के रूप में फंड जारी किए जाते हैं। राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि राज्य विद्युत बोर्डों में आमूलचुल परिवर्तन के लिए बिजनेस योजना तैयार करें। समयबद्ध ढंग से वितरण सुधारों की प्रतिबद्धता के लिए राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन तथा समझौता-करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों के साथ हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय करार के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को देय पूर्व की राशियों के प्रत्याभूतिकरण के माध्यम से राज्य सरकारों को ठोस राहत प्रदान की गई।

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान एपीडीआरपी के निवेश एवं प्रोत्साहन घटकों के अंतर्गत जारी की गई निधियों (फंड) के ब्यौरे संलग्न विवरण I एवं II में दिया गया है। भारत सरकार द्वारा की गई इस पहल के परिणाम जो नकद हानि में कमी तथा हानियों में कमी के रूप में परिलक्षित हुए हैं, उसे विवरण III एवं IV में दर्शाया गया है।

विवरण I

क्रम सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत की गई परियोजना लागत	एपीडीआरपी घटक	जारी निधियां		
				2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1511.40	755.70	शून्य	163.82	402.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	85.99	85.99		0.00	36.68
3.	असम	408.54	408.54		96.97	0.00
4.	बिहार	768.25	384.13		66.11	20.88
5.	छत्तीसगढ़	424.58	212.29		10.00	43.07
6.	दिल्ली	946.46	473.23		105.51	0.00
7.	गोवा	244.60	122.30		22.04	8.54
8.	गुजरात	1035.80	517.90		105.41	183.45
9.	हरियाणा	453.41	226.71		56.33	112.66
10.	हिमाचल प्रदेश	327.81	327.81		43.04	120.87
11.	जम्मू व कश्मीर	401.10	401.10		20.00	180.50
12.	झारखंड	444.85	222.43		12.00	43.60
13.	कर्नाटक	1161.19	580.60		145.15	290.30
14.	केरल	350.35	175.18		30.43	74.23
15.	मध्य प्रदेश	679.08	339.54		74.87	10.00
16.	महाराष्ट्र	1898.59	949.30		138.48	107.98
17.	मणिपुर	10.13	10.13		2.67	0.00
18.	मेघालय	42.26	42.26		6.57	14.56

1	2	3	4	5	6	7
19.	मिजोरम	57.91	57.91		3.78	25.18
20.	नागालैंड	47.22	47.22		13.14	10.47
21.	उड़ीसा	592.22	296.11		54.35	0.00
22.	पंजाब	706.38	353.19		53.98	124.76
23.	राजस्थान	1255.06	627.53		125.64	219.70
24.	सिक्किम	154.73	154.73		17.21	60.17
25.	तमिलनाडु	968.17	484.09		111.57	232.59
26.	त्रिपुरा	27.54	27.54		2.67	6.10
27.	उत्तर प्रदेश	824.14	412.07		80.12	0.00
28.	उत्तरांचल	361.51	361.51		174.63	6.13
29.	पश्चिम बंगाल	420.92	210.46		19.02	21.15
	कुल	16610.19	9267.50		1755.51	2356.51

विवरण II

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	जारी प्रोत्साहन
1.	गुजरात	236.37
2.	महाराष्ट्र	137.89
3.	हरियाणा	105.49
4.	राजस्थान	137.71
5.	आंध्र प्रदेश	265.11
	कुल	882.57

विवरण III

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	नकद हानि में कमी
1.	गुजरात	472.74
2.	महाराष्ट्र	275.78
3.	हरियाणा	210.98
4.	राजस्थान	275.42
5.	आंध्र प्रदेश	530.22
	कुल	1765.14

विवरण IV

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	हानि में कमी (2000-01 वर्ष के आधार पर)	
1.	आंध्र प्रदेश	112.22	1687.55
2.	असम	28.23	–
3.	गोवा	16.12	168.65
4.	गुजरात	1221.59	2141.33
5.	हरियाणा	39.91	–
6.	केरल	–	249.96
7.	मध्य प्रदेश	–	77.44
8.	महाराष्ट्र	1928.31	2212.23
9.	पंजाब	–	113.25
10.	राजस्थान	467.74	46.81
11.	उत्तर प्रदेश	–	59.41

*जैसा कि राज्यों ने सूचित किया।

[हिन्दी]

स्वापक पदार्थों की तस्करी

320. **श्री वाई.जी. महाजन:**
श्री सुशील कुमार मोदी:
श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष में स्वापक पदार्थों की तस्करी में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान स्वापक पदार्थों की तस्करी की कितनी घटनाएं हुई;

(ग) क्या स्वापक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए भारत-पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों के बची वार्ताएं हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में क्या निर्णय लिये गए; और

(च) स्वापक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) बताई गई किसी अवधि में स्वापक पदार्थों के अवैध व्यापार की मात्रा का वास्तविक रूप से आकलन करना सम्भव नहीं है। तथापि, विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा सूचित व्यापक पदार्थों की जब्ती के बारे में आंकड़े यह दर्शाते हैं कि वर्तमान में वर्ष के 5 महीनों के दौरान, वर्ष 2003 की तद्नुरूपी अवधि की तुलना में, स्वापक पदार्थों की जब्ती में वृद्धि हुई है।

(ख) जैसा कि विभिन्न औषध कानून प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा सूचित किया गया है वर्ष 2001, 2002 और 2003 के दौरान स्वापक पदार्थों के अवैध व्यापार की क्रमश: 14972, 11451 और 17829 घटनाओं का पता चला।

(ग) और (घ) 15-16 जून, 2004 को इस्लामाबाद में औषध से संबंधित मामलों पर भारत-पाकिस्तान के महानिदेशक स्तर की वार्ताएं हुईं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार और म्यांमार सरकार के औषध कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच नियमित रूप से बैठकें हुई हैं।

(ङ) भारत-पाकिस्तान और भारत म्यांमार नशीली दवाइयों के अवैध व्यापार, नशीली दवाईयों के अवैध व्यापार की किसी सम्भावना को रोकने के लिए सतर्कता अपनाने, प्रीकर्सर रसायन और मन:प्रभावी पदार्थों से संबंधित मामलों पर समय से सूचना के आदान-प्रदान की आवश्यकता और नशीली दवाईयों के अवैध व्यापार से निपटने के क्षेत्र में एक-दूसरों के अनुभवों को बांटने पर सहमत हुए हैं।

(च) भारत सरकार ने देश में नशीली दवाईयों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं:-

(1) आयात और निर्यात स्थानों, भू सीमाओं, हवाई अड्डों, विदेशी डाक घरों आदि जैसे स्थानों पर कड़ी निगरानी और प्रवर्तन।

(2) नशीले पदार्थों की तस्करी के ज्ञात मार्गों पर गहन निवारक तथा निषेधात्मक प्रयास।

(3) निषेधादेश को अधिक संबद्धता प्रदान करने के लिए विभिन्न औषध कानून प्रवर्तन एजेन्सियों के बीच समन्वय में सुधार लाना।

(4) अफीम पोपी की अवैध खेती-बाड़ी तथा भांग के जंगली विस्तारण की पहचान करना तथा आपूर्ति के इन स्रोतों को समाप्त करना।

(5) आपरेशनल आसूचना के संकलन, विश्लेषण और प्रसारण में सुधार लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को सुदृढ़ करना।

(6) प्रीकर्सर रसायनों और आवा-जाही के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण में सूचना के आदान-प्रदान और जांच-पड़ताल सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना।

(7) अपराधियों का इलैक्ट्रानिक डाटा बेस तैयार करना।

(8) नशीली दवाईयों की तस्करी से निपटने के लिए उनकी कौशलता में वृद्धि करने हेतु कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

आई.डी.एस.एम.टी. योजना के तहत राज्यों को सहायता अनुदान

321. **श्री रामदास बंडु आठवले:**
श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार छोटे कस्बों के शहरीकरण के लिए राज्यों को धनराशि प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट आफ स्माल एण्ड मीडियम टाउन (आई.डी.एस.एम.टी.) योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कितना सहायता अनुदान आबंटित किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार और कस्बा-वार इस योजना के अंतर्गत चिन्हित किये गए कस्बों के नाम और प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त उद्देश्य के लिए चयनित कस्बों में किये गए विकास कार्यों का कोई आकलन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के अंतर्गत विकास हेतु किन-किन कस्बों का चयन किया गया है और तत्संबंधी चयन का आधार क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, हां। छोटे एवं मझोले कस्बों के समन्वित विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना (आई.डी.एस.एम.टी.) के अंतर्गत सरकार आर्थिक विकास के विकेन्द्रीकरण और विकेन्द्रित शहरीकरण को बढ़ावा देने के अलावा अवस्थापना सुविधाओं में सुधार करने के लिए धनराशि मुहैया कराती है तथा छोटे एवं मझोले कस्बों में टिकाऊ सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सृजन में मदद करती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय अनुदान के रूप में 26386.10 लाख रु. की राशि प्रदान की गई। इस अवधि के दौरान दी गई केन्द्रीय अनुदान सहायता के वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

(ग) इस अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत चुने गए कस्बे तथा जिन्हें केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई गई, के नामों का वर्षवार और कस्बा-वार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। राज्य सरकारें विकास कार्यों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करती हैं और भारत सरकार को तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा सूचित व्यय का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण III में दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना के तहत वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान क्रमश: 552.49 लाख रु., 309.53 लाख रु. और 1542.83 लाख रु. का व्यय सूचित किया है। इस व्यय में केन्द्रीय अनुदानों के अलावा राज्य अंश से खर्च की गई धनराशि, सांस्थानिक संस्थानों से ऋण अथवा स्थानीय निकायों का अंशदान भी शामिल है।

(च) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान तथा 30.06.2004 तक आई.डी.एस.एम.टी. योजना के अंतर्गत 416 नए कस्बों को शामिल किया गया है। इन कस्बों के नाम संलग्न विवरण IV में दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा कस्बों का चयन उनकी शहरी विकास नीति के आधार पर किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास केन्द्र के रूप में विकास की संभावना शामिल है। इस योजना के अंतर्गत जिला मुख्यालयों, मंडी कस्बों, औद्योगिक विकास केन्द्रों, पर्यटन स्थलों, तीर्थस्थानों आदि को वरीयता दी जाती है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान आई.डी.एस.एम.टी. योजना के अंतर्गत दी गई राज्यवार केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य	जारी केन्द्रीय सहायता			
		2001-2002	2002-2003	2003-2004	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	608.04	623.62	1298.28	2529.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	16.00	71.00	192.00	279.00
3.	असम	258.30	168.00	40.00	466.30

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	200.49	90.00	317.00	607.49
5.	छत्तीसगढ़	158.20	306.00	337.82	802.02
6.	गोवा	–	–	–	0.00
7.	गुजरात	430.00	200.60	845.75	1476.35
8.	हरियाणा	205.40	483.54	377.00	1065.94
9.	हिमाचल प्रदेश	104.50	284.64	28.00	417.14
10.	जम्मू व कश्मीर	220.00	44.40	253.00	517.40
11.	झारखंड	–	75.00	–	75.00
12.	कर्नाटक	613.69	700.25	889.92	2203.86
13.	केरल	258.50	217.50	384.00	914.00
14.	मध्य प्रदेश	446.00	713.12	568.25	1727.37
15.	महाराष्ट्र	653.00	1038.25	834.00	2525.85
16.	मणिपुर	48.00	207.00	–	255.00
17.	मेघालय	–	123.60	–	123.60
18.	मिजोरम	148.00	24.00	–	172.00
19.	नागालैंड	–	16.00	163.00	179.00
20.	उड़ीसा	269.00	176.52	138.00	583.52
21.	पंजाब	150.00	146.24	177.42	473.66
22.	राजस्थान	387.50	282.79	421.01	1091.30
23.	सिक्किम	60.00	–	–	60.00
24.	तमिलनाडु	537.93	856.49	851.50	2245.92
25.	त्रिपुरा	113.00	45.60	88.12	246.72
26.	उत्तरांचल	240.00	–	86.00	326.00
27.	उत्तर प्रदेश	1010.25	828.34	1049.79	2888.38
28.	पश्चिम बंगाल	434.50	766.50	896.34	2097.34
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	0.00
30.	दादरा व नगर हवेली	–	–	–	0.00
31.	दमन व दीव	–	–	–	0.00

1	2	3	4	5	6
32.	लक्षद्वीप	–	–	–	0.00
33.	पांडिचेरी	–	–	36.00	36.00
	सकल योग	7570.90	8543.00	10272.20	26386.10

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान आई.डी.एस.एम.टी. योजना के तहत चुने गए कस्बों (नए और चालू) की सूची तथा दी गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपयों में)

राज्य	क्र.सं.	कस्बा	जारी केन्द्रीय सहायता			
			2001-2002	2002-2003	2003-2004	योग
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	1.	टूनी	30.00	–	–	30.00
	2.	तिरूपतली	–	53.14	–	53.14
	3.	गडवाल	–	18.91	–	18.91
	4.	भोंगीर	–	26.40	–	26.40
	5.	इलूरू	–	105.67	–	105.67
	6.	बोब्बीली	22.94	–	–	22.94
	7.	करीमनगर	–	–	142.04	142.04
	8.	मचरेला	–	–	40.34	40.34
	9.	मेहबूबनगर	–	–	120.10	120.10
	10.	मंडापेटा	–	–	60.00	60.00
	11.	नंदयाल	63.00	32.50	–	95.50
	12.	सूरयापेट	75.00	–	75.00	150.00
	13.	बापटला	58.00	–	–	58.00
	14.	कोव्वूर	45.00	–	45.00	90.00
	15.	नोजीवीडू	45.00	–	–	45.00
	16.	सिरसिल्ला	41.90	–	–	41.90
	17.	पेडना	14.20	–	30.80	45.00

1	2	3	4	5	6	7
	18.	अनन्तपुर	57.50	57.50	–	115.00
	19.	सदासिवपेट	37.50	–	–	37.50
	20.	अनाकापल्ली	48.00	–	–	48.00
	21.	कादिरी	70.00	4.00	–	74.00
	22.	मनचेराइल	–	75.00	–	75.00
	23.	नरसापुर	–	67.50	–	67.50
	24.	बेल्लमपल्ली	–	29.00	–	29.00
	25.	समालकोट	–	45.00	–	45.00
	26.	सलूर	–	20.00	25.00	45.00
	27.	पिथापुरम	–	44.00	–	44.00
	28.	रायादुर्ग	–	45.00	–	45.00
	29.	पालकोल	–	–	75.00	75.00
	30.	पुनगनूर	–	–	24.00	24.00
	31.	गुंटाकल	–	–	104.00	104.00
	32.	साथेनापल्ली	–	–	45.00	45.00
	33.	येम्मीगनूर	–	–	70.75	70.75
	34.	तेडीपटरी	–	–	52.00	52.00
	35.	पेड्डापुरम	–	–	35.00	35.00
	36.	तंदूर	–	–	28.00	28.00
	37.	जागीतायल	–	–	26.25	26.25
	38.	भाइंसा	–	–	45.00	45.00
	39.	कुतुबुल्लापुर	–	–	105.00	105.00
	40.	कपरा	–	–	75.00	75.00
	41.	उप्पलकलां	–	–	75.00	75.00
		योग	608.04	623.62	1298.28	2529.94
अरुणाचल प्रदेश	42.	तेजू	–	25.00	–	25.00
	43.	सेप्पा	–	38.00	–	38.00
	44.	रोइंग	16.00	8.00	–	24.00

1	2	3	4	5	6	7
	45.	पासीघाट	–	–	24.00	24.00
	46.	खोंसा	–	–	24.00	24.00
	47.	देउमाली	–	–	24.00	24.00
	48.	यूपिया	–	–	24.00	24.00
	49.	जीरो	–	–	24.00	24.00
	50.	दापोरीजो	–	–	24.00	24.00
	51.	अलोंग	–	–	24.00	24.00
	52.	बसर	–	–	24.00	24.00
		योग	16.00	71.00	192.00	279.00
असम	53.	गोयलपारा	55.00	–	–	55.00
	54.	रंगिया	29.30	–	–	29.30
	55.	बारपेट	–	–	40.00	40.00
	56.	डिब्रूगढ़	105.00	–	–	105.00
	57.	होजई	45.00	–	–	45.00
	58.	विसवानाथ चराइली	24.00	–	–	24.00
	59.	गोसिंयागांव	–	24.00	–	24.00
	60.	सोनारी	–	24.00	–	24.00
	61.	गोहपुर	–	24.00	–	24.00
	62.	उदलगुरी	–	24.00	–	24.00
	63.	बिजनी	–	24.00	–	24.00
	64.	नार्थ गुवाहाटी	–	24.00	–	24.00
	65.	बिलासीपाड़ा	–	24.00	–	24.00
		योग	258.30	168.00	40.00	466.30
बिहार	66.	फोरबेसगंज	69.99	–	–	69.99
	67.	नरकटाईगंज	41.00	–	–	41.00
	68.	औरंगाबाद	45.00	–	–	45.00
	69.	भाभुआ	44.50	–	–	44.50
	70.	दरभंगा	–	90.00	–	90.00
	71.	मोतीपुर	–	–	24.00	24.00

1	2	3	4	5	6	7
	72.	कांती	–	–	23.50	23.50
	73.	बरह	–	–	39.00	39.00
	74.	जामुई	–	–	44.50	44.50
	75.	फतुआ	–	–	36.00	36.00
	76.	लालगंज	–	–	25.00	25.00
	77.	मोतीहारी	–	–	53.00	53.00
	78.	देहरी	–	–	70.00	70.00
		योग	200.49	90.00	317.00	607.49
छत्तीसगढ़	79.	बिकुंतपुर	22.20	–	–	22.20
	80.	दुर्ग	–	105.00	–	105.00
	81.	पेंडरा	–	24.00	–	24.00
	82.	दल्ली-राजहारा	–	61.00	–	61.00
	83.	आरंग	–	24.00	–	24.00
	84.	रतनपुर	–	24.00	–	24.00
	85.	कुम्हारी	–	–	45.00	45.00
	86.	महासमुन्द	–	–	45.00	45.00
	87.	अम्बिकापुर	–	–	72.82	72.82
	88.	कुरूड़	–	–	12.00	12.00
	89.	गंडल	–	–	12.00	12.00
	90.	बालोड	–	–	16.00	16.00
	91.	भाटापाड़ा	–	–	60.00	60.00
	92.	काथगोरा	16.00	8.00	–	24.00
	93.	धामतारी	50.00	25.00	75.00	150.00
	94.	कोरबा	70.00	35.00	–	105.00
		योग	158.20	306.00	337.82	802.02
गुजरात	95.	बारडोली	30.00	–	–	30.00
	96.	अम्बाजी	–	–	14.75	14.75
	97.	दाकोर	32.00	–	–	32.00

1	2	3	4	5	6	7
	98.	गांधीधाम	–	–	140.00	140.00
	99.	कापड़वंज	–	–	60.00	60.00
	100.	कोडीनार	33.00	–	–	33.00
	101.	वंकानेर	45.00	–	–	45.00
	102.	लिम्बडी	45.00	–	–	45.00
	103.	धनधुका	45.00	–	–	45.00
	104.	केड़ा	45.00	–	–	45.00
	105.	प्रानतिज	45.00	–	–	45.00
	106.	काडी	30.00	43.60	–	73.60
	107.	बागासारा	40.00	5.00	–	45.00
	108.	खम्बहालिया	40.00	5.00	–	45.00
	109.	मंसा	–	32.00	–	32.00
	110.	बलासीनोर	–	45.00	–	45.00
	111.	थानगध	–	45.00	–	45.00
	112.	वीजापुर	–	25.00	20.00	45.00
	113.	वाडनगर	–	–	45.00	45.00
	114.	जम्बूसर	–	–	45.00	45.00
	115.	खेरालू	–	–	24.00	24.00
	116.	गरयाधर	–	–	24.00	24.00
	117.	वापी	–	–	44.00	44.00
	118.	छोटा उदयपुर	–	–	24.00	24.00
	119.	शिनूर	–	–	45.00	45.00
	120.	हलोल	–	–	45.00	45.00
	121.	मंगरोल	–	–	25.00	25.00
	122.	जसदान	–	–	25.00	25.00
	123.	लूनावाड़ा	–	–	25.00	25.00
	124.	राजूला	–	–	25.00	25.00
	125.	धारी	–	–	25.00	25.00

1	2	3	4	5	6	7
	126.	गधादा	–	–	25.00	25.00
	127.	कालोल	–	–	10.00	10.00
	128.	जमजोधपुर	–	–	25.00	25.00
	129.	सलाया	–	–	15.00	15.00
	130.	थराड	–	–	15.00	15.00
	131.	तलाजा	–	–	15.00	15.00
	132.	देवगधबारिया	–	–	10.00	10.00
	133.	कुतियाना	–	–	15.00	15.00
	134.	खेडब्रम्हा	–	–	15.00	15.00
	135.	धर्मपुर	–	–	15.00	15.00
	136.	चनास्मा	–	–	15.00	15.00
	137.	तालोड	–	–	15.00	15.00
		योग	430.00	200.60	845.75	1476.35
हरियाणा	138.	यमुनानगर	–	62.58	–	62.58
	139.	पेहोवा	10.40	30.00	–	40.40
	140.	भिवानी	–	109.82	–	109.82
	141.	अम्बाला सिटी	–	131.14	–	131.14
	142.	सिरसा	70.00	35.00	–	105.00
	143.	हांसी	50.00	25.00	75.00	150.00
	144.	कुरूक्षेत्र	75.00	–	–	75.00
	145.	शाशबाद-मरकंडा ए	–	45.00	–	45.00
	146.	चीका	–	45.00	–	45.00
	147.	लालदुआ	–	–	24.00	24.00
	148.	इन्दरी	–	–	24.00	24.00
	149.	असान्थ	–	–	24.00	24.00
	150.	कैथल	–	–	75.00	75.00
	151.	साफीदोन	–	–	45.00	45.00
	152.	गोहाना	–	–	45.00	45.00

1	2	3	4	5	6	7
	153.	रोहतक	–	–	40.00	40.00
	154.	नरवाना	–	–	25.00	25.00
		योग	205.40	483.54	377.00	1065.94
हिमाचल प्रदेश	155.	रामपुर	16.00	–	–	16.00
	156.	धर्मशाला	32.50	–	–	32.50
	157.	सोलन	–	60.00	–	60.00
	158.	थेओंग	–	27.64	–	27.64
	159.	कुल्लू	–	32.00	–	32.00
	160.	नालागढ़	32.00	–	–	32.00
	161.	ज्वालामुखी	16.00	8.00	–	24.00
	162.	पोंटा साहिब	8.00	16.00	–	24.00
	163.	बिलासपुर	–	24.00	–	24.00
	164.	सुन्दर नगर	–	45.00	–	45.00
	165.	कोथखाई	–	24.00	–	24.00
	166.	बड्डी	–	24.00	–	24.00
	167.	मनाली	–	24.00	–	24.00
	168.	नारकंडा	–	–	14.00	14.00
	169.	नारपुर	–	–	14.00	14.00
		योग	104.50	284.64	28.00	417.14
जम्मू व कश्मीर	170.	जम्मू	145.00	–	–	145.00
	171.	अनन्तनाग	75.00	–	–	75.00
	172.	पुलवामा	–	44.40	–	44.40
	173.	उधमपुर	–	–	65.00	65.00
	174.	कटरा	–	–	20.00	20.00
	175.	रामनगर	–	–	20.00	20.00
	176.	राजौरी	–	–	38.00	38.00
	177.	बारामुला	–	–	70.00	70.00
	178.	कुंजर	–	–	20.00	20.00

1	2	3	4	5	6	7
	179.	कुलगाम	–	–	20.0	20.00
		योग	220.00	44.40	253.00	517.40
झारखण्ड	180.	हजारीबाग	–	75.00	–	75.00
		योग	–	75.00	–	75.00
कर्नाटक	181.	गजेन्द्रगढ़	60.00	–	–	60.00
	182.	कदूर	31.13	–	–	31.13
	183.	होलेनारसीर	29.50	–	–	29.50
	184.	चिंचोली	32.00	–	–	32.00
	185.	मुद्दाबिहाल	11.86	–	–	11.86
	186.	हरपनहल्ली	60.00	–	–	60.00
	187.	चेन्नागिरी	32.00	–	–	32.00
	188.	रोन	32.00	–	–	32.00
	189.	हस्सन	120.00	–	–	120.00
	190.	शिमोगा	–	73.73	–	73.73
	191.	होसकोटे	–	–	60.00	60.00
	192.	गुंडलूपेट	–	–	72.50	72.50
	193.	चामराजनगर	30.00	15.00	–	45.00
	194.	मुंडारगी	12.30	–	–	12.30
	195.	केरूर	22.90	–	–	22.90
	196.	हंगल	45.00	–	–	45.00
	197.	इन्दी	45.00	–	–	45.00
	198.	तुमकूर	50.00	55.00	–	105.00
	199.	कोन्नूर	–	24.00	–	24.00
	200.	खानपुर	–	19.00	–	19.00
	201.	यादगिरी	–	35.50	–	35.50
	202.	अराकलगुड	–	8.50	–	8.50
	203.	महालिंगापुर	–	38.00	–	38.00
	204.	मुनगंड	–	24.00	–	24.00

1	2	3	4	5	6	7
	205.	भालकी	–	43.70	–	43.70
	206.	चित्तागुप्पा	–	23.17	–	23.17
	207.	अनेकल	–	32.62	–	32.62
	208.	नेलमंगला	–	16.80	–	16.80
	209.	हरियाला	–	19.80	–	19.80
	210.	चन्नारयापट्टना	–	30.51	–	30.51
	211.	बंटवाला	–	25.98	–	25.98
	212.	अल्नाजर	–	24.00	–	24.00
	213.	अन्नीगेरी	–	45.00	–	45.00
	214.	होसादुर्ग	–	14.32	–	14.32
	215.	बेल्लारी	–	52.98	–	52.98
	216.	बगालकोटे	–	68.64	–	68.64
	217.	हुमनाबाद	–	10.00	–	10.00
	218.	कनाकापुरा	–	–	28.36	28.36
	219.	मुदाबिडरे	–	–	36.75	36.75
	220.	नारागुंडा	–	–	38.67	38.67
	221.	कुनीगल	–	–	25.25	25.25
	222.	तिपतूर	–	–	18.16	18.16
	223.	गुब्बी	–	–	16.32	16.32
	224.	रायबेग	–	–	24.00	24.00
	225.	गोकाक	–	–	52.00	52.00
	226.	तूरवूकेरे	–	–	17.16	17.16
	227.	कुडूची	–	–	24.00	24.00
	228.	मोलाकुलपुरू	–	–	17.28	17.28
	229.	बसवाना बगेवाडी	–	–	45.00	45.00
	230.	मुधोल	–	–	42.82	42.82
	231.	श्रंगेरी	–	–	24.00	24.00
	232.	सागरा	–	–	36.61	36.61

1	2	3	4	5	6	7
	233.	बेलूर	–	–	24.00	24.00
	234.	तरीकेरे	–	–	32.38	32.38
	235.	कोप्पा	–	–	13.99	13.99
	236.	चिक्काना याकनहाल्ली	–	–	28.80	28.80
	237.	सिरीगुप्पा	–	–	19.18	19.18
	238.	जोग कारगर	–	–	20.19	20.19
	239.	कमालपुर	–	–	24.00	24.00
	240.	रामदुर्ग	–	–	27.62	27.62
	241.	थिरथाहल्ली	–	–	17.70	17.70
	242.	सुलया	–	–	17.66	17.66
	243.	नरसिम्हाराजपुरा	–	–	17.84	17.84
	244.	तेक्कालकोट	–	–	20.40	20.40
	245.	मदाकेरी	–	–	34.08	34.08
	246.	सोराबा	–	–	13.02	13.02
		योग	613.69	700.25	889.92	2203.86
केरल	247.	नेदुमंगाद	60.00	–	–	60.00
	248.	पठानमथिट्टा	24.50	–	–	24.50
	249.	मूवट्टूपूझा	24.00	–	–	24.00
	250.	ओट्टापलम	–	60.00	–	60.00
	251.	कोथामंगलम	–	60.00	–	60.00
	252.	कुदंगल्लूर	15.00	7.50	–	22.50
	253.	इरंजालाकुडा	45.00	–	–	45.00
	254.	पाला	40.00	5.00	–	45.00
	255.	पुन्नानी	50.00	25.00	–	75.00
	256.	कुन्नमकुलम	–	24.00	–	24.00
	257.	अंगामलय	–	45.00	–	45.00
	258.	पेरूम्बवूर	–	45.00	–	45.00
	259.	वाइकोम	–	–	43.00	43.00

1	2	3	4	5	6	7
	260.	अट्टींगल	–	–	36.00	36.00
	261.	मावेलीक्कारा	–	–	35.00	35.00
	262.	कलामस्सरी	–	–	70.00	70.00
	263.	तिरूपुनीतूरा	–	–	60.00	60.00
	264.	थालीपाराम्बा	–	–	70.00	70.00
	265.	कोयीलंडी	–	–	70.00	70.00
		योग	258.50	271.50	384.00	914.00
मध्य प्रदेश	266.	बायोरा	30.00	–	–	30.00
	267.	बेरसिया	16.00	–	–	16.00
	268.	ठमारिया	60.00	–	–	60.00
	269.	आस्था	–	60.00	–	60.00
	270.	बड़वानी	45.00	–	–	45.00
	271.	जवाड़	24.00	–	–	24.00
	272.	राजपुर	24.00	–	–	24.00
	273.	चौराई	24.00	–	–	24.00
	274.	गरहाकोटा	45.00	–	–	45.00
	275.	सिद्धी	40.00	5.00	–	45.00
	276.	रायसेन	45.00	–	–	45.00
	277.	चुरहट	24.00	–	–	24.00
	278.	लहर	24.00	–	–	24.00
	279.	हत्ता	45.00	–	–	45.00
	280.	अकोदिया	–	24.00	–	24.00
	281.	जीरापुर	–	24.00	–	24.00
	282.	मंगावान	–	22.92	–	22.92
	283.	बीरसिंहपुर	–	24.00	–	24.00
	284.	खिलचीपुर	–	24.00	–	24.00
	285.	तेंदुखेड़ा	–	24.00	–	24.00
	286.	रामपुर-नईकिन	–	24.00	–	24.00

1	2	3	4	5	6	7
	287.	मनसा	–	24.00	–	24.00
	288.	शाजापुर	–	45.00	–	45.00
	289.	रामपुर-बागेलेन	–	24.00	–	24.00
	290.	शिवपुरी	–	86.95	–	86.95
	291.	शुजलपुर	–	45.00	–	45.00
	292.	आरोन	–	24.00	–	24.00
	293.	राघोगढ़	–	45.00	–	45.00
	294.	भींड	–	91.25	–	91.25
	295.	मचलपुर	–	24.00	–	24.00
	296.	अमरवाड़ा	–	24.00	–	24.00
	297.	खुजनेर	–	24.00	–	24.00
	298.	गोविंदगढ़	–	24.00	–	24.00
	299.	आगार	–	–	45.00	45.00
	300.	चकघाट	–	–	24.00	24.00
	301.	करेरा	–	–	16.50	16.50
	302.	बैंकुंठपुर	–	–	24.00	24.00
	303.	सांवड़	–	–	24.00	24.00
	304.	चंदेरी	–	–	10.00	10.00
	305.	आकोदा	–	–	10.25	10.25
	306.	करेली	–	–	15.00	15.00
	307.	कतांगी	–	–	18.00	18.00
	308.	सिरोंजी	–	–	45.00	45.00
	309.	वारा-स्योनी	–	–	35.00	35.00
	310.	उदयपुर	–	–	20.00	20.00
	311.	समारिया	–	–	23.50	23.50
	312.	बड़ागांव (टिकमगढ़)	–	–	24.00	24.00
	313.	कानड	–	–	21.00	21.00
	314.	बड़ागांव (शाजापुर)	–	–	21.00	21.00

1	2	3	4	5	6	7
	315.	सुसनेर	–	–	21.00	21.00
	316.	बड़ा मलाहरा	–	–	21.00	21.00
	317.	अमनगंज	–	–	21.00	21.00
	318.	कोठी	–	–	21.00	21.00
	319.	शाहपुर	–	–	21.00	21.00
	320.	पृथ्वीपुर	–	–	21.00	21.00
	321.	जुनारदेव	–	–	45.00	45.00
	322.	बरही	–	–	21.00	21.00
		योग	446.00	713.12	568.25	1727.37
महाराष्ट्र	323.	अमरावती	90.00	–	–	90.00
	324.	नावपुर	30.00	–	–	30.00
	325.	गंगाखेड़	50.60	–	–	50.60
	326.	सिल्लोड	60.00	–	–	60.00
	327.	रोहा	32.00	–	–	32.00
	328.	कोल्हापुर	180.00	–	–	180.00
	329.	जिंतूर	60.00	–	–	60.00
	330.	देसाइगंज	16.00	–	–	16.00
	331.	अकोला	135.00	–	–	135.00
	332.	खेड़	–	24.00	–	24.00
	333.	राजापुर	–	24.00	–	24.00
	334.	जावहर	–	24.00	–	24.00
	335.	लातूर	–	75.00	–	75.00
	336.	तुमसार	–	23.00	–	23.00
	337.	वानी	–	24.50	–	24.50
	338.	जलगांव	–	55.00	–	55.00
	339.	धुले	–	55.00	–	55.00
	340.	सांगली-मिर्जा-कुपवाड़	–	80.00	–	80.00

1	2	3	4	5	6	7
	341.	श्रीरामपुर	–	32.50	–	32.50
	342.	शीरपुर-वारवाड़े	–	25.00	–	25.00
	343.	गाधींगलज	–	22.00	–	22.00
	344.	उदगिर	–	75.00	–	75.00
	345.	नांदेड़-वाघला	–	112.00	–	112.00
	346.	चन्द्रपुर	–	82.00	–	82.00
	347.	इस्लामपुर	–	45.00	–	45.00
	348.	परबनी	–	105.00	–	105.00
	349.	बीड़	–	80.25	–	80.25
	350.	शिरडी	–	15.00	–	15.00
	351.	शेगांव	–	15.00	3.00	18.00
	352.	अहमदनगर	–	15.00	39.00	54.00
	353.	खेमगांव	–	15.00	39.00	54.00
	354.	पंढरपुर	–	15.00	10.00	25.00
	355.	गढ़चिरोली	–	–	25.00	25.00
	356.	यावतमल	–	–	105.00	105.00
	357.	रतनागिरी	–	–	75.00	75.00
	358.	पालड़ीवैजनाथ	–	–	75.00	75.00
	359.	अम्बाजोगाई	–	–	75.00	75.00
	360.	भंडारा	–	–	75.00	75.00
	361.	जालन	–	–	20.00	20.00
	362.	करांजीया	–	–	45.00	45.00
	363.	चोपड़ा	–	–	22.00	22.00
	364.	बारशी	–	–	75.00	75.00
	365.	हिंगोली	–	–	57.00	57.00
	366.	ओसमानाबाद	–	–	75.00	75.00
	367.	चिपलुन	–	–	19.00	19.00
		योग	653.60	1038.25	834.00	2525.85

1	2	3	4	5	6	7
मणिपुर	368.	मोईरंग	24.00	–	–	24.00
	369.	कुम्बी	24.00	–	–	24.00
	370.	सुगनु	–	21.00	–	21.00
	371.	काकचिंग-खौनु	–	18.00	–	18.00
	372.	क्वेटा	–	24.00	–	24.00
	373.	वागनोई	–	24.00	–	24.00
	374.	सामुराठ	–	24.00	–	24.00
	375.	ओइनम	–	24.00	–	24.00
	376.	आन्द्रो	–	24.00	–	24.00
	377.	सिखोंग-सेकमई	–	24.00	–	24.00
	378.	हीरोक	–	24.00	–	24.00
		योग	48.00	207.00	–	255.00
मेघालय	379.	शिलांग	–	123.60	–	123.60
		योग	–	123.60	–	123.60
मिजोरम	380.	चम्फाई	60.00	–	–	60.00
	381.	नाथिल	32.00	–	–	32.00
	382.	सैहा	32.00	–	–	32.00
	383.	लेंगपुई	24.00	–	–	24.00
	384.	ममीता	–	24.00	–	24.00
		योग	148.00	24.00	–	172.00
नागालैंड	385.	फेक	–	16.00	–	16.00
	386.	दिमापुर	–	–	100.00	100.00
	387.	किफिरी	–	–	30.00	30.00
	388.	कोहीमा	–	–	33.00	33.00
		योग	–	16.00	163.00	179.00
उड़ीसा	389.	नीलगिरी	32.00	–	–	32.00

1	2	3	4	5	6	7
	390.	अठामलिक	16.0	–	–	16.00
	391.	बानकी	–	–	32.00	32.00
	392.	करंजीया	16.00	8.00	–	24.00
	393.	केसींगा	24.00	–	–	24.00
	394.	बालुगांव	24.00	–	–	24.00
	395.	राजगंजपुर	45.00	–	–	45.00
	396.	चिकीती	24.00	–	–	24.00
	397.	तालचेर	40.00	5.00	–	45.00
	398.	गुनुपुर	24.00	–	–	24.00
	399.	रायरंगपुर	24.00	–	–	24.00
	400.	सोनेपुर	–	24.00	–	24.00
	401.	नयागढ़	–	24.00	–	24.00
	402.	खुर्दा	–	44.68	–	44.68
	403.	हिंजलीकट	–	24.00	–	24.00
	404.	बौद्ध	–	24.00	–	24.00
	405.	उडाला (टी)	–	22.84	–	22.84
	406.	कटक	–	–	106.00	106.00
		योग	269.00	176.52	138.00	583.52
पंजाब	407.	आनन्दपुर साहिब	–	14.24	–	14.24
	408.	फतेहगढ़ साहिब	34.00	–	–	34.00
	409.	पट्टी	–	76.00	–	76.00
	410.	मुक्तसर	100.00	–	–	100.00
	411.	सुलतानपुर लादी	–	–	32.00	32.00
	412.	कपूरथला	–	–	94.70	94.70
	413.	गढशंकर	16.00	8.00	–	24.00
	414.	रूड़ुत्दड्ड-मंडी	–	24.00	–	24.00
	415.	सार्दूलगढ़	–	24.00	–	24.00

1	2	3	4	5	6	7
	416.	समाना	–	–	30.72	30.72
	417.	सुजानपुर	–	–	20.00	20.00
		योग	150.00	146.24	177.42	473.66
राजस्थान	418.	नोखा	30.00	–	–	30.00
	419.	शाहपुर	33.00	–	–	33.00
	420.	जैसलमेर-1	32.50	–	–	32.50
	421.	उदयपुर	5.00	–	–	5.00
	422.	बीकानेर	141.00	–	–	141.00
	423.	सालुम्बेर	–	21.80	–	21.80
	424.	देशनोक	32.00	–	–	32.00
	425.	हनुमानगढ़	–	100.00	–	100.00
	426.	बालोतरा	–	–	60.00	60.00
	427.	नथवाड़ा	45.00	–	–	45.00
	428.	भींडर	24.00	–	–	24.00
	429.	सूरतगढ़	45.00	–	–	45.00
	430.	रावतभाटा	–	45.00	–	45.00
	431.	टोंक	–	45.00	–	45.00
	432.	पोखरन	–	24.00	–	24.00
	433.	अमेठ	–	24.00	–	24.00
	434.	भीलवाड़ा	–	22.99	82.01	105.00
	435.	अनुपगढ़	–	–	45.00	45.00
	436.	फालोदी	–	–	45.00	45.00
	437.	सादलशहर	–	–	24.00	24.00
	438.	सुजानगढ़	–	–	75.00	75.00
	439.	संगारिया	–	–	45.00	45.00
	440.	पीलबिंगा	–	–	45.00	45.00
		योग	387.50	282.79	421.01	1091.30

1	2	3	4	5	6	7
सिक्किम	441.	सिंगताम	36.00	–	–	36.00
	442.	रांगलीबाजार	24.00	–	–	24.00
		योग	60.00	–	–	60.00
तमिलनाडु	443.	सुरमपट्टी	26.04	–	–	26.04
	444.	ओडानचतरम	9.92	–	–	9.92
	445.	डीनडीगल	–	140.00	–	140.00
	446.	वैल्लोर	–	–	54.00	54.00
	447.	विलाठीकुलम	–	31.52	–	31.52
	448.	चेनगम	–	–	30.66	30.66
	449.	पेरीयाकुलम	30.00	15.00	–	45.00
	450.	थंजावुर	105.00	–	–	105.00
	451.	राजापलायम	105.00	–	105.00	210.00
	452.	पालाथुर	21.00	–	21.66	42.66
	453.	शिवकासी	64.00	–	–	64.00
	454.	उलंदुरपेट	24.00	24.00	–	48.00
	455.	गुडालुर	45.00	45.00	–	90.00
	456.	थोंडी	24.00	–	24.00	48.00
	457.	आर एस मंगलम	24.00	24.00	–	48.00
	458.	चिन्नासलेम	24.00	24.00	–	48.00
	459.	कल्लककाडु	35.97	4.00	39.90	79.87
	460.	तिरूपुर	–	105.00	–	105.00
	461.	ओरथांडु	–	24.00	24.00	48.00
	462.	पुडुवालयाल	–	16.00	16.02	32.02
	463.	इरोडी	–	88.57	–	88.57
	464.	अलामपलायम	–	24.00	–	24.00
	465.	पटूकोट्टाई	–	58.92	–	58.92
	466.	पटूकोट्टाई	–	31.75	–	31.75
	467.	लालगुड़ी	–	24.00	–	24.00

1	2	3	4	5	6	7
	468.	अन्नूर	–	24.00	24.00	48.00
	469.	मुसिरी	–	44.99	44.99	89.98
	470.	थिरूक्कट्टूपल्ली	–	16.56	–	16.56
	471.	तरूनवेली	–	72.90	–	72.90
	472.	जलगंडापुरम	–	18.28	–	18.28
	473.	कालिदाकुरीची	–	–	38.90	38.90
	474.	सिंगमपुनारी	–	–	23.79	23.79
	475.	करियापट्टी	–	–	20.09	20.09
	476.	कोर्टालम	–	–	22.75	22.75
	477.	अम्बासामुदरम	–	–	8.64	8.64
	478.	नागेरकायल	–	–	105.00	105.00
	479.	इदानगानासल्लाई	–	–	43.71	43.71
	480.	विरुद्ध नगर	–	–	71.30	71.30
	481.	अरांथांगी	–	–	14.80	14.80
	482.	थुथुकडी	–	–	13.02	13.02
	483.	ओमालुर	–	–	13.00	13.00
	484.	कंगायम	–	–	7.27	7.27
	485.	चेराम महादेवी	–	–	10.00	10.00
	486.	ठड्नगुड़ी	–	–	10.00	10.00
	487.	कृष्णागिरी	–	–	40.00	40.00
	488.	थिंगलनगर	–	–	10.00	10.00
	489.	नारायणमपुरम	–	–	10.00	10.00
	490.	भवानी	–	–	5.00	5.00
		योग	537.93	856.49	851.50	2245.92
त्रिपुरा	491.	कुमारघाट	30.00	–	–	30.00
	492.	सोनामुरा	16.00	–	–	16.00
	493.	कमलपुर	16.00	–	–	16.00

1	2	3	4	5	6	7
	494.	तेलियामुरा	51.00	–	–	51.00
	495.	सबरूम	–	13.60	–	13.60
	496.	रानीरबाजार	–	32.00	–	32.00
	497.	अगरतला	–	–	88.12	88.12
		योग	113.00	45.60	88.12	246.72
उत्तरांचल	498.	देहरादून	105.00	–	–	105.00
	499.	हल्वानी–काठगोदाम	95.00	–	–	95.00
	500.	पिथौरागढ़	40.00	–	–	40.00
	501.	कोटद्वार	–	–	38.00	38.00
	502.	उत्तरकाशी	–	–	24.00	24.00
	503.	श्रीनगर	–	–	24.00	24.00
		योग	240.00	–	86.00	326.00
उत्तर प्रदेश	504.	दादरी	33.74	–	–	33.74
	505.	माधर	15.74	–	–	15.74
	506.	फाफुड	32.00	–	–	32.00
	507.	पलिया कलां	37.40	–	–	37.40
	508.	मलिहाबाद	25.53	–	–	25.53
	509.	सहारनपुर	82.96	–	–	82.96
	510.	फैजाबाद	41.58	–	–	41.58
	511.	अयोध्या	60.00	–	–	60.00
	512.	कुशीनगर	–	–	32.00	32.00
	513.	नानौता	–	–	22.65	22.65
	514.	नवाबगंज	–	–	32.00	32.00
	515.	जलालाबाद	–	–	16.67	16.67
	516.	केमारी	–	–	32.00	32.00
	517.	हरिहरपुर	–	–	19.92	19.92
	518.	नियोतानी	–	–	27.18	27.18

1	2	3	4	5	6	7
	519.	हराइया	12.00	6.00	–	18.00
	520.	अमेठी	24.00	–	–	24.00
	521.	कथौली	41.20	–	–	41.20
	522.	सरधाना	36.90	–	–	36.90
	523.	खेकड़ा	29.10	–	–	29.10
	524.	बाबरपुर-अजीतमल	24.00	–	–	24.00
	525.	ओइल-डाकवा	24.00	–	–	24.00
	526.	गोहंड	19.00	–	–	19.00
	527.	मिलक	24.00	–	–	24.00
	528.	हंदिया	24.00	–	–	24.00
	529.	झिंझाना	22.30	–	–	22.30
	530.	झांसी	135.00	–	–	135.00
	531.	मथुरा	93.70	–	–	93.70
	532.	बंसगांव	24.00	–	–	24.00
	533.	बनात	24.00	–	–	24.00
	534.	दोस्तपुर	19.00	–	–	19.00
	535.	निवारी	19.00	–	–	19.00
	536.	तिलहर	20.00	–	–	20.00
	537.	देवबंध	66.10	8.90	–	75.00
	538.	गंगोह	–	25.00	–	25.00
	539.	अगरवाल तातीरी	–	24.00	–	24.00
	540.	रानीपुर	–	24.00	–	24.00
	541.	नागराम	–	24.00	–	24.00
	542.	महमोदाबाद	–	18.00	–	18.00
	543.	मऊ	–	80.00	–	80.00
	544.	कासगंज	–	72.50	–	72.50
	545.	गढ़मुक्तेश्वर	–	45.00	–	45.00

1	2	3	4	5	6	7
	546.	करनवाल	–	24.00	–	24.00
	547.	पिलखुआ	–	30.44	–	30.44
	548.	मवाना	–	12.50	–	12.50
	549.	सदाबाद	–	40.00	–	40.00
	550.	घिरोड़	–	24.00	–	24.00
	551.	चरथावल	–	23.00	–	23.00
	552.	मुगलसराय	–	60.00	–	60.00
	553.	मोदीनगर	–	19.00	–	19.00
	554.	मिर्जापुर	–	26.00	–	26.00
	555.	मंझानपुर	–	24.00	–	24.00
	556.	बलरामपुर	–	45.00	–	45.00
	557.	बस्ती	–	15.00	–	15.00
	558.	प्रतापगढ़	–	75.00	–	75.00
	559.	निछलौल	–	24.00	–	24.00
	560.	हैदरगढ़	–	24.00	–	24.00
	561.	बिसवान	–	23.00	–	23.00
	562.	अमेठी	–	12.00	12.00	24.00
	563.	हरदोई	–	–	90.00	90.00
	564.	महमूदाबाद	–	–	32.00	32.00
	565.	झिंझक	–	–	23.50	23.50
	566.	सिकंदरा	–	–	23.50	23.50
	567.	सयैदपुर	–	–	14.00	14.00
	568.	बिथूर	–	–	24.00	24.00
	569.	साकीत	–	–	24.00	24.00
	570.	अलीगढ़	–	–	135.00	135.00
	571.	वृंदावन	–	–	43.30	43.30
	572.	सिसवाबाजार	–	–	13.70	13.70

1	2	3	4	5	6	7
	573.	हरीच	–	–	24.00	24.00
	574.	खुर्जा	–	–	68.35	68.35
	575.	ककराला	–	–	29.57	29.57
	576.	मेहरोनी	–	–	24.00	24.00
	577.	बहेरी	–	–	40.72	40.72
	578.	मुबारकपुर	–	–	23.50	23.50
	579.	सिंघाई	–	–	24.00	24.00
	580.	घातमपुर	–	–	44.75	44.75
	581.	बिहोरा	–	–	23.28	23.28
	582.	रसरा	–	–	29.45	29.45
	583.	बुद्धाना	–	–	22.23	22.23
	584.	सिसौली	–	–	14.10	14.10
	585.	बेवार	–	–	10.64	10.64
	586.	नवाबगंज	–	–	16.35	16.35
	587.	म्योराजपुर	–	–	24.00	24.00
	588.	मुरासान	–	–	13.43	13.43
		योग	1010.25	828.34	1049.79	2888.38
पश्चिम बंगाल	589.	सैनथिया	42.00	–	–	42.00
	590.	दिनहाता	16.50	–	–	16.50
	591.	बदुरिया	14.00	–	–	14.00
	592.	धुलियां	35.00	–	–	35.00
	593.	जीयानगर	–	–	59.85	59.85
	594.	दुबराजपुर	58.50	–	–	58.50
	595.	दैनहाट	–	30.00	–	30.00
	596.	टाकी	67.00	–	–	67.00
	597.	इगरा	–	51.00	–	51.00
	598.	दुर्गापुर	–	–	202.00	202.00

1	2	3	4	5	6	7
	599.	रामजीबनपुर	–	–	32.00	32.00
	600.	खरार	–	–	27.09	27.09
	601.	खिरपाई	–	–	34.00	34.00
	602.	ताहेरपुर	13.50	7.00	–	20.50
	603.	बेलदंगा	15.00	–	–	15.00
	604.	जमुरिया	79.00	–	–	79.00
	605.	जीयागंज-अजीमगंज	32.00	–	–	32.00
	606.	कूपर' स कैम्प	22.00	–	–	22.00
	607.	नलहाती	40.00	–	–	40.00
	608.	दार्जलिंग	–	50.00	–	50.00
	609.	रायगंज	–	65.00	–	65.00
	610.	जलपाईगुड़ी	–	50.00	–	50.00
	611.	बेलुरघाट	–	70.00	–	70.00
	612.	पुरूलिया	–	50.00	–	50.00
	613.	कलना	–	25.00	23.50	48.50
	614.	कटवा	–	50.00	–	50.00
	615.	हल्दिया	–	83.00	–	83.00
	616.	बहरामपुर	–	105.00	–	105.00
	617.	सिलिगुड़ी	–	130.50	–	130.50
	618.	हबरा	–	–	84.00	84.00
	619.	इंगलिशबाजार	–	–	88.50	88.50
	620.	ताराकेश्वर	–	–	45.00	45.00
	621.	धुपगुड़ी	–	–	45.00	45.00
	622.	कूचबिहार	–	–	75.00	75.00
	623.	बसीरहाट	–	–	85.00	85.00
	624.	मिदनापोर	–	–	95.40	95.40
		योग	434.50	766.50	896.34	2097.34
पांडिचेरी	625.	पांडिचेरी	–	–	36.00	36.00
		योग	–	–	36.00	36.00
		सकल योग	7570.90	8543.00	10272.20	26386.10

विवरण III

आई.डी.एस.एम.टी. योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त कस्बों से सूचित व्यय का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	सूचित व्यय			
		2001-2002	2002-2003	2003-2004	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	320.71	268.70	913.80	1503.21
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	65.00	21.87	86.87
3.	असम	24.09	33.75	12.36	70.20
4.	बिहार	25.14	0.00	0.00	25.14
5.	छत्तीसगढ़	0.00	399.08	111.20	510.28
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	33.62	346.98	622.01	1002.61
8.	हरियाणा	0.00	241.48	891.39	1132.87
9.	हिमाचल प्रदेश	89.54	147.89	72.07	309.50
10.	जम्मू व कश्मीर	46.00	0.00	44.40	90.40
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	44.63	5.89	480.71	531.23
13.	केरल	1.51	90.24	78.73	170.48
14.	मध्य प्रदेश	0.00	38.10	173.33	211.43
15.	महाराष्ट्र	552.49	309.53	1542.83	2404.85
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	20.64	82.23	0.00	102.87
18.	मिजोरम	86.00	170.00	0.00	256.00
19.	नागालैंड	30.25	88.75	124.56	243.56
20.	उड़ीसा	22.31	30.38	79.78	132.47
21.	पंजाब	87.97	187.47	53.29	328.73
22.	राजस्थान	144.32	101.42	422.54	668.28
23.	सिक्किम	55.57	0.00	0.00	55.57

1	2	3	4	5	6
24.	तमिलनाडु	99.40	252.32	2369.22	2220.94
25.	त्रिपुरा	51.90	114.42	86.86	253.18
26.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	187.47	82.52	439.64	710.63
28.	पश्चिम बंगाल	221.26	261.22	672.61	1155.09
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	सकल योग	2145.82	3317.37	9213.20	14676.39

विवरण IV

चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान (जून, 2004 तक) आई.डी.एस.एम.टी. योजना के तहत शामिल कस्बों के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

राज्य	वर्ष	क्र.सं.	कस्बा
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	2002-2003	1.	मंछेरियल
		2.	नर्सापुर
		3.	बेलामपल्ली
		4.	सामलकोट
		5.	सल्लूर
		6.	पीथापुरम
		7.	रायदुर्ग
	2003-2004	8.	पालकोल
		9.	पुंगानूर
		10.	गुंतकल
		11.	संथेनपल्ली
		12.	यमीगानूर
		13.	तडीपतरी
		14.	पेदापुरम
		15.	तंदूर
		16.	जगीतल
		17.	भाइंसा
		18.	कुतुबलापुर
		19.	कापरा
		20.	ठपलकलान
	2004-2005	21.	निर्मल
		22.	मंगलागिरी
अरुणाचल प्रदेश	2003-2004	23.	पासीघाट
		24.	खोनसा

1	2	3	4
		25.	दियोमाली
		26.	यूपिया
		27.	जिरो
		28.	दपोरिजो
		29.	अलोंग
		30.	बसर
असम	2002-2003	31.	गुसाईगंज
		32.	सौनारी
		33.	घौपुर
		34.	उदालगूरी
		35.	बिजनी
		36.	नार्थ-गौहाटी
		37.	बिलासीपारा
	2004-2005	38.	घेरगांव
		39.	गोलाघाट
		40.	नाजिरा
		41.	डिपुहू
		42.	जोहराट
		43.	अमगुरी
		44.	मारघेरीटा
		45.	तिहू
		46.	बिहूपुरिया
		47.	पाठशाला
		48.	लाखीपुर
बिहार	2002-2003	49.	दरभंगा
	2003-2004	50.	मोतीपुर
		51.	कान्ती
		52.	बारह
		53.	जामुई
		54.	फतुहा
		55.	लालगंज
		56.	मोतीहारी
		57.	देहरी
छत्तीसगढ़	2002-2003	58.	दुर्ग
		59.	पेन्द्रा
		60.	दल्ली-राजहारा
		61.	अरांग
		62.	रतनपुर
	2003-2004	63.	कुम्हारी
		64.	मेहसामुंद
		65.	अम्बीकापुर
		66.	कुर्द
		67.	गंदल
गुजरात	2002-2003	68.	मनसा
		69.	बलासीनूर
		70.	थंगढ़
		71.	वीजापुर
	2003-2004	72.	वदनागर
		73.	जम्बूसार
		74.	खेरालू
		75.	गरलयाधार
		76.	वापी
		77.	छोटा उदयपुर
		78.	शिनूर
		79.	हलोल
		80.	मंगरोल

1	2	3	4
		81.	जसदान
		82.	लुनावदा
		83.	रजुला
गुजरात	2003-2004	84.	धारी
		85.	गदाडा
		86.	कालोजल
		87.	जंजोधपुर
		88.	सलाया
		89.	थारड
		90.	तालजा
		91.	देवागधबरिया
		92.	कुतियाना
		93.	खेदब्रहमा
		94.	धर्मपुर
		95.	चनसमा
		96.	तलोड
हरियाणा	2002-2003	97.	शाहबाद-मारकंडा
		98.	चीका
	2003-2004	99.	लालदुआ
		100.	इन्दरी
		101.	असंत
		102.	कैथल
		103.	साफीदून
		104.	गुहाना
		105.	रोहतक
		106.	नारवाना
हिमाचल प्रदेश	2002-2003	107.	बिलासपुर
		108.	सुन्दरनगर
		109.	कोटखाई
		110.	बद्दी
		111.	मनाली
	2003-2004	112.	नारकंडा
		113.	नारपुर
जम्मू और कश्मीर	2002-2003	114.	पुलवामा
	2003-2004	115.	उद्यमपुर
		116.	कटरा
		117.	रामनगर
		118.	राजोरी
		119.	बारामूला
		120.	कुंजार
		121.	कुलगांव
झारखंड	2002-2003	122.	हजारीबाग
		123.	कुन्नूर
		124.	खानपुर
		125.	यादगिरी
		126.	आरकलगुड
		127.	महालिंगापुर
कर्नाटक	2002-2003	128.	मुलगुंड
		129.	भालकी
		130.	चितागुप्पा
		131.	अनेकल
		132.	निलमंगला
		133.	हलीहाला
		134.	चन्नारायपटना
		135.	बंटवाला
		136.	अलनावार

1	2	3	4
		137.	अन्नीगिरी
		138.	होसादुर्गा
		139.	बिल्लारी
		140.	बेगालकोट
		141.	हुमनाबाद
	2003-2004	142.	कनाकपूरा
		143.	मुदाबिदरे
		144.	नारगुन्डा
		145.	कुनिगल
		146.	टिपतूर
		147.	गुब्बी
		148.	राईबाग
		149.	गोकक
		150.	तूरूवूखेरे
		151.	कुडूची
		152.	मोलाकलमूरू
		153.	बसावना-बाधेवाडी
		154.	मुधोल
		155.	सिंधेरी
		156.	सागरा
		157.	बेल्लूर
		158.	तारीखेर
		159.	कोप्पा
		160.	चिकन्या-कन्याहाली
		161.	सिरूगुप्पा
		162.	जोगकारगल
		163.	कमलापुर
		164.	रामदुर्गा
		165.	थीरथाहल्ली
		166.	सलया
		167.	नरसिम्माराजपुरा
		168.	टेक्कलाकोटे
		169.	मादाकेरी
		170.	सोराबा
केरल	2002-2003	171.	कुन्नामकुलम
		172.	अंगमाले
		173.	पेरूमबवऊर
	2003-2004	174.	वयकोम
		175.	अट्टींगल
		176.	मावेलीकक्कारा
		177.	कमलाअसेरी
		178.	त्रिरीपूनितूरा
		179.	थालिपाराम्बा
		180.	कोयीलानडे
मध्य प्रदेश	2002-2003	181.	अकोडिया
		182.	जीरापुर
		183.	मनगावन
		184.	बिरसिंघापुर
		185.	खिलछीपुर
		186.	टेन्डुखेडा
		187.	रामपुर-नाईकिन
		188.	मनसा
		189.	शाहजापुर
		190.	रामपुर-बघैल्लन
		191.	शिवपुरी
		192.	शिजालपुर

1	2	3	4
		193.	आरान
		194.	राघोगढ़
		195.	भिन्ड
		196.	मछलपुर
		197.	अमरवाडा
		198.	खुन्जनीर
		199.	गोविन्दगढ़
	2003-2004	200.	आगार
		201.	छाकघाट
		202.	करेरा
		203.	बैकुंठपुर
		204.	संवेयर
		205.	चांडेरी
		206.	अकोडा
		207.	कारेली
		208.	कतंगी
		209.	सिरोंजी
		210.	वारा-सेओनी
		211.	उदयपुर
		212.	सामरिया
		213.	बडागांव (टिकमगढ़)
		214.	कनद
		215.	बडागांव (शाजापुर)
मध्य प्रदेश	2003-2004	216.	ससनेर
		217.	बडा मालाहरा
		218.	अमानगंग
		219.	कोथी
		220.	शाहपुर
		221.	पृथ्वीपुर
		222.	जुन्नारदेव
		223.	बारही
महाराष्ट्र	2002-2003	224.	खेद
		225.	राजापुर
		226.	जवाहर
		227.	लातूर
		228.	तुमसर
		229.	वानी
		230.	जलगांव
		231.	घूले
		232.	संगली-मिराज-कूपवाड़ा
		233.	श्रीरामपुर
		234.	सिरपुर-वारवाडे
		235.	गांधीनगलज
		236.	उदगिर
		237.	नंदेड-वाघाला
		238.	चन्दरापुर
		239.	इस्लामपुर
		240.	पारबानी
		241.	बीड
		242.	श्रीरडी
		243.	शेगांव
		244.	अहमदनगर
		245.	खेमगांव
		246.	पंधारपुर

1	2	3	4
	2003-2004	247.	गादचिरोली
		248.	यावतमल
		249.	रतनगिरी
		250.	पारलीवेजनाथ
		251.	अम्बाजोगई
		252.	भान्डारा
		253.	जालना
		254.	कनरंजया
		255.	चोपड़ा
		256.	वर्शी
		257.	हिंगोली
		258.	उस्मानाबाद
		259.	चिपलून
मणिपुर	2002-03	260.	सुगनु
		261.	कचिंग-खोनू
		262.	क्वाटा
		263.	वगनोई
		264.	समरोई
		265.	ओनम
		266.	अन्द्रो
		267.	सिखोंग-सेखमई
		268.	हेरोक
मिजोरम		269.	ममित
नागालैंड	2003-04	270.	कोहिमा
उड़ीसा	2002-03	271.	सोनेपुर
		272.	नयागढ़
		273.	खुर्दा
		274.	हींजलीकट
		275.	बौध
		276.	उडाला (टी)
	2003-04	277.	कटक
	2004-05	278.	बारबील
		279.	मलकानगिरि
		280.	खरीर
		281.	खरीर-रोड
पंजाब	2002-03	282.	रमन-मंडी
		283.	सरदुलगढ़
	2003-04	284.	सामना
		285.	सुजानपुर
राजस्थान	2002-03	286.	रावतभाटा
		287.	टोंक
		288.	पोखरन
		289.	अमेठ
		290.	भीलवाड़ा
	2003-04	291.	अनुपगढ़
		292.	पल्दोई
		293.	सदुलशहर
		294.	सुजानगढ़
		295.	संगारिया
		296.	पीलीबंगा
	2004-05	297.	रावतसर
		298.	भद्रा
		299.	मंडलगढ़
		300.	केशोरापाटा
		301.	बारी-सदारी
		302.	नोहर

1	2	3	4
		303.	किशनगढ़
तमिलनाडु	2002-03	304.	तिरूपुर
		305.	ओराथनंडु
		306.	पुडुवलयाल
		307.	इरोड
		308.	आलमपलयम
		309.	पुडुकोट्टय
		310.	पुट्टकोट्टई
		311.	लालगुडी
		312.	अनुर
		313.	मुसरी
		314.	थिरूक्काट्टुपल्लई
		315.	तिरूनवेली
		316.	जलगंदपुरम
	2003-04	317.	कल्लीडकुरिची
		318.	सिंगामपुनरी
		319.	करियापट्टी
		320.	कोटलम
		321.	अम्बासामुदरम
		322.	नागेरकोयर
		323.	इडानगानासलाई
		324.	विरूध नगर
		325.	अरंथांगी
		326.	थुथूकुडी
		327.	ओमालूर
		328.	कंगयाम
		329.	चेराम्माहादेवी
		330.	उड़नगुडी
		331.	कृष्णागिरी
		332.	थिंगालनगर
		333.	नाराण्नाम्मालपुरम
		334.	भवानी
त्रिपुरा		335.	अगरतला
उत्तरांचल		336.	कोटद्वार
		337.	उत्तरकाशी
		338.	श्रीनगर
उत्तर प्रदेश	2002-03	339.	गंगोह
		340.	अग्रवाल तातीरी
		341.	रानीपुर
		342.	नगरम
		343.	महमुदाबाद
		344.	मऊ
		345.	कासगंज
		346.	गढ़मुक्तेश्वर
		347.	करनावल
		348.	पिलखवा
		349.	मवाना
		350.	सदाबाद
		351.	धीरोर
		352.	छतरावल
		353.	मुगलसराय
		354.	मोदीनगर
		355.	मिर्जापुर
		356.	मंझानपुर
		357.	बलरामपुर
		358.	बस्ती

1	2	3	4
		359.	प्रतापगढ़
		360.	निचलौल
		361.	हैदरगढ़
		362.	बिसवान
		363.	अमेठी
	2003-04	364.	हरदोई
		365.	मेहबूदाबाद
		366.	झींझक
		367.	सिकंद्रा
		368.	सैदपुर
		369.	बिथुर
		370.	सकित
		371.	अलीगढ़
		372.	वृन्दावन
		373.	सिस्वा बाजार
		374.	इरीच
		375.	खुर्जा
		376.	ककराला
		377.	मेरोनी
		378.	बहेरी
		379.	मुबारकपुर
		380.	सिंघई
		381.	घाटमपुर
		382.	बिहौर
		383.	रासरा
		384.	बुधाना
		385.	सिसौली
		386.	बेवार
		387.	नवाबगंज
		388.	फिरोजपुर
		389.	मुरसान
	2004-05	390.	आवागढ़
		391.	हथरस
		392.	ललितपुर
		393.	सियोली
		394.	बोकेरहेरी
		395.	रूदाली
		396.	बाकेवार
		397.	पुरदिल-नगर
		398.	भागेन
पश्चिम बंगाल	2002-03	399.	दार्जलिंग
		400.	रायगंज
		401.	जलपाईगढ़
		402.	बलुरघाट
		403.	पुरूलिया
		404.	कालना
		405.	कटुवा
		406.	हलदिया
		407.	बहरामपुर
		408.	सिलीगुड़ी
	2003-04	409.	बहरा
		410.	इंगलिश बाजार
		411.	तारकेश्वर
		412.	धुपगुरी
		413.	कूचबिहार
		414.	बसीरहाट
		415.	मिदनापुर
पांडिचेरी		416.	पांडिचेरी

[अनुवाद]

पन बिजली परियोजनाएं

322. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) द्वारा अधिग्रहण की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं में प्रत्येक राज्य का कितना हिस्सा है; और

(ग) परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान ऊर्जा उत्पादन में एनएचपीसी द्वारा क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (ग) गत तीन वर्षों अर्थात् 2001-02 से 2003-04 के दौरान विभिन्न राज्यों में नेशनल हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (एनएचपीसी) के माध्यम से क्रियान्वयन किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा अधिष्ठापित क्षमता और उन्हें चालू करने के कार्यक्रम को इंगित करते हुये नीचे दिया गया है-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य	शुरू करने का कार्यक्रम
1.	पार्बती स्टेज-2	800	हिमाचल प्रदेश	सितम्बर, 2009
2.	ओंकारेश्वर	520	मध्य प्रदेश	फरवरी, 2008
3.	सुबनसिरी लोअर	2000	अरुणाचल प्रदेश	सितम्बर, 2010
4.	सेवा स्टेज-2	120	जम्मू व कश्मीर	सितम्बर, 2007
5.	तीस्ता लो डैम स्टेज-3	132	पश्चिम बंगाल	मार्च, 2007

ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना जो कि मध्य प्रदेश सरकार की एक संयुक्त उद्यम परियोजना है और जहां मध्य प्रदेश सरकार की इक्विटी भागेदारी 49% है, को छोड़कर अन्य सभी परियोजनाओं में भारत सरकार द्वारा एनएचपीसी के माध्यम से 100% इक्विटी भागेदारी प्रदान की जा रही है।

गत तीन वर्षों अर्थात् 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान एनएचपीसी ने अपने विद्युत स्टेशनों से क्रमश: 8912.29, 8962.71 और 11242.09 मि.यू. विद्युत का उत्पादन किया है।

निजी विश्वविद्यालय

323. **श्री शिवाजी अधलराव पाटिल:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में चल रहे निजी विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या यू.जी.सी. ने इन विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन विश्वविद्यालयों द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों को यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई. ने अपनी मंजूरी दे दी है;

(घ) यदि नहीं, तो इन विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का भविष्य क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे विश्वविद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो बिना मंजूरी के पाठ्यक्रम चला रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश के कुछ राज्यों ने 113 प्राइवेट विश्वविद्यालय (सूची विवरण के रूप में संलग्न) स्थापित किए हैं। प्राइवेट विश्वविद्यालयों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2003 (वित्तपोषित प्राइवेट विश्वविद्यालयों में मानकों का निर्धारण और अनुरक्षण) के प्रावधानों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन प्राइवेट विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करने की योजना बना रहा है ताकि उनके द्वारा इन विनियमों के अनुपालन का सत्यापन किया जा सके। इन विश्वविद्यालयों को डिग्रियों के विनिर्देश से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना के प्रावधानों का अनुपालन करना होता है और इनमें यथा-निर्धारित डिग्री प्रदान करने से पहले शिक्षण के न्यूनतम मानकों को अपनाना होता है। इस अधिसूचना का उल्लंघन करके प्रदान की गई कोई डिग्री अनिर्दिष्ट डिग्री मानी जाएगी और दोषी विश्वविद्यालयों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 24 के तहत यथा-निर्धारित कार्रवाई की जाएगी।

विवरण

निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों की सूची

छत्तीसगढ़

1. ए.सी.एन. विश्वविद्यालय, सी-244, शैलेन्द्र नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. आचार्य आर्टभट्ट विश्वविद्यालय, 23, चौबे कालोनी, रायपुर
3. आदर्श विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एन.आई.सी.आई. सोसाइटी, 54, टोडरमल रोड, बंगाली मार्किट, नई दिल्ली
4. ए.आई.ई.एम. विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) रायपुर
5. ए.आई.एम., विश्वविद्यालय, त्रिपल-ए एजुकेसन सोसायटी, 73, आनंद नगर, रायपुर
6. एमिटी विश्वविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर
7. अंकुर विश्वविद्यालय, अंकुर शैक्षिक एवं उच्च अध्ययन सोसायटी, मंगला रोड बिलासपुर
8. अंसल प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय, चिरंजीव एजुकेशनल सोसायटी, सी-133, 15 टैगोर नगर, रायपुर
9. एपेक्स ग्लोब्रल विश्वविद्यालय, 215, संजय गांधी चौक, स्टेशन रोड, रायपुर
10. एप्पल अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, एप्पल एजुकेशन सोसायटी, द्वारा-श्री निवास गुप्ता, तीसरी मंजिल, एकताम परिसर, नजदीक भास्कर प्रेस, रायपुर
11. एक्वाटेक विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
12. आर्यव्रत विश्वविद्यालय, 11/12, दुर्गा कालेज काम्पलेक्स, रायपुर (छत्तीसगढ़)
13. एशिया पेसिफिक अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, उच्च प्रबन्धन सोसायटी संस्थान, होटल, मुयरा, रायपुर
14. बी.आई.आई.जी.एस. वेली विश्वविद्यालय, श्री भाविक अंजरिया, डायरेक्टर आफ स्ट्रेटजिक इंनीसिएटिव, सी-139, शैलेन्द्र नगर, रायपुर
15. बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, बाबू बनारसी दास उत्तर भारतीय प्रतिष्ठान, ऊपरी भूतल, 338-384, एस-ब्लाक, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली
16. वर्दिया उच्च अध्ययन उत्कृष्ट विश्वविद्यालय, एन.टी. जैन एजुकेशनल सोसायटी, अनूप प्लाजा, सदर बाजार, रायपुर
17. जैव-सूचना, जैव-प्रौद्योगिकी एवं जीवन विज्ञान विश्वविद्यालय, कंफर एजुकेशन सोसायटी, भारतीय जैव-सूचना संस्थान, बी-5, सेक्टर-3, नोएडा
18. बीट्स विश्वविद्यालय, प्रथम तल, गोडबोले बिल्डिंग, फूल चौक, रायपुर
19. बुद्ध विश्व भारती विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
20. बुद्ध विज्ञान एवं प्रबन्धन विश्वविद्यालय, 5/5, गोविन्द नगर, पायल होटल के पीछे, न्यू बस स्टैण्ड के पास, रायपुर
21. सिलेसिटयल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़), रायपुर
22. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय, अंगूरी देवी मेमचन्द ग्लोबल एजुकेशन एण्ड सोसायटी, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग-31, शंकर नगर, रायपुर
23. व्यावसायिक विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
24. क्रिस्टल अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, क्रिस्टल प्रतिष्ठान, अरोड़ा निवास, जीवन बीमा मार्ग, शिव बाग, पण्डरी, रायपुर
25. धर्म दीप्ती विश्वविद्यालय, भारतीय ईसाई शैक्षिक प्रतिष्ठान, धर्मपुरा, जगदलपुर (छत्तीसगढ़), जगदलपुर
26. दीवाकीर्ती विश्वविद्यालय, दीवाकीर्ती एजुकेशन सोसायटी, टी.वी. टावर रोड, शंकर नगर, रायपुर
27. डालफिन विश्वविद्यालय, डालफिन चेरिटेबिल सोसायटी, पीतमपुरा, नई दिल्ली
28. दून अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
29. डा. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, सी-18, सेक्टर-1, अवन्ती विहार, महसदामुन्द रोड, रायपुर (छत्तीसगढ़)
30. डा. एस.जी. रेड्डी विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) रायपुर
31. डा. आकिर हुसैन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
32. ई.एम.पी.आई. विश्वविद्यालय, श्री गुरनाम सरन फाउण्डेशन आफ सोशल ट्रांसफार्मेशन एजुकेशन एण्ड रिसर्च, सी.9-12, पहली मंजिल, इकतम परिसर, रजबन्दा मैदान, रायपुर
33. इलम विश्वविद्यालय, पूर्वी समेकित अध्ययन, प्रबंधन सोसायटी संस्थान, मिश्रा बड, तात्यापुरा, रायपुर

34. जी.एच. रायसनी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जी.एच. रायसनी फाउण्डेशन, 15, रवि नगर, कछरी बाउण्डरी, रायपुर

35. ग्राम्य भारती विश्वविद्यालय, एस.एल.सी. शिक्षण संस्थान, महासमुन्द, छत्तीसगढ़, महासमुन्द

36. गुरुकुल विश्वविद्यालय, एच-14, टी.वी. टावर के पीछे, अनुपम नगर, रायपुर-492001 (छत्तीसगढ़) रायपुर

37. आई.आई.ए.एस. अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

38. इल्म विश्वविद्यालय, मिश्रा भवन, पहली मंजिल, तत्यपारा, रायपुर

39. आई.एम.एम. ग्लोबल विश्वविद्यालय, आई.एम.पी. ग्लोबल फाउण्डेशन, एस. 37, समता कालोनी, रायपुर (छत्तीसगढ़) रायपुर

40. आई.टी.एम. विश्वविद्यालय, सी-252, सेक्टर-6, वल्लभ नगर, रिंग रोड, नजदीक संत ज्ञानेश्वर, रायपुर

41. आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, 40, एस.बी.आई., कालोनी, सुन्दर नगर, रायपुर

42. आई.एम.ई. प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मकेनिकल इंजीनियर्स (इण्डिया) इंस्टीट्यूट, हसमुख भवन, खार घर, न्यू मुम्बई, मुम्बई

43. इन्द्रप्रस्थ प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, प्लाट नं. 61, सेक्टर-1, आर्यस हाउस, सुन्दर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

44. भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ग्लोबल एजुकेशन फाउण्डेशन, कमरा नं. 202, रायपुर कामर्शियल काम्पलेक्स, रायपुर

45. भारतीय विश्वविद्यालय, म.न. 2/22, डा. आर.के. चौबे हाउस छत्तीसगढ़ महल के सामने, सिविल लाइन, रायपुर

46. इण्डस वेली विश्वविद्यालय, 301-302, रेजिडेंसी, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) रायपुर

47. उद्यम प्रशासन संस्थान, (आर.आई.जी.डी. कार्यालय) डाकघर बिल्डिंग, दरिया गंज, नई दिल्ली (एम.सी.डी. कार्यालय) भू-तल, ई-382, ग्रेट कैलाश पार्ट-II, नई दिल्ली

48. प्रबन्धन प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय, श्री डी. विश्वास, महासचिव, उच्च शिक्षा केन्द्र, डी-10, ग्रीन पार्क, दूसरा तल, नई दिल्ली

49. अन्तर्राष्ट्रीय जनजाति तकनीकी विश्वविद्यालय, 31, प्रोफेसर कालोनी, यूको बैंक, लाभ ड्रिंक फार्म, रायपुर

50. अन्तर्राष्ट्रीय मानव रूपान्तर विश्वविद्यालय, कटोरा तलाब चौक, रायपुर

51. जयपुरिया विश्वविद्यालय, समेकित अकादमी सोसायटी, पहली मंजिल, मिश्रा भवन, रायपुर

52. जवाहर लाल नेहरू आविर्भाव तकनीकी विश्वविद्यालय, म.न. 7, गायत्री नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

53. के.जी.एन. विश्वविद्यालय, पी.म.एस. बैंक प्रबंधक, बैंक एजुकेशन फाउण्डेशन, (के.जी.एन. विश्वविद्यालय) 3/326, इन्द्रवती कालोनी, रायपुर

54. कलिंगा विश्वविद्यालय, अवन्ती बिहार, रायपुर (छत्तीसगढ़)

55. कावा ग्लोबल विश्वविद्यालय, कावा एजुकेशन वेल्फेयर एण्ड रिसर्च सोसायटी, रायपुर

56. ली मेग्नस विश्वविद्यालय, 15, जलासन मार्ग चौबे कालोनी, रायपुर

57. लवली विश्वविद्यालय, लवली आटो काम्पलेक्स, डा. अम्बेडकर चौक, जालंधर शहर

58. लुथरन अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मिसन चर्च कम्पाउण्ड, लुथरन अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बैकण्ठपुर, जिला-कोरिया

59. एम.एन.आर. एण्ड आर.के. विश्वविद्यालय, एम.आई.जी., 268, एम.पी.एच.बी. कालोनी, मतीबन्द, रायपुर (छत्तीसगढ़) रायपुर

60. महर्षि मर्केण्डश्वर विश्वविद्यालय, महर्षि मर्केण्डश्वर सोसायटी, अन्नपूर्णा, राजरानी, सी-8-9, रवि नगर, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर

61. महर्षि प्रबन्धन एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पोस्ट आफिस मंगला, जिला बिलासपुर-495001 (छत्तीसगढ़)

62. महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, ग्लोबल चेरिटेबल एजुकेशन सोसायटी, जे-98, सेक्टर-2, शंकर नगर, रायपुर

63. मानव रचना विश्वविद्यालय, श्री ओ.पी. भल्ला, अध्यक्ष, मानव रचना एजुकेशन सोसायटी, भानु नथानी अपार्टमेन्ट, रायपुर

64. मंगलमय विश्वविद्यालय, 10-ए, गली नं. 27, सेक्टर-10, भिलाई दुर्ग, रायपुर

65. मेट्स विश्वविद्यालय, श्री भगवान महावीर जैन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक सोसायटी, 4/562, गुधियारी, रायपुर

66. मोदी अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, दुकान नं. 9, फरिश्ता काम्पलेक्स, जी.आई. रोड, रायपुर (छत्तीसगढ़) रायपुर

67. मोवर विश्वविद्यालय, मोवर एजुकेशन सोसायटी, महावीर मार्बल, लोधी परा, विधान सभा रोड, रायपुर

68 एन.जी. रेड्डी विश्वविद्यालय, ई-प्रीत विहार, कीर्ती हाउस, एस एस पी कार्यालय से आगे, जल विहार कालोनी, रायपुर

69. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ए-3 शैलेन्द्र नगर, रायपुर

70. नेताजी सुभाष चन्द बोस विश्वविद्यालय टेक्टेल कार्यालय के ऊपर, रिंग रोड, रायपुर (छत्तीसगढ़)

71. नेटवर्कड विश्वविद्यालय, ब्लाक न. 58, प्लाट न. 8, पूर्वी नेहरू नगर, भिलाई, दुर्ग

72. न्यू एज अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय न्यू एज फाउण्डेशन फार एजुकेशन आफ रिसर्च, 36/422, राजधानी कालोनी, नजदीक छत्तीसगढ़ कालेज, बेरन बाजार, रायपुर (छत्तीसगढ़)

73. एन.आई.आई.एल.एम. विश्वविद्यालय, 11/66, शेर शाह सूरी मार्ग, मोहन का-आप्रेटिव इण्डस्ट्रियल स्टेट, नई दिल्ली

74. प्रियदर्शनी आस्था विश्वविद्यालय, अध्यक्ष, आस्था फाउण्डेशन, 1, साउथ एवेन्यू, चौबे कालोनी, रायपुर (छत्तीसगढ़)

75. आर.डी. विश्वविद्यालय, आर.डी. एजुकेशन सोसायटी, 12 13, न्यू शान्ति नगर, रायपुर

76. राय विश्वविद्यालय, मिश्रा भवन, तात्यापरा, रायपुर

77. राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय, ढिल्लन काम्पलेक्स, दुर्ग

78. शैलेश टी.एल. विश्वविद्यालय, ए-23, शैलेन्द्र नगर, रायपुर

79. शहीद भगत सिंह अंन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, 66, जल विहार कालोनी, रायपुर (छत्तोसगढ़)

80. शिक्षा भारती विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं शिक्षा विकास सोसायटी, 2-बी, एल.एस.सी., एन.जे.ए., फेज-2, नई दिल्ली

81. शिवमुद्र विश्वविद्यालय, एस-12, सेक्टर-1, प्रियदर्शनी नगर, रायपुर

82. श्री बावा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, महंत चांद नाथ योगी, अध्यक्ष, श्री बावा मस्तनाथ आयुर्वेद एवं संस्कृत शिक्षा संस्थान, कटोरा तलाब, रायपुर

83. श्री जैन सर्वोदय विश्वविद्यालय, श्री बलवन्त राय जैन, अध्यक्ष, शिक्षण अकादमी, पोस्ट बाक्स नं. 45, गंजपारा, दुर्ग, रायपुर (छत्तीसगढ़)

84. श्री रावतपुरा सरकार अन्तराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, हीरा आर्केड पण्डारी, रायपुर-492001 (छत्तीसगढ़)

85. श्रीमद् बल्लभाचार्य विश्वविद्यालय, सती बाजार, रायपुर (छत्तीसगढ़)

86. सृष्टि विश्वविद्यालय, 67, जयराम काम्पलेक्स, जी.ई. रोड. रायपुर (छत्तीसगढ़)

87. सुप्रीम विश्वविद्यालय, एम.आई.जी.-6, सेक्टर-3, शंकर नगर, रायपुर

88. स्वामी विवेकानन्द विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

89. स्वराज विश्वविद्यालय, श्री अमित जालान, सचिव, श्रीमती नारायणी देवी जालान एजुकेशनल सोसायटी, 204, समता कालोनी, रायपुर

90. तसमक विश्वविद्यालय, सी-133, सेक्टर-1, देवेन्द्र नगर, रायपुर

91. टेक कला अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पंकज डबराल, अध्यक्ष, शिक्षा शिवम् सामाजिक जागरूकता समिति, 155, प्रतापखण्ड, विवेक विहार, फेज-2, नई दिल्ली

92. तारनाथ विश्वविद्यालय, तारनाथ एजुकेशन फाउण्डेशन, कमरा न. 201, दूसरा तल, रायपुर, कामर्शियल काम्पलेक्स, जयराम काम्पलेक्स, रायपुर

93. छत्तीसगढ़ जैव-तकनीकी एवं जीवन विज्ञान संस्थान विश्वविद्यालय, रायपुर

94. दी ग्लोबल विश्वविद्यालय, ए-15, पर्यावरण काम्पलेक्स, मैदान गढ़ी नई दिल्ली

95. राज्य विश्वविद्यालय, 9/2, अकबर खान की चाल, मिराज हास्पिटल रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

96. त्रिवेणी अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

97. अनुसंधान एवं शिक्षा संवर्द्धन विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

98. भारतीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तालीबन्धा, रायपुर (छत्तीसगढ़)

99. मीडिया कला विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

100. प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, श्रीमती दुर्गादेवी स्मृति सेवा समिति, रोजगार कार्यालय के पास पण्डारी रायपुर-492004

101. अपटेक विश्वविद्यालय, अपटेक एजुकेशन सोसायटी, 3 मॉजल, आशीर्वाद टावर, राज टाकीज के आगे, रायपुर (छत्तीसगढ़)

102. बी.एन.जी. विश्वविद्यालय, म.न. 5, वृन्दावन उत्सव विहार, डा. सामन्त के पास रोहिणी पुरम, विलासपुर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

103. विश्वभारती विश्वविद्यालय, 27, एम.आई.जी., एच.बी. कालोनी, तातीबन्द, रायपुर

104. विवेकानन्द राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, रामकृष्ण विवेकानन्द मिशन, एम.आई.जी.-1 लोचन नगर, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

105. पश्चिमी भारत विश्वविद्यालय, जी.एफ-28, मिलेनियम प्लाजा, शहीद स्मारक भवन के सामने, रायपुर (छत्तीसगढ़)

गुजरात

106. धीरूभाई अम्बानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संस्थान पोस्ट बैग न. 4, गांधी नगर- 382007, गुजरात

107. निरमा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सरखेज, गांधी नगर राजमार्ग, अहमदाबाद-382441

हिमाचल प्रदेश

108. जे.पी. सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वकवधाट, पोस्ट आफिस दुमेहर, कंदाघाट-173215, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश)

109. जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकुट धाम-210204 (उ.प्र.)

उत्तरांचल प्रदेश

110. देव संस्कृति विश्वविद्यालय, गायत्री कुंज, शांतिकुंज, हरिद्वार-249411

111. पेट्रोलियम और ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय, बिल्डिंग न. 7, गली नं. 1 बसंत विहार एंकलेव, देहरादून-248006

112. आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय

113. हिमगिरी ना विश्वविद्यालय

*इन विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के खण्ड 2 (च) अन्तर्गत शामिल किया गया है।

आवास परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी

324. श्री कैलाश मेघवाल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आवास क्षेत्र की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए आवासीय परियोजनाओं में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को निदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में सरकारी अभिकरणों, स्थानीय निकायों और गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा आवासों के निर्माण के अतिरिक्त गैर सरकारी और सरकारी आवास सहकारिताओं के माध्यम से आवासों के निर्माण को प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया गया है। सरकार ने दिनांक 3.6.99 की अधिसूचना जारी करके 3000 वर्ग मीटर के न्यूनतम भूखण्ड पर ग्रुप आवास शुरू करने हेतु गैर सरकारी विकासकों प्रोत्साहन प्रदान किया। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को तैयार करने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को जारी दिशानिर्देशों में सरकार ने यह बात दोहराई है कि आवास मुहैया कराने हेतु वित्त पोषण करने का कारोबार करने वाली गैर-सरकारी क्षेत्र और संस्थाओं को सक्रिय भूमिका देने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

इस्पात क्षेत्र में प्रगति

325. श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इस्पात क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार इस क्षेत्र में प्रगति रिपोर्ट से संतुष्ट है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान भारतीय इस्पात उद्योग में समग्र परिवर्तन हुआ है। उत्पादन, खपत और

निर्यात में अच्छी-खासी वृद्धि हुई है जिसे तालिका में दर्शाया गया है:-

मद	2001-02	2002-03	2003-04 (अनंतिम)
उत्पादन	30.63	33.67	36.193
	(4.7)	(9.9)	(7.5)
निर्यात	2.704	4.506	5.3
	(1.50)	(66.6)	(17.6)
प्रत्यक्ष खपत	27.43	28.89	30.328
	(3.43)	(5.32)	(4.9)

(स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/कमी दर्शाते हैं)

[अनुवाद]

भारतीय औषधि हेतु अमेरिकी बाजार

326. श्री रायापति सांबासिवा राय: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान अमेरिकी प्रजाति क्षेत्र ने भारतीय औषध उद्योग के लिए 7 अरब डालर का बाजार खोल दिया है;

(ख) क्या औषधि निर्माण कंपनियां 33 अरब डालर के पेटेंट संबंधी चुनौतीपूर्ण अवसरों में भी अपनी पहुंच बना सकेंगी;

(ग) क्या भारतीय औषध निर्माण कंपनियों के लिए अमेरिका में अच्छे भविष्य की संभावनाएं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कंपनियों ने उत्पाद गुणवत्ता सेवा, प्रतिस्पर्धी मूल्य और बढ़िया आपूर्ति प्रणाली के आधार पर अमेरिकी व्यापार चेनलों के समक्ष विश्वसनीयता बनाई है जिससे बाजार में हिस्सेदारी में भी बढ़ोत्तरी हुई है; और

(च) यदि हां, तो देश में किस सीमा तक भारतीय औषधी को अमेरिकी बाजार में मानीटर करने में सफलता हासिल की है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) भारतीय भेषज उद्योग पहले से ही संयुक्त राज्य अमरीका को जेनरिक किस्मों का निर्यात कर रहा है। जेनरिक किस्मों में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है।

(ख) शीर्ष 35 मोलिक्यूल्स के लगभग एक तिहाई के मामले में वर्ष 2005 तक अमरीकी पेटेंट सुरक्षा समाप्त होनी अपेक्षित है। भारतीय भेषज कंपनियों के लिए पेटेंट चुनौतीपूर्ण अवसरों में अपनी पहुंच बनाने की पूरी संभावना है।

(ग) से (च) भारतीय भेषज कंपनियों ने अमरीकी बाजार में अपनी उपस्थिति बना ली है। भारतीय कंपनियां, अमरीकी खाद्य एवं औषध प्रशासन के अंतर्गत ड्रग मास्टर फाइल (डी एम एफ) में प्रमुख अंशदाताओं में से एक हैं। अनेक भारतीय सक्रिय भेषज संघटक (ए पी आई) विनिर्माता अमरीकी बाजार को आपूर्ति कर रहे हैं। कुछ भारतीय कंपनियां फार्मूलेशन भी सप्लाई कर रही हैं।

अमरीका को औषधों एवं भेषजों तथा अपरिष्कृत औषधों का निर्यात, वर्ष 2000-01 में 218.9 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2002-03 में 449.6 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

[हिन्दी]

छात्रावासों के निर्माण हेतु धनराशि का आबंटन

327. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और आज तक राज्य-वार विशेषत: मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए आबंटित/जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 2004-2005 के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराने की संभावना है और इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 में लड़कों एवं लड़कियों के छात्रावास की योजना के अंतर्गत कुल आबंटन 24.00 करोड़ रुपए है। यह धनराशि राज्य सरकारों को इस शर्त के अधीन निर्मुक्त की जा सकती है कि उनसे संपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हों। अभी तक केवल एक ऐसा प्रस्ताव नागालैंड से प्राप्त हुआ है जिसमें 4.31 करोड़ रुपए की मांग की गई है।

विवरण

वर्ष 2002-2003, 2003-04 और वर्ष 2004-05 के दौरान आज तक लड़कों एवं लड़कियों के छात्रावास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को निर्मुक्त की गई निधियां

(लाख रुपए में)

राज्य का नाम	2002-2003				2003-2004				2004-2005			
	योजना का नाम	धनराशि	योजना का नाम	धनराशि	योजना का नाम	धनराशि	योजना का नाम	धनराशि	योजना का नाम	धनराशि	योजना का नाम	धनराशि
आंध्र प्रदेश	लड़कों	204.50	लड़कियों	128.00	लड़कों	200.50	लड़कियों	76.50	लड़कों	-	लड़कियों	-
झारखंड	के	-	के	-	के	408.93	के	408.93	के	-	के	-
कर्नाटक	छात्रावास	-	छात्रावास	-	छात्रावास	100.00	छात्रावास	50.00	छात्रावास	-	छात्रावास	-
मणिपुर		-		-		24.91		24.91		-		-
नागालैंड		32.50		32.50		75.00		75.00		-		-
जेएनयू दिल्ली		-		-		115.31		115.31		-		-
त्रिपुरा		-		-		50.00		-		-		-
पश्चिम बंगाल		5.00		-		26.66		31.21		-		-
मध्य प्रदेश		422.00		440.00		-		-		-		-
मेघालय		13.75		13.75		-		-		-		-
अरुणाचल प्रदेश		38.00		20.00		-		-		-		-
उड़ीसा		-		-		-		41.46		-		-

[अनुवाद]

रोजगार गारंटी योजना केंद्र

328. श्री तथागत सत्पथी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार विशेषकर उड़ीसा में अब तक स्थापित किये गए रोजगार गारंटी योजना केंद्रों की संख्या कितनी है;

(ख) लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2004-2005 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी राज्य विशेषकर उड़ीसा ने इस योजना के लिए धनराशि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पोटा का निरसन

329. श्री प्रबोध पाण्डा:
श्री पी.सी. थामस:
श्रीमती कृष्णा तीरथ:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री भिखिल कुमार:
श्री के.एस. राव:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आतंकवाद से निपटने के लिए 'पोटा' अधिनियमित किया गया था;

(ख) क्या सरकार ने अब 'पोटा' के निरसन का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पोटा के अंतर्गत आज तक राज्यवार कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(ङ) अब तक कितने लोगों को जमानत पर रिहा किया गया है;

(च) हिरासत में व्यक्तियों को मृत्यु का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(छ) पोटा की समाप्ति के बाद पोटा के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की नियति क्या होगी;

(ज) क्या पोटा के अधिनियमन के बाद से ही कुछ राज्यों ने इसका दुरूपयोग किया है; और

(झ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कार्रवाई करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) जिस तरीके से गत दो वर्षों में पोटा का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग किया गया है सरकार उससे चिन्तित है। इसलिए पोटा के निरसन के मामले में आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

(घ) और (ङ) राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार स्थिति निम्न प्रकार है:-

राज्य	निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या	जमानत पर रिहा व्यक्ति की संख्या
आंध्र प्रदेश	36	5
दिल्ली	48	–
गुजरात	172	17
हिमाचल प्रदेश	2	1
जम्मू और कश्मीर	120	106
झारखंड	64	227
महाराष्ट्र	71	11
सिक्किम	4	2
तमिलनाडु	27	16
उत्तर प्रदेश	29	1

(च) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में हिरासत में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

(छ) पोटा के निरसन के संबंध में कार्रवाई करते समय इस पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा।

(ज) और (झ) जी हां, श्रीमान। पोटा के निरसन के मामले में सरकार ने कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): अध्यक्ष महोदय, इतना भ्रष्टाचार का मामला है। ...*(व्यवधान)* जिस समय कारगिल में जवान मारे जा रहे थे, उस समय श्री जार्ज फर्नान्डीज उसके घर में बैठे हुए थे। ...*(व्यवधान)* इस मामले की होम मिनिस्टर से जांच करवाइए, सीबीआई से जांच करवाइए। यह बात पूरे देश के अखबारों में निकली है। ...*(व्यवधान)* अगर आपकी इजाजत हो तो हम पेपर को टेबल पर रख देते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय यहां हैं। मैं निदेश नहीं दे सकता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। आपने अपना निवेदन कर दिया है। माननीय मंत्री यहां हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: यह सारे देश की सुरक्षा का सवाल है। ...*(व्यवधान)* तेलगी जेल में है ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, हमने नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, आप उचित रूप से सूचना दीजिए। बजट का दिन होने के कारण आज नहीं दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे इस पर विचार करने दीजिए। हम अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रख सकता हूं:-

(1) एमएसटीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 61/04]

(2) एमईसीओएन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-05 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 62/04]

(3) फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-05 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 63/04]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 20 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 64/04]

(2) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 943(अ) जो 12 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के योजना तथा स्थापत्य कला संवर्ग में संबंधित अधिसूचना में उल्लिखित पदों से संबंधित भर्ती विनियमों के कालम संख्या 11 में कुछ जोड़ा गया है।

(दो) सा.का.नि. 334(अ) जो 18 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सहायक निदेशक (योजना) पद से संबंधित भर्ती विनियमों के कालम संख्या 6 में कुछ संशोधन/उपांतर किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 65/04]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): महोदय, मैं श्री पी. चिदम्बरम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 395(अ) जो 2 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा 5 जुलाई, 2004 से राज वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 को लागू किया गया है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राज वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 9 के अन्तर्गत राज वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 जो 2 जुलाई, 2004 भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 396(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 66/04]

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): महोदय, मैं सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच 2004-2005 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 67/04]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 68/04]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इंस्टीट्यूट आफ पेस्टिसाइड फारमुलेशन टेक्नालाजी, गुड़गांव के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट आफ पेस्टिसाइड फारमुलेशन टेक्नालाजी, गुड़गांव के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 69/04]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 10 की उपधारा (3) के अंतर्गत दमण तथा दीव दहेज प्रतिषेध नियम, 2003 जो दमण तथा दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के 4 जुलाई, 2003 के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसडब्ल्यू/603/03-04/133 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 70/04]

अपराह्न 12.03 बजे

रेल बजट, 2004-2005*

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय रेल के लिए वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पिछली सरकार ने 30 जनवरी, 2004 को अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था जिसमें इस वित्तीय वर्ष के पहले चार माह के लिए रेलवे के खर्च हेतु लेखानुदान का अनुमोदन किया गया था।

महोदय, यह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का, जिसने 22 मई, 2004 को कार्यभार संभाला है, प्रथम रेल बजट है। इस अल्प समय के भीतर मैंने उन चुनौतियों और कठिनाइयों को समझने की कोशिश की है जिनका रेलवे सामना कर रही है और न्यूनतम साझा कार्यक्रम के थ्रस्ट एरिया को ध्यान में रखते हुए इन कठिनाइयों से निपटने के उपायों की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया है। इस संदर्भ में मैं इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों के मूल्यवान सुझावों का भी स्वागत करूंगा। दरअसल, मैंने पहले ही इस सदन और राज्य सभा के सभी सदस्यों को, उनके क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं एवं प्रमुख कार्यों की सूची देने के साथ-साथ सुविधाओं में सुधार हेतु अपने बहुमूल्य सुझाव देने के लिए पत्र लिखा है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इन सुझावों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा उपेक्षित क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों पर यथोचित सर्वेक्षण करवाकर समुचित निर्णय लिए जाएंगे।

देश की मुख्य परिवहन व्यवस्था के रूप में एक ही प्रबंधन के अंतर्गत काम करने वाली भारतीय रेल को दुनिया की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। देश की प्रगति में इसके योगदान को मापा नहीं जा सकता और इसे वाणिज्यिक संगठन के साथ-साथ सामान्य तौर पर समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने वाली संस्था की दोहरी भूमिका भी निभानी पड़ती है। परोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराने की अपार क्षमता रखते हुए भारतीय रेल व्यापार, उद्योग और अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है। इसे ध्यान में रखते हुए जैसा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उल्लेख किया है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार रेल अवसंरचना के विकास और विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। पिछले कुछ वर्षों में रेलवे ने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, विशेषकर संरक्षा के क्षेत्र में, उन्हें दूर करने की जरूरत है। महामहिम राष्ट्रपति जी का संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित भाषण सरकार के आर्थिक और सामाजिक दोनों आयामों को ध्यान में रखते हुए रेल नेटवर्क को आधुनिक बनाने संबंधी इरादों को दिखलाता है।

अपने ग्राहकों, चाहे वे माल यातायात से संबंधित हों या यात्री यातायात सेवाओं से, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेलवे ने बहुत से नीतिगत परिवर्तन किए हैं। सुधारों की प्रक्रिया को जारी रखते हुए रेलवे का आधुनिकीकरण, परिसंपत्तियों का बदलाव और नीवकरण, खास तौर पर रेलपथ नवीकरण और यात्रियों की संरक्षा ऐसे क्षेत्र होंगे जिन पर रेलवे विशेष बल देगी। सवारी डिब्बों और रेल परिसरों में, विशेषकर स्टेशनों पर सफाई

*[ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 71/04]

[श्री लालू प्रसाद]

तथा यात्री सुविधाओं में सुधार प्राथमिकता के अन्य क्षेत्र होंगे। व्यय पर नियंत्रण तथा राजस्व की चोरी को रोकने के उपायों को सुदृढ़ बनाना भी महत्वपूर्ण प्राथमिकता होगी।

रेलवे पर निवेश के लिए संसाधनों की तंगी रही है जबकि संरक्षा, सिस्टम के विकास और विस्तार जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए निवेश काफी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। रेलवे जहां भी आवश्यक होगा, सुधार करने की लगातार कोशिश करेगी। इस विषय पर मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी से विचार-विमर्श किया है और उन्होंने वर्ष के दौरान अपेक्षित वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए आश्वस्त किया है।

भारतीय रेल अपने आंतरिक संसाधनों के विकास के लिए कृतसंकल्प है। इसके लिए आवश्यक दोहरी रणनीति को हम पूरी गंभीरता और कड़ाई के साथ लागू करेंगे। एक ओर आमदनी बढ़ाने की दिशा में जोरदार मार्केटिंग अभियान छेड़ा जाएगा और आय के क्षय से संबंधित सभी चिन्हित बिन्दुओं जैसे बेटिकट यात्रा व अन्य कदाचारों आदि को रोका जाएगा। दूसरी ओर परिचालन व्यय को किसी भी दशा में न्यूनतम आवश्यकता से अधिक नहीं होने दिया जाएगा। मानव संसाधन का इष्टतम उपयोग करते हुए अन्य परिसंपत्तियों को लागत प्रभावी ढंग से प्रयोग में लाया जाएगा। सामान्य खर्चों में पूर्ण मितव्ययता बरती जाएगी।

2003-2004 में कार्य-निष्पादन की समीक्षा

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2003-2004 में रेलवे ने 550 मिलियन टन के लक्ष्य की तुलना में 557.39 मिलियन टन प्रारंभिक राजस्व उपार्जक माल यातायात का लदान किया है जो पिछले वर्ष के लदान की तुलना में 38.65 मिलियन टन अधिक है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब भारतीय रेल ने 20 मिलियन टन या उससे अधिक की वृद्धि दर्शाने वाला राजस्व उपार्जक लदान किया है। यात्री यातायात में वर्ष के दौरान लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। संशोधित अनुमान में प्रदर्शित किए गए अर्जन की तुलना में 240 करोड़ रुपए की वृद्धि तथा साधारण संचालन व्यय में 491 करोड़ रुपए की बचत हुई है। रेलवे के लगभग वास्तविक आंकड़ों के अनुसार वर्ष के बजट में निर्धारित किया गया परिचालन अनुपात 94.1 प्रतिशत से सुधरकर 92.1 प्रतिशत तक होने की संभावना है। वर्ष के लिए अंतिम लेखे संकलित किए जा रहे हैं और लगभग आंकड़ों से संकेत मिल रहा है कि मामूली कमी-बेशी ही हो सकती है। योजना व्यय लगभग 13,311 करोड़ रुपए है। रेलवे के बेहतर निष्पादन के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं बने रहना चाहूंगा, बल्कि हम इसे और बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेंगे। वाणिज्यिक प्रयासों, जोरदार मार्केटिंग और मितव्ययतापूर्ण उपायों से रेलवे अपने वित्तीय निष्पादन में सुधार करने के लिए सतत रूप से कार्य करेगी।

संरक्षा

महोदय, आज भारतीय रेल के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यात्रियों की संरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें गन्तव्य तक पहुंचाने की है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि रेल परिचालनों में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

संरक्षा संबंधी विभिन्न उपायों और सतत प्रयासों से परिणामी रेल दुर्घटनाओं की 2000-2001 में हुई 473 की संख्या घटकर 2001-2002 में 414, 2002-2003 में 351 और 2003-2004 में 325 रह गई है। यह अब तक की सबसे कम संख्या है और वर्ष 2000-2001 की तुलना में वर्ष 2003-2004 के दौरान घटी दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी को दर्शाती है। प्रति मिलियन गाड़ी किलोमीटर परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या घटकर पिछले वर्ष के दौरान 0.44 के आंकड़े की तुलना में 0.39 हो गई है। इसे और भी कम करने के प्रयास किए जाएंगे।

रेलपथ, पुलों, चल स्टाक और सिगनल गियरों की गतायु परिसंपत्तियों के नवीकरण के बकाया कार्यों के साथ-साथ संरक्षा संवर्धन संबंधी कार्यों को पूरा करने हेतु 6 वर्ष तक की अवधि के लिए 1.10.2001 से 17 हजार करोड़ रुपए की विशेष रेल संरक्षा निधि का सृजन किया गया था। इस निधि के अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न कार्यों को पूरा करने के संबंध में काफी प्रगति हुई है। 31.3.2007 तक पूरा किए जाने वाले 16,538 किलोमीटर के कुल निर्धारित लक्ष्य में से 31.3.2004 तक 8,938 किलोमीटर रेलपथ का नवीकरण कर लिया गया है। 441 स्टेशनों पर गतायु सिगनल प्रणालियों के बदले आधुनिक प्रणालियों का कार्य पूरा किया जा चुका है। 1,053 अन्य स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर है। 2003-2004 के दौरान 387 लेवल क्रासिंगों पर सिगनलों के साथ इन्टरलाकिंग का कार्य पूरा कर दिया गया है। इस प्रकार 16,549 चौकीदार वाली लेवल क्रासिंगों में से 7095 पर इंटरलाकिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। 90 चुनिंदा लेवल क्रासिंगों पर दुर्घटनाएं कम करने की दृष्टि से नजदीक आने वाली गाड़ी की चेतावनी देने के लिए ट्रेन एक्च्युएटेड वार्निंग डिवाइस (टी ए डब्ल्यू डी) की व्यवस्था की गई है। यह उपकरण सड़क उपयोगकर्त्ताओं और चौकीदारों को आने वाली गाड़ी की चेतावनी एक फ्लैशिंग लाइट और सायरन के द्वारा देगा। विशेष रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत लगभग 5,300 स्थलों पर ट्रैक सर्किटिंग संबंधी कार्य प्रगति पर है। लगभग 1,700 स्थलों पर कार्य अब तक पूरा कर लिया गया है।

रेलवे ने पुराने पुलों को पुनर्स्थापित करने और मजबूत बनाने का कार्य को उच्च प्राथमिकता दी है। विशेष रेल संरक्षा निधि के

तहत पुनर्स्थापित अथवा पुनर्निर्मित किए जाने वाले 2,700 पुलों में से 1,306 पुलों का कार्य 31.3.2004 तक पूरा कर लिया गया है। चालू वर्ष में 411 पुलों को पुनर्स्थापित किया जाना है।

भारतीय रेल ने लेवल क्रासिंग पर सड़क और रेल यातायात की मात्रा तथा स्वरूप और दृश्यता संबंधी स्थितियों के आधार पर बिना चौकीदार वाली लेवल क्रासिंगों पर चौकीदार तैनात करने के तर्क-संगत मादपंडों को अंतिम रूप दे दिया है। आने वाले समय में 1,280 से अधिक बिना चौकीदार वाली लेवल क्रासिंगों पर चौकीदार तैनात करने की योजना बनाई गई है जिसमें अधिक संवेदनशील लेवल क्रासिंगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

संरक्षा के लिए नए उपाय:

ऐक्सल काउंटर द्वारा ब्लाक प्रूविंग, गाड़ी सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली एवं टक्कररोधी उपकरण

देश में पहली बार स्वदेशी डिजिटल ऐक्सल काउंटर के विकास पर विशेष महत्व देते हुए ऐक्सल काउंटर द्वारा 'ब्लाक प्रूविंग' से स्टेशनों पर गाड़ी के पूर्ण रूप से आगमन के 'इलेक्ट्रानिक सत्यापन' की प्रणाली को शुरू करने के लिए नए प्रयास किए गए हैं। इन डिजिटल ऐक्सल काउंटर का विकास रेल मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है। रेलों ने ड्राइवर की सहायता के लिए संरक्षा उपाय के रूप में गाड़ी सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली (टी पी डब्ल्यू एस) व्यवस्था करने की पहल की है ताकि ड्राइवर खतरे के सिगनल को पार न करें। इस प्रणाली से ड्राइवर को खतरे के सिगनल के पास पहुंचने पर चेतावनी मिलती है और यदि ड्राइवर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है तो प्रणाली स्वत: ब्रेक लगा देती है। दक्षिण और उत्तर-मध्य रेलों के लगभग 280 ट्रैक किलोमीटर पर इस सिद्ध और सुरक्षित प्रणाली की व्यवस्था की जा रही है। पूर्वोत्तर सीमा रेल के लगभग 1,700 मार्ग किलोमीटर पर टक्कररोधी उपकरणों की व्यवस्था करने का काम हाथ में लिया गया है और 2004-2005 में इसके पूरा हो जाने की आशा है।

लांग वेल्डेड रेल पटरियों पर संरक्षा

भारतीय रेल के पास काफी लंबी दूरी में लांग और कान्टीनुअस वेल्डेड रेल पटरियां हैं। इन पटरियों में वास्तविक रूप से उत्पन्न होने वाले बल का पता लगाने के लिए प्रस्ताव है कि पटरी के अंदर उत्पन्न हो रहे वास्तविक बल को मापने के लिए फील्ड उपाय विकसित किए जाएं ताकि असंरक्षित परिस्थितियां पैदा होने से पहले ही अपेक्षित निवारक कार्रवाई कर ली जाएं।

गाड़ियों में विस्फोटक और ज्वलनशील सामग्री का परिवहन

पिछले कुछ समय के दौरान हुई यात्री गाड़ियों के डिब्बों और सामान के डिब्बों में आग लगने की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं। किसी भी यात्री गाड़ी में सुरक्षा संबंधी प्रयोजनों के लिए अथवा सशस्त्र बलों द्वारा ले जाए जाने वाली सामग्री को छोड़कर एल पी जी सिलेंडरों, मिट्टी तेल के स्टोव आदि सहित किसी भी प्रकार की विस्फोटक और ज्वलनशील सामग्री ले जाना नितांत वर्जित होगा।

बचाव एवं चिकित्सा राहत संस्थान (इंस्टीट्यूट आफ रेस्क्यू एंड मेडिकल रिलीफ)

भारतीय रेल ने आपदा प्रबंधन की पहचान एक प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में की है। इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। जिनमें बंगलौर में एक 'इंस्टीट्यूट आफ रेस्क्यू एंड मेडिकल रिलीफ' स्थापित करना शामिल है। 10 करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ की जाने वाली इस परियोजना में एक आपदा प्रबंधन माड्यूल का विकास शामिल होगा जिससे प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ किया जा सकेगा। यह संस्थान अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार शीघ्र बचाव एवं चिकित्सा राहत सुनिश्चित करने हेतु फंसे लोगों आदि को निकालने और चिकित्सा राहत संबंधी सभी आधुनिक तकनीकों की जानकारी देगा।

सुरक्षा

रेलवे एक्ट, 1989 और आर पी एफ एक्ट, 1957 में हाल के दौरान किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप, रेल सुरक्षा बल को आशंका वाले क्षेत्रों में यात्री गाड़ियों में मार्गरक्षण और प्लेटफार्मों पर सामान्य सुरक्षा को नियंत्रित करने तथा उसे सुचारू बनाए रखने हेतु राज्य पुलिस/जी आर पी के प्रयासों को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। दोनों संशोधित अधिनियम 1 जुलाई, 2004 से प्रभावी हो गए हैं। शुरूआत में, कुछ कम महत्वपूर्ण गतिविधियों से जनशक्ति को हटा लिया गया है ताकि संपदा की सुरक्षा की तुलना में यात्री संरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा सके। तदनुसार, आरंभिक चरणों में गाड़ियों के मार्गरक्षण में जी आर पी के साथ भागीदारी की जाएगी। क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को इस संबंध में योजनाएं बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

नए कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु बल में कर्मियों की कमी की समस्या से निपटने के लिए और रिक्तियों को भरने संबंधी प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि रेल भर्ती बोर्डों के माध्यम से रिक्तियां न भरकर सुरक्षा विभाग द्वारा सीधी भर्ती संबंधी पूर्व प्रक्रिया को बहाल किया जाए। इससे मैनपावर की उपलब्धता बढ़ेगी और बल सुदृढ़ होगा।

[श्री लालू प्रसाद]

क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूलों एवं आर पी एफ अकादमी में सघन रि-ओरिएन्टेशन ट्रेनिंग देकर मौजूदा आर पी एफ कर्मियों की कुशलताओं को समुन्नत किया गया है। यह ट्रेनिंग कैप्सूल काफी व्यापक है और इसमें गिरफ्तारी, जब्ती करने, वैयक्तिक उपस्थिति, सम्मन जारी करने, वारंट जारी करने, कैदियों से निपटने, मानव अधिकारों के उल्लंघन, हिरासत के दौरान देखभाल, लैंगिक न्याय, बाल अपराधियों आदि से संबंधित कानूनी प्रावधान शामिल हैं।

गाड़ियों में सीधे-सादे यात्रियों को नशीले पदार्थ खिलाने और उनके सामान की चोरी की घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त की गई है। रेलवे ने इस बुराई से निपटाने के लिए जनता को शिक्षित करने के लिए कुछ उपाय किए हैं। इस संबंध में आर पी एफ को नशीले पदार्थ खिलाने के जुर्म में लिप्त आपराधिक गैंगों का पता लगाने और उन्हें जी आर पी को सौंपने के निर्देश दिए हैं।

आधुनिकीकरण:

पुल इंजीनियरिंग संबंधी अनुसंधान परियोजनाएं

भारतीय रेल पुल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अग्रणी रेल प्रणालियों, विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारत तथा विदेशों के उत्कृष्ट अनुसंधान संस्थानों से संपर्क में है। भूकम्प से बचाव और पुलों के पुनर्स्थापन, कंक्रीट और मैसानरी पुलों की रिजुडुअल लाइफ एनालिसिस, हाई परफारमेंस वाली कंक्रीट तथा पुलों के लिए कोरोजन प्रोटेक्शन सिस्टम के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को आरंभ करने का प्रस्ताव है।

आर्च ब्रिज का पुनर्स्थापन

भारतीय रेल पर बड़ी संख्या में आर्च ब्रिज मौजूद हैं। हाल ही में पुलों में सुधार और उनके पुनर्स्थापन संबंधी कई उपायों को हाथ में लिया गया है। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय रेल संघ (यू आई सी) के सहयोग से नई तकनीक अपनाकर आर्च ब्रिज की उपयोगिता अवधि करीब 25 वर्ष और बढ़ाने का प्रस्ताव है।

जंगरोधी मालडिब्बे

पारंपरिक वैगनों में जंग लगने से उनकी उपलब्धता तथा उत्पादकता प्रभावित होती है और उनकी आयु कम हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए स्टेनलेस स्टील के वैगनों के फील्ड परीक्षण किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, एल्यूमिनियम ढांचे वाले वैगन भी शुरू करने एवं उनका फील्ड परीक्षण करने का प्रस्ताव है। इससे पारंपरिक वैगनों की तुलना में टेयर भार में कमी और प्रति वैगन आय भार में बढ़ोत्तरी होगी।

चालक दल के अनुकूल ड्राइवर का केबिन और ब्रेकवैन

थकान होने से ड्राइवरों और गार्डों द्वारा दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे कर्मचारियों की चालन के दौरान थकावट को कम करने की दृष्टि से उनकी कार्य संबंधी स्थितियों में सुधार लाना भारतीय रेल के लिए एक प्राथमिकता का विषय है। कई सुधारों को मानक बना दिया गया है और उन्हें ड्राइवर के केबिन तथा गार्ड के ब्रेक वैन में चरणबद्ध आधार पर शामिल किया जा रहा है जिससे चालक दल को बेहतर परिवेश मिल सके और उनकी दक्षता बढ़ सके। नए डीलर रेलइंजनों और गार्ड की ब्रेक वैनों में इन बेहतर विशिष्टताओं को मुहैया कराया जाएगा।

ई.एम.यू. तथा विद्युत रेल इंजनों का आधुनिकीकरण

मुम्बई उपनगरीय क्षेत्र में ई.एम.यू. गाड़ियों में सबसे आधुनिक 'इनसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर' (आईजीबीटी) टेक्नोलाजी पर आधारित थ्री-फेज इलेक्ट्रानिक ट्रैक्शन सिस्टम शुरू करने का प्रस्ताव है। यह प्रणाली अधिक विश्वसनीयता और उन्नत ऊर्जा दक्षता प्रदान करती है। आगे चलकर इस तकनीक को उच्च अश्व शक्ति वाले थ्री-फेज विद्युत रेल इंजनों के लिए भी विकसित करने का प्रस्ताव है।

सामरिक प्रबंधन संस्थान (स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट)

रेल परिचालनों में भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए रेल प्रबंधकों को तैयार रहने की आवश्यकता है। इसके लिए पूरी दुनिया में उपलब्ध प्रशिक्षण संबंधी संसाधनों को इकट्ठा करना आवश्यक है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय रेल संघ (यू आई सी) के तत्वावधान में एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे सामरिक प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है।

कम्प्यूटर आधारित केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण

सुरक्षा और परिचालन को बेहतर बनाने के लिए गाजियाबाद-कानपुर हाई स्पीड, हाई डेन्सिटी वाले मार्ग पर पहली बार जर्मन डेवलपमेंट बैंक (के एफ डब्ल्यू) द्वारा वित्तपोषित एक परियोजना के अंतर्गत आधुनिक कम्प्यूटर आधारित केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण (सीटीसी) प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है।

सामग्री प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम एम आई एस)

सामग्री प्रबंधन संबंधी सूचना का आन-लाइन आदान-प्रदान करने वाली सामग्री प्रबंधन सूचना प्रणाली की पायलट परियोजना सफलतापूर्वक विकसित कर ली गई है और मध्य रेल पर इसको कार्यान्वित किया गया है। अब, प्रभावी सामग्री प्रबंधन के लिए इस प्रणाली का सभी अन्य जोनल रेलों में विस्तार करने का प्रस्ताव

है जिससे सामग्री की उपलब्धता और टर्न-ओवर अनुपात में सुधार होगा।

रेलपथ सामग्री प्रबंधन पद्धति में सूचना प्रणाली के उपयोग को अब तक 21 मंडलों में आरंभ किया गया है। शेष 46 मंडलों पर इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का कार्य अंतिम चरण में है और वर्ष के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। यह पद्धति सामग्री का उचित एवं साथ-साथ लेखांकन करती है तथा रिलीज हुई सामग्री सहित मौजूदा स्टाक के सही-सही सत्यापन में मदद करती है। इस प्रकार, यह पद्धति दक्षता को बेहतर बनाता है व चोरी, उठाईगिरी आदि के द्वारा राजस्व के क्षय को रोकती है।

ई-प्रोक्योरमेंट

रेलवे ई-प्रोक्योरमेंट को अपनाने की दिशा में काम कर रही है। उत्तर रेल पर शुरू की गई पायलट परियोजना के अंतर्गत सभी खरीद संबंधी गतिविधियां इंटरनेट पर डाल दी गई हैं, जिनमें टेंडर जारी करना, बोलियां प्राप्त करना, निविदाएं जारी करना आदि कार्य आन-लाइन होंगे। इस प्रणाली के शुरू करने से पारदर्शिता आएगी और खरीद में लगने वाले समय में कमी होने तथा आपूर्तिकर्त्ताओं के भुगतान में तेजी आने से कार्य कुशलता बढ़ेगी। उत्तर रेल पर पायलट परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर ई-प्रोक्योरमेंट पद्धति अन्य जोनल रेलों पर भी लागू की जाएगी। ठेकेदारी में जो गड़बड़ी करते थे, उसको ठीक किया गया है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया): मर्डर तक कर देते थे।

श्री लालू प्रसाद: आप ठीक कह रहे हैं। इसका इलाज किया है, गोरखपुर आदि जगहों में काफी गड़बड़ी थी।

दावा प्रबंधन में सुधार

रेलवे ने ''दावा कार्यालयों'' के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम पर कार्य शुरू किया है ताकि दावों की स्थिति के संबंध में दावाकर्त्ता को आन-लाइन सूचना दी जा सके। इससे ग्राहकों को अनकनेक्टेड कन्साइनमेंट का पता लगाने में सहायता मिलेगी और इसकी मदद से डुप्लीकेट दावों को भी कम किया जा सकेगा। जोनल रेल मुख्यालयों में दावों को कम्प्यूटर द्वारा दर्ज का कार्य पहले ही अप्रैल, 2004 से शुरू किया जा चुका है और यह आशा है कि चालू वित्त वर्ष में दावा कार्यालयों का पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकरण पूरा कर लिया जाएगा।

रेल उपयोगकर्त्ताओं की सहायता के लिए 'दुर्घटना' और 'माल के नुकसान/हानि' दोनों के लिए मुआवजा दावों संबंधी नियम और पद्धतियों को भारतीय रेल वेबसाइट में शामिल किया गया है।

धन-वापसी की प्रक्रिया का सरलीकरण

सामान्य नियमों के अंतर्गत, अप्रयुक्त टिकटों की धन-वापसी गाड़ी के प्रस्थान के अधिकतम 12 घंटे के बाद तक की जा सकती है। इसके बाद पी आर एस टर्मिनल से सीधे धन वापसी को आसान बनाने के उद्देश्य से कम्प्यूटरीकृत कोचिंग धन वापसी प्रणाली शुरू की गई है। संशोधित नियमों के अंतर्गत अप्रयुक्त आरक्षित टिकटों और आर ए सी टिकटों की धन वापसी गाड़ी के प्रारंभिक स्टेशन से निर्धारित प्रस्थान से पांच दिन तक स्वीकार्य होगी। कुछ जोनल रेलों ने इस योजना के अंतर्गत धन वापस करना शुरू कर दिया है। यह परियोजना चालू वर्ष में पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगी।

अनारक्षित टिकट प्रणाली

देश के लगभग 92 प्रतिशत यात्री रेलगाड़ियों में बिना आरक्षण करवाए अनारक्षित डिब्बों में यात्रा करते हैं। इन रेल यात्रियों की सुविधा हेतु भारतीय रेल ने अनारक्षित टिकट प्रमाली (यू टी एस) का विकास किया है। इस प्रणाली में यात्री को अपेक्षित यात्रा तिथि के तीन दिन पूर्व से चुने हुए रेलवे स्टेशनों से किसी भी स्टेशन के लिए यात्रा टिकट खरीदने की सुविधा उपलब्ध है। इस प्रणाली का सभी जोनल रेलों पर उत्तरोत्तर रूप से विस्तार करने का प्रस्ताव है। मुझे सम्मानित सदन को यह सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि यू टी एस ने 'सूचना प्रौद्योगिकी' का उपयोग करके परिवहन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सामाजिक उपलब्धि हासिल करने हेतु सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फोरम से प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त किया है।

यात्री आरक्षण प्रणाली

आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए देश में लगभग 1100 स्थानों पर उपलब्ध यात्री आरक्षण प्रणाली (पी आर एस) का विस्तार आगे भी जारी रखा जाएगा। इस वर्ष 74 अन्य स्थानों पर यह प्रणाली शुरू की जाएगी।

पार्सल सेवाएं

हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए की आमदनी देने वाले पार्सल यातायात के बेहतर प्रबंधन के लिए संपूर्ण प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत करना आवश्यक है। शुरू में, नई दिल्ली-हावड़ा-गुवाहाटी के मुख्य पार्सल यातायात कारीडोर में हावड़ा और दिल्ली क्षेत्र को जोड़ते हुए दो करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर इस वर्ष एक पायलट परियोजना का प्रस्ताव किया जा रहा है। इससे पार्सलों की बेहतर योजना बनाई जा सकेगी, उनकी क्लीयरेंस शीघ्र की जा सकेगी और पार्सलों की स्थिति का आसानी से पता लगाया

[श्री लालू प्रसाद]

जा सकेगा जिसके परिणामस्वरूप ओवर कैरेज और दावों में कमी आएगी। इससे पार्सल व बिलों और प्रभारों का सही परिकलन भी सिस्टम से संभव हो सकेगा।

माल परिचालन सूचना प्रणाली

वैगन उपलब्धता और संचालन को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हुई माल परिचालन सूचना प्रणाली (एफ ओ आई एस) के चरण-1 (रेक प्रबंधन प्रणाली) की सफलता से उत्साहित होकर लगभग 300 माल शेडों और साइडिंगों के कार्य को इस वर्ष कम्प्यूटरीकृत करके माल ढुलाई के वाणिज्यिक पहलुओं को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। इस प्रणाली से रेलवे रसीदों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया जाएगा जिससे व्यापारियों और उद्योग को बहुत लाभ होगा क्योंकि इससे किसी एक वैगन का पता लगाने और इलेक्ट्रानिक पेमेंट आदि करने संभव हो जाएंगे।

सवारी डिब्बा परिचालन सूचना प्रणाली

यात्री यातायात परिचालन में सुधार करने के लिए सवारी डिब्बा परिचालन सूचना प्रणाली (सी ओ आई एस) के कोचिंग स्टाक प्रबंधन माड्यूल (सवारी डिब्बों और पार्सल यानों को शामिल करते हुए) को इस वर्ष लागू करने का प्रस्ताव है। गाड़ियों के समय-पालन पर बेहतर निगरानी रखने और विलंब का विश्लेषण करने संबंधी पंक्चुअलिटी माड्यूल को पिछले वर्ष से क्रियान्वित किया जा चुका है।

खानपान

स्टेशनों और गाड़ियों में यात्रियों को शुद्ध, स्वास्थ्यकर और स्वादिष्ट खाना उपलब्ध कराते हुए रेलवे खानपान सुविधाओं में सुधार करने के सभी प्रयास कर रही है। रेलवे सभी खानपान आउटलेट पर पौष्टिक दुग्ध एवं दुग्ध-उत्पादों को उपलब्ध कराने के प्रयास करेगी। जिसके लिए मट्ठा और लस्सी के साथ शुरूआत कर दी गई है। इसमें सत्तू नहीं है। यात्रियों को शुद्ध एवं पौष्टिक उत्पाद उपलब्ध कराने एवं डेयरी उत्पादकों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के उद्देष्य से इन्हें यथासंभव कोआपरेटिव सेक्टर की डेयरी इकाइयों से लिया जाएगा। कोआपरेटिव सेक्टर से, जिसका माल सही होता है, उससे लेंगे। इससे किसानों को भी काम मिलेगा। यह यू.पी.ए. सरकार का कमिटमेंट भी है। जहां तक अन्य खाद्य सामाग्रियों का संबंध है, खानपान ठेकों से आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से, ठेके के आवंटन में पूर्ण पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जाएगी। एक ही आदमी पूरे देश में था, मोनोपली थी। आगे मैं बोलता हूं, आप सुनिए।

श्री मोहन सिंह: उनको हटा दें।

श्री लालू प्रसाद: जब हम आ गए हैं, तो वे चले जाएंगे।

सफाई में सुधार

स्टेशनों और गाड़ियों में सफाई में सुधार लाने के लिए सभी जोनल रेलों के महाप्रबंधकों को विशेष प्रयास करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। राष्ट्रव्यापी सफाई अभियान भी चलाया गया है। उत्कृष्टता की भावना जाग्रत करने के ध्येय से अन्तर्मंडलीय प्रतियोगिता आयोजित करने का विनिश्चय किया गया है जिसमें मुख्यालय स्तर पर गठित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की समितियों द्वारा सभी मंडलों का आकलन किया जाएगा। सर्वोत्तम मंडलों को स्वच्छता संबंधी कार्य कुशलता शील्ड दी जाएगी। सर्वोत्तम स्टेशनों का भी चयन किया जाएगा और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। जहां सफाई का स्तर असंतोषजनक पाया जाएगा, वहां संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेवारी निर्धारित कर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, सफाई के मामले में। सब लोग सुन रहे होंगे इसलिए ध्यान दीजिए।

एक पर्यावरण अनुकूल उपाय के रूप में रेलवे प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित कर रही है। इस प्रयोजन से सभी खानपान इकाइयों को प्लास्टिक व थर्मोकोल के कप की बजाय डिस्पोजेबल कुल्हड़ों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिक स्वास्थ्यकर होने के अलावा, इस उपाय से ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार में सुधार होगा। लेकिन इस देश में जो लोग यहां नही हैं, हाउस में बहिष्कार करने से पहले उनको सोनिया जी को प्रणाम करके जाना चाहिए था। जब वे हाउस में आएं तो सोनिया जी को नमन करें। सत्ता ही सब कुछ नहीं है, सोनिया जी ने इसका उदाहरण पेश किया है। उनके साथ मेनका जी हैं। मैं आदरणीय मेनका जी की बात सुन रहा था। उन्होंने कहा कि कुल्हड़ से मिट्टी घट जाएगी। उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि वे लोग हमारी चमड़ी काटकर ले गए। अगर यह पता होता तो नहीं बोलतीं। लेकिन वह बोलीं, फिर भी मैं उनके प्रति शुभकामना प्रकट करता हूं।

पर्यावरण अनुकूल टायलेट प्रणाली

वर्ष 2012 तक पूरे देश में पूर्ण स्वच्छता की प्राप्ति तथा खुले में मलत्याग को समाप्त करने के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा घोषित नीति के अनुसार भारतीय रेल ने आर.डी.एस.ओ. के रेल संरक्षा संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के एक अंश के रूप में सवारी डिब्बों में पर्यावरण अनुकूल टायलट डिस्चार्ज प्रणाली का विकास करने की परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है। जो शौचालय छिटाता है चलने पर और स्टेशन पर खड़ा होने पर पूरा भरमार हो जाता है। इस सिस्टम को समाप्त करके जैसे, जहाज में शौच

करने कोई आदमी जाता है तो टायलट डिस्चार्ज प्रणाली को हमारा मंत्रालय डैवलप कर रहा है। हमारी सरकार का माननीय सोनिया जी के मार्गदर्शन में, माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सफाई पर ज्यादा ध्यान है ताकि लोग स्वास्थ्य का लाभ उठाएं।

महात्मा गांधी के अनुसार खादी भारत की एकता, आर्थिक स्वाधीनता और समानता की प्रतीक है। जवाहरलाल नेहरू की काव्यमय भाषा में यह अंतत:, ''भारत की आजादी की वर्दी'' है। अत: इसको समुचित सम्मान देते हुए मैंने निर्देश दिए हैं कि भविष्य में साज-सज्जा और लिनेन के लिए अपेक्षित सभी सामान केवल हथकरघा/खादी के ही हों। जो भी हमारे देश में बुनकर हैं, जो करोड़ों गरीब लोग हैं। रोजगार के लिये गांव का कारखाना चालू होगा लेकिन इन लोगों को सूझता नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए। ...*(व्यवधान)* ये जितना दिन गायब रहते हैं, उतने दिन की तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए। सिगनेचर नहीं करना चाहिए ...*(व्यवधान)* जनता ने रोड पर भेज दिया, वहां जाइए। यहां हम लोग राज करेंगे।

भारतीय रेल के लिए एक नई ''बुक स्टाल नीति'' बनाई गई है। क्यों बनाई गई?

[अनुवाद]

प्रत्येक स्थान में व्हीलर बुक स्टाल है। व्हीलर बुक स्टाल क्यों ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अंग्रेज चले गए। व्हीलर बुक स्टाल। भारतीय रेल के लिए एक नयी बुक स्टाल नीति बनाई गई है। वाजपेयी जी को मैं धन्यवाद देता हूं। आप बहुत कांशस रहते हैं। इस नीति के अंतर्गत 'बी', 'सी' और 'डी' श्रेणी के स्टेशनों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, युद्ध में मारे गए व्यक्तियों की विधवाओं, गरीबी रेखा से नीचे के वर्गों, विकलांग व्यक्तियों, रेल कर्मचारियों की विधवाओं के लिए बुक स्टालों के आवंटन का 25 प्रतिशत आरक्षण शुरू किया गया है। बेरोजगार स्नातक और उनके संघ तथा परोपकारी संघठन केवल 'बी', 'सी' और 'डी' श्रेणी के स्टेशनों पर आवंटन पा सकते हैं। 'ए' श्रेणी के स्टेशनों पर टू-पैकेट टेंडर सिस्टम शुरू किया गया है। इस नई नीति से विक्रय एकाधिकार समाप्त हो जाएगा और इससे पांच-पांच वर्ष की अवधि निर्धारित हो जाएगी। जो आगे इस व्यवस्था से होगा।

भू-जल उपलब्धता के गिरते रूख को रोकने के लिए रूफ-टाप रेल वाटर हारवेस्टिंग द्वारा जल संरक्षण के तरीकों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

ग्राहकों को उपयुक्त संख्या में रेक उपलब्ध कराना

रेल वैगन अधिकांशत: निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की वैगन विनिर्माण इकाइयों से खरीदे जाते हैं। रेलवे अपने कारखानों में अत्यंत ही कम संख्या में वैगन निर्माण की क्षमता रखती है। पिछले वर्ष विभिन्न कारणों से वैगनों की आपूर्ति में काफी गिरावट आई है। दिए गए आदेशों में से निजी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा केवल दो-तिहाई और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा केवल एक-तिहाई की ही आपूर्ति हो पाई है। ट्रैफिक वैगनों की 19,050 फोर व्हीलर यूनिटों (चौपहिया इकाइयों) की हमारी आवश्यकताओं की तुलना में 2003-2004 के दौरान केवल 13,471 ही विनिर्मित की गई थीं।

अनुमानित इन्क्रिमेंटल लोडिंग के मद्देनजर रेलवे को वैगन आपूर्ति को बढ़ाने के लिए सभी कदम उठाने होंगे। मैंने स्वयं वैगन निर्माताओं से वार्ता की है और उन्हें आपूर्ति में तेजी लाने के लिए कहा है। इसके अलावा, उपलब्ध अवसंरचना और जनशक्ति के साथ रेल कारखाने मामूली निवेश से वैगनों का निर्माण कर सकते हैं। मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा वैगन निर्माताओं से लगातार संपर्क रखने के अलावा, जमालपुर कारखाने, जिसकी इस समय इन-हाउस क्षमता 140 टन के क्रेन विनिर्माण की भी है, में भी वैगन उत्पादन शुरू किया जाएगा। जमालपुर में क्रेन बनती है, बड़ा पुराना कारखाना है। सब कारखानों का ग्रेंडफादर है।

फिर भी, रेक की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अनेक उपाय करके रेलवे ने लदान के लक्ष्य को पार किया है। इन उपायों में माल टर्मिनलों की हैन्डलिंग क्षमता में सुधार करना, इन-इफेक्टिव वैगनों की संख्या पर नियंत्रण रखना, एफ ओ आई एस के गहन प्रयोग द्वारा टर्मिनलों का बेहतर प्रबंधन करना और टर्मिनलों पर रेक के डिटेंशन को कम करने के लिए ग्राहकों पर दबाव डालना शामिल हैं। अब हम रेल उपयोगकर्त्ताओं को टर्मिनलों पर रेक की राउंड-द-क्लाक लोडिंग और अन लोडिंग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

पोर्ट कनेक्टिविटी द्वारा आयात/निर्यात संबंधी यातायात को बढ़ावा देना

पोर्ट से आने वाले वैगनों को शीघ्र खाली करने और बाहर जाने वाले निर्यात के सामान के लिए रेलवे अतिरिक्त वैगन और कंटेनर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दे रही है। रेलवे ऐसे यातायात को और बढ़ावा देने के लिए मौजूदा और विकासाधीन नए दोनों प्रकार के पोर्ट के साथ देश के भीतरी क्षेत्रों से रेल संपर्क उपलब्ध कराने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से भी निवेश कर रही है।

[श्री लालू प्रसाद]

रोल-आन रोल-आफ योजना (रो रो)

कोंकण रेल रोल-आन रोल-आफ योजना चलाती है जिसके अंतर्गत किसी एक स्थान से एक ट्रक प्रति वैगन के हिसाब से गाड़ी में ट्रकों का लदान करके उनके गंतव्य तक ले जाया जाता है। इससे ट्रकों द्वारा संचालन की अपेक्षा ईंधन की अधिक बचत होने और पर्यावरण-अनुकूल होने के अलावा अधिक ग्राहक संतुष्टि और डोर-टू-डोर मल्टी मोडल सेवा उपलब्ध होती है। रेलवे ने विशेष वैगनों के निर्माण संबंधी प्रक्रिया शुरू की है जिससे परिसंपत्तियों के इष्टतम उपयोग हेतु प्रत्येक वैगन में एक से अधिक ट्रक ढोना संभव होगा। इस प्रकार के वैगन के डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने पर रेलवे इस सेवा को अन्य खंडों पर भी शुरू करने के लिए विचार करेगी।

दूध, सब्जी और फलों का परिवहन

रेलवे देश के विभिन्न क्षेत्रों से टैंकरों द्वारा दूध के संचालन को अधिक बढ़ावा देगी। चूंकि दूध एक पेरिशेबुल पदार्थ है, इसलिए इन टैंकरों को उपयुक्त गाड़ियों के साथ जोड़ा जाएगा। फलों, सब्जियों और अन्य पेरिशेबुल वस्तुओं के परिवहन के लिए बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु रेलों पर अधिक संख्या में शीतक पार्सल वैनों को उत्तरोत्तर रूप से शुरू किया जाएगा।

रियायतें

आतंकवादियों/उग्रवादियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को रियायतें

आतंकवादियों/उग्रवादियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में मारे गए पुलिस बलों और अर्ध सैनिक कर्मियों की विधवाएं इस समय द्वितीय और शयनयान श्रेणी में 75 प्रतिशत रियायत की पात्र हैं। यद्यपि, ऐसी ही परिस्थितियों में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को यह रियायत उपलब्ध नहीं है। आतंकवादियों/उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के बलिदान को सम्मान देते हुए इन सैनिकों की विधवाओं को भी वही रियायत देने का प्रस्ताव है जो पुलिस और अर्ध सैनिक कर्मियों की विधवाओं को दी जाती है। एन.डी.ए. सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जो बलिदान करते हैं।

मूक/बधिर व्यक्तियों को रियायतें

मूक और बधिर व्यक्ति को प्रथम, द्वितीय, शयनयान श्रेणियों और सीजन टिकटों में 50 प्रतिशत की रियायत अनुमेय है। लेकिन, मूक और बधिर व्यक्ति के साथ यात्रा करने वाले सहयात्री को कोई रियायत देने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो मूक और बधिर दोनों हैं, के साथ एक सहयात्री की आवश्यकता पर विचार करते हुए ऐसे सहयात्री को भी वही रियायत देने का प्रस्ताव है जो मूक और बधिर व्यक्ति को मिलती है। मूक और बधिरों को रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। वे जाना चाहते थे कलकत्ता और चले जाते थे मद्रास। इसलिए उनके साथ एक व्यक्ति को जाने के लिये रियायत दी जाएगी।

हीमोफीलिया रोगियों को रियायत

हीमोफीलिया रोग के गंभीर अथवा मध्यम रूप से पीड़ित व्यक्ति को मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज अथवा जांच कराने के लिए रेल द्वारा यात्रा करने पर रियायत देन का प्रस्ताव है। यह रियायत द्वितीय/स्लीपर, प्रतम, वातानुकूलित कुर्सीयान और वातानुकूलित 3-टियर श्रेणियों में 75 प्रतिशत होगी। यदि कोई सहयात्री रोगी के साथ यात्रा करता है तो वह भी उसी रियायत का हकदार होगा।

बेरोजगार युवकों के लिए नि:शुल्क यात्रा सुविधा

1998-199 के बजट भाषण में यह घोषणा की गई थी कि केन्द्र सरकार की नौकरियों में चयन हेतु साक्षात्कार देने के लिए जाने वाले बेरोजगार युवकों को काल लेकिन यह उनकी घोषणा घोषणा रह गई। लागू नहीं की। पासवान जी ने की थी लेकिन उसको भी उन लोगों ने पलट दिया। रहते तो वह भी कर देते। माने, आपने की थी जो युवकों को काल-लैटर आते हैं, ...*(व्यवधान)* लेटर और आवेदन की प्रमाणित प्रति पेश करने पर दूसरे दर्जे में पूरी रियायत दी जाएगी। लेकिन अपरिहार्य कारणों से उसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका। जैसी कि पहले घोषणा की गई थी, अब पूरी रियायत देने के उस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

इस देश के बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए हमने उनके माता-पिता का बोझ हल्का करने के लिये हमारी सरकार ने उन लोगों के इंटरव्यू के जाने के लिये काल लेटर की प्रमाणित प्रति पेश करने पर दूसरे दर्जे में रियायत देने का पूरे देश में इंतजाम किया है।

परियोजनाएं

वर्ष 2003-2004 के दौरान रेल सिस्टम में 1,222 किलोमीटर बड़ी लाइन जोड़ी गई थी। मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जम्मू-उधमपुर परियोजना जो बहुत समय से लंबित थी, पूरी हो गई है। इससे जम्मू एवं कश्मीर राज्य के समग्र विकास में दूरगामी सहायता मिलेगी। उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला नई लाइन परियोजना की प्रगति में भी तेजी लाई गई है और उधमपुर-कटरा और काजीगुंड-बारामूला के बीच लाइनें बिछाने का कार्य वर्ष 2005-2006 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।

जहां तक वर्तमान वर्ष की परियोजनाओं को पूरा करने के लक्ष्य का संबंध है, देश के सभी क्षेत्रों को समान महत्व दिया जा रहा है। तदनुसार, जिरीबाम से इम्फाल (टुपुल) तक नई लाइन का कार्य, जिसे पिछले वर्ष स्वीकृत किया गया था, को शुरू किया जा रहा है। लमडिंग-सिलचर मीटर लाइन के आमान परिवर्तन और कुमारघाट से अगरतला तक नई लाइन में तेजी लाई जाएगी और इन्हें समय पर पूरा करने के लिए एस कार्यक्रम बनाया जाएगा। टाइम-टेबल ताकि उसके लिये पैसे का भी प्रबन्ध किया है।

मैं यह विशेष उल्लेक करना चाहूंगा कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों और उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों, जहां पर रेल विकास कार्यों के प्रति उपेक्षा की भावना अनुभव की जाती रही है, की मांगों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा और चालू वर्ष में चल रहे कार्यों में संतोषजनक प्रगति लाने के लिए पर्याप्त धनराशि मुहैया कराई जाएगी।

वर्ष 2004-2005 के दौरान बड़ी लाइनों में लगभग 1,650 किलोमीटर की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नई लाइनें

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पनवेल-करजत, सासाराम-नोखा, जगदीशपुर-तिलैया, काकद्वीप-नामखाना और ऊना-चुरारू-तकराला नई लाइनें पूरी हो गई हैं। रेलवे द्वारा वर्ष 2004-2005 में निम्नलिखित खंडों सहित 273 किलोमीटर नई लाइनों को पूरा करने का प्रस्ताव है-

(एक) अमरावती-नारखेड़ का अमरावती-चंदरबाजार

(दो) राजगीर-तिलैया का राजगीर-नतेसर

(तीन) आरा-सासाराम का नोखा-संजौली

(चार) देवगढ़-सुल्तानगंज का बांका-बाराहाट

(पांच) चंडीगढ़-लुधियाना का चंडीगढ़-मोरिंडा

(छह) काकीनाडा-कोटिपल्ली

(सात) तमलुक-दीघा का कांती-दीघा

(आठ) हावड़ा-आमटा का महेन्द्रलालनगर-आमटा

(नौ) बंगलौर-हासन का हासन-श्रवणबेलगोला और बंगलौर-नीलमंगला

तमलुक-दीघा नई लाइन परियोजना के अंतिम भाग के पूरा हो जाने पर दीघा स्थित प्रमुख पर्यटन केन्द्र रेल संपर्क से जुड़ जाएगा। चंडीगढ़-लुधियाना परियोजना के चंडीगढ़-मोरिंडा खण्ड के पूरा हो जाने से चंडीगढ़ और आनन्दपुर साहिब के बीच छोटा, सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा। श्रवणबेलगोला स्थित जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल भी रेल लाइन से जुड़ जाएगा। काकीनाड़ा-कोटापल्ली पुनर्स्थापन और हावड़ा-आमटा की लंबित परियोजनाएं भी पूरी हो जा रही हैं।

आमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन)

वर्ष 2003-2004 के दौरान न्यू जलपाईगुड़ी-समुखतला रोड, बांदीकुई-भरतपुर, जसई-मुनाबाव, कबाकापुत्तुर-सुब्रमण्य रोड, विल्लुपुरम-पांडिचेरी, राजपालयम-तेनकासी, वडालुर-कड्डालोर, तंजावुर-कुंबाकोनम, जूनागढ़-वेरावल और ढोला-भावनगर के आमान परिवर्तन पूरे हो गए हैं।

वर्ष 2004-2005 के दौरान, 1000 किलोमीटर आमान परिवर्तन पूरा करने के लक्ष्य का प्रस्ताव है जिसमें निम्नलिखित खंड शामिल हैं:

(एक) मानसी-सहरसा

(दो) आगरा फोर्ट-बांदीकुई का भरतपुर-आगरा फोर्ट

(तीन) अजमेर-उदयपुर का उदयपुर-चित्तौड़गढ़

(चार) न्यू जलपाईगुड़ी-न्यू बोंगाईगांव का समुखतला रोड-न्यू बोंगाईगांव

(पांच) सिकंदराबाद-मुदखेड़ का मनोहराबाद-निजामाबाद

(छह) मुदखेड़-आदिलाबाद का आदिलाबाद-किनवत

(सात) जबलपुर-गोंदिया का गोंदिया-बालाघाट

(आठ) रांची-लोहारदगा

(नौ) रूपसा-बांगरीपोसी का रूपसा-बारीपाडा

(दस) बांकुरा दामोदर नदी रेलवे लाइन का बांकुरा-सोनामुखी

(ग्यारह) मदुरै-रामेश्वरम का मदुरै-मानामदुरै

(बारह) त्रिची-नागोर-करईकाल का तंजावुर-तिरूवारूर

(तेरह) हासन-मंगलौर का सुब्रमण्य-सकलेशपुर

[श्री लालू प्रसाद]

(चौदह) सोलापुर-गदग का बीजापुर-बागलकोट

(पन्द्रह) सुरेन्द्रनगर-पिपावाव का सिहोर-पालिताना

(सोलह) भिलडी-वीरमगांव का वीरमगांव-मेहसाना

(सत्रह) कटिहार-जोगबानी और कटिहार-राधिकापुर का बरसोई-राधिकापुर

उपर्युक्त कार्यों के पूरा हो जाने से हासन-मंगलौर और आगरा फोर्ट-बांदीकुई की आमान परिवर्तन परियोजनाएं भी पूरी हो जा रही हैं। झीलों का प्रसिद्ध शहर, उदयपुर भी बड़ी रेल लाइन नेटवर्क से जुड़ जाएगा जिससे विशेषकर 'पैलेस-आन-व्हील्स' के पर्यटन यातायात के संचालन में सुविधा होगी। समुखतला-न्यू बोंगाईगांव खंड का आमान परिवर्तन पूरा हो जाने से न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच दो बड़ी रेल लाइनें उपलब्ध हो जाएंगी जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र से आने-जाने वाले यातायात की मांग पूरी होगी। सिकंदराबाद-मुदखेड़ के पूरा हो जाने से मुंबई तक वैकल्पिक, छोटा व सीधा मार्ग उपलब्ध हो जाएगा।

दोहरीकरण

वर्ष 2003-2004 के दौरान 206 किलोमीटर का दोहरीकरण पूरा हो गया है, जबकि 2004-2005 के लिए 381 किलोमीटर के लक्ष्य का प्रस्ताव है। केरल में, मंगलोर-शोरानूर के दोहरीकरण के कार्य की तीव्र प्रगति बरकरार है और चालू वर्ष में कालीकट-शोरानूर भाग में 30 किलोमीटर का दोहरीकरण कर दिया जाएगा। पंजाब में, जालंधर-जम्मूतवी परियोजना के सूचीपिंड-भोगपुर, माधोपुर-भरोली और मुकेरियां-मीरथल के दोहरीकरण का कार्य वर्ष के दौरान पूरा किया जाना है। अहमदपुर-सैंथिया का कार्य पूरा होने से पश्चिम बंगाल में खाना-सैंथिया के संपूर्ण मार्ग का दोहरीकरण हो जाएगा। होस्पेट-तोरणगल्लू-बेल्लारी और हगारी-गुंतकल के दोहरीकरण से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पड़ने वाले होस्पेट-गुंतकल सेक्शन की क्षमता बढ़ जाएगी और आयरन ओर के संचालन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अमरोहा-मुरादाबाद, मानिकपुर-कटैयाडांडी और बिहार में बरौनी-तिलस्थ, सीमापुर-कटिहार और मानसी-महेशखुंट के दोहरीकरण से कतिपय भीड़ वाले मार्गों पर लाइन क्षमता बढ़ जाएगी। इसके अलावा, कुछ अन्य सेक्शनों के दोहरीकरण का भी लक्ष्य है जिससे कुल 381 किलोमीटर के दोहरीकरण का कार्य हो जाएगा।

माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि बजट में पंडाबेश्वर-चिनपेन, जयपुर-फुलेरा, बिलासपुर-सलका रोड, छपरा-एकमा और गोंडा-मनकापुर का दोहरीकरण संबंधी कार्य शामिल किया गया है। इन कार्यों के पूरा होने से यातायात का प्रवाह सुगम होगा और कुछ संतृप्त खंडों पर अतिरिक्त क्षमता का सृजन होगा।

सर्वेक्षण

मैंने भारतीय संसद सदस्यों को उनके राज्य में रेल परियोजनाओं और रेल सुविधाओं संबंधी चल रहे अन्य कार्यों के बारे में लिखा था। देश के विभिन्न भागों में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए माननीय सदस्यों से मांगें आ रही हैं। इन मांगों के आधार पर, निम्नलिखित सर्वेक्षणों को बजट में शामिल करने का प्रस्ताव है:-

निम्नलिखित नई लाइनों के लिए नए सर्वेक्षण शुरू किए जा रहे हैं:-

(1) मछलीपट्टनम-रेपल्ली

(2) जग्गियापेट-विष्णुपुरम

(3) रायदुर्ग-तुमकुर बरास्ता कल्याण दुर्ग

(4) टिंडीवनम-नगारी बरास्ता वांदीवाश, चेय्यर, अरानी, अरकोट, रानीपेट, वालाजाहपेट, शोलिंघुर, आर.के. पेट, पोदातुर, पालीपट्टु

(5) बरिआरपुर और मननपुर बरास्ता खड़गपुर-लक्ष्मीपुर-बरहाट

(6) सुल्तानगंज और कटोरिया बरास्ता असारगंज, तारापुर, बेलहार

(7) आरा-भबुआ रोड

(8) छपरा-मुजफ्फरपुर बरास्ता गरखा, मकेर और रेवाघाट

(9) हथुआ-देवरिया बरास्ता लाइन बाजार, सालार खुर्द, फुलवारिया, बचुआ बाजार, पंदेठरी, भागीपट्टी सम्हौर, कटेया

(10) परवानू से दरलाघाट

(11) कांद्रा से नामकोम

(12) बुरामरा-चाकुलिया

(13) चेन्नै-श्रीपेरम्बुदुर बरास्ता पूनामल्ली

(14) बज बज-पुजाली

(15) चोड़ीगचा से कांदी

(16) बालुरघाट-हिल्ली

(17) समसी-चंचल-हरिश्चन्द्रपुर

(18) तिरूर-अंगाडिपुरम।

प्रो. राम गोपाल यादव (संभल): हमारा गजरौला-संभल रह गया है। तीन साल से लगातार मांग करता रहा हूं।

श्री लालू प्रसाद: पहले सुन लीजिए। फिर हम आप लोगों को नोट कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय: पहले सुन लीजिए।

श्री लालू प्रसाद: जिन्होंने लिखा है, तो वह सब इसमें आ गया है। जिन लोगों ने नहीं लिखा है, अभी आप बैठिए।

अध्यक्ष महोदय: अभी छोड़िए।

श्री लालू प्रसाद: निम्नलिखित नई लाइनों के लिए सर्वेक्षण अद्यतन किए जा रहे हैं-

(1) ओंगोल-दोनाकोंडा

(2) नाडीकुडी-श्रीकलाहस्ती

(3) भद्राचलम-कोव्वुर

(4) कडप्पा से बंगलौर बरास्ता मदनापल्ली

(5) बिहारीगंज-कुरसेला बरास्ता रूपौली-धमदाहा

(6) बिहारीगंज-सिमरीबख्तियारपुर

(7) मोतीहारी से सीतामढ़ी बरास्ता शिवहर

(8) मधेपुरा-सिंहेश्वरस्थान-करजायन-भीमनगर

(9) भानुपल्ली-बिलासपुर

(10) चतरा-गया

(11) गोटेगांव से रामटेक बरास्ता सिओनी

(12) फलौदी-नागौर

(13) रतलाम-बांसवाड़ा बरास्ता डूंगरपुर

(14) बिलारा-बाढ़

(15) पुष्कर-मेड़तारोड

(16) उज्जैन-झालावाड़/रामगंजमंडी

(17) जोलारपेट्टै-होसूर बरास्ता धर्मापुरी

(18) अगरतला-सबरूम

(19) ऋषिकेश-डोइवाला

(20) झरग्राम-पुरूलिया।

श्री अवतार सिंह भड़ाना (फरीदाबाद): हमारा भी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: यह जो नया सर्वेक्षण है।

अध्यक्ष महोदय: अभी छोड़िए।

श्री लालू प्रसाद:

(21) गोला गोकर्णनाथ-शहजनपुर बरास्ता मोहम्मदी

(22) गलगलिया-सुपौल बरास्ता अररिया।

निम्नलिखित लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने के संबंध में नए सर्वेक्षण किए जा रहे हैं:

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बजट भाषण में व्यवधान न डालें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): सर्वेक्षण कराया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय: यह सर्वेक्षण को अद्यतन करने के लिए है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद:

(1) बड़ईग्राम-कुमारघाट

(2) अंकलेश्वर-राजपीपला

(3) कटवा-अहमदपुर

(4) अलुआबारी-सिलीगुड़ी बरास्ता गलगलिया

[श्री लालू प्रसाद]

निम्नलिखित लाइनों के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण को अद्यतन किया जा रहा है:

(1) मियागांव-डाभोई-समलाया

(2) सामनी-जाम्बुसार-वेश्वामतरी और जाम्बुसार-कावी

(3) कोलार-चिकबल्लपुर

(4) डिंडीगुल-पोलाची-कोयम्बटूर और पोलाची-पालघाट अंग्रेजी में होगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा।

(5) रतलाम-महु बरास्ता इंदौर

(6) धोलपुर-सिरमुत्रा गंगापुर सिटी तक विस्तार के साथ

(7) लोहारू-सीकर-चुरू-रींगस-जयपुर और सूरतपुरा-हनुमानगढ़

(8) भोजीपुरा-पीलीभीत-टनकपुर

(9) लखनऊ-बरेली बरास्ता सीतापुर-लखीमपुर-पीलीभीत

(10) कृष्णनगर-नाबाद्वीपघाट

(11) कटवा-बर्द्धमान

(12) प्रतापनगर-छोटाउदेपुर

(13) सादुलपुर-रतनगढ़-बीकानेर और रतनगढ़-देगाना।

निम्नलिखित लाइनों के दोहरीकरण के लिए नए सर्वेक्षण किए जा रहे हैं:

(1) सेलम-बंगलौर

(2) त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी

(3) चेंगलपट्टू-तूतीकोरिन

(4) गाजियाबाद-मुगलसराय तीसरी लाइन के लिए कम्पोजिट सर्वेक्षण

(5) शांतिपुर-कालीनरायणपुर

(6) राजगोडा-दुर्गा चक

(7) विजयवाड़ा-गुडिवाडा-भीमावरम-नरसापुर और गुडिवाडा-मचिलीपटनम का दोहरीकरण और विद्युतीकरण।

निम्नलिखित लाइनों के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण को अद्यतन किया जा रहा है:

(1) किऊल-नवादा-गया

(2) विरार-अहमदाबाद तीसरी लाइन

(3) पुणे-मिराज-कोल्हापुर

(4) मेरठ-सहारनपुर

(5) खड़गपुर-मिदनापुर बरास्ता गिरीमैदान

(6) बंडेल-कटवा

(7) कृष्णनगर-लालगोला

(8) रामनगरम्-मैसूर।

विद्युतीकरण

वर्ष 2003-2004 के दौरान, 504 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है, जिसमें फगवाड़ा-अमृतसर, लक्कड़कोट-ढेकवड़, बालापल्लि-नंदलूर, बालासोर-रानीताल और जहानाबाद-पटना शामिल हैं। इससे पटना-गया, उधना-जलगांव, चेंगलपट्टू-विल्लुपुरम और लुधियाना-अमृतसर रेल लाइनों का विद्युतीकरण पूरा हो गया है और पिछले वर्ष के दौरान इन सेक्शनों पर विद्युत कर्षण पर गाड़ी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। वर्ष 2004-2005 के लिए, 375 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें केरल (160 रूट किलोमीटर), उड़ीसा (153 रूट किलोमीटर), उत्तरांचल (34 रूट किलोमीटर) और उत्तर प्रदेश (28 रूट किलोमीटर) राज्यों में पड़ने वाले निम्नलिखित सेक्शन शामिल होंगे।

(1) चेंगानाशेरी - कायमकुलम

(2) शेरतलई - कायमकुलम

(3) कायमकुलम - परावूर

(4) कपिलास रोड - कटक

(5) रानीताल - भद्रक और भद्रक यार्ड

(6) केंदुआपाड़ा - कपिलास रोड

(7) खुर्दा रोड - पुरी

(8) रुड़की - नजीबाबाद।

जिनके छूट जाएंगे, उनको बाद में ले लेंगे।

उपनगरीय परिवहन परियोजना

मुंबई नगर परिवहन परियोजना (एम यू टी पी) का चरण-1 और टालीगंज से गरिया तक कोलकाता मेट्रो रेल का विस्तार संतोषजनक ढंग से चल रहा है। प्रिंसेपघाट से माजेरहाट के साथ-साथ दमदम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट तक कोलकाता सर्कुलर रेल के इस वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है। तिरूमलै से वेलाचैरी तक एम और टी एस (चरण-2) का समूचा खंड अप्रैल, 2005 तक पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर देगा। चेन्नै (एग्मोर) और ताम्बरम के बीच मीटर लाइन की उपनगरीय प्रणाली को बड़ी लाइन में बदलने संबंधी काम को मार्च, 2005 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है। इतना काम कर रहे हैं। आप लोक बोलते कि खाली बिहार को ही देखता हूं। मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश वाले कम बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास बंडु आठवले, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद:

थ्रूपुट बढ़ाने संबंधी कार्य

दसवीं योजना की शेष अवधि के दौरान लक्षित माल यातायात को ढोने और अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर की मांगों को पूरा करने के लिए रेल मंत्रालय ने थ्रूपुट बढ़ाने संबंधी चिन्हित 62 कार्यों को पूरा करने का विनिश्चय किया हैं। इन कार्यों को तेजी से पूरा करने से खंड की क्षमता बढ़ेगी, संतृप्त खंडों और टर्मिनलों पर अड़चनें कम होंगी, परिचालन में लचीलापन आएगा, चल स्टाक का बेहतर इस्तेमाल होगा और परिचालन में संरक्षा सुनिश्चित होगी।

इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कार्यों को चिन्हित कर लिया गया है। यह विनिश्चय किया गया है कि ऐसे सभी स्वीकृत कार्य दसवीं योजना के अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे जिसके लिए समुचित धन की व्यवस्था चालू योजना के इस वर्ष समेत बाकी बचे तीन वर्षों में की जाएगी।

रेल विकास निगम लिमिटेड

रेल विकास निगम लिमिटेड (आर वी एन एल) की स्थापना जनवरी, 2003 में राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज और पत्तनों को जोड़ने वाले खंडों की बैंकेबल परियोजनाओं को शुरू करने के लिए की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 56 परियोजनाओं (स्वीकृत और अस्वीकृत दोनों) का कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड को सौंप दिया गया है। इन परियोजनाओं के निष्पादन के अलावा, रेल विकास निगम लिमिटेड स्वदेशी बाजार अथवा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बी ओ टी योजनाओं आदि के माध्यम से संसाधन जुटाएगा।

वैकल्पिक मार्गों का विकास

रेल सिस्टम के स्वर्णिम चतुर्भुज और विकर्ण बहुत भीड़-भाड़ वाले मार्ग हैं और इन मार्गों के सुदृढ़ीकरण का काम राष्ट्रीय रेल विकास योजना के एक भाग के रूप में हाथ में लिया गया है। अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले मार्गों पर भीड़ कम करने हेतु वैकल्पिक मार्ग मुहैया कराने की दृष्टि से आमान परिवर्तन और नई लाइनें बिछाने संबंधी निर्माण एवं सर्वेक्षण के कार्य हाथ में लिए गए हैं। इनमें कानपुर-कासगंज-मथुरा, आगरा-बांदीकुई, अजमेर-चित्तौड़गढ़, नीमच-रतलाम, बीजापुर-गडग, धर्मावरण-पकाला, छिंदवाड़ा-नागपुर, मुदखेड़-आदिलाबाद, निजामाबाद-सिकंदराबाद तथा जबलपुर-गोंदिया और रायगंजमंडी-भोपाल, डल्ली राजहरा-जगदलपुर, सोलापुर-तुलजापुर-उसमानाबाद, गया-चतरा-तोरी और भिंड-इटावा नई लाइनें शामिल हैं। सुनते जाइए न। जो छूट जाएंगे, उन सबका करेंगे।

पहिया विनिर्माण के लिए नई उत्पादन इकाई

इस समय रेल व्हील फैक्टरी, बंगलौर और दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर द्वारा रेल पहियों का उत्पादन किया जाता है। बहरहाल, देश में पहिया विनिर्माण क्षमता की कमी है जिसे आयात द्वारा पूरा किया जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि क्षमता की यह कमी वर्ष 2009-2010 तक लगभग 60-70 हजार पहिया हो जाएगी। पहिया विदेश से मंगाया जा रहा है। देश का पैसा बाहर जा रहा है। आयात, जिसके द्वारा आपूर्ति न केवल अनिश्चित होती है अपितु महंगी भी पड़ती है, पर अपनी निर्भरता कां कम करने के लिए एक नए पहिया विनिर्माण सयंत्र को छपरा में स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके लिए एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मुख्य कच्चा माल स्क्रैप स्टील है जो भारतीय रेल के पास भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। इससे आत्मनिर्भरता के पथ पर हम और आगे बढ़ेंगे।

उत्पादन इकाइयां

मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले वर्ष के दौरान सभी रेल उत्पादन इकाइयों का

[श्री लालू प्रसाद]

कार्य निष्पादन संतोषजनक रहा है। जोनल रेलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के आलवा, हमने तंजानिया, मलेशिया, पश्चिम अफ्रीका और बांग्लादेश को 44.75 करोड़ रुपए के डीजल रेल इंजन और अतिरिक्त पुर्जों का निर्यात किया है।

सारा गुंडा और ए.के.-47 खत्म हो जाएगा और हमारा अर्थ दूसरे काम में लगेगा।

[अनुवाद]

श्री ए.आर. अंतुले (कुलाबा): बहुत अच्छा है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद:

स्क्रैप का निपटान

भारतीय रेल प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख टन के धातु-स्क्रैप की बिक्री करती है। समय-समय पर माननीय सदस्यों ने इस प्रकार की स्क्रैप बिक्री में कदाचार के बाबत चिंता व्यक्त की है। अब मैंने यह विनिश्चय किया है कि इस स्क्रैप को बाहरी पार्टियों को बेचने के बजाय स्वयं इसकी रि-साइक्लिंग करके पुन: उपयोग करने की संभावना का पता लॉजिस्टिक्स लागत लाभ विश्लेषण आदि करते हुए लगाया जाए। लोहा से लोहा बानना सीखो। यह हमारे कारीगर का हुनर है।

प्रो. राम गोपाल यादव: बहुत बड़ा स्कैंडल रुक जाएगा।

श्री लालू प्रसाद: आप एस.पी. के लोग थोड़ा खुलकर बोलिए न।

सतर्कता

सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार के संकल्प को देखते हुए, रेलों के सतर्कता संगठन ने राजस्व की चोरी के संभावित क्षेत्रों पर नियंत्रण हेतु गहन सतर्कता जांच के लिए यातायात संबंधी अप्रभावों, स्क्रैप निपटान और कर्मचारियों के भुगतानों में अनियमितताओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है। इस संबंध में इलेक्ट्रानिक तुला मशीनों, भंडार लेखों का कम्प्यूटरीकरण आदि जैसे कुछ उपाय किए गए हैं। सतर्कता विभाग ने यात्री आरक्षण, सामान और पार्सल बुकिंग, गाड़ियों, खानपान और दावों के निपटान जैसे जनसंपर्क वाले क्षेत्रों में अपने अभियान को जारी रखा है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2003-2004 में लगभग 4.2 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है।

औद्योगिक संबंध

भारतीय रेल स्थायी वार्ता तंत्र (पी एन एम) के माध्यम से अपने कर्मचारी संघों के साथ लगातार बातचीत करती रहती है। 'प्रबंधन में रेल कर्मचारियों की भागीदारी' (प्रेम) मंच के माध्यम से भी अधिकारियों और कर्मचारी संघों के साथ नियमित बातचीत होती है। हमें इन संघों से लक्ष्यों को प्राप्त करने व भविष्य के लिए रोड मैप बनाने में पूरा सहयोग और भागीदारी मिलती रही है।

रेल कर्मचारियों के हित के लिए रेलवे विभिन्न कल्याणकारी स्कीमें चला रही है। सुधार पर नजर रखने के लिए इन स्कीमों की निरंतर समीक्षा की जाती है। महिला कर्मचारियों के कल्याण और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारी कल्याण निधि के अंतर्गत एक नई गतिविधि की व्यवस्था की गई है। प्रति व्यक्ति 50 पैसे के अंशदान के आधार पर लगभग 7 लाख रुपए की राशि अलग रखी गई है। इस राशि का उपयोग केवल महिला कर्मचारियों के कल्याण और सशक्तीकरण संबंधी क्रियाकलापों पर किया जाएगा।

लाइसेंसधारी पोर्टरों के लिए सुविधाएं

रेलों ने लाइसेंसधारी पोर्टरों की सहूलियत के लिए स्टेशनों पर शेल्टरों की व्यवस्था की हुई है जहां वे विश्राम कर सकते हैं। यह प्रस्ताव है कि 5 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराकर इन शेल्टरों में सुधार किया जाए।

हालांकि रेलवे स्टेशनों पर काम करने वाले पोर्टर (कुली) रेल सेवक नहीं हैं, फिर भी लाइसेंसधारी पोर्टर के स्वयं के लिए द्वितीय/शयनयान श्रेणी में उसके कार्य स्थल के स्टेशन से भारतीय रेल के किसी भी स्टेशन तक और वापसी की यात्रा करने के लिए सुविधा पास के एक सेट की रियायत दी गई है। मैं अब इस सुविधा को पोर्टर के पति/पत्नी को भी देने का प्रस्ताव करता हूं।

असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

महोदय, साझा न्यूनतम कार्यक्रम में हम विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण और खुशहाली तथा हर दृष्टि से उनके परिवारों के सुरक्षित भविष्य के प्रति वचनबद्ध हैं। जहां तक रेलवे का संबंध है, हम हमेशा से एक आदर्श नियोक्ता रहे हैं। जैसा कि सदन को जानकारी है, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना 50 जिलों में पायलट योजना के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत यूनिवर्सल इंश्योरेंस स्कीम के जरिए स्वास्थ्य बीमा, एक लाख रुपए की राशि का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रतिमाह 500 रुपए की न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था शामिल है। मेरा इस योजना के अंतर्गत रेलवे के संपर्क में आने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों जैसे लाइसेंसधारी पोर्टर (कुली), वेंडर, फेरी वाले, स्टालों व साइकिल स्टैंड पर कार्य करने वाले लोग, निर्माण कामगार आदि को शामिल करने का प्रस्ताव है। कल्याणकारी उपाय के रूप में मेरा 'असंगठित कामगार

सामाजिक सुरक्षा निधि' में अनुदान देने का प्रस्ताव है ताकि लाइसेंसधारी पोर्टर, जो स्व-रोजगार प्राप्त कामगार हैं, को भी इस योजना में शामिल किया जा सके। इन लाइसेंसधारी पोर्टरों, जो स्व-रोजगार प्राप्त कामगार हैं, को उपयुक्त अंशदान करके इस योजना में शामिल करने के लिए एक जागरूकता अभियान भी शुरू किया जाएगा। जहां तक ठेकेदारों/लाइसेंसधाारियों द्वारा नियोजित रेलवे से संबंद्ध असंगठित क्षेत्र के अन्य कामगारों का संबंध है, श्रम और विधि मंत्रालयों के साथ परामर्श करके संविदा में उपयुक्त उपबंध शामिल किए जाएंगे ताकि ठेकेदार/लाइसेंसधारी इस सामाजिक सुरक्षा योजना के उपबंधों को कार्यान्वित कर सकें। मुझे आशा है कि सोशल सिक्योरिटी नेट के अंतर्गत बड़ी भारी संख्या में असंगठित कामगारों को लाने का यह कीर्तिमान होगा।

आरक्षण

मुझे सम्मानित सदन को सूचना देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व का निर्धारित प्रतिशत रेल सेवाओं के सभी ग्रुपों में प्राप्त कर लिया गया है। परंतु, अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व ग्रुप ''ए'' को छोड़कर सेवाओं के सभी ग्रुपों में 7.5 प्रतिशत के निर्धारित प्रतिशत से थोड़ा सा कम है जो कि योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण है। जो यह बहाना बनाकर कह देते हैं कि उपयुक्त नहीं पाया गया, मैंने अनुसूचित जनजाति की आरक्षित रिक्तियों में बैकलाग को भरने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

जहां तक अन्य पिछड़े वर्गों (ओ बी सी) के प्रतिनिधित्व का मामला है, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जिस वर्ष (1993) से उनके लिए आरक्षण की सुविधा मुहैया करायी गयी है, तबसे सीधी भर्ती वाली कोटियों में निर्धारित प्रतिशत कोटा के तहत अन्य पिछड़े वर्गों को भर्ती करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। यद्यपि ग्रुप 'ए' कोटियों में अधिक पद रिक्त नहीं हैं, लेकिन ग्रुप 'सी' और 'डी' स्तरों पर उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने और चयन के उपरांत उम्मीदवारों द्वारा ज्वाइन न करने के कारण सीधी भर्ती कोटा के पदों पर भर्ती कम रही है। मैंने अन्य पिछड़े वर्गों की आरक्षित रिक्तियों में बैकलाग को भरने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

खेलकूद

वर्ष 2003-2004 के दौरान क्रीड़ा के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तरों पर भारतीय रेल का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। यह अत्यंत गर्व की बात है कि हैदराबाद में आयोजित एफ्रो-एशियन खेल 2003 में रेल खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसके अलावा, भारतीय रेल वालीबाल, बास्केटबाल और गोल्फ टीमों ने 2003-2004 की विश्व रेल चैम्पियनशिप में पहली बार क्रमशः स्वर्ण, रतज और कांस्य पदक जीते हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर, रेल खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में 16 राष्ट्रीय खिताब जीते हैं और 12 खेलों में रनर-अप रहे हैं। सात खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार और एक-एक ध्यानचंद और द्रोणाचार्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मैं एक रेल खिलाड़ी सुश्री के.एम. बीनामोल के बारे में विशेष रूप से बताना चाहूंगा, जिन्हें वर्ष के दौरान पद्मश्री एवं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह ऐसा पहला अवसर है जब वर्ष के दौरान 10 रेल खिलाड़ियों को ऐसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन लगातार वर्ष 2002-2003 में भी संतोषजनक रहा है। इरकान अंतरराष्ट्रीय लिमिटेड का टर्न ओवर 800 करोड़ रुपए हुआ था और इसने 87 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया। इसने वर्ष 2002-2003 के लिए 18.81 करोड़ रुपए के लाभांश का भुगतान किया। राइट्स लिमिटेड ने अब तक की सबसे अधिक 321.5 करोड़ रुपए की आमदनी प्राप्त की है जिससे वर्ष 2002-2003 में 54.4 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज हुआ है। इसने 5 करोड़ रुपए के लाभांश का भुगतान किया है। भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कानकोर) को कुल 1,534 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है जिससे 272.8 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है और इसने 71.5 करोड़ रुपए के लाभांश का भुगतान किया है। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) में 73.6 करोड़ रुपए का टर्न-ओवर हुआ और 5.5 करोड़ रुपए की शुद्ध आमदनी हुई। इसने वर्ष 2002-2003 में 1.2 करोड़ रुपए के लाभांश का भुगतान किया। इस निगम ने इंटरनेट टिकट बुकिंग सेवा शुरू की है जो अब भारत के 100 से अधिक शहरों में शुरू हो गई है।

वर्ष 2002-2003 के दौरान भारतीय रेल वित्त निगम ने स्वदेशी और विदेशी बाजार से 2,775 करोड़ रुपए जुटाए हैं और 68 विद्युत रेल इंजनों, 92 डीजल रेल इंजनों, 1,653 सवारी डिब्बों और 4,731 वैगनों की खरीद के लिए वित्त-पोषण किया है और ये रेलवे को पट्टे पर दिए गए हैं। भारतीय रेल वित्त निगम ने 334.5 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त किया और 101 करोड़ रुपए का लाभांश का भुगतान किया।

कोंकण रेल निगम

कोंकण रेल निगम अपने परिचालन के पिछले तीन वर्षों से अपने निष्पादन में लगातार सुधार कर रही है। फिर भी, चूंकि पूंजीगत लागत का भुगतान 70 प्रतिशत बाजार ऋणों से पूरा किया गया है, इसलिए भारी ऋणों के कारण निगम पर प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपए के ब्याज का भार पड़ रहा है। यह राशि पहले

[श्री लालू प्रसाद]

ही ड्यू हो चुके बांडों को चुकता करने की राशि के अलावा है। रेलवे इस संबंध में निगम को लगातार वित्तीय सहायता दे रही है। निगम की वित्तीय समस्याओं के समाधान के लिए मैं भागीदारी वाले राज्यों केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र की सरकारों के साथ विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव करता हूं।

यात्री सुविधाएं

भारतीय रेल पर 8,000 से अधिक स्टेशन हैं जिनका प्रतिदिन लाखों यात्रियों द्वारा उपयोग किया जाता है। मैंने इन सभी स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के रख-रखाव और उनमें सुधार करने पर विशेष ध्यान देने का विनिश्चय किया है। जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रमशः 178 करोड़, 175 करोड़ और 169 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी, वही इस वर्ष यात्री सुविधाओं में सुधार करने के लिए 215 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है ताकि इस क्षेत्र को बल मिल सके।

215 करोड़ रुपए के इस बजटीय परिव्यय को विशेष रूप से चिन्हित यात्री सुविधा संबंधी कार्यों जैसे आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके कीटाणु-रहित सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाले पेयजल की व्यवस्था, वाशेबुल ऐप्रेन की व्यवस्था, साफ शौचालयों, पर्याप्त संख्या में बुकिंग विंडो, पूरी लंबाई की गाड़ियों को स्थान देने के लिए प्लेटफार्मों का विस्तार, प्लेटफार्मों का ऊंचा करने, सब-वे और ऊपरी पैदल पुलों की व्यवस्था तथा उन्हें चौड़ा करने पर खर्च किया जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य: राशि बहुत कम है।

श्री लालू प्रसाद: और बढ़ाएंगे, प्रधान मंत्री जी ने कहा है।

इससे स्टेशनों पर साफ-सफाई के स्तर में सुधार, यात्रियों की सुरक्षित और सुविधाजनक आवा-जाही, भीड़-भाड़ को कम करने और यात्रियों की बेहतर निकासी सुनिश्चित करने में बहुत मदद मिलेगी। ऐसे कार्य लगभग 1,100 स्टेशनों पर शुरू किए जाएंगे।

मार्च 2005 के अंत तक सभी स्टेशनों पर न्यूनतम अनिवार्य यात्री सुविधाओं संबंधी कमियों को पूरा कर दिया जाएगा।

शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के अनुकूल यात्री सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। रेलवे मार्च, 2005 तक 'ए' श्रेणी के सभी 225 स्टेशनों पर अलग से पार्किंग, मुख्य स्टेशन इमारत तक रैंप, नीचे लेवल वाले शौचालय और नीचे लेवल वाली 'पीने के पानी की टोंटियां, फिसलन रहित मार्ग, और सहायता बूथ जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है। अगले तीन वर्षों अर्थात् मार्च, 2007 तक 'बी' श्रेणी के सभी 283 स्टेशनों पर भी ये सुविधाएं मुहैया करा दी जाएंगी।

शयनयान श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं में सुधार करने के लिए जी एस सी एन किस्म के सवारी डिब्बों में अतिरिक्त सुविधाएं यथा प्रत्येक केबिन में स्नैक टेबल, मैगनीज होल्डर, बोतल/गिलास होल्डर और डिब्बे के प्रत्येक केबिन में एक आईना (8 यात्रियों हेतु) उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। आठ यात्रियों पर एक आइना होगा, यह नहीं कि हरेक के लिये एक-एक हो।

श्री मोहन सिंह: जो बाल नहीं बनाते हैं,

श्री लालू प्रसाद: वे अपने हाथ से ही कंघी करें।

मुझे सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि नए बनने वाले सभी सवारी डिब्बे क्रैश वर्दिनेस फीचर से युक्त होंगे।

महिला यात्रियों के लिए विशेष कदम

जोनल रेलों के कुछ सेक्शनों पर महिला टिकट जांचकर्त्ता दलों की तैनाती से रेल यात्रा करने वाली महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा हुई है। भारतीय रेल द्वारा प्रायोगिक आधार पर किए गए इस उपाय से प्रेरित होकर सभी रेलों पर, जहां भी आवश्यक है, ऐसे महिला जांचकर्त्ता दलों को तैनात करने का निर्णय लिया गया है।

महिला यात्रियों को होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि उपनगरीय गाड़ियों में महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में अप्राधिकृत फेरीवालों के जाने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा हेल्प लाइन के फोन नंबरों के स्टीकर डिब्बों में प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएंगे।

अन्य उपाय

इस सदन को पहले भी सूचित किया गया था कि किसी दुर्घटना में सवारी डिब्बों के एक दूसरे पर चढ़ने से रोकने के लिए टाइट-लाक सेंटर बफर कपलर उत्तरोत्तर रूप से लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में ऐसी विशेषता वाले जर्मन डिजाइन के नए सवारी डिब्बों के अलावा आई सी एफ डिजाइन वाले डिब्बों में भी टाइट-लाक सेंटर बफर कपलर लगाए जा रहे हैं। इलाहाबाद और दिल्ली के बीच चल रही प्रयागराज एक्सप्रेस गाड़ी में ऐसे कपलर वाले डिब्बे लगे हुए हैं और निम्नलिखित 24 डिब्बे वाली लंबी दूरी की गाड़ियों में भी इन कपलरों को लगाने की योजना है। जैसे डिब्बे पर डिब्बा चढ़ जाता था, उसको रोकने के लिए यह किया है।

1. चेन्नई से नई दिल्ली तक तमिलनाडु एक्सप्रेस
2. हैदराबाद से नई दिल्ली तक आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस
3. हैदराबाद से विशाखापत्तनम तक गोदावरी एक्सप्रेस
4. हैदराबाद से चेन्नई तक चार मीनार एक्सप्रेस।

जहां तक संभव होगा, रेल प्रशासन अधिक भीड़ वाली लंबी दूरी की सवारी गाड़ियों में अनारक्षित साधारण श्रेणी के डिब्बों की संख्या में वृद्धि करना सुनिश्चित करेगा।

आम आदमी के लिए 'विलेज-आन-व्हील्स' टूरिस्ट ट्रेन

आम आदमी जो गरीब है, बिलो पावर्टी लाइन है, साउथ के हमारे भाई-बहन हैं। गया में पिंड दान देना चाहते हैं। उनको नहीं मिल पाता। हमने यह व्यवस्था की है।

भारतीय रेल उच्च वर्ग के पर्यटकों के लिए पैलेंस आन व्हील्स, रायल ओरिएण्ट जैसी गाड़ियां चला रही है। आम लोगों, विशेषकर छोटे शहरों और गांवों के लिए ऐसी कोई सुविधा मौजूद नहीं है। सामान्य शयनयान श्रेणी के डिब्बों वाली टूरिस्ट स्पेशल गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है जो पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलेंगी। ये गाड़ियां एक क्षेत्र से पर्यटकों को एकत्रित करेंगी और उनके द्वारा वहन करने योग्य किराए पर धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के महत्वपूर्ण स्थानों पर ले जाएंगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा साधारण जनता के लिए भारत दर्शन का रास्ता सुगम हो सकेगा। सब धाम घुमा देंगे। चारों धाम ही नहीं, हमारा अजमेर शरीफ भी है। सभी धर्मों के, सभी वर्णों के लोग जहां जाना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया आपस में बातचीत न करें। उन्हें बजट भाषण पूरा करने दीजिए।

श्री लालू प्रसाद: धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

नई सेवाएं

अंतरिम रेल बजट, 2004-2005 में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की 18 जोड़ी गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव था। इनमें से कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को फरवरी, 2004 में सप्ताह में तीन बार चलने वाली गाड़ी के रूप में चलाया गया है।

नई दिल्ली-दरभंगा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहले से घोषित नई दिल्ली-समस्तीपुर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को दरभंगा तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। पहले समस्तीपुर तक था।

इस प्रकार वर्ष 2004-2005 के लिए प्रस्तावित नई सेवाएं इस प्रकार हैं:

(अ) नई गाड़ियां

संपर्क क्रांति एक्सप्रेस:

(1) पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली से गुवाहाटी तक

(2) आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली (निजामुद्दीन) से सिकंदराबाद तक

(3) बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली से दरभंगा तक

(4) छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली (निजामुद्दीन) से दुर्ग तक

(5) गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली से अहमदाबाद तक

(6) झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली से रांची तक

(7) केरल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली (निजामुद्दीन) से त्रिवेन्द्रम (कोचुवेलि) तक

(8) महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली (निजामुद्दीन) से मुंबई (बांद्रा) तक

(9) मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली (निजामुद्दीन) से जबलपुर तक

(10) उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली से भुवनेश्वर तक

(11) राजस्थान संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली से जोधपुर तक

(12) तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली (निजामुद्दीन) से मदुरै तक

(13) उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली (निजामुद्दीन) से चित्रकूट तक

(14) उत्तरांचल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली से काठगोदाम तक

[श्री लालू प्रसाद]

(15) पश्चिम बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली से कोलकाता (सियालदह) तक

(16) गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली (निजामुद्दीन) से मडगांव तक

(17) उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली से उधमपुर तक जो जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की जरूरतों के लिए होगी।

इन संपर्क क्रांति गाड़ियों के फेरों का निर्णय इनकी लोकप्रियता के आधार पर लिया जाएगा। जैसे कोई चलता है दो दिन तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा।

श्री मोहन सिंह: दरभंगा वाली छपरा होकर जाए।

श्री लालू प्रसाद: हां, जाएगी।

अन्य नई गाड़ियां:

(18) मुजफ्फरपुर-अहमदाबाद जनसाधारण एक्सप्रेस (सप्ताह में एक बार)

(19) चेन्नई सेंट्रल-नागरकोइल एक्सप्रेस (सप्ताह में एक बार)

(20) मुजफ्फरपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनल (एल टी टी) जनसाधारण एक्सप्रेस (सप्ताह में एक बार)

(21) रामनगर-मुरादाबाद पैसेंजर (प्रतिदिन)

(22) बंगलौर सिटी-बांगरपेट एक्सप्रेस (प्रतिदिन)

(23) सहरसा-मानसी पैसेंजर (प्रतिदिन)

(24) चरारू टकराला-अंबाला कैंट डी एम यू सेवा (प्रतिदिन)

(25) चेन्नई एग्मोर-कुंबाकोनम एक्सप्रेस (प्रतिदिन)

(26) मैसूर-धारवाड़ एक्सप्रेस (प्रतिदिन)

(27) चेन्नई सेंट्रल-हुबली एक्सप्रेस (सप्ताह में एक बार)

(28) चेन्नई एग्मोर-तेनकासी-सेनगोत्ताई एक्सप्रेस (आमान परिवर्तन के बाद)

(29) जयपुर-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस (आमान परिवर्तन के बाद)

(30) दिल्ली-फैजाबाद एक्सप्रेस

(31) इंदौर-पटना एक्सप्रेस बरास्ता फैजाबाद (सप्ताह में एक बार)

(32) गुवाहाटी-झाझा एक्सप्रेस बरास्ता जीसीडीह (सप्ताह में एक बार)

(ब) विस्तार

(1) 8411/8412 भुवनेश्वर-श्रीकाकुलम एक्सप्रेस विशाखापत्तनम तक

(2) 8303/8304 संभलपुर-भुवनेश्वर एक्सप्रेस पुरी तक

(3) 1 बीएसएल/339 बीकानेर-भटिंडा पैसेंजर अबोहर तक

(4) 199/200 जयपुर-बीकानेर पैसेंजर सूरतगढ़ तक

(5) 7029/7030 हैदराबाद-एर्णाकुलम सबरी एक्सप्रेस कोचुवेलि तक

(6) 2069/2070 रायगढ़-डोंगरगढ़ जनशताब्दी गोंदिया तक

(7) 5711/5712 न्यू जलपाईगुड़ी-आसनसोल एक्सप्रेस एक सिरे पर अलीपुरद्वार तक और दूसरे सिरे पर रांची तक

(8) 9049/9050 राजेन्द्रनगर-वलसाड एक्सप्रेस बांद्रा टर्मिनस तक

(9) मनकापुर-कटरा दो जोड़ी पैसेंजर गाड़ी के फैजाबाद तक।

(स) फेरों में वृद्धि:

(1) 1067/1068 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-फैजाबाद साकेत एक्सप्रेस को सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर 2 दिन

(2) 2313/2314 नई दिल्ली-सियालदह राजधानी एक्सप्रेस को 5 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन

(3) 6507/6508 जोधपुर-बंगलौर एक्सप्रेस को सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर 2 दिन

(4) 1049/1050 दादर-यशवंतपुर एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन) को निरस्त कर 1017/1018 बंगलौर-मुंबई चालुक्य एक्सप्रेस को सप्ताह में 3 दिन से बढ़ाकर सप्ताह में 6 दिन

(5) 3149/3150 सियालदह-अलीपुरद्वार कंचनकन्या एक्सप्रेस को सप्ताह में 3 से बढ़ाकर 4 दिन

(6) 2141/2142 लोकमान्य तिलक टर्मिनलस-राजेन्द्रनगर एक्सप्रेस को सप्ताह में 6 दिन से बढ़ाकर प्रतिदन

(7) 2957/2958 नई दिल्ली-अहमदाबाद राजधानी एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन से बढ़ाकर 6 दिन

(8) 9307/9308 इंदौर-ग्वालियर एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन) को भिंड तक बढ़ाते हुए 9319/9320 इंदौर-भिंड एक्सप्रेस को सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर 3 दिन

(9) 2319/2320 अमृतसर-आसनसोल एक्सप्रेस (सप्ताह में एक दिन) को सियालदह तक बढ़ाते हुए 2317/2318 सियालदह-अमृतसर अकालतख्त एक्सप्रेस को सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर को दिन

(10) 2131/2132 पुणे-नागपुर एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार) को हावड़ा तक बढ़ाते हुए 2129/2130 पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस को सप्ताह में 5 दिन से बढ़ाकर प्रतिदन

(11) 6309/6310 पटना-एर्णाकुलम एक्सप्रेस को सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर दो दिन

(12) 2649/2650 यशवंतपुर-निजामुद्दीन कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन।

मुझे पूरी आशा है कि सामूहिक रूप से इन 54 जोड़ अतिरिक्त सेवाओं से देश के सभी भागों से यात्री जनता की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने में भारतीय रेल के संकल्प को काफी मदद मिलेगी।

वार्षिक योजना 2004-2005

महोदय, मैं अब 2004-2005 की वार्षिक योजना प्रस्तुत करना चाहूंगा। वर्ष 2004-2005 के लिए 11,265 करोड़ रुपए का योजना परिव्यय रखा गया है। विशेष रेल संरक्षा निधि से संबंधित संरक्षा कार्यों के लिए 2,933 करोड़ रुपए के परिव्यय को देखते हुए कुल परिव्यय 14,198 करोड़ रुपए बनता है। यह अंतरिम बजट के परिव्यय से 773 करोड़ रुपए ज्यादा है। वर्ष 2004-2005 के लिए सामान्य राजकोष से प्राप्त कुल निधि उतनी ही है जितनी कि अंतरिम बजट में व्यवस्था की गई थी अर्थात् 7,020 करोड़ रुपए, जिसमें विशेष संरक्षा निधि में अंशदान के 2,075 करोड़ रुपए और केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त 401 करोड़ रुपए शामिल हैं। पिछले वर्ष के बजट अनुमान में यह राशि 6,577.34 करोड़ रुपए थी जिसमें विशेष रेल संरक्षा निधि के लिए प्राप्त 1,600 करोड़ रुपए और केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त 433 करोड़ रुपए शामिल थे। ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला राष्ट्रीय परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपये का पृथक आवंटन किया गया है, जिसके कारण रेलवे का कुल योजना परिव्यय 14,498 करोड़ रुपए हो जाता है।

बजटीय समर्थन के अतिरिक्त, मैं योजना खर्च के लिए आंतरिक तौर पर जुटाए गए संसाधन से भी 2,870 करोड़ रुपए मुहैया कराने का प्रस्ताव करता हूं जो पिछले वर्ष के बजट की राशि से 240 करोड़ रुपए अधिक है। पिछले वर्षों की भांति ही मुख्यत: भारतीय रेल वित्त निगम के माध्यम से बाजार से ऋण लेने के बजटेतर स्रोतों से योजना की शेष जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसमें बाजार से ऋण के रूप में 3,400 करोड़ रुपए और वीरमगांव-मेहसाणा आमान परिवर्तन कार्य की 'बी ओ टी' परियोजना के जरिए निवेश के 50 करोड़ रुपए शामिल हैं। विशेष रेल संरक्षा निधि को केन्द्र सरकार के अंशदान के साथ-साथ रेलवे के अपने अंशदान से सम्पूरित किया जाएगा, जो 858 करोड़ रुपए होने की आशा है, जिससे विशेष रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत कुल परिव्यय 2,933 करोड़ रुपए हो जाएगा।

महोदय, वार्षिक योजना में विकास और संरक्षा पर जोर दिया गया है। इस वर्ष 5 प्रमुख परियोजना शीर्षों में पूंजी के अंतर्गत कुल परिव्यय 2,696 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसमें नई लाइनों पर 947 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है जो कि ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला नई लाइन के लिए पृथक आवंटन को शामिल करके 1,247 करोड़ रुपए हो जाती है। नई लाइनों के अलावा, आमान परिवर्तन पर 760 करोड़ रुपए, दोहरीकरण के लिए 479 करोड़ रुपए और विद्युतीकरण के लिए 125 करोड़ रुपए शामिल हैं। महानगर परिवहन परियोजनाओं के लिए 385 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, योजना शीर्ष नई लाइनें, दोहरीकरण, आमान परिवर्तन और रेल विद्युतीकरण के अंतर्गत अनेक कार्यों के लिए जो रेल विकास निगम द्वारा निष्पादित किए जाने हैं, 717 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। विशेष रेल संरक्षा निधि के परिव्यय सहित संरक्षा से संबंधित योजना शीर्षों पर परिव्यय रेलपथ नवीकरण के लिए 2,570 करोड़ रुपए, पुलों के लिए 528 करोड़ रुपए और सिग्नल एवं दूरसंचार के लिए 813 करोड़ रुपए है।

बजट अनुमान 2004-2005

अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2004-2005 के बजट अनुमानों की चर्चा करूंगा। 2004-2005 के अंतरिम बजट के माध्यम से इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत अनुमान 2003-2004 के संशोधित अनुमानों पर आधारित थे। 2003-2004 के लगभग वास्तविक वित्तीय परिणाम अब उपलब्ध हैं, जिनके संदर्भ में अंतरिम बजट अनुमानों की समीक्षा की गई है और उन्हें अद्यतन किया गया है।

अंतरिम बजट में 2004-2005 की यात्री आमदनी में 5.49 प्रतिशत की वृद्धि दर पाने की प्रत्याशा की गई थी। बहरहाल, 2003-2004 के दौरान प्राप्त की गई वास्तविक वृद्धि दर के परिप्रेक्ष्य में यात्री आमदनी को अब संशोधित करते हुए अंतरिम बजट के 14,200 करोड़ रुपए से घटाकर 13,940 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है।

माल यातायात से आदमनी में, जिसे उस समय के रुझान को देखते हुए पिछले वर्ष संशोधित अनुमानों के समय कम कर दिया गया था, सामान्य रूप से आए उछाल के कारण पिछले वर्ष के शेष समय के दौरान उल्लेखनीय रिकवरी हुई है जिसके परिणामस्वरूप संशोधित लक्ष्य को पार कर लिया गया था। इस रुझान से प्रोत्साहित

[श्री लालू प्रसाद]

होकर लदान लक्ष्य में 10 मिलियन टन की वृद्धि करने और इसे 580 मिलियन टन पर निर्धारित कर माल यातायात से आदमनी को संशोधित करने का प्रस्ताव है। तदनुसार माल यातायात से आमदनी 28,745 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है जो अंतरिम बजट से 645 करोड़ रुपए अधिक है।

संशोधित अनुमान 2003-2004 की तुलना में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाते हुए अंतरिम बजट में अन्य कोचिंग आय को 990 करोड़ रुपए रखा गया था। अब पार्सल दरों के पुनर्वर्गीकरण, जिनसे 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है, को ध्यान में रखते हुए इन्हें 1,040 करोड़ रुपए आंका जा रहा है। इस पुनर्वर्गीकरण का विस्तृत विवरण में अपने भाषण में आगे दूंगा। 2003-2004 के दौरान अन्य विविध आय में हुई मामूली कमी के मद्देनजर चालू वित्तीय वर्ष में इनका लक्ष्य 1,072 करोड़ रुपए रखा जा रहा है जो अंतरिम बजट से 40 करोड़ रुपए कम है।

ट्रैफिक सस्पेंस में 25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली होने से चालू वित्त वर्ष के लिए सकल यातायात प्राप्तियां अब 44,902 करोड़ रुपए आंकी गई हैं जो अंतरिम बजट से 420 करोड़ रुपए अधिक है।

2004-2005 के लिए साधारण संचालन व्यय हेतु धन की आवश्यकता को जो अंतरिम बजट में 32,960 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी, पिछले वर्ष में प्राप्त की गई बचत को देखते हुए पुन: निर्धारित कर दिया गया है। बहरहाल, अंतरिम बजट के बाद मूल वेतन में 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते को समाहित कर देने और डीजल की कीमतों में वृद्धि होने जैसे कारक ऐसे हैं जिनकी अंतरिम बजट में जाहिर है कि व्यवस्था नहीं की गई थी। व्यय पर नियंत्रण और जीरो बेस बजट बनाने के संबंध में रेलवे द्वारा किए गए कड़े उपायों के फलस्वरूप रेलवे इन कारकों के प्रभाव को न केवल अंतरिम बजट में ही खपा लेने में समर्थ होगी वरन् साधारण संचालन व्यय में 100 करोड़ रुपए की कमी की भी संभावना है, तदनुसार, इन्हें बजट अनुमान 2004-2005 में 32,860 करोड़ रुपए रखा जा रहा है।

मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग, जिसे अंतरिम बजट में 1,900 करोड़ रुपए रखा गया था, को बढ़ाकर 2,267 करोड़ रुपए किया जा रहा है। मौजूदा और भावी बदलाव संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विवेक सम्मत रूप से मूल्यह्रास आरक्षित निधि में वृद्धि की जा रही है।

पेंशन दायिता में प्रत्याशित मामूली कमी को ध्यान में रखते हुए राजस्व से पेंशन निधि में विनियोग को अंतरिम बजट के 6,390 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए कम किया जा रहा है।

इस प्रकार अब कुल संचालन व्यय 41,417 करोड़ रुपए बनता है और शुद्ध यातायात प्राप्तियां जो अंतरिम बजट में 3,232 करोड़ रुपए थीं अब 3,485 करोड़ रुपए बनती हैं। शुद्ध विविध प्राप्तियों से आने वाले 993 करोड़ रुपए की राशि के साथ अब शुद्ध रेलवे राजस्व 4,478 करोड़ रुपए बनता है जो अंतरिम बजट में 4,225 करोड़ रुपए था। 3,305 करोड़ रुपए के वर्तमान लाभांश भुगतान और आस्थगित लाभांश दायिता के 300 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद रेलवे के पास 873 करोड़ रुपए का "सरप्लस" होगा। संरक्षा पर अधिक बल दिए जाने के कारण इस सरप्लस से 158 करोड़ रुपए विशेष रेल संरक्षा निधि के माध्यम से और शेष विकास निधि के माध्यम से आधुनिकीकरण और विकास कार्यों में लगाने का प्रस्ताव है।

मेरा प्रयास यह सुनिश्चित करना होगा कि बढ़ी हुई कार्यकुशलता और बेहतर क्षमता के उपयोग के परिणाम वास्तव में राष्ट्रीय संदर्भ में अर्थपूर्ण हों। रेलवे के बेहतर निष्पादन का लाभ अच्छी मात्रा में विकास और मूल्य स्थिरता में सहायक हो कर काम आदमी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पहुंचना चाहिए। मेरी यह कोशिश रहेगी कि रेलवे पर निर्भर रहने वाले समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक परिवहन का अपेक्षाकृत सस्ता माध्यम उपलब्ध कराकर उन पर बोझ कम किया जाए।

मार्केट शेयर को बनाए रखने, बल्कि बेहतर बनाने की दृष्टि से मैं वर्ष 2004-2005 के लिए मालभाड़ा दरों में किसी भी प्रकार की वृद्धि का प्रस्ताव नहीं करता हूं, बहरहाल, भारतीय रेल की परिवहन अवसंरचना में उनके निवेश हेतु उपयुक्त लाभ देकर अपने माल ग्राहकों के साथ स्थायी संबंध स्थापित करने के लिए हमें अपनी नीतियों पर नए सिरे से विचार करना आवश्यक है, इस दिशा में मैं कुछ उपाय करना चाहता हूं। भाड़ा बढ़ा देने से सारा माल सड़क पर चला जाता है। उधर सड़कें भी टूटी हुई हैं इसलिए भाड़ा नहीं बढ़ा रहे हैं।

पिछले वर्ष, रेलवे ने बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन (बी टी पी एस) से कई वर्षों से चली आ रही बकाया राशि की आंशिक वसूल करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। निरंतर वसूली करके और मालभाड़े के भुगतान की इलेक्ट्रानिक सुविधा बड़े पैमाने पर शुरू करके आगे की वृद्धि को नियंत्रित करने की उम्मीद है। इससे हमारे ग्राहकों को उनके लिए सुविधाजनक स्टेशन पर मालभाड़े का भुगतान करने की साफ-सुथरी, तीव्र और पारदर्शी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और इस प्रक्रिया में रेलवे की माल यातायात वाली आमदनी की वसूली में भी तेजी आएगी। इलेक्ट्रानिक पेमेंट गेटवे संबंधी एक पायलट परियोजना प्रस्तावित है जिसके अंतर्गत बी टी पी. एस को गंतव्य स्टेशन पर देय मालभाड़े के बारे में सूचित किया जाएगा और रेल के खाते में राशि का अंतरण इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा होगा। इसके सफल होने पर सभी इच्छुक माल

यातायात ग्राहकों को यह सुविधा दी जाएगी। इससे बोझिल प्रक्रिया समाप्त होने और समय लगने वाली कागजी कार्रवाई को समाप्त करने के अलावा राशि का तीव्र और सुरक्षित अंतरण सुनिश्चित होगा।

वैगनों को जल्दी रिलीज करने और उनकी बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 'इंजन-आन-लोड' नामक एक नई योजना शुरू की जा रही है जिसमें गाड़ी का इंजन लदान या उतराई होने के दौरान प्रतीक्षा करेगा। इस योजना के अंतर्गत लदान और उतराई के लिए फ्री टाइम मौजूदा मानदंडों से कम होगा। 'इंजन-आन-लोड' के ग्राहकों को इंजन भाड़ा प्रभारों, साइडिंग प्रभारों, शंटिंग प्रभारों और साइडिंगों में तैनात सभी रेल कर्मचारियों की लागत के भुगतान करने से मुक्त रखा जाएगा। विलंब शुल्क की गणना के लिए डेबिट/क्रेडिट घंटों संबंधी प्रणाली शुरू की जाएगी।

थर्मल पावर स्टेशनों और अन्य उद्योगों के लिए भारी मशीनरी के रेल द्वारा परेषणों को बढ़ावा देने के लिए विशेष किस्म के वैगनों में, जो ग्राहकों के स्वामित्व में होंगे, किए जाने वाले सभी संचालनों संबंधी मालभाड़े में 10 प्रतिशत की छूट देने का प्रस्ताव है, जो ग्राहक खरीद लेगा, जो बड़ी-बड़ी मशनरी वह खरीदेगा, ट्रेन द्वारा परेषणों को बढ़ावा देन के लिए उसमें हम दस प्रतिशत छूट देंगे। इसके अतिरिक्त, परेषणों के साथ जाने वाले ग्राहकों के तकनीकी कर्मचारियों और रेल कर्मचारियों को नि:शुल्क जाने की अनुमति होगी। रेल द्वारा भारी पारेषणों के ऐसे संचालन से न केवल सड़कों को होने वाली क्षति कम होगी, बल्कि परिवहन की यह पद्धति पर्यावरण के भी अनुकूल होगी।

विभिन्न जोनल रेलों द्वारा अपनाई जा रही किराए और मालभाड़े के लिए प्रभार्य दूरी का आकलन करने की पद्धति में असंगतियों को दूर करने के लिए कुल दूरी को मध्यवर्ती चरणों पर बार-बार राउंड आफ करने की बजाय अंत में एक बार ही अगले हायर किलोमीटर में राउंड आफ कर दिया जाएगा। इस तर्कसंगत पद्धति से किराया और मालभाड़ा वसूलने में एकरूपता आएगी।

यात्री सेवाएं

मैं वर्ष 2004-2005 के लिए यात्रा की किसी भी श्रेणी के यात्री किरायों में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं करता हूं। चाहे फस्ट क्लास हो या सैकेंड क्लास हो, देश की जनता के ऊपर हमारी सरकार कोई बोझ नहीं लादना चाहती। इसके लिए मैं सोनिया जी को और श्री मनमोहन सिंह जी को बधाई देता हूं। हम तो काम कर रहे हैं।

पार्सल सेवाएं

पार्सल सेवा के क्षेत्र में वस्तु आधारित दर संरचना की बजाय गाड़ी सेवा की किस्म पर आधारित लगेज समेत सभी वस्तुओं के लिए एक समान दरों की नई अवधारणा शुरू की गई थी। इस युक्तिकरण के दौरान पार्सलों की बुकिंग दरें सामान्यत: कम हो गई थीं। राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों द्वारा पार्सलों की बुकिंग के लिए दरों को स्केल-आर के अंतर्गत लगभग 7.1 प्रतिशत बढ़ाने और स्केल-पी के अंतर्गत दरों को स्केल-आर वाली दरों के लगभग 53 प्रतिशत पर निर्धारित करने का प्रस्ताव है जो वर्तमान में लगभग 43 प्रतिशत है। पार्सल पर हम लोगों ने थोड़ा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।

इसके अलावा न्यूनतम स्केल-ई को मानक स्केल-एस के साथ मिला देने का प्रस्ताव है जिससे रेट-स्केल की कुल संख्या मौजूदा 4 स्केल से घटकर 3 रह जाएगी। उच्चतम और न्यूनतम दरों के बीच अनुपात 6.2 से घटकर 3.0 हो जाएगा। स्केल-एस के दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बहरहाल, सभी गाड़ियों में अखबारों और मैगजीनों की बुकिंग समान रूप से राहत के साथ स्केल-एस के 45 प्रतिशत पर की जा सकेगी जो बुक्स और मैगजीन्स पर राहत दी गई है।

मिलेनियम पार्सल गाड़ियों सहित सभी प्रकार की विशेष पार्सल गाड़ियों को स्केल-एस की बजाय स्केल-पी दर से प्रभारित किया जाएगा।

पार्सल दरों में उपर्युक्त समायोजनों से चालू वर्ष की शेष अवधि में 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। बहुत मामूली है।

महोदय, अतिरिक्त राजस्व के लिए यात्री किरायों अथवा मालभाड़े की दरों में कोई वृद्धि किए बिना तथा 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते के विलय और डीजल की कीमतों में वृद्धि जैसे अंतरिम बजट के बाद के कारकों को आत्मसात् करने के बावजूद परिचालनिक अनुपात में सुधार परिलक्षित हुआ है और इसे अंतरिम बजट के 93 प्रतिशत की तुलना में अब 92.6 प्रतिशत के बजट स्तर पर रखा गया है।

उपसंहार

महोदय, मै रेलवे का नेतृत्व करने को अपना सौभाग्य और एक अनुपम अवसर मानता हूं तथा इसके निष्पादन में और सुधार करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा ताकि इस महान देश और इसकी जनता की आर्थिक उन्नति में आगे भी इसकी उल्लेखनीय भूमिका जारी रहे। मैं रेल कर्मियों के उत्साह और उनके भरपूर समर्थन के लिए आभार प्रकट करता हूं जिनके समर्पित प्रयासों के बिना रेलवे द्वारा प्रशंसनीय उपलब्धियों को प्राप्त करना संभव नहीं होता। हम यात्रियों और रेल उपयोगकर्त्ताओं को भी साधुवाद देते हैं जिनका हमें सदैव सहयोग मिलता रहा है और मुझे आशा है कि भविष्य में भी ऐसा सहयोग मिलता रहेगा।

[श्री लालू प्रसाद]

महोदय, पिछले कई वर्षों में रेलवे की कुछ हद तक उपेक्षा की गई है। इसकी अवसंरचना में किया गया निवेश, सही मायने में, अर्थव्यवस्था की वृद्धि के अनुरूप और देशभर के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा अभिव्यक्त की गई लोगों की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं रहा है। मैंने इस मुद्दे पर माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा की है और देश के विकास में भारतीय रेल की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उन्होंने इसका तहे दिल से समर्थन किया है तथा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया है ताकि यह रेल तंत्र प्रौद्योगिकी विकास, प्रबंधन तकनीक अथवा अपने उपयोगकर्त्ताओं को सुविधाएं देने की व्यवस्था जैसे सभी क्षेत्रों में विश्व की सर्वोत्तम प्रणालियों में एक बने और इसके लिए बिना किसी व्यवधान के धन की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा मुझे प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने आश्वस्त किया है। मैं उनकी इस उदारता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं और मेरा यह प्रयास होगा कि देश की अभिलाषाओं को पूरा करूं, जिसके लिए घोषित किए गए उपायों को लागू करने के अलावा एक व्यापक योजना भी बनाई जाएगी।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं 2004-2005 का रेल बजट सदन में संस्तुत करता हूं।

अपराह्न1.50 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य*

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अर्जुन सिंह, आप अपना वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): महोदय, मैं, आपकी अनुमति से इस वक्तव्य को सभा पटल पर रखता हूं।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड केन्द्र और राज्य सरकारों को शिक्षा के क्षेत्र में सलाह देने वाला सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1920 में की गई थी। इसके बाद 1935 में इसे पुन: स्थापित किया गया था और समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता रहा। इसकी बढ़ाई गई अवधि मार्च, 1994 में समाप्त हो जाने के बाद भी दुर्भाग्यवश इसका पुनर्गठन नहीं किया गया है।

देश में हो रहे महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तनों के मद्देनजर और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा, जो अपेक्षित है, करने के लिए इस समय केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। यह भी महत्वपूर्ण है कि केन्द्र और राज्य सरकारें और शिक्षाविद् तथा इससे संबंधित सभी व्यक्तियों को आपस में ताल-मेल बढ़ाना चाहिए और शिक्षा में नीति-निर्माण की सहभागी प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए ताकि हमारी राजनीतिक व्यवस्था के संघीय स्वरूप को बेहतर बनाया जा सके।

तद्नुसार भारत सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है जिसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमश: केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री होंगे। सरकारी प्रतिनिधियों के अलावा प्रत्येक राज्य सरकार से शिक्षा के एक प्रभारी मंत्री (मुख्य मंत्री द्वारा नामित) और प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र से उपराज्यपाल अथवा शिक्षा प्रभाग के प्रभारी मंत्री इस बोर्ड के सदस्य होंगे। इस बोर्ड में लोक सभा और राज्य सभा से चुने गए क्रमश: 4 और 2 सदस्य होंगे। इनसे साथ-साथ इस बोर्ड में शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं और विभागों के भी प्रतिनिधि पदेन सदस्य और अस्थाई आमंत्रित प्रतिनिधि होंगे। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से 32 लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति शामिल होंगे। पुनर्गठित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की संरचना अनुबंध के रूप में दी गई है।

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (क) समय-समय पर शिक्षा संबंधी प्रगति की समीक्षा करेगा (ख) केन्द्र तथा राज्य सरकारों, और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा शिक्षा नीति को किस स्तर तक तथा किस प्रकार से लागू किया गया है, इसका मूल्यांकन करके इस संबंध में उचित सलाह देगा ; (ग) शिक्षा नीति के अनुरूप शैक्षिक विकास हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों, राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वयन के संबंध में सलाह देगा; और यह शिक्षा संबंधी किसी भी मुद्दे पर अपनी ओर से अथवा केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी संघ शासित प्रदेश द्वारा इस बोर्ड को भेजे गए किसी भी संदर्भ में यह सलाह देगा।

इन कार्यों में निर्वहन हेतु, यह बोर्ड (1) किसी भी राजकीय संस्थान, किसी अन्य संगठन अथवा व्यक्ति से सूचना तथा टिप्पणियां मंगा सकता है; (2) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों तथा/अथवा अन्यों को लेकर, जो भी आवश्यक हो, समितियां अथवा दल नियुक्त कर सकता है; और (3) बोर्ड ऐसे विनिर्दिष्ट मुद्दे, जिन पर बोर्ड अथवा इसकी समितियों अथवा दलों द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, के संबंध में सरकार अथवा

*सभा पटल पर रखा गया। [ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 72/04]

किसी अभिकरण के माध्यम से अध्ययन, अनुसंधान अथवा रिपोर्टों आदि की व्यवस्था करेगा। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का कार्यकाल भारत के राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि का होगा।

अनुबंध

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन

1. **अध्यक्ष**

मानव संसाधन विकास मंत्री

2. **उपाध्यक्ष**

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री

3. **भारत सरकार के प्रतिनिधि**

(1) सूचना और प्रसारण मंत्री

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री

(3) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(4) श्रम मंत्री

(5) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(6) जनजातीय कार्य मंत्री

(7) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(8) सदस्य (शिक्षा), योजना आयोग

4. **राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि**

(1) प्रत्येक राज्य से एक शिक्षा प्रभारी मंत्री (मुख्य मंत्री द्वारा मनोनीत)

(2) प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के उप-राज्यपाल अथवा शिक्षा प्रभारी मंत्री

5. **चुने गए सदस्य**

(1) लोक सभा से चार संसद सदस्य

(2) राज्य सभा से दो संसद सदस्य

6. **पदेन सदस्य**

(1) सचिव, प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार

(2) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(3) अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

(4) अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद

(5) अध्यक्ष, केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद

(6) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

(7) अध्यक्ष, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

(8) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

(9) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

(10) अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(11) महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ

(12) अध्यक्ष, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद

(13) अध्यक्ष, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद

(14) अध्यक्ष, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद

(15) महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन।

7. **विभिन्न विषय-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले मनोनीत सदस्य (वर्णानुक्रम में)**

1.	श्री जावेद अख्तर	कवि, गीतकार, कार्यकर्त्ता
2.	श्री यू.आर. अनन्तमूर्ति	लेखक, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता
3.	प्रो. आन्द्रे बेटीले	समाजशास्त्री
4.	सुश्री इला भट्ट	एस.ई.डब्ल्यू.ए.
5.	श्री प्रफुल्ल बिदवई	स्तम्भ लेखक, शान्ति कार्यकर्त्ता
6.	श्री चार्ल्स कोरिया	वास्तुकार
7.	सुश्री जी. निर्मला देशपांडे	सामाजिक कार्यकर्त्ता
8.	श्री जी.पी. देशपांडे	लेखक, नाटककार और विद्वान
9.	सुश्री महाश्वेता देवी	लेखक, मैगसेसे तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता
10.	श्री जीन ड्रेज	अर्थशास्त्री
11.	श्री एस.वी. गिरि	कुलपति, सत्यसाई विश्वविद्यालय, पुत्तापार्थी
12.	प्रो. जे.एस. ग्रेवाल	इतिहासकार

13. श्री गोपाल गुरु	राजनीतिक वैज्ञानिक
14. सुश्री जोया हसन	प्रोफेसर, राजनीतिक विज्ञान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
15. प्रोफेसर पी.वी. इन्द्रसेन	पूर्व निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई
16. श्री जे.जे. ईरानी	टाटा न्यास
17. श्री किरण कार्निक	अध्यक्ष, नैस्काम
18. सुश्री किरण शा मजूमदार	अध्यक्षा, बायोकोन इंडिया लिमिटेड
19. प्रो. मृणाल मीरी	कुलपति, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग
20. सुश्री शुभा मुद्गल	शास्त्रीय गायिका
21. डा. जयंत नारलीकर	वैज्ञानिक
22. श्री संदीप पांडे	सामाजिक कार्यकर्त्ता, मैगसेसे पुरस्कार विजेता
23. श्री अजीम प्रेमजी	अध्यक्ष, विप्रो
24. श्री विनोद रैना	शिक्षाविद्, गैर-सरकारी संगठन
25. श्री अनिल सदागोपाल	शिक्षाविद्
26. सुश्री तीस्ता सीतलवाद	संपादक, कम्युनलिज्म कम्बैट
27. श्री किरण सेठ	स्पिक-मैके
28. सुश्री कुमुत शर्मा	महिला अध्ययन, निदेशक, सी.डब्ल्यू.डी.एस.
29. श्री पी.बी. शर्मा	संकाय अध्यक्ष, दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज
30. सुश्री शांता सिन्हा	शिक्षाविद्, मैगसेसे पुरस्कार विजेता
31. सुश्री कृष्णा सोबती	लेखिका
32. श्री हबीब तनवीर	रंगमंच रंगकर्मी।

8. सदस्य सचिव

सचिव, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

9. स्थायी अतिथि

(1) सचिव, महिला और बाल विकास विभाग

(2) सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग

(3) सचिव, संस्कृति विभाग

(4) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

(5) सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(6) सचिव, जनजातीय कार्य

(7) सचिव, योजना आयोग

(8) सचिव, श्रम विभाग

(9) सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

(10) सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.52 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.02 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 3.02 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम कार्यसूची की मद संख्या 10 अर्थात् नियम 377 के अधीन मामले लेंगे।

(एक) असम में लेपेटकाटा में 1985 के असम समझौते में यथा सम्मिलित एक गैस-क्रेकर यूनिट स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री अनवर हुसैन (धूबरी): ऊपरी असम में एक गैस-केकर यूनिट स्थापित किये जाने के मामले को पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की पहल पर हस्ताक्षरित 1985 के असम समझौते में शामिल किया गया था। तदनुसार 1995 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंहराव ने इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। परन्तु परवर्ती सरकारों ने विगत छह वर्षों के दौरान इस विषय पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि असम में बेरोजगारी की समस्या के समाधान और राज्य के औद्योगिक विकास के लिए असम समझौते को लागू करने हेतु लेपेटकारा में एक गैस-क्रेकर यूनिट स्थापित की जाए।

(दो) गुजरात में हिम्मतनगर-अहमदाबाद मीटरगेज रेलवे लाइन पर हिम्मतनगर में समपार संख्या 81क पर एक रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, नियम 377 के अधीन मामला उठाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

गुजरात में पश्चिम क्षेत्र में हिम्मतनगर-अहमदाबाद, मीटर-गेज रेलवे लाइन पर हिम्मतनगर में समपार संख्या 81क पर एक रेल उपरिपुल का निर्माण काफी वर्षों से लम्बित है। हाल ही में गुजरात सरकार ने भारत सरकार के पदेन सचिव और रेलवे बोर्ड के इंजिनियरिंग सदस्य को सूचित करते हुए लिखा है कि गुजरात सरकार ने राज्य के वर्ष 2003-04 के बजट में हिम्मतनगर-सोनासन रेलवे खण्ड में समपार संख्या 81क और हिम्मतनगर-इदर राज्य राजमार्ग (रेल स्थिति 321—5-6) पर रेल उपरि पुल के निर्माण के लिए प्रावधान किया है और इसके लिए 35 लाख रुपए का भी प्रावधान किया है। उक्त उपरि—अधोगामी पुल के निर्माण की लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा रेल मंत्रालय को देना है। गुजरात सरकार ने रेल मंत्रालय से अनुरोध किया है कि इस कार्य को स्वीकृति प्रदान करे और संबन्धित रेलवे अधिकारियों को रेल उपरिपुल निर्माण कार्य आरंभ करने का निर्देश दें।

मैं रेल मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि रेलवे समपार संख्या 81क पर उपरिपुल निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करें और इस पुल के निर्माण की लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा गुजरात सरकार को देने की सहमति दी जाए।

(तीन) कर्मचारियों को 'हड़ताल करने का अधिकार' प्रदान किए जाने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों, अन्य वर्गों के कर्मचारियों तथा भारत के कामगार वर्ग 'हड़ताल करने के अधिकार' की मांग करते हुए 24 फरवरी 2004 को हड़ताल पर गये परन्तु तत्कालीन केन्द्र सरकार ने भारतीय कर्मचारी वर्ग की वैधानिक मांग को स्वीकार नहीं किया। स्मरणीय है कि भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) की संस्थापक सदस्य है फिर भी सरकार ने अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन 87, 98 और 151 का अनुसमर्थन नहीं किया जो कर्मचारी वर्ग और सरकारी कर्मचारियों के पूर्ण श्रमिक संगठन बनाने और लोकतांत्रिक अधिकारों की गारंटी देते हैं। कन्वेंशन 151 और 154 जो कि विशेषकर सरकारी कर्मचारियों के लिए बने हैं उनका तुरन्त अनुसमर्थन किया जाए। ब्रिटेन सहित कई यूरोपीय देशों में सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने के अधिकार सहित पूर्ण लोकतांत्रिक और श्रमिक संगठन अधिकार प्राप्त हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आई.एल.ओ. के संगत कन्वेंशनों का अनुसमर्थन करे और हड़ताल करने का अधिकार देने के लिए विधान लाए।

[हिन्दी]

(चार) कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाए जाने की दृष्टि से और अधिक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, देश में किसानों द्वारा आत्म-हत्यायें किये जाने के निरन्तर समाचार आ रहे हैं। समाचारों की गंभीरता को देखकर सरकार ने किसानों को सुलभ कर्ज वित्तीय संस्थाओं से उपलब्ध कराने का प्रबंध किया है। आज किसान कर्ज का भुगतान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि खेती अलाभकारी बन चुकी है। जरूरत है, खेती को लाभकारी बनाने की। देश के किसान का मुकाबला आज अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से है। एफएओ प्रोडक्शन ईअर बुक, 1998 में स्पष्ट उल्लेख है कि भारत की कृषि उपज दर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपज दर से कम है। दूसरी ओर देश में खेती की उत्पाद लागत लगातार बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए यूरिया की उत्पादन लागत 1998 में 6823 रुपये प्रति मिट्रिक टन थी, जो बढ़कर 2001 में 8196 रुपये हो गई। उत्पादन लागत में बढ़ोतरी और उपज दर में कमी ने खेती को अलाभकारी कर दिया है। इसी कारण किसान कर्ज का भुगतान नहीं कर पा रहा है।

अत: मेरा आग्रह है कि सरकार देश में, उपज दर बढ़ाने, उत्पादन लागत कम करने और उत्पादक व उपभोक्ता के मूल्यों के बीच के अन्तर को न्यायोचित बनाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करे और देश में खेती को लाभकारी बनाए।

(पांच) झारखंड के साहिबगंज और पाकुड़ जिलों में पावर ग्रिड स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री हेमलालू मुर्मू (राजमहल): उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के अन्तर्गत साहिबगंज एवं पाकुड़ जिले में पावर ग्रिड नहीं रहने के कारण वहां पर ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य नहीं हो पा रहा है,

[श्री हेमलाल मुर्मू]

जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योग नहीं लग पा रहे हैं, जबकि वहां के राजमहल कोयला परियोजना से फरक्का एवं कहलगांव ताप विद्युत गृह को कोयले की आपूर्ति होती है। इस क्षेत्र में 88 किलोमीटर की रेलवे लाइन सिर्फ ताप विद्युत गृह को कोयले की आपूर्ति हेतु बनाई गई है। वहां की जनता की जमीन तो इस रेलवे लाइन हेतु ले ली गई है, पर उन्हें बिजली के संकट से मुक्ति नहीं मिली। वहां पर चल रहे पत्थर उद्योगों को भी बिजली नहीं रहने की वजह से घाटे में चलना पड़ रहा है। इन जिलों की मिट्टी काफी उपजाऊ दोमट मिट्टी है, पर बिजली के अभाव में पटवन का उचित प्रबन्ध नहीं होने से कृषि कार्य बाधित हो रहा है। बिजली के अभाव में इस क्षेत्र के निवासियों का लगातार होता हुआ पलायन रोकने के लिए जनहित में इस क्षेत्र में पावर ग्रिड की स्थापना नितान्त आवश्यक है।

अत: मेरा सादर अनुरोध है कि साहिबगंज और पाकुड़ जिलों में पावर ग्रिड की स्थापना अविलम्ब की जाए।

[अनुवाद]

(छह) निजी क्षेत्र में वंचित वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण दिए जाने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल): उपाध्यक्ष महोदय, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के वायदों में से एक बढ़ते हुए निजी क्षेत्र में वंचित वर्गों को आरक्षण प्रदान करने का है। अब समय आ गया है कि सरकार इसे बजट में शामिल करें और इसके लिए विधेयक पारित करें। यह कहना सही नहीं है कि आरक्षण से व्यवसायिक मानकों में गिरावट आयेगी और इससे कार्यकुशलता में कभी होगी। यह मात्र एक मिथक है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र से कहीं अधिक लाभ कमाता है। परन्तु इसका कारण यह नहीं है कि लोग अच्छे नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि निजी क्षेत्र में निष्पादन का दबाव रहता है जबकि सरकारी क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा के कारण ऐसा कोई दबाव नहीं है। गुणागुण और कार्यकुशलता की परिभाषा पूर्ण होनी चाहिए और उसमें ईमानदारी, परिश्रम और सत्यनिष्ठा जैसे गुण होने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में सामाजिक दायित्वों के निर्वाह में निगमित इकाईयां सदैव आगे रहती हैं। भारतीय उद्योगपतियों को अमेरिकी उद्योगपतियों से सीखना चाहिए। महोदय, आपके माध्यम से मैं निगमित क्षेत्र से अनुरोध करता हूं कि वे आगे आयें और अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करें।

(सात) असम में चन्द्रपुर और उत्तर गुवाहाटी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-52 को ब्रह्मपुत्र नदी पर चार लेन वाले रेल और सड़क पुल से जोड़ते हुए चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का ध्यान ब्रम्हपुत्र नदी पर चन्द्रपुर और उत्तरी गुवाहाटी के बीच चार लेन वाले रेल एवं सड़क उपरिपुल का निर्माण करके राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 को तत्काल चार लेन वाला बनाए जाने की ओर आकृष्ट करता हूं। असम में सरायघाट में पुल की वर्तमान भारवहन क्षमता इस प्रकार से 500 प्रतिशत अतिरिक्त क्षमता के वहन करने में असमर्थ है जिसके लिए यह पुल अपर्याप्त है।

राष्ट्रीय हित में एन.एच.पी.सी. द्वारा दो बड़ी पनविद्युत परियोजनाओं अर्थात् 5600 मेगावाट वाली सुवनश्री पन विद्युत परियोजना और 13,700 मेगावाट वाली सियांग पनविद्युत परियोजना के निर्माण कार्य को आरम्भ करने की तत्काल आवश्यकता है। इन दोनों परियोजनाओं को वरीयता प्रदान करते हुए इन्हें चालू किया जाए जिससे भारत 15 वर्षों के भीतर अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करने वाला देश बन जाएगा।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आर्थिक दृष्टि से राष्ट्रीय प्राथमिकता देने वाले इस प्रस्ताव पर विचार किया जाए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि सर्वोच्च प्राथमिकता सहित चालू वित्तीय वर्ष में जर्जर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 के मरम्मत, सुदृढ़ीकरण और दो लेन वाला बनाए जाने के लिए सीमा सड़क संगठन को आवश्यक धनराशि आवंटित की जाए।

(आठ) असम में लुम्डिंग-बदरपुर रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने का कार्य शीघ्र किए जाने की आवश्यकता

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज): महोदय, एन एफ रेलवे की शुरूआत से ही दक्षिण असम (कचार, करीमगंज, हेलकांडी जिले), मिजोरम और त्रिपुरा को क्षेत्रीय मुख्यालयों और असम की राजधानी-गुवाहाटी के साथ मीटरगेज रेलवे के मार्फत जोड़ा गया था। लगभग दस वर्ष पूर्व इस सीधे रेल सम्पर्क को बन्द करने के सरकार के निर्णय से लुम्डिंग और गुवाहाटी के बीच मीटरगेज लाइन बन्द हो गई थी जिससे इस क्षेत्र के लोगों को मजबूर होकर रेल भाड़े से दुगना भाड़ा देकर गुवाहाटी जाने के लिए बस की असुरक्षित यात्रा करनी पड़ती है। सामान को प्रतिदिन सैकड़ों ट्रकों द्वारा ले जाया जा रहा है जिस पर भारी खर्च होता है जिसे इस क्षेत्र के लोगों द्वारा वहन किया जाता है।

इस क्षेत्र में सीधे रेल संपर्क को बहाल करने के लिए लुम्डिंग और बदरपुर के बीच मीटरगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए। लाइन परिवर्तन का कार्य दस वर्ष पहले शुरू किया गया था लेकिन प्रगति की धीमी गति दर्शाती है कि इस कार्य को पूरा करने में दस वर्ष और लग जाएंगे। अत:, इस क्षेत्र के लोगों की कठिनाईयों को कम करने के लिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पर्याप्त धनराशि आवंटित

करे और लोकहित में लुम्डिंग-बदरपुर खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य को वरीयता के आधार पर कुछेक वर्षों में पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।

डा. अरुण कुणार शर्मा (लखीमपुर): महोदय, इस संबंध में मैं स्वयं को माननीय सदस्य के साथ सम्बद्ध करता हूं।

(नौ) कृषि विकास पर बल देते हुए एक नई कृषि नीति बनाए जाने की आवश्यकता

श्री एस.पी.वाई. रेड्डी (नांदयाल): महोदय, मैं सरकार का ध्यान 90 के दशक के आरंभ से ही कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में इसके अनुपात में गिरावट आती जा रही है जिसमें सेवाओं का हिस्सा 50 प्रतिशत है उद्योग का 25 प्रतिशत और शेष हिस्सा कृषि का है। यह खेद की बात है क्योंकि देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में अनेक सुधार लाए जाने पर बल दिया गया है। वित्त मंत्री ने हाल ही में एक पैकेज देने की पेशकश की है जिससे एक वर्ष में कृषि ऋण में 30 प्रतिशत की वृद्धि का वायदा किया गया है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता यह है कि सरकार तत्काल एक नई कृषि नीति बनाए जिसमें कृषि के विकास के लिए कृषि क्षेत्र में मूलभूत सुधार किए जाएं। इस नीति में उत्पादकता, कृषि मजदूर, सिंचाई, कृषि सहकारिता और कृषि ऋण पर एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाए ताकि कृषकों का अधिकतम कल्याण हो सके।

(दस) आंध्र प्रदेश के नालगौंडा और अन्य जिलों में पेयजल को फ्लोराइड मुक्त किए जाने हेतु एक योजना बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): महोदय, हमारे देश में कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं जहां पेयजल में फ्लोराइड की काफी अधिक मात्रा पाई जाती है। इससे गरीब अधिक प्रभावित हैं क्योंकि उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है।

आंध्र प्रदेश में नालगोण्डा जिला और कई अन्य जिले इस समस्या से ग्रसित हैं। नालगोण्डा जिले में लगभग 800 गांव और कस्बों में फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा की समस्या से ग्रस्त है। इसके परिणामस्वरूप कई बच्चे अपंग पैदा होते हैं। काफी लोग जवानी में ही विकारग्रस्त हो रहे हैं और अपनी आजीविका कमाने में भी असमर्थ हैं। कुछ लोग जवानी में ही बूढे दिखते हैं। फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र के लोगों की आयु देश में औसतन आयु से काफी कम होती है। यह अति चिंताजनक स्थिति है कि एक के बाद एक सरकारों ने लगातार इस पिछड़े जिले जोकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी है में पेयजल उपलब्ध नहीं करवाया है।

महोदय, केन्द्र सरकार को नालगोण्डा के लोगों और आंध्र प्रदेश के फ्लोराइड से प्रभावित अन्य जिलों की सहायता करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र एक विशेष योजना तैयार करनी चाहिए।

अपराह्न 3.19 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

इराक में स्थिति

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद सं. 11—इराक में स्थिति संबंधी चर्चा लेगी।

श्री पी.के. वासुदेवन नायर (तिरूअनन्तपुरम): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 193 के अधीन मैं इराक में स्थिति के संबंध में चर्चा शुरू कर रहा हूं।

मैं समझता हूं कि यह स्वागत योग्य बात है कि हमारा यह सार्वभौमिक सदन, लोक सभा, एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा है जिससे सम्पूर्ण मानवता प्रभावित होती है। 13वीं लोक सभा ने इस विषय पर कई बार चर्चा की थी जब इराक में सेना भेजने का प्रश्न उठा था तो इस सभा ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि भारत का इससे कोई लेना-देना नहीं है और हमें इस देश की मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। हम उस नीति का निरन्तर पालन कर रहे हैं और हमें इसका पालन भी करना चाहिए।

आरम्भ में, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस प्रकार का विचार रखता हो। भारत जैसे देश के लिए इस विषय का खास महत्व है। मैं समझता हूं कि इराक की स्थिति के संबंध में भारतीय लोग बेहद चिंतित हैं इसने लोगों के दिलों को छू लिया है क्योंकि भारत कई दशकों और शताब्दियों तक गुलाम रहा है। हमारा इतिहास इसका गवाह है और हमने इस देश की आजादी के लिए भारी मूल्य चुकाया है। हमने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज बुलन्द की जो उस समय शक्तिमान साम्राज्यवादी ताकत था। अब उपनिवेशवाद समाप्त हो गया है और उस प्रकार का साम्राज्यवाद हमेशा के लिए लुप्त हो गया है। मैं नहीं समझता कि वह दिन लौट कर आएंगे।

लेकिन एक नए किस्म का उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद सम्पूर्ण मानवता और विशेषकर तीसरी दुनिया के दशों के समक्ष

[श्री पी.के. वासुदेवन नायर]

चुनौतियां खड़ी कर रहा है। हमें सतर्क रहना है इसका मुख्य कारण यह है कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात्, यूरोप में समाजवादी देश, अमरीकी शासन अथवा अमरीकी साम्राज्यवादी समझते हैं कि वे विश्व के स्वामी हैं।

पूरी रणनीति एकध्रुवीय विश्व बनाने की है जहां वे नियंत्रक हों और सिर्फ उन्हीं के हाथों में नियंत्रण रह सकता है।

सारे विश्व में पिछले 10-15 वर्षों में घटी घटनाएं यह दर्शाती हैं कि अमेरिकी साम्राज्यवाद सैन्य ताकत के बल पर राष्ट्रों पर कब्जा करने और अपनी इच्छानुसार आक्रमण करने के लिए उद्यत है। इराक पर आक्रमण एक उदाहरण है जहां आप देख सकते हैं कि अमेरिका उस देश में बिना किसी ठोस कारण के और तथाकथित झूठे बहाने के आधार पर प्रवेश कर गया। अब यह बात बिना किसी शंका के साबित हो गई है कि जनसंहार के हथियारों की बात एक हौवा थी। अमेरीकी शासक अपने इस कृत्य को, उस आधार पर, अपने ही देश में न्यायोचित नहीं ठहरा सकते। अपने इस झूठे बहाने के आधार पर वे एक स्वतंत्र और प्रभुत्वसंपन्न देश में घुस गए, जो छोटा लेकिन स्वाभिमानी देश है और जिसके नागरिकों को अपने ऊपर स्वाभिमान है।

क्या हम यह मान लें कि बड़े देश अपनी इच्छानुसार छोटे देशों में घुस सकते हैं, कि छोटे देश बड़े या शक्तिशाली देशों की दया पर निर्भर हैं? इराक में यही हुआ है। और भारत के लोग, जैसा कि मैंने कहा, इस पर काफी चिन्तित हैं क्योंकि यह एक बार पुन: उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद का नए रूप में आविर्भाव है। हमने दासता की पीड़ा को झेला है और उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी है। इस तरह साधारणत: हम ऐसे सभी लोगों के प्रति साहनुभूति रखते हैं जो अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वे कहीं भी हों।

अभी, इस समय संयुक्त राज्य द्वारा इराक पर किए गए हमले के विस्तार में जाना आवश्यक नहीं है। उसके बाद क्या हुआ उसके विस्तार में भी जाना आवश्यक नहीं है। परन्तु, एक बात स्पष्ट है। अमेरीकी राष्ट्रपति और कंपनी के सभी आकलन गलत साबित हुए। वे कहते थे "यह सद्दाम हुसैन की आसुरी वृत्तियां थी या उसका राक्षस राज था या आप जो कहें। वह इराक की गरीब और भोली-भाली जनता पर अपना शासन चला रहा है।" हम यहां सद्दाम हुसैन पर यह निर्णय देने के लिए नहीं बैठे हैं कि वह राक्षस था कि नहीं, या उसका शासन अच्छा था या बुरा। इसका निर्णय इराक की जनता को करना है। यह एक मूलभूत सिद्धान्त है, जिसे विश्व के सभी देशों को स्वीकार करना चाहिए. अत:, ऐसा करने के बजाए, अमेरिकियों ने अपने घनिष्टतम मित्र ब्रिटिशों के साथ सुधार करने और सद्दाम हुसैन के अत्याचारों से इराकी जनता को बचाने की जिम्मेदारी संभाल ली। यह उनका दिखावा था। परन्तु सद्दाम हुसैन के पकड़ में आने के बाद भी प्रतिदिन हम यह देख रहे हैं कि उस देश में क्या हो रहा है। अमेरिकी शासक वर्ग या शासकों के दिमाग में क्या अभी भी कोई शंका बाकी रह गई है कि इराक की जनता यह महसूस नहीं करती कि वे अमेरिका द्वारा स्वतंत्र कराए गए हैं? वे अमेरिकियों को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। प्रतिदिन, वे विद्रोह में उठ खड़े हो रहे हैं, और हां, आप इसे आतंकवाद की संज्ञा दे सकते हैं। यह पूरे विश्व में एक प्रचलन हो गया है कि ऐसी सारी चीजों को आतंकवाद की संज्ञा दे दी जाए। स्वतंत्रता संग्राम को भी आतंकवाद कहा जा सकता है। कोई इराक की जनता पर यह आरोप लगा सकता है कि बम विस्फोट या ऐसी वैसी कोई अन्य घटना आतंकवाद ही है। वहां खून-खराबा और अन्य सभी बातें हो रही हैं। जब लोग संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं तब वे अपनी राह स्वयं चुनते हैं। वे अपने हथियार भी स्वयं चुनते हैं। वे वहां निर्णय देने वाले कौन होते हैं तथ्य यह है कि इराकी जनता अमेरिकियों को अपना मुक्तिदाता स्वीकार नहीं करती। उन्होंने धोखे से इराकियों के ऊपर एक तथाकथित सरकार थोप दी है। वे कहते हैं, "हमने नियत तारीख से पहले ही सत्ता का हस्तांतरण कर दिया है। सत्ता का हस्तांतरण 30 जून को किया जाना तय था, लेकिन हमने उन्हें सत्ता या सरकार की बागडोर दो या तीन दिन पहले ही सौंप दी।" कितने महान लोकतंत्रवादी हैं ये! लेकिन वे कौन हैं? मैं निर्णय देने के लिए नहीं बैठा हूं। लेकिन सारा विश्व जानता है कि यह निकृष्टतम तमाशा है। जी हां, मैं नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता। मैं सोचता हूं कि वह स्व-नियुक्त प्रधानमंत्री, अल्पकालिक प्रधानमंत्री या अंतरिम प्रधानमंत्री कहे जाते हैं क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव अब होने हैं।

हम नहीं जानते कि चुनाव कब होंगे। इसलिए, ये लोग अंतरिम प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। यह प्रधानमंत्री सी.आई.ए. के प्रिय पात्रों में थे। यह जग जाहिर है। वह इससे इंकार नहीं करते। अमेरिकी भी इससे इंकार नहीं करते। इसलिए, उन्होंने एक बहुत ही सही व्यक्ति का चुनाव किया—अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सी.आई.ए. का आदमी। जहां तक इराकी जनता का संबंध है, मैं कह सकता हूं कि वे जले पर नमक छिड़क रहे हैं। वे बहादुर और स्वतंत्रता प्रेमी व्यक्तियों पर ऐसे लोगों का धोखे से थोप रहे हैं। ऐसे नेता सरकार में हैं। ये तथाकथित प्रधानमंत्री और अन्य सभी मंत्री हर समय अपने आपको कहीं छिपाकर रह रहे हैं। वे अपना चेहरा अपनी जनता को नहीं दिखा सकते हैं। जनता उनका चेहरा कभी नहीं देखना चाहती है। ऐसे लोग एक देश पर धोखे से थोपे गए हैं। वे कहते हैं, यही लोकतंत्र है, यही स्वतंत्रता है और इसे सारे विश्व को स्वीकार करना चाहिए।

अब, वे कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने एक संकल्प पारित किया है। हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में क्या कह सकते हैं? अमेरिका आगे बढ़ता है और वही करता है जो वह करना चाहता है। इसके अलावा कुछ अन्य देश हैं जैसे ब्रिटेन। बाद में, वे कुछ राष्ट्रों पर दबाव बनाते हैं। कुछ राष्ट्रों को खरीदने की कोशिश करते हैं। वे लोगों को मनाने का प्रयास करते हैं। ये सारी बातें होती है। आखिरकार, एक संकल्प संयुक्त राष्ट्र में पारित हो गया। मैं इससे इंकार नहीं करता। इससे कोई कैसे इंकार कर सकता है कि उन्होंने एक संकल्प पारित किया है। परन्तु मामले का मूल यही है कि अमेरिकी सेना अंतरिम सरकार को सत्ता हस्तांतरण के बाद भी वहां बनी रहेगी। यही मूल बात है। अब, वहां मुख्य रूप से कुछ ब्रिटिश सैनिकों के सहयोग से 1,40,000 अमेरिकी सैनिक कार्य कर रहे हैं। वे वहां पर मालिक हैं और कुछ भी करते हैं जो वे करना पसंद करते हैं। वे सब कुछ कर रहे हैं जो वे करना पसन्द करते हैं। 21वीं सदी में, क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार के यातना कक्ष, बगदाद और इराक में विद्यमान हैं? यह मानवता के लिए कलंक है। असल में, श्री बुश अपने ही देश में कटघरे में खड़े हैं। वहां लोगों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है? उनके साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया जा रहा है। संभवत:, बुश, हिटलर के गैस कक्षों की नकल कर रहे हैं जो वहां पर हैं। हमें इसकी याद है कि किस तरह इन गैस कक्षों का उपयोग किया जाता था। यह उससे कुछ कम नहीं है।

वहां क्या हो रहा है? जो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं उनके साथ पशुवत बर्ताव किया जा रहा है। कोई उन्हें आतंकवादी भी ठहरा सकता है। ऐसा करना आसान है। अमेरिका में ही एक आंदोलन पनप रहा है। उस आंदोलन का नाम है "बूट्स वीजिल"। अब तक इराक में लगभग 700 अमेरिकी सैनिकों ने अपने प्राण गवाएं हैं। अब, लोग इराक में इस युद्ध में प्राण गवाने वालों के खाली जूतों का प्रदर्शन जगह-जगह पर कर रहे हैं। वे इस तरह से अपने राष्ट्रपति और अपनी सरकार के खिलाफ विरोध जताते हैं। यह जानना काफी रोचक है कि इन "बूट्स वीजिल" का प्रसार एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है।

सभा की सुविधा के लिए, मैं कुछ वाक्य पढ़ रहा हूं। शीर्षक है: "आईज वाइड आपेन। दम ह्यूमन कास्ट आफ वार इन इराक। " इसके अनुसार:

> "आंखे खुली की खुली रह जाए, इराक में युद्ध में मानवीय क्षति का असर बोस्टन, मेडीसन, इंडियानापोलिस, फिलाडेल्फिया आदि तथा ओहियो के तीन शहरों तक होगा।"

> "अमरीकी सैन्य युद्ध कालेज में जार्ज बुश द्वारा दिए गए उनके 'स्टे द कोर्स' भाषण के एक दिन बाद यहां इसका प्रारंभ हुआ।"

इस आंदोलन की एक आयोजक सुश्री मेरी एलेन मैकनीश का कहना है कि राष्ट्रपति का भाषण एक सामान्य-उक्ति भर था तथा हमें आशा है कि इन कथनों से अमरीकी जनता को युद्ध की वास्तविक कीमत का अंदाजा हो जाएगा जिसके लिए वे राजनीतिज्ञों को जिम्मेदार ठहराएंगे।

महोदय, शासक वर्ग होने के बावजूद उनके देश में हो रहे ऐसे अनेक युद्ध-विरोधी आंदोलनों को देखना अत्यंत दिलचस्प है। वियतनाम युद्ध एक ऐसा ही अवसर था जब उनके देश में विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, युवक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। वहां ऐसी बातें हो रही हैं। मैं आशा करता हूं कि ऐसी प्रतिक्रिया शीघ्रातिशीघ्र होनी भी चाहिए क्योंकि इराक के भाग्य का निर्णय उनके लोगों द्वारा किया जाएगा तथा संयुक्त राज्य अमरीका के भाग्य का निर्णय भी उनके ही लोगों द्वारा लिया जाएगा।

उन नेताओं के साथ क्या हुआ जिन्होंने अमरीका का साथ दिया तथा उनके अपने देश की जनता ने किस प्रकार प्रतिक्रिया की? यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूरोप में, ब्रिटेन के अलावा, स्पेन एक महत्वपूर्ण देश था जिसने पूरी तरह अमेरिका का साथ दिया। वहां क्या हुआ? स्पेनिश फौजे इराक भेजी गई। इधर स्पेन में चुनाव हुआ। उस चुनाव में, प्रधानमंत्री श्री एजनर का क्या हुआ जिन्होंने इराक में फौज भेजी थी? स्पेन की जनता ने उन्हें हरा दिया तथा उनकी जगह एक समाजवादी प्रधानमंत्री सत्ता में आए। एक नई सरकार वहां सत्ता में आई। यह एक तथ्य है कि इस इराक मुद्दे के कारण स्पेन में एक नई सरकार सत्ता में आई तथा नए प्रधानमंत्री ने व्यावहारिक रूप से प्रत्येक स्पेनिश सिपाही को इराक से वापस बुला लिया है।

महोदय, होंडुरास, डोमिनिकन रिपब्लिक, निकारागुआ, कजाकिस्तान, बुल्गारिया एवं दक्षिण कोरिया जैसे अनेक छोटे देशों का क्या हुआ? अमेरिका के साथ इन देशों ने भी इराक में सेनाएं भेजी थीं। अब, उनकी सरकारों ने अपने सैनिकों से वापस आने तथा अपने शिविरों में ठहरने के लिए कहा है। उन्होंने कहा: "किसी ड्यूटी के लिए नहीं जाइए, वापस आकर आपने शिविरों में ठहरे"। मैं आशा करता हूं कि उन सैनिकों को अपनी सरकारों का धन्यवाद अदा करना चाहिए। उन गरीब सैनिकों को अपने शिविरों में रूकने देने के लिए, अपनी सरकारों का धन्यवाद अदा करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि वे अपने शिविर में सुरक्षित रहेंगे। अत:, उन देशों में इस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई है।

[श्री पी.के. वासुदेवन नायर]

महान ब्रितानी प्रधानमंत्री की स्थिति कैसी है? जब वह प्रधानमंत्री बने थे तब संभवत: वह सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे। किन्तु अब वह ब्रिटेन के सबसे अलोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। वैसे तो ब्रिटेन की जनता अपने प्रधानमंत्री एवं सरकार के साथ कैसे बर्ताव करती है, यह उनका अपना मामला है। किन्तु यह एक तथ्य है एवं इसका मुख्य कारण यह है कि इराक में यह कलुषित युद्ध बुश एवं ब्लेयर द्वारा शुरू किया गया था। हालांकि ब्रितानियों ने हमें बहुत समय तक गुलाम बनाकर रखा था, किन्तु उनमें स्वतंत्रता और आजादी की अदम्य भावना होती है और वहां लाखों ऐसे लोग हैं जो वास्तव में इन भावनाओं की कद्र करते हैं। अत:, वे अपनी सरकार के विरोध में उठ खड़े हुए हैं।

मैं ऐसे कई अन्य उदाहरणों की बात नहीं करना चाहता हूं जहां इस प्रकार के आंदोलन जारी हैं। वस्तुत:, अब यूरोप इस मामले पर बंटा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, शुरूआत से ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के अनेक सदस्य देशों-फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन आदि ने इराक युद्ध का विरोध किया था। अमेरिका और ब्रिटेन के अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के अन्य सभी स्थायी सदस्यों ने इसका विरोध किया था। इस युद्ध को टालने की उन्होंने हर संभव कोशिश की।

अभी भी इन देशों की अपनी-अपनी आपत्तियां हैं। हालांकि, मैं स्वीकार करता हूं कि अंतत: उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव का समर्थन किया था, किन्तु उनकी अपनी आपत्तियां हैं। दो दिन पहले भी रूसी प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर कहा कि रूस द्वारा इराक में सेना भेजने का कोई प्रश्न नहीं है। इस प्रस्ताव के बावजूद कोई देश ऐसा करने की नहीं सोच रहा है। अत:, यह इराक आक्रमण एवं संपूर्ण कहानी एक ऐसी चीज है जिसके आधार पर हमें नए विश्व-परिदृश्य के बारे में विचार करना होगा जहां एकध्रुवीयवाद, उपनिवेशवाद का बड़ा खतरा नए तरीकों से, नए रूपों से सामने आ रहा है; विशेष रूप से तीसरी दुनिया के देशों को विश्व के किसी भी भाग में घट रही ऐसी घटनाओं के प्रति अत्यंत सजग रहना चाहिए।

हमारी इराक की जनता के प्रति सहानुभूति है। भारत का इराक के साथ अत्यंत मधुर संबंध था। सद्दाम हुसैन अच्छे थे या बुरे थे, प्रश्न यह नहीं था। भारत का इराक के साथ बहुत बढ़िया दोस्ताना रिश्ता था। हमें इराक से अत्यंत सामान्य शर्तों पर कच्चे तेल की आपूर्ति हो रही थी। इराक से हमारे संबंधों के विषय में हमारे मन में इस प्रकार के विचार थे। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अमरीका की निगाहें इराक के तेल पर है। आप सद्दाम हुसैन, उनकी तानाशाही के बारे में कुछ भी कहें, वास्तव में वे लोग जो चाहते हैं वह है तेल, तेल का वह विपुल भंडार। इराक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् द्वारा स्वीकार किए जा रहे इस प्रस्ताव के बावजूद, अमेरिका ने अपनी वापसी, अपनी सेना की वापसी के बारे में अपनी योजना जाहिर नहीं की है। ऐसा जारी रहेगा। इराकियों के तेल-व्यापार, तेल-राशि, जो सब उनके हाथ में है, का वे क्या करने जा रहे हैं? वे दावा करते हैं कि यह इराक के पुनर्निर्माण पर खर्च की जाएगी। इस बात का निर्णय कौन करता है? इन सब चीजों का निर्णय करने वाले वे कौन होते हैं?

इस महान सभा ने तेरहवीं लोक सभा में अपना निर्णय दिया था। मैं लोक सभा के उस संकल्प को, उस सर्वसम्मत निर्णय को मात्र दोहराना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर भारत का स्वतंत्र दृष्टिकोण होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी भी बड़ी या छोटी शक्ति द्वारा डाले गए किसी भी प्रकार के दबाव या धमकी के सामने यह सरकार नहीं झुकेगी। हमारी स्वतंत्र राय है एवं हम इराक की जनता, इराक की युद्ध त्रस्त जनता, के साथ हैं। वास्तव में, मैं उनकी दुर्दशा के बारे में सोच भी नहीं सकता। उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। किन्तु हम, कम से कम, उन व्यक्तियों के प्रति अपनी एकजुटता ही प्रकट करते हैं जो 21वीं सदी के सबसे बड़े उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से सत्ता पक्ष के बहुत से सदस्य कामरेड वासुदेव नायर द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं तथा चिंता से सहमत होंगे। इराक युद्ध के समय तथा उसके पश्चात् घटित घटनाओं के दौरान जब हम विपक्ष में थे तो कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। इसलिये जहां तक अतीत का प्रश्न है मेरे विचार से कामरेड वासुदेव नायर आश्वस्त रह सकते हैं कि हम उनके साथ थे और अब भी हम उनके साथ हैं।

परन्तु मेरे विचार में आज आवश्यकता पीछे मुड़कर देखने की नहीं है। अपितु आगे देखने की है क्योंकि इराक में जो कुछ भी हुआ वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। इस प्रकार की जितनी घटनाएं हुई हैं वे अमिट इतिहास का हिस्सा बन गई हैं।

इस अतीत के मलबे से हमें यह सुनिश्चित करना है कि अमर पक्षी फीनिक्स की तरह इराक राख के ढेर से पुनरूज्जीवित हो। महोदय मेरे विचार इस संबंध में हम यहां थोड़ा संतुष्ट हो सकते हैं। ऐसा इसलिए कि मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति कामरेड वासुदेव के संशय से सहमत नहीं हूं। आखिरकार विश्व व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर ही निर्भर है। मेरे विचार में यह कहना उचित है कि पिछले माह पारित प्रस्ताव विश्व समुदाय की सहमति की अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के स्थायी अथवा अस्थायी सदस्य नहीं

है। मेरा मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों द्वारा सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव का स्वागत करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इस बात पर संतोष व्यक्त करना है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संचालन में संयुक्त राष्ट्र संघ को पुन: प्रासंगिक बना दिया गया है। कामरेड वासुदेव को याद होगा कि इस सर्वसम्मत प्रस्ताव पर पहुंचने के लिए सुरक्षा परिषद् के सभी स्थायी सदस्यों को इन मामलों पर बड़ी गहराई से चर्चा करनी पड़ी थी और इन मामलों पर उनके मतभेद सार्वजनिक बहस का विषय बने थे तथा उन्होंने एक ऐसे समझौते को स्वीकार किया जिसने सुरक्षा परिषद् के किसी एक सदस्य को भी संतुष्ट नहीं किया हो परन्तु वह सुरक्षा परिषद् के स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार के सदस्यों के सर्वसम्मत विचारों को व्यक्त करता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरे विचार में आज की चर्चा का आरम्भ मार्च-अप्रैल 2003 में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बजाय पिछले कुछ सप्ताहों में घटित सुखद घटनाओं से किया जाना चाहिए। जब कोई इसे इस दृष्टिकोण से देखता है तो मैं समझता हूं कि पैट्रोलियम मंत्री के रूप में मैं पहले इसे तेल क्षेत्र की सम्भावनाओं के रूप में देखता हूं।

महोदय, मुझे इस सभा को यह सूचित करने में अपार हर्ष हो रहा है कि मेरे मंत्रालय ने इराकियों के लिए अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों में पेशकश की है जो इराकियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र हैं- तेल क्षेत्र और प्रशिक्षण सुविधा। इन क्षेत्रों में हमारे संस्थान आज इराक में स्थित संस्थानों से बेहतर प्रशिक्षण दे सकते हैं और मैं कामरेड वासुदेवन को आश्वस्त करता हूं कि हमारे संस्थानों द्वारा दिया जाने वाला प्रशिक्षण ओपेक राष्ट्रों विकसित देशों तथा अन्य एशियाई देशों द्वारा दिये जाने वाले प्रशिक्षण के समान और शायद उससे भी अच्छा होगा इस मामले में हम शीर्ष पर हैं और इराक के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र तथा जिन मामलों में हमारे पास विशेषज्ञता है, हम उन्हें पहले ही प्रस्ताव भेज चुके हैं। इराकी सरकार उन उम्मीदवारों की जांच कर रही है जिन्हें वह उन महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में भाग लेने हेतु भारत भेजने के लिए चयन करना चाहती है और हम उनका यहां आगमन पर स्वागत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि उन अभियन्ताओं से बातचीत करते समय वामपंथी दलों के मेरे मित्र भी मेरे साथ होंगे और न केवल इराकियों से इराक की स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे अपितु उनकी सहायता, सहयोग तथा सद्भावना के माध्यम से हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं।

महोदय, तेल क्षेत्र में हमारे लि! एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में वे इस स' को सूचित करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं। वह यह है क हमें इराकी प्राधिकारियों से इराक के दक्षिण भाग में बसरा क्षेत्र के लिए कुछ तेल क्षेत्रों में तेल की खोज तथा अन्तत: उसका भारत और इराक दोनों देशों के लाभ के लिए इसके दोहन के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैंने बसरा का उल्लेख इसलिए किया क्योंकि यह हमारे लिए एक सुपरिचित कस्बा है। यह कुवैत सीमा के समीप स्थित है। प्रारम्भिक जांच से यह प्रतीत होता है कि यह सम्भावनाओं से परिपूर्ण एक लाभकारी खंड है।

अपने लोगों को वहां भेजने तथा वहां कार्य आरम्भ करने का जोखिम उठाने से पूर्व हम वहां पर कानून और व्यवस्था सुरक्षा की स्थिति में सुधार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि यह इराकी प्रशासन सातत्य का द्योदक है कि पिछले कुछ महीनों में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बावजूद भारत तथा इराक के मध्य ऐसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मामले पर हाल की इन घटनाओं का कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है।

महोदय, जहां तक कच्चे तेल की खरीद का प्रश्न है इराक से कच्चे तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से कुछ देशों को हम से अधिक नुकसान हुआ है। इराक हमारे लिए कच्चे तेल के आयात का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है और एक समय था जब हम सोवियत संघ से एक व्यवस्था के अंतर्गत मूल रूप से इराक से तेल की खरीद कर रहे थे परन्तु इसका भुगतान सोवियत संघ के साथ की गई व्यवस्था के अनुसार किया जाता था। क्योंकि सिद्धान्त रूप में रुपया व्यापार के अंतर्गत हम तेल सोवियत संघ से खरीद रहे थे जबकि मूल रूप से यह तेल इराक से आ रहा था। वर्ष 1973 में ओपेक राष्ट्रों द्वारा कच्चे तेल की कीमत काफी बढ़ाने से उत्पन्न संकट की स्थिति में इराक ने ही भारत की मदद की थी तथा सोवियत संघ के साथ यह व्यवस्था बनाने में सहायता की थी कि हम भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदें और इसका भुगतान सोवियत संघ को रुपए में करें। यह मेरा सौभाग्य था कि उस समय मैं इराक में एक राजनयिक के रूप में कार्यरत था। मैं वहां दो वर्ष दो माह दो दिन रहा और मैं वहां के लोगों को प्यार करने लगा था क्योंकि उनमें ऐसी सहृदयता बहुत ही मिलनसार तथा भारत के प्रति उनकी भावनाओं में ऐसी निष्ठा थी कि इस सहृदयता के मूल की खोज के लिए इतिहास और सभ्यता की गहराइयों में जाना पड़ेगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इराक के साथ हमारे संबंध बेबीलोन शासन और सुमेर शासन के समय से है जब पश्चिम एशिया के उस भाग तथा अब हम आम तौर पर हड़प्पा सभ्यता का घर तथा जन्म स्थल कहे जाने वाले क्षेत्र के बीच व्यापार होता था।

दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच इतने पुराने संबंधों ने आज के भारत के लोगों और इराक के लोगों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाया है। इसमें वह सहृदयता निहित है। हमें फिर उसी सहृदयता को वापिस लाना है। लगभग 25 वर्ष पहले जब मुझे

[श्री मणिशंकर अय्यर]

इराक के मिशन का उप-प्रमुख और वाणिज्य दूत नियुक्त किया गया था तो इराक सरकार द्वारा सुस्पष्ट आदेश दिये गए थे कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तुओं के आयात और ठेका दिये जाने के मामले में भारत को अधिमानता दी जानी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप 1975 के आसपास जब हमें वहां से अपना पहला ठेका प्राप्त हुआ था, उस समय से ईरान के साथ युद्ध शुरू होने तक हमें प्राप्त निर्माण ठेकों की संख्या 100 से अधिक हो चुकी थी और दोनों देशों के बीच व्यापार करोड़ों में नहीं बल्कि हजारों करोड़ में था और अन्य सहयोग भी हुआ। उन दिनों के अपने अनुभव के आधार पर मुझे यह लगता है कि जब सही अर्थों में इराक का पुनर्निर्माण प्रारम्भ होगा तब इराक का पहले जैसा भव्य बनाने के लिए भारत को इसके पुनर्निर्माण कार्यों में भाग लेने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे।

महोदय, 25 वर्ष पहले इराकियों द्वारा लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण इराकी मंत्रालय में वहां के लोगों द्वारा अपने देश के निर्माण हेतु भारतीय लोगों को विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने के लिए आंमंत्रित किया जाता था। हम वहां पर व्यापारी, निर्माता और विशेषज्ञों के रूप में कार्यरत थे। इन्सूट्रमेन्टेशन लिमिटेड, जो कि सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, का एक वाकया मुझे याद आता है। यह उपक्रम वहां की एक सीमेंट कम्पनी को इन्ट्रूमेंटेशन उपलब्ध कराने में सहायता देने के लिए गयी थी। हमारे कार्य से वे इतने प्रभावित हुए कि इस उपक्रम को प्राप्त संविदा का विस्तार इराक के काफी औद्योगिक एककों के लिये किया गया जिनमें भारतीय इन्स्ट्रूमेंटेशन का प्रयोग किया जा रहा है।

महोदय, मेसोपोटामिया की भूमि, जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, में भूजल की खोज करने तथा उसके लिए भूमि की खुदाई के उपकरण बेचने वाली कम्पनी 'वोल्टाज' थी। हमें वहां यह कार्य करने का गर्व है। हमने इराक में रेलवे लाइन बिछाने और उनकी मरम्मत करने का कार्य भी किया वहां बसरा के पास हमने इस्पात कारखाने के निर्माण और उसे चलाने का कार्य भी किया जो दुर्भाग्य से अब बमबारी में ध्वस्त हो गया है। ऐसे भी कई उदाहरण हैं कि कुछ क्षेत्रों को हमारा कार्य बहुत उत्कृष्ट नहीं था। एक बार बसरा में मैंने वातानुकूलन की गुणवत्ता के बारे में शिकायत की तो होटल के प्रबन्धक ने मुझे जवाब दिया ''इसमें हमारी गलती नहीं। एक भारतीय कम्पनी ने वातानुकूलन लगाया है।''

अतएव वहां इराक के साथ हमारे संबंध बहुआयामी हैं। मैं कहना चाहूंगा कि समकालीन इराक से हमारे प्रगाढ़ संबंधों का मुख्य आधार हमारा और उनका धर्मनिरपेक्षता में विश्वास है। वहां विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। वहां यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि आर्मेनियम ग्रीक आर्थोडाक्स ईसाई समुदाय के लोगों को भी देश के सुन्नी मुस्लिम लोगों के समान अधिकार मिले। वहां के लोगों बगदाद के पास एक स्थान की वास्तव में आदर करते हैं जहां पर यह माना जाता है कि गुरु नानक ने 'मक्का' से लौटते समय बैठे और ध्यान किया था कि आज भी वे उस स्थान का आदर करते हैं।

'नजफ' और 'कर्बला' जैसे स्थानों पर भारतीय दूतावास का एक कर्त्तव्य स्वतंत्रता से पूर्व रामपुर के नवाब द्वारा धार्मिक कारणों से 'नजफ' और 'कर्बला' में रह रहे भारतीय मूल के शिया मुस्लिमों को वित्तीय सहायता देने के लिए स्थापित कोष का प्रबन्धन करना भी था। उनमें से एक कर्त्तव्य वहां जाकर उन लोगों में धनराशि वितरित करना था और मैंने यह कार्य स्वयं किया है।

अत: जब हम इन संबंधों की गहराई, इन संबंधों की विविधता, इसके आर्थिक और मानवीय आमान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसके विभिन्न आयामों में जाते हैं तो हम पाते हैं कि इराक निर्गुट आन्दोलन में एक दृढ़ आवाज थी, संयुक्त राष्ट्र तथा निर्गुट आंदोलन में इराक से कंधे से कंधा मिलाकर हमने विभिन्न लड़ाईयां लड़ी और आज हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब इन संबंधों को 21वीं सदी के संदर्भ में स्थापित कर सकें क्योंकि जिन चीजों के लिए हमने साथ-साथ लड़ाइयां लड़ी और जो चीजें हमने साथ-साथ की उनमें से काफी अब प्रासंगिक नहीं रह गयी है। हमारे सामने नई चुनौतियां आयी हैं और मैं समझता हूं कि इन नयी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे और कामरेड वासुदेवन के बीच कोई मतभेद नहीं हो सकते। विभिन्न देशों की स्वतंत्रता की रक्षा करने किसी भी रूप में उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद को रोकने किसी भी तरह का कब्जा करने को रोकने विकासशील देशों को आगे बढ़ाने में सहयोग करने, प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्रों को उनके प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभु अधिकार देने और एशिया के पुनरुत्थापन में सहयोग करने में हमारे बीच मतभेद नहीं हो सकते। इन सब बातों के लिए हम पहले की ही तरह इराक से सहयोग करेंगे।

लेकिन इस संक्रमण काल में, मैं नहीं समझता कि भविष्य में इराक के महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने वाले लोगों के बारे में कोई निर्णय देने में हमें कुछ सहायता मिलेगी। अत: हम उन लोगों के साथ कार्य करने को प्राथमिकता देंगे जो संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के दायरे में वहां मौजूद होंगे। हमें पता है कि इराक के लोगों की संप्रभुता लौटाने की प्रक्रिया चल रही है। हमें विश्वास है कि इस संबंध में अभी कुछ कदम उठाये जाने है और इराक के लोगों को संप्रभु बनाने के लिए एक उपाय किया गया है किंतु संपूर्ण संप्रभुता जो कि लक्ष्य है दिये जाने के लिए किये जाने वाले उपायों की गति तेज की जानी चाहिए।

अपराह्न 4.00 बजे

वहां बाहरी राजनीतिक सत्ता को कम करके अंतत: हटाये जाने के संबंध में तो पथ दिखायी दे रहा है परन्तु बाहरी सेना को कम

करके हटाने के बारे में कोई स्पष्ट प्रक्रिया नजर नहीं आती। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि इराक के लोगों को शीघ्र ही संभवत: इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष के दौरान नयी सरकार के चुनाव हेतु अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। जब वे ऐसा करेंगे, तो वे यह निर्णय भी लेंगे कि गैर-इराकी सैनिकों का क्या किया जाए या उनकी इराक के कार्यों में क्या भूमिका हो। अत: आज जुलाई, 2004 में जो आशा की किरण मुझे दिखाई दे रही है, वह वामपंथी दल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक संकल्प को पारित करवाने के लिए लड़ते समय नहीं थी *...(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): आप एक सांसद के रूप में बोल रहे हैं या एक मंत्री के रूप में?

श्री मणिशंकर अय्यर: मैं इस मामले में हस्तक्षेप कर रहा हूं। मैं चर्चा का उत्तर नहीं दे रहा हूं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय विदेश मत्री यहां हैं। वे इस चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री मणिशंकर अय्यर: माननीय विदेश मंत्री इस चर्चा का उत्तर देंगे परन्तु मंत्री बन जाने से मेरा सांसद के रूप में मेरे अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं *...(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: श्री मणिशंकर अय्यर, मैं जानता हूं कि जब विदेश मंत्री जी बोलेंगे तब आपका बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी: कौन जालिम है, कौन इंसानी खून बहा रहा है, इन्होंने उसका उल्लेख नहीं किया है। *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। *...(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, मैं माजरत चाहता हूं। विषय हमारे सामने हैं-इराक की स्थिति-आज की परिस्थिति और भविष्य की परिस्थिति। इसमें यह नहीं कहा जा रहा है कि हम केवल भूत के बारे में बात करें। हमें छूट है कि आधुनिक परिस्थिति और भविष्य की परिस्थिति पर हमें जो कुछ कहना है, कहें। हमने साफ कहा है कि हम आजादी और सावर्नेटी के पक्ष में हैं। हम संयुक्त राष्ट्र पर विश्वास रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में सर्वसम्मति से जो रैजोल्यूशन पारित होते हैं, उनका उल्लंघन या उपेक्षा करना सही बात नहीं है। हम चाहते हैं कि इराक पुन: आजाद देश बने। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): महोदय, क्या वे इराक के कठपुतली प्रधानमंत्री का समर्थन कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मणिशंकर अय्यर: मैं सदन को बताना चाह रहा था कि जिस प्रकार से हमारे रिश्ते इराक के साथ बहुत गहरे थे, वैसे ही उसके साथ भविष्य में हमारे रिश्ते बहुत गहरे और करीब होने चाहिए। हम चाहते हैं कि आजाद मुमालिक की हैसियत से हम विश्व शांति और विश्व के विकास में अपना योगदान दें।

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, इन्होंने इस परिस्थिति पर अपने दल का रूख स्पष्ट नहीं किया है। यह एक बहुत ही कूटनीतिक भाषण है *...(व्यवधान)*

श्री पी.के. वासुदेवन नायर (तिरूअनन्तपुरम): उपाध्यक्ष महोदय, श्री मणिशंकर अय्यर ने निजी तौर पर नहीं परन्तु सरकार में एक मंत्री होने के नाते बोला है क्या वे इस पर अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने केवल हस्तक्षेप किया है, माननीय विदेश मंत्री बाद में इस पर बोलेंगे।

अब, श्री वरकला राधाकृष्णन।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं इस वाद-विवाद का आरम्भ करने वाले श्री पी.के. वासुदेवन नायर द्वारा प्रकट किये गये विचारों का समर्थन करता हूं।

सर्वप्रथम, मैं माननीय विदेश मंत्री को इराक में सेना भेजने के अपने वक्तव्य के लिए धन्यवाद प्रकट करता हूं। उन्होंने परिस्थिति को वापस लेने को बचा लिया है परन्तु उन्हें ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

विदेश मंत्री (श्री के. नटवर सिंह): मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री वरकला राधाकृष्णन: परन्तु समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ था।

श्री के. नटवर सिंह: समाचार पत्रों में बहुत सी चीजें प्रकाशित होती हैं। आप काल्पनिक खबरें क्यों पढ़ते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है *...(व्यवधान)* आपने परिस्थितियों से बचा लिया है परन्तु यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था।

श्री के. नटवर सिंह: अगले ही दिन मैंने वाशिंगटन में एक वक्तव्य जारी किया *...(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: अमेरिका में यह सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था, कि आप इराक में सेना भेजने के लिए सहमत थे।

श्री के. नटवर सिंह: मैं कभी सहमत नहीं था।

श्री वरकला राधाकृष्णन: इस विषय पर पूर्व सदन में भी चर्चा हुई थी।

मुझे याद है। जब पिछली बार सदन में चर्चा हुई थी, तो मैं उपस्थित था। चर्चा हुई थी और एक मत से यह निर्णय लिया गया था कि इराक में किसी भी प्रयोजन से कोई सेना न भेजी जाए। यह निर्णय लिया गया था। माननीय मंत्री इसके बारे में भली-भांति जानते है *...(व्यवधान)*

श्री के. नटवर सिंह: सभा ये प्रस्ताव पारित करने वालों में मैं भी शामिल था *...(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: परन्तु यह कैसे हुआ?

श्री के. नटवर सिंह: मेरे मित्र, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा *...(व्यवधान)*

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): उन्होंने स्वयं ही इसका खंडन किया है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करे।

...(व्यवधान)

श्री के. नटवर सिंह: ठीक है। मैं इस पर बाद में इस बात का उत्तर दूंगा *...(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद: मैं केवल आपका खंडन कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: कोई बात नहीं मैं उस विषय पर जोर नहीं दे रहा हूं। यहां प्रश्न इराक की स्थिति के बारे में है। वहां एक न्यायाधिकरण है। न्यायाधिकरण की नियुक्ति किसने की? यह एक कठपुतली सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। वैधानिक रूप से यह प्रक्रिया संशयपूर्ण है क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में है। डा. गद्दाफी सहित लगभग 20 विदेशी वकीलों ने भी इस न्यायाधिकरण को अवैध माना है। यह कठपुतली सरकार वहां पर सेना द्वारा गठित की गई है। जिसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं है हमारा मानना है कि अमरीकी सरकार को इराक में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह एक स्वतंत्र राष्ट्र था और यह केवल सैनिक बल के आधार पर ही इराक में उपस्थित है। ऐसा इसलिए क्योंकि विश्व में एक मात्र विश्वशक्ति तथा अत्य आधुनिक हथियारों के बल पर ही वह स्वतंत्र राष्ट्र इराक पर कब्जा कर सका। जब वे इराक पर कब्जा कर रहे थे, तब उन्होंने वहां एक कठपुतली सरकार का गठन किया जो कि सी.आई.ए. की एजेंट थी। प्रधानमंत्री श्री अलावी सी.आई.ए. के एजेंट के रूप में जाने जाते है उन्होंने सी.आई.ए. के लिए 30 वर्ष से भी अधिक समय तक कार्य किया है। इस व्यक्ति को सत्ता में लाने वाला पूर्व प्रधानमंत्री सद्दाम हुसैन का विरोधी था। परन्तु उन्हें हटा दिया गया क्योंकि प्रशासक के रूप में अलावी अमरीका के लिए सुविधाजनक नहीं था। इसलिए उसे हटाया गया और इस व्यक्ति को लाया गया।

अब वह न्यायधिकरण सद्दाम हुसैन से पूछ-ताछ कर रहा है। मुझे सद्दाम हुसैन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं उसके लिए किसी प्रकार की क्षमा के बारे में बहस नहीं कर रहा हूं। मेरा निवेदन केवल यह है कि वहां एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण हो। जहां स्वतंत्र न्याय सर्वोपरि हो। कार्यवाही बिना किसी पक्षपात के हो। यह उचित तथा स्वतंत्र हो।

इराक में उन मूल नियमों का परित्याग किया गया है। यह स्पष्ट है इसीलिए कुछ लोग उसे तानाशाह कह सकते है उसका प्रस्थान केवल रंगमंच का एक स्वांग है। उसने इसकी वैधानिकता पर प्रश्न चिह्न लगाये है। न केवल यह वहां इराक में कुछ विचार सर्वोपरि है क्योंकि उन्होंने मृत्युदंड को हटा लिया है।

अब वहां मृत्युदंड को दोबारा लागू किये जाने के प्रयास किये जा रहे है जिसका विशेषरूप से बंदी बनाये गये व्यक्ति पर प्रयोग किया जा सके। नौ ऐसे व्यक्ति है। जिनके बारे में यह पूर्व नियोजित है कि उन्हें मृत्युदंड दिया जायेगा। इस मामले से संबंधित विभाग द्वारा खुले रूप से यह स्पष्ट कर दिया कि उसे मृत्युदंड दिया जायेगा। वहां इस प्रकार की स्थिति है। हमें उस पर लगाये गये आरोपों की जांच करनी चाहिये। सरकार की इस पर विचार करना होगा। लगाये गये आरोप राजनीति से प्रेरित भी है। ये साम्राज्यवादी आरोप है। हम सब जानते हैं कि इराक और इरान के मध्य युद्ध हुआ जो आठ वर्षों तक चला। उसके तुरन्त बाद आयतुल्ला खुमैनी ने सत्ता सम्भाली और शाह को सत्ता से हटाया गया जो कि अमरीकी साम्राज्य की एक कठपुली था वह बहुत लम्बे समय से शासन कर रहा था। जनता ने विद्रोह किया।

मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सत्ता हथिया ली। मैं इससे सहमत हूं। सत्ता हथियाने के बाद, ईरान सरकार पर सद्दाम हुसैन द्वारा आक्रमण कर दिया गया और यह युद्ध आठ वर्ष तक चला। लगाए गए आरोप में ईरान-इराक युद्ध का कोई उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि अमेरिकी ईरान को पसंद नहीं करते। ईरान के साथ उनके मतभेद है। वे ईरान की नीतियों के खिलाफ हैं। चूंकि अमेरिकी साम्राज्यवादी ईरान की नीतियों को नापसंद करते हैं इसलिए आप देखेंगे कि सद्दाम हुसैन के खिलाफ लगाए गए आरोपों में जो आठ वर्षों तक चलने वाले इस युद्ध का उल्लेख नहीं है। शुरू से ही, प्रथम दृष्टया यह साबित हो गया कि यह राजनीति से प्रेरित है इसलिए यह आरोप अमेरिकी साम्राज्यवादियों की सहूलियतों का ध्यान रखते हुए लगाया गया। ऐसा क्यों? हमने देखा कि कुवैत पर हुआ हमला सिर्फ छह महीने तक चला। अमेरिकी साम्राज्यवाद का कुवैत एक मित्र-राष्ट्र है। कुवैत का शासक अमेरिकी साम्राज्यवाद का पिट्ठू था।

सद्दाम हुसैन के कुवैत पर आक्रमण करने की नीति से मैं सहमत नहीं हूं; लेकिन यह युद्ध सिर्फ छह मास तक चला और इसे शामिल कर लिया गया क्योंकि कुवैती शासक अमेरिकी साम्राज्यवाद का आंख मूंद कर समर्थन कर रहे थे। इसलिए, वह आरोप लगाया गया है। जबकि ईरान के साथ युद्ध जो आठ वर्षों तक चला उसे छोड़ दिया गया। यहां अभेदभावपूर्ण क्या है? इस मामले का मूल क्या है? क्या वे सही मायने में इच्छुक हैं? अगर वे सही मायने में निष्पक्ष सुनवाई के इच्छुक हैं तो इन सारी बातों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। एक युद्ध को जो आठ वर्षों तक चला छोड़ दिया गया और जो छह महीने तक चला उसे शामिल कर लिया गया। यह एक मुख्य आरोप है ...*(व्यवधान)*

यह आरोप किसने लगाया? अमेरिकियों ने। अरब के लोग इससे सहमत नहीं हैं। अरब के लोग अलावी द्वारा शासित अमेरिकी साम्राज्यवाद के इस पिट्ठू या कठपुतली सरकार को शक की निगाहों से देखते हैं। वे इससे सहमत नहीं हैं। मध्य पूर्व के अरब देश बगदाद में स्थापित सरकार को शक की निगाहों से देखते हैं।

मेरा विनम्र निवेदन है कि भारत को सुनवाई कराने का प्रयास करना चाहिए जो निष्पक्ष और स्वतंत्र हो तथा सम्मत अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हो, न कि ऐसे न्यायाधिकरण द्वारा जो कठपुतली सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो। यह सभी अंतर्राष्ट्रीय न्याय के विरुद्ध है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को नापसंद है। मेरी यही माननीय विदेश मंत्री से विनम्र विनती है। भारत एक ऐसा देश है जो इन मामलों की अगुवाई कर सकता है। हमने इराक में सेना नहीं भेजी है। हमारी अपनी स्वतंत्र नीति है। हमारे अरब देशों के साथ निकट संबंध हैं। हम अरब देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते रखना चाहते हैं। हमारा इराक के साथ बहुत ही अच्छा और ठीक-ठाक संबंध है।

अत: इन परिस्थितियों में यह उचित होगा कि हमारी इस मामले में अगुवाई होनी चाहिए। हमें यह देखने का हार्दिक प्रयास करना चाहिए कि इन युद्ध अभियोगों की सुनवाई करने वाले न्यायाधिकरण द्वारा कोई घृणास्पद सुनवाई न की जाए। बगदाद में की जा रही सुनवाई इराकी प्रशासन के दायरे में होनी चाहिए।

सभी जगह, यह कहा गया है कि अभियुक्त की हिरासत दोहरी हिरासत है। न्यायिक विधिशास्त्र में ऐसा नहीं सुना गया है। दोहरी हिरासत कहां पर है? अगर इराक में प्रभुसत्ता है तो दोहरी हिरासत का प्रश्न ही नहीं उठता। न्यायिक हिरासत कठपुतली सरकार के पास और शारीरिक हिरासत सैन्य शक्ति के पास है। यह अन्यायसंगत, अनुचित और हास्यास्पद है। जब हम किसी अभियुक्त के साथ पेश आते हैं, तब सर्वोच्च शक्ति ऐसे अधिकारी के पास होनी चाहिए। जो उस मामले की सुनवाई कर रहा हो। यह एक ऐसा मामला है जिसमें तथाकथित कठपुतली सरकार को न्यायिक अधिकार नाम मात्र के दिए गए हैं। इस सरकार को शारीरिक हिरासत न देकर सिर्फ न्यायिक हिरासत दी गई है। न्यायाधिकरण के पास सिर्फ न्यायिक हिरासत होगी, लेकिन शारीरिक हिरासत अमेरिकी सेना के पास है जो अभी भी इराक में हैं। वे एक या दो नहीं हैं, वहां पर 1.5 लाख से अधिक अमेरिकी सेनाओं के साथ अन्य सेनाएं है जो बगदाद में डेरा डाले हुए है और वे ही सत्ता पर नियंत्रण रखे हुए हैं। आज भी काबिज ताकतों के पास प्रभुसत्ता है। हम यह कैसे कह सकते हैं कि सत्ता कठपुतली सरकार के पास है? कल्पनातीत होकर भी हम क्या मान सकते हैं कि सत्ता कठपुतली सरकार के पास निहीत है? नहीं। सत्ता अभी भी अमेरिका के पास है, जो वहां कब्जा किए बैठे हैं। वे अभी भी उस देश पर काबिज हैं। जब तक वे उस देश पर कब्जा जमाये बैठे हैं, ऐसा दावा कैसे किया जा सकता है कि यह एक निष्पक्ष सुनवाई है? वे वही लोग हैं जिनके पास सद्दाम हुसैन और उसके सहयोगियों का शारीरिक स्वामित्व है।

इतना ही नहीं, कहा जाता है कि बंदियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। हमने यह बातें समाचार पत्रों में पढ़ी है। जो बातें इराक में हुई वह मानव इतिहास में सुनी नहीं गई हैं। बंदियों को हिरासत में लिया गया। उन्हें जेलों में डाल दिया गया। महिला बंदियों को भी अमेरिकी लोगों को चाय और खाना नंगे परोसने को कहा गया। इसी संस्कृति पर उन्हें, उन अमेरिकी साम्राज्यवादियों को गर्व है। जेलों के भीतर अमानवीय यातनाएं दी गई हैं। यह मेरे आरोप नहीं हैं; यह दावा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन द्वारा किया गया है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी मानवीय भावनाओं की तिलांजलि दे दी गई, और बर्बरतापूर्ण, अशिष्ट और अमानवीय व्यवहार मनुष्यों के साथ किए गए जिन्हें बंदी नाम दिया गया। वे बंदी नहीं हैं; वे उसी देश के नागरिक हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: राधाकृष्णन जी, आप एक मिनट के लिए बैठिये। मुझे एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। उसके बाद आप बोल लीजिए।

[अनुवाद]

माननीय सदस्यगण, मुझे वियतनाम से आए शिष्टमंडल के साथ एक अत्यावश्यक बैठक में भाग लेना है। चूंकि सभा में सभापति तालिका से कोई भी उपस्थित नहीं है; यदि माननीय सदस्यण सहमत हों तो मैं श्री हन्नान मोल्लाह से अनुरोध करूंगा कि वे पीठासीन हों।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

[हिन्दी]

मोहम्मद शाहिद (मेरठ): जो हमारे माननीय सदस्य ने कहा है, मंत्री जी पहले उस बात का जवाब तो दे दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: वह वरिष्ठ सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.18 बजे

[श्री हन्नान मोल्लाह *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन जी, कृपया बोलिये।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा नियंत्रित इराक की जेलों में कैदियों के साथ किए जा रहे व्यवहार के बारे में बता रहा था। उन्हें अमानवीय दशाओं में रखा गया था। उन्हें खाने को भोजन तक भी नहीं दिया जाता था। उन पर रात दिन अत्याचार किए गए उन्हें शौचादि जाने तक की भी अनुमति नहीं दी थी। ये सब खबरे किसी और विदेशी प्रेस में नहीं अपितु यह सब समाचार वाशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित हुई थी। इस समाचार पत्र में अमरीकी सैनिकों द्वारा नियंत्रित बगदाद जेलों में कैदियों के साथ किए गए अत्याचारों की तस्वीरें प्रकाशित की गई है। यह भी बताया गया है कि जेल के भीतर महिलाओं के साथ बलात्कार तक किया गया है। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया उसे सभ्य पश्चिम देशों द्वारा किया गया सांस्कृतिक व्यवहार है। उनका यह दावा है कि वह विश्व में सबसे अधिक सुसंस्कृत लोग है और वे पूरे विश्व पर शासन कर रहे हैं। अमरीकी साम्राज्यवादियों का यह दावा है। वे कहते हैं कि वे लोकतंत्र के प्रबल समर्थक है, वे व्यैक्तिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं और वे अपने नागरिकों के अधिकारों, मानव अधिकारों की वकालत करते हैं।

ये अमरीकी जेलों के भीतर इस प्रकार को अमानवीय अत्याचार कर रहे थे। इराक में अमरीकी लोगों को हथकड़ी लगाकर रख रहे है और उन पर अत्याचार कर रहे थे और फिर भी वे दावा करते है कि उनकी सभ्यता विश्व में सबसे शक्तिशाली और अत्याधुनिक है। अमरीकी ऐसे खोखले दावे कर रहे है। अमरीकियों ने इराक पर अधिकार करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रेस सहित अमरीकी प्रेस ने सुस्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत की। अमरीकी प्रेस स्वतंत्र है इसलिए उसे इन सभी मामलो को बताने के लिए स्वतंत्र है और इस प्रकार हमें पता चल सका कि इराक में लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है।

महोदय, आप देख सकते है कि 18-19 वर्ष की इराकी मुस्लिम लड़कियां जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया उन्हें जेलों में डाला गया और उन पर अत्याचार किए गए और वे अमरीकी दावा करते है कि वे बहुत अच्छे है। मैं माननीय विदेश मंत्री जी में अनुरोध करूंगा कि इराक के मुद्दे पर जवाब देते समय वे इस सब बातों को ध्यान में रखे। कृपया इराक के मुद्दे पर कार्य करते समय अमरीका के साथ कोई भी समझौता न करें और इन्हें अच्छा सुसभ्य देश न माने। उन्होंने इराक में इराकी लोगों के साथ जानवरो जैसा व्यवहार किया है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जब अमरीका जाए तो सतर्क रहे और इन लोगों के साथ अधिक स्नेहशील न बने। आपको ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बहुत सजग रहना चाहिए। मानव इतिहास में कब्जा करने वाला सेना द्वारा ऐसा व्यवहार और ऐसा आचरण देखने सुनने में नहीं मिला है। यहां तक यूएस अथवा रोम के इतिहास में भी हमें इस प्रकार के अत्याचार देखने सुनने को नहीं मिले हैं। लेकिन 21वीं शताब्दी में हम सुन रहे हैं कि इराक में इस प्रकार का अमानवीय अत्याचार किया जा रहा है।

सद्दाम हुसैन बर्बर व्यक्ति हो सकता है, उसके लाखो लोगों की हत्या की होगी, तर्क के लिए आप कह सकते है, उसने ईरान पर हमला किया उसने कुवैत पर धावा बोला। उसने अपने रिश्तेदारों की हत्या की होगी। ये सब बातें वहां हुई है लेकिन यह तो इसका हल नहीं है। इराक में किए जा रहे अत्याचारों के लिए अमरिकियों ने कोई सफाई नहीं दी है। यह तो सिर्फ इसलिए किया गया था कि सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया था। यह कोई सफाई नहीं है।

सभापति महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह भी बताया गया था कि सद्दाम हुसैन के पास जनसंहारक हथियार हैं। अपने कार्यों को उचित ठहारने के लिए अमरीकियों ने यह काल्पनिक तर्क दिया। लेकिन इराक पर एक-दो माह तक कब्जा करने के बाद भी वे इस बात को रत्ती भर भी साबित नहीं कर पाए है कि इराक में सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक जनसंहारक हथियारों का भण्डार है। कुछ भी नहीं मिला है। अत: उनके सभी आरोप झूठे साबित हुए हैं।

मैं तो यह कहूंगा कि अमरीकिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे तो नाजियों से भी आगे निकल गए हैं। झूठे आरोप लगाने और झूठे प्रचार करने के मामले में वे नाजियों को भी पीछे छोड़ दिया है।

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं माननीय विदेश मंत्री जी से जो कि काफी अनुभवी व्यक्ति हैं- पुन: अनुरोध करूंगा कि इराक की स्थिति जैसे मामलों से निपटने में अमरीका के साथ किसी प्रकार की रियायत न बरती जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): सभापति महोदय, धन्यवाद। श्रीमन्, इराक पर जब चर्चा हो और अमेरिका का जिक्र न हो तो बेमानी होगी। इस टोपिक पर चर्चा करते समय मैं तीन बिन्दुओं पर अपनी बात रखना चाहता हूं-पहले यह कि जब हम किसी दूसरे देश से अपने संबंध रखते हैं तो हमारी मूल नीतियां क्या थीं और क्या हम उनके आधार पर, उसके साथ चल रहे हैं। दूसरे, अमेरिका का दूसरे देशों के साथ संबंधों का पिछला इतिहास क्या रहा है, और तीसरे इराक पर अमेरिका का जो आक्रमण हुआ, क्या उसका कोई औचित्य था? अगर नहीं था तो हमारी अब क्या भूमिका होनी चाहिए, हमारा क्या रोल होना चाहिए? जहां तक हमारी विदेश नीति का सवाल है, हम सब जानते हैं कि जब जो ध्रुव थे तो हमने दोनों से समान दूरी बना रखते हुए गुटनिरपेक्षता को अंगीकार किया था। उस समय पंडित नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि गुटनिरपेक्षता और तटस्थता एक चीज नहीं हैं, अगर कहीं किसी के हितों पर आक्रमण होता है, कुठाराघात होता है तो गुटनिरपेक्षता उसमें इण्टरवीन कर सकती है, तटस्थता की नीति नहीं करेगी। हमारी नीति सक्रियता वाली है, गुटनिरपेक्षता वाली है, तटस्थता वाली नहीं है। उसका यह मूल आधार रहा, भले ही सोवियत यूनियन के डिसइंट्रीगेशन के बाद एक ध्रुव खत्म हो गया हो, अमेरिका की दादागिरी रह गई हो, लेकिन हम अभी भी अपने को गुटनिरपेक्ष कहते हैं और जब गुटनिरपेक्ष कहते हैं तो हमें यह विचार करना पड़ेगा कि कहीं अगर अन्याय हो रहा है तो हमारी भूमिका क्या हो।

इतनी ज्यादतियां इराकियों के ऊपर हुईं, माननीय मणिशंकर अय्यर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे इराक के साथ पुराने कैसे रिश्ते रहे हैं। जिस इराक से इतने अच्छे रिश्ते रहे हों, जो कभी-कभी संकट में रैस्क्यू के लिए हमारे लिए आगे आया हो, उस पर आक्रमण हो और उसकी निन्दा करने के लिए कण्डैम शब्द का प्रयोग किया जाये या न किया जाये, इस पर संसद कई दिनों तक यहां स्टाल बनी रहे, काम न कर सके और फिर यह समझौता किया जाये कि हिन्दी में निन्दा और अंग्रेजी में डिप्लोर कर दिया जाये तो यह एक चिन्ता की बात है। पूरे देश के लोग क्या सोचते हैं और यहां बैठे हुए लोग किस तरह से काम करते हैं, इसमें यह फर्क है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, जो बहुत ही विद्वान है। मुनरो डाक्ट्रिन से लेकर अब तक अमेरिका की एक ही नीति रही है, जहां उसको लगे कि उसके व्यापारिक हित को नुकसान हो रहा है, इन दि लॉग रन उसके निजी हितों पर कहीं नुकसान आ सकता है तो वह कहेगा कि यह अमेरिका के हितों पर आक्रमण है और हम इसको रिटैलिएट करेंगे, इसका प्रतिकार करेंगे। 1956 में जब प्रेसीडेंट नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया, आप जानते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों जो सिक्योरिटी कौंसिल के परमानेंट मैम्बर हैं, उन्होंने उस पर हमला किया। बाद में उन्हें वहां से जाना पड़ा तो यह कहा गया कि वैक्यूम क्रिएट हो गया है।

श्री के. नटवर सिंह: इस्राइल से मिलकर किया था।

प्रो. राम गोपाल यादव: इस्राइल के साथ ही किया था और कहा कि वैक्यूम क्रिएट हो गया है। जब वैक्यूम क्रिएट हो गया तो अमेरिका को वहां जाने का अधिकार मिल गया। इसे आइजनहावर डाक्ट्रिन के नाम से जानिए। ईरान के साथ जब मामला आया, जब ईरान ने अमेरिकी दूतावास के कुछ लोगों को कैद कर लिया, आप जानते हैं कि आर.डी.एफ. वगैरह का एम्पलायमेंट जब गल्फ में हुआ तब भी प्रेसीडेंट कार्टर ने कहा कि यदि गल्फ में कोई बाहरी हस्तक्षेप होता है तो वह अमेरिका के हितों पर आक्रमण माना जायेगा और अमेरिका उसका प्रतिकार करेगा, चाहे इसके लिए सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग ही क्यों न करना पड़े।

श्री मोहन सिंह (देवरिया): उसी पर कार्टर हार गये।

प्रो. राम गोपाल यादव: हार गये और ये भी हार जाएंगे, बुश और ब्लेयर दोनों ही हार जाएंगे, जो आज की स्थिति है। मैं यह

[प्रो. राम गोपाल यादव]

कहना चाहता हूं कि अमेरिका का कार्य करने का तरीका ही यह रहा है और आप जानते हैं कि सैकिण्ड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ था, सैकिंड वर्ल्ड वार खत्म होने के समझौते की स्याही सूखी नहीं थी, यूनाइटिड नेशंस के चार्टर पर दस्तखत नहीं हो पाये थे, यूनाइटिड नेशंस के रेजोल्यूशन के आवर में ही उत्तर कोरिया पर हमला कर दिया गया। आप जो यूनाइटिड नेशंस की बात कर रहे हैं, यह सही है कि यह एक ऐसी संस्था है कि जब झगड़ा होता हो तो कम से कम यह एक प्लेटफार्म है, भले ही इफेक्टिव न हो, लेकिन वहां बात होती है तो उसमें से कुछ न कुछ रास्ता निकलता है, लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि यूनाइटिड नेशंस की जो भूमिका होनी चाहिए, वह निष्पक्ष भूमिका नहीं रही है। लगता है कि अब अमेरिका के प्रभाव में वहां भी फैसला होने लगा है-यह स्थिति है। इस परिस्थिति में जो अमेरिका काम कर रहा है, शुरू से करता रहा है और उसके बाद जब अब सब सामने आ गया है, स्वयं अमेरिकन एजेंसीज, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने स्वीकार किया है, कि 11 सितम्बर की घटना की जानकारी सद्दाम हुसैन को नहीं था। मास डैस्ट्रक्शन के वैपन्स भी वहां नहीं हैं। ये दो कारण हो सकते हैं। इन्हीं दो कारणों की वजह से इराक पर हमला हुआ। प्रैजीडेंट बुश भी जानते थे कि ये बातें सत्य नहीं हैं। जानबूझकर किसी सम्प्रभु देश पर कोई देश हमला करे, इसको सिर्फ दादागिरी के अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई दूसरी संज्ञा नहीं दी जा सकती।

उसके बाद कितना अनाचार हुआ, कितना अत्याचार हुआ। अभी यूनाइटेड नैशंस में जो रेजोलूशन आठ जून को पास हुआ, उस रेजोलूशन के तहत इंटरिम गवर्नमैंट की बात की गयी और प्रधान मंत्री भी ऐप्वाइंट कर दिया गया। यह चर्चा अमेरिकी सर्कल में है, अमेरिकी प्रैस में भी है कि जो व्यक्ति इराक का प्रधान मंत्री मनोनीत किया गया है, वह सीआईए की पैरोल पर रहा है। अमेरिका में बहुत जबरदस्त लाबिंग हुई। करोड़ों डालर इस प्रचार पर खर्च हुए कि किस तरह से अमेरिका के हितों को सर्व करने के लिए इस पर्टिकुलर व्यक्ति को वहां का प्राइम मिनिस्टर नामीनेट कर दिया जाये और वह कर दिया गया। ऐमनेस्टी इंटरनैशनल ने जो तमाम बातें कहीं, उसने यह भी कहा कि तमाम देशों में जो मीटिंग हुई, जैसे चिली, स्पेन आदि कुछ देश हैं, जिन्होंने यह कहा कि उस मीटिंग में अमेरिका से मांग की गयी कि अमेरिका के सैनिक इराक के लोगों के साथ अत्याचार या अमानवीय बर्ताव न करें लेकिन अमेरिका ने इस पर सहमति नहीं दी।

इंटरनैशनल ला यह कहता है कि जब युद्ध खत्म हो जाये, सावरैनिटी किसी देश की वापिस मिल जाये तो जो प्रिजनर्स आफ वार हैं, उनको रिहा कर दिया जाना चाहिए। इराक की कैद में जो लोग हैं जिनको अमेरिका ने कैद में रखा है, इन्कलूडिंग सद्दाम हुसैन, उनके ट्रायल का हक अमेरिका या अमेरिका द्वारा गाइडेड व्यक्तियों को नहीं है-अंतर्राष्ट्रीय कानून यह भी कहता है। लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया गया। दूसरी सरकार जब जनता द्वारा चुनकर आयी है तो सद्दाम हुसैन के साथ क्या ट्रीटमैंट हो, यह वह सरकार तय करे लेकिन ट्रायल अभी से अमेरिका की कठपुतली सरकार के द्वारा हो रहा है। हमें इसका विरोध करना चाहिए।

जितने लोग वहां बंद हैं, उन सबको ऐमनेस्टी इंटरनैशनल और उसकी कवर में जो कोरी माफी दी जाती है, जब कोई देश जो युद्ध के बाद काबिज है, वह अपने को अलग कर लेता है तो सबको रिहा कर देना चाहिए, माफी देनी चाहिए, यह भी इंटरनैशनल ला, रैडक्रास के रूल्स में है, लेकिन वह भी नहीं हो रहा है। सारी दुनिया के लोग चुप हैं। मेरा मानना है कि सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रिटी इस दुनिया के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो रही है। अगर एक और बड़ी ताकत पैरलल बनी रहती तो इस तरह का व्यवहार अमेरिका का नहीं होता। अब तो कहीं भी किसी भी देश पर कोई बहाना लेकर कहीं भी आक्रमण किया जा सकता है और ऐसा लगता है कि दुनिया भर के देश अब इस चीज से दहशत में भी हैं और कई बार ठीक तरीके से और सही बात को कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते।

अटल जी ने पहले कहा था कि यू.एन. रेजोलूशन हो जाये, तो हम अपनी सेनाएं भेज देंगे। हालांकि हमारे विदेश मंत्री महोदय ने बाद में खण्डन किया जिससे ऐसा लगे कि अमेरिका में उन्होंने जो कहा था, वह यही था। टेलीविजन पर जो लोगों ने सुना, उसमें माननीय नटवर सिंह जी ने यही कहा था कि अगर रेजोलूशन हो जाए, तो सेनाएं भेजी जा सकती हैं। इस पाप में भागीदार हिन्दुस्तान न बने। हमारे जो रिश्ते इराक से रहे हैं, उसकी कद्र होनी चाहिए। उसने हमें जो सहयोग दिया, जिस तरह से हमें तेल कन्सेशनल रेट पर दिया, उसका कुछ तो हम रेसीप्रोकेट करे केवल रिश्तों की तारीफ करते रहें और इराक पिटता रहे और हम मुंह न खोलें, यह उचित नहीं लगता है। मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी न कहें लेकिन हम भी आपके सहयोगी दल हैं। ये सब सहयोगी दल ही बैठे हुए हैं। विरोधी दल सब बाहर हैं। यहां बैठे हुए एमपीज अगर बोलते हैं और अमरीका का नाम लेने से भी हिचकें, तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार भी अमरीका का नाम लेने में डर रही है। इसलिए हमारे कामरेड ने बीच में इंटरवीन किया था, जब मणिशंकर अय्यर साहब बोल रहे थे। उनका पूरा भाषण हो गया, लेकिन कहीं एक शब्द नहीं। इराक पर चर्चा हो तो क्या अमरीका का नाम नहीं लिया जा सकता है? जिस देश की जनता आन्दोलन कर सकती है कि यह गलत हो रहा है, बैरेक्स के अंदर, सैल्स के अंदर क्या-क्या हुआ, किस तरह लोगों को टार्चर किया गया, इनह्यूमन अत्याचार हुआ, उसे लेकर अमरीका में प्रैजीडेंट बुश की पापुलैरिटी गिर गई है। ओपीनियन पोल कह रहा है कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो प्रैजीडेंट बुश चुनाव हार जाएंगे।

श्री ब्लेयर की पापुलैरिटी खत्म हो चुकी है। अगर चुनाव हों तो उनकी सरकार दुबारा सत्ता में नहीं आ सकती। उन देशों की जनता इतनी सैनसिटिव है, लेकिन हम जो मित्र देश रहे हैं और इराक के मित्र देश होने का दावा करते हैं, वे मुंह खोल कर वास्तविकता भी नहीं कह सकें तो फिर क्या फायदा है। आखिर आदमी के अंदर कोई कान्शस, कोई अन्तर्रात्मा होती है या नहीं। क्या अमरीका के सहयोग के बिना हम जिन्दा नहीं रह सकते?

हम जानते हैं कि विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण अंग राष्ट्रीय इंटरस्ट होता है। नेशनल इंटरस्ट पहली चीज है, वह बेस है। उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन सारी दुनिया में उदाहरण है। चीन आइसोलेट होकर भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत में से एक बन गया है। जो कभी राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं रहा। उसे संयुक्त राष्ट्र संघ का मैम्बर नहीं बनाया गया। फिर हाथ जोड़कर मैम्बर बनाना पड़ा। शक्ति की पूजा होती है। अगर आप भारत को शक्तिशाली बना लेंगे तो जो चाहे कहिए, आधे लोग आपकी तारीफ करेंगे। फिर कोई आपके ऊपर दबाव नहीं डालेगा। श्री क्लिंटन की तरह कह देंगे कि सेना मेरी वजह से वापिस आ गई। आपके लोगों ने बहादुरी नहीं की थी।

इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अभी सद्दाम हुसैन का जो ट्रायल हो रहा है, उस ट्रायल का विरोध होना चाहिए। जब जनता द्वारा चुनी गई सम्प्रभु सरकार आए, वह जो फैसला करे, वही होना चाहिए। क्योंकि अभी यही तय नहीं है कि वहां जो सेनाएं हैं, उन सेनाओं का आदेश सावरेन सरकार मानेगी या सावरेन सरकार का आदेश भी सेना मानेगी। इस वक्त इराक के जो प्रधान मंत्री हैं, क्या अमरीका की सेनाएं उनके आदेश को मानने को बाध्य हैं? क्या अमरीका ने क्लैरीफिकेशन दिया है? नहीं तो वहां कैसी सम्प्रभु सरकार है। वहां एक लाख चालीस हजार के आस-पास अमरीकन सेनाएं हैं, एक लाख से कुछ ज्यादा सेनाएं ब्रिटेन की हैं, थोड़ी सी और हैं। सबने मना कर दिया। अमरीका की कमांड रहेगी। क्या अमरीका की कमांड में आप अपनी सेना भेजने को तैयार है? अमरीका की सेनाओं की कमांड है, उसके निर्देश पर सारी सेनाएं काम करेंगी। फ्रांस ने मना कर दिया, रूस ने मना कर दिया, कनाडा ने मना कर दिया, जर्मनी ने मना कर दिया। क्या भारत अमरीकी नेतृत्व में अपनी सेनाएं भेजने के लिए तैयार है? हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। देश की जनता, देश का जनमानस इराक वाले मसल पर अमरीका के सख्त खिलाफ है क्योंकि पुनर्निर्माण की बात अफगानिस्तान ने भी कही थी। इतने हमले हुए, कितना पुनर्निर्माण कर दिया, कितनी मदद की। ऐसे ही छोड़ दिया गया। ऐसे ही इराक को छोड़ देंगे। उसकी तेल पर निगाह है, तब तक बने रहना चाहता है। जब तक इराक के तेल का मैक्सिमम एक्सप्लायटेशन होता रहे, तब तक यह होता रहेगा।

मैं लम्बी बात नहीं कहना चाहता। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस मसले पर देश के लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए अपना पक्ष स्पष्ट रखिएगा। अमरीकी सेना के कमांड के अंतर्गत कभी अपनी सेना वहां मत भेजिए। सद्दाम हुसैन के ट्रायल को अभी रोकिए। अगर नई सरकार ट्रायल करना चाहे तो करे। मुझे ऐसा लगता है कि सद्दाम हुसैन ने जो कहा "मैं इराक का राष्ट्रपति हूं। बुश असली अपराधी है।" जब देश सम्प्रभु हो गया तो कौन तय करेगा कि सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति नहीं हैं। क्या इसे अमरीका तय करेगा? उन्हें लीगली तो हटाया नहीं गया। जो आए उन्होंने कहा हम विदड्रा कर रहे हैं। विदड्रा कर रहे हैं तो 'स्टेटस को' होना चाहिए। कम से कम इस वक्त ये ट्रायल नहीं होना चाहिए। ऐसे बाद की बातें हैं। यह तमाम लोगों पर आरोप लगे। लोगों ने बहुत ज्यादतियां दुनिया में की हैं, वे सत्ता में आये और सत्ता से गये, लेकिन क्या उनमें से किसी का भी ट्रायल हुआ। इसलिए भारत सरकार का इस मामले में स्पष्ट रूख होना चाहिए। हम इराक की जनता के प्रति केवल यहां संसद में बोलकर हमदर्दी करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर रिकंस्ट्रक्शन के बारे में मदद की जो बात हम कर रहे हैं वह तो होनी ही चाहिए लेकिन इसके साथ ही साथ अमरीका की निंदा भी होनी चाहिए और अमरीका के सैनिक जल्द से जल्द वापिस होने चाहिए। इराक को अपनी नयी सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए। जो नयी सरकार बने उसकी आप जो भी मदद कर सकें, उसका स्वागत है।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): धन्यवाद, सभापति महोदय।

मैं इराक की स्थिति के संबंध में अपनी कुछ चिन्ताएं व्यक्त करने जा रहा हूं मैं उन्हें एक-एक करके बताऊंगा।

मैं समझता हूं कि हमें उस देश में उत्पन्न हुई स्थिति से कुछ सबक लेने चाहिए. अमरीका ने यह बहाना बनाकर इराक पर अनुचित और अत्याधिक निन्दनीय हमला किया कि उसके पास जनसंहारक हथियार हैं। ताकि उसे निरस्त किया जा सके लेकिन अमरीका खुफिया एजेंसियों द्वारा इस संबंध में अपने प्रयास करने के बावजूद वे इस बात को साबित करने में पूरी तरह से विफल रही है।

आज के समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुई है कि पेंटागान में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अपना-अपना प्रभाव है तथा वे ऐसे एक संस्थान को संपर्क में थे जो पेंटागन के उच्च पदाधिकारियों को यह प्रभावित करने के लिए पूर्णतया जिम्मेदार है, मैं उस संस्थान के लिए एजेंट शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, कि इराक के पास जनसंहारक हथियार हैं। यह विश्लेषण अत्यन्त वस्तुपरक है

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

और इसके परिणामस्वरूप अमरीका ने इराक पर आक्रमण किया। प्रश्न यह है:- खुफिया तंत्र के विफल होने पर यदि कोई देश सम्पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मत की अवहेलना करके इस प्रकार की कार्यवाही करता है और किसी देश पर आक्रमण करता है तो इस पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? इस सभा ने तेरहवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया था कि इराक में सेनाएं न भेजी जाए और हम सबने उस संकल्प पर सहमति दी थी।

लेकिन इसके बावजूद सत्य यह है कि खुफिया तंत्र की असफलता के कारण कुछ देशों ने जानबूझ कर महाभूल की है। अपने खुफिया तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए जाए ताकि आप सही, पूरी और सच्ची जानकारी प्राप्त कर सके? क्या विश्व के विभिन्न भागों से अपनी खुफिया एजेंसी से प्राप्त सूचना की जांच के लिए कोई तंत्र है?

दूसरी चिन्ता की बात संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका की अनदेखी करना है। यह गंभीर चिन्ता का विषय है कि अमरीका और उसके सहयोगियो ने विश्व समुदाय की राय में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा की और खुल्लमखुल्ला इराक पर आक्रमण किया। यह हमें विश्व व्यवस्था के बारे में चिंतन करने के लिए बाध्य करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को किस प्रकार अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ को ऐसे देशों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कानून की शक्ति दी जा सकती है जो उसके संकल्पों अथवा निर्णयों का पालन नहीं करते हैं। ताकि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो।

ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व के अन्य देश असहाय स्थिति में हैं और वे अमरीका के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि उसके पास धन है, प्रौद्योगिकी है, सेना है और वह पूरे विश्व के कई देशों को इसलिए आदेश दे सकता है क्योंकि वह आर्थिक और व्यापारिक और अन्य दृष्टि से सम्पन्न है। वह कुछ भी कर सकने की स्थिति में है। उस संदर्भ में जब संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रत्येक सदस्य देश यह मानता है कि उसकी स्थिति समान है तो पूरे विश्व में शान्ति स्थापना या शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रभावी बनाने हेतु क्या किया जा सकता है? उस स्थिति तक पहुंचने पर भारत की भूमिका क्या हो सकती है और भविष्य में उस स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है?

मेरी तीसरी चिन्ता मानवाधिकारों, यहां तक मूलभूत मानवाधिकारों का उल्लंघन करने की घटनाएं हैं ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई है और वे आहत करने वाली है। वे सैनिक है न कि अपराधी। मुझे हैरानी है क्या किसी देश के सैनिक को मानवाधिकार प्राप्त है कि नहीं। इस संदर्भ में मुझे भली-भांति याद है कि अमरीका की कथनी और करनी में अन्तर है। जब उसके सैनिको को दूसरे देश में बन्दी बनाया जाता है तो वह जनेवा अभिसमय की दुहाई देता है और जब वह स्वयं दूसरे देशों के सैनिकों को बन्दी बनाता है तो वह ऐसे अभिसमयों का पालन करना नहीं चाहता है। इस संदर्भ में पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका, सर्वभौम मानवाधिकार सिविल और राजनीतिक अधिकारों का मामला उठता है जिनका विश्व के अधिकतर देशों ने अनुसमर्थन कर दिया है।

यदि सैनिको के मामले में भी किसी देश द्वारा इन सार्वभौम सिविल और राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो जब हम संपूर्ण विश्व पर शासन के लिए नई व्यवस्था के बारे में सोचते तो उसमें सुधार के लिए तंत्र बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकाय को विचार किया जाना चाहिए।

मेरी चौथी चिन्ता समाचार पत्रो में छपी कई घटनाओं के बारे में जिनमें भारतीयों की विश्व के विभिन्न देश में नौकरी करने के नाम भारतीय लोगों को भर्ती किया गया है। दो तीन ऐसी घटनाएं प्रकाशित हुई है जहां जार्डन अथवा कुवैत में कार्य करने के लिए श्रमिकों की भर्ती की गई थी लेकिन उन्हें तुरन्त इराक में विभिन्न कैम्पो में कार्य करने के लिए भेजा गया है।

मैं चाहता हूं कि सरकार उन घटनाओं की जांच के जो प्रेस को बताई गई है। वास्तव में स्थिति क्या है? शिविरों में अमरीकी सैनिकों की सेवा में लोगों की भर्ती करने वाली एजेंसियों को काली सूची में डाला जाए, प्रतिबंधित किया जाए तथा उनके लाइसेंस रद्द किए जाए। इस देश में चल रही कतिपय एजेंसियों द्वारा जो लोग धोखाधड़ी के शिकार हुए तथा जो अपने देश में वापस आना चाहते हैं उन्हें हमारे दूतावासों द्वारा संबंधित देशों में पूर्ण सुविधाएं दी जानी चाहिए।

मेरी पांचवीं चिंता का विषय वही है जो श्री राधाकृष्णन ने भी उठाया है। हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि इराक में चल रहे मुकदमे उचित, स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए कि क्या ये मुकदमे इराक के बाहर चलाये जाने चाहिए अथवा अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण में चलाए जाने चाहिए क्या इन पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन मुकदमा चलाया जाना चाहिए अथवा हेग न्यायालय में चलाया जाना चाहिए। प्रभाव डालने अथवा लामबंदी करने अथवा यह सुनिश्चित करने में भारत की क्या भूमिका हो सकती है कि ये सभी मुकदमे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अधीन हो अथवा कानून के अनुसार निष्पक्ष जांच के सिद्धांत पर हो? स्पष्टतया, यह सच है कि जिस तरह से अधिकरण का गठन किया गया है तथा जिस तरह से इराक में मुकदमें चलाए जा रहे हैं, उसके बहुत गंभीर प्रश्न उठते हैं। यह निश्चित है कि श्री सद्दाम को मृत्युदंड की तरह कोई सजा दी जाएगी।

इराक के साथ हमारे संबंध और इतिहास को देखते हुए, जैसाकि श्री मणिशंकर अय्यर ने अभी-अभी बताया है, हम विश्व समुदाय की राय, अरब जगत की राय बना सकते हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूं कि यदि वहां कुछ अपराध हुए हैं तो इराक की जनता को उन पर मुकदमा चलाने का पूरा अधिकार है।

मेरे विचार से यह निश्चित रूप से अमरीका के प्रभाव, मार्गनिर्देशन और आदेश से नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे हम आर्थिक रूप से तथा इराक के साथ हमारे वाणिज्यिक संबंध प्रभावित होंगे। मुझे लगता है कि हमें यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए कि इराक में लोगों को न्याय मिले। मैं इराक की जनता के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूं। मेरे विचार से हमें न केवल अपनी सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए अपितु हमारे कृत्य भी इराकी जनता की भावनाओं को पूरा करने वाले होने चाहिए। हमें यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए न कि उदासीन भूमिका। मुझे पक्का विश्वास है कि यह सरकार माननीय विदेश मंत्री के माध्यम से अग्रणी भूमिका निभाएगी। गुट-निरपेक्ष आंदोलन तथा विश्व के अन्य मंचों में भारत किसी समय अग्रणी भूमिका निभाता था। हमें विशेष रूप से इराक की स्थिति के मद्देनजर इस संबंध में हमें विश्व समुदाय तथा विशेष रूप से एशियाई समुदाय की राय बनाने के अतिरिक्त विश्व व्यवस्था को बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): सभापति महोदय, आज हम यहां इराक की परिस्थिति पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। मैं इराक की परिस्थिति के बारे में बाद में बताऊंगा। पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि आज से दस वर्ष पहले देखा जाता था कि जगह-जगह और घरों में सद्दाम हुसैन के बड़े-बड़े चित्र लगाए जाते थे, उनकी बहादुरी को ग्लोरिफाई किया जाता था और उनकी मिसाल देकर कहा जाता था कि सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में इराक ने अमेरिका जैसे बड़े देश को पछाड़ने का काम किया। उनके नाम पर कई व्यक्तियों एवं जगहों के नाम भी पड़ गए थे। जब इराक की अमेरिका से दूसरी लड़ाई हुई तो वैसे लोग उन्हें ग्लोरिफाई करके दबी जुबान से दूसरी बात कहने लग गए थे और उन लोगों ने अमेरिका द्वारा उसे चूहा कहे जाने पर तालियां भी बजायी थी। इसका पत्र पत्रिकाओं में उल्लेख भी किया गया था। यह बहुत शर्मनाक परिस्थिति है। हम ऐसे अवसरवादी नहीं हो सकते। देश के जो सिद्धान्त, आदर्श और राजनीतिक मूल्य हैं, उनके आधार पर हमारे इराक के साथ लौंग टर्म रिलेशन्स थे। इसके आधार पर हमारे व्यवहार और सिद्धांतों में स्थिरता होनी चाहिए थी। आज इराक में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से पता लग रहा है कि वहां युद्धबंदियों और कैदियों के साथ कैसे सलूक किया जा रहा है। यूएनओ जैसी आर्गेनाइजेशन के मना करने पर भी जैविक हथियारों का बहाना बना कर इराक पर हमला करने का जो दुस्साहस अमेरिका ने किया, उस पर हमारे जैसे देशों को एकजुट होकर विरोध करना चाहिए था। अंतर्राष्ट्रीय फोरम में आज भी इसका कड़ा विरोध होना चाहिए वरना यह बीमारी दूसरे एशियाई देशों में फैल जाएगी। हमें ऐसी बू आ रही है। आज इराक की आम जनता को दहशत में है, वह यह कहने को मजबूर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जार्ज बुश उसके हितैषी हैं। हम उनके साथ खड़े होकर अपनी नीतियों, बातों और संसद के माध्यम से उन्हें हिम्मत प्रदान करके कहें कि वे उठ कर खड़े हों और अत्याचारों का प्रतिकार करें। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उन परिस्थितियों से निपटने के लिये हम लोग कुछ सावधानियां बरतें। सब से पहली बात यह है कि हम वहां पीस कीपिंग फोर्स भेजने की गलती न करें। दूसरे, हमारे देश की जो आइडियोलौजी है उस पर आधारित निर्णयों में सौलिडैरिटी होनी चाहिये, यह एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ख्याल रखते हुये मैं सैद्धान्तिक तौर पर उस पर मजबूती से अड़े रहना चाहिये। हमें अमरीका के किसी भी अरेंजमेंट पर बिल्कुल सहमत नहीं होना चाहिये।

सभापति जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय फोरम में यह बात उठनी चाहिये कि जो हमने एक नारा दिया था – 'सद्दाम एक बहाना था, तेल पर निशाना था'–यह बात सचमुच में सार्थक नहीं होनी चाहिये, उनके नापाक इरादे कामयाब न हों, हमें इस बात का प्रयास करना चाहिये। हमारी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात को मजबूती के साथ रखना चाहिये।

सभापति जी, अमरीका ने रैस्ट आफ एशियन कंट्रीज में अपने सैनिक रख छोड़े हैं और उसकी फौजे ओमान और कुवैत में पहरेदारी कर रही हैं। यदि कल किसी भी तरह उन देशों की आजादी की बात होगी, तो फिर जैविक हथियारों का बहाना ढूंढा जायेगा और उन देशों पर आक्रमण करके उन्हें उपनिवेश का मूर्त रूप देने की कोशिश की जायेगी। इसलिये हम इसका घोर प्रतिकार करते हैं। हम यह भी कहना चाहते हैं कि सदन की इस मामले में सौलिडैरिटी होनी चाहिये और एक नीति तैयार करनी चाहिये ताकि इस खास विषय के समाधान का मार्ग प्रशस्त हो सके और अमरीका की दादागीरी पर अंकुश लग सके।

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): सभापति महोदय, श्री वासुदेवन नायर साहब ने जो कुछ कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं ईराक की बहादुर जनता को अपनी संसद के जरिये सलाम पेश करना चाहता हूं जिसने यह साबित कर दिया है कि दुनिया में बड़ी से बड़ी शैतानी ताकतें इनसानी अज्म और उसके

[श्री इलियास आजमी]

इरादे को डिगा नहीं सकती। जहां तक अमरीका का सवाल है, शायद श्री मणि शंकर अय्यर जैसे लोग उसका इरादा नहीं समझ सके और संसद में आकर श्री वासुदेवन नायर की तकरीर पर शायरी करने लगे जिसका न कोई मतलब है और न कोई मायने हैं। मैं मानता हूं कि हमारे देश के इराक के साथ हजारों साल पुराने ताल्लुकात हैं लेकिन आप ताल्लुकात किस तरह से निभा रहे हैं? हमारी पिछली सरकार वहां अपनी सेना भेजना चाहती थी लेकिन इस संसद के जरिये वह नाकामयाब हुई लेकिन हमारी मौजूदा सरकार ने अमरीका को खुश करने के लिये अमरीका में बयान दे दिया कि हम वहां सेना भेजने पर विचार कर रहे हैं और हम विचार करेंगे लेकिन जब यहां जनता का मूड देखा तो उसका खंडन कर दिया कि हमने यह बात नहीं कही है।* इन्होंने अमरीका में क्या कहा था लेकिन बाद में उसका खंडन कर दिया। मैं इस बारे में कुछ न कहकर सिर्फ इतना कहूंगा कि ईराक में जो कुछ हो रहा है, उसके पहले कोरिया में और बाद में वियतनाम में हो चुका है। कहां तक गिनाया जाये? हमारे साथी ने दर्जनों नाम गिनाये हैं। ऐसा अफगानिस्तान में हुआ है।* उस समय की हमारी सरकार उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी हो गई और कहा कि हुजूर हमारे हवाई अड्डे ले लीजिये, हमारी सेना ले लीजिए परन्तु अमरीका ने कहा...* हमें आपसे छोटे मुल्क पाकिस्तान की जरूरत है जो उसका पड़ोसी देश है।

अपराह्न 5.00 बजे

अफसोस की बात यह है कि आज पूरी दुनिया की सरकारें खुले तौर पर या घुमा-फिराकर छिपे तौर पर शैतान की हिमायती हैं। लेकिन उसी के साथ खुशी का मुकाम यह है कि सारी दुनिया की जनता अमरीका और ब्रतानिया समेत शैतान के खिलाफ हैं, शैतानी जारहिमत उसका वहशियानापन, उसके जुल्म, उसकी धांधली का विरोध सारी दुनिया कर रही है, यहां तक कि अमरीका और ब्रतानिया की जनता भी कर रही है। लेकिन जहां तक सरकारों का ताल्लुक है, सारी सरकारें उसके आगे हाथ बांधे खड़ी हैं। उसमें किसी न किसी हद तक हमारी पिछली सरकार भी शामिल रही थी और मुझे यकीन है कि मौजूदा सरकार भी हो सकता है कि हाथ बांधकर खड़े होने वालों में शामिल रहे।

अपराह्न 5.01 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय मामला सिर्फ इराक का नहीं है, मैं बहुत सफाई के साथ बता दूं कि मैंने पूरी लाइफ में कभी भी सद्दाम हुसैन की हिमायत नहीं की, मैं हमेशा सद्दाम हुसैन का विरोधी रहा, लेकिन उसका यह मतलब नहीं, आज सद्दाम हुसैन नहीं, आज इराक की जनता पर...* अमरीका का कब्जा है और इराक की जनता उसे भुगत रही है। सद्दाम हुसैन ने जो गल्तियां की थीं, उसकी सजा देने का हक इराक की जनता को था, अमरीका या बुश को नहीं था। आज अजीब-ओ-गरीब हालत दुनिया में फैली हुई है, आज पूरी दुनिया खतरे में हैं और जिससे खतरे में है, उसी की घुमा-फिराकर हिमायत कर रही है और अगर हिमायत न भी कर रही हो तो श्री मणिशंकर अय्यर जिस शायरी के जरिये उसके जुर्म को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, सारी दुनिया की हुकूमतें कर रही हैं। लेकिन हमारे मुल्क की अवाम समेत पूरी दुनिया की अवाम मुबारकवाद की मुस्तहिक हैं कि जिस खतरे को सरकारें नहीं भांप रहीं है, उस खतरे को सारी दुनिया की आम जनता भांप रही है और भांप कर अमरीका के जुल्म के खिलाफ खड़ी हो गई है। मुझे कहने की इजाजत दीजिए और मैं यह कहना अपना फर्ज समझता हूं कि आज दुनिया की कोई सरकार अमरीका के खिलाफ नहीं लड़ रही है। एक आदमी है जो अरबों-अरबों में खेलने वाला था, पहाड़ों की खोह में छुपकर अकेला एक आदमी...* और अमरीका चिल्ला रहा है कि वह दहशतगर्द है और हम भी पीछे-पीछे ताली बजा रहे हैं कि अमरीका का दुश्मन दहशतगर्द है। हम भी उसको दहशतगर्द और आतंकवादी कह रहे हैं। मैं ऐसे बहादुर आदमी को सलाम करता हूं, जो एक अकेला पहाड़ों की खोह में बैठकर उस शैतानी ताकत को ललकार रहा है और मुकाबला कर रहा है।

हक की फतह हमेशा हुई है, वह सच्चाई पर है। एक न एक दिन उसकी जीत होगी मेरी दुआ है, मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है, लेकिन मेरे मरने के पहले मैं उसकी फतह को अपनी आंखों से देख सकूं,...* मैं उसकी हिम्मत, उसकी बहादुरी को सलाम करता हूं और अमरीका को और बुश को इंतब देता हूं-जुल्म की चक्की कभी फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जायेगा, खाके बिस्मिल पर जमे या कफे कातिल पर जमे। उसका रिजल्ट जल्द ही अमरीका की जनता दे देगी, अमरीका में चुनाव होने वाला है और अमरीका की जनता साबित कर देगी कि कहीं की भी जनता जुल्म नहीं सहती। ब्रतानिया का जिक्र, ब्लेअर का जिक्र श्री वासुदेवन नायर साहब ने किया था। ब्रतानिया के बारे में फारसी का एक मकूला काफी है, फारसी में कहावत है-*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह असंसदीय भाषा है और मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल रहा हूं।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: यह स्त्रियों का अपमान है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मोहन सिंह, आप कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो हमारी नियमावलि है, उसके अनुसार ऐसा भाषण जिससे हमारे देश के रिश्ते दूसरे देशों से खराब हों, हम नहीं कर सकते है। हम माननीय सदस्य की भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन किसी पूरे देश को इस तरह से कहना, मैं समझता हूं कि अपनी नियमावलि के अनुकूल नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: जो भी अनपार्लियामैंट्री होगा, वह एक्सपंज कर दिया जाएगा।

आजमी जी, आप अपनी बात खत्म करने की कोशिश करें।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, उनके भाषण में असंसदीय वक्तव्य का क्या हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय: उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी: मैं जब पिछली लोक सभा में थे तो एक डेलिगेशन में जा रहा था। हमें ट्रेनिंग दी गई थी कि यूरोप में जहां जाएंगे, वहां आपसे ह्यूमन राइट्स पर सवाल किया जाएगा कि हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। यानी, अमेरिका, ब्रितानिया और पश्चिमी देश ह्यूमन राइट्स का वायलेसन नहीं कर रहे हैं, हमारे देश में हो रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब उस डैलिगेसन के लीडर थे। वहीं मैंने कह दिया था कि ह्यूमन राइट्स का सवाल आए तो जवाब देने के लिए मुझे अधिकृत कर दें। ऐसा ही हुआ। ब्रुसेल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट के सदस्यों के साथ चर्चा में ह्यूमन राइट्स का सवाल आया कि आपके यहां ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बहुत होता है। मैंने जो जवाब दिया, मुझे यकीन था कि आईन्दा जितनी भी बैठकें होंगी, उनमें ह्यूमन राइट्स का सवाल नहीं उठेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: इराक के संबंध में जो बात हो, वह कहें।

श्री इलियास आजमी: आप कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स का सबक अमेरिका पूरी दुनिया को पढ़ाता है। उसको हम सबक दें तो शायद हमारी आवाज वहां तक पहुंच जाए। उस भाषा पर हमारे भाई को कुछ एतराज है तो मुझे अफसोस है कि अगर ये लोग शराफत की भाषा समझते तो वे दुनिया के मुल्कों पर कब्जा करके इस जमाने में 17वीं सदी के यूरोप को उजागर करने की कोशिश न करते, वह उस भाषा को नकारते। वह इसी भाषा को समझेंगे जिस भाषा का इस्तेमाल मैंने किया है।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर अमेरिका का वियतनाम पर हमला जायज था, काबुल पर हमला जायज था, अगर बगदाद पर हमला जायज था तो 11 सितम्बर को न्यूयार्क पर जिन लोगों ने भी हमला किया, वह भी बिल्कुल जायज था। इन बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री उमर अब्दुल्लाह (श्रीनगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं, अपने सहयोगी श्री पी.के. वासुदेवन नायर द्वारा नियम 193 के अधीन शुरू की गई चर्चा में भाग ले रहा हूं।

सर्वप्रथम, रिकार्ड के लिए मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि मुझे टेलीविजन पर अमरीकी विदेश विभाग के भवन के बाहर माननीय विदेश मंत्री को देखने की बात याद है। तथापि, मुझे याद नहीं है कि वे उस समय इराक में सेना भेजने की बात कर रहे थे। मुझे याद है कि वे कह रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र में संकल्प पारित होने के पश्चात् इराक में स्थिति बदल गई है। लेकिन मुझे यह भी याद है कि वह कह रहे थे कि इराक में सेना भेजने के लिए हां अथवा न कहने से पहले उन्हें सरकार में अपने वरिष्ठ सहयोगियों अपने प्रधानमंत्री तथा अपने गठबंधन दलों से परामर्श करना होगा और उसके बाद ही वह उत्तर दे सकते हैं। शायद, इस बात से बहुत अधिक आश्चर्य हुआ कि वे इस बात का उल्लेख करना भूल गए कि संसद ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया था जिसमें भारत सरकार को इराक में सेना भेजने का प्राधिकार नहीं दिया गया था। शायद, यदि यह बात उनके उत्तर में जोड़ दी गई होती तो संसद में मेरे कुछ सहयोगी इस गलतफहमी में न रहते कि उन्होंने अमरीकी विदेश विभाग के भवन की देहरी पर भारतीय विदेश नीति को बदल दिया है।

[श्री उमर अब्दुल्लाह]

लेकिन यह कहने के बाद मैंने श्री मणिशंकर अय्यर द्वारा दिए गए भाषण को गहरी दिलचस्पी से सुना। उन्होंने अपनी निजी हैसियत से शायद हस्तक्षेप किया। लेकिन मुझे लगता है कि जब भारत और इराक के बीच होने वाले कुछ अन्य बातों के बारे में बोल रहे थे तो वे पेट्रोलियम मंत्री के रूप में भी बोले थे। उन्होंने बहुत समझदारी से हमें सलाह दी कि हमें अतीत को देखने की बजाय भविष्य की ओर देखना चाहिए और अपने पूरे भाषण में वे यह कहने की बजाय कि भारत और इराक के बीच क्या समझौता होने वाला है, दोनों देशों के बीच कैसे संबंध रहे, के बारे में बोलते रहे। मैं इस तथ्य पर विवाद नहीं करता कि हमारे इराक के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। आज भी दोनों देशों के लोगों के स्तर पर भारतीय और इराकी लोगों के बीच बहुत स्नेह है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि इससे भविष्य सुनहरा होगा।

श्री मणिशंकर अय्यर ने भारत और इराक के बीच भावी आर्थिक संबंधों से हमारा ध्यान हटाने या उन पर हमारा ध्यान केन्द्रित करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से श्री अय्यर यहां उपस्थित नही हैं। अन्यथा, मैं उनसे कतिपय स्पष्टीकरण पूछता। उनके द्वारा कही गई दो बातें मुझे याद हैं। एक बात तो यह थी कि हम इराक में तेल व्यापार में लगे लोगों को प्रशिक्षण देंगे। वे भारत आएंगे और उन्हें यहां प्रशिक्षण दिया जाएगा।

यह सब बहुत अच्छा है। मुझे प्रसन्नता है कि हम वहां एक प्रकार की मानवीय सेवा कर रहे हैं। लेकिन केवल अमरीकी उपकरणों के संचालन के लिए इराकी कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का क्या औचित्य है? उन्होंने भावी आर्थिक संबंधों के बारे में कहा। मैं श्री मणिशंकर अय्यर से जानना चाहता हूं भारतीय कम्पनियों और इराकी कम्पनियों के बीच कितने मिलियन डालर के सीधे अनुबंध मेरा मतलब गौण अनुबंधों अथवा तथाकथित रूप से इराक एक प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्र है जिसकी अपनी सरकार है। हम सुनिश्चित करेंगे कि इराक और भारत के बीच इस तरह की सद्भावना से भारतीय कम्पनियों और इराकी कम्पनियों के बीच कुछ सीधे अनुबंध होंगे लेकिन तब तक मैं श्री मणिशंकर अय्यर का इस बारे में कोई व्याख्यान नहीं सुनना चाहता कि हमारे भावी आर्थिक संबंध कितनी गौरवपूर्ण है क्योंकि इस समय ऐसा नहीं है। इराक में आर्थिक पुनर्निर्माण कार्य अमरीकी कम्पनियों, ब्रिटिश कम्पनियों द्वारा होगा तथा भारतीय कम्पनियां एक तरफ बैठकर तमाशा देखेंगी। हमारा वहां पर यही काम होगा।

महोदय, क्या इराक की स्थिति अभी भी चिंता का विषय है? जी हां, ऐसा है। वहां सुरक्षा स्थिति, कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा शासन की स्थिति भी चिंता का विषय है। हमें बताया गया है कि इराक अब प्रभुसत्ता सम्पन्न देश है। फिर भी इराक ऐसा प्रभुसत्ता सम्पन्न देश है जिसका अपनी सेना तथा उस देश में कार्यरत सुरक्षा बलों पर कोई नियंत्रण नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि वे अमरीकी सेनाएं वर्तमान इराकी नेतृत्व से कोई भी आदेश लेनी। यदि इराक प्रभुसत्तासम्पन्न देश है तो क्या मैं अमरीका से पूछ सकता हूं कि एक प्रभुसत्तासम्पन्न देश में ऐसे दूतावास की क्या आवश्यकता है जिसमें 1000 से अधिक लोग हों। इराक में अमरीका का सबसे बड़ा दूतावास है। अब यदि यही संप्रभुता-सम्पन्न देश का चिह्न है तो मैं नहीं समझता कि कोई अन्य देश इराक की संप्रभुता की तरह संप्रभुता-सम्पन्न होना चाहेगा।

महोदय, शासन की बात कही गयी है। इराकी लोगों पर कौन शासन करे, इसमें उनकी कोई राय नहीं ली गयी है। मैं तो यह कह सकता हूं कि आज इराक का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सम्भवत: बगदाद के ग्रीन जोन के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के रूप में बेहतर होता जैसे कि अफगानिस्तान का राष्ट्रपति मात्र काबुल का ही राष्ट्रपति है। उनकी हुकूमत कतिपय निर्दिष्ट सुरक्षा क्षेत्रों से आगे नहीं चलती। आज की स्थिति में अमरीका अन्य देशों से और अधिक सैनिकों को इराक में देखना चाहता है। बात भी ठीक है मैं समझता हूं कि इसके पीछे एक जोरदार तर्क है।

यह कहते हुए मुझे याद नहीं आता कि अमरीका द्वारा इराक पर हमला करते समय भारत की राय ली गयी थी। तब भारत की राय महत्वपूर्ण नहीं थी। मुझे याद नहीं आता कि कोई अमरीका से यहां यह बताने आया कि ये इराक की स्थिति है, हमें इससे ऐसा लगता है और हम इराक पर हमला करने जा रहे है। इस विषय पर आपकी क्या राय है। भारत के विचार के बारे में छोड़ भी दिया जाए, तो अमरीका को इस मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के विचार भी महत्वपूर्ण नहीं लगे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के सम्मुख गलत साक्ष्य प्रस्तुत किये। वे अपनी शक्ति के प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए आगे बढ़े। मुझे अभी भी याद है कि अमरीका के 'सेक्रेटरी आफ स्टेट' कोलिन पावेल ने सी.एन.एन. पर सद्दाम हुसैन द्वारा विकसित विनाशकारी हथियारों के दृश्य उपलब्ध कराये थे, इनका अवलोकन करे। इराक पर हमले के बाद मुझे तो याद नहीं पड़ता कि एक भी विनाशकारी हथियार वहां पाया गया हो। यहां तक कि विनाशकारी हथियारों को बनाने की क्षमता भी आश्चर्यजनक तरीके से गायब हो गयी। इस प्रकार इराक पर हमले के समय हमारी राय महत्वपूर्ण नहीं थी। हमारे सैनिक अब महत्वपूर्ण कैसे हो गये। यह बहुत साधारण सी बात है। अमरीका अब अमरीकी सैनिकों को मरते देखकर खिन्न हो गया है। अब वे भारतीय सैनिकों को मरते देखना चाहते हैं। अमरीका अब अपने सैनिकों के स्थान पर अन्य दशों के सैनिकों को मरते देखना चाहता है। क्यों? यह इसलिए कि इस वर्ष वहां चुनाव होने वाले हैं और जार्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं।

अमरीकी सैनिक के शव सहित अमरीका लौटने वाली प्रत्येक शव पेटिका से जार्ज डब्ल्यू बुश के समर्थन पर प्रभाव पड़ता है और वह इस चुनाव को जीतना चाहता है। लेकिन इराक में यही स्थिति बने रहने पर वह नहीं जीत पायेगा। अतएव अब अमरीकी सैनिकों की संख्या कम करने का बेहतर तरीका यह है कि यह भार अन्य देशों पर डाल दिया जाए।

इस प्रकार, संक्षेप में वह चाहता है कि उनके अपने देश के फौजियों की शव पेटिकाओं को दूसरे देशों से बदला जा सके और इस मामले में वह हमारे, पाकिस्तानी, बंगलादेशी या संभवत: किसी अन्य देश की मेहरबानी पाना चाहता है।

महोदय, यह केवल हताहतों की संख्या का डर नहीं है कि हमें इराक से बाहर रहना चाहिए। मैं ऐसा नहीं मानता। इसमें और भी बहुत से प्रश्न जुड़े हैं तथा कुछ मेरे साथियों द्वारा उठाये भी गए हैं। मेरे मन में जो पहला प्रश्न उठता है, वह कमान और नियंत्रण का है। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण किसका होगा, मैं समझता हूं कि इराक में हमारे सैनिकों को भेजने का निर्णय गलत होगा। क्या वे भारत के नियंत्रण में रहेंगे? एक बार इराक भेज दिये जाने पर क्या हमारे सैनिकों पर विदेश मंत्री या उनके साथी, रक्षा मंत्री या हमारे सर्वोच्च कमांडर अर्थात् राष्ट्रपति जी का कोई नियंत्रण रह पायेगा। क्या इराक भेजे जाने वाले भारतीय सैनिकों पर इराकी नेताओं का कोई नियंत्रण होगा? इराक में कार्य कर रहे भारतीय सैनिकों के कार्य का उद्देश्य क्या होगा? क्या वे सुरक्षा के उद्देश्य से कार्य करेंगे? क्या वे मानवता के उद्देश्य को लेकर कार्य करेंगें मैं समझता हूं कि यह एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है जिसे स्पष्ट नहीं किया गया है। शायद भारतीय सैनिक इराकी लोगों को अलग-थलग कर देंगे।

आज अमरीका ने प्रचार कर रखा है कि वह आतंकवाद को समाप्त करने का कार्य कर रहे है। इस बारे में मुझे इस सभा में अपने कुछ साथियों से सावधानी बरतने के बारे में कहना है। यहां पर हुई चर्चा को मैंने बहुत ध्यान से सुना है। इसमें सुझाव दिया गया है कि इराक में जो हो रहा है, वह स्वतंत्रता के लिए संघर्ष है और जो अफगानिस्तान में हो रहा है वह भी उनका स्वतंत्रता के लिए संघर्ष है। वे एक ऐसी ताकत के उत्पीड़न के खिलाफ उठ रहे हैं जिससे वे सहमत नहीं हैं और यह ठीक भी है। इस विषय में आपके द्वारा दिये गए औचित्य के बारे में मैं कोई तर्क नही दूंगा, लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है। ''नियम सबके लिए समान होने चाहिये'' आप एक ही स्थिति में एक के लिये एक नियम व दूसरे के लिए कोई अन्य नियम नहीं चुन सकते।

हमने सदैव यह बात मानी है कि जम्मू और कश्मीर में जो हो रहा है वह आतंकवाद है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नहीं है। यदि हम आज यह सिद्ध करने की कोशिश करे कि इराक में जो हो रहा है वह स्वतंत्रता के लिए संघर्ष है या अफगानिस्तान में जो हो रहा है वह स्वतंत्रता का संघर्ष है तो कल मेरे साथियों से पूछे कि जम्मू और कश्मीर में जो हो रहा है वह भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष ही है तो हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। दूसरा परिस्थितियों का औचित्य सिद्ध करने से पहले हमें अपना घर देखना होगा। यदि हम कल यह औचित्य सिद्ध करना चाहते है कि जम्मू और कश्मीर की घटनाएं स्वतंत्रता का संघर्ष है तो जो कुछ किया जा रहा है वह स्वागत योग्य है। लेकिन आप अपनी इच्छानुसार अपने श्रोता वर्ग विशेष को प्रभावित करने वाली स्थिति की व्याख्या नहीं कर सकते। यदि जो इराक में हो रहा है, उसे आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष को मानकर भारतीय सैनिक वहां भेजे जाते हैं, तो हम इराकी लोगों की हमारे प्रति सद्भावना को खो देंगे। जो इराक में हो रहा है उससे लड़ने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। यदि भारतीय फौज को अमरीकी नेतृत्व में वहां भेजा जाता है, तो इराकी लोगों की हमारे प्रति सद्भावना खत्म हो जाएगी और आज नहीं तो कल इराकी लोग अपना नेता चुन ही लेंगे। उनकी अपनी चुनी हुई सरकार होगी। हमें इराक के लोगों के प्रति अपनी सद्भावना बनाये रखनी चाहिये ताकि कल जब वे अपनी सरकार चुन लेंगे तो हमारे प्रगाढ़ संबंधों का आधार एक मजबूत नींव होगी जो कि आज नहीं है।

इराक में फौज भेजकर हमारे मित्रों को अलग थलग करने का अवांछनीय असर होगा। इससे अरब देशों में हमारे मित्रों से पहले ही तनावपूर्ण चल रहे संबंध और बिगड़ेंगे। इस विषय में कोई गलती नहीं होनी चाहिये। अरब देशों से हमारे परम्परागत रूप से प्रगाढ़ और सहयोगी संबंध अब पहले जैसे नहीं है। शायद इजरायल से हमारी निकटता, भारत और इजरायल के बढ़ते संबंधों से हमारे परम्परागत प्रगाढ़ मित्र और सहयोगी रहे अरब देशों से हमारे संबंधों पर संदेह और अविश्वास के बादल छाये हुए हैं। यदि हम इराक की सैन्य परिस्थितियों में अधिक लिप्त हुए, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इससे अरब देशों में हमारे मित्र और परेशान होंगे और हम उनसे कट जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इराक से हमारे सैन्य व अन्य संबंधों को दिशा देने के बारे में संसद में एक संकल्प लाया गया था। विदेश मंत्री जी का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित संकल्प बहुत बदल गया है परन्तु मैं मानता हूं कि यह बहुत कम बदला है। अधिकांश लोगों के मन में यह बात थी कि अमरीका का यह कब्जा अनुचित था, बस इसने इसे बात को किसी भी तरह औचित्यपूर्ण सिद्ध करने की कोशिश की है। इसने पहले ही भी की गयी कार्रवाइयों पर एक मुहर लगाई है। अमरीका ने इराक पर हमला किया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे औचित्यपूर्ण बताया।

[श्री उमर अब्दुल्लाह]

अमरीका ने वहां एक वैकल्पिक सरकार बनाने का निर्णय लिया तब संयुक्त राष्ट्र संघ इस मामले में सम्मिलित हुआ और इसे प्रभुसत्ता सम्पन्न घोषित करके मान्यता प्रदान की।

मैं समझता हूं कि अब तक हमारे द्वारा अपनायी गयी नीति के अनुसार सैन्य रूप से इराक में हमारे होने का कोई मतलब नहीं है। इराक में राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में, मैं समझता हूं कि हमें और सावधान होना चाहिये। हमें प्रतीक्षा करने और स्थिति पर गौर करने का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अमरीका द्वारा इराक पर कब्जे को समर्थन देने के बजाय, हमें इराकी लोगों का साथ देना चाहिए जो कि अत्यधिक उत्पीड़न का सामना कर रहे है। वे एक ऐसे शासक को झेल रहे हैं, जिसे वे देखना भी नहीं चाहते।

जैसा कि मैंने कहा है कि अमरीका द्वारा किये गए इस अधिपत्य पर संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति की मुहर लगी है लेकिन इराकी लोगों ने दिल से इसे स्वीकार नहीं किया है। इराक के साथ भावी संबंधों के बारे में निर्णय लेते समय, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही, मुझे इस विषय पर बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक या दो मुद्दों पर चर्चा करूंगा। मैंने एकाग्रचित हो माननीय मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर जी के हस्तक्षेप को सुना। अभी मेरे मित्र ने जैसा कहा, वह उस अतीत का वर्णन कर रहे थे जो कितना शानदार था। उन्होंने कहा कि सत्तर के दशक में इराक के साथ हमारे बहुत ही अच्छे संबंध थे। तब, इराक का राष्ट्रपति कौन था? सद्दाम हुसैन। अभी सद्दाम हुसैन कहां हैं? उनके साथ क्या हुआ? उन्हें अमेरिका द्वारा गठित सरकार के सामने लाया गया और कानूनी तौर पर सौंप दिया गया। उन्हें बेड़ियों में एक कठपुतली न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया। सद्दाम हुसैन इराक के शासक और राष्ट्रपति थे। वह बेड़ियों में एक कठपुतली सरकार के सामने हैं। क्या हमने कभी इसकी निन्दा की? कम से कम आपने कहा होता कि सद्दान हुसैन के हमारे साथ बहुत ही बढ़िया संबंध थे। उनकी सरकार के हमारे साथ संबंध थे। श्री मणिशंकर अय्यर ने यह भी कहा कि उन्होंने 10 या 20 करोड़ के संदर्भ में नहीं बल्कि हजारों करोड़ के संदर्भ में बात किया। अगर इराक और सद्दाम हुसैन के साथ हमारे ऐसे संबंध थे- और इन्होंने इस संबंध को धर्मनिरपेक्ष भी कहा-तब क्यों हमने अमेरिका द्वारा जो उनके साथ किया गया उसकी निंदा में कभी भी एक शब्द भी नहीं कहा?

दूसरा, इन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के संकल्प के बाद, परिस्थिति बदली है। इराक में अभी बदली हुई परिस्थिति क्या है? अभी-अभी श्री उमर अब्दुल्लाह ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर अमेरिका के कब्जे पर अपनी मुहर लगा दी। यही सब कुछ है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने इसे अनुमोदित कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बुश अपने यहां चुनाव का सामना कर रहे हैं, इसी वजह से वह यूरोप में कूटनीतिक पैतराबाजी कर रहे हैं और वह इराक में नाटो सेनाओं को भी लाने में सफल रहे हैं। यह होता चला गया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका के कब्जे को उचित ठहराया और उस पर अपनी मुहर लगा दी। तत्पश्चात् नाटो भी बगदाद में आ रहा है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य और कुछ अन्य देशों की 150 हजार सेनाएं वहां पर है। वे वर्तमान सरकार के अधीन नहीं हैं। वे संयुक्त राज्य द्वारा नियंत्रित हैं, न कि इराक के वर्तमान शासन द्वारा। सरकार का सुरक्षा या सेना पर नियंत्रण नहीं है। यह कैसी सरकार है? हम यह कैसे कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के संकल्प के बाद परिस्थिति काफी बदल गई है? परिस्थिति बदतर हो गई है।

महोदय, हम कहते हैं कि हम बसरा में या कहीं और लोगों को तेल निकालने का प्रशिक्षण देने जा रहे हैं-वही जो श्री मणिशंकर अय्यर जी ने कहा है। इराक सरकार द्वारा कुवैत पर कब्जा कर लेने के बाद अमेरिका ने सद्दाम के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। इससे पहले, सद्दाम हुसैन के साथ अमेरिका के बहुत ही अच्छे संबंध थे। डिक चेनी, तेल कंपनी हेली बर्टन के उपाध्यक्ष थे। अभी वह संयुक्त राज्य अमेरिका के उप-राष्ट्रपति हैं। वह तेल का व्यापार कर रहे थे। उन्होंने कुवैत पर कब्जा या कुवैत युद्ध के बाद इराक के साथ सबसे ज्यादा व्यापार किया। ऐसे में संबंधों में तनाव कैसे आया? ईरान के बाद, अब सद्दाम हुसैन के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। उन्होने ईरान के साथ आठ साल तक युद्ध जारी रखा। सद्दाम के खिलाफ युद्ध में ईरान को शामिल नहीं किया गया। ईरान युद्ध के बाद, संयुक्त राज्य के सचिव ने सद्दाम हुसैन को मध्य एशिया को बचाने वाला कहा। उन्होंने सद्दाम हुसैन की कभी आलोचना नहीं की। ईरान के खिलाफ युद्ध को किसने भड़काया? अब वे सद्दान हुसैन द्वारा फलूजा में कुर्दो की हत्या का षडयंत्र रचने की बात कह रहे हैं। अमेरिकी खुफिया संस्थाओं द्वारा पक्के तौर पर कहा गया है कि यह ईरान द्वारा किया गया था।

उसके बाद यह कहा गया कि ईरान के पास मस्टर्ड और अन्य गैसें थी। इराक के पास ये कभी नहीं थे। इन सबके बावजूद भी, यदि जो अपराध उसने कुर्दो, शियाओं या किसी अन्य के खिलाफ किया हो उसके लिए सुनवाई की ही जानी हो तो ईरान को एक पक्ष क्यों नहीं बनाया गया है? जब उसने इराक पर आक्रमण किया

तब वह संयुक्त राज्य के प्रिय पात्रों में था। यह कब्जा किस उद्देश्य के लिए है। उन्होंने जो किया है, वह है मानवाधिकारों का उल्लंघन। यह कब्जा संयुक्त राज्य के हित में है।

अब, जब हम बसरा में तेल खोजने जाते हैं तो क्या हम हेली बर्टन कंपनी के लिए कार्य करेंगे? महोदय, मैंने अबु गरीब जेल के बारे में समाचार पढ़ा जहां ये सारी क्रूरतापूर्ण घटनाएं घटी हैं। जब अमेरिकियों ने उस जेल को ध्वस्त करना चाहा तब वर्तमान अमेरिका द्वारा गठित सरकार ने ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। क्यों? जिस वक्त यह ध्वस्त होगा, कुछ अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसका पुनर्निर्माण करेंगी। पैसा उनके पास जाता है। अब, वे इराक के पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस से जार्ज डब्ल्यू. बुश ने इराक के पुनर्निर्माण के लिए कितने अरब डालर प्राप्त किये? उसका $2^1/_2$ प्रतिशत हिस्सा भी उस कार्य पर खर्च नहीं किया गया। इराक के पुनर्निर्माण के लिए पूरा पैसा उनके अपने संसाधनों से आना है, इराकियों की रोटी से। वह ऐसी कौन सा महान कार्य है जिसके बारे में संयुक्त राज्य कह रहा है? उन्होंने इराक पर कब्जे के तीन कारण बताये। वे विश्व को आश्वस्त करना चाहते हैं। वे सभी तीन कारण अब गलत साबित हो चुके हैं।

ब्लिक्स, जो संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक थे, के समय से ही एक कारण जनसंहार के हथियारों के बारे में बताया गया। उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट दी। अब यह एक किताब के रूप में बाजार में उपलब्ध है। उसके बाद, टीनेट, जिसने इस्तीफा दे दिया, ने अपनी रिपोर्ट दी। इन सभी रिपोर्टों ने यह साबित किया कि जनसंहार के कोई हथियार नहीं हैं। इराक पर आक्रमण करने के लिए इसे एक कारण बताया गया।

दूसरा कारण 9/11 वाला मामला था। श्री सद्दाम हुसैन के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बर्बाद करने से कुछ संबंध थे। अब, अमेरिकी खुफिया या किसी सीनेट समिति के सदस्य कहते हैं कि यह सही नहीं है। उसके बाद, उन्होंने कहा कि उसके अल कायदा से रिश्ते थे। अब यह पक्के तौर पर साबित हो गया है कि न सिर्फ इराक के अल कायदा के साथ कोई संबंध नहीं थे बल्कि इन नौ वर्षों में सद्दान हुसैन का अल कायदा से कोई लेना देना नहीं था। इराक में यही हुआ है।

अब, संयुक्त राज्य द्वारा पूरा कब्जा सिर्फ उसके और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित के लिए है। इराकियों के साथ अब सेना ने लड़ाई लड़ी है। शिया और सुन्नी एक बात पर संगठित हैं। वे इन कब्जा करने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। अब, इराकी लोग कभी भी अमेरिकी सेनाओं को बरदाश्त नहीं करेंगे। जो कुछ संयुक्त राज्य कर रहा है, हम उस लीपापोती में भागीदार क्यों बनें? जो संयुक्त राज्य कर रहा है वह मानवता के खिलाफ है। कल वे ऐसा किसी अन्य राष्ट्र के साथ करेंगे। क्या उन्हें कोई अधिकार है कि एक ऐसे व्यक्ति को जो उस देश का राष्ट्रपति था, बेड़ियों में जकड़ दें? कल वे किसी को भी बेड़ियों में जकड़ सकते हैं। अमेरिका ने जो किया है उस पर लीपापोती करने से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हां, हमें जो अमेरिका ने किया है, उसकी निंदा अवश्य करनी चाहिए। यह साम्राज्यवाद का उभरता हुआ नंगा स्वरूप है।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात संक्षेप में रखूंगा।

महोदय, इस देश के लोगों द्वारा राजग सरकार को सत्ता से बाहर कर देने के बाद सं.प्र.ग. सरकार को कई क्षेत्रों में स्थितियों में सुधार की जिम्मेदारी सौंपी गई है, चाहे वह शिक्षा पद्धति, संस्थाओं और अन्य के सांप्रदायिकता के जरिये विषक्तिकरण का क्षेत्र हो और इसके साथ-साथ राजग सरकार द्वारा पहले जारी गलत नीतियों से अलग होना हो। महोदय, आजादी की लड़ाई के दिनों से हमारी यह परंपरा रही है, ऐसा चलन रहा है कि हमारी विदेश नीति राष्ट्रीय सहमति पर आधारित है। राष्ट्र यह जानना चाहता है कि नई सं.प्र.ग. सरकार किन सुधारात्मक उपायों के साथ आगे बढ़ना चाहती है।

पहला विषय है कि इराक की स्थिति पर यह क्या प्रतिक्रिया करती है। इराक अभी तक हमारा एक बहुत ही विश्वसनीय मित्र रहा है, चाहे वह वाणिज्य का मामला हो, हमें तेल उपलब्ध कराना हो या एक मुस्लिम राष्ट्र होते हुए भी कश्मीर मामले पर बिना शर्त समर्थन देना हो। हां, इराक एक आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष देश है। अब, यह सरकार इसका सीमांकन कैसे करने जा रही है?

बहुत चर्चा के उपरांत हमने इस संसद में एक संकल्प पारित किया था। उस वक्त शब्दावली को लेकर, उद्धरणों को लेकर कि हम अंग्रेजी में निंदा करें या हिन्दी में खेद प्रकट करें, काफी आपत्ति थी। अब, सारे विश्व में परिस्थितियां बदल गई हैं। अमेरिका के भीतर भी कड़ी आलोचना हुई है। महोदय, आपको माइकल मूर के हाल ही के वृत्तचित्र के विषय में ज्ञात होगा। चाहे वह अफगानिस्तान के संदर्भ में हो या किसी अन्य मामले पर, उन्होंने बुश प्रशासन के पाखंड की कलई खोली है। यह विश्व में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय वृत्तचित्र है। अमेरिका में चुनाव से पूर्व यह गंभीर स्थिति बनती जा रही है।

हम किस दृष्टिकोण का प्रस्ताव करते हैं? नकली प्रभुत्वसंपन्नता की कहानी और प्रभुत्वसंपन्नता देने के बारे में, यह प्रभुत्वसंपन्नता किसकी है? वे इराकी जनता को प्रभुत्वसंपन्नता लौटाने वाले कौन

[श्री रूपचन्द पाल]

होते हैं? उनके साथ काबिज ताकते हैं, 3.5 लाख से भी ज्यादा संख्या में सैन्य बल है।

उनके पास चुने हुए कुछ व्यक्ति है जोकि सी आई ए द्वारा नियंत्रित किये गए है और उन लोगों ने ही इराक के हितों के विरुद्ध अमरीकी हितों का समर्थन किया है। उन्होंने उन व्यक्तियों को चुना है और सरकार गठित की है। वह कहते है कि प्रभुसत्ता को गुप्त तरीके से सौपा जा रहा है। हमें इस पर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए और कहना चाहिए कि हम इसे स्वीकार्य नहीं करते है। हमारा देश कदापि इस स्थिति को स्वीकार नहीं करता है। परमाणु हथियारों और उनके प्रसार किए जाने की झूठी कहानी का पर्दाफाश अमरीकियों द्वारा उनके वैज्ञानिकों और जनता जिन्हें यह काम सौंपा गया था द्वारा किया जा चुका है।

जहां तक अलकायदा संबंधों के बारे में भी अभी तक प्राप्त अद्यतन रिपोर्टों से मालूम हुआ है कि अलकायदा और सद्दाम हुसैन के शासन के बीच कोई सांठ-गांठ नहीं है। ऐसा व्यक्ति, जो अभी भी इराक का राष्ट्रपति है, इराक का प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्रपति है, का नए साम्राज्य द्वारा जार्ज बुश और उसके सहायक देशों द्वारा बड़े अमानवीय तरीके से प्रताड़ित किया गया है जो कि 21वीं शताब्दी में कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है। हमें इस स्थिति की भर्त्सना करनी चाहिए और कहना चाहिए कि सद्दाम की हत्या करने के षडयंत्र को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पूरे विश्व के लोग हमारे ओर आशाभरी दृष्टि से देख रहे है क्योंकि इस मुक्त विश्व के स्वतंत्रता संघर्ष के आन्दोलन और गुट निरपेक्ष आन्दोलन के अग्रणी रहे हैं। अब सी एम पी में, मुख्य सत्तापक्ष सहयोगी अर्थात् कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पक्ष में और राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस बात पर बल दिया गया है कि हम अपनी गुटनिरपेक्षता के मार्ग और स्वतंत्र विदेश नीति का शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार्य में अनुसरण करना चाहते है। इराक की स्थिति हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है। और यह अन्य वियतनाम बनने जा रहा है। सरकारें आती जाती रहेंगी। अमरीका में जनमत दिन प्रतिदिन परिपक्व होता जा रहा है।

भारत को अपना पक्ष तय करना है और यह इस संसद के सर्वसम्मति से पारित संकल्प के अनुरूप होना चाहिए कि अमरीकी सेनाओं को बिना शर्त वहां से वापस बुलाना चाहिए। वहां कब्जा किए गए सैनिकों को हटाया जाए और इराकी लोगों को अपना भाग्य बनाने की आजादी दी जाए। वही स्वतंत्रता है। सुन्दर शब्दों से राजनयिक भाषा में कुछ नहीं होगा। भारत जैसे देश को विश्व से काफी कठोर कदम उठाने की अपेक्षा है। इस चर्चा में जब माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे होंगे तो हमारा विश्वास है कि यू पी ए सरकार से ऐसे सीमा निर्देशों पर मंत्री जी और इस सरकार द्वारा बल दिया जाएगा।

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अमरीका और इसके सहयोगियों द्वारा इराक पर कब्जा करना संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का उल्लंघन है। यह अनुच्छेद 51 अर्थात् आत्म रक्षा का घोर उल्लंघन करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून पर कलंक है।

संयुक्त राज्य अमरीका का यह कहना, कि इराक के पास विनाशकारी हथियारों का भण्डार है, कई महीनों और वर्षों से चला आ रहा है लेकिन अभी तक वह एक भी तथ्य साबित नहीं कर पाया है। इसके बावजूद अमरीका, ब्रिटेन, इटली और अन्य देशों की संयुक्त सेनाएं इराक पर कब्जा जमाए बैठी है जब इराक पर कब्जा किया गया था तो उस समय जर्मनी में चुनाव हुए थे और जर्मनी के विद्यमान शासक (चांसलर) इराक के साथ युद्ध करने का विरोध कर रहे थे। उन्होंने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया था और वह अन्य मुद्दों के साथ-साथ इसी आधार पर चुनाव भी जीत गए थे। स्पेन में भी उस समय चुनाव हुए थे। स्पेन की विद्यमान सरकार ने कहा था कि अगर वह चुनाव जीत कर पुनः सत्ता में आएंगे तो वे अपनी सेनाएं वापस बुला लेंगे। उन्होंने चुनाव जीत लिया था। हमारी पिछली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन की सरकार टोली ब्लेयर की भूमिका निभा रही थी। वह अमरीका के इशारों पर नाच रही थी यदि अमरीका ने कहा "आज रविवार है" तो वह कहते थे जी हैं आज रविवार ही है। अब उसका क्या हश्र हुआ? उनकी हार के कई कारण हो सकते है लेकिन उनमें से एक कारण हमारी विदेश नीति का त्याग और उसे अमरीकी हितों के समक्ष गिरवी रखना था।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पारित किए गए प्रस्ताव में अमरीकी कब्जे की 'भर्त्सना' शब्द को नहीं जोड़ा जा सका जबकि तथ्य यह है कि अमरीका की जनता ने भी इराक पर अपने देश के कब्जा किए जाने की आलोचना की थी। वे अमरीका द्वारा मानवाधिकार के घोर उल्लंघन किए जाने के खिलाफ थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अबू गरेब जेल में हुई घटनाएं हैं। अबू गरेब जेल में हुई घटनाओं से पता चलता है कि अमरीकी सेनाएं चरित्रहीन है। वे जनेवा अभिसमयों में विश्वास नहीं रखती है। वे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव में भी विश्वास नहीं रखते है। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि दो देश है एक अमरीका और दूसरा इजराइल जिन्होने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और प्रस्ताव का घोर उल्लंघन किया है। ये देश संयुक्त राष्ट्र संकल्पों का अनुसरण नहीं करना चाहते। जो उनके हित में होता है वह उसका ही पक्ष लेते है। नवीनतम

प्रस्ताव जिसे पास किया गया है वह अमरीका के हित में नहीं है उसकी शक्ति को धक्का लगा है। हम यह नहीं कहते कि नवीनतम प्रस्ताव के कारण स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। स्थिति वैसी की वैसी है अमरीका की शक्ति को धक्का लगा है। अमरीका को इराक पर कब्जे की अपनी भूल का अहसास धीरे-धीरे हो रहा है।

माननीय पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जी ने सुनहरे इतिहास का वर्णन किया है और उन्होंने बताया है कि वह किस प्रकार इराक में 25 वर्ष पहले रहे थे। वह अभी यहां उपस्थित नहीं है लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सम्माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि श्री पाल ब्रियर जिन्हें अमरीका द्वारा प्रशासक नियुक्त किया गया है कार में बगदाद हवाई अड्डे नहीं जा सके और इसीलिए उन्हें हैलीकाप्टर से जाना पड़ा। इससे पता चलता है कि इराक में क्या हो रहा है। हम यहां यह नहीं बता सकते कि अबू गरेब जेल में क्या हो रहा है क्योंकि यह असंसदीय होगा। हमने अमरीकी महिला सैनिकों को इराकी बन्दियों को नग्न अवस्था में देखकर हसंते हुए देखा है। हमने यह भी देखा है कि लोगों को किस प्रकार वहां पर मारा गया है।

9/11 की आतंकवादी कार्यवाही की जांच आयोग की हाल की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया है कि 9/11 की कार्यवाही और सद्दाम हुसैन के बीच कोई संबंध नहीं है। मैं सद्दाम हुसैन के लिए कोई वकालत नहीं कर रहा हूं। यह सत्य है कि सद्दाम हुसैन एक तानाशाह था। उन्होंने खुर्द के लोगों की हत्या की थी उन्होंने शिया लोगों की हत्या की थी उन्होंने मानवाधिकार का घोर उल्लंघन किया था लेकिन बार-बार झूठ बोलने से वह सच नहीं बन जाता। यदि सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चलाया ही जाना है तो मेरा और मेरे दल का विचार है कि यह मुकदमा नोरेमबर्ग की तर्ज पर चलाया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का इस मामले से अवगत कराया जाना चाहिए जैसाकि यूगोस्लाविया के मिलोस्विक ने मामले में चल रहा है। वह किया जाए। इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि समय की मांग है कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन को पुनर्जीवित किया जाए। हम गुट निरपेक्ष आन्दोलन के माध्यम से ही विश्व शान्ति ला सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: महोदय, मैं कुछ शब्दों को जोड़ते हुए समाप्त कर रहा हूं।

नाटो सम्मेलन में भी सदस्य देश सहमत नहीं थे कि नियंत्रण अमरीका को सौंपा जाए। मैं माननीय विदेश मंत्री से अनुरोध करता हूं कि हमारे न्यूनतम साझा कार्यक्रम में, जिसका समर्थन हमारा दल कर रहा है, भी मांग की गई है कि विश्व शान्ति के लिए गुट निरपेक्ष आन्दोलन को प्रोत्साहन दिया जाए।

अन्त में, मैं माननीय विदेश मंत्री से यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि हम इराक में सेना नहीं भेजेंगे। वहां पर कठपुतली का शासन है हम उस शासन को मान्यता नहीं देते है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश का दृष्टिकोण अत्यन्त स्पष्ट होना चाहिए कि भारत अमरीका द्वारा थोपे गए कठपुतली शासन को मान्यता नहीं देता है।

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): महोदय, इस प्रश्न का भी जवाब बाद में दे दीजिए। सब कुछ करने के बाद भी अस्त्र नहीं मिले। कुल मिलाकर कन्डैमनेशन के बारे में सरकार का स्टैंड क्या है?

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री के. नटवर सिंह): महोदय, मैंने श्री पी.के. वासुदेवन नायर द्वारा शुरू की गई चर्चा को बहुत सम्मानपूर्वक तथा रुचि के साथ सुना है।

सातवां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन मार्च, 1983 में दिल्ली में हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी सातवें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन की सभापति थी और यह मेरा सौभाग्य था कि मैं उसका महासचिव था। इसलिए मैं गुट निरपेक्ष आन्दोलन के बारे में जानता हूं कि इसका गठन किस लिए हुआ, यह किस उद्देश्य से कार्य कर रहा है और 21वीं सदी में इसे क्या करने की आवश्यकता है। परन्तु हम यहां गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के बारे में नहीं हम इराक के विषय में चर्चा कर रहे है।

शुरू में 8 जून को जब सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित हुआ उसमें पांच स्थायी सदस्य थे। अमरीका, चीन, रूस, फ्रांस तथा ब्रिटेन पांच स्थायी सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया। जर्मनी, पाकिस्तान, स्पेन, अंगोला, थिली, अलजीरिया, रोमानिया, फिलिपिन्स, ब्राजील तथा बेनिन जो अस्थायी सदस्य थे उन्होंने इसके पक्ष में मतदान किया। ये राष्ट्र विश्व जनमत की अलग-अलग राय को व्यक्त करते है। प्रस्ताव का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा स्वागत किया गया और हमारे द्वारा भी इस कारण से इसका स्वागत किया गया क्योंकि अमरीका तथा ब्रिटेन जो कि पिछले कुछ महीनों तथा वर्षों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनदेखी कर रहे थे और इराक के संबंध में एक पक्षीय रवैया अपना रहे थे। अब एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपना रहे है। यह कोई असाधारण घटना नहीं है। हम उनके सामने अपना पक्ष रखने में सफल हुये। यद्यपि हम सुरक्षा

[श्री के. नटवर सिंह]

परिषद के सदस्य नहीं है लेकिन हम अपने जनसम्पर्क के द्वारा इस बात पर जोर देते रहे है कि इराक के विषय में एक मात्र रास्ता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है और वह अब हो रहा है।

अब बहुत सारे विषयों को उठाया गया। पहले मैं अपने युवा सहयोगी, श्री उमर अब्दुल्लाह के बारे में कहना चाहूंगा जिनके बारे में मेरे दिल में बहुत ही स्नेह और सम्मान है, मेरा विचार है कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। एक दिन शायद वह वो कार्य करेंगे जो मैं अब कर रहा हूं।

इराकी तेल कम्पनियां ही समस्त इराकी सम्पत्ति की मालिक है। हमारे प्रशिक्षण देने का उद्देश्य उनकी कार्य कुशलता को सुधारना है। प्रचुर तेल उत्पादक रोमालिया क्षेत्र के समीपस्थ पर हस्ताक्षर श्री उमर अब्दुल्लाह ने किये थे जब वे सरकार में राज्य मंत्री थे। हम इस पर आगे कार्यवाही करते रहना चाहते हैं क्योंकि तेल सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है।

दूसरा विषय था करार के बारे में। हमें ये करार इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि हम वहां अपनी सेना नहीं भेज रहे हैं। अब मुझे वाशिंगटन में कोयले के बारे में जो कुछ कहना चाहिए था, उस बारे में घसीटा जा रहा है।

अब, महोदय मेरे प्रति आपको इतना विश्वास तो रखना ही चाहिए कि मैं पिछले 51 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ा रहा हूं। मैं समझता हूं कि भारतीय विदेश नीति का प्रेरणा स्रोत तथा आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1947 में नहीं और न ही 1938 के हरीपुरा कांग्रेस में प्रस्तुत किया गया था 1927 में जब वे ब्रशेल्स कांफ्रेंस में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधित्व करने गये थे तब ही उन्होंने तय कर लिया था कि भारत की विदेश नीति क्या होनी चाहिये। अत: मैं उसी परम्परा में बड़ा हुआ हूं। मुझसे यह उम्मीद करना कि किसी प्रकार का समझौता करूंगा, यह मेरे द्वारा इस राष्ट्र के प्रति निष्ठापूर्वक की गयी सेवाओं के प्रति बहुत बड़ा अन्याय होगा। भारत द्वारा इराक में सेना भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

पिछली संसद में यह प्रस्ताव किस प्रकार पारित हुआ? हमने इसे मानसून सत्र में ही पारित करने के भरसक प्रयास किये काफी टाल-मटोल के पश्चात अंतत: हम इसे पारित कराने में सफल रहे। मैं इराक में युद्ध की भर्त्सना करने और सेना भेजे जाने के बारे में एकमत से प्रस्ताव पारित करने की मुहिम चलाए हुए था।

अब जो कुछ हुआ उसका घटनाक्रम इस प्रकार है। 27 मई, 2003 को अमरीकी अवर रक्षा सचिव, डगलक फीथ ने वाशिंगटन में भारतीय राजदूत को बुलाया और इराक में तैनात सेना को स्थिरता देने के लिए अमरीका की कमान में भारतीय सेना भेजने की मांग की। 28 मई, 2003 को वाशिंगटन में भारतीय दूतावास के रक्षा सलाहकार को संयुक्त अमरीकी सेना के प्रमुख के कार्यालय द्वारा सूचित किया गया कि भारत को उत्तर क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जा सकती है। 28 मई, 2003 को दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने विदेश मंत्रालय (जे.एस.-यू.एस.सी.) को बताया कि (मई के अंत तक) केन्द्रीय कमान (सैंटकाम) चार या पांच देशों के प्रतिनिधि मंडल को वहां भेज रही है और वह भारतीय सेना की संभावित योगदान हेतु आपरेशन विषय में चर्चा के लिए भारत भ्रमण पर भी आ सकता है। यह प्रतिनिधिमंडल भारत नहीं आ सका क्योंकि हम तुरन्त कोई सहमति व्यक्त नहीं कर सके थे। 3 जून, 2003 को अमरीकी रक्षा सचिव, रोनाल्ड रम्सफिल्ड ने रक्षा मंत्री को पत्र लिख कर एक डिवीजन के बराबर सेना भेजने को कहा।

अब क्या हुआ? 5 जून, 2003 को श्रीमती सोनिया गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी को पत्र में लिखा "हमने सुना है कि आपकी सरकार इराक में सेना भेजने के विषय में विचार कर रही हैं, सभी दलों से विचार-विमर्श किये बिना और जब तक राष्ट्रीय सहमति न हों यह नहीं किया जा सकता और यह सेना संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत ही भेजी जाये।" उसी समय केवल उसी समय अमरीका को अवगत कराने के लिए चर्चा हुयी थी। और यह कब हुआ? 14 जुलाई, 2003 को जब कैबिनेट की सुरक्षा संबंधी समिति की बैठक ने यह तय किया कि यदि संयुक्त राष्ट्र इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से कहता है तो भारत सरकार इराक में सेना भेजने पर विचार कर सकती है।

यह पूरा कहना कम है। इसके पश्चात्, हमने संसद के दोनों सदनों में आम सहमति से प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस पार्टी इसका काफी श्रेय ले सकती है और आप सब भी इसका काफी श्रेय ले सकते क्योंकि सरकार की हिचकिचाहट के बावजूद यह प्रस्ताव पारित हुआ। यह इसकी पृष्ठभूमि है।

अब जो इराक में हो रहा है मैं उस पर आता हूं। भूतपूर्व राष्ट्रपति, सद्दाम हुसैन पर चलाये जा रहे मुकदमें के बारे में कई बार कहा गया है। उन पर चल रहे मुकदमे में उन पर लगाये गये आरोप इराकी आपराधिक कानून के अंतर्गत लगाये गये है, जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के ही शासन काल से संबंधित है। मुकदमे के न्यायाधीश की नियुक्ति भूतपूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के शासन में की गयी थी। मैं उनके लिए भूतपूर्व राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूं। मैं उनका नाम ले रहा हूं। वे भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं।

न्यायाधिकरण का अभी गठन किया जाना है जो कि सेना की सहायता से वहां प्रयुक्त किये जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों

से प्रेरित होगा। हम वहां के घटनाक्रम पर निरन्तर नजर रखेंगे और सदन को इसकी जानकारी देते रहेंगे।

अब मैं महत्वपूर्ण विषय की ओर आता हूं। प्रस्ताव क्या कहता है? यह 8 जून को पारित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1546 के अंतर्गत इराक में राजनीतिक स्थानांतरण की रूप रेखा जैसा मैंने बताया है अनुमोदन पांच स्थायी सदस्यों और पाकिस्तान और अलजीरिया सहित 10 अस्थायी सदस्यों द्वारा किया गया है वह इस प्रकार है। पहला, 30 जून, 2004 तक इराक में अन्तरिम सरकार को पूरी जिम्मेदारी सौंपना। यह 28 जून को हुआ। दूसरा 30 जून, 2004 तक इराक को कब्जे से मुक्त करना। यह वास्तव में 28 जून, 2004 को सम्भव हुआ। तीसरा, जुलाई-अगस्त, 2004 तक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाना। चौथा सीधे लोकतांत्रिक चुनाव करवाना और 31 दिसम्बर, 2004 तक अंतर्कालीन राष्ट्रीय एसेम्बली का गठन करना और यह समय सीमा किसी भी स्थिति में 31 जनवरी, 2005 से आगे नहीं जानी चाहिये। पांचवा अंतर्कालीन सरकार का गठन। छठा स्थायी संविधान का प्रारूप तैयार करना। सांतवां जनमत संग्रह और संविधान का अनुमोदन। आठवां अगले वर्ष 31 दिसम्बर तक संविधान के अंतर्गत चुनाव कराना। यह तथ्यात्मक स्थिति है। मेरे पास प्रस्ताव की एक प्रति है। यह बहुत पेजों में है और क्या-क्या हुआ उसका ब्यौरा इसमें है।

अब, मैं इसे सभा पटल पर रखना चाहता हूं जैसाकि मैंने कहा कि हमसे किसी ने सेना की मांग नहीं की है। यदि आप फिर भी यह प्रश्न पूछते है कि क्या भारत वहां अपनी सेना भेजेगा? तो मेरा उत्तर होगा भारत अपनी सेना नहीं भेजेगा। अब यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिये। हमारा ऐसा कभी इरादा नहीं था। मैं जब अमरीका में था तब मैंने यह सब इन्टरनेट पर देखा था। मैने जो कहा था उसकी प्रतिक्रिया ने मुझे झकझोर कर रख दिया। इसीलिए मैंने कामरेड सुरजीत को फोन किया। कम से कम उनको मुझमें इतना विश्वास होना चाहिए। मैं ऐसा पिछले 50 वर्षों से कर रहा हूं।

अब सुरक्षा परिषद का एक प्रस्ताव है जिसके लिए हम मांग करते रहे हैं। हम यह मांग करते रहे हैं कि अमरीका और ब्रिटेन को एकपक्षीय कार्यवाही नहीं बल्कि बहुपक्षीय दृष्टिकोण के अनुसार चलना चाहिए और ऐसा हो रहा है और यह पहला कदम है। इसलिए सेना भेजने का प्रश्न कहां से उठता है। आज विश्व में 130 करोड़ मुसलमान है और 56 मुस्लिम राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के सदस्य है। भारत का इतिहास रहा है कि सभी मुस्लिम राष्ट्रों के साथ उसके संबंध बहुत ही सौहार्द्धपूर्ण रहे हैं।

हम किसी भी प्रकार से इस्लामी जगत की भावनाओं को कम महत्व नहीं दे सकते हैं, मैं पाकिस्तान में कार्य कर चुका हूं। अत: मैं इसके बारे में कुछ जानता हूं। मैं इस आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ जानता हूं। मौरीटेनिया से इंडोनेशिया में मेदान तक इस्लामी जगत का मन आहत हुआ है। विश्व ने इसके साथ समझौता किया है।

यहां सोवियत संघ के विघटन के बारे में एक उल्लेख किया गया था। यह एक राजनैतिक जलजला है जिसके परिणामों का अभी तक पूर्ण विश्लेषण किया जाना शेष है। विश्व अभी तक सोवियत संघ की अनुपस्थिति से पैदा हुए रिक्त स्थान को नहीं भर पाया है क्योंकि सोवियंत संघ के विलुप्त होने से विश्व से एक वैकल्पिक विचारधारा विलुप्त हो गई है और अभी तक किसी अन्य ने उसका स्थान नहीं लिया है। इस भूमिका को भारत, चीन, रूस और अन्य मित्र भी निभा सकते हैं और उन्हें इसे निभाना चाहिए। यही प्रयास है। हमने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यही कहा है। हमारी नीति यही होने जा रही है।

महोदय, मेरे लिए यह मानना, कि ईराक में सेना भेजे जाने जैसे मुद्दे पर कोई समझौता किया जाएगा, अकल्पनीय है। यदि सदस्यों को यह संदेह है कि ऐसा किया जाएगा तो मैं इससे दुखी हूं। हम एक बहुत जटिल परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। मैं एक गठबंधन सरकार का सदस्य हूं। हमें जो कोई भी निर्णय लेना पड़े उसके लिए हमें अपने गठबंधन के सहयोगियों को साथ लेना पड़ेगा, हमें आपको अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा, हमें दोनों सदनों को अपने साथ लेना पड़ेगा, राष्ट्र को अपने साथ लेना पड़ेगा। पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा जिस विदेश नीति की नींव रखी गई से संबंधित हमारी यह संरचना, भारत की विदेश नीति का गौरव है, जो कि आज भी कायम है।

अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा बदल चुका है। तीस वर्ष पूर्व साम्राज्यवाद, रंगभेद और उपनिवेशवाद की समस्याएं थीं। आज की समस्याएं हैं एड्स, आंतकवाद, गरीबी, स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण और आर्थिक मामले। अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा बदल चुका है। हम एक ऐसी विदेश नीति का पालन करते हैं जो कि 21वीं सदी के लोगों की आवश्यकताओं, मांगों और आकांक्षाओं के अनुरूप है।

अत: यह कहना कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो चुका है। सत्य नहीं है। आप गुटनिरपेक्ष आंदोलन को तटस्थता से न जोड़े। वर्ष 1947 से 1961 के बीच जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव डाली गई थी तो भारत इस अवधि में गुटनिरपेक्ष रहा था। अत: जब आप यह कहते हैं कि हम इसे छोड़ रहे है तो हम इसे छोड़ नहीं रहे हैं। हम यथार्थवादी बन रहे हैं। एक बार जकार्ता में कसूरी साहब के साथ मेरी बातचीत के बारे में मुझसे पूछा गया कि क्या आप आशावादी हं या निराशावादी तो मैंने कहा था कि मैं आशावाद या निराशावाद के दायरे में बात नहीं करता

[श्री के. नटवर सिंह]

हूं। हमें इन चीजों के बारे में यथार्थवादी होना पड़ेगा। हम एक जटिल संसार में रहते हैं और यह एक जटिल परिस्थिति है। हम ऐसी परिस्थिति में रह रहे हैं जहां एक महा-शक्ति सर्वाधिक शक्तिशाली है लेकिन आज उस महाशक्ति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सर्वसम्मति समर्थन चलने का निर्णय लिया है।

महोदय, अब मैं अध्यक्षपीठ की अनुमति से एक वक्तव्य पढ़ रहा हूं जो मैंने तैयार किया है मेरे विचार से माननीय संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देना मेरा कर्त्तव्य है। वे इसके पूरे हकदार हैं।

[हिन्दी]

आपके जज्बात को मैं समझता हूं, मगर हमारे हिन्दुस्तान के वजीरे-खारेजा अगर सिर्फ जज्बात पर चले तो चल ही नही सकता, क्योंकि मैं उस कुर्सी पर बैठा हूं, जहां जवाहर लाल नेहरू बैठे थे। पता नहीं मैंने क्या अच्छा काम किया जो मैं यहां हूं।

[अनुवाद]

एक पल के लिए भी यह न सोचे कि मैं भारत से संबंधित किसी भी मुद्दे पर समझौता करूंगा।

इराक में परिस्थितियां तेजी से सुधर रही हैं और गत एक माह में ही अंतरिम सरकार का गठन, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद द्वारा संकल्प 1546 पारित करना और गठबन्धन के अस्थायी प्राधिकरण (कोएलिसन प्रोविजनल अथारिटी सी.पी.ए.) द्वारा अंतरिम सरकार को प्राधिकार तथा सम्प्रभुता का हस्तांतरण किया जाना जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। यह सी.पी.ए. को भंग करने तथा संकल्प 1546 के अनुरूप था। एक सप्ताह पूर्व ईराक की नई सरकार ने एक अंतरिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद ने पदों की शपथ ली।

अब इराक में हमारे एक राजदूत पहले से ही उपस्थित है। गत दो वर्ष से हमारे राजदूत इराक में है तथा अन्य दूतावास भी वहां खुल रहे हैं व अन्य देश की वहां जा रहे है।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इस सरकार के गठन में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। डेढ़ वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की पूर्णतया उपेक्षा की गई थी और उन्हें वापस जाना पड़ा था। श्री कोफी अन्नान ने वहां संयुक्त राष्ट्र की भूमिका सुनिश्चित करने में केन्द्रीय भूमिका निभाई है। उनके विशेष सलाहकार अल्जीरिया के श्री लखदर ब्राहीमी ने भी वहां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्री लखदर ने बॉन में अफगानिस्तान पर एक सम्मेलन कराया और सत्ता के हस्तांतरण को सम्भव बनाया। अत: श्री लखदर ब्राहीमी, जो कि अलजीरिया से है, ने इस बात के लिए गहन प्रयास किया कि यह संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकार किया जाए।

संकल्प 1546 के अनुसार वहां की संस्थापना में एक समयबद्ध राजनैतिक प्रक्रिया को इस प्रकार चलाया जाए कि वहां दिसम्बर, 2005 तक संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार बन सके। संयुक्त राज्य अमरीका और ब्रिटेन ने भी इस संकल्प पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे वापस हटने का कोई सवाल ही नहीं है।

संकल्प 1546 को सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी और अस्थायी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था जिसके अनुसार अंतरिम सरकार एक सम्प्रभु निकाय है तथा ईराकी लोगों का यह अधिकार है कि वे अपना राजनैतिक भविष्य सुनिश्चित करें तथा अपने वित्तीय और प्राकृतिक संसाधनों को पूर्णतया नियंत्रित करें व उन पर अपने प्राधिकार का पूरा उपयोग करें। इस संकल्प में यह भी प्रावधान है कि अंतरिम सरकार के अनुरोध पर वहां बहुराष्ट्रीय सेनाएं जा सकती हैं। इस बल को प्रदान किया गया शासनादेश 31 दिसम्बर 2005 को राजनैतिक प्रक्रिया के पूरा होने पर समाप्त हो जाएगा। यदि ईराक की सरकार अनुरोध करे तो यह अधिकार पत्र इससे पहले भी समाप्त हो सकता है।

भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा 8 अप्रैल, 2003 को सर्वसम्मति से पारित किया गया संकल्प इराक के संबंध में इस दिशा में हमारी नीति को निर्देशित करता रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, कृपया एक पल के लिए रूकें। यदि सभा इससे सहमत हो तो मैं माननीय मंत्री जी द्वारा अपना उत्तर समाप्त किए जाने तक सभा का समय बढ़ा दूं।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां, महोदय।

सायं 6.00 बजे

श्री के. नटवर सिंह: धन्यवाद, महोदय।

इस संकल्प के अधिकार क्षेत्र में हमने सदा इस बात पर जोर दिया है कि इराकी लोगों की सम्प्रभुता शीघ्रता से बहाल हो, इराकी लोगों को अपने राजनैतिक भविष्य को निर्धारित करने तथा अपने प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करने का अधिकार मिले तथा सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया व उस देश के राजनैतिक व आर्थिक पुनर्निर्माण में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रहे। इसी भावना के अनुरूप हमने सुरक्षा परिषद के संकल्प 1546 का, इराकी लोगों के प्राधिकार तथा उन्हें सत्ता के हस्तांतरण की ओर बढ़ाये गए पहले कदम के रूप में स्वागत किया है। आज के विश्व की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है।

भारत खाड़ी क्षेत्र की शांति और समृद्धि के प्रति बहुत चिंतित है। विश्व के उस भाग में लाखों भारतीय रहते हैं। वे वहां बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं तथा हमारा नाम उज्जवल कर रहे हैं।

[हिन्दी]

विदेशी पूंजी हमारे यहां भेज रहे हैं। केरल की सारी इकोनामी उन पर निर्भर है। मैं 9-10 तारीख को केरल जा रहा हूं। वहां कुछ परेशानी हो रही है। हमारा स्टेक इतना वाइटल है कि 24 घंटे इस पर तवज्जह दी जाती है।

[अनुवाद]

उस क्षेत्र तथा संसार के दीर्घावधिक स्थायित्व के लिए एक स्थायी तथा शांतिपूर्ण इराक आवश्यक है। भारत का इराक के लोगों के साथ निकट तथा मैत्रीपूर्ण संबंध है और वह उनके मानवीय तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में कटिबद्ध होकर उनके साथ है। मैंने 2 जून को इराक के विदेशी मंत्री श्री होशीयार जिबारी को लिखे अपने पत्र में इराकी लोगों की सहायता करने की अपनी नीति और इस संबंध में हमारी गहन प्रतिबद्धता और समर्थन जारी प्रयासों से उन्हें पुन: अवगत कराया है। इस सरकार की यही नीति है।

हम इराकियों को 20 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता देने के प्रति प्रतिबद्ध है। इस सहायता के ही रूप में हमने विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से इराकी बच्चों के लिए दुग्ध पाउडर के वितरण का प्रबन्ध किया है। हम इराकी कूटनीतिज्ञों के लिए अपने विदेश सेवा संस्थान में और इराकी अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने हेतु राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने है। हम इराकी तेल मंत्रालय के अधिकारियों को भारत में अप-प्रवाह तथा अन-प्रवाह इकाइयों में प्रशिक्षण देंगे। इस संबध में इराक से नामांकित लोगों के नामों की सूची मिलने की प्रतीक्षा है।

यदि सुरक्षा स्थिति अनुमत करे जो धार्मिक नगर नजफ में एक अस्पताल के पुनर्निर्माण और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपनी इच्छा से हमने इराक को अवगत करा दिया है। हमने संविधान, चुनाव प्रक्रिया, जनगणना और मत पंजीकरण के विकास संबंधी राजनीतिक प्रक्रिया, में अपनी सहायता और अनुभव प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराने का अनुभव भारत के निर्वाचन आयोग के अलावा और किसी के पास नहीं है-इतिहास में इसका जोड़ नहीं है-एक अरब लोगों के लोकतंत्र के लिए चुनाव कराना। हम नित नए आयाम स्थापित करते रहे हैं और अपने अनुभव इराकी जनता के साथ बांटना चाहेंगे हमने ऊर्जा, परिवहन और संचार, औषध निर्माण, शिक्षा, जल और स्वच्छता, सूचना प्रौद्योगिकी और छोटे तथा मझोले उद्योगों के विकास जैसी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास में मदद का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव इस वर्ष फरवरी में अबु-धाबी में हुए 'इंटरनेशनल डोनर कान्फ्रेंस' में रखा गया और मई में हुए दोहा सम्मेलन में इस बात को दुहराया गया। इराक ने इस मैत्रीपूर्ण कदम का स्वागत किया और अपने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में हमारी सुविधाओं का उपयोग भी किया है। 28 जून को इराकी मंत्रालयों के 'कोल्शिन प्रोविंशीयल अथारिटी' नियंत्रण से पूर्णत: मुक्त होने के साथ ही हम इस संबंध में अधिकाधिक मेलजोल की आशा रखते हैं। इराक के अनुरोध के जवाब में हमने उच्चतर शिक्षा और डाक्टरी उपाधियों में इराकी नामितों के लिए 30 वार्षिक छात्रवृत्तियों के प्रावधान को पुन: प्रारंभ कर दिया है और इराकी प्रशिक्षुओं के लिए विदेश मंत्रालय का आई.टी.ई.सी. कार्यक्रम भी खुला है।

हमने अक्तूबर, 2003 में मैड्रिड में इराक पर हुए इंटरनेशनल डोनर कान्फ्रेंस में भाग लिया और इराक के पुनर्निर्माण के लिए क्रमश: संयुक्त राष्ट्र विकास समूह और विश्व बैंक के द्वारा गठित दो इराकी न्यास निधियों को 10 लाख अमरीकी डालर की राशि देने का वायदा किया। इराकी डोनर्स कमिटी के सदस्य के रूप में हमने अबु-धाबी और दोहा में हुई इसकी बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। भारत ही एकमात्र गैर-तेल उत्पादक राष्ट्र है जो इराकी डोनर कमिटी का सदस्य बना है जिससे इराक के आर्थिक पुनर्निर्माण के पर्यवेक्षण में मदद की उम्मीद की जाती है।

मैं यह पुन: कहना चाहूंगा कि इराक में भारतीय सेनाओं को भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता है। 8 अप्रैल, 2003 को इस माननीय सभा द्वारा पारित सर्वसम्मत संकल्प सरकार की स्थिति का मार्गदर्शन करता है। हमने अनेक संगत बातों जैसे कि जमीनी सच्चाइयां, राजनीतिक प्रक्रिया का विकास, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, इराक में और इराक के पड़ोसियों की जन भावनाएं, भारत में राष्ट्रीय भावना और इराक के लिए अपनी सेनाएं भेजने की क्षमता को ध्यान में रखा है। तद्नुसार, हमने इराक में कोई भी सेना की तैनाती पर विचार न करने का फैसला लिया है। यह स्थिति जारी रहेगी। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारत के पास वर्तमान समय में इराक में सेना तैनात करने के लिए किसी ने भी संपर्क नहीं किया है।

इराक में कार्य कर रहे भारतीयों के लिए व्यक्त चिंता से सरकार भी सरोकार रखती है। बगदाद में 580, बसरा में 98, फलूजा में 190, तिकरित में 533, नजफ में 88, करबला में 76, अल हिला में 166, अल-कुद्स में 100, बकूबा में 140, अल नसीरिया में 67, मोसूल में 353, बलाड में 51 भारतीय हैं। निजी अभिकर्त्ताओं द्वारा भर्ती कुछ भूतपूर्व भारतीय सैनिक स्थिर पहरेदारी के कार्य के लिए इराक गए। इसके अलावा, अनेक भारतीय बेइमान

[श्री के. नटवर सिंह]

भर्ती अभिकर्त्ताओं द्वारा धरना दिए गए और अनजाने में रोजगार के लिए इराक पहुंच गए। हमारी जांच से पता चलता है कि इनमें से कोई भी गठबंधन सेनाओं के सीधे नियोजन में नहीं है। हमारी सूचना अनुसार, ये सभी असैनिक कार्यों में नियोजित हैं। ये निजी ठेकेदारों द्वारा नियोजित हैं जो संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार द्वारा विभिन्न सहायक सेवाओं जैसे भवनों, धुलाईघर, रसोईघर और भोजन की सुविधाओं तथा इराक में उनके शिविरों में असैनिक पहरेदारी कार्यों के लिए किराए पर लिए गए है। हमने खाड़ी देशों और खासकर इराक और उसके पड़ोसी देशों में स्थित अपने शिष्टमंडलों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे उन्हें भारत लौटने में हरसंभव मदद करें। इराक के लिए उत्प्रवाश निकासी अभी निलंबित है। यह जारी रहेगा। उत्प्रवाश निकासी का निलंबन भूतपूर्व सैनिकों पर भी लागू है, न सिर्फ इराक के संबंध में बल्कि इराक के पड़ोसी देशों कुवैत, जार्डन और संयुक्त अरब अमीरात के लिए भी ताकि इन देशों के लिए उत्प्रवाश निकासी का इराक में घुसने के लिए दुरूपयोग होने से रोका जाए।

मैं 18 भारतीयों की भर्ती के बारे में प्रेस रिपोर्टों की चर्चा करना चाहूंगा-डा. करुणानिधि ने मुझे इस बारे में लिखा और मैंने उन्हें इसका जवाब भेजा, इसे मैं सभा में रखना चाहूंगा-ये जाहिर तौर पर निजी संस्था द्वारा जार्डन में रोजगार के लिए भर्ती किए गए, लेकिन इन्हें इराक भेज दिया गया और फलूजा के निकट एक संयुक्त राष्ट्र सुभीता पर रखा गया जहां से उन्होंने भारत वापस आना चाहा। उनमें से दस ने 2 जुलाई को इराक छोड़ दिया और बचे हुए आठ ने कल इराक छोड़ा। हमें हमारे बगदाद में स्थित दूतावास से यह बताया गया है कि फलूजा में फंसे सभी 18 भारतीय इराक छोड़ चुके है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इराक में कार्य कर रहे भारतीय उस देश के कोने-कोने में फैले हुए हैं। वर्तमान परिस्थिति के मद्देनजर, बगदाद में स्थित हमारे दूतावास में उनके द्वारा सहायता पाने के लिए पहुंच पाना संभव नहीं होगा। बगदाद स्थित दूतावास को इराक के विभिन्न भागों में अवस्थित भारतीयों से यथासंभव संपर्क कायम करने का निदेश दिया गया है ताकि भारत आने के इच्छुक भारतीयों के अन्य मामले शीघ्रता से निपटाए जा सकें। इराक के पड़ोसी देशों में अवस्थित हमारे शिष्टमंडलों को उन नियोजकों के साथ संपर्क स्थापित करने को कहा गया है जिन्होंने अपने भारतीय कामगारों को सेवा करार के तहत इराक भेज दिया है, ताकि उनकी सुरक्षा और कुशलता सुनिश्चित की जा सके और उन्हें भारत वापस भेजा जा सके।

इराक में अवस्थित धार्मिक स्थलों, जो भारत सहित सारे विश्व में पूजनीय हैं, की पवित्रता का उल्लंघन किए जाने पर हम अत्यंत चिंतित हैं। हम धार्मिक स्थलों की पवित्रता के आदर की अनिवार्यता पर बल देते हैं और सभी संबंधित व्यक्तियों को धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कार्रवाई से दूर रहने की सलाह देते हैं।

गठबंधन सेनाओं में शामिल तत्वों द्वारा इराकी बंदियों, खासकर अबु गरोब जेल के बंदियों पर किए गए अत्याचार पर हम चिंतित हैं। इन घृणित कृत्यों को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संयुक्त राज्य सैन्य बल ने संयुक्त राज्य सैनिकों द्वारा ढाए गए अत्याचारों और अशोभनीय कृत्यों की आलोचना की है। विश्व के अन्य देशों की तरह यह सरकार भी इराकी बंदियों के साथ किए गए बुरे व्यवहार या अत्याचार को घृणास्पद मानती है। हमने यू.एस.ए. और यू.के. द्वारा उच्चतर स्तर पर खेद प्रकट किए जाने पर और उनकी सरकारों के सैन्य, प्रशासनिक और कानूनी पद्धति द्वारा सुधारात्मक और दण्डात्मक उपायों के इरादे पर गौर किया है ताकि ऐसे अक्षम्य कृत्यों को पुनः घटित होने से रोका जा सके। ये मानव अधिकारों और मानवीय बर्ताव का उल्लंघन करते हैं।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि भारत और इराक के लोगों के बीच में ऐतिहासिक और निकट संबंध है। हमें उनके अपने नियति पर जल्द से जल्द पूर्ण और सच्ची प्रभुत्वसंपन्नता प्राप्त करने की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह जारी राजनीतिक प्रक्रिया के विकास को सूचित करेगी ताकि पूर्णता में इराकी जनता की आकांक्षाएं पूरी हो सके। हमने अपनी शुभकामना इराक की अंतरिम सरकार को सुरक्षा और स्थायित्व के अत्यावश्यक विषयों को देखने के लिए दी है ताकि राहत और पुनर्निर्माण राजनीतिक समयसारणी के साथ निर्बाध चलते रहे। भारत इराक के आर्थिक और राजनीतिक पुनर्निर्माण के लिए पूर्ण सहायता प्रदान करता रहेगा।

मैं आज इस सभा में इस सामयिक चर्चा और वाद-विवाद के महत्व की कद्र करता हूं और सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.11 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 7 जुलाई 2004/16 आषाढ़, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री मित्रसेन यादव	21
2.	श्री अब्दुल रशीद शाहीन	22
3.	श्री बची सिंह रावत 'बचदा' श्री वृजभूषण शरण सिंह	23
4.	श्री महेश कनोडीया श्री वीरेन्द्र कुमार	24
5.	श्री पी. करुणाकरन	25
6.	श्री मोहन रावले श्री कीर्ति वर्धन सिंह	27
7.	श्री प्रभुनाथ सिंह श्री निखिल कुमार चौधरी	28
8.	श्री वाई.जी. महाजन श्री निखिल कुमार	29
9.	श्री रामदास बंडु आठवले	30
10.	डा. पी.पी. कोया श्री रायापति साम्बांसिवा राव	31
11.	श्री दुष्यंत सिंह	32
12.	श्री रतिलाल कालीदास वर्मा श्री कैलाश मेघवाल	33
13.	श्री शिवाजी अधलराव पाटील श्रीमती कृष्णा तीरथ	34
14.	श्री प्रबोध पाण्डा	35
15.	श्री सर्वानन्द सोनोवाल श्री खीरेन रिजीजू	36
16.	श्री उदय सिंह	37
17.	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक श्री दलपत सिंह परस्ते	38
18.	श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद	39
19.	श्री अजय चक्रवर्ती	40

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2
अब्दुल्लाकुट्टी, श्री	199,
आचार्य, श्री बसुदेव	216, 263, 319
आदित्यनाथ, योगी	199, 228
अहीर, श्री हंसराज जी.	255
अजय कुमार, श्री एस.	177, 218
अप्पादुरई, श्री एम.	194
आठवले, श्री रामदास बंडु	233, 285, 306, 321
'बचदा', श्री बची सिंह रावत	230, 281, 302
बैठा, श्री कैलाश	200, 214
बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	218, 264, 295, 315, 325
बुधौलिया, श्री राजनरायण	204, 206, 306
बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर	209, 271
चक्रवर्ती, श्री अजय	282, 305
चालिहा, श्री किरिप	188, 191, 241, 277
चन्देल, श्री सुरेश	181, 234, 296
चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	248, 282
चौधरी, श्री निखिल कुमार	260, 292, 311
चौहान, श्री शिवराज सिंह	191, 259, 299, 317, 327
चौधरी, श्री अधीर	183, 244, 250, 279, 313
चौधरी, श्री विकास	206
डेलकर, श्री मोहन एस.	220, 268
देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	206, 320
डोम, डा. रामचन्द्र	206
गढ़वी, श्री पी.एस.	217, 280
गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	205

1	2
हसन, श्री मुनव्वर	193
जगन्नाथ, डा. एम.	191, 208, 291, 305
जटिया, डा. सत्यनारायण	206
झा, श्री रघुनाथ	201, 231, 282, 304
कामत, श्री गुरुदास	198, 222, 282, 298, 300
खैरे, श्री चंद्रकांत	197
खां, श्री सुनील	199
कोया, डा. पी.पी.	245, 286
कृष्ण, श्री विजय	251, 282, 305
कृष्णदास, श्री एन.एन.	248, 282
कुरूप, श्री सुरेश	282
कुसमरिया, डा. रामकृष्ण	192, 252
'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	196, 253
महाजन, श्री वाई.जी.	249, 284, 305, 320
महतो, श्री बीर सिंह	236
माझी, श्री परसुराम	179, 242, 289
माकन, श्री अजय	208, 223, 270
मंडल, श्री सनत कुमार	182
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	251, 282, 305
माने, श्रीमती निवेदिता	251, 282, 305
मरांडी, श्री बाबू लाल	209
मेघवाल, श्री कैलाश	262, 294, 314, 324
मेहता, श्री आलोक कुमार	213, 257
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	211
मोदी, श्री सुशील कुमार	206, 249, 306, 320
मोहले, श्री पुन्नूलाल	198
मूर्ति, श्री ए.के.	185, 238, 276, 315
नायर, श्री पी.के. वासुदेवन	248
नायक, श्री अनन्त	187, 192, 239, 293, 312

1	2
निखिल कुमार, श्री	250, 256, 305, 329
निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	321
नीतीश कुमार, श्री	196, 199
ओवेसी श्री असादूद्दीन	203, 256, 282, 329
पाण्डा, श्री प्रबोध	235, 288, 329
पटेल, श्री दिनशा	196, 224, 232
पटैरिया, श्रीमती नीता	210
पाटिल, श्री प्रकाशबापू वी.	204, 225, 272, 301, 318
पाटील, श्री शिवाजी अधलराव	246, 287, 308, 323
पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	178, 258, 280
पिंगले, श्री देविदास	221, 269
प्रसाद, श्री हरिकेवल	200, 247
राधाकृष्णन, श्री वरकला	207, 313
राजेन्द्रन, श्री पी.	195, 207, 248
रंजन, श्रीमती रंजीत	215, 227
राव, श्री के.एस.	212, 161, 305, 329
राव, श्री रायापति सांबासिवा	267, 297, 316, 326
रावले, श्री मोहन	224, 283, 303
रावत, श्री कमला प्रसाद	198, 217
रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.	180, 198, 266
सत्पथी, श्री तथागत	255, 290, 309, 328
सेठ, श्री लक्ष्मण	202
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	236
शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	198, 219, 265
शिवनकर, प्रो. महादेवराव	282
सिंह, श्री दुष्यंत	274, 307, 321, 322
सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	251, 282, 305

1	2
सिंह, श्री मोहन	215, 226, 282
सिंह, श्री प्रभुनाथ	229, 273, 304
सिंह, श्री उदय	198, 250, 305
सुब्बा, श्री एम.के.	189
सुमन, श्री रामजीलाल	196, 199, 253
सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	207, 253
ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	186
थामस, श्री पी.सी.	195, 248, 329
तीरथ, श्रीमती कृष्णा	254
त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	329
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	306
वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	190, 243, 278
विनोद कुमार, श्री बी.	184, 237, 275, 310
वीरेन्द्र कुमार, श्री	257, 291, 308
यादव, श्री गिरिधारी	215
यादव, श्री मित्रसेन	240, 250, 306
यादव, श्री राम कृपाल	247
येरननायडु, श्री किन्जरपु	176

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	29, 39
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	:	
गृह	:	22, 25, 27, 28, 30, 33, 36, 38
मानव संसाधन विकास	:	23, 31, 34, 35, 37
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	:	
संसदीय कार्य	:	
विद्युत	:	24, 32, 40
इस्पात	:	
जनजातीय कार्य	:	
शहरी विकास	:	
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	21

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	176, 182, 183, 199, 215, 217, 222, 248, 264, 267, 279, 299, 326
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	:	241, 249
गृह	:	184, 188, 191, 197, 198, 201, 220, 223, 226, 228, 231, 239, 240, 251, 255, 256, 258, 262, 268, 271, 276, 277, 280, 281, 282, 283, 286, 300, 303, 313, 320, 329
मानव संसाधन विकास	:	179, 185, 186, 200, 202, 207, 212, 213, 225, 227, 230, 242, 244, 250, 259, 261, 269, 285, 287, 291, 292, 308, 309, 311, 317, 323, 328
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	:	178, 187, 216, 296, 307, 315
संसदीय कार्य	:	
विद्युत	:	189, 190, 192, 194, 195, 196, 203, 205, 206, 210, 211, 219, 224, 232, 237, 238, 243, 254, 257, 260, 265, 274, 275, 278, 288, 290, 297, 302, 306, 314, 316, 319, 322
इस्पात	:	204, 252, 253, 263, 284, 289, 293, 305, 312, 325
जनजातीय कार्य	:	209, 218, 233, 310, 327

शहरी विकास : 177, 180, 193, 208, 214, 221, 229, 236, 245, 246, 266, 270, 273, 298, 301, 304, 318, 321, 324

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन : 181, 234, 235, 247, 272, 294, 295

पी.एल.एस.–48.2.2/2004 (एन०)
280

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और धनराज एसोसिएट्स प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।